चतुर्दश माला, खंड 8, अंक 19

बुधवार, 23 मार्च, 2005
2 चैत्र, 1927 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

चौथा सत्र
(चौदहवीं लोक सभा)

सत्यमेव जयते

Gazettes & Debates Unit
Parliament Library Building
Rec... 2005
Acc. No. 58
Dated 11/3/06

(खंड 8 में अंक 11 से 20 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : पचास रुपये

सम्पादक मण्डल

गुरदीप चन्द मलहोत्रा
महासचिव
लोक सभा

किरण साहनी
प्रधान मुख्य सम्पादक

प्र.ना. भारद्वाज
मुख्य सम्पादक

वन्दना त्रिवेदी
वरिष्ठ सम्पादक

ललिता अरोड़ा
सहायक सम्पादक

(अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा।)

विषय-सूची

[चतुर्दश माला, खंड 8, चौथा सत्र, 2005/1927 (शक)]

अंक 19, बुधवार, 23 मार्च, 2005/2 चैत्र, 1927 (शक)

विषय	कॉलम
शहीदों को श्रद्धांजलि	1–4
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	
*तारांकित प्रश्न संख्या 281 से 284	4–33
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या 285 से 300	33–64
अतारांकित प्रश्न संख्या 3051 से 3280	65–401
सभा पटल पर रखे गए पत्र	401–411
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति	
सातवां प्रतिवेदन	411
लोक लेखा समिति	
नौवां प्रतिवेदन	412
अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति	
विवरण	412
कोयला और इस्पात संबंधी स्थायी समिति	
छठा और सातवां प्रतिवेदन	413
मानव संसाधन विकास संबंधी स्थायी समिति	
एक सौ सत्तावनवां प्रतिवेदन	413
पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण विधेयक के बारे में	440
नियम 377 के अधीन मामले	440–448
(एक) मरूधर एक्सप्रेस को जोधपुर और वाराणसी के बीच बरास्ता लखनऊ चलाए जाने की आवश्यकता	
डा. करण सिंह यादव	440–441

*किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिह्न इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस सदस्य ने ही पूछा था।

विषय — कॉलम

(दो) गुजरात के अमरेली और जूनागढ़ जिलों में मोबाइल टेलीफोन नेटवर्क में सुधार किए जाने और प्रदेश में और अधिक क्षेत्रों को कनेक्टिविटी उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता

श्री वी.के. दुम्मर 441

(तीन) मदुरै के स्वतंत्रता सेनानी श्री एन.एम.आर. सुब्बारमन की स्मृति में 14.8.2005 को उनकी जन्मशती के अवसर पर एक स्मारक डाक-टिकट जारी किए जाने की आवश्यकता

श्री एन.एस.वी. चित्तन 441–442

(चार) महाराष्ट्र के चन्द्रपुर जिले में मिंझारी खानों से कोयला निकाले जाने की आवश्यकता

प्रो. महादेवराव शिवनकर 442–443

(पांच) उड़ीसा के क्योंझर जिले में खंदाधर जल प्रपात के आस-पास के क्षेत्रों में वायु और जल प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए उपयुक्त उपाय किए जाने की आवश्यकता

श्री अनन्त नायक 443

(छह) उत्तरांचल में जंगली सुअरों को संरक्षित प्रजातियों की श्रेणी से हटाए जाने की आवश्यकता

श्री बची सिंह रावत ''बचदा'' 444

(सात) प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत परियोजनाओं का समय पर कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार को पर्याप्त धनराशि जारी किए जाने की आवश्यकता

डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय 444–445

(आठ) गुजरात के कच्छ जिले में उत्पाद शुल्क से छूट की तारीख 31 दिसम्बर, 2005 तक बढ़ाए जाने संबंधी दिनांक 9.11.2004 की अधिसूचना को वापस लिए जाने की आवश्यकता

श्री अमिताभ नन्दी 445

(नौ) उत्तर प्रदेश के सलेमपुर रेलवे स्टेशन के दक्षिणी छोर पर एक सड़क उपरि पुल का निर्माण किए जाने की आवश्यकता

श्री हरिकेवल प्रसाद 445–446

(दस) गैर-कोर सेक्टर को अधिसूचित दर पर कोयले की मासिक आपूर्ति सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता

श्री राजाराम पाल 446

(ग्यारह) देश में भारतीय कपास निगम के माध्यम से कपास उत्पादकों के लिए लाभकारी मूल्य सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता

श्री अनंत गुढ़े 446–447

(बारह) संबलपुरी/कोशाली भाषा को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल किए जाने की आवश्यकता

श्री प्रसन्न आचार्य 447

(तेरह) लद्दाख क्षेत्र में आवश्यक वस्तुओं की कमी को पूरा करने के लिए इनकी आपूर्ति विमानों द्वारा किए जाने की आवश्यकता

श्री छेवांग थुपस्तन 447–448

विषय	कॉलम
केन्द्रीय उत्पाद शुल्क टैरिफ अधिनियम की पहली अनुसूची तथा दूसरी अनुसूची में संशोधन हेतु अधिसूचना का अनुमोदन किए जाने के बारे में सांविधिक संकल्प	448–449
श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम	448–449
परेल इन्वेस्टमेंट्स एंड ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड तथा डोमेस्टिक गैस प्राइवेट लिमिटेड (प्रबंध-ग्रहण) निरसन विधेयक, 2005	449–454
विचार करने के लिए प्रस्ताव	449
श्री मणिशंकर अय्यर	449–452, 454
श्री खारबेल स्वाईं	454–453
श्री के.एस. राव	453
खंड 2 और 1	454
पारित करने के लिए प्रस्ताव	454
नियम 193 के अधीन चर्चा	
देश में प्राकृतिक आपदाएं	455–561, 562–576
श्री रूपचन्द्र मुर्मू	455–457
श्री मानवेन्द्र सिंह	457–461
श्री मनोरंजन भक्त	461–466
डा. सुजान चक्रवर्ती	467–471
श्री शैलेन्द्र कुमार	471–473
श्री सीताराम सिंह	474–476
श्री महेन्द्र प्रसाद निषाद	476–478
श्री ए.के.एस. विजयन	478–481
श्री भर्तृहरि महताब	481–485
श्री एम. अप्पादुरई	485–489
श्री जोरा सिंह मान	489
श्री कैलाश मेघवाल	490–492
श्री आर. प्रभु	493–497
श्री वरकला राधाकृष्णन	497–500
श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव	501–503
श्री कपिल सिब्बल	503–513
श्री बची सिंह रावत ''बचदा''	513–517
श्री ए. कृष्णास्वामी	517–520
श्री पी.एस. गढ़वी	520–521
श्रीमती के. रानी	521–522

विषय		कॉलम
	श्री ई. पोन्नुस्वामी	523–525
	श्रीमती तेजस्विनी शीरमेश	525–534
	श्री किन्जरपु येरननायडु	535–536
	श्री राजनरायन बुधौलिया	537
	मोहम्मद सलीम	537–540
	श्रीमती वी. राधिका सेलवी	540–541
	श्री गणेश सिंह	542–544
	श्री मदन लाल शर्मा	544–546
	डा. रामकृष्ण कुसमरिया	546–547
	श्री आलोक कुमार मेहता	547–549
	श्री एम.पी. वीरेन्द्र कुमार	549–550
	श्रीमती एम.एस.के. भवानी राजेन्तीरन	550–552
	श्री हरिभाऊ राठौड़	552–554
	श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी	554–557
	श्री चेंगरा सुरेन्द्रन	557–558
	श्री अविनाश राय खन्ना	558–559
	श्री धनुषकोडी आर. अतिथन	559–561
	श्री चन्द्रमणि त्रिपाठी	562–564
	चौधरी लाल सिंह	564–566
	श्री तापिर गाव	566–568
	श्री जे.एम. आरून रशीद	568–571
	श्री ए.वी. बेल्लारमिन	571–573
	श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु	573–575
	डा. के.एस. मनोज	575–576
कार्य मंत्रणा समिति		
	दसवां प्रतिवेदन	562
अनुबंध-I		
	तारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका	577
	अतारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका	578–584
अनुबंध-II		
	तारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका	585–586
	अतारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका	585–588

लोक सभा के पदाधिकारी

अध्यक्ष

श्री सोमनाथ चटर्जी

उपाध्यक्ष

श्री चरणजीत सिंह अटवाल

सभापति तालिका

श्री पवन कुमार बंसल

श्री गिरिधर गमांग

श्रीमती सुमित्रा महाजन

श्री अजय माकन

डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय

श्री बालासाहिब विखे पाटील

श्री वरकला राधाकृष्णन

श्री अर्जुन सेठी

ले. कर्नल (सेवानिवृत्त) मानवेन्द्र शाह

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव

महासचिव

श्री गुरदीप चन्द मलहोत्रा

लोक सभा

बुधवार, 23 मार्च, 2005/2 चैत्र, 1927 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत हुई।

[अध्यक्ष महोदय *पीठासीन* हुए]

शहीदों को श्रद्धांजलि

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: प्रो. मल्होत्रा, मैं आपका नाम पुकारूंगा। मैं आपका आभारी हूं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्यगण, वर्ष 1931 में आज ही के दिन भारत माता के तीन महान सपूतों शहीद-ए-आजम भगत सिंह, शहीद राजगुरू और शहीद सुखदेव ने देश की स्वतंत्रता के लिए अपने प्राणों की आहूति दे दी थी।

उनके इस बलिदान से आजादी का लक्ष्य प्राप्त करने में हमारे देश की जनता के संकल्प को मजबूती मिली।

इस अवसर पर हम, अपने स्वतंत्रता संघर्ष में उनके आदर्श और देशभक्ति की भावना को याद करें और हमारी स्वतंत्रता का मार्ग प्रशस्त करने वाले इन वीरों की याद में श्रद्धांजलि अर्पित करें।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा (दक्षिण दिल्ली): अध्यक्ष जी, मैंने उल्लेख किया था और आपने स्वयं भी उल्लेख किया तथा सारे सदन की ओर से इस बात को रखा गया है। मैं केवल एक बात का और उल्लेख करना चाहता हूं कि जिन्होंने 74 वर्ष पहले 23-24 वर्ष की अवस्था में अपने प्राणों की आहूति दी, उनका आज 75वां शहीदी दिवस है। इसी सदन में, इसी जगह पर कहीं से उन्होंने बम फेंका था। यहीं पर सदन में कोई स्थान है, जिस स्थान पर वह बम आ कर गिरा था। उन्होंने साम्राज्यवाद के बहरे कानों पर उन्हें जगाने के लिए वह बम फेंका था।

अध्यक्ष महोदय, उनका कोई स्मारक होना चाहिए, कहां से बम फेंका था और वह किस जगह गिरा था, क्या हुआ था, कोई प्लेक होना चाहिए। उन शहीदों का इस सदन से इतना संबंध है, उनका कोई चित्र हमारे लोक सभा के प्रांगण में या राज्य सभा के सदन में लगाने पर भी विचार किया जाना चाहिए। *...(व्यवधान)*

श्री मोहन रावले (मुम्बई दक्षिण-मध्य): अध्यक्ष जी, हम भी इस पर बोलना चाहते हैं। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मैं इस पर अवश्य विचार करूंगा। आप अपने आपको उनके साथ सम्बद्ध करें।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री मोहन रावले: अध्यक्ष महोदय, हमारा एक सुझाव है। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्यगण, यह एक वास्तविक समस्या है इस समस्या को आज प्रात: मुझे बताने के लिए मैं श्री मल्होत्रा का आभारी हूं। मैं सचमुच उनका आभारी हूं, मैं समझता हूं, सभा की तरफ से मैंने ऐसा कहा है। प्रो. मल्होत्रा ने अपनी बात कह दी थी। आपने अपने आपको इससे सम्बद्ध किया है। मैं बोलने के लिए कुछ सदस्यों का नाम पुकारूंगा। कृपया सहयोग करें। ऐसा करना उनको आदर देने जैसा होगा। यदि हम सब चिल्लाएंगे, तो कुछ सुनाई नहीं देगा। मैं कुछ सदस्यों का नाम पुकारूंगा।

कुछ माननीय सदस्यगण: हम सभी अपने आपको इससे सम्बद्ध करते हैं।

[हिन्दी]

मोहम्मद सलीम (कलकत्ता-उत्तर पूर्व): अध्यक्ष महोदय, मैं आपका धन्यवाद करता हूं। यह एक ऐतिहासिक दिन है और आज भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरू की शहादत का 75वां दिवस है। आपने यहां जिस तरह आसन से ट्रिब्यूट दिया, यह भी लोक सभा के लिए एक इतिहास है। उन्होंने आजादी के लिए अपनी कुर्बानी दी। श्री मल्होत्रा जी ने भी सही कहा कि प्लेक होना चाहिए, क्योंकि हमारे यहां हमेशा ऐसा होता है। आज कल जिस तरह बात हो रही है, वह और भी ज्यादा हमारे इतिहास को याद करने की जरूरत है। जो लोग इतिहास को भूल जाते हैं, वे इतिहास बना नहीं सकते।

अध्यक्ष महोदय, राज्य सभा के 63 नम्बर कमरे में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त की तस्वीर लगी हुई है। हम हर साल 63 नम्बर कमरे में जाते हैं, मैं आज भी वहां गया था। मेरा यह कहना है कि वहां कोई सेक्रेटेरियट की तरफ से या सदस्यों की तरफ से उन्हें फूल चढ़ाने का या उन्हें याद करने का कोई बंदोबस्त नहीं था, यह होना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय: ठीक है, आपने बहुत अच्छा सुझाव दिया है, हम कंसीडर करेंगे।

मोहम्मद सलीम: अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद।

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव (झंझारपुर): अध्यक्ष महोदय, आज 75वां वर्ष, और खास तौर से शहीद भगत सिंह जी का दिवस है। मैं समझता हूं कि भगत सिंह जी का कोई न कोई चित्र होना चाहिए, जो इतिहास है वह इतिहास ही हमारे देश की धरोहर है। इसलिए जो घटनाक्रम है, उसकी स्मृति करने के लिए, उसे स्मरण रखने के लिए जरूरी है कि जहां से बम फेंका गया था, वहां कोई न कोई इस तरह का चित्र होना चाहिए। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: आशा के अनुरूप इस मामले में मतैक्य देखकर मुझे बहुत खुशी है। यही इस संस्थान का गौरव है। मैं आश्वस्त होकर इसकी प्रशंसा करता हूं।

श्री सी. कुप्पुसामी (मद्रास उत्तर): महोदय, अपनी पार्टी डी.एम.के. की तरफ से शहीदों के बारे में माननीय सदस्यों ने जो कहा उससे हम अपने आपको सम्बद्ध करते हैं।

अध्यक्ष महोदय: धन्यवाद।

[हिन्दी]

श्री मोहन रावले: अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए एक-दो मिनट के लिए सब लोग खड़े हो जाएं तो अच्छा होगा। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय, हिन्दुस्तान को जो स्वतंत्रता मिली है, वह क्रांतिकारियों की वजह से मिली है। बहुत से क्रांतिकारियों की फोटो लगी हैं, लाबी में भी लगी हैं, जिन्होंने देश की स्वतंत्रता के लिए कुर्बानी दी। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मैं माननीय नेताओं की बैठक बुलाऊंगा और हम यह पता लगाएंगे कि हम और कितना अच्छा कर सकते हैं। हम सबसे सम्पर्क भी करेंगे।

[हिन्दी]

श्री मोहन रावले: जब लार्ड माउंटबेटन ने हिन्दुस्तान छोड़ा था तो उन्होंने कहा था कि क्रान्तिकारियों की वजह से उनको राज करने में मुश्किल हुआ था। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: अब हम अपने विषय पर लौटें, जो, मैं समझता हूं, भगत सिंह जी भी चाहते थे कि हम काम करें और अपने समय का सदुपयोग करें। वह हमारी आजादी के लिए लड़े। हमें अपनी आजादी बरकरार रखनी है और सभी वर्गों के सहयोग से अपने देश का विकास करना है।

पूर्वाह्न 11.06 बजे

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

[अनुवाद]

केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सी.बी.आई.) में रिक्तियां

***281. श्री मनसुखभाई डी. वसावा:**
श्री काशीराम राणा:

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो में विभिन्न स्तरों की अनेक रिक्तियों के कारण इसके कुशल कार्यकरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं; और

(ग) सरकार सी.बी.आई. की कार्यकुशलता को बढ़ाने के लिए क्या कदम उठा रही है?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश पचौरी): (क) से (ग) एक विवरण सदन के पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) से (ग) 1 जनवरी, 2005 की स्थिति के अनुसार, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो में संस्वीकृत संवर्ग पद संख्या 5891 के स्थान पर 4811 कर्मचारी पदासीन थे और विभिन्न स्तरों पर 1080

पद रिक्त थे। कर्मचारियों के कुशल प्रयोग और मौजूदा कार्मिकों की सक्षम तैनाती से केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो के कार्य निष्पादन पर इन रिक्तियों का प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा है। केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो की कार्य कुशलता में सुधार हेतु सरकार ने कई उपाय किए हैं जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ आधुनिकीकरण, प्रशिक्षण ढांचे में सुधार, आवासन और केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो के कर्मचारियों की काम करने की स्थितियों और नियोजन में सुधार शामिल है।

[हिन्दी]

श्री मनसुखभाई डी. वसावा: माननीय अध्यक्ष जी, हम सभी जानते हैं कि देश को धीर-धीरे भ्रष्टाचार निगल रहा है, स्टैम्प घोटाले, बैंक के भ्रष्टाचार दिन-प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं और इस पर नियंत्रण करने के लिए सरकारी मशीनरी, जिनमें सी.बी.आई. प्रमुख है। आज सी.बी.आई. पर कई शंकाएं की जा रही हैं कि ठीक ढंग से काम नहीं कर पा रही है। सी.बी.आई. में एक ओर आवश्यक कर्मचारियों की कमी है और दूसरी ओर कुशल कर्मचारियों की कमी की वजह से आज दुनिया में भ्रष्टाचार के मामले में हमारा देश 83वें स्थान पर है। ऐसी स्थिति में मैं यह जानना चाहता हूं कि पूरी की पूरी जो-जो जगह हैं, वह आज तक कई जगह खाली हैं, इसमें प्रमुखतया इन्सपैक्टर, डी.एस.पी., एडीशनल एस.पी., एस.एस.पी. जैसी कई महत्वपूर्ण जगह खाली हैं। इसकी पूर्ति के लिए सरकार ने क्या कदम उठाये हैं?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: आप वही प्रश्न पूछ रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री सुरेश पचौरी: माननीय सदस्य ने जो चिन्ता जाहिर की है, वह वाजिब है और मैं यह बताना चाहता हूं कि अलग-अलग स्तर पर जो वेकेंसीज हैं, जैसा कि मैंने अपने उत्तर में बताया कि वे 1080 हैं और इन वेकेंसीज को भरने के लिए कई कदम उठाये जा रहे हैं। जहां तक कांस्टेबल से एडीशनल एस.पी. लेविल की वेकेंसीज का प्रश्न है, उनको भरने के लिए सरकार ने यह विचार किया है कि सरकार स्पेशल एलाउंस दे। एडीशनल एस.पी. लोगों के लेविल पर एक हजार रुपये का और 700 रुपये प्रतिमाह का स्पेशल एलाउंस कांस्टेबल लेविल के, इन्सपैक्टर लेविल के जो सी.बी.आई. में आएंगे, उनको दिया जाये। उसका कारण यह है कि जो राज्य में हमारे पुलिस पर्सोनेल रहते हैं, उनको ज्यादा सुविधाएं मिलती हैं, चाहे हाउसिंग फेसिलिटीज हों, चाहे दूसरी और सुविधाओं का जिक्र हो, लेकिन हमारे यहां उतनी सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं। उसी की वजह है कि ये जो वेकेंसीज हैं, वे काफी बढ़ी हैं। हालांकि, अगर पिछले 5-7 वर्षों की फीगर्स हम देखें तो ये फीगर्स लगभग समान रही हैं, 900 से 1100 के बीच में ये फीगर्स रही हैं। लेकिन जहां तक परफोरमेंस का प्रश्न है, निश्चित रूप से जब वेकेंसीज रहती हैं, थोड़ी बहुत परफोरमेंस प्रभावित होती है, लेकिन फिर भी अगर हम इंडीकेटर देखें कि जो रजिस्ट्रेशन आफ केसेज हैं और इन्वेस्टीगेशन आफ केसेज हैं तो टोटल केसेज जो रजिस्टर होते हैं, उनके मुकाबले में इनवेस्टीगेशन आफ केसेज की संख्या ज्यादा हो जाती है। इसका असर ओवरबर्डन जरूर होता है, लेकिन फिर भी यह वेकेंसीज जल्दी से जल्दी भरी जायें, ऐसी सरकार की तरफ से कोशिश की जायेगी और जो विभिन्न स्तरों पर हमारे अधिकारी रहते हैं, उनको अन्य सुविधाएं भी मुहैया कराई जायें, इसके लिए सरकार प्रयत्नशील रहेगी।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: यह बहुत ही विस्तृत उत्तर है।

[हिन्दी]

श्री मनसुखभाई डी. वसावा: अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी के जवाब में मैं पूरा संतुष्ट हूं, लेकिन मैं यह जानना चाहता हूं कि सी.बी.आई. की कार्यकुशलता में सुधार के लिए सरकार ने कदम उठाये हैं, फिर भी स्टाम्प घोटाले वाले जैसे और कई भ्रष्टाचारी लोग आज भी छूट जाते हैं तो इसके लिए अच्छे कदम क्या-क्या उठाये हैं, यह मैं जानना चाहता हूं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: क्या ऐसा पदों के रिक्त होने के कारण है?

[हिन्दी]

श्री सुरेश पचौरी: माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने सही निर्देशित किया है कि प्रश्न मूलत: वेकेंसीज पर है, फिर भी चूंकि इन दो स्कैम्स का इन्होंने जिक्र किया है तो मुझे उत्तर देने में प्रसन्नता होगी। जहां तक तेलगी घोटाले का प्रश्न है, यह अभी इंवेस्टिगेटिंग प्रोसेस में हैं। और इसके लिए हम खास इसी स्कैम को देखने के लिए अतिरिक्त वरिष्ठ स्तर के अधिकारियों की नियुक्ति करने जा रहे हैं।

श्री काशीराम राणा: अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने ठीक कहा है और उन्होंने स्वीकार किया है कि स्टाफ की कमी की वजह से बहुत केसिस पैंडिंग हैं, उन केसिस का रेजुलेशन नहीं

होता है। सीबीआई की एफिसियेंसी और उसकी परफोंमेंस बढ़ाने के लिए जरूरी है कि उसका पूरा स्टाफ हो और उसका आधुनिकीकरण हो। अगस्त 2004 में माननीय मंत्री जी ने यह उत्तर दिया था और उसमें उन्होंने कहा था कि 1001 की कमी वहां पर है और जबकि आज कहते हैं कि 1080 की कमी है और यदि देखा जाए तो एक्जीक्यूटिव में 644 की कमी है, लीगल में 75 की, टेक्निकल में 93 और मिनिस्ट्रियल में 189 की कमी है। मैं आपके जरिए पूछना चाहता हूं कि हमारे जो सीबीआई के निदेशक हैं उन्होंने भी कहा है कि पिछले पांच साल के कई केसिस सोल्व नहीं होते हैं क्योंकि पूरा स्टाफ हमारे पास नहीं है। इसलिए एक ओर हमारे यहां पर कई प्रकार के क्राइम होते हैं चाहे वे साइबर क्राइम हों, इकोनामिक क्राइम हो या बैंक घोटाले हों। बहुत सारे क्राइम बढ़ते ही जाते हैं। इन बढ़ते हुए क्राइम्स को देखते हुए सीबीआई के स्ट्रक्चर या जो भर्ती सैंक्शन पोस्टें हैं, उन्हें पूरा करना ही चाहिए। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि उसका जो आधुनिकीकरण होना चाहिए वह लेटेस्ट इक्वीपमेंट्स के साथ होना चाहिए। उसके बारे में भी मंत्रालय की ओर से बहुत कम राशि उसे दी जाती है। उसकी वजह से भी जो अपराध करने वाले लोग हैं, उन तक सीबीआई पहुंच पाने में समर्थ नहीं है। यह जो कमियां आपने स्वीकार की हैं कि वन फोर्थ की कमी है उस कमी को पूरा करने के लिए आप क्या कदम उठाने जा रहे हैं। दूसरा आपने यह कहा है कि आधुनिकीकरण के लिए सरकार कदम उठा रही है।

[अनुवाद]

सरकार द्वारा इस समस्या के समाधान हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

[हिन्दी]

साथ ही साथ सरकार की ओर से सीबीआई का जो दुरुपयोग हो रहा है उस पर भी रोक लगानी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय: यह सी.बी.आई. की पूरी कार्यप्रणाली पर चर्चा नहीं है। आप मुख्य समस्या से संबंधित पूरक प्रश्न ही पूछ सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री सुरेश पचौरी: माननीय सदस्य महोदय ने आधुनिकीकरण के संबंध में जो प्रश्न किया है, उसके बारे में मैं बताना चाहता हूं कि पिछले 3-4 वर्षों में जो फंड सैंक्शन हुआ था, एलोकेट हुआ था और जो एक्सपेंडिचर हुआ, अगर वह हम देखें तो मैं सोचता हूं कि काफी कुछ स्थिति स्पष्ट हो जाएगी, कि सरकार की तरफ से क्या कदम उठाए गए हैं। 2000-01 में आधुनिकीकरण के लिए जो फंड था वह 75 लाख था और यूटीलाइजेशन 57 लाख रुपये किया गया था। 2001-02 में जो फंड ग्रांट किया गया था वह 40 लाख रुपये था और 29 लाख रुपये की यूटीलाइजेशन हुआ। 2002-03 में जो फंड एलोकेटिड किया गया वह 32 लाख रुपये था और यूटीलाइजेशन 30 लाख रुपये हुआ। 2003-04 में आधुनिकीकरण के लिए 100 लाख रुपए का फंड ग्रांट हुआ लेकिन यूटीलाइजेशन 59 लाख रुपये हुआ है। इस संबंध में और भी प्रस्ताव आए हैं कि आधुनिकीकरण के लिए 100 लाख रुपये प्रदान किए जाएं। अपग्रेडेशन के लिए 12 लाख रुपये 2004-05 में प्रदान किए जाएं, इस संबंध में हम लोगों ने निर्णय लिया है। जहां तक दूसरी सुविधाओं का प्रश्न है, उसके कई कारण हैं, जिनमें से एक है आवास सुविधा उपलब्ध कराना। अभी तक जो सीबीआई के कर्मचारी हैं उनको पर्याप्त आवास सुविधा उपलब्ध नहीं कराई जा सकी है और अभी तक हमारे पास 1444 आवासीय मकान हैं, जबकि स्टाफ काफी ज्यादा है। इसके लिए अगर हम दिल्ली की ही बात लें तो वसंत कुंज में जो 33 तैयार फ्लैट्स हैं, वे हम लोगों ने करीब 46 लाख की कास्ट के लिए हैं और हमने वसंत कुंज के 15 फ्लैट्स लिए हैं, अलग-अलग स्थानों पर हमने जमीन ली है ताकि आवासीय सुविधा सीबीआई के आफिसर्स को उपलब्ध करा सकें, यही हमारी कोशिश है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: बहुत ही लम्बा उत्तर है। और कोई प्रश्न? प्रश्न केवल रिक्तियों से संबंधित ही होना चाहिए।

डा. अरविन्द शर्मा: महोदय, मैं सिर्फ यह पूछना चाहता हूं कि सी.बी.आई. ने पिछले चार वर्षों के दौरान कितने मामले दर्ज किए और इन मामलों में जांच की स्थिति क्या है?

अध्यक्ष महोदय: यह कैसे हो सकता है? वे आपको सभी मामलों के बारे में कैसे बता सकते हैं? माननीय मंत्री केवल मामलों की संख्या बता सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री सुरेश पचौरी: जहां तक रजिस्ट्रेशन आफ केसेज का प्रश्न है, सन 2000 में 1,116 केसेज रजिस्टर हुए, 2001 में 1,105 हुए, 2002 में 1,159 हुए, 2003 में 1,068 हुए और 2004 में 1,199 हुए। इन्वैस्टीगेशन कम्प्लीटेड के बारे में माननीय सदस्य ने जो प्रश्न उठाया है, मुझे यह बताते हुए खुशी है कि यद्यपि वेकेन्सीज ज्यादा हैं, उसे दृष्टिगत रखते हुए जो इन्वेस्टीगेशन है मामलों के पंजीकरण की तुलना में काफी संतोषजनक हुआ है। अगर वह अनुपात देखें तो 2000 में 1,116 केसेज रजिस्टर हुए हैं लेकिन इन्वैस्टीगेशन 1,129 का कम्प्लीट हुआ है। इसी प्रकार 2001 में 1,105 रजिस्ट्रेशन आफ केसेज के मुकाबले 1,203 में इन्वैस्टीगेशन

कम्प्लीट हुआ है। इस उत्तर को मैं कट शार्ट करते हुए आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि रजिस्ट्रेशन आफ केसेज के मुकाबले इन्वैस्टीगेशन आफ केसेज की संख्या ज्यादा रही है। इसलिए मैंने अपने उत्तर में कहा है कि यद्यपि वेकेन्सीज हैं फिर भी सीबीआई की परफामेंस संतोषप्रद है। यदि वेकेन्सीज भरी जाएंगी तो और अधिक अच्छी हो सकती है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मुझे आशा है अब और ज्यादा अपराध नहीं होंगे।

[हिन्दी]

श्री सुरेश पचौरी: यदि और सुविधा मुहैया करवा दी जाए तो और बेहतर हो जाएगी।

श्री रघुनाथ झा: अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने खुद स्वीकार किया कि एडीशनल एसपी से लेकर सिपाही तक के पद की इतनी रिक्तियां हैं और उनको भरने के लिए उन्होंने कुछ सुझाव दिए हैं। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या यह बात सही है कि पुलिस के बराबर नहीं रहने के कारण, पुलिस को अपने काम में अतिरिक्त फायदा होता है, आप उसे पुलिस से बढ़ाकर देना चाहते हैं? क्या यह बात सही है कि एसपी से ऊपर तक के दो पदाधिकारी हैं, उनके डैपुटेशन का समय फिक्स नहीं है जिसके कारण दूसरे लोगों को अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका नहीं मिलता। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप प्रश्न पुछिए।

श्री रघुनाथ झा: क्या सरकार उनके डैपुटेशन का समय फिक्स करना चाहती है क्योंकि लोग पांच-पांच, सात-सात सालों से एक ही जगह बैठे हुए हैं? ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: यह प्रश्न काल है, परामर्श काल नहीं। माननीय मंत्री महोदय, आप उनके प्रश्न की लंबाई से बराबरी न करें।

[हिन्दी]

श्री सुरेश पचौरी: अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य के प्रश्न के दो भाग हैं—पहला कांस्टेबल से एडीशनल एसपी लैवल तक की क्या स्थिति है और एसपी एंड एबव लैवल की क्या स्थिति है। जहां तक कांस्टेबल से लेकर एडीशनल एसपी लैवल की स्थिति की बात है, मैंने उसका वर्णन किया है कि सीबीआई में ज्यादा से ज्यादा लोग आएं, उनको अट्रैक्ट करने के लिए सरकार की तरफ से एडीशनल एसपी को एक हजार रुपये प्रति माह और इंस्पैक्टर को सात सौ रुपये प्रति माह स्पैशल ऐलाउंस देने का निर्णय लिया गया है। इसके अतिरिक्त उन्हें और क्या-क्या सुविधाएं दी जा सकती हैं, उनके बारे में माननीय प्रधान मंत्री जी से चर्चा हुई है और उन्होंने प्रपोजल प्रस्तुत करने के लिए हमें निर्देश दिए हैं। जहां तक एसपी और एबव लैवल अधिकारियों का प्रश्न है, मैं आपके जरिए बताना चाहता हूं कि एसपी और एबव लैवल के व्यक्तियों के डैपुटेशन का पीरियड चार से सात साल का रहता है। आपने चिन्ता चाहिर की है कि डैपुटेशन पीरियड को कम करने या परिवर्तित करने के बारे में क्या सरकार विचार करेगी। इस मामले में जो आपकी भावनाओं से संबंधित हैं, उनको अवगत करवा देंगे।

जहां तक पोस्टिंग का प्रश्न है, पोस्टिंग के मामले में सीबीआई को आटोनामी मिली हुई है, उसमें सरकार की दखलअंदाजी नहीं होती। जहां तक सिलैक्शन का प्रश्न है, सीवीसी एक्ट, 2003 इस सदन ने पास किया है। उसके अंतर्गत सीवीसी बोर्ड को सलैक्शन की जिम्मेदारी मिली हुई है या एसपी एंड एबव लैवल के व्यक्ति को मिली हुई है या यूपीएससी को मिली हुई है। नीचे के वैलव पर डिपार्टमैंटल प्रमोशन कमेटी उनको सलैक्ट करती है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: इसके बाद कोई प्रश्न नहीं रहता।

...(व्यवधान)

श्री पारसनाथ यादव: अध्यक्ष महोदय, केवल एक सवाल पूछने दीजिए। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: अध्यक्ष के निर्णय को चुनौती देना एक आदत बन गयी है। आपको इस आदत को छोड़ना पड़ेगा। श्री चन्द्रमणी त्रिपाठी के भाषण अलावा कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: कोई भी इस पर प्रश्न कर सकता है।

[हिन्दी]

हम जानते हैं। इस प्रश्न पर बीस मिनट हो गए हैं।

[अनुवाद]

रिक्तियों संबंधी साधारण प्रश्न पर और उन्होंने बहुत लम्बा उत्तर दिया है।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री तूफानी सरोज: हमने कल भी प्रश्न पूछने के लिए नाम दिया था। आज भी हमने साढ़े आठ बजे नोटिस दिया है।

अध्यक्ष महोदय: क्वेश्चन के लिए साढ़े आठ बजे कोई नोटिस नहीं देता है।

...(व्यवधान)

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय: सप्लीमैंट्री क्वेश्चन का उत्तर नहीं सुनते और सप्लीमैंट्री दे देते हैं।

...(व्यवधान)

संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना संबंधी रिपोर्ट

*282. **श्री चन्द्रमणि त्रिपाठी:**
डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय:

क्या **सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सामाजिक अध्ययन संस्थान, नई दिल्ली ने संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के संबंध में एक रिपोर्ट जारी की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार उक्त योजना में कोई परिवर्तन करने पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

[अनुवाद]

सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ऑस्कर फर्नांडिस): (क) और (ख) सामाजिक विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली ने फरवरी, 2005 में संस्थान के वरिष्ठ सदस्य श्री ईरा सेजीयान की ''एमपीलैडस-कन्सेप्ट, कन्फ्यूजन, कान्ट्राडिक्शन्स'' नामक 174 पृष्ठ की एक रिपोर्ट प्रस्तुत की है। उक्त रिपोर्ट की एक प्रति संसद के पुस्तकालय में रख दी गई है। यह रिपोर्ट सांसदों के वेतन, भत्ते एवं सुविधाएं, संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के दिशा-निर्देशों की संकल्पना एवं प्रभाव, निधि आबंटन, व्यय प्रतिरूप, संसदीय समिति रिपोर्टें, मूल्यांकन रिपोर्टें, संविधानात्मक मामलों, राजनीतिक पहुलओं और योजना की कमियों की जांच करती है।

(ग) और (घ) सरकार, संशोधित दिशा-निर्देशों में सुधार करने और इसे प्रकाशित करने का विचार कर रही है। संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के कार्यान्वयन में सुधार लाने के लिए अगस्त और दिसम्बर, 2004 के दौरान माननीय संसद सदस्यों के साथ 5 बैचों में पारस्परिक विचार-विमर्श किया गया। 200 से अधिक संसद सदस्यों ने इनमें भाग लिया और बहुमूल्य सुझाव दिए जिनके मद्देनजर एमपीलैडस के दिशा-निर्देशों में संशोधन किया जा रहा है।

योजना के प्रभावी प्रबोधन के लिए राज्य सरकारों/संघ प्रशासकों से राज्य/संघ शासित क्षेत्र और जिला स्तर पर नियमित बैठकें आयोजित करने का अनुरोध किया है। इसके अतिरिक्त, मंत्रालय के अधिकारियों ने राज्य/संघ शासित क्षेत्र एवं राष्ट्रीय राजधानी स्तर पर राज्य एवं संघ शासित सरकारों के साथ योजना समीक्षा बैठकें आयोजित कीं। 30 नवम्बर, 2004 को आन-लाइन कम्प्यूटरीकृत प्रबोधन प्रणाली का भी प्रमोचन किया जा चुका है, जो शीघ्र ही पूर्ण रूप से प्रचालन में आ जाएगी।

[हिन्दी]

श्री चन्द्रमणि त्रिपाठी: अध्यक्ष महोदय, एक तरफ सांसदों की मांग है कि सांसद निधि विकास योजना के तहत जो 2 दो करोड़ रुपये की राशि मिलती है, उसे बढ़ाकर तीन या पांच करोड़ रुपये कर दिया जाये। *...(व्यवधान)* दूसरी तरफ सामाजिक अध्ययन संस्थान, नई दिल्ली ने फरवरी 2005 में रिपोर्ट प्रकाशित की है। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: कृपया शांति बनाए रखिए। हमारे अपने उद्देश्य के लिए इस एकता की अधिक प्रशंसा नहीं होती।

[हिन्दी]

श्री चन्द्रमणि त्रिपाठी: जिसका मंत्री जी अभी जिक्र कर रहे थे। उसमें सांसदों पर आक्षेप किया गया है कि कोई सांसद *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: इस प्रश्न के साथ इसका कोई ताल्लुक नहीं है।

...(व्यवधान)

श्री चन्द्रमणि त्रिपाठी: अध्यक्ष महोदय, इसका ताल्लुक है। यह रिपोर्ट जो पार्लियामैंट्री लाइब्रेरी में रखी गयी है, उसमें कहा गया है कि सांसद विकास निधि में जो पैसा दिया जाता है, उस पैसे का सांसद लोग दुरुपयोग करते हैं, इसलिए उसको बंद कर देना चाहिए। सांसदों की मांग है कि इस राशि को और बढ़ाया जाये जबकि रिपोर्ट में कहा गया है कि यह राशि बंद कर दी जाये क्योंकि दिशा-निर्देशों का उल्लंघन हुआ है। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहता हूं। *...(व्यवधान)*

मैं मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार को अधिकार है कि अगर कोई सदस्य उन दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करता है तो वह उसके खिलाफ कार्रवाई करें। लेकिन क्षेत्र के विकास के लिए सांसदों को जो दो करोड़ रुपया मिलता है, उसमें बढ़ोत्तरी की जाये और इस राशि को बढ़ाकर 5 करोड़ रुपये किया

जाये, यह सारे सदन की राय है। अध्यक्ष जी, आप भी इस राय से सहमत होंगे। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो रिपोर्ट आई है, उस पर सरकार क्या कार्रवाई करने जा रही है? *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मेरे विचार से ऐसा करके हम मामले को बिगाड़ रहे हैं और इसे अधिक उजागर कर रहे हैं। चुपचाप ऐसा कीजिए। प्रधानमंत्री के पास जाइए। यह मत सोचिए कि मैं सहमत हूं। मैं इससे सहमत नहीं हूं।

[हिन्दी]

श्री ऑस्कर फर्नांडिस: अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने सुझाव दिया है कि *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: यह अत्यन्त दुखद दिन होगा यदि इस मुद्दे पर माननीय सदस्यगण महसूस करते हैं कि किसी पर दबाव डाला जाना चाहिए। हमें अपने मामलों में दबाव नहीं डालना चाहिए।

अब माननीय मंत्री बोलेंगे। किसी और का वक्तव्य कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: श्री झा, आपको क्या हो गया है?

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: इसे कार्यवाही-वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया जा रहा है। माननीय मंत्री जो कुछ भी बोलते हैं उसके अलावा कुछ भी कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री ऑस्कर फर्नांडिस: अध्यक्ष महोदय, इस रिपोर्ट में दो मुख्य सुझाव ये कर चुके हैं। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: यदि माननीय सदस्यगण स्वयं को संयमित नहीं रख सकते तो मैं अगले प्रश्न पर आ जाऊंगा। कुछ काम नहीं हो सकेगा।

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

श्री ऑस्कर फर्नांडिस: अध्यक्ष महोदय, आदरणीय सदस्य ने दो सुझाव रिपोर्ट में दिये हैं। उनका एक मुख्य सुझाव है कि एमपीज एग्जीक्यूटिव काम कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, उसके बारे में वह उल्लेख कर चुके हैं। दूसरी बात इन्होंने यह कही है कि एमपीज को जैसे पैसे का अलाटमेंट होता है, वह ठीक ढंग से खर्च हो रहा है कि नहीं हो रहा है। हमारे इलाके में यह पैसा ठीक ढंग से खर्च होने के लिए पूरी कार्रवाई हम कर चुके हैं। अगला सैशन शुरू होने से पहले हम लोग नयी गाइडलाइन्स हाउस के सामने रखेंगे और इम्प्रूव करने के लिए पूरी कार्रवाई करेंगे। हम कम्प्यूटराइज्ड मोनीटरिंग सिस्टम भी लागू कर चुके हैं *...(व्यवधान)*

श्री चन्द्रमणि त्रिपाठी: अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने कहा है कि वह कार्रवाई करने जा रहे हैं। यह निगरानी का जो काम है, जो काम संसद सदस्य लिखते हैं, वह काम ठीक से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि इसके लिए वह सांसदों को क्या सुविधा उपलब्ध करा रही है? चूंकि अगर सुविधा उपलब्ध नहीं कराएगी तो कोई भी सांसद क्योंकि मैं जिस इलाके से आता हूं, एक संसदीय क्षेत्र में 8 विधान सभा सैगमेंट्स हैं। कहीं-कहीं 17 हैं, माननीय सदस्य कह रहे हैं। सांसदों द्वारा करवाये जा रहे कार्यों की निगरानी वे कर सकें, इसके लिए क्या भारत सरकार कोई वाहन की व्यवस्था कर रही है? *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: नहीं, अब नहीं।

श्री चन्द्रमणि त्रिपाठी: अध्यक्ष महोदय, उसी का पार्ट 'बी' है जो मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: यह 'बी' नहीं चलेगा। आगामी सत्र से वह भी नहीं चलेगा। आपका पार्ट 'बी' क्या है? बोलिए।

...(व्यवधान)

श्री चन्द्रमणि त्रिपाठी: ये जो सांसद कार्य की घोषणा करते हैं, वे दिशानिर्देशों के तहत करते हैं। सांसदों के लिख देने मात्र से कार्य स्वीकृत नहीं होता। कलैक्टर जब स्वीकृत करता है, तब कार्य स्वीकृत होता है और कलैक्टर केन्द्र सरकार के दिशा-निर्देशों के तहत ही स्वीकृत करता है। मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि सांसदों पर जो अनावश्यक आक्षेप लगता है, उसको रोकने की दिशा में भी वह कार्रवाई करें और *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: नहीं, अब और क्या हो गया?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मंत्री महोदय, आप उनके अनुपूरक के केवल भाग (क) और अंशत: भाग (ख) का उत्तर दें।

[हिन्दी]

श्री ऑस्कर फर्नांडिस: माननीय सदस्य ने एमपीज द्वारा अपने कार्यों का इंस्पेक्शन करने के लिए कुछ सुझाव देने के बारे में प्रश्न पूछा है। अलग-अलग राज्यों में कर चुके है।

[अनुवाद]

हम राज्य सरकारों के साथ इस मामले को उठा रहे हैं। विभिन्न राज्यों ने संसद सदस्यों को जांच हेतु कतिपय सुविधाएं दी हैं। इसे कुछ राज्यों में कर चुके हैं। हम राज्य सरकारों के साथ इस मामले को उठाएंगे।

[हिन्दी]

डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि उन्होंने अपने उत्तर में जिस रिपोर्ट का उल्लेख किया, उसमें यह भी सुझाव दिया गया है कि समय-समय पर इस योजना की क्रियान्विति के लिए जिला स्तर और राज्य स्तर पर समितियां गठित कर बैठकें आयोजित की जाएं और आपने उसके दिशा-निर्देश भी जारी किए हैं। मैं जानना चाहता हूं कि उन दिशा-निर्देशों के अनुसार क्या सभी राज्यों में उस प्रकार की समितियां गठित की जा चुकी हैं? क्या सभी राज्यों के अन्तर्गत जिलों में भी इस तरह की समितियां गठित की जा चुकी हैं और क्या उन्होंने कार्य करना शुरू कर दिया है?

महोदय, समिति की एक महत्वपूर्ण सिफारिश यह भी है कि जो आईएएस अधिकारी इस योजना की क्रियान्वित में लगे हैं, उनको भी प्रशिक्षित किया जाना चाहिए और मसूरी में जो हमारा राष्ट्रीय प्रशिक्षण संस्थान है, उसमें इसको पाठ्यक्रम के रूप में सम्मिलित किया जाना चाहिए। इन दोनों सिफारिशों के बारे में क्या कार्रवाई की गयी है?

[अनुवाद]

श्री ऑस्कर फर्नांडिस: यह रिपोर्ट अभी-अभी आयी है और हम इस रिपोर्ट की जांच कर रहे हैं। इस योजना में सुधार के लिए जो कुछ भी किया जाना आवश्यक होगा हम वह करेंगे। जहां तक समितियों का प्रश्न है, राज्य स्तर या जिला स्तर पर कोई समिति बनाए जाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। केवल प्रशासन ही है जो इस योजना को क्रियान्वित करता है।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: श्री राम कृपाल यादव, क्या आप प्रश्न करना चाहते हैं? *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: आपको अनुमति नहीं दी गयी है।

[हिन्दी]

डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय: अध्यक्ष महोदय, मैंने पूछा था कि राज्यों के अन्तर्गत, क्या जिलों में भी इस तरह की समितियों का गठन हुआ है या नहीं क्योंकि कई राज्यों में सतर्कता और निगरानी समितियां गठित हो चुकी हैं। अगर कहीं नहीं हुआ है तो आप कब तक इनको गठित करेंगे?

श्री ऑस्कर फर्नांडिस: महोदय, हम इस प्रश्न का उत्तर दे चुके हैं और समिति बनाने को कोई स्कीम नहीं है। इस योजना के अन्तर्गत किए जाने वाले कार्यों को प्रशासन क्रियान्वित कर रहा है।

श्री राम कृपाल यादव: अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने अब से कुछ माह पूर्व विभिन्न राज्यों के सांसदों को बुलाकर विस्तार से चर्चा करने का काम किया था। पता नहीं उस चर्चा के दरम्यान उन्होंने क्या निष्कर्ष निकाला है और जो सुझाव माननीय सदस्यों द्वारा दिए गए, उन पर सरकार में क्या विचार उभर कर आया है, उसकी अभी तक हम लोगों को जानकारी नहीं हो पाई है। लेकिन यह बात सही है कि आज सांसद कोटे को इस्तेमाल करने की जो व्यवस्था है उसमें सांसदों पर निश्चित तौर पर आरोप-प्रत्यारोप लगाए जाते हैं और हम सब लोग कटघरे में खड़े हो जाते हैं। मैं समझता हूं कि सब लोग आरोप लगाते हैं कि सांसद ने यह लूटा, सांसद ने वह लूटा। महोदय, मेरी भावना को सुन लिया जाए। मैं बिल्कुल साफ दिल से बोल रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय: सभी सदस्य साफ दिल से बोलते हैं और बोलना भी चाहिए।

श्री राम कृपाल यादव: महोदय, यह दो करोड़ रुपये की राशि बहुत कम है। एक संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में अनेक विधानसभा क्षेत्र होते हैं, जैसे बिहार में 6 विधानसभा क्षेत्र हैं। 33-34 लाख रुपए प्रति विधानसभा क्षेत्र में खर्च करने के लिए आवंटित होते हैं। यह बहुत कम है।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: कृपया शांति बनाए रखिए।

[हिन्दी]

श्री राम कृपाल यादव: विधायकों को कहीं एक करोड़ मिलते हैं और कहीं दो करोड़ रुपये मिलते हैं। जनता डिमान्डस ज्यादा होती हैं। जब हम किसी गांव में जाते हैं तो लोगों को लगता है कि चीफ मिनिस्टर या कोई सरकार आ गयी है और वे अपनी सारी समस्याओं की जानकारी देने लगते हैं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: यदि आप अपना प्रश्न नहीं पूछते हैं तो मैं आपको अनुमति नहीं दूंगा।

[हिन्दी]

श्री राम कृपाल यादव: मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि यह राशि बहुत कम है और इसको लेकर हम आप पर आरोप लगाते हैं, क्यों न इसको बंद कर दिया जाए, अन्यथा कोई दूसरा उपाय निकालिए ताकि हम लोग इससे मुक्त हो जाएं। मैं मांग करता हूं कि इसे बंद कर दिया जाए। इस विषय पर माननीय मंत्री जी की क्या राय है?

[अनुवाद]

श्री ऑस्कर फर्नांडिस: महोदय, माननीय सदस्य ने राशि बढ़ाने या इसे बंद करने का विषय उठाया है।

[हिन्दी]

सबसे पहले हमने सभी सदस्यों को बुलाकर उनके सुझाव लेने का काम किया है और गाइडलाइन्स में जो इन्प्रूवमेंट करना है, उसका निर्णय ले लिया है और मैं पहले ही सदन में यह निवेदन कर चुका हूं कि हम इन गाइडलाइन्स को लागू करेंगे। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: उन्होंने कहा है कि केवल नए दिशानिर्देश जारी किए गए हैं। बंद करने के लिए कोई प्रस्ताव नहीं है।

हां, श्री मदनलाल शर्मा, अपना सवाल पूछिए। मैं इसके शीघ्र पश्चात् अगला प्रश्न लूंगा।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री मदन लाल शर्मा: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्री रामदास आठवले, मैं आपको चेतावनी देता हूं। मैं सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध कर रहा हूं कि जब कोई दूसरा सदस्य बोल रहा हो उस समय अध्यक्षपीठ को बाधा पहुंचाने की आदत छोड़ दें। आप मुझे आदेश नहीं दे सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री मदन लाल शर्मा: जनाबे स्पीकर साहब, मैं आपकी बिसासत से पूरे हाउस को कहना चाहता हूं, यहां पर मंत्री जी जवाब दे रहे हैं, प्रधान मंत्री जी भी तशरीफ रखते हैं। मेरी इल्तिजा है कि कोई भी पालिसी बनाने से पहले हमें सारी परिस्थिति देखनी चाहिए। यह दुरुस्त है कि इस देश के अंदर 542 संसदीय हल्के हैं, लेकिन सभी को बराबर एमपी लैड के तहत धनराशि दी जाती है।

अध्यक्ष महोदय: आप प्रश्न पूछें।

श्री मदन लाल शर्मा: मैं प्रश्न ही पूछ रहा हूं। मेरा निर्वाचन क्षेत्र जम्मू-पुंछ एरिया है। उसमें 20 असेम्बली सेग्मेंट हैं और उसकी सीमा 300 किलोमीटर जम्मू से लेकर पुंछ तक है। मेरा संसदीय हल्का तीन जिलों तक मुश्तमिल है। इस लिहाज से मेरा संसदीय क्षेत्र काफी लम्बा-चौड़ा है, क्योंकि इसमें हिली एरिया भी है और बोर्डर भी लगता है। इस हिसाब से मेरे क्षेत्र के लिए भी दो करोड़ रुपए दिए जाते हैं, और तीन असेम्बली सेग्मेंट वाले संसदीय क्षेत्रों के सांसदों को भी दो करोड़ रुपए दिए जाते हैं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: उन्होंने पहले ही कह दिया है कि ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

[हिन्दी]

श्री मदन लाल शर्मा: जहां 20 असेम्बली सेग्मेंट हों, वहां के लिए भी दो करोड़ रुपए देना, मैं समझता हूं कि मेरे जैसे सांसदों के साथ ज्यादती है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: आप भाषण देकर प्रश्नकाल का दुरुपयोग कर रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री मदन लाल शर्मा: मेरी मंत्री जी से दरख्वास्त है कि सांसदों के जो ससंदीय क्षेत्र हैं, उनमें असेम्बली सेग्मेंट के हिसाब से एमपी लैड के तहत रुपया दिया जाए, ताकि संसद सदस्य अपने संसदीय क्षेत्र के साथ इन्साफ कर सकें। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मैं अगले सदस्य को बोलने के लिए कहूंगा। इस प्रकार के दुरुपयोग की मैं इजाजत नहीं दूंगा।

[हिन्दी]

श्री मदन लाल शर्मा: क्या आप इस पर गौर करेंगे और ऐसी कोई योजना सरकार के पास विचाराधीन है। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: आपको जो अवसर मिला है उसका दुरूपयोग मत कीजिए। आप दूसरे सदस्य का समय ले रहे हैं।

इनका अनुपूरक प्रश्न है, क्या आप एमपीलैड फंड को बढ़ा रहे हैं या नहीं।

श्री ।ऑस्कर फर्नांडिस: महोदय, माननीय सदस्य ने प्रश्न उठाया है कि क्षेत्रफल के आधार पर तथा आबादी के आधार पर हमें निर्णय लेना चाहिए। इस समय, हमारे पास ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

अध्यक्ष महोदय: मैं माननीय सदस्यगण से बार-बार प्रश्न पूछने के लिए अनुरोध कर रहा हूं। भाषण देना जरूरी नहीं है। यह भाषण देने का समय नहीं है। आपका प्रश्न क्या है?

[हिन्दी]

श्री रामदास आठवले: अध्यक्ष महोदय, एमपीलैड के तहत सांसदों को अपने-अपने क्षेत्रों में गरीब और अन्य लोगों की मांगों को पूरा करने का मौका मिलता है। यहां प्रधान मंत्री जी बैठे हैं। जो अनुसूचित जाति और जनजाति के किसान हैं, उनके पास जमीन कम होती है। उस पर खेती करने के लिए सिंचाई के लिए पाइप लाइन डालने या कुओं की खुदाई करने की इस योजना के तहत हमें अनुमति नहीं है। क्या सरकार अपनी इस योजना में परिवर्तन करने का विचार रखती है, जिससे हम उन लोगों की समस्या भी दूर कर सकें?

अध्यक्ष महोदय: आपका पूरक प्रश्न हो गया इसलिए आप बैठ जाएं।

श्री रामदास आठवले: हमारी मांग है कि सांसदों को अपने क्षेत्र में एक विधान सभा क्षेत्र के लिए एक करोड़ रुपए के हिसाब से एमपीलैड के तहत पैसा मिलना चाहिए।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: क्या आप इस बारे में सोच रहे हैं? क्या आप इस प्रस्ताव पर विचार कर रहे हैं?

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: इन्होंने जो कुछ कहा है क्या आप उस पर विचार कर रहे हैं?

श्री ऑस्कर फर्नांडिस: महोदय, नए दिशानिर्देशों में, हम माननीय संसद सदस्यों के लिए यथासंभव अधिकाधिक योजनाओं को क्रियान्वयन हेतु सम्मिलित करने का प्रयास कर रहे हैं।

श्री सुरेश कुरूप: महोदय, एमपीलैड योजना *...(व्यवधान)*

श्री खारवेल स्वाईं: महोदय, प्रधानमंत्री बैठे हैं। उन्हें बताना चाहिए कि वे बढ़ाना चाहते हैं। *...(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। इसे सम्मिलति नहीं करें।

आपके सुझाव के लिए धन्यवाद।

श्री सुरेश कुरूप जो कह रहे हैं उसके अतिरिक्त कुछ भी कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

श्री सुरेश कुरूप: महोदय, एमपीलैड स्कीम लागू की गई है *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कार्यवाही-वृत्तान्त में और कुछ सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

श्री सुरेश कुरूप: महोदय, राज्य सरकार के तंत्र के माध्यम से एमपीलैड स्कीम को पूरी तरह लागू किया गया है।

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय: आप अपना प्रश्न पूछिए।

श्री सुरेश कुरूप: यदि एमपीलैड स्कीम को लागू करने में कोई समस्या है तो इसका यह अर्थ है कि अन्य सरकारी योजनाओं में भी इसी प्रकार की समस्या है।

मेरे राज्य केरल की समस्या यह है कि केरल में विधायकों को प्रति वर्ष निर्वाचन क्षेत्रवार 75 लाख रुपये दिए जाते हैं। सात विधानसभा क्षेत्रों में यह राशि 5 करोड़ रुपये से अधिक होती है। हमारी राशि अपर्याप्त है जब इसे सात विधानसभा क्षेत्रों में बांटा जाता है तो यह राशि 25 लाख रुपये हुई।

अध्यक्ष महोदय: उन्होंने पहले ही इसका उत्तर दे दिया है। इस समय इसमें वृद्धि करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

...(व्यवधान)

श्री सुरेश कुरूप: महोदय, मैं चाहता हूं कि मंत्री महोदय इसका दुबारा उत्तर दें। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार इस राशि को बढ़ाने पर विचार कर रही है अथवा इस स्कीम को पूरी तरह से बंद करेगी *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: श्री गणेश सिंह।

इसका उत्तर देने की जरूरत नहीं है। उन्होंने इसका उत्तर दे दिया है।

श्री सुरेश कुरूप: उन्होंने प्रश्न का सीधा उत्तर नहीं दिया है।

अध्यक्ष महोदय: उनकी ओर से मैं इसका उत्तर दे रहा हूं।

[हिन्दी]

श्री गणेश सिंह: अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि सांसद विकास निधि में अभी तक जो प्रावधान हैं, उन प्रावधानों में गरीबों के लिए, विशेषकर जो अनुसूचित जाति, जनजाति तथा पिछड़ी जाति के लोग हैं और गंभीर रूप से बीमार हैं, जिनके इलाज के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, सरकार इस व्यवस्था में क्या कोई प्रावधान करने जा रही है?

[अनुवाद]

श्री ऑस्कर फर्नांडिस: महोदय, योजनाओं में केवल स्थायी और टिकाऊ परिसंपत्तियां आती हैं। अत: मैं नहीं समझता कि इसमें मरीजों के उपचार पर पैसा खर्च किया जा सकेगा।

[हिन्दी]

डब्ल्यू एल एल और बी एस एन एल के टावर

***283. श्रीमती कल्पना रमेश नरहिरे:** क्या **सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का देश के दूरदराज के क्षेत्रों में डब्ल्यूएलएल और बीएसएनएल के मोबाइल टावर स्थापित करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो इस उद्देश्य के लिए कितनी धनराशि स्वीकृत की गई है; और

(ग) उक्त कार्य के कब तक पूरा होने की संभावना है?

[अनुवाद]

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री दयानिधि मारन): (क) से (ग) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) ग्रामीण क्षेत्रों में फिक्स्ड लाइन कनेक्शनों की मांग को पूरा करने के लिए, भारत संचार निगम लिमिटेड ने देश के सभी अल्प दूरी प्रभारण क्षेत्रों (तहसीलों) में डब्ल्यूएलएल टावर प्रदान करने की योजना बनाई है। शुरू में भारत संचार निगम लिमिटेड की प्रत्येक अल्प दूरी प्रभारण क्षेत्र (एसडीसीए) में कम-से-कम एक-एक डब्ल्यूएलएल टावर प्रदान करने की योजना है। देश में 2642 एसडीसीए हैं जिनमें से 1756 एसडीसीए में, 28.2.2005 की स्थिति के अनुसार, डब्ल्यूएलएल टावर लगाए जा चुके हैं और शेष 886 एसडीसीए में डब्ल्यूएलएल टावर अगले वित्तीय वर्ष के दौरान प्रदान किए जाने की योजना है। देश के तहसील मुख्यालयों, राष्ट्रीय राजमार्गों, महत्वपूर्ण तीर्थ-स्थलों, पर्यटक स्थलों इत्यादि सहित, 3552 शहरों/नगरों में संस्थापित 8543 मोबाइल बीटीएस टावर 588 जिला मुख्यालयों को सेवा उपलब्ध कराते हैं। दिसम्बर, 2005 तक, 14001 अतिरिक्त मोबाइल बीटीएस टावर लगाये जाएंगे।

(ख) डब्ल्यूएलएल और मोबाइल टावरों के लिए धनराशि का आबंटन वर्ष-दर-वर्ष आधार पर किया जाता है। वर्ष 2004-05 हेतु डब्ल्यूएलएल और मोबाइल टावरों के लिए आबंटित धन राशि क्रमश: 116.01 करोड़ रुपये और 457.5 करोड़ रुपये है।

(ग) जैसा उपर्युक्त (क) में दिया गया है।

[हिन्दी]

श्रीमती कल्पना रमेश नरहिरे: अध्यक्ष जी, हम इंटरनेट और ई-मेल के जरिये दुनिया के हर कोने में, एक सैकिंड में पहुंच

जाते हैं। लेकिन हमारा ग्रामीण क्षेत्र ऐसा हैं जहां अभी तक टेलीफोन और मोबाइल चालू तक नहीं होता है। माननीय मंत्री जी ने अपने जवाब में बताया है कि दिनांक 28.2.05 तक 1756 डब्ल्यूएलएल अल्प-दूरी प्रसारण टावर स्थापित किये जा चुके हैं और मोबाइल के लिए, बीटीएस के 8543 टावर लगाए जा चुके हैं। लेकिन मेरी जानकारी के अनुसार, इनमें से बहुत से टावर अभी तक चालू नहीं हैं। मैं इस बारे में मान-नीय मंत्री जी से स्पष्टीकरण चाहती हूं। मेरे चुनाव क्षेत्र उम्मानाबाद के 30-35 गांवों की आबादी 10 से 15 हजार तक है लेकिन उनमें टावर नहीं हैं। इसलिए इन गांवों में बीएसएनएल और डब्ल्यूएलएल सेवा स्थापित करने का कोई प्रस्ताव क्या सरकार के पास है?

[अनुवाद]

श्री दयानिधि मारन: माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि इस उत्तर में मैंने स्पष्ट रूप से यह बताया है कि देश में स्थित 2,642 एस डी सी ए में से 1,756 एस डी सी ए को डब्ल्यू एल एल टावर उपलब्ध कराए जा चुके हैं *...(व्यवधान)*

श्री सुबोध मोहिते: उन्हें उपलब्ध तो कराया गया है किंतु वे कार्य नहीं कर रहे हैं *...(व्यवधान)*

श्री दयानिधि मारन: मैं उत्तर दे रहा हूं *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आपको इस भाग का उत्तर देने की जरूरत नहीं है।

...(व्यवधान)

श्री दयानिधि मारन: शेष 886 एस डी सी ए को अगले वित्त वर्ष में चालू किए जाने की योजना है। यह एक सतत प्रक्रिया है और हम इसे जारी रखे हुए हैं। जैसा कि मैंने इस सभा में पहले कहा था, हम इस वर्ष के अंत तक 12 मिलियन लाइन बिछाएंगे। अगले 6 महीनों में, हम लक्ष्य प्राप्त कर लेंगे और सभी उपभोक्ताओं को 'मांग पर' बेहतर मोबाइल टेलीफोन सेवाएं प्रदान करेंगे। इसी प्रकार हम सभी गांवों में डब्ल्यू एल एल कनेक्शन देने का प्रयत्न कर रहे हैं किंतु इसमें समय लगेगा। माननीय सदस्य को उत्तर में मैंने स्पष्ट तौर पर यह कहा है कि अगले वित्त वर्ष तक हम प्रत्येक गांव को बुनियादी ढांचा प्रदान कर देंगे।

[हिन्दी]

श्रीमती कल्पना रमेश नरहिरे: अध्यक्ष जी, मेरे संसदीय क्षेत्र में आठ तहसीलें हैं और वहां बीएसएनएल की टावर है लेकिन उपकरणों की कमी के कारण टावर चालू नहीं है। मैं जानना चाहती हूं कि ये उपकरण कब लगाए जाएंगे और वहां पर बीएसएनएल की सेवा कब तक कार्यरत होगी?

[अनुवाद]

श्री दयानिधि मारन: महोदय, कुछ स्थानों पर, फिक्स्ड लाइन टेलीफोन में समस्या है। उपकरण खरीद लिए गए हैं किंतु कुछ कानूनी समस्याएं हैं। मैं समझता हूं कि अगले तीन महीनों में प्रत्येक सर्किल में उपकरण उपलब्ध होगा।

अध्यक्ष महोदय: बहुत बढ़िया।

[हिन्दी]

डा. तुषार अमर सिंह चौधरी: अध्यक्ष जी, मेरे क्षेत्र में भी बीएसएनएल का टावर बना है लेकिन इक्विपमेंट्स की कमी है और इस वजह से सिग्नल बहुत वीक आता है। अगर घर के अंदर चले गये या एक किलोमीटर दूर चले गये तो सिग्नल चला जाता है, कनैक्टिविटी बहुत कम है। इस बारे में सरकार क्या सोच रही है? मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि पूरा देश मोबाइल से कब तक जुड़ पाएगा।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: आप सारे देश को कब तक कवर कर पाएंगे?

...(व्यवधान)

श्री दयानिधि मारन: माननीय अध्यक्ष महोदय, गत सप्ताह ऐसे ही प्रश्न के उत्तर में जैसा कि मैंने पहले कहा था हम 12 मिलियन अतिरिक्त लाइनें उपलब्ध करा रहे हैं। इसे लागू करने में हमें 6 महीने का समय लगेगा। जैसे कि मैंने कहा था बी एस एन एल सर्वाधिक मांग वाला सेवा प्रदाता है और 'हर कोई बी एस एन एल की सेवा की मांग कर रहा है विशेषकर मोबाइल सेवा की मांग में काफी तेजी आई है। बीएसएनएल सेवा की काफी प्रशंसा हो रही है। उपकरण बाज़ार में आने शुरू हो गए हैं। इन उपकरणों को तैनात करने में समय लगेगा। सेवा 'मांग पर' उपलब्ध होगी और अगले 6 वर्षों में सेवाएं बेहतर हो जाएंगी।

अध्यक्ष महोदय: यह काफी अच्छा आश्वासन है।

श्री दुष्यंत सिंह: माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्रीजी से यह पूछना चाहता हूं कि सरकार ने भारत के ग्रामीण क्षेत्रों, विशेषकर राजस्थान के हड़ौती क्षेत्र में, जिसमें बारन और झालवाड़ जिले आते हैं, में डब्ल्यू एल एल और बी एस एन एल जैसी

बेहतर टेलीफोन सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु क्या कदम उठाए हैं। माननीय मंत्री ने हमें आश्वासन दिया है कि वे हमें उपकरण उपलब्ध करा रहे हैं। उन्होंने अपने मुख्य उत्तर में यह उल्लेख किया है कि उन्होंने टावर उपलब्ध कराए हैं किंतु इन टावरों में से कोई भी टावर हड़ौती क्षेत्र विशेषकर बारन और झालावाड़ जिले में काम नहीं कर रहा है। मैं माननीय मंत्री से यह अनरोध करता हूं कि वे हमारे जिले से गुजरने वाले एन एच-19, एन एच-76 और एन एच-12 पर ध्यान दें। मैं माननीय मंत्री जी और सरकार से यह अनुरोध करता हूं कि वे झालवाड़ और बारन जिले और समस्त हड़ौती क्षेत्र हेतु बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराएं।

अध्यक्ष महोदय: क्या आप ऐसा करेंगे?

श्री दयानिधि मारन: जी हां, हम निश्चित रूप से यह कार्य करेंगे।

अध्यक्ष महोदय: उन्होंने इसे स्वीकार कर लिया है।

श्री दुष्यंत सिंह एक आदर्श बनते जा रहे हैं। वह शांत रहते हैं। वह आराम से बैठते हैं। वह अपना नाम देने के बाद आराम से बैठे रहते हैं और अपनी बारी आने पर बोलते हैं। माननीय सदस्यों को उनसे कुछ सीखना चाहिए। हमें युवा माननीय सदस्यों से भी सीखना चाहिए। इससे मैं काफी प्रसन्न हूं।

श्री रूपचंद पाल: क्या मैं माननीय मंत्री से जान सकता हूं कि क्या उनको इस बात की जानकारी है कि देश के विभिन्न भागों में बी एस एन एल के अधिकारियों द्वारा प्रदर्शन जारी रखने के कारण पूरे बी एस एन एल की संचार प्रणाली पर प्रभाव पड़ा है? यदि उनको इसकी जानकारी है तो प्रदर्शन करने वाले अधिकारियों की पदोन्नतियों, वेतनमान निर्धारण आदि से संबंधित मांगों को पूरा करने के लिए उनसे बातचीत करने के लिए उन्होंने क्या कदम उठाए हैं?

अध्यक्ष महोदय: क्या यह मुख्य प्रश्न से जुड़ा प्रश्न है?

श्री दयानिधि मारन: महोदय, माननीय सदस्य ने एक ऐसा प्रश्न पूछा है जो वर्तमान परिदृश्य से संबंधित है। मुझे सभा के माननीय सदस्यों को यह बताते हुए खुशी हो रही है कि बी एस एन एल की युनाइटेड फोरम के कार्यकारी आज ही मुझे मिले थे। मैंने उनसे आग्रह किया है। मैं सभा को यह भी जानकारी देना चाहूंगा कि राज्य सभा के माननीय सदस्य श्री नीलोत्पल बसु भी उस समय उपस्थित थे। बी एस एन एल के कार्यकारियों ने अपना प्रदर्शन वापस ले लिया है और जहां भी सेवाएं प्रभावित हुई हैं, वहां सामान्य स्थिति बहाल कर दी जाएगी।

अध्यक्ष महोदय: इसके लिए हमें इनकी प्रशंसा करनी चाहिए।

[हिन्दी]

श्री सुबोध मोहिते: अध्यक्ष महोदय, मोबाइल टावर और उनकी सर्विस प्रोवाइड करने के बारे में सिम्पल सवाल पूछा गया है। जवाब में दिया है कि "देश में 2642 एस डी सी ए हैं, जिन में से 1756 एस डी सी ए में डब्ल्यू एल एल टावर लगाए जा चुके हैं।"

[अनुवाद]

सरकार का विचार दिसम्बर, 2005 तक 14,001 अतिरिक्त मोबाइल लाइनें स्थापित करने का है।

[हिन्दी]

सवाल सिम्पल है और जवाब भी सिम्पल है, ऐसी बात नहीं है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: यह अलग बात है। यहां आप प्रश्न पूछ सकते हैं। यदि आप चुनौती चाहते हैं तो उसका अलग तरीका है।

श्री सुबोध मोहिते: जी नहीं। मैं चुनौती नहीं दे रहा।

अध्यक्ष महोदय: श्री सुबोध मोहिते आप साफ बोलने वाले सदस्य हैं। कृपया प्रश्न पूछें।

श्री सुबोध मोहिते: महोदय, इस प्रश्न का सीधा संबंध राष्ट्रीय सुरक्षा से है।

दो प्रौद्योगिकियां विद्यमान हैं। एक है सी डी एम ए और दूसरी है जी एस एम। सी डी एम ए प्रौद्योगिकी में दो खामियां हैं। पहली खामी तो यह है कि इस प्रौद्योगिकी के अंतर्गत उपलब्ध कराया गया हैण्डसैट आपरेटर विशिष्ट किस्म के होते हैं। अत: इन हैण्डसेटों का प्रयोग किसी अन्य सर्विस प्रोवाइडर के साथ नहीं किया जा सकता। दूसरी बात यह है कि मैं विशेष रूप से राष्ट्रीय सुरक्षा के संबंध में एक प्रश्न पूछ रहा हूं ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: यह टावरों के बारे में है।

श्री सुबोध मोहिते: जी हां, यह काफी महत्वपूर्ण है।

सी डी एम ए प्रौद्योगिकी के अंतर्गत समक्रमण जी पी एस उपग्रह नेटवर्क के माध्यम से किया जाता है। यह एक सच्चाई है।

अध्यक्ष महोदय: वह एक इंजीनियर हैं।

श्री सुबोध मोहिते: यह जी पी एस उपग्रह नेटवर्क

[हिन्दी]

यह यूएस डिफेंस का सिस्टम है। जिस दिन अमरीका चाहेगा उसी दिन हमारा पूरा सिस्टम कौलेप्स हो जाएगा। मेरा सवाल यह है कि अगर ऐसी बात है और यह सच है, इसमें दो राय नहीं हैं- हम वैकल्पिक सेवा अथवा जी एस एम प्रौद्योगिकी क्यों नहीं अपनाते? मेरा सवाल यह है कि आपके जो यूटिलाइज्ड और स्टाल्ड स्टेशन्स हैं, उसमें सीडीएमए और जीएसएम का कम्पेरिटिव यूटिलाइजेशन और परस्पेक्टिव प्लानिंग क्या है

[अनुवाद]

राष्ट्र के खतरे को देखते हुए?

अध्यक्ष महोदय: आप सीडीएमए अथवा जीएसएम प्रौद्योगिकी अपनाएंगे?

श्री दयानिधि मारन: मैं यही उत्तर दे सकता हूं कि माननीय सदस्य का डर इतना गम्भीर नहीं है। मैं सदस्य को उत्तर देना चाहूंगा। इस समय भारत में हम सी डी एम ए के साथ-साथ जी एस एम प्रौद्योगिकी का प्रयोग कर रहे हैं और हम प्रौद्योगिकी के मामले में सदस्य हैं। मेरे विचार से हम यह बात सर्विस आपरेटरों पर छोड़ देते हैं कि वे किस प्रकार की प्रौद्योगिकी अपनाएंगे। मैं इस डर से कि ऐसा हो जाएगा अथवा वैसा हो जाएगा, का उत्तर नहीं दे सकता क्योंकि वास्तव में यह काफी काल्पनिक है। मेरे विचार से माननीय सदस्य की आशंका तर्कसंगत नहीं है।

अध्यक्ष महोदय: वह एक इंजीनियर हैं। आप उन्हें बुला सकते हैं और उनके साथ चाय पी सकते हैं। वह आपको बता देंगे।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: नहीं, नहीं। आपको उन्हें यह बताना चाहिए कि आप क्या महसूस करते हैं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

श्री छेवांग थुपस्तन: अध्यक्ष महोदय, मेरा कांस्टीटुएंसी क्षेत्र लद्दाख है। यह देश के दूसरे क्षेत्रों से सात महीने कटा रहता है और तब बाकी के क्षेत्रों से काम्यूनिकेशन का साधन टेलीफोन होता है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: इसीलिए मैंने आपको बुलाया है।

[हिन्दी]

श्री छेवांग थुपस्तन: लेकिन सारे लद्दाख में टेलीफोन का इंतजाम ठीक नहीं है। जहां तक बीएसएनएल टावर का ताल्लुक है, सिर्फ कारगिल टाउन में लेआउट के लिए बीएसएनएल टावर लगा हुआ है, वहां डब्ल्यूएलएल का टावर अभी तक स्थापित नहीं हुआ है। मेरे संसदीय क्षेत्र के गांवों में टेलीकाम्यूनिकेशन पहुंचाने के लिए बीएसएनएल का तार या डब्ल्यूएलएल का तार एक साधन हो सकता है। मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या आप इसे स्पेशल कन्सीडर करके रूरल एरियाज को जोड़ने का काम करेंगे? वहां टावर की कब तक स्थापना करेंगे?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: लद्दाख के बारे में यह इनका अनुरोध है।

श्री दयानिधि मारन: इस विशिष्ट प्रश्न के लिए मैं माननीय सदस्य के साथ बात करूंगा।

अध्यक्ष महोदय: ठीक है। मुझे विश्वास है कि वे इस पर अनुकूल दृष्टि से विचार करेंगे।

[हिन्दी]

श्री ब्रजेश पाठक: अध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश के पूर्वी उत्तर प्रदेश परिमंडल में बीएसएनएल में भंयकर भ्रष्टाचार की बाढ़ आ गई है। जैसे ही दिन ढलना शुरू होता है, शाम को फोन कैसे मिलता है, यह पूरा सदन और हिंदुस्तान जनता है कि बीएसएनल की सेवाएं कैसी हैं?

अध्यक्ष महोदय: आप प्रश्न पूछिए।

श्री ब्रजेश पाठक: अध्यक्ष महोदय, जैसे शाम ढलना शुरू होती है, अगर एक्सचेंज की कैपिसिटी दस हजार मोबाइल एक बार में यूजर की है तो कर्मचारी शाम को पांच बजते ही काल्स फिल्टर शुरू करते हैं। इस तरह से मोबाइल एक्सचेंज की कैपिसिटी कम कर दी जाती है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: आपका प्रश्न क्या है?

[हिन्दी]

श्री राजेश पाठक: अध्यक्ष महोदय, शाम को छः से आठ बजे के बीच मोबाइल नहीं मिलता है। बीएसएनएल के कर्मचारी प्राइवेट सैलुलर आपरेटरों को बढ़ावा देने के लिए ऐसा काम कर रहे हैं। इसका जवाब माननीय मंत्री जी दें।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: इसका इससे संबंध नहीं है। यदि कुछ अनुचित है तो आपको उनकी जांच करनी चाहिए।

श्री दयानिधि मारन: जी हां, महोदय।

अध्यक्ष महोदय: आपकी ओर से, मैंने अनुरोध किया है।

[हिन्दी]

बहुत अच्छा प्रश्न है।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्री बी. महताब।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: लगभग 35 माननीय सदस्य हैं। मैं आप सभी को कैसे बुला सकता हूं?

...(व्यवधान)

श्री भर्तृहरि महताब: महोदय, मेरा एक सीधा सा प्रश्न है *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आपने बिना पूर्व भूमिका के एक कठिन प्रश्न पूछा है।

श्री भर्तृहरि महताब: जैसा कि उत्तर में उल्लेख किया गया है, शोर्ट डिस्टैंस चार्जिंग एरिया तहसील है। यह सच नहीं है। एस.डी.सी.ए. बड़े क्षेत्र को कवर करता है। लेकिन डब्ल्यू.एल.एल. प्रौद्योगिकी बी.टी.एस. केवल पांच किलोमीटर के दायरे में कार्यशील है। यह पर्वतीय ग्रतहों पर कार्य नहीं कर सकती और यही मुख्य कारण है। इसलिए, जब आपकी नीति इसका विस्तार सभी एस.डी.सी.ए. (शोर्ट डिस्टैंस चार्जिंग क्षेत्रों) में करने की होती है तब आप क्या यह नहीं सोचते कि डब्ल्यूएलएल पर्वतीय क्षेत्रों और पर्वतीय स्थानों पर कार्य नहीं कर पायेगी। यहां तक कि उड़ीसा जैसे राज्य में बड़ी संख्या में शोर्ट डिस्टैंस चार्जिंग क्षेत्र हैं जो काम नहीं करेंगे भले ही हम वहां भली-भांति इस प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करें। यही मेरा सरल सा प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय: आप इस संबंध में क्या करने का विचार रखते हैं।

...(व्यवधान)

श्री दयानिधि मारन: माननीय सदस्य ठीक कह रहे हैं। लेकिन मैं यह कहना चाहूंगा और माननीय सदस्य भी यह जान लें कि हम केवल डब्ल्यू.एल.एल. सेवा पर निर्भर नहीं हैं। अन्य फिक्स्ड वायर सेवाएं भी हैं। यह अलग-अलग प्रौद्योगिकियों का सम्मिश्रण है जिन्हें हम कार्यान्वित करने का प्रयास कर रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री राजनरायन बुधौलिया: अध्यक्ष जी, क्या सरकार के पास उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र के संसदीय क्षेत्र हमीरपुर-महोबा में तहसील मुख्यालय, राष्ट्रीय राजमार्गों को मोबाइल टावर से जोड़ने हेतु कोई योजना है, यदि हां, तो कब तक? मैंने अनेक पत्र माननीय मंत्री जी को लिखे हैं जिसके उत्तर में मुझे बताया गया कि जनवरी, 2005 तक सभी क्षेत्रों को जोड़ दिया जायेगा लेकिन आज तक यह कार्य नहीं हो सका। इसके अलावा बी एस एन एल (प्रीपेड) के लिये उपभोक्ताओं की वेटिंग लिस्ट बनी हुई है। उपभोक्ताओं को आश्वासन दिया गया कि सिम कार्ड दिसम्बर, 2005 तक दे दिये जायेंगे। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या इसकी कोई निश्चित समय सीमा है कि कब तक मेरे संसदीय क्षेत्र के उपभोक्ताओं को सिम कार्ड उपलब्ध कराये जायंगे तथा मोबाइल कनेक्शनों को पूरे क्षेत्र से जोड़ दिया जायेगा?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मंत्री महोदय, बेहतर होगा कि आप उनके निर्वाचन क्षेत्र की स्थिति की जांच करें और उन्हें इस बारे में जानकारी दें।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: आप एक अथवा अन्य स्थान के ब्यौरों की मांग नहीं कर सकते। वह इसका जवाब कैसे दे सकते हैं? लेकिन मंत्री महोदय, आप कृपया अपने कार्यालय से उन्हें जानकारी देने के लिए कहें।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री अनंत गंगाराम गीते: अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने प्रश्न के उत्तर में बताया है कि सरकार ने तहसील स्तर पर एक टावर लगाये जाने का निर्णय किया है। श्री महताब जी के प्रश्न का मैं दूसरा भाग पूछ रहा हूं। डब्ल्यू.एल.एल. टैक्नौलौजी के तहत पहाड़ी क्षेत्रों में जो उपकरण लगाये जाते हैं, वे 25 किलोमीटर के रेंज के लिये लगते हैं और दूसरे 5 किलोमीटर के लगते हैं। लेकिन पहाड़ी क्षेत्रों में 25 कि.मी. वाला उपकरण 10-12 किलोमीटर से ज्यादा रेंज में नहीं मिलता है और 5 किलोमीटर वाला 2 किलोमीटर से ऊपर रेंज में नहीं आता है। जब हम जनरल मैनेजर के पास जाकर पूछते हैं तो हमें बताया जाता है कि भारत सरकार के सूचना विभाग द्वारा यह सूचना बी.एसएन.एल. को दी गई है, उसके अनुसार भविष्य की जो वायर द्वारा पारम्परिक एक्सचेंज लगाने का सिस्टम है, उसे बैन कर दिया गया है। जब यह सिस्टम काम नहीं करता है तो ऐसे क्षेत्रों के लिये परम्परागत क्षेत्र के एक्सचेंच हैं, क्या सरकार उन्हें लगाने के लिये कोई आदेश देगी?

[अनुवाद]

श्री दयानिधि मारन: माननीय सदय ठीक कह रहे हैं कि डब्ल्यू एल एल लगभग पांच किलोमीटर के क्षेत्र को कवर करता है। यह मोबाइल हैंडसेटों के लिए है। इसी प्रकार, जब आपके पास फिक्स्ड वायरलैस होता है, यह रेंज बढ़कर 25 किलोमीटर हो जाती है। मूलरूप से, डब्ल्यू एल एल अब शोर्ट डिस्टैंस चार्जिंग क्षेत्र पर आधारित हैं। लेकिन कतिपय क्षेत्रों अथवा पहाड़ी क्षेत्रों में, वे सेवाएं बढ़ाने के लिए रीपीटर्स का उपयोग करने का प्रयास कर रहे हैं और कतिपय क्षेत्रों में भौगोलिक स्थितियों के कारण यह संभव नहीं है। इसलिए हमारे पास यह कार्य करने के लिए कॉपर वायर का इस्तेमाल करने के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं है। और ये सभी उन क्षेत्रों की मांग पर आधारित होते हैं। यदि क्षेत्रों की मांग अथवा जरूरत नहीं होती तो हमारे लिए दूरभाष केन्द्रों में इसे उपलब्ध कराना संभव नहीं होता यह मूलत: मांग और आपूर्ति पर निर्भर होता है। ...*(व्यवधान)*

श्री अनंत गंगाराम गीते: मांग तो है।

[हिन्दी]

लघु उद्योगों के उद्यमियों को प्रशिक्षण

***284. श्री राकेश सिंह: क्या लघु उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार अंतर्राष्ट्रीय गुणवत्ता मानकों के लिए लघु उद्योग के उद्यमियों को प्रशिक्षित कर रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या विशेषज्ञता प्राप्त परीक्षण प्रयोगशालाओं की सुविधा भी प्रदान की जा रही है;

(ग)) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या लघु उद्योग के उद्यमियों को आईएसओ-9000 से संबंधित गुणवत्ता मानकों के प्रशिक्षण की भी सुविधा दी गई है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

लघु उद्योग मंत्री तथा कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री (श्री महावीर प्रसाद): (क) से (ङ) एक विवरण सदन के पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) सरकार द्वारा लघु उद्योग के उद्यमियों को अपने उत्पादों के निर्यात को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से विभिन्न देशों में प्रचलित मानकों के अनुरूप सामग्री उत्पाद करने के लिए तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त प्रबंधन तथा पर्यावरण मानक प्रमाणीकरण प्राप्त करने की आवश्यकता के बारे में जाकरूकता एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम नियमित रूप से आयोजित किए जा रहे हैं।

(ख) और (ग) सरकार द्वारा नई दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और चैन्नई में स्थापित 4 क्षेत्रीय और परीक्षण केन्द्रों (आर टी सी) एवं जयपुर, भोपाल, कोल्हापुर, हैदराबाद, बंगलौर, पांडिचेरी और चंगनाचेरी में स्थापित 7 फील्ड टेस्टिंग स्टेशनों (एफ टी एस) में लघु उद्योगों के उत्पादों का परीक्षण कर वे विभिन्न गुणवत्ता मानकों के अनुरूप हैं या नहीं इसका प्रणाणीकरण किया जाता है।

(घ) जी, हां।

(ङ) आई एस ओ 9000 से संबंधित गुणवत्ता मानकों के बारे में लघु उद्योगों के उद्यमियों में जागरूकता लाने के लिए तथा उन्हें ऐसे प्रमाणीकरण प्राप्त करने के संबंध में जानकारी देने के लिए सरकार द्वारा राज्यों में स्थापित लघु उद्योग सेवा संस्थान तथा क्षेत्रीय परीक्षण केन्द्रों के माध्यम से परीक्षण दिया जा रहा है। इसके अतिरिक्त लघु उद्योगों को आई एस ओ-9001 और आई एस ओ 14001 प्रमाणीकरण प्राप्त करने के लिए होने वाले व्यय का 75% (रुपये 75,000 तक) प्रतिपूर्ति करने की योजना कार्यान्वित की जा रही है। दिनांक 15.2.2005 तक 7,226 लघु उद्योग इकाइयों ने इस योजना का लाभ उठाया है।

[हिन्दी]

श्री राकेश सिंह: माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से जानना चाहता हूं कि क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि लघु उद्योगों के उद्यमियों को जो प्रशिक्षण दिया जाता है, उसके बाद कितने उद्योग और उद्यमी ऐसे हैं जो अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्द्धा का सामना करते हुये सफलतापूर्वक निर्यात कर रहे हैं? यदि ऐसे लोगों की संख्या कम है तो क्या सरकार द्वारा लघु उद्योगों और उद्यमियों को जो प्रशिक्षण दिया जाता है, उसको अधिक निर्यातोन्मुखी करने पर विचार करेगी?

श्री महावीर प्रसाद: माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय सदस्य को अवगत कराना चाहता हूं कि निर्यातकों के रूप में उद्यमियों को प्रशिक्षित करने के लिये तथा इस कार्य को शुरू करने हेतु सरकार ने कई बिन्दुओं पर विचार किया है।

मध्याह्न 12.00 बजे

प्रथम तकनीक उन्नयन हेतु क्रेडिट लिंक कैपिटल सब्सिडी में स्वीकृति प्रदान की गई है। दूसरा उत्पादों के टैस्टिंग हेतु लगभग 11 प्रयोगशालाओं में कम दर पर उत्पादों की टैस्टिंग की जा रही है। तीसरा अंतर्राष्ट्रीय मानक प्राप्त करने के लिए 75 हजार रुपये तक का अनुदान दिया जा रहा है। चौथा अपने उत्पादों की अच्छी पैकिंग करने के लिए प्रशिक्षण दिया जा रहा है। पांचवां अंतर्राष्ट्रीय जगत में विक्रय सुविधाजनक करने के लिए बार-कोडिंग भी उपलब्ध कराई जा रही है। छठा लघु उद्योगों को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के क्षेत्र में विपणन विकास सहायता का भी प्रावधान है। ...*(व्यवधान)* इस प्रकार से ये सारे उपाय करके अंतर्राष्ट्रीय जगत में निर्यात को बढ़ाने के लिए उद्यमियों को हम प्रशिक्षण दे रहे हैं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: प्रश्नकाल समाप्त हो गया है। मैं सोचता हूं हमने अन्य दिनों की तुलना में आज बेहतर काम किया है। माननीय सदस्यों, आपके सहयोग के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[हिन्दी]

महिलाओं में एनीमिया

***285. श्री भूपेन्द्रसिंह सोलंकी:**
श्रीमती सुमित्रा महाजन:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश के ग्रामीण क्षेत्रों में 70 प्रतिशत से अधिक गरीब महिलाएं और बालिकाएं विशेषकर महिलाएं एनीमिया से पीड़ित हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग)) क्या एनीमिया गरीब गर्भवती महिलाओं विशेषकर भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में 'साइलेंट किलर' के रूप में उभरा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है/किए जाने का विचार है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. अंबुमणि रामदास): (क) से (ङ) नेशनल फेमिली हैल्थ सर्वे (एनएफएचएस)-2 के अनुसार, विवाहित महिलाओं (15-49 आयु वर्ग) में 51.8% महिलाएं रक्ताल्पता से ग्रस्त पाई गईं। 35% महिलाओं को मन्द रक्ताल्पता, 14.8% को मध्यम रक्ताल्पता और 19% महिलाओं को गंभीर रक्ताल्पता थी। रक्ताल्पता से ग्रस्त महिलाओं में से 54% महिलाएं ग्रामीण क्षेत्रों से थीं। रक्ताल्पता की व्याप्तता दर्शाने वाला राज्यवार ब्योरा विवरण में संलग्न है। रक्ताल्पता की समस्या गर्भवती महिलाओं में अधिक है। वर्ष 2002 में भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के राष्ट्रीय पोषण मानीटरिंग ब्यूरो द्वारा कराए गए अध्ययन के अनुसार 4% गर्भवती महिलाओं में गंभीर रक्ताल्पता पाई गई है।

सैम्पल रजिस्ट्रेशन सिस्टम, 1998 पर आधारित भारत के महापंजीयक के प्राक्कलन के अनुसार 19% मातृ-मृत्यु पोषणीय रक्ताल्पता के कारण होती है। गर्भवती महिलाओं में लौह और फालिक एसिड की आवश्यकता उन महिलाओं की तुलना में 6 गुना अधिक होती है जो गर्भवती नहीं होती हैं। पोषणीय रक्ताल्पता के प्रमुख कारण अपर्याप्त पोषण और आहार में लौह और फोलिक एसिड की कमी, अपर्याप्त लौह तत्व, बारम्बार गर्भधारण, संक्रमण और उत्पीड़न की उच्च व्याप्तता और दोषपूर्ण स्तनपान हैं।

लौह तत्वों की अल्पतता की समस्या अपर्याप्त पोषण से जुड़ी है। वर्ष 1993 में राष्ट्रीय पोषण नीति तैयार की गई थी तथा भारत सरकार के कई विभागों के माध्यम से पोषण से जुड़ी राष्ट्रीय कार्ययोजना को कार्यरूप दिया जा रहा है। इस कार्य में अन्य के साथ-साथ महिला और बाल विकास विभाग द्वारा कार्यान्वित 'समेकित बाल विकास सेवा कार्यक्रम' तथा परिवार कल्याण विभाग द्वारा कार्यान्वित 'प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम' का अच्छा योगदान है।

स्वास्थ्य संबंधी कारकों के अलावा, निरक्षरता, गरीबी, सामान्य आर्थिक और सामाजिक विकास का लोगों विशेषकर महिलाओं के बीच रक्ताल्पता की घटनाओं पर प्रत्यक्ष संबंध होता है। इन समस्याओं पर काबू पाने के लिए सरकार के विभिन्न विभाग रक्ताल्पता के परिणामों के बारे में जागरूकता पैदा करने की दृष्टि से महिला और बाल विकास विभाग के खाद्य और पोषण बोर्ड द्वारा ग्रामीण, शहरी और जनजातीय क्षेत्रों के समुदाय में पोषण शिक्षा, लौह और फोलिक एसिड से भरपूर स्थानीय रूप से उपलब्ध आहार को बढ़ावा देना और रक्ताल्पता को कैसे रोका जाए और नियंत्रित किया जाए जैसे कार्यक्रम कार्यान्वित कर रहे हैं।

महिला और बाल विकास विभाग की समेकित बाल विकास सेवाएं (आईसीडीएस) स्कीम गर्भवती महिलाओं/नर्सिंग माताओं को प्रतिदिन 500 कैलोरी और 15-20 ग्राम प्रोटीन तक के अनुपूरक आहार प्रदान करती है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता द्वारा सभी महिलाओं को पोषण और स्वास्थ्य शिक्षा भी प्रदान की जाती है जिसमें गर्भवती और स्तन पान करवाने वाली महिलाओं पर विशेष जोर दिया जाता है।

काम के लिए अनाज के विभिन्न कार्यक्रम, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम, लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली ग्रामीण जनसंख्या के लिए खाद्य सुरक्षा को सुधारने में योगदान करते हैं।

देश में पौषणिक रक्ताल्पता की समस्या पर ध्यान देने के लिए राष्ट्रीय पोषण संस्थान, हैदराबाद द्वारा डबल फोरटीफाइड साल्ट पर अनुसंधान परीक्षण भी शुरू किए गए हैं। भारत सरकार के विभिन्न अभिकरणों/विभागों द्वारा जवाहर रोजगार योजना, एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम, इंदिरा आवास योजना और प्रौढ़ साक्षरता कार्यक्रम भी शुरू किए गए हैं।

विवरण

राज्य-वार महिलाओं के बीच रक्ताल्पता

राज्य, भारत 1998-99 द्वारा अभी तक विवाहित महिलाओं की श्रेणी का प्रतिशत जिनको रक्ताल्पता की डिग्री द्वारा लौह-रक्ताल्पता है

राज्य	किसी भी प्रकार की रक्ताल्पता के साथ महिलाओं का प्रतिशत	मंद रक्ताल्पता	मध्यम रक्ताल्पता	गंभीर रक्ताल्पता
1	2	3	4	5
भारत	**51.8**	**35.0**	**14.8**	**1.9**
दिल्ली	40.5	29.6	9.6	1.3
हरियाणा	47.0	30.9	14.5	1.6
हिमाचल प्रदेश	40.5	31.4	8.4	0.7
जम्मू-कश्मीर	58.7	39.3	17.6	1.9
पंजाब	41.4	28.4	12.3	0.7
राजस्थान	48.5	32.3	14.1	2.1
मध्य प्रदेश	54.3	37.6	15.6	1.0
उत्तर प्रदेश	48.7	33.5	13.7	1.5
बिहार	63.4	42.9	19.0	1.5
उड़ीसा	63.0	45.1	16.4	1.6
पश्चिम बंगाल	62.7	45.3	15.9	1.5

1	2	3	4	5
अरुणाचल प्रदेश	62.5	50.6	11.3	0.6
असम	69.7	43.2	25.6	0.9
मणिपुर	28.9	21.7	6.3	0.8
मेघालय	63.3	33.4	27.5	2.4
मिजोरम	48.0	35.2	12.1	0.7
नागालैंड	38.4	27.8	9.6	1.0
सिक्किम	61.1	37.3	21.4	2.4
गोवा	36.4	27.3	8.1	1.0
गुजरात	46.3	29.5	14.4	2.5
महाराष्ट्र	48.5	31.5	14.1	2.9
आंध्र प्रदेश	49.8	32.5	14.9	2.4
कर्नाटक	42.4	26.7	13.4	2.3
केरल	22.7	19.5	2.7	0.5
तमिलनाडु	56.5	36.7	15.9	3.9

नोट: रक्ताल्पता की डिग्री की गणना करते समय परिगणनन क्षेत्र ऊंचाई और धूम्रपान के लिए हेम्मोग्लोबिन स्तरों को समायोजित किया गया है।

[अनुवाद]

खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम में संशोधन

***286. श्री तुकाराम गणपतराव रेंगे पाटील:** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि मिनरल वाटर/पैक किया गया पेयजल खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 की परिधि में नहीं आता है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) उक्त अधिनियम में संशोधन करने के लिए क्या कार्रवाई की गई है/किए जाने का विचार है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. अंबुमणि रामदास): (क) से (ग) 'खाद्य' को खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 की धारा 2(V) के अंतर्गत परिभाषित किया गया है और इस परिभाषा के अनुसार 'जल' को 'खाद्य' की परिभाषा से अलग कर दिया गया है।

खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 की धारा 2(V)(ग) केन्द्रीय सरकार को किसी अन्य पदार्थ को इसके प्रयोग, प्रकृति, तत्व अथवा गुणवत्ता के संबंधानुसार सरकारी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 के प्रयोजनार्थ खाद्य के रूप में घोषित करने के लिए अधिकार प्रदान करती है।

तदनुसार ''पैकेण्ड पेय जल'' को दिनांक 21.3.2001 की अधिसूचना सा.का.नि. संख्या 202 (अ) के तहत खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 के प्रयोजनार्थ 'खाद्य' के रूप में घोषित किया गया है।

सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग से आय

***287. श्री असादूद्दीन ओवेसी:** क्या **सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वित्तीय वर्ष 2003-04 तथा 2004-05 के दौरान साफ्टवेयर उद्योग से, जोकि सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग का सबसे बड़ा क्षेत्र है, कितनी आय अर्जित की गई;

(ख) वर्ष 2005-06 के दौरान इस उद्योग द्वारा कितनी आय अर्जित करने की संभावना है;

(ग) सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी निर्यात उद्योग को बढ़ावा देने तथा आय को अधिकतम करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जा रहे हैं; और

(घ) सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत का वर्तमान हिस्सा कितना है और गत तीन वर्षों के दौरान इसके बढ़ने अथवा घटने का क्या रुझान रहा है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री दयानिधि मारन): (क) सूचना प्रौद्योगिकी साफ्टवेयर तथा सेवा क्षेत्र ने वित्त वर्ष 2003-04 के दौरान 74,490 करोड़ रुपये के राजस्व की आय की। इस क्षेत्र को वित्त वर्ष 2004-05 के दौरान 97,860 करोड़ रुपये से ज्यादा के राजस्व की आय होने की उम्मीद है।

(ख) सूचना प्रौद्योगिकी साफ्टवेयर तथा सेवा क्षेत्र के वित्त वर्ष 2005-06 के दौरान 125,000 करोड़ रुपये से ज्यादा राजस्व की आय होने की संभावना है।

(ग) सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग को बढ़ावा देने और आय को अधिकतम करने के लिए सरकार द्वारा किए गए उपायों के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(घ)) विश्व सूचना प्रौद्योगिकी साफ्टवेयर तथा सेवा उद्योग में भारत के अंश में पिछले तीन वर्षों के दौरान नीचे दिए गए विवरण के अनुसार लगातार वृद्धि हुई है:

2001-02	-	1.56%
2002-03	-	2.00%
2003-04	-	2.66%

विवरण

सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र के संवर्धन के लिए सरकार द्वारा किए गए उपाए

1. सरकार के न्यूनतम साझा कार्यक्रम (एनसीएमपी) में सूचना प्रौद्योगिकी हार्डवेयर सहित विनिर्माण उद्योग के विकास को शक्ति प्रदान करने और कायम रखने पर जोर दिया गया है।

2. व्यवसाय से उपभोक्ता (बी2सी) ई-वाणिज्य को छोड़कर सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी पूंजीनिवेश के अनुमोदन से संबंधित प्रस्ताव स्वचालित मार्ग के अन्तर्गत हैं।

3. कंप्यूटर पर 60% की दर से मूल्यह्रास की अनुमति है।

4. सीमा शुल्क की उच्चतम दर 20% से घटाकर 15% कर दी गई है। कम से कम 5 करोड़ रुपए के पूंजीनिवेश वाले संयंत्र तथा मशीनरी में परियोजना आयात पर सीमा शुल्क 10% की दर से है। कम्प्यूटरों तथा पेरिफरलों पर सीमा शुल्क 10% की दर से है। आईटीए-I वस्तुओं (216 वस्तुओं) पर सीमा शुल्क 1.3.2005 को समाप्त कर दिया गया है। धातुओं (लौह तथा अलौह), रसायनों तथा प्लास्टिकों पर सीमा शुल्क 15% से घटाकर 10% की गई है। आईटीए-I वस्तुओं के विनिर्माण के लिए आवश्यक सभी वस्तुओं को वास्तविक प्रयोक्ता शर्त के अन्तर्गत सीमा शुल्क से छूट दी गई है। विक्षेपण पुर्जों, एयर कोर्ड एवं फेराइट कोर्ड ट्रांसफार्मरों, आरएफ/आईएफ कायलों तथा लाउडस्पीकरों (कोन टाइप) को छोड़कर विशिष्ट इलेक्ट्रानिक संघटक पुर्जों पर सीमा शुल्क से छूट दी गई है। आईटी समझौता (आईटी साफ्टवेयर को छोड़कर) तथा उनके उपादानों कच्ची सामग्रियों पुर्जों, विभिन्न सीमा शुल्क अधिसूचनाओं के अन्तर्गत शामिल वस्तुओं पर 4% का अतिरिक्त शुल्क लगाया गया है। कैपेसिटर, इलेक्ट्रानिक फ्यूज, टीडीएम, डीसी माइक्रो मोटर, पीसीबी, रिले, स्वीच के विनिर्माण के लिए आवश्यक निर्दिष्ट पूंजीगत वस्तुओं को सीमा शुल्क से छूट दी गई है। सभी भण्डारण युक्तियों, एकीकृत परिपथों, माइक्रोप्रोसेसरों, डेटा प्रदर्श ट्यूबों तथा रंगीन मानीटरों के विक्षेपण संघटक पुर्जों पर 0% जारी है। सूचना प्रौद्योगिकी समझौता (आईटी I) में शामिल वस्तुओं पर सीमा शुल्क प्रतिबद्धता के अनुसार है। इलेक्ट्रानिक संघटक पुर्जों अथवा प्रकाशिक तंतु/केबलों के विनिर्माण में प्रयुक्त होने वाली विशिष्ट कच्ची सामग्रियों/उपादानों पर सीमा शुल्क 0% है। इलेक्ट्रानिक वस्तुओं के विनिर्माण के लिए प्रयोग में लाये जाने वाले विशिष्ट पूंजीगत वस्तुओं पर सीमा शुल्क 0% है। मूलभूत/सेल्यूलर/इंटरनेट, वीसैट, रेडियो पेजींग तथा सार्वजनिक मोबाइल रेडियो ट्रंक सेवाओं के लिए विशिष्ट मूलसंरचनात्मक उपस्कर तथा ऐसा उपस्करों के पुर्जे मूलभूत सीमा शुल्क से छूट प्राप्त हैं। सेल्यूलर मोबाइल टेलीफोन सेवा प्रदानकर्ताओं को इस समय उपलब्ध मोबाइल स्वीचिंग केन्द्रों से सीमा शुल्क की छूट का दायरा बढ़ाकर सार्वत्रिक अभिगम सेवा प्रदानकर्ताओं द्वारा आयात पर लागू किया गया है।

सेलफोनों, सेट टाप बाक्स के पुर्जों पर सीमा शुल्क 0% की दर से जारी है। आसबाब के रूप में लाए गए लेपटाप को सीमा शुल्क से छूट प्राप्त है। यात्री आसबाब पर सीमा शुल्क 40% से घटाकर 35% कर दिया गया है।

5. कम्प्यूटरों पर उत्पाद शुल्क 0% है। माइक्रोप्रोसेसरों, हार्ड डिस्क ड्राइवों, फ्लापी डिस्क ड्राइवों, सीडी राम ड्राइवों को उत्पाद शुल्क से छूट प्राप्त है। पीसी पर पहले से डाले गए साफ्टवेयर, श्रव्य सीडी, रिकार्ड किए गए वीसीडी तथा डीवीडी, सेल्यूलर फोन, रेडियो ट्रंकिंग ट्रमिनल, काल करने, चेतावनी देने तथा पेजिंग के लिए सुवाह्य रिसीवर, सेल्यूलर फोन सहित मोबाइल हैंड सेटों के पुर्जे, संघटक पुर्जे तथा सहायक सामग्रियों, सेट टाप बाक्स को उत्पाद शुल्क से छूट जारी है।

6. निर्यात संवर्धन पूंजीगत वस्तु योजना (ईपीसीजी) में 5% के सीमा शुल्क के भुगतान पर पूंजीगत वस्तुओं की अनुमति है। इस योजना के अंतर्गत निर्यात की बाध्यता बचत किए गए शुल्क से जुड़ी है और आयात की गई पूंजीगत वस्तुओं पर बचत किए गए शुल्क का 8 गुना है, जिसे 8 वर्षों में पूरा करना है। इस योजना के अंतर्गत पुरानी पूंजीगत वस्तुओं के आयात तथा उत्पादन पूर्व और उत्पादन पश्चात सुविधाओं के लिए पूंजीगत वस्तुओं के आयात की अनुमति है। विद्यमान संयंत्र तथा मशीनरी का दर्जा बढ़ाने के लिए अतिरिक्त पुर्जों के आयात की भी अनुमति है। सूचना प्रौद्योगिकी समझौता (आईटीए-I) के वस्तुओं के आपूर्ति डीटीए को करके ईपीसीजी योजना अन्तर्गत निर्यात की बाध्यता को भी पूरा किया जा सकता है। बशर्ते आय निशुल्क विदेशी मुद्रा में हो। ईपीसीजी के लाइसेंस धारक ईपीसीजी लाइसेंस के अन्तर्गत आयात किए गए विद्यमान पूंजीगत वस्तुओं का प्रौद्योगिकी दर्जा बढ़ाने का विकल्प दे सकती है।

7. इलेक्ट्रानिकी हार्डवेयर प्रौद्योगिकी पार्क (ईएचटीपी)/ निर्यात उन्मुखी इकाईयों (ईओयू) द्वारा घरेलू शुल्क क्षेत्र (डीटीए) में सूचना प्रौद्योगिकी समझौते (आईटीए-I) की वस्तुओं तथा अधिसूचित शून्य शुल्क दूरसंचार/ इलेक्ट्रानिक वस्तुओं की आपूर्ति को धनात्मक शुद्ध विदेशी मुद्रा की आय (एनएफई) को पूरा करने के प्रयोजन से गिना जाता है।

8. ईओयू/ईएचटीपी/साफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क/विशेष आर्थिक जोन योजनाओं के अंतर्गत इकाइयों के मामले में कम्प्यूटरों एवं कम्प्यूटर पेरिफरलों पर मूल्यह्रास 5 वर्ष की अवधि में 100% उपलब्ध है।

9. ईओयू/एसटीपी/ईएचटीपी/बायोटेक्नालाजी पार्क (बीटीपी) इकाइयों को अपनी निर्यातित वस्तुओं तथा सेवाओं के अनुपात में सेवाकर से छूट प्राप्त है।

10. निर्यात के प्रयोजन से बाधा रहित विनिर्माण एवं कारोबार के लिए विशिष्ट आर्थिक क्षेत्रों की स्थापना की जा रही है। घरेलू शुल्क क्षेत्र से एसईजेड की बिक्री वास्तविक निर्यात माना जा रहा है इसके परिणामस्वरूप देशीय आपूर्तिकर्ताओं को शुल्क वापसी/डीईपीबी के लाभ, केन्द्रीय बिक्री कर से छूट तथा सेवा कर से छूट के लाभ प्राप्त हो रहे हैं।

11. सूचना प्रौद्योगिकी साफ्टवेयर को सीमा शुल्क तथा उत्पाद शुल्क से छूट प्राप्त है।

12. पुरानी पूंजीगत वस्तुओं का मुक्त रूप से आयात किया जा सकता है।

13. निर्यातोन्मुखी इकाइयों/इलेक्ट्रानिकी हार्डवेयर प्रौद्योगिकी पार्क की इकाइयों को निर्यात लाभ कर आयकर अधिनियम की धारा 10ए तथा 10बी के तहत वर्ष 2010 तक आयकर के भुगतान से छूट प्राप्त है।

14. लघु उद्योग, अति लघु उद्योग, कुटीर उद्योग, पूर्वोत्तर राज्यों/सिक्किम/जम्मू एवं कश्मीर स्थित इकाइयों, लैटिन अमेरिका/सीआईएस/उप सहारा अफ्रीका को निर्यात करने वाले निर्यातकर्ताओं और आईएसओ-9000 (श्रृंखला) रखने वाली इकाइयों के मामले में 'निर्यात गृह' का दर्जा प्राप्त करने के लिए देहरी सीमा को 15 करोड़ रु. से घटाकर 5 करोड़ रु. कर दिया गया है। यह दर्जा प्राप्त इकाइयां निम्नलिखित नई/विशेष सुविधाएं प्राप्त करने की पात्र हैं:

*विदेशी मुद्रा अर्जनकर्ता के विदेशी मुद्रा (ईईएफसी) खाते में विदेशी मुद्रा की 100% धारिता।

*सामान्य प्रत्यावर्तन अवधि को 180 दिन से बढ़ाकर 360 दिन किया जाना।

15. ईओयू/एसटीपी/ईएचटीपी इकाइयों द्वारा शुल्क मुक्त रूप से आयातित कम्प्यूटरों के दो वर्ष के प्रयोग के बाद सरकारी विद्यालयों, गैर-वाणिज्यिक शैक्षिक संस्थानों, पंजीकृत नि:शुल्क अस्पतालों, सार्वजनिक पुस्तकालयों, सार्वजनिक रूप से वित्त पोषित अनुसंधान एवं विकास प्रतिष्ठानों, सामुदायिक सूचना केन्द्रों, प्रौढ़ शिक्षा केन्द्रों तथा सरकारी संस्थानों को दान करने की अनुमति है।

16. किसी बाहरी दाता द्वारा सरकारी विद्यालयों, गैर-वाणिज्यिक शैक्षिक संस्थानों, पंजीकृत नि:शुल्क अस्पतालों सार्वजनिक पुस्तकालयों, सार्वजनिक रूप से वित्त पोषित

अनुसंधान एवं विकास प्रतिष्ठानों, सामुदायिक सूचना केन्द्रों, प्रौढ़ शिक्षा केन्द्रों तथा सरकारी संस्थानों को पुराने कम्प्यूटर प्रणालियों का दान सीमा शुल्क से छूट प्राप्त है।

17. लाभांश के रूप में आय अथवा किसी उद्यम पूंजी निधि या उद्यम पूंजी कम्पनी से किसी उद्यम पूंजी उपक्रम में इक्विटी शेयर के रूप में किए गए पूंजी निवेश से दीर्घावधि पूंजीगत लाभ, जिसका विस्तार करके साफ्टवेयर तथा सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र शामिल किया गया है, अब कुल आय के आकलन में गिना नहीं जाएगा। उद्यम पूंजी वित्त पर जोर देने के उद्देश्य से सेबी को देशीय तथा विदेशी दोनों ही उद्यम पूंजी निधियों के पंजीकरण तथा विनियमन के लिए एकल बिन्दु केन्द्रीय एजेंसी बनाई गई है।

18. आयकर अधिनियम की धारा 18-1ए के प्रावधानों (मूलसंरचना स्थिति) के अन्तर्गत इन्टरनेट प्रदाताओं तथा ब्रोडबैण्ड नेटवर्क प्रदाताओं को करावकाश उपलब्ध है।

19. अनुसंधान एवं विकास संबंधी कार्यकलापों में और अधिक पूंजी निवेश आकर्षित करने के लिए किसी विश्वविद्यालय, विद्यालय या संस्थान या वैज्ञानिक शोध संघों को वैज्ञानिक, सामाजिक या सांख्यिकीय शोध के प्रयोजन से दी गई रकम पर 150% की भारित कटौती उपलब्ध कराई गई है।

20. इन्टरनेट के माध्यम से ई-वाणिज्य के विस्तार को बढ़ावा देने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 लागू है, जिसमें साइबर सुरक्षा, साइबर अपराध तथा सूचना सुरक्षा से संबंधित अन्य विधायी पहलू शामिल हैं।

21. सेवाओं में व्यापार पर सामान्य समझौते के प्रावधानों के अनुसार विदेशी बाजारों तक संवर्धित अभिगम सुरक्षित करने के लिए और भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी/सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित सेवा उद्योग के लिए राष्ट्रीय उपचार सुनिश्चित करने के लिए विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) में प्रभावी बातचीत करना।

जैव प्रौद्योगिकी का विकास

***288. श्री सनत कुमार मंडल:** क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हमारे देश में जैव प्रौद्योगिकी का विकास अन्य विकसित/विकासशील देशों के समान है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) देश में छात्रों को जैव प्रौद्योगिकी पाठ्यक्रम के अध्ययन हेतु प्रोत्साहित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं और देश में इस समय उनके लिए आजीविका के लिए उपलब्ध/विकसित किए जाने वाले प्रस्तावित अवसर क्या हैं?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा महासागर विकास विभाग के राज्य मंत्री (श्री कपिल सिब्बल): (क) और (ख) भारत विश्व के जैव-प्रौद्योगिकी परिदृश्य में एक प्रमुख निर्णायक के रूप में उभर रहा है। 2003-2004 में, भारतीय जैव प्रौद्योगिकी उद्योग ने 39% की त्वरित वृद्धि को दर्शाया और 46 मिलियन अमरीकी डालर के विश्व जैव-प्रौद्योगिकी क्षेत्र में 1.5% का योगदान किया है। 2003-2004 के दौरान भारतीय जैव-प्रौद्योगिकी उद्योग की कुल बिक्री 705 मिलियन अमरीकी डालर थी, जिसमें से 56% निर्यात से प्राप्त हुआ था। भारतीय जैव-प्रौद्योगिकी कंपनियों ने विदेश के सामान्य बाजारों में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त कर लिया है। 17 भारतीय बायोटेक उत्पाद पहले ही बाजार में उपलब्ध हैं।

कृषि के क्षेत्र में भारत उन 14 प्रमुख देशों में से है, जो 50,000 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में पराजीनी फसलों को उगा रहा है, हालांकि यह क्षेत्र वैश्विक क्षेत्र का एक छोटा हिस्सा है जो यूएस के 59% वैश्विक क्षेत्र (47.6 मिलियन हे.) की तुलना में 1% (0.5 मिलियन हे.) है।

देश में विद्यमान सुदृढ़ वैज्ञानिक आधार से ही जैव-प्रौद्योगिकी में सफलता प्राप्त करना संभव हुआ है। कंपनियों की संख्या की दृष्टि से भारत विश्व के सर्वाधिक सफल जैव-प्रौद्योगिकी उद्योग में 12वें स्थान पर है। यूएस पेटेंट कार्यालय ने 2004 की अपनी नई रिपोर्ट में भारत को स्वास्थ्य जैव-प्रौद्योगिकी में जारी किये गये पेटेंटों के संबंध में विकासशील देशों में पहला स्थान दिया है और इस क्षेत्र में वैज्ञानिक प्रकाशनों के संबंध में तीसरा स्थान दिया है।

जीन मीडिक्स 2002 की रिपोर्ट के अनुसार भारत विश्व के 5 प्रमुख जैविक विनिर्माण केन्द्रों में से एक है जिसमें बंगलौर विश्व का सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी शहर है।

(ग) जैव-प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार ने मानव संसाधन विकास पर विशेष बल दिया है और देश भर के विभिन्न विश्वविद्यालयों में पोस्ट-ग्रेजुएट/डिप्लोमा पाठ्यक्रमों को सहायता

प्रदान कर रहा है। इसके अतिरिक्त, जैव-प्रौद्योगिकी में अनुसंधान के लिए विद्यार्थियों/वैज्ञानिकों को आकर्षित करने के उद्देश्य से पीएचडी और पोस्ट-डाक्टोरल फैलोशिप कार्यक्रमों को भी सहायता प्रदान की गई है। औद्योगिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विशिष्ट मानव संसाधन के सृजन हेतु पोस्ट-ग्रेजुएट विद्यार्थियों के लिए औद्योगिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों को सहायता दी जा रही है। मिड-कैरियर वैज्ञानिकों को अल्पकालीन प्रशिक्षण पाठ्यक्रम प्रदान किये जाते हैं। विद्यार्थियों को जैव-प्रौद्योगिकी में अध्ययन जारी रखने को बढ़ावा देने के लिए, 10+2 सीबीएसई के 25 शीर्षस्थ छात्रों के प्रत्येक वर्ष जीव विज्ञान छात्रवृत्तियां प्रदान की जाती हैं। वैज्ञानिकों को पोस्ट-डाक्टोरल अनुसंधान के लिए ओवरसीज फैलोशिप प्रदान की जाती है।

मानव संसाधन विकास को और प्रोत्साहित करने के लिए यह प्रस्ताव किया जाता है कि वैज्ञानिक और तकनीकी मानव संसाधन को जीवन विज्ञान और जैव-प्रौद्योगिकी के क्षेत्र से संबंधित सभी विषयों में पर्याप्त संख्या एवं पर्याप्त गुणवत्ता के साथ उपलब्ध करवाया जाएगा। स्कूलों में विज्ञान शिक्षा में सुधार करने के साथ-साथ विश्वविद्यालय तंत्र में जीव विज्ञान और जैव-प्रौद्योगिकी में अनुसंधान एवं विकास के सुदृढ़ीकरण को उच्च प्राथमिकता दी जा रही है। सुधारात्मक गतिविधियों और अध्यापक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के द्वारा शिक्षण कार्यक्रमों की गुणवत्ता में सुधार किया जा रहा है। पीएचडी और पोस्ट डाक्टोरल अनुसंधान फैलोशिप की संख्या में और वृद्धि करने का प्रस्ताव है। उद्योग की आवश्यकता के अनुसार कुछ निश्चित क्षेत्रों के लिए विशिष्टीकृत तकनीशियन प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना करने का प्रस्ताव है।

जैव-प्रौद्योगिकी सूचना प्रणाली नेटवर्क

***289. श्री बृज किशोर त्रिपाठी:**
श्री आनंदराव विठोबा अडसूल:

क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश के विभिन्न भागों में जैव-प्रौद्योगिकी सूचना प्रणाली नेटवर्क की स्थापना की है;

(ख) यदि हां, तो जैव-प्रौद्योगिकी नेटवर्क के उद्देश्यों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार वर्ष 2004-05 और 2005-06 के दौरान नए बायो-इन्फारमेटिक्स केन्द्रों की स्थापना करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी स्थान-वार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) ऐसे प्रत्येक केन्द्र के लिए कितनी धनराशि आबंटित की गई है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा महासागर विकास विभाग के राज्य मंत्री (श्री कपिल सिब्बल): (क) और (ख) जी हां। जैव-प्रौद्योगिकी सूचना प्रणाली कार्यक्रम के मुख्य उद्देश्य हैं:

* मानव संसाधन विकास, अनुसंधान एवं विकास और जैव-प्रौद्योगिकी की विनिर्माण गतिविधियों से संबंधित विभिन्न संगठनों के वैज्ञानिकों को आपस में जोड़ने के लिए एक राष्ट्रीय जैव सूचना नेटवर्क उपलब्ध कराना।

* आवश्यक कम्प्यूटिंग एवं संचार अवसंरचना के सृजन को व्यवस्थित करना।

* सूचना आवश्यकताओं का नियमित रूप से आकलन करना, भारत के जैव-संसाधनों को प्रलेखित करना, जैव-प्रौद्योगिकी का डाटाबेस तैयार करना और प्रासंगिक सूचना के रख-रखाव के लिए साधनों एवं तकनीकों का विकास करना।

* जैवसूचनाविज्ञान में शिक्षण एवं प्रशिक्षण को बढ़ावा देना।

* जैविक महत्व के अणुओं की संरचना तथा क्रिया को विश्लेषित करने, इन-सिलिको ड्रग डिजाइन करने और जीव विज्ञान के विशिष्ट तंत्रों संबंधी प्रश्नों का हल करने के लिए कम्प्यूटर आधारित सूचना प्रक्रियाकरण की उन्नत प्रणालियों में अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देना।

* जैव-प्रौद्योगिकी सूचना के कुछ अन्तर्राष्ट्रीय संसाधनों के साथ संपर्क स्थापित करते हुए जैव-प्रौद्योगिकी सूचना को वैश्विक स्तर पर उपलब्ध कराने के प्रयासों को समन्वित करना।

* समुचित अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से जैव-प्रौद्योगिकी में वैज्ञानिक सूचना के आदान-प्रदान को बढ़ावा देना।

(ग) जी हां।

(घ) 2004-05 के दौरान, निम्नलिखित संस्थानों में चार नए वितरित सूचना उपकेन्द्रों के लिए वित्तीय स्वीकृति दे दी गई:

* इंजिनियरिंग कालेज, रायपुर, छत्तीसगढ़

* केन्द्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान, पोर्ट ब्लेयर, अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह

* टी.एम. भागलपुर विश्वविद्यालय, भागलपुर, बिहार

* बिड़ला प्रौद्योगिकी संस्थान, मेसरा, रांची, झारखंड

2005-06 के दौरान, जैव संसाधन तथा सतत विकास संस्थान (आईबीएसडी), इम्फाल, मणिपुर में एक और वितरित सूचना उप-केन्द्र की स्थापना का प्रस्ताव है।

(ङ) प्रत्येक नए वितरित सूचना उप-केन्द्र के लिए पहले वर्ष 28.70 लाख रुपये का आबंटन दिया गया और दसवीं योजनावधि के प्रत्येक पश्चवर्ती वर्षों में 8.70 लाख रुपये का आबंटन किया गया।

डाक घर बचत बैंक

***290. श्री हरिन पाठक:** क्या **सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) ग्रामीण क्षेत्रों में कितने डाक घर बचत बैंक कार्य कर रहे हैं;

(ख) ग्रामीण बचत में डाक घर बचत बैंकों की कितनी हिस्सेदारी है; और

(ग) सरकार डाक घर बचत बैंकों के माध्यम से ग्रामीण बचत को किस प्रकार प्रोत्साहित करना चाहती है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री दयानिधि मारन): (क) से (ग) ग्रामीण क्षेत्रों में 1,39,081 डाकघर कार्यरत हैं। ग्रामीण डाकघरों में से 1,38,529 डाकघरों में डाकघर बचत बैंक हैं। डाकघर बचत बैंकों का सर्किलवार ब्यौरा विवरण-I में दिया गया है।

ग्रामीण बचत में डाकघर बचत बैंक का औसत हिस्सा लगभग 55% है। यह आंकड़ा कुल 22 डाक सर्किलों में से 13 सर्किलों की प्रतिशतता के आंकड़ों के औसत पर आधारित है। ब्यौरा विवरण-II में दिया गया है।

ग्रामीण बचत निम्न माध्यमों से उपलब्ध कराई जा रही है:

(1) डाक सर्किलों को जमा राशियां जुटाने के लिए विशिष्ट लक्ष्य आवंटित किए जाते हैं जिनकी मानीटरिंग की जा रही है।

(2) ग्रामीण क्षेत्रों में लघु बचत अभियानों/मीडिया पोस्ट/स्थानीय दैनिकों/रेडियो/टीवी/पैंफलेट/ब्रोशर/स्थानीय डाक मेलों/कठपुतली खेलों/ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूली बच्चों के लिए 'बाल बचत योजना'/लघु बचत एजेंटों आदि के माध्यम से डाकघर बचत बैंक योजनाओं का व्यापक प्रचार किया जा रहा है।

(3) डाक कर्मचारियों, शाखा पोस्टमास्टरों, ग्रामीण डाक सेवकों को प्रोत्साहनात्मक बचत बैंक प्रशिक्षण दिया जा रहा है जिससे वे ग्रामीणों को डाकघर में उपलब्ध विभिन्न बचत योजनाओं की जानकारी दे सकें और निवेश के लिए उनका मार्गदर्शन कर सकें।

विवरण I

डाकघर बचत बैंकों की संख्या का सर्किलवार ब्यौरा (31-3-2003 की स्थिति के अनुसार)

क्र.सं.	सर्किल	ग्रामीण डाकघर	ग्रामीण क्षेत्रों में डाकघर बचत बैंकों का कार्य कर रहे डाकघरों की संख्या
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	14857	14845
2.	असम	3695	3695
3.	बिहार	8607	8607
4.	छत्तीसगढ़	5366	5366
5.	दिल्ली	80	80
6.	गुजरात	8234	8222
7.	हरियाणा	2327	2327
8.	हिमाचल प्रदेश	2655	2655
9.	जम्मू-कश्मीर	1492	1483
10.	झारखण्ड	2776	2772
11.	केरल	4195	4195
12.	कर्नाटक	8569	8569

1	2	3	4
13.	मध्य प्रदेश	5029	4995
14.	महाराष्ट्र	11472	11472
15.	उत्तर पूर्व	2756	2756
16.	उड़ीसा	7566	7566
17.	पंजाब	3437	3407
18.	राजस्थान	9648	9648
19.	तमिलनाडु	10205	10192
20.	उत्तर प्रदेश	15707	15191
21.	उत्तरांचल	2491	2479
22.	पश्चिम बंगाल	7917	7917
	कुल	1,39,081	1,38,529

विवरण II

ग्रामीण बचतों में डाकघर बचत बैंक के हिस्से का प्रतिशततावार आंकड़े

(13 सर्किलों के लिए दिसम्बर, 2004 की स्थिति के अनुसार)

क्र.सं.	सर्किल	कुल राज्य ग्रामीण बचतों में ग्रामीण डाक बचत (डाकघर बचत बैंक) की प्रतिशतता
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	28.6%
2.	असम	68%
3.	बिहार	–
4.	छत्तीसगढ़	30%
5.	दिल्ली	–
6.	गुजरात	66.80%
7.	हरियाणा	–
8.	हिमाचल प्रदेश	95.54%
9.	जम्मू-कश्मीर	34.99%
10.	झारखण्ड	–
11.	केरल	–
12.	कर्नाटक	65%
13.	मध्य प्रदेश	–
14.	महाराष्ट्र	–
15.	उत्तर पूर्व	91.51%
16.	उड़ीसा	60%
17.	पंजाब	40.60%
18.	राजस्थान	–
19.	तमिलनाडु	33.83%
20.	उत्तर प्रदेश	60%
21.	उत्तरांचल	40%
22.	पश्चिम बंगाल	–
	औसत प्रतिशतता	लगभग 55%

राष्ट्रीय जनसंख्या नीति, 2000

***291. श्रीमती भावना पुंडलिकराव गवली:** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राष्ट्रीय जनसंख्या नीति, 2000 के उद्देश्यों का ब्यौरा क्या है;

(ख) उच्च प्रजनन दर वाले राज्य कौन से हैं;

(ग) जनसंख्या के स्थिरीकरण हेतु सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं और अब तक इसमें कितनी सफलता मिली है;

(घ) जनसंख्या के स्थिरीकरण और जागरूकता कार्यक्रम में गैर-सरकारी संगठनों की क्या भूमिका है;

(ङ) इस संबंध में सहायता अनुदान प्राप्त करने हेतु सरकार से संबद्ध गैर-सरकारी संगठनों की संख्या कितनी है; और

(च) गत दो वर्षों के दौरान इन गैर-सरकारी संगठनों को कितनी धनराशि आबंटित की गई?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. अंबुमणि रामदास): (क) राष्ट्रीय जनसंख्या नीति, 2000 में प्रजनक स्वास्थ्य परिचर्या सेवाओं का लाभ उठाते समय नागरिकों की स्वैच्छिक तथा सोची-समझी पसंद एवं सहमति के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता की पुष्टि की गई है। इस नीति का मुख्य उद्देश्य गर्भनिरोधन, स्वास्थ्य परिचर्या अवसंरचना तथा स्वास्थ्य कार्मिक की अपूर्ण आवश्यकताओं पर ध्यान देना है तथा मूलभूत प्रजनक और बाल स्वास्थ्य परिचर्या के लिए समेकित सेवा प्रदानगी की व्यवस्था करना है ताकि 2045 तक स्थिर जनसंख्या का लक्ष्य हासिल करने हेतु 2010 तक कुल प्रजनन दर को प्रतिस्थापन स्तर पर लाया जा सके। इसके अतिरिक्त, इसमें 2010 तक शिशु मृत्यु दर को कम करके प्रति 1000 जीवित बच्चों के जन्म पर 30 से नीचे लाने; मातृ मृत्यु दर को प्रति 1,00,000 जीवित बच्चों के जन्म पर 100 से नीचे लाने; सभी वैक्सीन निवार्य रोगों के लिए बच्चों का व्यापक प्रतिरक्षण हासिल करने; 80 प्रतिशत संस्थागत प्रसव हासिल करने तथा 100 प्रतिशत सुरक्षित प्रसव हासिल करने का प्रयास किया गया है।

(ख) 9 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (तमिलनाडु, केरल, गोवा, नागालैंड, दिल्ली, पांडिचेरी, अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह, चंडीगढ़ तथा मिजोरम) ने पहले ही 2.1 अथवा उससे कम की वांछित कुल प्रजनन दर हासिल कर ली है। 11 राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों अर्थात (कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र पंजाब, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, अरूणाचल प्रदेश, लक्षद्वीप, दमण व दीव और सिक्किम) ने 3.0 से कम की कुल प्रजनन दर हासिल कर ली है। शेष 15 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में कुल प्रजनन दर 3 से अधिक है। ये हैं: असम, बिहार, छत्तीसगढ़ दादरा और नगर हवेली, झारखंड, गुजरात, हरियाणा जम्मू व कश्मीर, त्रिपुरा, मध्य प्रदेश, मेघालय, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल और उड़ीसा।

(ग) सरकार अनेक कार्यक्रमों और स्कीमों का क्रियान्वयन कर रही है जिनका उद्देश्य प्रजनक एवं बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अधीन मातृत्व और बाल स्वास्थ्य तथा गर्भनिरोधकों हेतु उच्च कोटि की सेवाएं प्रदान करके जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करना है। सरकार अधिकारप्राप्त कार्यसमूह (ईएजी) के जरिए जन-सांख्यिकीय रूप से कमजोर राज्यों की अपूर्ण आवश्यकताओं पर भी ध्यान दे रही है।

हाल ही में सरकार ने पूरे देश में एक राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन शुरू करने का निर्णय लिया है। इसमें व्यापक समेकित प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या सेवाओं की व्यवस्था हेतु असम, अरूणाचल प्रदेश, सिक्किम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, उड़ीसा, मेघालय, त्रिपुरा, बिहार, झारखंड, उत्तरांचल, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश और जम्मू एवं कश्मीर जैसे 18 राज्यों पर विशेष जोर दिया जाएगा।

देश के जनसांख्यिकीय सूचकांकों में सराहनीय उन्नयन हुआ है। कुल प्रजनन दर, जो वर्ष 1951 में 6 थी, कम होकर वर्ष 1999 में 3.2 हो गई है। नवजात मृत्यु-दर 1951 में 146 से कम होकर वर्ष 2002 में प्रति हजार जनसंख्या पर 64 हो गई है। मातृ मृत्यु दर, जो 1992 में 437 थी, वर्ष 1998 में घट कर प्रति लाख जीवित जन्मों पर 407 रह गई है। जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर 24.66% (1981-91) से कम होकर 1.93% (1991-2001) हो गई है।

(घ) गैर-सरकारी संगठन जनसंख्या स्थिरीकरण कार्यक्रमों के आयोजन में, विशेषतया कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए लोगों में जन-जागरूकता पैदा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। संशोधित दिशानिर्देशों के अंतर्गत गैर-सरकारी संगठनों को सेवा प्रदायगी, विशेषतया अल्पसेवित क्षेत्रों में, की व्यवस्था करने में शामिल किया जा रहा है ताकि सरकारी अवसंरचना और आउटरीच कार्यक्रम अनुपूरक तथा संपूरक किए जा सकें।

(ङ) और (च) मदर एनजीओ स्कीम, लिंग मुद्दे संबंधी परियोजनाओं, परिवर्तनकारी स्कीम और क्षेत्रीय संसाधन केन्द्रों के अंतर्गत वर्ष 2002-03 के दौरान 94 गैर-सरकारी संगठनों को लगभग 16.37 करोड़ रुपए तथा वर्ष 2003-04 के दौरान 76 गैर सरकारी संगठनों को लगभग 14.60 करोड़ रुपए की धनराशि दी गई।

कुष्ठ रोग की विद्यमानता-दर

***292. डा. एम. जगन्नाथ:** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि भारत में कुष्ठ रोग की विद्यमानता-दर वैश्विक स्तर पर इस रोग की विद्यमानता-दर से बदतर है जैसाकि 31 जनवरी, 2005 के "एशियन एज" में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस रोग के बारे में भारतीय लोगों में व्याप्त गलत धारणा को दूर करने हेतु उनमें जागरूकता पैदा करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. अंबुमणि रामदास): (क) से (ग) वैश्विक कुष्ठ व्याप्तता दर अब प्रति 10,000 जनसंख्या पर 0.8 रोगी है। भारत में जनवरी, 2005 में व्याप्तता दर प्रति 10,000 जनसंख्या पर 1.86 थी। अनंतिम व्याप्तता दर मार्च, 2005 में प्रति 10,000 जनसंख्या पर 1.76 थी।

वर्तमान में भारत सहित नौ देशों को अभी कुष्ठ उन्मूलन (प्रति 10,000 जनसंख्या पर 1 से कम की व्याप्तता दर) प्राप्त करनी है। ये देश अंगोला, ब्राजील मध्य अफ्रीकी गणराज्य, डी.आर.कांगो, भारत, मेडागास्कर, मोजाम्बिक, नेपाल और तंजानिया हैं। भारत दिसम्बर, 2005 तक कुष्ठ का उन्मूलन प्राप्त करने के लिए संतोषजनक ढंग से प्रगति कर रहा है। 20 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने पहले ही उन्मूलन हासिल कर लिया है और प्रति 1000 जनसंख्या पर 1 से 2 के बीच की व्याप्तता दर वाले 6 राज्य उन्मूलन प्राप्त करने के नजदीक हैं। कुष्ठ अब मुख्य रूप से बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल राज्यों में स्थानिकमारी है।

सूचना, शिक्षा एवं सम्प्रेषण राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम का एक जोरदार घटक है। कुष्ठ के तथ्यों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए समुचित संदेशों को जन प्रचार माध्यमों (कल्याणी कार्यक्रम सहित) पर प्रक्षेपित किया जाता है। परिधीय स्तर पर कुष्ठ पर सूचना, शिक्षा एवं सम्प्रेषण के लिए अन्तर-वैयक्तिक सम्प्रेषण पर बल दिया जाता है।

[हिन्दी]

डेंटल कालेजों में अनियमितताएं

***293. प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा:**
श्री निखिल कुमार:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में 11 डेंटल कालेजों में अचानक निरीक्षण किए जाने के दौरान सरकार के ध्यान में अनियमितताएं आई हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या डेंटल काउंसिल आफ इंडिया (डी.सी.आई.) ने सरकार से अगले पांच वर्षों तक नए डेंटल कालेजों की स्थापना करने पर प्रतिबंध लगाने का आग्रह किया है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या डी.सी.आई. में अनियमितताओं की जांच करने के लिए न्यायमूर्ति अनिल देव सिंह आयोग का गठन किया गया है;

(ङ) यदि हां, तो आयोग की सिफारिशों का ब्यौरा क्या है; और

(च) सरकार द्वारा उन सिफारिशों पर क्या कार्यवाही की गई है/करने का विचार है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. अंबुमणि रामदास): (क) से (च) भारतीय दन्त चिकित्सा परिषद द्वारा दी गई सूचना के अनुसार उसने दिसम्बर 2004 में देश भर में 11 दन्त चिकित्सा कालेजों का निरीक्षण किया है। निरीक्षण के दौरान शिक्षण कर्मचारियों और आधारभूत ढांचे संबंधी सुविधाओं के रूप में कुछ कमियां पाई गईं। भारतीय दंत चिकित्सा परिषद् ने इन मामलों में आगे की आवश्यक कार्रवाई आरम्भ कर दी है। इस मामले पर भारतीय दंत चिकित्सा परिषद् की कार्यकारी समिति विचार कर रही है।

वर्ष 2002 में दंत चिकित्सा परिषद् ने अलग से केन्द्रीय सरकार से सिफारिश की थी कि शिक्षण जनशक्ति की भारी कमी के कारण नए डेंटल कालेजों को खोलने पर रोक लगा दी जाए और मौजूदा कालेजों में अगले पांच वर्षों तक प्रवेश क्षमता बढ़ाई जाए। इन सिफारिशों की जांच करने के बाद सरकार का विचार था कि भारतीय दंत चिकित्सा परिषद् के प्रस्ताव के अनुसार पूर्ण प्रतिबन्ध लगाना व्यावहारिक नहीं होगा लेकिन नए डेंटल सीटों की अनुमति देने से पहले मानदण्डों का कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए।

केन्द्रीय सरकार ने वर्ष 1998 में भारतीय दंत चिकित्सा परिषद में तथाकथित अनियमितताओं की जांच करने के लिए दंत चिकित्सा अधिनियम, 1948 की धारा 54 के अंतर्गत न्यायमूर्ति अनिल देव सिंह आयोग का गठन किया था। आयोग ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। आयोग ने अन्य बातों के साथ-साथ यह सिफारिश की थी कि किसी व्यक्ति, प्राधिकारी अथवा किसी संस्था को नया डेंटल कालेज खोलने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमति दिए जाने से पहले बीडीएस पाठ्यक्रम के चार वर्ष तक के लिए अपेक्षित शिक्षकों की संख्या तथा आधारभूत सुविधा सहित वहां पूर्ण तंत्र स्थापित होना चाहिए। आयोग के एक सदस्य ने इस पर अपनी असहमति दर्ज की। इस रिपोर्ट पर मंत्रालय द्वारा विचार किया जा रहा है।

इस मंत्रालय द्वारा दो मुद्दों पर विस्तार से विचार करने के बाद व्यापक दृष्टिकोण अपनाया जाएगा।

स्पीड पोस्ट सेवा

***294. श्री सुशिल कुमार महतो:**
श्री वी.के. दुग्गर:

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 'स्पीड पोस्ट' जनता में लोकप्रिय नहीं हो पाई है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई समीक्षा की है अथवा अध्ययन कराया है;

(घ) सरकार द्वारा 'स्पीड पोस्ट' सेवा को और अधिक प्रभावी तथा कार्यकुशल बनाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ङ) सरकार को इस संबंध में कितनी सफलता प्राप्त हुई है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री दयानिधि मारन): (क) स्पीड-पोस्ट की लोकप्रियता बढ़ रही है जैसाकि डाक परियात तथा स्पीड-पोस्ट के राजस्व की वृद्धि से सिद्ध होता है। पिछले तीन वर्षों के आंकड़े निम्नांकित हैं:

वर्ष	परियात (लाख में)	राजस्व (करोड़ रु. में)
2001-02	527.97	196.53
2002-03	634.07	243.01
2003-04	826	298.35

(ख) उपर्युक्त (क) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ग) विभाग मासिक आधार पर स्पीड-पोस्ट के कार्य निष्पादन की समीक्षा करता है। उत्पाद को और अधिक लोकप्रिय बनाने के लिए प्रवृत्तियों का विश्लेषण किया जाता है और उपचारात्मक कार्रवाई की जाती है।

(घ) गत वर्षों से निशुल्क पिक-अप सुविधा, घर-घर तक डाक वितरण, इंटरनेट आधारित ट्रेक एवं ट्रेस, मात्रा आधारित छूट तथा क्रेडिट सुविधा जैसी विशेष सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। देर तक बुकिंग करने वाले बुकिंग काउंटरों और कार्यालयों की संख्या बढ़ाई गई है। इसके अलावा, स्पीड-पोस्ट के विपणन को बढ़ावा देने के लिए विशेष ध्यान दिया जाता है।

(ङ) विभाग स्पीड-पोस्ट के परियात एवं उससे अर्जित आय को बढ़ाने में सफल रहा है। पिछले तीन वर्षों के आंकड़े उपर्युक्त (क) में दिए गए हैं।

जी.एस.एल.वी. का प्रक्षेपण

***295. श्री हरिभाऊ राठौड़:**
श्री चन्द्रभूषण सिंह:

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार जी.एस.एल.वी. प्रक्षेपण की तीसरी परीक्षण उड़ान की तैयारी कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार वर्ष 2005-06 के दौरान अपने देश से ही एक उपग्रह का प्रक्षेपण करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या यह भी सच है कि 'नासा' भारत के अंतरिक्ष यान पर अपने वैज्ञानिक उपकरणों को रखने हेतु 'इसरो' के साथ बातचीत कर रहा है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री पृथ्वीराज चव्हाण): (क) जी हां।

(ख) जी.एस.एल.वी. की तीसरी परीक्षण उड़ान का प्रमोचन 2006 के दौरान किये जाने की योजना है। यह स्वदेशी रूप में विकसित क्रायोजेनिक ऊपरी चरण सहित एक विकासात्मक उड़ान (डी. 3) होगी।

(ग) जी, हां।

(घ) पी.एस.एल.वी. (सी. 6) का उपयोग करते हुए एक अव्यवसायी रेडियो संचार माइक्रो उपग्रह, हेमसैट, के साथ मानचित्रकला संबंधी उपयोगों के लिए एक सुदूर संवेदन उपग्रह कार्टोसैट-1 को श्रीहरिकोटा से अप्रैल/मई, 2005 में छोड़े जाने की योजना है। इनके अलावा, अन्तरिक्ष केप्सूल पुन: प्राप्ति परीक्षण (एस.आर.ई.) सहित कार्टोसैट-2 उपग्रह को भी इस वर्ष के दौरान पी.एस.एल.वी. द्वारा प्रमोचित किये जाने की योजना है।

(ङ) जी, हां।

(च) भारतीय चन्द्र मिशन चन्द्रयान-1 में नासा द्वारा समर्थित संयुक्त राज्य अमेरिका के दो वैज्ञानिक परीक्षणों को भेजे जाने की संभावना के संबंध में बातचीत हुई है।

प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में वृद्धि

***296. श्री राजेश पाठक:** क्या **सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को विभिन्न संगठनों और राजनीतिक दलों से दूरसंचार क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा में वृद्धि का विरोध करने वाले ज्ञापन/अनुरोध प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री दयानिधि मारन): (क) जी, हां।

(ख) कुछ संसद सदस्यों, राजनीतिक दलों और अन्य संगठनों ने सरकार के दूरसंचार के क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) को 49 प्रतिशत से बढ़ाकर 74 प्रतिशत तक किए जाने के प्रस्ताव पर चिंता व्यक्त की है। उपरोक्त के द्वारा उठाए गए मुख्य मुद्दे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम (एनसीएमपी) में यह घोषणा की गई है कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को प्रोत्साहन देना जारी रखा जाएगा और विशेषकर अवसंरचना, उच्च प्रौद्योगिकी तथा निर्यात के क्षेत्रों में इसे सक्रियता से बढ़ावा दिया जाएगा। दूरसंचार क्षेत्र इस कार्य को पूरा कर सकता है और तदनुसार इससे जुड़े मुद्दों का समुचित ढंग से निराकरण करने के बाद प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा को 49 प्रतिशत से बढ़ाकर 74 प्रतिशत तक करने का निर्णय लिया गया है।

विवरण

दूरसंचार क्षेत्र में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की अधिकतम सीमा को 49 प्रतिशत से बढ़ाकर 74 प्रतिशत तक करने के प्रस्ताव पर उठाए गए मुख्य मुद्दे

(क) चूंकि प्राय: सभी सरकारी संचार व्यवस्था सार्वजनिक दूरसंचार नेटवर्क के माध्यम से होती है अत: सार्वजनिक दूरसंचार नेटवर्क के एक हिस्से को विदेशी स्वामित्व प्रदान करना एक अवांछनीय जोखिम को उठाना होगा।

(ख) संयुक्त राज्य अमेरिका सहित अनेक देश विदेशी कंपनियों में अधिकांश शेयर धारिता की अनुमति नहीं देते। संयुक्त राज्य अमेरिका में सभी रेडियो लाइसेंसों (सेल्युलर सहित) के लिए प्रत्यक्ष स्वामित्व की सीमा अभी भी 20% है।

(ग) विगत में सुरक्षा एजेंसियों ने विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) की अधिकतम सीमा में वृद्धि के प्रस्ताव का विरोध किया था। ये आपत्तियां उन सुरक्षा हितों के अनुसार हैं जिन्हें अधिकांश देश व्यक्त करते हैं और इसी कारण सुरक्षा हितों को ध्यान में रखते हुए इस क्षेत्र के प्राय: सभी देशों में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश पर इसी प्रकार की अधिकतम सीमाएं हैं।

(घ) विदेशी प्रत्यक्ष निवेश और दूरसंचार विकास परस्पर संबंधित नहीं हैं और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम सहित अग्रणी भारतीय आपरेटरों के पास उपलब्ध सुरक्षित और अतिरिक्त संसाधनों का उपयोग नेटवर्क का विस्तार करने के लिए किया जा सकता है।

(ङ) भारत में हच और सिंगटेल जैसी कंपनियों ने सेल्युलर सेवाएं प्रदान करने वाली कंपनियों में प्रत्यक्षत: या अप्रत्यक्षत: 49% से अधिक का निवेश किया है और इस तरह पिछले दरवाजे से नियंत्रण प्राप्त कर रही हैं। सरकार विदेशी कंपनियों द्वारा सरकार विरोधी नीतियों को वैधता प्रदान नहीं कर सकती और ऐसी सभी प्रतिबंधों को हटा कर उन्हें लाभ नहीं पहुंचा सकती।

(च) चीन 2007 तक विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की अधिकतम सीमा को 49% तक बढ़ाने पर सहमत हो गया है। वह विदेशों के स्टाक बाजारों में पब्लिक इश्यू का रास्ता अपना रहा है, जिससे कि यह सुनिश्चित किया जा सके कि विदेशी इक्विटी का वितरण इतनी कम मात्रा में हो कि नियंत्रण की कोई गंभीर समस्या पैदा न हो।

[अनुवाद]

अनिवासी भारतीय दुल्हनों को त्यागना

***297. श्री सुव्रत बोस:**
श्री हितेन बर्मन:

क्या **प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि बहुत से अनिवासी भारतीय पति भारत में अपनी पत्नियों को छोड़ रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का इस मामले में ठोस कदम उठाने का विचार है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस मामले में अब तक क्या प्रगति हुई है;

(ङ) पिछले एक वर्ष के दौरान इस सम्बन्ध में राज्य-वार प्रकाश में आए मामलों की संख्या का ब्यौरा क्या है;

(च) प्रकाश में आए प्रत्येक मामले में क्या कार्यवाही की गई है;

(छ) क्या हाल ही में ब्रिटेन में प्रवेश दिलाने के लिए कार्यरत शादी करवाने वाले एक कथित गिरोह का भण्डाफोड़ किया गया है; और

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन अभागी लड़कियों को आवश्यक सहायता प्रदान करने के लिए किन प्रभावी उपायों पर विचार किया गया है?

प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर): (क) और (ख) कुछ मामले सरकार के ध्यान में लाए गए हैं।

(ग) और (घ) अभी तक की गई कार्रवाई में राज्य सरकारों से उपचारी उपाय करने का अनुरोध है, जिसमें प्रत्याशित वधुओं के लिए मुफ्त विधिक परामर्श प्रदान देने हेतु अलग प्रकोष्ठ बनाना शामिल है। भारत के राजनयिक मिशन ऐसे मामलों में सभी सहायता प्रदान करते हैं।

(ङ) और (च) पश्चिम बंगाल, हरियाणा, महाराष्ट्र, आन्ध्र प्रदेश और पंजाब प्रत्येक से एक मामला और दिल्ली से तीन मामले मंत्रालय के ध्यान में लाए गए हैं। इनमें से, आन्ध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल के मामले और दिल्ली का एक मामला न्यायाधीन हैं। दिल्ली के दो मामले और हरियाणा का एक मामला कोंसली प्रकृति के हैं। पंजाब के एक मामले में संगत ब्यौरा मांगा गया है।

(छ) और (ज) जी हां, मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार, जाली विवाह कराने वालों के बीस जाली भारतीय वधुओं, तीन पतियों तथा एक यथार्थ रूप से विवाहित दम्पति के मामलों में मुकदमे चलाए जाए और भारतीय मूल के पासपोर्ट धारकों को, जो यू.के. तथा ब्रिटिश में प्रवेश पाने के इच्छुक हैं, के लिए प्रलाभी विवाह व्यापार करने के लिए कुल 35 वर्षों की सजा दी गई। रिपोर्ट में यह भी उल्लेख कि 2000 से आरम्भ तीन वर्ष की अवधि में कुछ जाली विवाह ब्रिटेन में हुए हैं, जबकि अन्य भारत में हुए हैं।

[हिन्दी]

भारत को परम अनुगृहीत राष्ट्र का दर्जा

***298. श्री राजीव रंजन सिंह "ललन":**
श्री रामजीलाल सुमन:

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या व्यापार बढ़ाने के उद्देश्य से भारत ने पाकिस्तान से यह अनुरोध किया है कि वह उसे परम अनुगृहीत राष्ट्र (एम.एफ.एन.) का दर्जा दे;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में पाकिस्तान ने क्या निर्णय लिया है; और

(घ) इस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (राव इन्द्रजीत सिंह): (क) से (घ) भारत को पाकिस्तान के द्वारा सर्वाधिक अनुकूल राष्ट्र का दर्जा दिए जाने का मामला पाकिस्तान के साथ बार-बार उठाया गया है।

पाकिस्तान ने विश्व व्यापार संगठन के अंतर्गत निहित बाध्यताओं के बावजूद भारत को अभी तक सर्वाधिक अनुकूल राष्ट्र का दर्जा प्रदान नहीं किया है, और इसके लिए असंगत राजनीतिक तथा अन्य कारणों का उल्लेख किया है।

सरकार ने भारत को सर्वाधिक अनुकूल राष्ट्र का दर्जा प्रदान करने की पाकिस्तान की बाध्यताओं, और कि यह कार्रवाई द्विपक्षीय और क्षेत्रीय आर्थिक सहयोग को सुधारने, तथा व्यापार एवं आर्थिक संबंधों को सामान्य बनाने की पाकिस्तान की इच्छा के सूचक का कार्य करेगी, की ओर पाकिस्तान का ध्यान आकर्षित किया है।

20-वर्षीय सड़क विकास योजना

***299. श्री गिरिधारी यादव:**
श्री एम. अंजनकुमार यादव:

क्या **पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने 20-वर्षीय सड़क विकास योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है;

(ग) इस प्रयोजनार्थ मांगी गई विदेशी सहायता सहित उक्त योजना को पूरा करने के लिए धनराशि उपलब्ध कराने के लिए क्या उपबंध किए गए हैं;

(घ) तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(ङ) इस योजना के तहत क्या कार्य किए जाएंगे?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री (श्री टी.आर. बालू): (क) और (ख) मंत्रालय ने सन् 2001 में भारतीय सड़क कांग्रेस के माध्यम से 20 वर्ष (2001-2021) की अवधि के लिए "सड़क विकास योजना परिदृश्य: 2021" तैयार

किया था। यह दस्तावेज सभी श्रेणी की सड़कों अर्थात् राष्ट्रीय राजमार्गों, राज्यीय राजमार्गों, प्रमुख जिला सड़कों और ग्रामीण सड़कों के विकास और अनुरक्षण के लिए अगले 20 वर्ष का परिदृश्य प्रदान करता है। शहरी सड़कें तथा विशेष आवश्यकता जैसे पर्यटन, वानिकी, खनन और औद्योगिक क्षेत्र को पूरा करने वाली सड़कों पर भी विचार किया गया है। राजमार्ग क्षेत्र और राजमार्ग सुरक्षा के लिए अनुसंधान और विकास, संसाधन संग्रहण, क्षमता निर्माण और मानव संसाधन विकास, गुणता व्यवस्था, पर्यावरण और ऊर्जा को भी इस दस्तावेज में शामिल किया गया है जो योजना तैयार करने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों को महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश प्रदान करता है।

(ग) और (घ) भारत सरकार, पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से ही राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास करती है और धनराशि आबंटित करती है। केंद्रीय क्षेत्र की सड़कों के लिए अनुमोदित दसवीं पंचवर्षीय योजना (2002-07) परिव्यय 59,490 करोड़ रु. है जिसमें विदेशी सहायता से प्राप्त 13990.50 करोड़ रु. भी शामिल हैं। इसके ब्योरे विवरण-I में दिए गए हैं।

(ङ) दसवीं योजना के दौरान राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के अंतर्गत 64,639 करोड़ रु. की अनुमानित लागत से लगभग 14279 कि.मी. राष्ट्रीय राजमार्गों को 4/6 लेन का बनाने के कार्य को पूरा करने को प्राथमिकता दी गई। इसे दिसंबर, 2007 तक पूरा करने का लक्ष्य है। राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना से भिन्न खंडों के लिए निष्पादन लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं जो विवरण-II में दिए गए हैं।

विवरण I

केंद्रीय क्षेत्र की सड़कों के लिए सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग के 10वीं योजना (2002-07) परिव्यय का स्कीमवार विवरण

क्र.सं.	स्कीम/योजना/कार्यक्रम का नाम	10वीं योजना (2002-07) का अनुमोदित परिव्यय
1.	भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (विदेशी सहायता प्राप्त परियोजना)	10790.50
2.	सड़क पक्ष (विदेशी सहायता प्राप्त)	3200.00
3.	राष्ट्रीय राजमार्ग (मूल)	8664.00
4.	सीमा सड़क विकास बोर्ड	950.00
5.	अन्य प्रभार (घरेलू यात्रा व प्रचार आदि)	20.00
6.	सूचना प्रौद्योगिकी का विकास	20.00
7.	सड़क पक्ष/बीआरडीबी के तहत सामरिक सड़कें	50.00
8.	अनुसंधान और विकास तथा योजना अध्ययन	20.00
9.	विश्व बैंक के तहत प्रशिक्षण व अन्य प्रशिक्षण	10.50
10.	मशीनरी	15.00
11.	प्रभारित व्यय	50.00
12.	केंद्रीय सड़क निधि से एनएचएआई में निवेश	10500.00
13.	राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में केंद्रीय सड़क निधि से अंतर्राज्यीय संपर्क और आर्थिक महत्व की सड़कें	500.00
	उप जोड़ (1 से 13)	34790.00
14.	एनएचएआई [आंतरिक और बजटेतर संसाधन (आईईबीआर)]	24700.00
	जोड़	59490.00

विवरण II

एन एच डी पी से भिन्न राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास के लिए 10वीं योजना (2002-07) हेतु अनुमोदित निष्पादन लक्ष्य

क्र.सं.	मद	निष्पादन लक्ष्य (कि.मी./सं.)
1.	4/6 लेन बनाना (कि.मी.)	800
2.	2 लेन बनाना (कि.मी.)	4000
3.	सुदृढ़ीकरण (कि.मी.)	2000
4.	सड़क गुणता सुधार (कि.मी.)	10000
5.	बाइपास (सं.)	25
6.	पुल (सं.)	100
7.	पुलों की मरम्मत (सं.)	200
8.	आर ओ बी/आर यू बी	एलएस
9.	मार्गस्थ सुविधाएं	एलएस
10.	एक्सप्रैस मार्ग भूमि अधिग्रहण (कि.मी.)	1000
11.	राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क का विस्तार (कि.मी.)	2000

[अनुवाद]

संयुक्त राष्ट्र की जनसंख्या संबंधी रिपोर्ट

***300. श्री उदय सिंह:**
श्री मधु गौड यास्खी:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या प्रभाग ने हाल ही में यह भविष्यवाणी की है कि भारत की जनसंख्या वर्ष 2050 तक चीन की जनसंख्या को पार कर सकती है;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार का विचार राज्य सरकारों से परामर्श करके जनसंख्या विस्फोट को रोकने हेतु एक नयी रणनीति तैयार करने की है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. अंबुमणि रामदास): (क) जी, हां। "वर्ल्ड पापुलेशन प्रास्पेक्ट्स द 2004 रिवीजन हाइलाईट्स" नामक शीर्षक को प्रकाशित संयुक्त राष्ट्र प्रकाशन के अनुसार वर्ष 2050 में भारत और चीन की अनुमानित जनसंख्या क्रमश: 159.3 करोड़ और 139.2 करोड़ है।

(ख) और (ग) सरकार जनसंख्या स्थिरीकरण का लक्ष्य प्राप्त करने पर जोर दे रही है और इसके समानान्तर ही प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत मातृ तथा बाल स्वास्थ्य और गर्भ निरोधन से जुड़ी समस्याओं को भी हल कर रही है। सरकार जनांकिकीय दृष्टि से कमजोर राज्यों पर विशेष ध्यान केन्द्रित करते हुए राष्ट्रीय जनसंख्या नीति, 2000 में अपनाए गए परिवार नियोजन के स्वैच्छिक दृष्टिकोण को बढ़ावा देने हेतु समर्पित है।

सरकार ने हाल ही में सारे देश में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (2005-12) शुरू करने का निर्णय लिया है जिसके अंतर्गत उन 18 राज्यों, जहां या तो कमजोर सामाजिक-जनांकिकीय सूचक हैं अथवा अपर्याप्त प्राथमिक स्वास्थ्य ढांचा है अथवा ये दोनों स्थितियां हैं, पर विशेष ध्यान दिया जाना है। इन राज्यों में 8 ईएजी राज्य (उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान, उड़ीसा, झारखण्ड, उत्तरांचल, छत्तीसगढ़) 8 पूर्वोत्तर राज्य (असम, अरूणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड, मेघालय, मिजोरम, सिक्किम, त्रिपुरा), हिमाचल प्रदेश और जम्मू व कश्मीर शामिल हैं। इस मिशन का उद्देश्य विशेष रूप से समाज के निर्धन एवं अल्पसेवित वर्गों को एकीकृत व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या सेवाएं प्रदान करना है। राज्यों से विचार-विमर्श करके मिशन की कार्यनीति तैयार कर ली गई है। इसका लक्ष्य पंचायतीराज संस्थाओं और समुदाय की भूमिका को बढ़ाकर जिला स्तरों तक विकेन्द्रीकरण करके, मान्यता प्राप्त महिला सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं (आशा) के काडर के जरिए ग्रामीण स्तर पर अन्तर एवं अन्त:क्षेत्रीय आमेलन करके, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों का भारतीय जन स्वास्थ्य मानकों के अनुरूप दर्जा बढ़ाकर और बहु स्वास्थ्य बीमा माडलों को बढ़ावा देकर जन स्वास्थ्य ढांचे को सुदृढ़ करना और गुणवत्ता वाली सेवा के लिए इसकी जवाबदेही तय करना है। यह मिशन प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य-2 और राष्ट्रीय रोग नियंत्रण कार्यक्रम के विभिन्न (वर्टीकल) कार्यक्रमों को समन्वित करना चाहता है। प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम (2005-10) के चरण-2 के अंतर्गत राज्यों ने अपनी विशिष्ट अपूरित आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए राज्य कार्रवाई योजना तैयार की है जिसमें संस्थागत प्रसव, सार्वजनिक रोग प्रतिरक्षण, गुणवत्ता वाले गर्भ निरोधक और एकीकृत रेफरल परिचर्या के लिए बेहतर सुविधाओं पर जोर दिया जाएगा।

[हिन्दी]

विदेशों में एस.आई.सी.एल. प्रतिनिधि कार्यालयों की स्थापना

3051. श्री प्रभुनाथ सिंह: क्या **लघु उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या लघु उद्योग निगम लिमिटेड (एस.आई.सी.एल.) ने व्यापार के उचित आकलन के बिना विदेश में प्रतिनिधि कार्यालयों की स्थापना की थी जिसमें इसे बहुत आय वाले व्यापार सृजन की आशा थी परन्तु करोड़ों रुपए का निष्फल व्यय करना पड़ा रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में जिम्मेदारी निर्धारित करने के लिए मामले की जांच की गई थी;

(ग) यदि हां, तो इस पर की गई कार्रवाई का ब्योरा क्या है; और

(घ) प्रतिनिधि कार्यालयों के प्रयास से सृजित व्यापार का ब्यौरा क्या है?

लघु उद्योग मंत्री तथा कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री (श्री महावीर प्रसाद): (क) इस मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत, राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लि. (एनएसआईसी), सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम ने, भारतीय रिजर्व बैंक और एनएसआईसी के निदेशक मंडल के अनुमोदन से दिसम्बर, 1995 और सितम्बर, 1996 में क्रमश: जोहेनसबर्ग, दक्षिण अफ्रीका और दुबई, संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) में लघु विदेश कार्यालयों की स्थापना की थी। ये दोनों कार्यालय इन देशों/क्षेत्रों में भारतीय लघु उद्यमों द्वारा प्रयुक्त लघु औद्योगिक परियोजनाओं की प्रौद्योगिकी संबंधी सूचना के प्रसार, भारत के लघु क्षेत्र में उत्पादित मशीनरी और उपकरणों का प्रदर्शन करने तथा भारत और दक्षिण अफ्रीका/यूएई के बीच उद्यम से उद्यम, संस्थान से संस्थान स्तर के सहयोग को बढ़ाने, जैसा भी मामला हो, के लिए स्थापित किए गए हैं। जोहेनसबर्ग का कार्यालय, भारत से उत्पादों तथा परियोजनाओं दोनों के लिए व्यापार का सृजन करने में मदद करने के लिए उपर्युक्त उद्देश्यों के साथ गैर-व्यापारिक कार्यालय के रूप में कार्य कर रहा है। दुबई कार्यालय के उपरोक्त उल्लिखित संवर्धनात्मक कार्यकलापों के अतिरिक्त, अपने निजी वाणिज्यिक कार्यकलाप भी हैं। यद्यपि ये कार्यालय अभी तक स्व-धारणीय नहीं बन पाए हैं, तथापि इन्होंने संवर्धनात्मक उद्देश्य, जिनके लिए इनकी स्थापना की गई थी, काफी हद तक पूरे किए हैं। एनएसआईसी द्वारा इन दोनों कार्यालयों के कार्यनिष्पादन की नियमित समीक्षा की जाती है। दक्षिण अफ्रीका में भारतीय उच्चायुक्त और यू.ए.ई. में भारतीय राजदूत ने इन कार्यालयों को जारी रखने की प्रबल सिफारिश की है।

(ख) उपरोक्त भाग (क) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ग) भाग (ख) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(घ) इन दो विदेशी कार्यालयों द्वारा सृजित व्यापार निम्नोक्त हैं:

वर्ष	जोहेनसबर्ग कार्यालय सृजित व्यापार (अमरीकी डालर)	दुबई कार्यालय सृजित व्यापार (अमरीकी डालर)
2002-03	5,487	78,260
2003-04	2,48,207	98,956
2004-05 (फरवरी, 2005 तक)	82,409	7,62,895

भ्रष्टाचार निरोधक संधि

3052. श्री रघुवीर सिंह कौशल: क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन "ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल" (टी.आई.) विभिन्न देशों में व्याप्त भ्रष्टाचार पर अपनी नजर रखता है और यह भ्रष्टाचार सूचकांक सहित प्रत्येक वर्ष भ्रष्ट देशों की सूची प्रकाशित करता है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान भारत सहित एशियाई देशों में व्याप्त भ्रष्टाचार की स्थिति क्या है;

(ग) क्या संयुक्त राष्ट्र महासभा ने कोई भ्रष्टाचार निरोधक संधि पारित की है और उक्त संधि के प्रावधान सदस्य देशों के लिए बाध्यकारी हैं;

(घ) यदि हां, तो क्या भारत ने उक्त संधि पर हस्ताक्षर किए हैं और इसके बाध्यकारी प्रावधानों को कार्यान्वित किया है; और

(ङ) यदि हां, तो संधि का ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश पचौरी): (क) और (ख) बर्लिन स्थित ट्रांसपेरेन्सी इण्टरनेशनल नामक संगठन ने भ्रष्टाचार अवबोध सूचकांक सहित भ्रष्ट देशों की एक सूची जारी की है। इस संगठन ने वर्ष 2002, 2003 और 2004

के दौरान भारत को भ्रष्ट देशों की सूची में क्रमश: 102 देशों की सूची में 71वां, 133 देशों की सूची में 83वां और 145 देशों की सूची में 90वां स्थान दिया है।

(ग) संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 31 अक्तूबर, 2003 को भ्रष्टाचार के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन अंगीकार किया। यह कन्वेंशन अनुसमर्थन के 30वें लिखित के जमा होने की तारीख के बाद नब्बेवें दिन से लागू होगा। आज तक कन्वेंशन को 19 अनुसमर्थन प्राप्त हुए हैं और इसलिए अभी तक यह लागू नहीं हो पाया है। भ्रष्टाचार के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन इसके सभी पक्षकार देशों पर बाध्यकारी होगा।

(घ) और (ङ) जी, नहीं।

[अनुवाद]

बंगलौर में अनुसंधान सुविधाएं

3053. श्री इकबाल अहमद सरडगी: क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत में स्थित माइक्रोसाफ्ट अनुसंधान केन्द्र ने बंगलौर में अपनी अनुसंधान सुविधा शुरू की है जो कि अमरीका के बाहर कंपनी का तीसरा अनुसंधान केन्द्र है;

(ख) क्या सरकार और केन्द्र के एम.एस.आर.आई. निदेशक ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी में भागीदारी के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या बंगलौर की प्रयोगशाला दीर्घावधिक मूल और अनुप्रयुक्त अनुसंधान आयोजित करेगा; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा महासागर विकास विभाग के राज्य मंत्री (श्री कपिल सिब्बल): (क) जी, हां।

(ख) विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी अनुसंधान परियोजनाओं में भागीदारी के लिए 12 जनवरी 2005 को मेसर्स माइक्रोसाफ्ट रिसर्च लैब इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के साथ एक समझौता ज्ञापन (एम ओ यू) पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

(ग) जी, हां।

(घ) यह केवल एक समझौता ज्ञापन है और अभी तक ऐसे कोई ब्यौरे तैयार नहीं किये गये हैं।

स्वायत्त परिषद के लिए निधि

3054. श्री छेवांग थुपस्तन: क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान पूर्वोत्तर क्षेत्र में दार्जिलिंग पर्वतीय विकास परिषद और अन्य स्वायत्त परिषदों को आबंटित धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(ख) लेह और करगिल के लद्दाख स्वायत्त पर्वतीय विकास परिषद को आबंटित धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार बुनियादी विकास के लिए जम्मू-कश्मीर राज्य में उक्त परिषदों को विशेष वित्तीय सहायता प्रदान करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. राजशेखरन): (क) दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान दार्जिलिंग पर्वतीय विकास परिषद और पूर्वोत्तर क्षेत्र की अन्य स्वायत्त परिषदों को विशिष्ट रूप से कोई केन्द्रीय सहायता आबंटित नहीं की गई है।

(ख) से (घ) जम्मू और कश्मीर की पुनर्निर्माण योजना में स्वायत्त पर्वतीय विकास परिषद लेह और करगिल के लिए अनुदान के रूप में क्रमश: 20 करोड़ और 40 करोड़ रु. की केन्द्रीय सहायता के आबंटन का प्रावधान शामिल है। इनमें से, अवसंरचना सुविधाओं के निर्माण हेतु वार्षिक योजना 2004-05 के दौरान करगिल की लद्दाख पर्वतीय विकास परिषद को 10 करोड़ रु. की केन्द्रीय सहायता आबंटित की गई है।

भोपाल में कार्बाइड संयंत्र के बारे में आई.सी.एम.आर. की रिपोर्ट

3055. श्री टी.के. हमजा: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भोपाल में यूनियन कार्बाइड प्लांट से गैस रिसाव के बारे में भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (आई.सी.एम.आर.) की पहली तकनीकी रिपोर्ट हाल ही में प्रस्तुत कर दी गी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त रिपोर्ट पर क्या कार्रवाई की गई या किए जाने का प्रस्ताव है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) से (ग) भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने जनसंख्या आधारित दीर्घकालिक जानपदिक विज्ञानी अध्ययनों "भोपाल में यूनियन कार्बाइड मिथाइल आसोसाइनेट संयंत्र से विषैली गैस रिसाव का स्वास्थ्य पर प्रभाव" से संबंधित एक तकनीकी रिपोर्ट प्रकाशित की है। यह रिपोर्ट भोपाल गैस त्रासदी के पीड़ितों के स्वास्थ्य के खतरों पर और आगे अनुसंधान की आवश्यकता के लिए कार्यनीति तैयार करने में स्थानीय वैज्ञानिकों को मदद देती है। इस रिपोर्ट की भारत सरकार के रसायन एवं पेट्रो-रसायन विभाग, जो इन पीड़ितों के लिए राहत संबंधी पहलुओं पर काम करने वाला नोडल विभाग है, द्वारा जांच की गई है। इस विभाग ने उपर्युक्त कार्रवाई करने हेतु अन्य बातों के साथ-साथ, मध्य प्रदेश राज्य सरकार जो भोपाल गैस पीड़ितों को चिकित्सा राहत प्रदान करने के लिए प्रत्यक्ष रूप से जिम्मेवार है, को आई.सी.एम.आर. रिपोर्ट की प्रति अग्रसारित करके कदम उठाए हैं।

विदेशी मेडिकल डिग्रियों को मान्यता

3056. श्री जुएल ओराम: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कुछ विदेशी मेडिकल डिग्रियां भारतीय चिकित्सा परिषद (एम.सी.आई.) द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इसके क्या कारण हैं; और

(घ) उन भारतीय विद्यार्थियों के हितों की रक्षा हेतु क्या कदम उठाए गए हैं जिन्होंने रूस में चिकित्सा शिक्षा प्राप्त की है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) से (घ) भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद (संशोधन) अधिनियम, 2001 तथा इसके तहत बनाए गए स्क्रीनिंग टेस्ट विनियमावली, 2002 के लागू होने के साथ ही भारत के बाहर के चिकित्सा संस्थान द्वारा प्रदत्त प्राथमिक चिकित्सा अर्हताधारी कोई भी भारतीय नागरिक को, जो भारत में मेडिसन की प्रैक्टिस के लिए अस्थायी अथवा स्थायी रूप से पंजीकृत होने का इच्छुक हो, इस प्रयोजन से निर्धारित स्क्रीनिंग टैस्ट में अर्हता प्राप्त करनी होगी। यदि किसी व्यक्ति के पास विदेश द्वारा प्रदत्त प्राथमिक चिकित्सा की डिग्री है तो उसे उस देश में मेडिकल प्रैक्टिस के रूप में नामांकन के लिए मान्यताप्राप्त अर्हता माना जाएगा जिस देश में चिकित्सा संस्थान स्थित है। उपर्युक्त विनियमों के अनुसार जिन भारतीय विद्यार्थियों ने रूस देश से चिकित्सा की उपाधि प्राप्त की है, वे भी भारत में मेडिसन की प्रैक्टिस हेतु पंजीकृत होने के पात्र हैं, बशर्ते उन्होंने स्क्रीनिंग टैस्ट में अर्हता प्राप्त की हो।

साझा दूरसंचार अवसंरचना

3057. श्री सुबोध मोहिते: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने केन्द्र और राज्य सरकारों के सभी विभागों द्वारा उपयोग हेतु साझा दूरसंचार अवसंरचना गठित की योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) राज्य सरकारों द्वारा ई-गवर्नेंस को प्रोत्साहित करने हेतु क्या उपाय किए जाने का प्रस्ताव है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) सरकार ने प्रत्येक राज्य/संघ शासित क्षेत्रों में ब्लाक स्तर तक स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क (एसडब्ल्यूएएन) संस्थापित करने के लिए दिशा-निर्देश जारी किया है। एनआईसीएनईटी (निकनेट) सहित ये एसडब्ल्यूएएन, विभिन्न केन्द्रीय मंत्रालय/विभाग तथा राज्य सरकार के उपयोग हेतु मुख्य सामान्य अवसंरचना (कोर कामन इन्फ्रास्ट्रक्चर) के रूप में काम करेंगे।

(ख) (1) इस दिशा-निर्देश का उद्देश्य राज्य मुख्यालयों से ब्लाक स्तर तक 2 एमबीपीएस की न्यूनतम बैंडविड्थ क्षमता वाले एसडब्ल्यूएएन संस्थापित करने के लिए राज्य सरकार को सहायता प्रदान करना है। इन नेटवर्कों को उपयुक्त इंटरफेसों के जरिए निकनेट से जोड़ा जाएगा।

(2) नीति के अंतर्गत किसी राज्य के वित्त पोषण की पात्रता के लिए उस राज्य को राज्य-वार ऐसे तीन मुख्य "ई-गवर्नेंस" परियोजनाओं का कार्यान्वयन करना चाहिए जिसमें इस प्रकार की कनैक्टिविटी आवश्यक हो। इन परियोजनाओं में से कम से कम एक परियोजना का पूरे राज्य में पूरी तरह से कार्यान्वयन (राल आउट) होना चाहिए।

(3) नीति के अनुसार, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग 5 वर्ष से अधिक तक नेटवर्क के पूंजीगत तथा प्रचालनात्मक लागतों को पूरा करेगा। संबंधित राज्यों को नेटवर्क, वास्तविक स्थल के लिए अपेक्षित बैंडविड्थ/ट्रांसपोडर अभिगम लागत तथा इससे संबंधित अन्य सभी आवर्ती लागतों का वहन करना होगा।

(4) राज्य राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र के माध्यम से अथवा अपने द्वारा चयनित किसी अन्य एजेंसी के माध्यम से एसडब्ल्यूएएन के कार्यान्वयन का विकल्प ले सकता है।

(5) राज्य सरकार को सुरक्षा, मानकीकरण, इंटर-ओपरेबिलिटी तथा निकनेट और स्टेड वाइड एरिया नेटवर्क के बीच इंटरकनैक्ट अपेक्षाओं से संबंधित दिशा-निर्देशों का पालन करना चाहिए।

(ग) (1) सूचना प्रौद्योगिकी विभाग राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र के माध्यम से इंटरनेट, ई-मेल, फाइल अंतरण, डाटाबेस विकास, ई-गवर्नैंस अनुप्रयोग विकास, वेब-हास्टिंग और अभिगम के लिए देश के विभिन्न केन्द्रीय सरकार के विभागों, राज्यों, संघ शासित क्षेत्रों और जिला प्रशासनों को बैक बोन ई-गवर्नैंस नेटवर्क तथा तकनीकी सहायता प्रदान कर रहा है।

(2) राज्यों को ई-गवर्नैंस परियोजनाओं का प्रबन्ध करने के लिए अपनी आंतरिक क्षमता का विकास करने और सामान्य मुख्य अवसंरचना (कामन कोर इन्फ्रास्ट्रक्चर) नामक: एसडब्ल्यूएएन, स्टेट डाटा सेंटर तथा कामन सर्विसेज सेंटर संस्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है ताकि ई-गवर्नैंस अनुप्रयोगों से संबंधित विविध कार्य किए जा सकें।

दवाओं की खरीद में धोखाधड़ी

3058. श्री रघुनाथ झा: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** दवाओं की खरीद में धोखाधड़ी के बारे में 25.8.2004 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4178 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सी.बी.आई. की जांच रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई/किए जाने का प्रस्ताव है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान में शिक्षण माध्यम

3059. श्री बालेश्वर यादव: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान में आयोजित की जा रही कक्षाओं में शिक्षण का माध्यम हिंदी है;

(ख) क्या इस संस्थान में पत्राचार सूचना पट्ट पर लगाई जा रही सूचनाओं, सुझाव आमंत्रित करने आदि में प्रयोग की जाने वाली भाषा केवल अंग्रेजी है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार योग प्रशिक्षण अंग्रेजी भाषा में भी दिए जाने का है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान द्वारा चलाई जा रही योग कक्षाओं के शिक्षण हिंदी में दिए जाते हैं। छात्रों/साधकों की सहूलियत के ख्याल से अंग्रेजी में भी आवश्यकतानुसार शिक्षण दिए जाते हैं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) योग प्रशिक्षण के विद्यमान माध्यम को बदलने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है। इसकी व्यवस्था संतोषप्रद प्रतीत होती है।

[अनुवाद]

सबरीमाला के लिए विशेष विकास पैकेज

3060. श्री पी. करूणाकरन: क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार केरल में स्थित सबरीमाला के लिए विशेष विकास पैकेज प्रदान करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या हाल ही में इस विषय पर प्रधानमंत्री कार्यालय में कोई बैठक हुई थी; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. राजशेखरन): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) और (ङ) जी, हां। पर्यावरण और वन मंत्रालय तथा केरल सरकार के बीच पम्पा कार्य योजना से संबंधित मुद्दों पर इस बैठक में चर्चा की गई थी। पर्यावरण और वन मंत्रालय तथा केरल सरकार से इन मुद्दों पर अनुवर्ती कार्रवाई करने का अनुरोध किया था, जो अन्य बातों के साथ-साथ वनों को साफ करने और सबरीमाला तीर्थ स्थल के लिए कार्य योजना से संबंधित है।

टेलीफोन काटा जाना

3061. श्री चन्द्रदेव प्रसाद राजभर: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) यदि आवश्यक दस्तावेजों के साथ उचित आवेदन किया गया हो तो बुनियादी टेलीफोन को काटने में कितना समय लगता है;

(ख) क्या बुनियादी टेलीफोन की वापसी पर एम.टी.एन.एल. फोन काटे जाने के 50-60 दिनों के बीच प्रतिभूति जमा का भुगतान कर देता है;

(ग) यदि हां, तो दिल्ली में दिसम्बर, 2004 में काटे गए फोन के एक्सचेंज-वार कितने मामले लंबित हैं या निर्धारित अवधि के भीतर भुगतान कर दिए गए हैं;

(घ) क्या फोन काटे जाने के 60वें दिन के बाद भुगतान के मामले में दंड स्वरूप ब्याज का भुगतान किया जाता है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) अपेक्षित दस्तावेजों सहित अनुरोध प्राप्त होने पर सामान्यत: उसी दिन टेलीफोन काट दिए जाते हैं।

(ख) रिफण्ड, मानदण्डों के अनुसार किया जाता है, सिवाए उन मामलों में जिनमें बकाया बिल प्रतिभूति जमा रकम से अधिक के होते हैं और/या प्रार्थी रिफण्ड आदि की प्राप्ति के लिए गलत पता/ब्यौरा देता है।

(ग) शून्य।

(घ) भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) के निर्देशों के अनुसार, यदि रिफण्ड 60 दिनों के बाद किया जाता है तो दण्ड ब्याज देय होता है।

(ङ) उपर्युक्त भाग (घ) को ध्यान में रखते हुए लागू नहीं होता।

डाक विभाग की खाली पड़ी जमीन

3062. श्री रनेन बर्मन: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि पश्चिम बंगाल के दक्षिण दिनाजपुर जिले में बलूरघाट डाकखाने के चक्वरिगु में डाक विभाग के क्षेत्राधिकार में पिछले कई वर्षों से जमीन खाली पड़ी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) किस प्रयोजन के लिए भूमि को नियत किया गया था; और

(घ) निर्माण कार्य कब तक शुरू किए जाने और पूरा किए जाने की संभावना है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) जी हां।

(ख) दिनांक 31.8.83 को मौजा बलूरघाट, चक्वरिगु डे.डी. संख्या 90, खाता संख्या 422, 586, 587, प्लाट संख्या 376, 378 में 0.72 एकड़ का प्लाट 90,000 रु. की लागत से खरीदा गया था।

(ग) यह जमीन डाकघर और स्टाफ क्वार्टरों के निर्माण हेतु चिन्हित की गई थी।

(घ) दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान भी संसाधनों की कमी के कारण इस प्लाट पर निर्माण कार्य शुरू नहीं किया जा सका। सरकार इस प्रयोजना को अगली पंचवर्षीय योजना में शामिल करने पर विचार कर सकती है।

गुजरात में टेलीफोन के अत्यधिक बिल

3063. श्री पी.एस. गढ़वी: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गुजरात में बड़ी संख्या में बुनियादी टेलीफोन के अत्यधिक राशि के लिए की शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या गुजरात में हजारों उपभोक्ताओं ने लगातार अत्यधिक राशि के बिल आने के कारण अपने बुनियादी टेलीफोन वापस कर दिए हैं;

(घ) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है; और

(ङ) उक्त अवधि के दौरान सरकार द्वारा प्रदान किए गए कनेक्शनों का ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) और (ख) लैण्डलाइन टेलीफोन ग्राहकों से प्राप्त अधिक बिलिंग संबंधी शिकायतों का ब्यौरा निम्नलिखित है:

वर्ष	जारी बिलों की संख्या	अधिक बिलिंग के बारे में प्राप्त शिकायतों की संख्या	जारी किए गए बिलों में अधिक बिलिंग की शिकायतों का प्रतिशत
2002-03	17176708	12180	0.07%
2003-04	18360151	19162	0.10%
2004-05 (जनवरी, 2005 तक)	14053527	10188	0.07%

गुजरात दूरसंचार सर्किल में प्राप्त अधिक बिलिंग संबंधी शिकायतों की संख्या ट्राई द्वारा निर्धारित मानदण्डों के भीतर, अर्थात 0.10% है।

(ग) जी, नहीं। अधिकांश फोन, अधिक बिलिंग की शिकायतों के अलावा अन्य कारणों से काटे गए हैं।

(घ) ऊपर भाग (ग) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) बीएसएनएल के गुजरात दूरसंचार सर्किल में पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रदान किए गए नए कनेक्शनों के ब्यौरे निम्नलिखित हैं:

वर्ष	प्रदान किए गए सकल टेलीफोन कनेक्शन (लैंडलाइन+डब्ल्यूएलएल)	जीएसएम	कुल जोड़
2002-03	307988	275691	583679
2003-04	192425	206422	398847
2004-05 (फरवरी, 2005 तक)	263688	39392	303080

अनिवासी भारतीयों द्वारा अपनी जड़ों का पता लगाना

3064. श्री मोहन रावले: क्या **प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या किन्हीं प्रवासियों, विशेषरूप से जिनके पूर्वज शताब्दियों पूर्व अनुबंधित श्रमिक के रूप में भारत छोड़ कर गए थे, में अपनी जड़ों का पता लगाने की प्रबल इच्छा है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध उनकी सहायता करने हेतु क्या कदम उठाए गए/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर): (क) जी हां।

(ख) प्रवासी भातीय दिवस 2005 के दौरान "ट्रैसिंग द रूट्स" (जड़ों का पता लगाना) पर एक अलग सत्र आयोजित किया गया। सत्र के दौरान निकलकर आए विशिष्ट सुझाव भारत सरकार के जांचाधीन हैं।

स्वास्थ्य क्षेत्र में भारत और आस्ट्रिया के बीच समझौता

3065. श्री बापू हरी चौरे: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या स्वास्थ्य क्षेत्र में भारत और आस्ट्रिया के बीच किसी समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पाणाबाका लक्ष्मी): (क) और (ख) भारत में स्वास्थ्य से संबद्ध

सुविधाओं का उन्नयन और विस्तार करने के मुख्य उद्देश्य से प्रारंभ में 5 वर्षों की अवधि के लिए दिनांक 17 फरवरी, 2005 को स्वास्थ्य क्षेत्र में अवसंरचनात्मक सहयोग पर भारत सरकार और आस्ट्रिया गणराज्य के बीच एक करार पर हस्ताक्षर किए गए हैं। अवसंरचनात्मक सहयोग के सामान्य क्षेत्र, अन्य बातों के साथ-साथ, स्वास्थ्य क्षेत्र अध्ययनों के विकास और स्वास्थ्य क्षेत्र में चुनिंदा सेवाओं के लिए क्षेत्रीय नियोजन, तकनीकी नियोजन (संरचनात्मक इंजीनियरिंग सेवाएं और भवनों के तकनीकी उपकरण, चिकित्सीय प्रौद्योगिकी), परियोजना प्रबंधन, निर्माण पर्यवेक्षण, अपशिष्ट एवं सीवेज प्रबंधन, सुविज्ञ, विशेषज्ञ और उच्च अर्हता प्राप्त तकनीशियन प्रदान करके तकनीकी सहायता के क्षेत्र में हैं।

[हिन्दी]

कैंसर अस्पताल

3066. श्री राजनरायन बुधौलिया: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) इस समय कैंसर का इलाज करने वाले प्रमुख अस्पतालों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में कैंसर अस्पताल खोलने संबंधी कोई प्रस्ताव सरकार के पास विचाराधीन है;

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा अपनी स्वीकृति कब तक दिए जाने की संभावना है;

(घ) इस संबंध में व्यय की जाने वाली संभावित राशि का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) से (ङ) कैंसर का उपचार सर्जरी, रेडियो थैरेपी और कैमोथेरेपी द्वारा किया जाता है। दर्द, सूजन और रक्तस्राव इत्यादि को दूर करने के लिए सहायक और प्रशामक परिचर्या चिकित्सकों द्वारा प्रदान की जाती है। ये सुविधाएं देश में मेडिकल कालेज और जिला अस्पतालों सहित सरकारी अस्पतालों में उपलब्ध हैं। द्वितीयक और तृतीयक स्वास्थ्य परिचर्या संस्थाओं के अतिरिक्त प्रशामक परिचर्या इस मंत्रालय द्वारा मान्यता प्राप्त क्षेत्रीय कैंसर केन्द्रों द्वारा भी प्रदान की जा रही है। क्षेत्रीय कैंसर केन्द्रों की सूची विवरण के रूप में संलग्न है। उत्तर प्रदेश के बुंदेलखण्ड क्षेत्र में कैंसर अस्पताल खोलने के संबंध में कोई भी प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

विवरण

क्षेत्रीय कैंसर केन्द्रों की सूची

कमला नेहरू मैमोरियल अस्पताल,
इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश

चितरंजन राष्ट्रीय कैंसर संस्थान,
कोलकाता, पश्चिम बंगाल

किदवई मैमोरियल आंकोलाजी संस्थान,
बंगलौर, कर्नाटक

क्षेत्रीय कैंसर संस्थान (डब्ल्यू आई ए),
अढयार, चेन्नई, तमिलनाडु

आचार्य हरिहर क्षेत्रीय कैंसर,
सेंटर फार कैंसर रिसर्च एंड ट्रीटमेंट,
कटक, उड़ीसा

क्षेत्रीय कैंसर नियंत्रण सोसाइटी
शिमला, हिमाचल प्रदेश

कैंसर अस्पताल एवं रिसर्च सेंटर
ग्वालियर, मध्य प्रदेश।

इंडियन रोटरी कैंसर संस्थान,
(एम्स), नई दिल्ली

आर.एस.टी. अस्पताल एवं रिसर्च सेंटर,
नागपुर, महाराष्ट्र

पं. जे.एन.एम. मेडिकल कालेज,
रायपुर, छत्तीसगढ़

स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान
(पीजीआईएमईआर) संस्थान, चण्डीगढ़

क्षेत्रीय कैंसर केन्द्र,
तिरूवनंतपुरम

गुजरात कैंसर रिसर्च संस्थान,
अहमदाबाद, गुजरात

एम.एन.जे. आंकोलोजी संस्थान,
हैदराबाद, आंध्र प्रदेश

पांडिचेरी क्षेत्रीय कैंसर सोसाइटी,
जिपमेर, पांडिचेरी

डा. बी.बी. कैंसर संस्थान,
गुवाहाटी, असम

टाटा मैमोरियल अस्पताल,
मुम्बई, महाराष्ट्र

इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान,
पटना, बिहार

आचार्य तुलसी क्षेत्रीय कैंसर
ट्रस्ट एवं अनुसंधान संस्थान (आरसीसी)
बीकानेर, राजस्थान

क्षेत्रीय कैंसर केन्द्र
पं. बी.डी. शर्मा, स्नातकोत्तर
आयुर्विज्ञान संस्थान,
रोहतक, हरियाणा

सिविल अस्पताल, आयजोल
मिजोरम

संजय गांधी स्नातकोत्तर
आयुर्विज्ञान संस्थान,
लखनऊ।

[अनुवाद]

कांडला पत्तन न्यास को प्राप्त अभ्यावेदन

3067. श्री परसुराम माझी: क्या **पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कांडला पत्तन न्यास को 9 अप्रैल, 2004 से अब तक अखिल भारतीय अ.जा./अ.ज.जा. और शारीरिक रूप से विकलांग लोगों के उत्थान संघ से कितने अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) क्या इन अभ्यावेदनों पर कोई कार्यवाही की गई;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इस संबंध में और कब तक कार्यवाही किए जाने की संभावना है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री (श्री टी.आर. बालू): (क) से (ङ) अनूसूचित जातियों, जन जातियों के लोगों और शारीरिक रूप से विकलांग लोगों के उत्थान से संबंधित अखिल भारतीय संघ ने कांडला पत्तन-न्यास में एक संदेशवाहक के रूप में कार्यरत, शारीरिक रूप से विकलांग श्री अजमल एच. वनकर की कनिष्ठ लिपिक के पद पर पदोन्नति का मुद्दा उठाते हुए, कांडला-पत्तन-न्यास को दिनांक 09.04.2004 और 19.10.2004 के दो अभिवेदन प्रस्तुत किए हैं। उपर्युक्त पत्तन-न्यास ने उपर्युक्त अभिवेदनों की जांच-पड़ताल कर ली है और अपने दिनांक 24.11.2004 के पत्र द्वारा उपर्युक्त संघ को उपर्युक्त मामले की वस्तुस्थिति सूचित कर दी है। मौजूदा भर्ती-नियम के अनुसार, कनिष्ठ लिपिक के 90% पद, सीधी भर्ती से और 10% पद, श्रेणी 4 के अनुसचिवीय (लिपिकीय) कर्मचारियों की पदोन्नति से भरे जाते हैं। इस बारे में सरकार के मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुसार, उन मामलों में पदोन्नति के मामले में नि:शक्तता से ग्रस्त व्यक्तियों को लाभ देना अपेक्षित है, जिनमें यदि भर्ती, सीधी भर्ती से की जानी निर्धारित हो तो वह 75% से अधिक नहीं हो। अत: उपर्युक्त संघ द्वारा किए गए अनुरोध के अनुसार उपर्युक्त कर्मचारी को विकलांग व्यक्तियों के कोटे का लाभ दिए जाने का प्रश्न ही नहीं उठता। उपर्युक्त पद पर पदोन्नति के लिए श्री वनकर की उम्मीदवारी पर विचार, भर्ती-नियम में किए गए प्रावधान के अनुसार, अन्य उम्मीदवारों के साथ-साथ, मामले के गुण के आधार पर और श्रेणी-4 के विभागीय अनुसचिवीय (लिपिकीय) कर्मचारियों की पदोन्नति के 10% कोटे में कनिष्ठ लिपिक का पद रिक्त होने पर किया जाएगा।

दिल्ली-गुड़गांव एक्सप्रेस-वे परियोजना

3068. श्री कुलदीप बिश्नोई: क्या **पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राष्ट्रीय राजमार्ग सं.-8 पर दिल्ली-गुड़गांव एक्सप्रेस-वे कार्य की वर्तमान स्थिति क्या है और इसके पूरा होने की लक्षित तारीख क्या है;

(ख) एक्सप्रेस-वे के कुछ खंडों पर कार्य को निलंबित रखने के क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा परियोजना को शीघ्र पूरा करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) परियोजना की निष्पादन प्रगति 40 प्रतिशत है। इस परियोजना के जून, 2006 तक पूरा हो जाने की संभावना है जो रक्षा प्राधिकारियों, भारतीय विमान पत्तन प्राधिकरण और हरियाणा सरकार से परियोजना के लिए अपेक्षित भूमि उपलब्ध कराए जाने पर निर्भर करता है।

(ख) इस समय एक्सप्रेस मार्ग के किसी भी खंड में कार्य निलंबित नहीं किया गया है और यह कार्य चल रहा है। तथापि, नवंबर, 2003 में सुरक्षा और यातायात प्रबंधन से संबंधित सुधार के लिए कार्य अस्थायी रूप से निलंबित किया गया था।

(ग) रक्षा प्राधिकारियों, भारतीय विमान पत्तन प्राधिकरण और हरियाणा सरकार से परियोजना के लिए अपेक्षित भूमि के स्थानांतरण से संबंधित मामला संबंधित प्राधिकारियों के साथ उठाया जा रहा है ताकि कार्य शीघ्र पूरा किया जा सके।

डोयक सोसाइटी का 'बी' लेवल पाठ्यक्रम

3069. श्री कैलाश मेघवाल: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या डोयक (डी.ओ.ई.ए.सी.सी.) सोसाइटी के 'बी' लेवल पाठ्यक्रम को ए.आई.सी.टी.ई., डी.आई.टी. और मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा देश के किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय के एम.सी.ए. डिग्री के बराबर दर्जा दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या एन.आई.सी. उक्त पाठ्यक्रम के एन.सी.ए. के बराबर दर्जा नहीं देता है क्योंकि वह उन 'बी' लेवल विद्यार्थियों/ परियोजना प्रशिक्षकों को वजीफा प्रदान करने से इन्कार करता है जिन्होंने 1 जनवरी, 2004 से दिसम्बर, 2004 की अवधि के दौरान एन.आई.सी. से प्रशिक्षण प्राप्त किया था;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) एन.आई.सी. द्वारा इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) और (ख) जी, हां। एआईसीटीई तथा सूचना प्रौद्योगिकी विभाग की एक संयुक्त योजना के अन्तर्गत डीओईएसीसी द्वारा 'बी' लेवल पाठ्यक्रम चलाया जा रहा है। केन्द्र सरकार के अन्तर्गत रोजगार के प्रयोजन से, जहां एमसीए अपेक्षित योग्यता है, डीओईएसीसी संस्था के 'बी' लेवल पाठ्यक्रम को मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा एमसीए डिग्री के समतुल्य माना गया है। इसके अतिरिक्त, पश्चिम बंगाल प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, कोलकाता ने कम्प्यूटर विज्ञान में एम.टेक कार्यक्रम में प्रवेश के लिए डीओईएसीसी 'बी' लेवल अर्हता को मान्यता दी है।

(ग) एनआईसी डीओईएसीसी संस्था के 'बी' लेवल पाठ्यक्रम को एमसीए डिग्री के समतुल्य दर्जा देता है।

एक सत्र में निर्धारित संख्या में विद्यार्थियों को वजीफा दिया जाता है। किन्तु, बाद में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों को बिना वजीफे के प्रशिक्षण दिया जाता है। जनवरी-दिसम्बर, 2004 की अवधि के दौरान यही मामला है।

(घ) और (ङ) ये प्रश्न ही नहीं उठते।

तटीय क्षेत्रों में रेत खनन के विनियमन

3070. श्रीमती सी.एस. सुजाता: क्या **महासागर विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केरल में अलेप्पी जिले के तटीय क्षेत्रों में रेत खनन की अनुमति दिए गए स्थानों में सुनामी का व्यापक प्रभाव पड़ा था;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार तटीय क्षेत्रों में रेत खनन के विनियमन के लिए उचित उपाय करने पर विचार कर रही है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा महासागर विकास विभाग के राज्य मंत्री (श्री कपिल सिब्बल): (क) जी नहीं। केरल में अलेप्पी जिले के सुनामी प्रभावित तटीय क्षेत्रों में रेत खनन का कोई स्थल नहीं है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

उड़ीसा में दूरसंचार क्षेत्र के लिए उप-योजना

3071. श्री गिरिधर गमांग: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने उड़ीसा के जनजाति उपविकास क्षेत्रों में दूरसंचार और डाक सेवाओं के विकास के लिए एक पृथक उपयोजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो दूरसंचार और डाक नेटवर्क के विस्तार हेतु क्या मानदंड, नीति और मानक अपनाए गए हैं;

(ग) प्रगति कार्य में तेजी लाने हेतु उड़ीसा सर्किल के जनजाति उपयोजना क्षेत्रों के लिए कितनी धनराशि प्रदान की गई और उपकरण निर्धारित किए गए; और

(घ) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान जनजाति उपयोजना के क्षेत्रों में अब तक कुल कितने गांवों और ब्लाकों को शामिल किया गया और शामिल किए जाने की संभावना है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद):

दूरसंचार विभाग से संबंधित उत्तर

(क) जी, हां।

(ख) जनजाति क्षेत्रों में दूरसंचार सुविधा प्रदान करने के लिए अलग निधियां निर्धारित की जाती हैं।

(ग) मौजूदा वित्तीय वर्ष 2004-05 के दौरान, उड़ीसा दूरसंचार सर्किल की जनजाति उपयोजना क्षेत्रों में 75 कि.मी. आप्टिकल फाइबर केबल बिछाने के कार्य सहित, 9 नए एक्सचेंज संस्थापित करने, 3 हजार कारडेक्ट वायरलैस इन लोकल लूप (डब्ल्यूएलएल) प्रणालियां, 11.5 हजार मोबाइल स्विचन केन्द्र (एमएससी) आधारित डब्ल्यूएलएल प्रणालियां तथा 1,44,300 ग्लोबल स्विचन मौड्यूल (जीएसएम) मोबाइल क्षमता संस्थापित करने हेतु 85.03 करोड़ रुपये प्रदान किए गए हैं।

(घ) 18,477 जनजाति गांवों में से, 12,844 जनजाति गांवों को पहले ही टेलीफोन प्रदान कर दिए गए हैं और 5,633 जनजाति गांवों को अभी यह सुविधा प्रदान की जानी है। शेष 5,633 गांवों में से, 3,376 गांवों को चरणबद्ध रूप से नवम्बर 2007 तक डिजिटल उपग्रह फोन टर्मिनल (डीएसपीटी) पर यह सुविधा प्रदान करने की योजना बनाई गई है। अभिरक्षक उपलब्ध न होने, गांव आबादी रहित होने तथा 100 से कम की आबादी होने आदि कारणों की वजह से, शेष बचे गांवों को टेलीफोन सुविधा प्रदान करना संभव नहीं है। जनजाति क्षेत्रों में 120 ब्लाक हैं और सभी ब्लाकों में टेलीफोन सुविधा प्रदान की गई है।

डाक विभाग से संबंधित उत्तर

(क) और (ख) डाक विभाग की कोई अलग जनजाति उपयोजना नहीं है क्योंकि इस विभाग ने उड़ीसा सहित देश के जनजाति पहाड़ी रेगिस्तानी तथा दूर-दराज के क्षेत्रों में नेटवर्क के विस्तार के लिए उदार मानदण्ड प्रदान किए हैं। इन मानदण्डों में प्रत्येक अतिरिक्त विभागीय डाक-घर की आवर्ती लागत पर 85% की सीमा तक आर्थिक सहायता प्रदान करना शामिल है। मानदण्डों का ब्यौरा विवरण में दिया गया है।

(ग) और (घ) उपर्युक्त पैरा (क) तथा (ख) में उल्लिखित कारणों से जनजाति उपयोजना के लिए कोई अलग विधि निर्धारित नहीं की गई है। मौजूदा वर्ष के दौरान, उड़ीसा के जनजाति क्षेत्रों में 2 डाकघर खोले गए हैं। उड़ीसा के जनजाति क्षेत्रों में कुल 2,713 डाक-घर सेवा प्रदान कर रहे हैं।

डाक घर खोलने के लिए मानक

1. अतिरिक्त विभागीय शाखा डाक घर खोलने के लिए मानक

1.1 जनसंख्या:

(क) सामान्य क्षेत्रों में:

(ख) पहाड़ी जनजाति, रेगिस्तानी तथा दुर्गम क्षेत्रों में:

किसी एक गांव में 500 जनसंख्या या गांवों के समूह में 1000 जनसंख्या

1.2 दूरी:

(क) सामान्य क्षेत्रों में:

निकटतम मौजूदा डाकघर में न्यूनतम दूरी 3 कि.मी. होगी।

(ख) पहाड़ी, जनजाति, रेगिस्तानी तथा दुर्गम क्षेत्रों में:

पहाड़ी क्षेत्रों को छोड़कर दूरी की सीमा वही रहेगी, जिसका उल्लेख ऊपर किया गया है। पहाड़ी क्षेत्रों के संबंध में निदेशालय द्वारा उन मामलों में न्यूनतम दूरी की सीमा में छूट दी जा सकती है, जहां विशेष परिस्थितियों में यह छूट प्रदान करनी अपेक्षित हो, जिसका उल्लेख प्रस्ताव करते समय स्पष्ट रूप से किया जाना चाहिए।

1.3 प्रत्याशित आय:

(क) सामान्य क्षेत्रों में:

न्यूनतम प्रत्याशित राजस्व, लागत का $33^{1}/_{3}$% होगा।

(ख) पहाड़ी, जनजाति, रेगिस्तानी तथा दुर्गम क्षेत्रों में:

न्यूनतम प्रत्याशित आय, लागत का 15% होगी।

इसके अलावा, यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि कोई नया डाक-घर खोलने के परिणामस्वरूप मूल डाक घर को अनुमत्य सीमा से अधिक हानि न हो, अथवा न ही उसकी आय न्यूनतम निर्धारित सीमा से कम हो।

II. विभागीय उप डाक घर खोलने/उन्नयन करने के लिए मानदण्ड:

(क) ग्रामीण क्षेत्रों में:

उन्नयन करने हेतु प्रस्तावित अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघरों का न्यूनतम कार्य-भार प्रतिदिन पांच घंटे का होना चाहिए। सामान्य ग्रामीण क्षेत्रों में वार्षिक हानि की अनुमत्य सीमा 2400 रु. है और जनजाति व पहाड़ी क्षेत्रों में 4800 रु. है।

इसके अलावा यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि नया डाक घर खोलने के परिणामस्वरूप मूल डाकघर को अनुमत्य सीमा से अधिक हानि न हो, अथवा न ही उसकी आय न्यूनतम निर्धारित सीमा से कम हो।

(ख) शहरी क्षेत्रों में:

शहरी क्षेत्रों में डाकघर शुरू में आत्मनिर्भर होने चाहिए और पहली वार्षिक पुनरीक्षा के समय उन्हें 5% लाभ दर्शाना चाहिए ताकि वे भविष्य में भी अस्तित्व में बने रहने के पात्र हों।

20 लाख और उससे अधिक की जनसंख्या वाले शहरों में दो डाक घरों के बीच की न्यूनतम दूरी 1.5 कि.मी. होनी चाहिए तथा अन्य शहरी क्षेत्रों में यह दूरी 2 कि.मी. होनी चाहिए। तथापि, कोई भी दो वितरण कार्यालय एक दूसरे से 5 कि.मी. से अधिक नजदीक नहीं होने चाहिए।

सर्किलों के प्रमुखों के पास 10% मामलों में दूरी की इस शर्त में छूट देने का अधिकार होता है।

शहरी क्षेत्र के वितरण डाक घर में डाकियों के न्यूनतम 7 फेरे (पोस्मैन बीट्स) होने चाहिए।

विश्व बैंक/संबद्ध संगठनों में सरकारी अधिकारी

3072. **श्रीमती करूणा शुक्ला:** क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारत सरकार में इस समय ऐसे कितने अधिकारी कार्यरत हैं जो पहले विश्व बैंक या एफ.ए.ओ., डब्ल्यू.एच.ओ., यूनीसेफ आदि जैसे इसके संबद्ध संगठनों में काम कर रहे थे;

(ख) ऐसे अधिकारियों को नियुक्त करने की सरकार की नीति क्या है;

(ग) भारत सरकार के ऐसे कितने अधिकारी हैं जो गत एक वर्ष के दौरान उक्त संगठनों की सेवा में गए हैं; और

(घ) उक्त संगठनों में उनका दर्जा और उनके पदों का ब्यौरा क्या है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश पचौरी): (क) और (ख) विश्व बैंक, ए.डी.बी., यूनीसेफ आदि जैसे अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों में कुछ पदों पर नियुक्तियां, संबंधित देश के कोटे के आधार पर की जाती हैं। ये पद भारत सरकार के कैप्टिव पदों के रूप में वर्गीकृत किए गए हैं और ये केवल भारतीय अधिकारियों की नियुक्ति द्वारा भरे जाते हैं। इन पदों पर नियुक्तियां, निर्धारित नीति के अनुसार केन्द्रीय सरकार द्वारा 3 वर्ष की नियत कार्यावधि के लिए की जाती हैं। कभी-कभी लोक हित में अधिकारियों को लघु अवधि के लिए कार्यावधि में विस्तार दिया जाता है। अधिकारियों की कार्यावधि पूरी हो जाने पर, उन्हें-अपने संवर्ग में वापस भेज दिया जाता है।

(ग) और (घ) अभी तक वर्ष 2004-2005 के दौरान, 5 अधिकारी भारत सरकार के उपर्युक्त कैप्टिव पदों पर नियुक्त किए गए हैं। अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों में अपनी तैनाती/नियुक्ति के दौरान, अधिकारी जिस सेवा से संबधित हैं, उस सेवा में अपने स्तर और स्थिति को बनाए रखते हैं। तथापि, अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों में तैनाती के समय ये अधिकारी, तकनीकी सहायक/वरिष्ठ सलाहकार/ कार्यकारी निदेशक, विश्व बैंक का सलाहकार, भारत का स्थायी प्रतिनिधि, यूनीसेफ आदि जैसे पद शीर्ष के अनुसार पदनामित होते हैं।

दंत क्लिनिकों के माध्यम से एच.आई.वी. का प्रसार

3073. **डा. कर्नल (सेवानिवृत्त) धनी राम शांडिल्य:** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दंत क्लिनिक एच.आई.वी. का प्रसार कर रहे हैं और कुछ दंत क्लिनिक स्वच्छता का कड़ाई से पालन नहीं करते हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस संबंध में कोई कार्रवाई करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) से (ग) जी, नहीं। ऐसा कोई डाटा नहीं है जो यह दर्शाए कि दंत चिकित्सा क्लीनिकों द्वारा एच आई वी का संचरण किया जा रहा है। तथापि, दंत चिकित्सा क्लीनिकों के माध्यम से एच.आई.वी./एड्स के संचरण को नकारा नहीं गया है। सभी दंत चिकित्सा, क्लीनिकों, अस्पतालों एवं अन्य स्वास्थ परिचर्या सुविधाओं को अस्पताल अर्जित संक्रमण नियंत्रण (एच

आई सी) की रोकथाम संबंधी दिशानिर्देश दिए जाते हैं। इसके अतिरिक्त, अस्पताल में एच आई वी प्रैक्टिसों की मानीटरिंग ''अस्पताल संक्रमण नियंत्रण समितियों'' द्वारा की जाती है।

सरकारी अस्पताल में सभी दंत चिकित्सा क्लीनिकों से यह अपेक्षा होती है कि वे स्वच्छता/स्टैरिलाइजैशन, अस्पताल संक्रमण नियंत्रण एवं सुरक्षित अपशिष्ट निपटान प्रैक्टिसों का उच्चतम स्तर तक पालन करें। राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन ने मानक प्रचालनात्मक प्रक्रिया एवं अस्पताल संक्रमण नियंत्रण संबंधी एक ऐसा मोड्यूल विकसित किया जिसका प्रयोग विभिन्न प्रशिक्षण कार्यशालाओं में किया जाता है।

तटीय स्वास्थ्य कार्यक्रम

3074. डा. के.एस. मनोज: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कोई तटीय स्वास्थ्य कार्यक्रम सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो क्या केरल सरकार ने ऐसा कोई प्रस्ताव केन्द्र सरकार को अनुमोदन के लिए भेजा है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) प्रस्ताव को कब तक अनुमोदित किए जाने की संभावना है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) से (घ) केरल सरकार से समेकित तटीय स्वास्थ्य परियोजना नामक एक परियोजना प्राप्त हुई है जिसकी जांच की जा रही है।

मसालों के लाभ

3075. मो. मुकीम: क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या डी एस टी के विज्ञान प्रसार द्वारा निकाले जा रहे ड्रीम 2047 (नवम्बर, 2004) में हमारे खाने में मसाले विषय पर लेख की ओर ध्यान दिलाया गया है, जिसमें मसालों के विभिन्न लाभों के बारे में बताया गया है;

(ख) क्या इस क्षेत्रों में कोई नियंत्रित परीक्षण किया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या मीडिया के माध्यम से इसके परिणामों को सार्वजनिक किया जाएगा;

(ङ) यदि हां, तो क्या इस प्रकार के मसालों, बी आई एस/आई सी एम आर द्वारा प्रमाणन से मानक रूप में तैयार/उपलब्ध होंगे; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा महासागर विकास विभाग के राज्य मंत्री (श्री कपिल सिब्बल): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) जी, हां। जैसा कि वैज्ञानिक साहित्य में सूचित किया गया है, पशुओं और कुछ मामलों में मनुष्यों पर मसालों के लाभदायक प्रभावों के लिए भारत तथा अन्य देशों के अनुसंधान संस्थानों द्वारा नियंत्रित परीक्षण किए गए हैं।

(घ) जी, हां।

(ङ) और (च) विभिन्न अनुसंधान प्रयोगशालाओं/संस्थाओं द्वारा अनुकूल परिणाम प्राप्त करने तथा इनकी पुष्टि करने के बाद ही इस मामले पर उचित विनियामक कार्यतंत्रों के माध्यम से विचार किया जा सकता है।

नेपाल द्वारा भारतीय किसानों को बकाया धनराशि का भुगतान न करना

3076. श्री कैलाश बैठा: क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि नेपाल की खांडसारी शुगर मिल ने बिहार के सीमावर्ती क्षेत्रों के किसानों से गन्ना खरीदा है परन्तु वे भुगतान करने में आना-कानी कर रही हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने यह मुद्दा नेपाल सरकार के साथ उठाया है/उठाए जाने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या परिणाम निकले?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (राव इन्द्रजीत सिंह): (क) सरकार को नेपाल में चीनी मिल और भारत में गन्ना उत्पादक किसानों के बीच हुए सौदे के संबंध में भुगतान न किए जाने की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-78 की स्थिति

3077. श्री ए. साई प्रताप: क्या **पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-78 के निर्माण पर अब तक कितनी धनराशि खर्च की गई है;

(ख) उक्त निर्माण कार्य के कब तक पूरा हो जाने की संभावना है;

(ग) क्या सरकार सड़क की स्थिति जो कि बहुत खराब है को सुधारने के लिए तत्काल कोई कदम उठा रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) इस मंत्रालय ने कटनी-गुमला सड़क को 6 जनवरी, 1999 को राष्ट्रीय राजमार्ग-78 के रूप में घोषित किए जाने के समय से 77.34 करोड़ रु. के सुधार कार्य स्वीकृत किए हैं जिसमें से 34.02 करोड़ रु. पहले ही खर्च किए जा चुके हैं।

(ख) से (घ) राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास और अनुरक्षण एक सतत् प्रक्रिया है। धनराशि की उपलब्धता और पारस्परिक प्राथमिकता के आधार पर सुधार कार्य चरणों में किए जा रहे हैं।

उपर्युक्त योजना प्रावधान के अलावा, सड़कों की तात्कालिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आवधिक नवीकरण, विशेष मरम्मत और बाढ़ से हुई क्षति की मरम्मत कार्य पर गैर-योजना शीर्ष के अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्गों की मरम्मत के लिए भी धनराशि प्रदान कर रहा है। नेमी अनुरक्षण के लिए सामान्य मरम्मत के अंतर्गत राज्य सरकारों के निपटान पर रखी गई धनराशि के अलावा इस संबंध में इस राष्ट्रीय राजमार्ग के लिए अब तक 24.42 करोड़ रु. स्वीकृत किए गए हैं।

[अनुवाद]

उत्तरांचल में दूरसंचार सेवाओं का विकास

3078. श्री राजेन्द्र कुमार: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उत्तरांचल विशेषकर हरिद्वार में गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान दूरसंचार तथा इंटरनेट सेवाओं के विकास के लिए कितनी धनराशि आबंटित तथा खर्च की गई;

(ख) क्या उत्तरांचल दूरसंचार सर्किल द्वारा विकास कार्य का निर्धारित लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) उत्तरांचल सर्किल और हरिद्वार गौण स्विचन क्षेत्र (एसएसए) में पिछले तीन वर्षों के दौरान दूरसंचार एवं इंटरनेट सेवाओं के विकास के लिए आबंटित तथा व्यय की गई रकम का ब्यौरा निम्नलिखित है:

उत्तरांचल (रकम करोड़ रुपयों में)

वर्ष	आबंटित रकम	व्यय की गई रकम
2001-02	206.44	149.68
2002-03	119.45	203.59
2003-04	64.72	72.08

हरिद्वार गौण स्विचन क्षेत्र

वर्ष	आबंटित रकम	व्यय की गई रकम
2001-02	9.38	17.21
2002-03	36.67	36.67
2003-04	5.53	9.98

(ख) उत्तरांचल सर्किल में दूरसंचार के विकास के लिए लक्ष्य एवं उपलब्धियां निम्नलिखित हैं:

पैरामीटर	2002-03		2003-04		2004-05 (फरवरी, 2005 तक)	
	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि
वर्द्धित क्षमता (लाइनें)	27000	65972	21000	40304	शून्य	शून्य
सीधी एक्सचेंज लाइनों की सकल उपलब्धि (लाइनें)	28500	36082	33000	23044	139900	150284
ओएफसी (रूट कि.मी.)	1100	917.8	500	518.9	300	128.02
टी.ए.एक्स. (लाइनें)	16000	13500	11000	17000	12500	12500

अधिकांश पैरामीटरों के लिए लक्ष्य प्राप्त कर लिए गए हैं।

(ग) उपर्युक्त भाग (ख) के उत्तर को देखते हुए लागू नहीं होता।

नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी द्वारा बनावटी खरीद

3079. **कुंवर मानवेन्द्र सिंह:** क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी के अधिकारियों द्वारा बनावटी खरीद के कुछ मामले सरकार के ध्यान में आए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है; और

(घ) इस प्रकार के मामलों की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए क्या उपाय किए गए हैं अथवा किए जाने का प्रस्ताव है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा महासागर विकास विभाग के राज्य मंत्री (श्री कपिल सिब्बल): (क) और (ख) राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला (एनपीएल), नई दिल्ली के एक कर्मचारी द्वारा केन्द्रीय भंडार, आर.के पुरम, नई दिल्ली से विभिन्न मदों की खरीद में किए गए कपट का एक मामला सितम्बर, 2040 में सामने आया। पाया गया कि एनपीएल का एक कर्मचारी केन्द्रीय भंडार को जाली आदेश देता रहा है। एनपीएल के केंद्रीय भंडार को ऐसे आदेशों की आपूर्ति कभी नहीं हुई। यह तब पता चला जब केंद्रीय भंडार ने लगभग 31.90 लाख रुपये का बिल ऐसी आपूर्तियों के लिए प्रस्तुत किया, जिनकी कोई प्रविष्टि न तो दैनिक प्राप्ति रजिस्टर में और न ही संबंधित स्टाक खातों में की गई पाई गई।

(ग) चूंकि संबंधित कर्मचारी इस मामले में प्रथम दृष्टया आलिप्त प्रतीत हुआ, अत: इस मामले को जांच के लिए सीबीआई को सौंप दिया गया। एनपीएल का संबंधित कर्मचारी दिनांक 22.9.2004 से निलंबित है। इस कार्यालय ने सीबीआई को उसकी इस राय के लिए भी लिखा है कि क्या इस संबंधित कर्मचारी के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई साथ-साथ प्रारंभ की जा सकती है अथवा सीबीआई जांच-परिणाम की प्रतीक्षा की जाए।

(घ) इस केंद्रीय भंडार के कार्य की अनन्य रूप से देख-रेख करने के लिए एक भंडार एवं क्रय अधिकार को तैनात किया गया है तथा उसे भंडारों का नियमित आधार पर आवधिक सत्यापन करने के अनुदेश दिए गए हैं ताकि भविष्य में ऐसी अनियमितताओं की पुनरावृत्ति न हो।

एल.एन.जे.पी. अस्पताल में आवास सुविधा

3080. **श्री दलपत सिंह परस्ते:** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल के रेजीडेंट डाक्टर आवास के मुद्दे पर सरकार की नीति से संतुष्ट नहीं हैं जैसा कि दिनांक 28 फरवरी 2005 को 'द टाइम्स आफ इंडिया' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को यह भी जानकारी है कि चाहे डाक्टर अस्पताल द्वारा प्रदान किए गए आवास में रहे या न रहे प्रबंधन

ने दिसंबर 2004 के पश्चात् कार्यभार संभालने वाले रेजीडेंट डाक्टरों का मकान किराया भत्ता (एचआरए) काटने का निर्णय लिया है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या अस्पताल में सभी रेजीडेंट डाक्टरों के लिए पर्याप्त कक्ष हैं;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(छ) यदि नहीं, तो प्रत्येक रेजीडेंट डाक्टर को एचआरए की कितनी राशि दी जा रही है;

(ज) सभी रेजीडेंट डाक्टरों को आवास सुविधा प्रदान करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(झ) क्या अस्पताल के प्राधिकारियों ने इस संबंध में रेजीडेंट डाक्टरों को पेश आ रही कठिनाइयों का आकलन किया है; और

(ञ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) से (ञ) रेजिडेंट डाक्टरों की नियुक्ति चौबीसों घंटे रोगी परिचर्या और मानव जीवन को बचाने के लिए आपात स्थितियों में समय पर चिकित्सा परिचर्या के लिए अस्पताल परिसर के भीतर रहने/रेजिडेंटस के उद्देश्य से की जाती है। वर्तमान में, सभी रेजिडेंटों के लिए पर्याप्त कमरों की कमी के कारण, उनमें से कुछ को आवास नहीं दिया गया है। ऐसे सभी रेजिडेंटों को प्रतीक्षा सूची में रखा जाता है और उपलब्धता पर तुरन्त आवास प्रदान कर दिया जाता है। रेजिडेंटों को छात्रावास के लिए आवेदन करने की तारीख से आबंटन की तारीख तक मकान किराया भत्ता/यात्रा भत्ता दिया जाता है, जूनियर रेजिडेंटों और सीनियर रेजिडेंटों के लिए मकान किराया भत्ता क्रमशः 4230 रुपए प्रतिमाह और 4923 रुपए प्रतिमाह है। तथापि, दिल्ली से संबंधित रेजिडेंटों और जिनके दिल्ली में अपने आवास होते हैं परन्तु जो ठहरने में रुचि नहीं रखते और जो आवेदन नहीं करते, उनको मकान किराया भत्ता/यात्रा भत्ता अदा नहीं किया जाता।

सभी रेजिडेंटों को आवास प्रदान करने के लिए अस्पताल का विस्तार भी प्रगति पर है।

[हिन्दी]

सांसद कोटे के अन्तर्गत टेलीफोन कनैक्शन

3081. मोहम्मद शाहिदः क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या संसद सदस्यों के कोटे के अंतर्गत आबंटित सभी टेलीफोन कनैक्शन सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश में उपभोक्ताओं को प्रदान किए जा चुके हैं;

(ख) यदि हां, तो जिला-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार उन क्षेत्रों में डब्ल्यू.एल.एल. कनैक्शन प्रदान करने पर विचार कर रही है, जहां टेलीफोन लाइनें उपलब्ध नहीं हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) और (ख) जी, नहीं। उत्तर प्रदेश में माननीय संसद सदस्यों के कोटे के अंतर्गत स्वीकृत 3798 टेलीफोन कनैक्शन अभी प्रदान किए जाने हैं। जिला-वार ब्यौरा विवरण में दिया गया है। लंबित मामलों के निपटान हेतु निम्नलिखित कदम उठाए जाते हैं:

(1) लैंडलाइन पर नए कनैक्शन प्रदान करने की सीमा को एक्सचेंज से 5 कि.मी. तक बढ़ाना तथा तकनीकी रूप से अव्यवहार्य क्षेत्रों में भूमिगत केबल बिछाना।

(2) 5 कि.मी. की दूरी से अधिक के क्षेत्रों के लिए डब्ल्यूएलएल प्रणाली की व्यवस्था करना।

(3) मौजूदा डब्ल्यूएलएल प्रणाली के अंतर्गत पड़ने वाले क्षेत्रों में कमजोर सिग्नलों की शिकायत को दूर करने के लिए अतिरिक्त टावरों तथा संबद्ध उपस्कर (एशोसिएटिड इक्विपमेंट) (बीटीएस) की संस्थापना करना।

(ग) टेलीफोन कनैक्शन निम्नलिखित कारणों के कारण लंबित हैं:

(1) क्षेत्रों का तकनीकी रूप से अव्यवहार्य होना।

(2) दूर-दराज के क्षेत्रों में मौजूदा प्रणाली द्वारा कवर नहीं की गई छितरी मांग।

(3) डब्ल्यूएलएल प्रणाली के अंतर्गत पड़ने वाले कतिपय पाकेटों में कमजोर सिग्नल।

(4) उपभोक्ताओं द्वारा फिक्स्ड डब्ल्यूएलएल पर कनैक्शन स्वीकार न करना।

(घ) जी हां।

(ङ) तारशुदा लाइन के संदर्भ में तकनीकी रूप से अव्यवहार्य क्षेत्रों में फिक्स्ड डब्ल्यूएलएल कनैक्शनों की पेशकश की जाती है, बशर्ते उन क्षेत्रों में स्थिर बेतार टर्मिनल (एफडब्ल्यूटीएस) तथा डब्ल्यूएलएल सिग्नल उपलब्ध हों तथा वे उपभोक्ताओं को स्वीकार्य हों।

(च) उपर्युक्त भाग (ङ) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

उत्तर प्रदेश में माननीय संसद सदस्यों के कोटे के अंतर्गत स्वीकृत लंबित टेलीफोन कनैक्शनों की जिला-वार संख्या

क्र.सं.	शहर	संख्या
1	2	3
1.	इलाहाबाद	88
2.	आजमगढ़	352
3.	बहराइच	8
4.	बलिया	279
5.	बाराबंकी	102
6.	बस्ती	34
7.	देवरिया	531
8.	इटावा	57
9.	फैजाबाद	7
10.	फरूखाबाद	10
11.	फतेहपुर	4
12.	गाजीपुर	140
13.	गोंडा	38
14.	गोरखपुर	29
15.	हरदोई	3
16.	जौनपुर	656
17.	झांसी	1
18.	कानपुर	2
19.	लखीमपुर	18
20.	लखनऊ	55
21.	मैनपुरी	22
22.	मऊ	4
23.	मिर्जापुर	35
24.	ओरई	5
25.	प्रतापगढ़	521
26.	शाहजहांपुर	6
27.	सीतापुर	8
28.	सुल्तानपुर	220
29.	वाराणसी	24
30.	आगरा	90
31.	बुलंदशहर	41
32.	गाजियाबाद	38
33.	मथुरा	2
34.	मेरठ	47
35.	मुरादाबाद	10
36.	मुजफ्फरनगर	134
37.	सहारनपुर	69
38.	एटा	106
39.	पीलीभीत	2
	कुल	3798

[अनुवाद]

स्टाम्प चोटाले के अभियुक्तों पर मुकदमा चलाना

3082. श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव: क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सी.बी.आई. ने स्टाम्प घोटाले में संलिप्त वरिष्ठ सरकारी तथा पुलिस अधिकारियों पर मुकदमा चलाने के मद्देनजर महाराष्ट्र तथा कर्नाटक सरकारों से मंजूरी प्राप्त करने के लिए कई बार आग्रह किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या दोनों राज्य सरकारों ने आज की तारीख तक सी.बी.आई. के आग्रहों पर कोई निर्णय नहीं लिया है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या केन्द्र सरकार मामलों पर तत्काल निर्णय लेने के लिए राज्य सरकारों को निर्देश देगी; और

(ङ) यदि हां, तो ऐसा कब तक किए जाने की संभावना है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन-मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश पचौरी): (क) जी, हां। केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा कर्नाटक सरकार से 5 लोक सेवकों के संबंध में और महाराष्ट्र सरकार से 9 लोक सेवकों के संबंध में अभियोजन चलाए जाने हेतु मंजूरी मांगी गई है।

(ख) और (ग) कर्नाटक और महाराष्ट्र की राज्य सरकारों ने क्रमश: 3 लोक सेवकों और 7 लोक सेवकों के संबंध में अभियोजन चलाए जाने की मंजूरी दे दी है।

(घ) और (ङ) ऐसे सभी मामलों को शीघ्र निपटाने हेतु राज्य सरकारों से लगातार संपर्क बनाए रखा जाता है।

बीएसएनएल के लिए राहत उपाय

3083. श्री दुष्यंत सिंह: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) के लिए राहत उपायों की एक श्रृंखला की घोषणा की है;

(ख) यदि हां, तो कब से;

(ग) क्या सरकार का विचार एमटीएनएल के लिए भी इस प्रकार के राहत उपायों की घोषणा करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) जी, हां।

(ख) सरकार ने बीएसएनएल की स्थापना अर्थात् 1.10.2000 से उसको राहत प्रदान किए हैं ताकि कंपनी को ग्रामीण टेलीफोनी और अन्य सामाजिक रूप से वांछित परियोजनाओं के कारण हुई हानियों की भरपाई हो सके।

(ग) जी, नहीं।

(घ) ऊपर भाग (ग) को देखते हुए, प्रश्न नहीं उठता।

सीमेन का भविष्य निधि घोटाला

3084. श्री जोवाकिम बखला:
श्री हितेन बर्मन:
श्री सुव्रत बोस:

क्या **पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सीमेन के भविष्य निधि (एसपीएफ) को लगभग 95 करोड़ रु. का वित्तीय घाटा हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इस बारे में कोई जांच कराई गई है;

(घ) यदि हां, तो निष्कर्षों का ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या दोषी पाए गए व्यक्तियों के विरुद्ध कोई कार्रवाई की गई है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री (श्री टी.आर. बालू): (क) से (च) जी, हां। जैसा कि निगमित बैंकों की प्रतिभूतियों से संबंधित घोटाले में हुआ था, देशी व्यापार (होम ट्रेड) द्वारा भौतिक प्रतिभूतियां नहीं दिए जाने के कारण नाविक-भविष्य-निधि में हुई 92.78 करोड़ रु. की हानि, मई, 2002 में ध्यान में आई। इस हानि के मामले के 04.05.2002 को ध्यान में आने के तत्काल बाद, इसकी तेजी से और शीघ्रता से जांच-पड़ताल की गई। इसके बारे में 10.05.2002 को केन्द्रीय अन्वेषण-ब्यूरो में शिकायत दर्ज करवा दी गई। केन्द्रीय अन्वेषण-ब्यूरो ने इस हानि के बारे में अपनी जांच-पड़ताल, 10.11.2003 को पूरी कर ली है और उसने (उपर्युक्त ब्यूरो ने) इस मामले में संलिप्त 15 व्यक्तियों के खिलाफ न्यायालय में आरोप-पत्र दाखिल कर दिया है।

विनियामक निकायों की स्वायत्तता

3085. श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु: क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार इस प्रकार के नियम बनाने पर विचार कर रही है जिनसे विनियामक निकायों के लिए कार्यशील स्वायत्तता सुनिश्चित हो जायेगी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/ उठाए जाने का विचार है जिससे कि इस प्रकार के विनियामक निकायों में नियुक्तियां पारदर्शी और उचित प्रक्रिया द्वारा की जाएं?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश पचौरी): (क) से (ग) केन्द्रीय सरकार आमतौर पर संबंधित अधिनियमों के तहत जहां भी आवश्यकता हो, विभिन्न सैक्टरों के लिए विनियामक प्राधिकरणों का गठन करती है। ये अधिनियम अन्य बातों के साथ-साथ, विनियामक प्राधिकरण के गठन के लिए, अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति के लिए अर्हता, उनके कार्यालय की अवधि तथा सेवा की शर्तें, प्रदत्त शक्तियां एवं कार्यों आदि को उपलब्ध करवाते हैं। इन नियुक्तियों में पारदर्शिता एवं निष्पक्षता सुनिश्चित की गई है।

मंत्रियों के निजी स्टाफ में सेवानिवृत्त अधिकारी और कर्मचारी

3086. श्री बाडिगा रामकृष्णा: क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि अनेक सेवानिवृत्त सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों की केन्द्रीय मंत्रियों के निजी स्टाफ में नियुक्ति की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार सेवानिवृत्त अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति पर प्रतिबंध लगाने का है ताकि बेरोजगार युवकों के लिए नौकरी के और अवसर सृजित हो सकें; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश पचौरी): (क) और (ख) केन्द्रीय मंत्रिपरिषद के सदस्यों को अपने वैयक्तिक स्टाफ की नियुक्ति करने के लिए सेवारत अधिकारियों अथवा बाहरी व्यक्तियों का चयन करने के मामले में स्वविवेक से निर्णय करने का अधिकार है। ऐसी नियुक्तियों के लिए ऊपरी आयु सीमा 60 वर्ष निर्धारित की गई है। तथापि, वर्तमान अनुदेशों के अनुसार ऐसी नियुक्तियां 60 वर्ष की निर्धारित ऊपरी आयु सीमा में छूट देकर भी की जा सकती हैं।

(ग) और (घ) मंत्रियों के वैयक्तिक स्टाफ में नियुक्तियां, मंत्री के कार्यकाल के साथ ही समाप्त हो जाती हैं। केन्द्रीय मंत्रिपरिषद के सदस्यों के वैयक्तिक स्टाफ में सेवानिवृत्त कर्मचारियों की नियुक्ति पर प्रतिबंध लगाने का, कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

डीसीजीआई की परिसंपत्तियों की सी.बी.आई. जांच

3087. श्री आलोक कुमार मेहता: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सराकर ने डी.सी.जी.आई. की परिसंपत्तियों की सी.बी.आई. जांच के आदेश दिए हैं; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले तथा डी.सी.जी.आई. के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

कैट के पास लंबित मामले

3088. श्री रूपचन्द मुर्मू: क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण के समक्ष आज तक राज्य-वार कितने मामले लंबित हैं;

(ख) क्या सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को त्वरित न्याय दिलाने के लिए पहल की है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश पचौरी): (क) दिनांक 28.02.2005 तक की स्थिति के अनुसार केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण के स्थापित किए जाने से अब तक शुरू किए गए कुल 4,49,023 मामलों की तुलना में 23,721 मामले लम्बित हैं। केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण जिसे केन्द्र सरकार के

कर्मचारियों की सेवा से संबंधित मामलों में न्याय-निर्णयन हेतु स्थापित किया गया था, की सत्रह न्यायपीठ हैं। लम्बित मामलों का पीठ-वार ब्योरा रखा जाता है। केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण में 28.02.2005 की स्थिति के अनुसार पीठ-वार लंबित मामलों को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

(ख) और (ग) सरकार केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण के न्यायिक कार्यकलापों में हस्तक्षेप नहीं करती। फिर भी, सरकार द्वारा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा सदस्यों के रिक्त पदों को यथाशीघ्र भरे जाने का प्रयास किया जाता है। इस कारण से तथा केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण द्वारा स्वयं मामलों के शीघ्र निपटान हेतु उठाए गए कदमों के कारण लंबित मामलों की संख्या 01.01.1999 के 49,521 से घटकर 28.02.2005 को 23,721 रह गई।

विवरण

क्र.सं.	पीठ का नाम	28.02.2005 की स्थिति के अनुसार लंबित मामलों की कुल संख्या
1.	प्रधान न्यायपीठ	2185
2.	अहमदाबाद	679
3.	इलाहाबाद	3267
4.	लखनऊ	1427
5.	बंगलौर	329
6.	मुम्बई	1395
7.	कोलकाता	3900
8.	चंडीगढ़	1349
9.	कटक	1720
10.	गुवाहाटी	274
11.	हैदराबाद	1248
12.	जबलपुर	975
13.	जोधपुर	359
14.	जयपुर	607
15.	चैन्नई	634
16.	पटना	2300
17.	इर्नाकुलम	1073
		23721

[हिन्दी]

प्रतिनियुक्ति के लिए दिशानिर्देश

3089. श्री रामदास आठवले: क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केन्द्र सरकार के अधिकारियों को विदेश सेवा/प्रतिनियुक्ति पर भेजने के लिए क्या दिशानिर्देश हैं;

(ख) वे निबंधन एवं शर्तें क्या हैं जिनके अंतर्गत केन्द्र सरकार के अधिकारियों को विदेश सेवा/केन्द्र सरकार से केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में प्रतिनियुक्ति पर भेजा जा सकता है;

(ग) क्या सी.पी.एस.यू. में केन्द्र सरकार के अधिकारियों के दर्जे तथा स्तर की सुरक्षा की जाती है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या दिशानिर्देशों में सी.पी.एस.यू. में वेतनमानों तथा पदों के स्तर में समानता को सम्मिलित किया गया है; और

(च) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में केन्द्र सरकार के समकक्ष वेतनमानों का ब्यौरा क्या है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश पचौरी): (क) और (ख) केन्द्रीय सरकार के अधिकारियों को केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में बाह्य सेवा/प्रतिनियुक्ति पर भेजने से संबंधित दिशा-निर्देशों में यह निर्धारित है कि केन्द्रीय सरकार के अधिकारी केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में केवल तत्काल विलयन के आधार पर ही किसी पद पर कार्यभार ग्रहण कर सकते हैं। तथापि, ऐसे संगठनों में मुख्य कार्यकारी अधिकारियों, क्षेत्रीय/प्रादेशिक अध्यक्षों और मुख्य सतर्कता अधिकारियों के मामलों में अधिकतम 5 वर्ष की अवधि के लिए प्रतियुक्ति/बाह्य सेवा की अनुमति दी जाती है।

(ग) केन्द्रीय सरकार के वर्तमान दिशा-निर्देशों के अनुसार केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में निम्नतर ग्रेडों में प्रतिनियुक्ति/बाह्य सेवा पर जाने की अनुमति नहीं दी जाती।

(घ) उपर्युक्त (ग) के उत्तर के मद्देनजर, प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) पांचवें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन के बाद, इस समय केन्द्रीय सरकार और केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र

के उपक्रमों के बीच वेतनमानों और पदों के स्तर की समानता के संबंध में कोई दिशा-निर्देश नहीं हैं।

(च) उपर्युक्त (ङ) के उत्तर के मद्देनजर, प्रश्न नहीं उठता।

राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान

3090. श्री हरिश्चंद्र चव्हाण:
श्री वाई.जी. महाजन:

क्या **महासागर विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान समुद्र अनुसंधान पर कार्य कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में अब तक क्या प्रगति हुई है; और

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान को कितनी धनराशि आवंटित की गई?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा महासागर विकास विभाग के राज्य मंत्री (श्री कपिल सिब्बल): (क) जी हां।

(ख) वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद के अंतर्गत आने वाली प्रयोगशाला राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान (एनआईओ), गोवा समुद्र विज्ञान के विभिन्न पहलुओं से संबंधित अनुसंधान एवं विकास कार्य कर रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य भौतिक समुद्र विज्ञान, रासायनिक समुद्र विज्ञान, भूभौतिक समुद्र विज्ञान, जीववैज्ञानिक समुद्र विज्ञान, समुद्री इंजीनियरी, समुद्री यंत्रीकरण, समुद्री संक्षारण एवं पदार्थ अनुसंधान, समुद्री पुरात्व विज्ञान एवं तटीय क्षेत्र प्रबंधन के संबंध में सूचना आधार का विकास करना है। वर्तमान में उपर्युक्त क्षेत्रों में 24 परियोजनाओं का संचालन किया जाता है।

(ग) राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान (एनआईओ) की कुछ प्रमुख उपलब्धियों में बहुधात्विक पिण्डिका अनुसंधान, लिग्नाइट (अपतट प्लेसर भंडार), भारत के पश्चिमी तट से मीथेन युक्त-गैस प्रभारित तलछट क्षेत्रों की पहचान, भारत के अनन्य आर्थिक क्षेत्र में बहुविधात्मक अनुसंधान, समुद्र के जैव-सक्रिय पदार्थों से प्रक्रिया का विकास शामिल है। राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान ने प्रत्यक्ष पठन वाले धारामापी, ज्वारमापी जैसी समुद्री यंत्रों और स्वचालित मौसम केन्द्रों आदि का भी सफलतापूर्वक विकास करके उन्हें तैनात किया है।

(घ) वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद ने वर्ष 2002-03, 2003-04 और 2004-05 (15 मार्च 2005 तक) के दौरान राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान को क्रमश: 19.368 करोड़ रु., 23.265 करोड़ रुपए और 23.267 करोड़ रुपए की धनराशि आवंटित की।

[अनुवाद]

आव्रजन जांच स्वीकृति को समाप्त करना

3091. डा. राजेश मिश्रा:
श्री रामदास आठवले:

क्या **प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय पासपोर्ट धारकों को कुछ देशों में अब की प्रोक्टर आफ इमीग्रेशन (पी ओ ई) से अभी भी आव्रजन जांच स्वीकृति लेनी पड़ती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार निकट भविष्य में स्वीकृति को पूरी तरह समाप्त करने पर विचार कर रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार ने श्रमिक भेजने के लिए कतिपय देशों के साथ किसी समझौते पर हस्ताक्षर किए थे;

(च) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान तथा आज तक देशवार कितने श्रमिक विदेशों में भेजे गए?

(छ) क्या इन समझौतों में श्रमिकों को मजदूरी तथा अन्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए कोई प्रावधान किया गया है; और

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर): (क) और (ख) जी हां। केवल इ सी आर (उत्प्रवासन क्लीयरेंस आवश्यक) वाले पासपोर्ट धारकों को रोजगार के लिए विदेश जाने से पूर्व उत्प्रवासी संरक्षक से उत्प्रवासन क्लीयरेंस प्राप्त करने की आवश्यकता होती है। इसका उद्देश्य यह है कि अकुशल/अर्द्धकुशल कामगारों की असुरक्षित श्रेणी और आया एवं घरेलू कामगार के रूप में रोजगार तलाशने वाली महिलाओं के पास उपयुक्त रोजगार के दस्तावेज हों और उनको विदेश में पहुंचने पर कोई कठिनाई न हो। तथापि, 54 देशों (सूची विवरण के रूप में

संलग्न) में से किसी देश में जाने वाले व्यक्तियों को उत्प्रवासन क्लीयरेंस प्राप्त करने से छूट प्राप्त है क्योंकि इन देशों में पर्याप्त उत्प्रवासन नियंत्रण हैं और इनमें विदेशी उत्प्रवासी कामगारों की समस्याओं के निपटान के लिए मंच उपलब्ध हैं।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) जी नहीं।

(च) से (ज) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

ऐसे देशों की सूची जिनके लिए उत्प्रवासन जांच की जरूरत नहीं है

1. अल्बानिया
2. आस्ट्रेलिया
3. आस्ट्रिया
4. बाहमाज
5. बंगलादेश
6. भूटान
7. बुल्गारिया
8. कनाडा
9. साइप्रस
10. चैक गणराज्य
11. डेनमार्क
12. एस्टोनिया
13. फिनलैंड
14. फ्रांस
15. जर्मनी
16. जिब्राल्टर
17. यूनान
18. ग्रीनलैंड
19. हंगरी
20. आयरलैंड
21. आइसलैंड
22. इटली
23. जापान
24. लाटविया
25. लेंस्टिन
26. वैटिकन सिटी
27. ब्रिटेन
28. लिथुआनिया
29. लक्जमबर्ग
30. माल्टा
31. मैक्सिको
32. मोनाको
33. नेपाल
34. नीदरलैंड
35. न्यूजीलैंड
36. नार्वे
37. पाकिस्तान
38. पोलैंड
39. पुर्तगाल
40. रोमानिया
41. सैन मैरिनो
42. स्लोवाक गणराज्य
43. स्पेन
44. स्वीडन
45. स्विट्जरलैंड
46. द होली सी
47. तुर्की

48. अमरीका

49. युगोस्लाविया

50. बेल्जियम

51. दक्षिणी कोरिया

52. दक्षिणी अफ्रीका

53. सिंगापुर

54. थाईलैंड।

[हिन्दी]

निर्यात सूची में सम्मिलित की गई लघु उद्योगों की वस्तुएं

3092. श्री शिवराज सिंह चौहान:
श्री राजेन गोहेन:

क्या **लघु उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार लघु उद्योगों द्वारा निर्यात बढ़ाने के लिए कोई नीति तैयार करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) लघु उद्योगों द्वारा उत्पादित ऐसी वस्तुओं का ब्यौरा क्या है जिन्हें इस नीति के अंतर्गत निर्यात सूची में सम्मिलित किए जाने की संभावना है?

लघु उद्योग मंत्री तथा कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री (श्री महावीर प्रसाद): (क) और (ख) केन्द्र सरकार विदेश व्यापार नीति तैयार करती है जो अन्य बातों के साथ देश से, जिसमें लघु उद्योग शामिल हैं, निर्यात संवर्धन की व्यवस्था करती है। लघु उद्योगों को उनका निर्यात बढ़ाने में सहायता करने के लिए सरकार लघु उद्योग मंत्रालय में कई योजनाएं कार्यान्वित करती है, जिसमें शामिल हैं (1) अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेलों में भागीदारी (2) कैटेलाग प्रदर्शनियां आयोजित करना (3) अन्तर्राष्ट्रीय टेंडरों पर सूचना का विस्तार, (4) व्यवसायिक प्रतिनिधिमंडलों का आदान-प्रदान, आदि।

(ग) निर्यात के सन्दर्भ में, सरकार की विदेश व्यापार नीति बड़े तथा लघु उद्योगों द्वारा विनिर्मित उत्पादों के बीच अन्तर नहीं करती है। यह नीति उक्त नीति के तहत प्रतिबन्धित एवं निषिद्ध वर्गों की कुछ वस्तुओं को छोड़कर लघु उद्योगों द्वारा उत्पादों के निर्यात की अनुमति देती है।

[अनुवाद]

कयर उद्योग में संकट

3093. श्री एम.पी. वीरेन्द्र कुमार: क्या **लघु उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि देश में विशेषकर केरला में कायर उद्योग गिरते मूल्यों तथा कड़ी प्रतिस्पर्धा के कारण संकट का सामना कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो केरल में गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान कायर उद्योग के लाभ/घाटे का ब्योरा क्या है;

(ग) कायर कामगारों की सुरक्षा के लिए क्या कार्रवाई की गई/किए जाने का प्रस्ताव है;

(घ) क्या केन्द्र सरकार कायर कामगारों को कोई राहत प्रदान कर रही है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है?

लघु उद्योग मंत्री तथा कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री (श्री महावीर प्रसाद): (क) हालांकि कोई संकट नहीं है, केरल का कयर उद्योग अकाल तथा माइट रोग, जिसने गत दो वर्षों से नारियल के उत्पादन को प्रभावित किया है, के परिणामस्वरूप कयर उत्पादों के विनिर्माण के लिए आवश्यक कच्चे माल की कुछ कमी से गुजर रहा है। कयर उत्पादों को प्राकृतिक एवं सिंथेटिक सामग्रियों से तैयार स्थानापन्न उत्पादों से भी कड़ी प्रतियोगिता का सामना करना पड़ता है।

(ख) विगत तीन वर्षों के दौरान केरल में कयर फाईबर के उत्पादन का ब्योरा निम्नोक्त है:

वर्ष	कयर फाईबर का उत्पादन (मीट्रिक टन)
2001-2002	1,64,000
2002-2003	1,66,500
2003-2004	1,30,000

(ग) से (ङ) गत दो वर्षों में केरल में बच्चे माल की कमी को कयर का उत्पादन कर रहे पड़ोसी राज्यों से लेकर पूरा किया जाता है। केरल सरकार के अनुरोध पर, भारत सरकार ने सितम्बर, 2004 से आरंभ करके एक साल के लिए पड़ोसी देशों से कयर फाईबर के शुल्क मुक्त आयात की भी अनुमति प्रदान कर दी है। तथापि, अकाल और माइट के आक्रमण के कारण फाईबर में आई

कमी ने कयर क्षेत्र में रोजगार को प्रभावित नहीं किया है, जो विगत तीन वर्षों से वृद्धि दर्ज कर रहा है।

वेब बेस्ड लर्निंग पर दूरवर्ती कार्यक्रम

3094. **श्री विजय कृष्ण:**
श्री सुग्रीव सिंह:
श्री कीर्ति वर्धन सिंह:

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने वेब लर्निंग पर एक नया दूरवर्ती कार्यक्रम आरम्भ किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) तकनीकी शिक्षा की कार्यकुशलता और प्रभाविता में सुधार करने के उद्देश्य से तकनीकी शिक्षा प्रणाली में सूचना प्रौद्योगिकी को सम्मिलित करने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) जी, नहीं।

(ख) लागू नहीं होता।

(ग) (1) सूचना प्रौद्योगिकी विभाग ने ई-अधिगम/वेब आधारित अधिगम पर सुदूर शिक्षा कार्यक्रम के क्षेत्र में आईआईटी दिल्ली, जादवपुर विश्वविद्यालय कोलकाता, सी-डैक मुम्बई, इग्नू दिल्ली, बिट्स पिलानी, आईआईटी कानपुर जैसे शैक्षणिक संस्थानों को अनुसंधान एवं विकास की कुछ प्रायोगिक परियोजनाओं के लिए सहायता अनुदान प्रदान किया है।

(2) अर्नेट इण्डिया, जो सूचना प्रौद्योगिकी विभाग की एक स्वायत्त संस्था है ने एआईसीटीई द्वारा अनुमोदित तकनीकी संस्थानों में इन्टरनेट सुविधाएं स्थापित करने के लिए वर्ष 2001 में अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई) के साथ एक समझौता-पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौता-पत्र के अंतर्गत अर्नेट इण्डिया के जरिए सम्पर्क स्थापित करने के लिए सरकारी तकनीकी संस्थानों को 10.00 लाख रुपए तथा निजी तकनीकी संस्थानों को 5.00 लाख रुपए का एककालिक अनुदान प्रदान किया जाता है।

(3) डीओएसीसी संस्था, जो सूचना प्रौद्योगिकी विभाग का एक स्वायत्त निकाय है, ने कक्ष में प्रदायगी के लिए एक पूरक के रूप में डीओईएसीसी 'ओ' लेवल कम्प्यूटर पाठ्यक्रम के 5 माड्यूलों के लिए वेब आधारित अधिगम सामग्री प्रदान की है।

[हिन्दी]

सुनामी आपदा से पीड़ितों को सहायता

3095. **श्री मोहन सिंह:** क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) थाइलैण्ड, इन्डोनेशिया, श्रीलंका, मालद्वीप तथा अन्य देशों में हाल के सुनामी से भारतीय मूल के कितने लोग मारे गए हैं;

(ख) क्या इन देशों की सरकारों ने इन परिवारों के निर्वाह के लिए व्यवस्था की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या केन्द्र सरकार ने इन देशों में बसे सुनामी प्रभावित भारतीय मूल के लोगों की सहायता के लिए कुछ सहायता भेजी है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (राव इन्द्रजीत सिंह): (क) से (ङ) इसका ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

क्र.सं.	देश का नाम	विवरण
1	2	3
1.	इण्डोनेशिया	(क) इण्डोनेशिया में कार्य करने वाले भारतीय राष्ट्रिक 26 दिसम्बर, 2004 के दौरान सुनामी से प्रभावित नहीं हुए हैं। तथापि, एक श्री ए के पद्मनाभन, जो भारतीय कम्पनी, मैसर्स इनरकान, इनर्को सिस्टम्स प्राईवेट लिमिटेड, 440 इलेक्ट्रानिक सिटी, फेज-2 (ईस्ट), होसूर रोड, बंगलौर (टेलीफोन: 91-80-51189700/फैक्स 91-80-5118-9729) में कार्यरत थे, एक इण्डोनेशियाई कम्पनी, मैसर्स लफार्ज सेमन अन्डालास, पिट सेमन अन्डालास इण्डोनेशिया, प्लाजा ग्रेट रीवर एल.टी. 16 जे एल एच.आर. रसूना सेड एक्स 2 नं.1, जकार्ता के

1	2	3
		अस्थायी दौरे पर थे। जब वे पी.टी. सेमन अन्डालास, बंदर एसीह, इण्डोनेशिया स्थित अपने फैक्टरी का दौरा कर रहे थे, तो वे सुनामी से पीड़ित हो गए और उनकी मृत्यु हो जाने की सूचना मिली है।
		(ख), (ग), (घ) एवं (ङ) शून्य
2.	श्रीलंका	(क) उपलब्ध रिकार्डों के अनुसार, 13 भारतीय राष्ट्रिक, जो पर्यटक के रूप में श्रीलंका गए थे, इस आपदा से मर गए। हालांकि, श्रीलंका में रहने वाला भारतीय मूल का कोई भी नागरिक इस आपदा से नहीं मरा है।
		(ख) से (ङ) लागू नहीं।
3.	मालदीव	(क) श्री बदरी आलम नामक मात्र एक भारतीय राष्ट्रिक के, जो श्रमिक था और पश्चिम बंगाल का रहने वाला था, सुनामी आपदा से मरने की सूचना मिली है।
		(ख) नहीं।
		(ग) लागू नहीं।
		(घ) नहीं।
		(ङ) लागू नहीं।
4.	थाईलैण्ड	(क) थाईलैण्ड में सुनामी आपदा से चार भारतीय मारे गए।
		(ख) शून्य।
		(ग) लागू नहीं।
		(घ) सुनामी आपदा के मद्देनजर भारत ने थाईलैण्ड को आपातकालीन सहायता का प्रस्ताव किया है।
		(ङ) यह सहायता 500,000/- अमरीकी डालर के बराबर सामग्री के रूप में है।
5.	मलेशिया	(क) मलेशिया ने उन मलेशियाई नागरिकों के बारे में कोई सरकारी ब्यौरा नहीं दिया है जो गैर-यहूदी थे और सुनामी के कारण मारे गए। हालांकि, गैर-सरकारी तौर पर, मिशन मानता है कि सुनामी के कारण मलेशिया में भारतीय मूल का कोई व्यक्ति (मलेशियाई भारतीय) नहीं मरा है।
		(ख) एवं (ग) प्रश्न नहीं उठता।
		(घ) नहीं। मलेशिया को सुनामी पीड़ितों की सहायता के लिए कोई अंतर्राष्ट्रीय सहायता प्राप्त नहीं हुई।
		(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

दूरसंचार उपकरणों का आयात

3096. श्री रतिलाल कालीदास वर्मा:
श्रीमती किरण माहेश्वरी:

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान देश में आयात किए गए दूरसंचार उपकरणों का ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान दूरसंचार उपकरणों के आयात पर विदेशी मुद्रा में कितनी धनराशि का भुगतान किया गया है;

(ग) क्या सरकार ने चालू वर्ष के दौरान टेलीफोन इंस्ट्रूमेंट उपकरणों के आयात के लिए अनुमति भी दी है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) और (ख) टेलीफोन उपकरणों सहित दूरसंचार उपस्कर मोटे तौर पर आईटीसी (एचएस) कोड 8517 एवं 8525.20 के तहत कवर होते हैं और पिछले तीन वर्षों के दौरान इन शीर्षों के तहत आयात निम्न प्रकार से किया गया है:

वर्ष	आयात (करोड़ रुपयों में)
2003-04	11,629.45
2002-03	7,664.70
2001-02	2,603.51

(ग) और (घ) टेलीफोन उपकरणों सहित दूरसंचार उपस्कर का आयात मुक्त रूप से करने की अनुमति दी गई है और इसलिए सरकार से अनुमति की आवश्यकता नहीं है।

[अनुवाद]

कैट के कर्मचारियों को न्याय

3097. श्री सांताश्री चटर्जी:
श्री पी. करूणाकरन:

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को त्वरित न्याय प्रदान करने के लिए स्थापित केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण अपने ही कर्मचारियों को न्याय नहीं दे पाया है जिसके परिणामस्वरूप उसे मद्रास उच्च न्यायालय से प्रतिकूल टिप्पणियां प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या कार्मिक और प्रशिक्षण-विभाग द्वारा वरिष्ठता सूचियों/वर्षवार पैनल तैयार किए बिना ही केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण में पदोन्नतियां दी गई हैं;

(घ) यदि हां, तो वरिष्ठता सूचियों को तैयार करने में हुए विलंब के क्या कारण हैं;

(ङ) गलत पदोन्नतियों के कारण सरकारी कोष को कितना घाटा हुआ है; और

(च) इस संबंध में दोषी पाए गए लोगों के विरुद्ध क्या दंडात्मक कार्रवाई की गई है/करने का विचार किया गया है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश पचौरी): (क) और (ख) मद्रास उच्च न्यायालय ने दिनांक 06.01.2005/20.01.2005 के अपने निर्णय में उपयुक्त वरिष्ठता सूचियां उपलब्ध न होने पर टिप्पणी की थी और यह अवलोकन किया कि इसके परिणामस्वरूप सेवा नियमों का उल्लंघन करते हुए कनिष्ठ कर्मचारियों की पदोन्नति की गई है। न्यायालय ने यह भी टिप्पणी की है कि ऐसे संशोधन जो बाद में किए गए, उन्हें पिछले वर्षों के पदोन्नति मामलों पर लागू नहीं किया जा सकता। भारत संघ और केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण की प्रधान न्यायपीठ को यह निर्देश दिए गए थे कि वे केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण में संयुक्त पंजीयक के पद पर पदोन्नति के लिए वर्ष 1997 से 2000 तक के वर्ष वार पैनल, संगत समय पर लागू सेवा नियमों को लागू करते हुए तैयार करें। माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशों का अब अनुपालन कर दिया गया है।

(ग) और (घ) समूह 'क' पदों पर नियुक्तियां, अधिसूचित भर्ती नियमों के प्रावधानों के अनुसार, अध्यक्ष, केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण द्वारा गठित विभागीय पदोन्नति समिति/चयन समिति द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर भारत सरकार द्वारा की जाती हैं। तथापि, समूह 'ख', 'ग' और 'घ' पदों पर नियुक्तियां, स्वयं केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण द्वारा अधिसूचित भर्ती नियमावली के प्रावधानों के अनुसार की जाती हैं। केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण में सभी पदों/ग्रेडों के लिए वरिष्ठता सूचियां और पैनल, केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण द्वारा स्वयं ही नियमों और विनियमों के प्रावधानों के अनुसार तैयार किए जाते हैं।

केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना के समय, इसके अधिकारी/कर्मचारी, केन्द्रीय/राज्य सरकारों/उच्च न्यायालयों/अधीनस्थ न्यायालयों और विभिन्न सरकारी संगठनों से प्रतिनियुक्ति आधार पर लेकर या अन्यथा नियुक्त किए गए थे; उनके अपने-अपने मूल विभागों में भिन्न-भिन्न प्रकार के नियम और सेवा शर्तें थीं जिसके कारण केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण द्वारा विभिन्न ग्रेडों में वरिष्ठता सूची को अंतिम रूप दिए जाने में विलंब हुआ। वरिष्ठता संबंधी बहुत से मामले अदालत में होने के कारण विभिन्न ग्रेडों/समूहों की वरिष्ठता सूचियों को अंतिम रूप नहीं दिया जा सका। वर्ष 1999 में एम. रामचन्द्रन बनाम भारत संघ के मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय के परिणामस्वरूप केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण द्वारा विभिन्न ग्रेडों/समूहों की वरिष्ठता सूचियों को अंतिम रूप दिया गया तथा भर्ती नियमों के प्रावधानों के अनुसार पदोन्नतियां कर दी गईं।

(ङ) सरकारी कोष को कोई आर्थिक हानि नहीं हुई।

(च) उपर्युक्त (ङ) के मद्देनजर, प्रश्न नहीं उठता।

कैंसर केन्द्रों का विकास

3098. श्री एस. अजय कुमार:
श्रीमती सी.एस. सुजाता:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को विशेषकर मेडिकल कालेजों में कैंसर केन्द्रों के विकास हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) से (ग) सरकार ने 10 मेडिकल कालेजों को ओन्कोलोजी विंगों के विकास के लिए प्रत्येक मेडिकल कालेज को पिछले तीन वर्षों के दौरान 2 करोड़ रुपये की दर से अनुदान स्वीकृत किया है। राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत संशोधित दिशानिर्देशों के अनुसार इस प्रयोजन के लिए सहायता की मात्रा 3.00 करोड़ रुपये के एकबारगी अनुदान तक बढ़ा दी गई है। चालू वर्ष के दौरान 12 सरकारी मेडिकल कालेजों से प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं और अभी तक 4 मेडिकल कालेजों को अनुदान स्वीकृत किया गया है। इस स्कीम के अंतर्गत विभिन्न मेडिकल कालेजों को वित्तीय सहायता तकनीकी मूल्यांकन और निधियों की उपलब्धता के अध्यधीन होती है।

राष्ट्रीय तट संरक्षण परियोजना

3099. श्री एकनाथ महादेव गायकवाड: क्या **महासागर विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने राष्ट्रीय तट संरक्षण परियोजना के प्रथम चरण में महाराष्ट्र सरकार की परियोजना को शामिल किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) अब तक कितनी परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है;

(घ) कितनी परियोजनाएं लंबित हैं और इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) शेष परियोजनाओं को कब तक शामिल किया जाएगा?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा महासागर विकास विभाग के राज्य मंत्री (श्री कपिल सिब्बल): (क) और (ख) कटावरोधी कार्यों की योजना और कार्यान्वयन मुख्य रूप से संबंधित राज्य सरकारों का कार्य है। महाराष्ट्र सरकार ने प्रस्तावित राष्ट्रीय तट संरक्षण परियोजना (एनसीपीपी) में शामिल करने के लिए 193.80 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत का एक प्रस्ताव पेश किया है। महाराष्ट्र सरकार के प्रस्ताव में मुंबई, मुंबई उपनगर, थाणे, रायगढ़, रत्नागिरी और सिन्धुदुर्ग जिलों में 72.36 कि.मी. तक समुद्री कटावरोधी कार्य शामिल है। चूंकि राष्ट्रीय तट संरक्षण परियोजना के लिए बाहरी स्रोतों से निधि प्राप्त करने की योजना है, इसलिए तट संरक्षण पर एक प्रस्ताव तैयार किया गया है और इस क्षेत्र के लिए बाहर से निधि प्राप्त करने के लिए आर्थिक कार्य विभाग द्वारा इसकी जांच की जा रही है।

(ग) से (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

गुजरात में 'एम्स' की तरह का संस्थान

3100. श्रीमती मनोरमा माधवराज:
श्री जसुभाई दानाभाई बारड:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के जन स्वास्थ्य संस्थान की स्थापना करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार को गुजरात में 'एम्स' की तरह के संस्थान की स्थापना हेतु कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(घ) यदि हां, तो केन्द्र सरकार द्वारा इस पर कोई निर्णय लिया गया है; और

(ङ) विभिन्न राज्यों में 'एम्स' की तरह के संस्थानों की स्थापना में कुल कितना व्यय किया जाएगा?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) और (ख) देश में व्यावसायिक जन स्वास्थ्य शिक्षा के सुदृढ़ीकरण की दृष्टि से, आई आई टी और आई आई एम के उत्कृष्ट स्तर की जन स्वास्थ्य संबंधी नई संस्थाओं की संस्थापना और मौजूदा संस्थाओं के उन्नयन (अप-स्केलिंग) की संभावनाओं की तलाश की जा रही है। इस उद्देश्य के लिए, योजना आयोग ने दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत में जन स्वास्थ्य स्कूलों की स्थापना के लिए सिद्धांत रूप से अनुमोदन पहले ही दे दिया है।

(ग) और (घ) गुजरात राज्य से एम्स जैसी संस्था की स्थापना का कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ङ) प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत, अल्पसेवित राज्यों में प्रत्येक में 284.50 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत (लगभग) से छह एम्स जैसी संस्थाएं खोलने का एक प्रस्ताव है।

तालुका/तहसील मुख्यालयों में एस.टी.डी. सुविधा

3101. **श्री सनत कुमार मंडल:**
श्री बीर सिंह महतो:
श्री जी. करूणाकर रेड्डी:

क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में विशेषकर कर्नाटक और पश्चिम बंगाल में कुल कितने तालुकों/तहसील मुख्यालयों में एस.टी.डी. सुविधा युक्त दूरभाष केन्द्र हैं;

(ख) राज्यों में राज्यवार कितने तालुकों/तहसीरों में यह सुविधा उपलब्ध नहीं है;

(ग) इसके मुख्य कारण क्या हैं;

(घ) शेष तालुकों/तहसील मुख्यालयों में एस.टी.डी. सुविधा कब तक उपलब्ध कराये जाने की संभावना है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) से (ग)) देश में कर्नाटक सहित सभी तालुकों/तहसील मुख्यालयों में एसटीडी सुविधा प्रदान की गई है। इसके अलावा बिहार, झारखण्ड, पश्चिम बंगाल, असम, अरूणाचल प्रदेश, नागालैण्ड और मणिपुर राज्यों में तालुका/तहसील की संकल्पना नहीं है बल्कि उप-मण्डलीय मुख्यालय हैं, वहां सभी उप-मण्डलीय मुख्यालयों को एसटीडी सुविधा प्रदान की गई है। तथापि, कुछ अपवाद भी हैं जैसे त्रिपुरा और उड़ीसा में एक-एक तालुका/तहसील मुख्यालय तथा तमिलनाडु में 9 तालुका/तहसील मुख्यालय हैं जहां टेलीफोन एक्सचेंज नहीं हैं, लेकिन निकटतम एक्सचेंजों से एसटीडी सुविधा प्रदान की गई है।

(घ) और (ङ) उपरोक्त उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

सरकारी अस्पतालों में सी.टी. स्कैन मशीन

3102. **श्री एम. अप्पादुराई:** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि सरकारी अस्पतालों में सीटी स्कैन मशीनों के काम न करने के कारण हजारों गरीब मरीजों के सामने गम्भीर स्थिति उत्पन्न हो गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी अस्पतालवार ब्यौरा क्या है;

(ग) राज्यवार कितने सरकारी अस्पतालों में सी टी स्कैन मशीनें उपलब्ध हैं और उनकी कार्य करने की स्थिति कैसी है;

(घ) क्या सरकार को इस बात की भी जानकारी है कि सरकारी अस्पतालों के अधिकारियों की निजी क्लिीनिकों और नैदानिक केन्द्रों से सांठ-गांठ है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है/किए जाने का प्रस्ताव है;

(छ) क्या सरकार ने सी.टी. स्कैन प्रभारों को नियंत्रित करने और उनमें कमी लाने के लिए उपयुक्त कार्रवाई की है;

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(झ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) से (ग) जहां तक दिल्ली में केन्द्र सरकार द्वारा संचालित अस्पतालों अर्थात् डा. राम मनोहर लोहिया अस्पताल, सफदरजंग अस्पताल और लेडी हार्डिंग मेडिकल कालेज एवं संबद्ध अस्पतालों का संबंध है, यह सच नहीं है कि सी.टी. स्कैन मशीनें कार्य न करने अथवा निष्क्रिय हालत में हैं। तथापि, मशीनों का नियमित रूप से घिसाव होने के कारण मशीनें कभी-कभी कार्य करना बन्द कर देती हैं जिस के लिए केन्द्र सरकार के अस्पतालों के बीच जांच-पड़ताल करने हेतु संबंध (टाई-अप) व्यवस्थाएं की गई हैं।

(घ) से (च) उपर्युक्त अस्पतालों की प्राइवेट क्लिनिकों और नैदानिक केन्द्रों के बीच मिलीभगत होने के संबंध में ऐसी कोई सूचना नहीं मिली है।

(छ) से (झ) केन्द्र सरकार के अस्पतालों में सी टी स्कैन के लिए उगाहे गए प्रभार बाजार के प्रभारों की तुलना में कम (सब्सिडाइज्ड) हैं। तथापि, गरीब रोगियों और केन्द्र सरकार स्वास्थ्य योजना के लाभार्थियों के लिए सी टी स्कैन नि:शुल्क किया जाता है।

[हिन्दी]

आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति हेतु धनराशि

3103. **श्री महावीर भगोरा:** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने राजस्थान में आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति हेतु गत वर्ष की तुलना में इस वर्ष कम धनराशि आबंटित की है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार से सहबद्ध बहुत से संगठनों ने धनराशि बढ़ाने हेतु अनुरोध किया है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) और (ख) केंद्र सरकार ने विविध प्रकार की केंद्र प्रायोजित योजनाओं नामत: भारतीय चिकित्सा पद्धति होम्योपैथी (भाचिप एवं होम्यो) की स्वास्थ्य परिचर्या सुविधाओं का विकास, शैक्षिक संस्थाओं का विकास और गुणवत्ता नियंत्रण सुदृढ़ीकरण के तहत आयुर्वेद के संवर्धन के लिए राजस्थान को पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष अधिकतर निधियां मुहैया कराई हैं। राजस्थान को दी गई वित्त सहायता 2003-04 में 40.07 लाख रु. के मुकाबले 2004-2005 में 564.43 लाख रु. है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

रिक्त पद

3104. श्री रघुराज सिंह शाक्य:
श्री निखिल कुमार चौधरी:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या माननीय उच्चतम न्यायालय ने दिल्ली में केन्द्र सरकार के विभिन्न अस्पतालों और औषधालयों में रिक्त पड़े विभिन्न पदों को भरने का आदेश दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) आज की तिथि के अनुसार दिल्ली में स्थित केन्द्र सरकार के विभिन्न अस्पतालों में रिक्त पड़े और भरे गए विभिन्न पदों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इन रिक्त पदों को कब तक भरे जाने की सम्भावना है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) और (ख) जहां तक दिल्ली स्थित केन्द्र सरकार के अस्पतालों अर्थात् डा. राम मनोहर लोहिया अस्पताल, सफदरजंग अस्पताल, लेडी हार्डिंग मेडिकल कालेज एवं संबद्ध अस्पतालों और केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना औषधालयों का संबंध है, सरकार के सामने माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा हाल ही में पारित किया गया कोई आदेश नहीं आया है जिसमें खाली पड़े हुए विभिन्न पदों को भरने का निदेश दिया गया हो।

(ग) और (घ) उपर्युक्त केन्द्र सरकार के अस्पतालों में खाली पड़े हुए पदों और भरे गए पदों का समूहवार ब्यौरा विवरण-I, II और III में दिया गया है।

कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार द्वारा अपने दिनांक 16.5.2001 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 2/8/2001-पी आई सी के तहत लगाई गई पाबन्दी जिसमें यह सीमा निर्धारित की गई है कि एक वर्ष में होने वाली रिक्तियों की केवल एक तिहाई रिक्तियां ही सीधी भर्ती द्वारा भरी जा सकती हैं जो आगे कुल स्वीकृत संख्या की एक प्रतिशत के अध्यधीन होंगी, के कारण इस मंत्रालय को सभी पदों को भरने में दिक्कत आ रही है। अब यह कि सरकार ने विशेषज्ञों, डाक्टरों के पदों और अन्य तकनीकी पदों को उक्त अनुदेशों की सीमा से बाहर रखने का निर्णय लिया है, विशेषज्ञों, अन्य डाक्टरों के रिक्त पदों और अन्य तकनीकी पदों को भरने के लिए कार्रवाई शुरू कर दी गई है।

विवरण I

डा. राम मनोहर लोहिया अस्पताल, नई दिल्ली

क्र.सं.	पदों का नाम	स्वीकृत पदों की संख्या	भरे गए पदों की संख्या	रिक्त पदों की संख्या
1	2	3	4	5
1.	समूह क केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा पद	177	143	34
2.	समूह क गैर-केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा पद	25	8	17
3.	समूह ख राजपत्रित	20	11	9

1	2	3	4	5
4.	समूह ख अराजपत्रित	36	19	17
5.	समूह ग नर्सिंग को छोड़कर	877	794	83
6.	समूह ग (नर्सिंग)	810	735	75
7.	समूह घ	891	745	146

विवरण II

सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली

क्र.सं.	पदों का नाम	स्वीकृत पदों की संख्या	भरे गए पदों की संख्या	रिक्त पदों की संख्या
1.	समूह क चिकित्सीय	285	245	40
2.	समूह क गैर-चिकित्सीय	42	12	30
3.	समूह ख राजपत्रित	54	29	25
4.	समूह ख अराजपत्रित	448	393	55
5.	समूह ग नर्सिंग	868	677	191
6.	समूह ग परा चिकित्सीय	974	798	176
7.	समूह घ	1436	1216	220

विवरण III

लेडी हार्डिंग मेडिकल कालेज एवं संबद्ध अस्पताल

क्र.सं.	पदों का नाम	स्वीकृत पदों की संख्या	भरे गए पदों की संख्या	रिक्त पदों की संख्या
1.	समूह ''क'' अध्यापन पद	118	86	32
2.	समूह ''क'' अध्यापनेतर और गैर-चिकित्सीय पद	20	02	18
3.	समूह ''ख'' राजपत्रित	04	00	04
4.	समूह ''ख'' अराजपत्रित	226	203	23
5.	समूह ''ग'' पद (नर्सिंग और परा चिकित्सीय)	607	478	129
6.	समूह ''घ'' पद	574	533	41

कलावती सरन बाल अस्पताल

क्र.सं.	पदों का नाम	स्वीकृत पदों की संख्या	भरे गए पदों की संख्या	रिक्त पदों की संख्या
1.	समूह ''क'' पद	28	10	18
2.	समूह ''ख'' पद	137	115	22
3.	समूह ''ग'' पद	140	113	27
4.	समूह ''घ'' पद	88	73	15

राष्ट्रीय राजमार्गों/रेल मार्गों पर दूरसंचार सेवाएं

3105. श्रीमती नीता पटैरिया: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत संचार निगम लिमिटेड की तुलना में जिनी कंपनियां उपभोक्ताओं को बेहतर सेवाएं प्रदान कर रही हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं;

(ग) क्या मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गों और रेल मार्गों पर दूरसंचार सुविधाएं उपलब्ध हैं;

(घ) यदि नहीं, तो नागपुर मार्ग कुराई से खवासरा और जबलपुर से भोपाल राजमार्गों और कटनी-बीमा तथा जबलपुर-इटारसी रेल मार्गों पर बी.एस.एन.एल. के नेटवर्क की अनुपलब्धता के क्या कारण हैं; और

(ङ) इसे कब तक उपलब्ध कराये जाने की संभावना है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) और (ख) दिसम्बर, 2004 को समाप्त तिमाही की सेवा-गुणवत्ता संबंधी कार्य-निष्पादन रिपोर्टों के अनुसार, बीएसएनएल भी अन्य निजी प्रचालकों की तरह कई सर्किलों में अधिकतर बेंचमार्क को पूरा कर रहा है। तथापि, बुनियादी सेवा के मामले में यह कई पैरामीटरों के संबंध में निजी प्रचालकों से पीछे है जैसे, ''प्रतिमाह प्रति 100 उपभोक्ता दोष दर'' अगले कार्य दिवस तक ठीक किए गए दोष, ''उसी दौरान ठीक करना'' और ''काल समाप्ति दर'' बीएसएनएल वायर लाइन नेटवर्क के जरिए बुनियादी सेवा प्रदान करता है, जबकि निजी प्रचालक इसे अधिकांशत: बेतार प्रणाली पर प्रदान कर रहे हैं।

(ग) से (ङ) मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय राजमार्गों और रेल रूटों पर दूरसंचार सुविधाएं हैं। तथापि, राष्ट्रीय राजमार्गों और रेल रूटों पर सेल्यूलर सेवाओं का ''सीमलैस कवरेज'' उपलब्ध नहीं है। लाइसेंस करार की शर्तों के अनुसार, एक सेवा प्रदाता को जिला मुख्यालयों का 50% भाग कवर करना होता है तथा जिला मुख्यालय/नगर को कवर करने का अर्थ यह होगा कि क्षेत्र के नगर निगम की सीमाओं के अंतर्गत कम से कम 90% भाग में अपेक्षित गलियां तथा अंत:भवन (इन-बिल्डिंग) कवरेज होना चाहिए। लाइसेंस करार में राष्ट्रीय राजमार्गों और रेल रूटों पर ''सीमलैस कवरेज'' की परिकल्पना नहीं की गई है।

पूर्वोत्तर राज्यों और झारखंड में दूरसंचार सुविधाएं

3106. श्री राजेन गोहेन:
श्री हेमलाल मुर्मू:

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार चालू वित्त वर्ष के दौरान पूर्वोत्तर राज्यों और झारखंड में नए डाकघर, तारघर और एस.टी.डी. सुविधा युक्त दूरभाष केन्द्रों की स्थापना करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) और (ख) डाकघर मानदंडों के पूरा होने और योजना के अंतर्गत संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर खोले जाते हैं। पूर्वोत्तर राज्यों और झारखंड में डाकघर खोलने के लिए प्राप्त कुल प्रस्तावों, औचित्यसम्मत पाए गए प्रस्तावों की संख्या और चालू वित्तीय वर्ष के दौरान खोले गए डाकघरों की संख्या विवरण-I में दी गई है। 10वीं योजना के अंतर्गत डाकघर मौजूदा कार्यबल की पुनर्तैनाती और दूरी संबंधी मानदंडों को पूरा न करने वाले एकल या दो कर्मचारियों वाले मौजूदा डाकघरों को तर्कसंगत बनाने के माध्यम से खोले जाते हैं।

सरकार का चालू वित्तीय वर्ष 2004-05 के दौरान पूर्वोत्तर राज्यों और झारखंड में एसटीडी सुविधा से युक्त टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित करने का प्रस्ताव है। हालांकि, इन राज्यों में चालू वित्तीय वर्ष के दौरान नए तारघर खोलने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

चालू वित्तीय वर्ष 2004-05 के दौरान पूर्वोत्तर राज्यों तथा झारखंड में एसटीडी सुविधा युक्त टेलीफोन एक्सचेंज खोलने संबंधी ब्यौरा विवरण-II में दिया गया है।

विवरण I

पूर्वोत्तर राज्यों और झारखंड में डाकघर खोलने के लिए लंबित प्रस्तावों, डाकघर खोलने हेतु औचित्यसम्मत पाए गए प्रस्तावों और चालू वित्तीय वर्ष के दौरान खोले गए डाकघरों की संख्या

राज्य का नाम	डाकघर खोलने के लिए प्राप्त प्रस्तावों की संख्या		डाकघर खोलने के लिए औचित्य सम्मत पाए गए प्रस्तावों की संख्या		चालू वित्तीय वर्ष के दौरान खोले गए डाकघरों की संख्या		टिप्पणी
	ईडीबीओ	डीएसओ	ईडीबीओ	डीएसओ	ईडीबीओ	डीएसओ	
अरुणाचल प्रदेश	–	–	–	–	–	–	
असम	2	4	2	4	–	–	औचित्यसम्मत
झारखंड	28	–	–	–	–	1	पाए गए
मणिपुर	3	–	–	–	–	–	प्रस्तावों पर
मेघालय	–	–	–	–	–	–	कार्रवाई चल
मिजोरम	–	–	–	–	–	1	रही है।
नागालैंड	–	–	–	–	–	–	
सिक्किम	1	–	–	–	–	–	
त्रिपुरा	–	–	–	–	–	2	

ईडीबीओ—अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर
डीएसओ—विभागीय उप डाकघर

विवरण II

चालू वित्तीय वर्ष 2004-05 के दौरान पूर्वोत्तर राज्यों और झारखंड में एसटीडी सुविधा से युक्त नए टेलीफोन एक्सचेंज खोलने से संबंधित ब्यौरा

क्र.सं.	टेलीकाम सर्किल का नाम	राज्य का नाम	चालू वित्तीय वर्ष के दौरान खोले जाने के लिए प्रस्तावित नए एक्सचेंजों की संख्या	टिप्पणी (उन स्थानों के नाम जहां एक्सचेंज खोले जाने हैं)
1.	उत्तर पूर्व-1	मेघालय	5	कारकुट्टा, मेंडेल, नोंन्टालांग, लावबा और ठम्डेन
2.	उत्तर पूर्व-1	त्रिपुरा	2	सलागढ़, घोलागाटी
3.	उत्तर पूर्व-1	मणिपुर	2	चाकपीकारोंग, सुगनू
4.	उत्तर पूर्व-1	नागालैंड	1	पिफेमा
5.	झारखंड	झारखंड	4	दुमका (डांडे एवं देवदार) हजारीबाग (छतरो एवं रिवरसाइड)

लघु बचत योजनाओं पर कमीशन

3107. **श्री वाई.जी. महाजन:**
श्री राजनरायन बुधौलिया:

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या डाक विभाग को लघु बचत योजनाओं पर कमीशन मिलता है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान डाक विभाग द्वारा लघु बचत योजनाओं के अंतर्गत कितनी धनराशि संग्रहीत की गई है;

(ग) डाक विभाग द्वारा उक्त अवधि के दौरान लघु बचतों के संग्रहण से कुल कितना कमीशन प्राप्त किया गया है;

(घ) क्या वित्त मंत्रालय द्वारा समझौते के अनुसार डाक विभाग को लघु बचतों का कमीशन नहीं दिया जा रहा है;

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) इस संबंध में उपयुक्त निर्णय कब तक लिए जाने की सम्भावना है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) जी हां।

(ख)	2001-2002	79645.35 करोड़ रु.
	2002-2003	103323.04 करोड़ रु.
	2030-2004	133439.06 करोड़ रु.
(ग)	2001-2002	1496.75 करोड़ रु.
	2002-2003	1577.00 करोड़ रु.
	2003-2004	1762.50 करोड़ रु.

(घ) से (च) डाक विभाग को वित्त मंत्रालय से उनके द्वारा निर्धारित दरों के आधार पर पारिश्रमिक मिलता है। वित्तीय वर्ष 2001-02 तक के वित्त वर्षों के लिए 1993-94 से 10% की क्रमिक वार्षिक वृद्धि हुई। वित्तीय वर्ष 2002-03 से इस वृद्धि को कम कर के 5% से नीचे कर दिया गया है।

भवनों के निर्माण हेतु सहायता

3108. **श्री चन्द्रभान सिंह:** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को मध्य प्रदेश सरकार से स्वास्थ्य केन्द्रों हेतु भवन निर्माण के लिए वित्तीय सहायता के संबंध में कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर कार्रवाई कब तक किए जाने की सम्भावना है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) से (ग) मध्य प्रदेश सरकार ने 80 उप-स्वास्थ्य केन्द्रों के निर्माण की लागत को पूरा करने के लिए डेनिडा सहायता प्राप्त मौलिक स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम के अंतर्गत प्रत्यक्ष वित्त पोषण से अप्रत्यक्ष वित्त पोषण घटक में 3.20 करोड़ रुपए (केवल तीन करोड़ और बीस लाख रुपए) की राशि के अन्तरण के लिए भारत सरकार को अनुमोदन हेतु एक प्रस्ताव भेजा है। बाद में, भारत सरकार के एक प्रश्न के उत्तर में मध्य प्रदेश सरकार ने स्पष्ट किया कि 3.20 करोड़ रुपए की उपरोक्त राशि का उपयोग 80 उप-स्वास्थ्य केन्द्रों की लागत पूरा करने के लिए किया जाएगा जिनका निर्माण राज्य सरकार द्वारा पहले ही किया जा चुका है। तत्पश्चात्, अर्थात 31.1.2002 को स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार ने इस मामले में आगे कार्रवाई करने के लिए राज्य सरकार को सभी संबंधित ब्यौरों के साथ पहले से ही निर्मित 80 उप-स्वास्थ्य केन्द्रों की सूची भेजने के लिए अनुरोध किया था। मध्य प्रदेश सरकार से उक्त ब्यौरे अभी प्राप्त होने हैं। इस मामले में आगे की कार्यवाही मध्य प्रदेश सरकार से अपेक्षित सूचना प्राप्त होने के बाद की जाएगी।

सम्पत्तियों का अवैध अधिग्रहण

3109. **श्री किशन सिंह सांगवान:** क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि सी.बी.आई. और आयकर विभाग ने भ्रष्टाचार से अर्जित सम्पत्ति के कई मामलों का पता लगाया है और उन्हें जब्त किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान सी.बी.आई. द्वारा कितनी परिसम्पत्तियों को जब्त किया गया है और कितने व्यक्तियों के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई की गई है; और

(घ) भ्रष्टाचार और सम्पत्तियों के अवैध अधिग्रहण को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश पचौरी): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) आयकर विभाग ऐसी आय तथा परिसम्पत्तियों के मामलों में जांच करता है जिनका खुलासा न किया गया हो तथा ऐसी परिसम्पत्तियों को जब्त कर लेता है चाहे उन्हें भ्रष्ट तरीकों से अथवा अन्यथा अर्जित किया गया हो और भ्रष्ट तरीके से अर्जित परिसम्पत्तियों को जब्त करने के बारे में अलग से कोई आंकड़े नहीं रखे जाते। वर्ष, 2002, 2003, 2004 तथा 2005 (28.02.2005 तक) के दौरान केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा भ्रष्ट तरीकों से लोक सेवकों द्वारा, अपनी आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक अर्जित सम्पत्ति/परिसम्पत्ति रखने के क्रमश: 113, 82, 82 तथा 34 मामले दर्ज किए गए। 331 मामलों में से 144 मामलों में जांच पूरी कर ली गई है तथा जांच के परिणाम के अनुसार, कानूनी कार्रवाई की गई है। 69 मामलों में आरोप-पत्र दाखिल किए गए हैं। 35 मामलों में नियमित/विभागीय कार्रवाई की सिफारिश की गई है तथा 18 मामलों में अभियोजन की मंजूरी मांगी गई है। 20 मामलों को समाप्त किए जाने की सिफारिश की गई है तथा 2 मामले संबंधित विभागों को, मामलों में उपयुक्त कार्रवाई किए जाने हेतु भेजे गए हैं।

(घ) सरकारी कार्यालयों में भ्रष्टाचार की रोकथाम हेतु भ्रष्टाचार निरोधक नीति बनाए जाने, इसकी मानीटरिंग करने तथा इसके प्रभावी कार्यान्वयन जैसे कदम उठाए गए हैं। इस नीति के तीन घटक हैं: निवारक सतर्कता, सुराग रसानी तथा निगरानी और दण्डात्मक निवारक कार्रवाई।

[अनुवाद]

स्पीड पोस्ट केन्द्र

3110. श्री हेमलाल मुर्मू:
श्री राजनरायन बुधौलिया:

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में स्पीड पोस्ट केन्द्रों को खोलने के लिए क्या मानदंड अपनाए गए हैं;

(ख) देश में राज्यवार और जिलावार कितने स्पीड पोस्ट केन्द्र कार्य कर रहे हैं;

(ग) क्या नए स्पीड पोस्ट केन्द्र खोलने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) दो तरह के स्पीड पोस्ट केन्द्र हैं, राष्ट्रीय स्पीड पोस्ट केंद्र और राज्य स्पीड पोस्ट केन्द्र। राज्य स्पीड पोस्ट केन्द्र नए खोले जाते हैं और राष्ट्रीय स्पीड पोस्ट केन्द्र राज्य स्पीड पोस्ट केन्द्रों का दर्जा बढ़ाकर बनाए जाते हैं। नया राज्य स्पीड पोस्ट केन्द्र खोलने और राष्ट्रीय स्पीड पोस्ट केन्द्र के रूप में उसका दर्जा बढ़ाए जाने के मानदंड विवरण में दिए गए हैं।

(ख) सूचना विवरण-II में दी गई है।

(ग) जी नहीं।

(घ) उपर्युक्त (ग) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

विवरण I

(क) राज्य स्पीड पोस्ट केन्द्र खोलने के मानदंड:

1. सर्किल अध्यक्षों को अपने सर्किल के अंतर्गत उन स्टेशनों पर राज्य स्पीड पोस्ट केन्द्र खोलने के लिए अधिकृत किया गया है जहां प्रतिदिन 20 स्पीड पोस्ट वस्तुओं से अधिक का परियात हो सकता हो।
2. स्पीड पोस्ट बैग प्रस्तावित राज्य स्पीड पोस्ट केन्द्र से अपने गेटवे (चिन्हित राष्ट्रीय स्पीड पोस्ट केंद्र) या तो उसी दिन या अधिक से अधिक अगले दिन सुबह तक (डी+1 एफ/एन) पहुंच जाना चाहिए।

(ख) राज्य स्पीड पोस्ट केन्द्र का दर्जा राष्ट्रीय स्पीड पोस्ट केन्द्र के रूप में बढ़ाने के मानदंड:

1. मासिक औसत राजस्व एक लाख रु. या इससे अधिक होना चाहिए।
2. प्रस्तावित केंद्र से सभी अन्य राष्ट्रीय केंद्रों तथा अधिकतम वितरण मानदंड दो दिन अर्थात् डी+2 से अधिक नहीं होना चाहिए, केवल उत्तर पूर्व केंद्रों को छोड़कर, जहां अधिकतम ट्रांजिट डी+3 से अधिक नहीं होना चाहिए।
3. प्रस्तावित राष्ट्रीय स्पीड पोस्ट केंद्र के लिए कर्मचारियों की व्यवस्था पुनर्तैनाती के माध्यम से की जानी चाहिए।

विवरण II

राष्ट्रीय और राज्य स्पीड पोस्ट केन्द्रों की राज्यवार तथा जिलावार सूची

क्र.सं.	जिले का नाम	राष्ट्रीय स्पीड पोस्ट केन्द्रों की संख्या	राज्य स्पीड केन्द्रों की संख्या
1	2	3	4
I.	**असम**		
1.	कामरूप	1	0
2.	नलबाड़ी	0	1
3.	बरपेटा	0	1
4.	बोंगईगांव	0	1
5.	कोकराझार	0	1
6.	धुबरी	0	1
7.	गोपालपाड़ा	0	1
8.	दारंग	0	1
9.	सोनितपुर	0	1
10.	उत्तरी लखीमपुर	0	1
11.	धेमाजी	0	0
12.	नोगांव	0	1
13.	मोरीगांव	0	1
14.	जोरहाट	1	0
15.	गोलाघाट	0	1
16.	शिबसागर	0	1
17.	तिनसुकिया	0	1
18.	डिब्रूगढ़	1	0
19.	कारबी अगंलंग	0	1
20.	एन.सी. हिल	0	1
21.	कोचर	1	0
22.	हेलाकण्डी	0	1
23.	करीमगंज	0	1
II.	**अरुणाचल प्रदेश**		
1.	पापुमपारे	1	5
2.	अलोंग	0	0
3.	पासीघाट	0	0
4.	बोमडिला	0	0
5.	तेजु	0	0
6.	खोन्सा	0	0
7.	यिनकियोंग	0	0
8.	सेप्पा	0	0
9.	अनीनी	0	0
10.	चांगलंग	0	0
11.	तोवांग	0	0
12.	जीरो	0	0
13.	दापोरीजो	0	0
14.	यांगटे	0	0
III.	**आंध्र प्रदेश**		
1.	हैदराबाद	1	0
2.	आदिलाबाद	0	4
3.	अनन्तपुर	0	5
4.	चित्तूर	1	5
5.	कुड्डपाह	0	4
6.	पूर्वी गोदावरी	0	2
7.	गुंटूर	1	2
8.	करीमगंज	0	4
9.	खम्माम	1	2
10.	कृष्ण	1	1

1	2	3	4
11.	कुरेनूल	1	3
12.	महबूबनगर	0	4
13.	मेंढक	0	5
14.	नालगोंडा	0	5
15.	नेल्लोर	0	1
16.	निजामाबाद	0	4
17.	प्रकाशम	0	2
18.	श्रीकाकुलम	0	1
19.	विशाखापतनम	1	0
20.	विजयनगरम	0	1
21.	वारंगल	0	4
22.	पश्चिम गोदावरी	1	3
*23.	रंगारेड्डी	0	0
IV. बिहार			
1.	औरंगाबाद	0	4
2.	अरवाल	0	1
3.	अररिया	0	1
4.	भोजपुर (अरा.)	1	0
5.	बक्सर	0	1
6.	भागलपुर	0	1
7.	बांका	0	1
8.	बेगुसराय	0	1
9.	दरभंगा	1	0
10.	पूर्वी चंपारण	0	2
11.	गया	1	0
12.	गोपालगंज	0	1
13.	जहानाबाद	0	1
14.	जमुई	0	1
15.	कैमुर	0	1
16.	खगड़िया	0	1
17.	कटिहार	0	1
18.	किशनगंज	0	1
19.	लखीसराय	0	1
20.	मधुबनी	0	7
21.	मुजफ्फरपुर	1	0
22.	मधेपुरा	0	1
23.	मुंगेर	0	4
24.	नालन्दा	0	4
25.	नवादा	0	1
26.	पटना	1	0
27.	पुर्णिया	0	1
28.	रोहतास (सासाराम)	0	2
29.	सारन (चंपारण)	1	0
30.	सीवान	0	1
31.	समस्तीपुर	0	1
32.	सीतामढ़ी	0	1
33.	सिहोर	0	1
34.	सहरसा	0	1
35.	सुपौल	0	1
36.	शेखीपुरा	0	1
37.	वैशाली (हमीरपुर)	0	1
38.	पश्चिम चंपारण	0	1
V.	**छत्तीसगढ़**		
1.	रायपुर	1	4

1	2	3	4
2.	महासमुंद	0	1
3.	धामात्री	0	1
4.	दुर्ग	1	2
5.	राजनन्दगांव	0	1
6.	कावर्धा	0	1
7.	बिलासपुर	1	1
8.	कोरबा	0	1
9.	जांजगीर	0	2
10.	रायगढ़	0	2
11.	जसपुर	0	2
12.	अम्बिकापुर	0	2
13.	जगदलपुर	0	3
14.	दांतेवाडा	0	4
15.	कनकेर	0	3
VI.	**दिल्ली**		
1.	दिल्ली	1	0
VII.	**गुजरात**		
1.	अहमदाबाद	1	0
2.	गांधीनगर	0	2
3.	मेहसाणा	0	4
4.	पाटन	0	4
5.	बनासकांठा	0	4
6.	साबरकांठा	0	4
7.	भरूच	0	1
8.	नर्मदा	0	2
9.	सूरत	1	5
10.	डांग	0	1
11.	नवसारी	0	2
12.	वलसाड	0	2
13.	सुरेन्द्रनगर	0	2
14.	राजकोट	1	1
15.	जामनगर	0	1
16.	जूनागढ़	0	2
17.	भावनगर	0	1
18.	अमरेली	0	1
19.	पोरबन्दर	0	1
20.	कच्छ	0	4
21.	आनन्द	0	8
22.	खेडा	0	2
23.	वडोदरा	1	1
24.	दहोड	0	1
25.	पंचमहल	0	3
VIII.	**गोवा**		
1.	उत्तरी जिला गोवा	1	0
2.	दक्षिण जिला गोवा	1	0
IX.	**हरियाणा**		
1.	अम्बाला	1	0
2.	यमुनानगर	1	0
3.	पंचकुला	1	0
4.	कुरूक्षेत्र	1	0
5.	कैथल	0	1
6.	करनाल	1	0
7.	पानीपत	1	0
8.	जींद	0	1
9.	सोनीपत	0	1
10.	गुड़गांव	1	0

1	2	3	4
11.	रिवाड़ी	0	1
*12.	मोहिन्द्रगढ़	0	0
13.	फरीदाबाद	1	0
14.	भिवानी	0	1
15.	हिसार	1	0
16.	सिरसा	0	1
*17.	फतेहाबाद	0	0
18.	रोहतक	1	0
*19.	झज्झर	0	2
X.	**हिमाचल प्रदेश**		
1.	बिलासपुर	0	1
2.	चम्बा	0	2
3.	हमीरपुर	1	0
4.	किन्नूर	0	1
5.	कुल्लू	0	2
6.	कांगड़ा	1	3
7.	मण्डी	1	1
8.	शिमला	1	2
9.	सोलन	1	3
10.	सिरमौर	0	1
11.	ऊना	0	1
12.	लाहोल और स्पीति	0	0
XI.	**जम्मू-कश्मीर**		
1.	जम्मू	1	2
2.	ऊधमपुर	0	5
3.	पुंच	0	0
4.	राजौरी	0	0
5.	डोडा	0	0
6.	कठुआ	0	1
7.	कुपवाड़ा	0	0
8.	बारामूला	0	3
9.	श्रीनगर	1	1
10.	बड़गाम	0	1
11.	पुलवामा	0	1
12.	अनन्तनाग	0	2
13.	लेह	0	1
14.	कारगिल	0	0
XII.	**झारखंड**		
1.	रांची	1	3
2.	गुमला	0	1
3.	लोहारडगा	0	1
4.	शिमडेगा	0	2
5.	पूर्वी सिंहभूम	1	1
6.	पश्चिमी सिंहभूम	0	5
7.	सराईकेला	0	2
8.	बोकारो	0	8
9.	धनबाद	1	7
10.	हजारीबाग	0	17
11.	कोडरमा	0	4
*12.	चतरा	0	2
13.	गिरिडीह	0	1
14.	जामतारा	0	2
15.	पलामू	0	4
16.	गढ़वा	0	2
17.	लाटेहर	0	2
18.	दुमका	0	1

1	2	3	4
19.	गोड्डा	0	2
20.	देवघर	0	4
21.	साहेबगंज	0	2
22.	पाकुर	0	1
XIII.	**कर्नाटक**		
1.	बेंगलूर शहरी	1	0
*2.	बेंगलूर ग्रामीण	0	0
3.	चिकमगलूर	1	0
4.	चित्रदुर्गा	0	1
5.	देवनगेरे	1	0
6.	हसन	0	1
7.	कोदागु	0	1
8.	कोलर	0	1
9.	माण्डया	0	1
10.	दक्षिण कन्नाडा	1	1
11.	मैसूर	1	0
12.	चामराजनगर	0	1
13.	शिमोगा	0	2
14.	तुमकुर	0	1
15.	उदीपी	1	0
16.	बागलकोट	1	0
17.	बेल्लारी	1	1
18.	बेलगाम	1	2
19.	बीदर	1	0
20.	बीजापुर	1	0
21.	उत्तर कन्नाडा	1	2
22.	धारवाड़	1	0
23.	गदग	1	0
24.	गुलबर्गा	1	1
25.	हावेरी	1	1
26.	रायचूर	1	0
27.	कोप्पल	0	1
XIV.	**केरल**		
1.	तिरुवनन्तपुरम	1	1
2.	कोल्लम	1	2
3.	पथनमथिट्टा	1	3
4.	अलापुजा	0	4
5.	कोट्टायम	1	2
6.	इदुक्की	0	5
7.	एर्नाकुलम	2	0
8.	त्रिशूर	1	4
9.	पालाकड	1	2
10.	मालापुरम	0	6
11.	काजीकाड	1	2
12.	वायनाड	0	1
13.	कासरगोड	0	1
14.	कन्नूर	0	2
XV.	**महाराष्ट्र**		
1.	मुंबई	1	0
2.	थाणे	1	6
3.	रायगढ़	0	11
4.	पुणे	1	11
5.	अहमदनगर	0	5
6.	शोलापुर	0	2
7.	सतारा	0	4
8.	औरंगाबाद	1	0

1	2	3	4
9.	नासिक	1	2
10.	जालना	0	1
11.	जलगांव	0	4
12.	धुले	0	1
13.	बीड	0	1
14.	नानदेड़	0	1
15.	परभनी	0	1
16.	लातुर	0	1
17.	ओसमानाबाद	0	3
18.	हिंगोली	0	1
19.	नन्दूबार	0	1
20.	नागपुर	1	1
21.	भण्डारा	0	1
22.	गोंदिया	0	1
23.	अकोला	0	1
24.	अमरावती	0	1
25.	बुलडाना	0	1
26.	चन्द्रपुर	0	1
27.	गडचिरोली	0	1
28.	वर्धा	0	1
29.	वाशिम	0	1
30.	यवतमाल	0	1
31.	सांगली	0	2
32.	कोल्हापुर	0	2
33.	रत्नागिरि	0	4
34.	सिंधदुर्ग	0	4
XVI.	मध्य प्रदेश		
1.	भोपाल	1	1
2.	होशंगाबाद	0	4
3.	हरदा	0	1
4.	नरसिंगपुर	0	2
5.	सागर	0	3
6.	दमोह	0	2
7.	विदिशा	0	5
8.	रायसेन	0	3
9.	छतरपुर	0	3
10.	टीकमगढ़	0	1
11.	पन्ना	0	1
12.	छिन्दवाड़ा	1	0
13.	बेतुल	0	1
14.	बालाघाट	0	1
15.	मान्डला	0	2
16.	सियोनी	0	2
17.	डिंडोरी	0	1
18.	रीवा	0	1
19.	सतना	0	3
20.	शहडोल	0	4
21.	सिद्धि	0	3
22.	उमरिया	0	1
23.	अनूपपुर	0	2
24.	जबलपुर	1	0
25.	कटनी	0	1
26.	ग्वालियर	1	2
27.	दातला	0	1
28.	मुरैना	0	1
29.	भिंड	0	2

1	2	3	4
30.	शियोपुर	0	1
31.	गुना	0	3
32.	शिवपुरी	0	1
33.	अशोकनगर	0	1
34.	इंदौर	1	4
35.	देवास	0	3
36.	धार	0	4
37.	मंदसौर	0	1
38.	नीमच	0	1
39.	रतलाम	0	2
40.	झाबुआ	0	1
41.	खण्डवा	0	1
42.	खरगोन	0	2
43.	बरवानी	0	1
44.	बुरहानपुर	0	2
45.	सिहोरे	0	5
46.	राजगढ़	0	9
47.	उज्जैन	1	1
48.	शाजापुर	0	1
XVII.	मणिपुर		
1.	इम्फाल पूर्व	1	2
2.	बिशनपुर	0	1
3.	चंदेल	0	1
4.	चूराचांदपुर	0	1
5.	सेनापति	0	1
6.	थोबाल	0	1
7.	उखरूल	0	1
8.	तामेनगलंग	0	0
9.	इम्फाल पश्चिम	0	1
XVIII.	मेघालय		
1.	पूर्वी खासी हिल	1	4
2.	जैन्तिया हिल	0	1
3.	पश्चिमी गारो हिल	0	0
4.	पश्चिमी खासी हिल	0	0
5.	पूर्वी गारो हिल	0	0
6.	रिबहोई	0	0
7.	दक्षिण गारो हिल	0	0
XIX.	मिजोरम		
1.	ऐजवाल पूर्वी	1	2
2.	शोचिप	0	2
3.	लुंगलई	0	2
4.	चामफाई	0	2
5.	कोलासिब	0	2
6.	लांगतलई	0	2
7.	मामित	0	1
8.	सैहा	0	1
9.	हाथियाल	0	1
10.	थिंगसुल्तियाह	0	1
11.	थिंगडावल	0	1
XX.	नागालैंड		
1.	कोहिमा	1	3
2.	दीमापुर	1	1
3.	मोकुकचुंग	0	1
4.	फेक	0	1
5.	वोखा	0	1
6.	तेनसांग	0	1

1	2	3	4
7.	मन	0	1
8.	जुनहेबोटो	0	1
9.	पेरन	0	0
10.	किपहेरे	0	0
11.	लोंगलेंग	0	0
XXI.	उड़ीसा		
1.	अंगुल	0	2
2.	बोलनगीर	0	2
3.	बाड़गढ़	0	1
4.	बालासोर	0	1
5.	भाद्रक	0	1
*6.	बौद्ध	0	0
7.	कटक	1	1
8.	धेनकनाल	0	1
9.	देवगढ़	0	0
10.	गंजम	1	3
11.	गजपति	0	1
12.	जाजपुर	0	2
13.	जगतसिंहपुर	0	2
14.	झारसुगुडा	0	1
15.	केन्द्रपाड़ा	0	1
16.	क्योंझर	0	2
17.	कालाहाण्डी	0	1
18.	कोरापुट	0	2
*19.	नोपाड़ा	0	0
20.	पुरी	0	1
21.	कन्धामल	0	1
22.	रायगुडा	0	1
23.	सम्बलपुर	1	0
*24.	सोनपुर	0	0
25.	सुन्दरगढ़	1	1
26.	खोरधा	1	0
27.	मयूरभंज	0	1
28.	मलकानगिरि	0	1
29.	नवरंगपुर	0	1
30.	नयागढ़	0	1
XXII.	पंजाब		
1.	अमृतसर	1	2
2.	भण्टिडा	1	0
3.	फिरोजपुर	0	1
4.	फरीदकोट	0	1
5.	फतेहगढ़ साहिब	0	1
6.	गुरदासपुर	3	0
7.	होशियारपुर	0	2
8.	जालंधर	1	0
9.	कपूरथला	1	1
10.	लुधियाना	2	1
11.	मान्सा	0	1
12.	मोगा	0	1
13.	मुक्तसर	0	1
14.	नवाशहर	0	1
15.	पटियाला	1	1
16.	रोपड़	0	1
17.	संगरूर	0	1
XXIII.	राजस्थान		
1.	अजमेर	1	4

1	2	3	4
2.	अलवर	0	1
3.	बांगावाड़	0	1
4.	बाड़मेर	0	1
5.	भरतपुर	0	1
6.	भीलवाड़ा	0	1
7.	बीकानेर	0	1
8.	बूंदी	0	1
9.	चित्तौड़गढ़	0	1
10.	चुरू	0	1
11.	दौसा	0	1
12.	धोलपुर	0	1
13.	डुंगरपुर	0	1
14.	हनुमानगढ़	0	1
15.	जयपुर	1	2
16.	जैसलमेड़	0	1
17.	जालोर	0	1
18.	झुनझुनू	0	2
19.	कोटा	0	1
20.	नागौर	0	1
21.	पाली	0	1
22.	राजसमन्द	0	1
23.	सवाई माधोपुर	0	1
24.	सीकर	0	1
25.	सिरोही	0	2
26.	श्रीगंगानगर	0	2
27.	टोंक	0	1
28.	उदयपुर	1	1
29.	जोधपुर	1	0

1	2	3	4
XXIV.	**सिक्किम**		
1.	पूर्वी सिक्किम	1	6
2.	पश्चिम सिक्किम	0	1
3.	दक्षिण सिक्किम	0	1
4.	उत्तर सिक्किम	0	0
XXV.	**तमिलनाडु**		
1.	चेन्नई	1	0
2.	कोयम्बटूर	3	0
3.	कुड्डालोर	1	2
4.	धर्मापुरी	1	1
5.	डिंडिगुल	0	1
6.	इरोडे	1	0
7.	कांचीपुरम	1	0
8.	करूर	1	0
9.	कन्याकुमारी	1	0
10.	मदुरै	1	0
11.	नागापट्टिनम	0	1
*12.	नामक्कल	0	0
*13.	दी नीलगिरि	0	0
*14.	पेराम्बलूर	0	0
15.	पुडुकोट्टाई	0	1
16.	रामनाथपुरम	0	2
17.	सलेम	1	0
18.	शिवगंगा	0	2
19.	थंजावूर	0	3
20.	थेनी	0	2
21.	तिरूचिरापल्ली	1	0
22.	तिरूनवेली	1	1

1	2	3	4
23.	तूतीकोरिन	1	0
*24.	तिरूवाल्लूर	0	0
25.	तिरूवन्नामलई	0	1
26.	तिरूवारूर	0	1
27.	वेल्लोर	1	0
28.	विल्लुपुरम	0	1
29.	विरूद्धनगर	0	3
XXVI.	**त्रिपुरा**		
1.	पश्चिम त्रिपुरा	1	8
2.	दक्षिण त्रिपुरा	0	1
3.	दाहलाई	0	1
4.	त्रिपुरा उत्तर	0	2
XXVII.	**उत्तरांचल**		
1.	देहरादून	1	4
2.	नैनीताल	1	3
3.	पौड़ी	1	3
4.	टिहरी	0	1
5.	अल्मोड़ा	0	2
6.	पिथौरागढ़	0	1
7.	चमोली	0	1
8.	हरिद्वार	1	3
9.	रूद्रप्रयाग	0	1
10.	ऊधमसिंह नगर	0	5
11.	बागेश्वर	0	1
*12.	चम्पावत	0	0
*13.	उत्तरकाशी	0	0
XXVIII.	**उत्तर प्रदेश**		
1.	आगरा	1	0
2.	इलाहाबाद	1	0
3.	अलीगढ़	1	0
4.	आजमगढ़	0	1
*5.	औरईया	0	0
6.	अम्बेडकरनगर	0	0
7.	बाराबंकी	0	1
8.	बस्ती	0	1
*9.	बड़ौत	0	0
10.	बलिया	0	1
11.	बहराइच	0	1
12.	बलरामपुर	0	1
13.	बरेली	1	0
*14.	बागपत	0	0
15.	बजनौर	0	1
16.	बदायूं	0	1
17.	बांदा	0	1
*18.	बुलन्दशहर	0	0
*19.	चित्रकूट	0	0
*20.	चंदौली	0	0
21.	देवरिया	0	0
22.	इटावा	0	1
23.	ऐटा	0	1
24.	फैजाबाद	0	1
25.	फरूर्खाबाद	0	1
26.	फतेहपुर	0	1
27.	फिरोजाबाद	0	1
28.	गोरखपुर	1	0
29.	गोंडा	0	1

1	2	3	4
30.	गाजीपुर	0	1
31.	गाजियाबाद	1	0
32.	हरदोई	0	1
*33.	हाथरस	0	0
34.	हमीरपुर	0	1
35.	जौनपुर	0	1
36.	जालौन	0	0
37.	झांसी	1	0
*38.	कुशीनगर	0	0
39.	लखीमपुर खीरी	0	1
40.	कानपुर सिटी	1	0
*41.	कानपुर देहात	0	0
42.	कन्नौज	0	1
*43.	कौशाम्बी	0	0
44.	लखनऊ	1	0
*45.	ललितपुर	0	0
46.	महाराजगंज	0	1
47.	मऊ	0	1
48.	मिर्जापुर	0	1
49.	मुरादाबाद	1	0
50.	मुजफ्फरनगर	0	1
51.	महोबा	0	1
52.	मथुरा	1	0
53.	मैनपुरी	0	1
54.	मेरठ	1	0
55.	नौएडा	1	0
56.	प्रतापगढ़	0	1
57.	पीलीभीत	0	1
58.	रायबरेली	0	1
59.	रामपुर	0	1
*60.	सोनभद्र	0	0
61.	सीतापुर	0	1
62.	कबीरनगर	0	1
63.	सुल्तानपुर	0	1
64.	सिद्धार्थनगर	0	1
65.	सहारनपुर	1	0
66.	सन्त रविदास नगर	0	1
*67.	शाहजहांपुर	0	1
68.	श्रावस्ती	0	0
69.	उन्नाव	0	1
70.	वाराणसी	1	0
XXIX.	**पश्चिम बंगाल**		
1.	कोलकाता	1	0
2.	24-परगना उत्तर	0	14
3.	24-परगना पश्चिम	0	2
4.	नदिया	0	11
5.	मुर्शिदाबाद	0	9
6.	बीरभूम	0	6
7.	हावड़ा	1	8
8.	हुगली	0	14
9.	पूर्वी मिदनापुर	0	7
10.	पश्चिम मिदनापुर	1	5
11.	बर्दवान	0	14
12.	बांकुरा	0	3
13.	पुरुलिया	0	3
14.	दार्जिलिंग	1	8

1	2	3	4
15.	जलपाईगुड़ी	0	8
16.	कूचबिहार	0	5
17.	उत्तर दिनाजपुर	0	2
18.	दक्षिण दिनाजपुर	0	3
19.	मालदा	0	4
XXX.	**अंडमान निकोबार (यूटी)**		
1.	अंडमान	1	13
2.	निकोबार	0	3
XXXI.	**लक्षद्वीप (यूटी)**		
1.	लक्षद्वीप	0	1
2.	माहे	0	1
XXXII.	**पांडिचेरी (यूटी)**		
1.	पांडिचेरी	1	0
XXXII.	**चंडीगढ़ (यूटी)**		
1.	चंडीगढ़	1	2
XXXIV.	**दमन एवं दीव (यूटी)**		
1.	दीव	0	1
2.	दमन	0	1
XXXV.	**दादरा एवं नगर हवेली (यूटी)**		
1.	दादरा एवं नगर हवेली	0	1
	कुल	**155	951

*इन जिलों में राष्ट्रीय/राज्य स्पीड पोस्ट केन्द्रों के विस्तार काउंटर के जरिये स्पीड पोस्ट सेवा प्रदान की जाती है।

**इसके अलावा दो राष्ट्रीय स्पीड पोस्ट केन्द्र सेना डाक सेवा के लिए कोलकाता और दिल्ली में कार्यरत हैं।

[हिन्दी]

जन-सेवकों के विरुद्ध शिकायतें

3111. श्री सूरज सिंह: क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान जन-सेवकों के संबंध में विभागवार कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) उक्त शिकायतों के मद्देनजर की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है;

(ग) जांच-पड़ताल हेतु सी.बी.आई. को कितने मामले भेजे गए और तत्संबंधी क्या परिणाम निकले; और

(घ) सरकार की जन-सेवकों के विरुद्ध शिकायतों के शीघ्र निवारण और पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने हेतु भविष्य की योजनाएं क्या हैं?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश पचौरी): (क) से (ग) विभिन्न मंत्रालयों/विभागों को उनके यहां कार्यरत लोक सेवकों के मामलों में शिकायतें मिलती हैं। मंत्रालय/विभाग मामलों के गुणावगुण के आधार पर, उन्हें केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो को भेजते है। विभिन्न मंत्रालयों/विभागों को मिलने वाली शिकायतों के आंकड़े केन्द्रीकृत रूप से नहीं रखे जाते।

(घ) सरकार लोक सेवकों के विरुद्ध शिकायतों के शीघ्र निपटान की आवश्यकता के प्रति पूरी तरह जागरुक है। सरकार ने केन्द्रीय सतर्कता आयोग को, भंडाफोड़ करने वालों से मिलने वाली शिकायतों के लिए, पदनामित अभिकरण बनाते हुए "व्हिशिल ब्लोअर" संकल्प जारी किया है। केन्द्रीय सतर्कता आयोग अपेक्षित होने पर शिकायतकर्ता को संरक्षण प्रदान करता है तथा उनकी पहचान गुप्त रखता है।

सरकार ने जवाबदेही सुनिश्चित करने तथा प्रशासन में कार्यकुशलता लाने की दृष्टि से नियंत्रण तथा संतुलन प्रणाली लागू की है। प्रत्येक विभाग का सचिव, जिसे मुख्य सतर्कता अधिकारी सहायता प्रदान करता है, प्रत्येक विभाग में ईमानदारी तथा सत्यनिष्ठा सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी होता है।

जनता को संबंधित संगठन की योजनाओं तथा पद्धतियों की जानकारी तथा सहायता प्रदान करने की दृष्टि से सरकार ने विभिन्न मंत्रालयों/विभागों/संगठनों में सूचना सुविधा केन्द्रों की स्थापना जैसे कई उपाय भी पारदर्शिता लाने हेतु किए हैं। इसके अतिरिक्त केन्द्रीय सरकार के कई संगठनों की ओर से संबंधित मंत्रालय, विभाग अथवा अभिकरण द्वारा विनिर्धारित समय-सीमा में सेवा प्रदान किए जाने की वचनबद्धता दर्शाने की दृष्टि से नागरिक चार्टर भी प्रकाशित किए गए हैं। कतिपय मंत्रालयों और विभागों द्वारा ई-शासन को बढ़ावा देने हेतु अपनी वेबसाइट भी विकसित की गई हैं। लोक प्राधिकारियों के कार्यकलापों में अधिक पारदर्शिता, खुलापन

तथा जवाहबदेही सुनिश्चित करने के लिए सूचना स्वातंत्र्य अधिनियम, 2002 भी अधिनियमित किया गया है।

[अनुवाद]

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण नीति के रोस्टर का रख-रखाव

3112. **श्री मुन्शी राम:**
श्री वीरचन्द्र पासवान:

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि केन्द्रीय सचिवालय की सेवाओं सहित सरकारी सेवाओं में पदोन्नति हेतु अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण नीति के रोस्टर का रख-रखाव अनिवार्य है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने केन्द्रीय सचिवालय की सेवाओं में अनुभाग अधिकारी से अवर सचिव तक की पदोन्नति के संबंध में वर्ष 1980 से 1990 तक आरक्षण रोस्टर बनाए रखे हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या दिनांक 1.7.1987 की स्थिति के अनुसार आरक्षित रिक्तियों पर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों से संबंध रखने वाले अवर सचिवों की पदोन्नति के ब्यौरों के बारे में जानकारी की मांग करने वाले सरकार के पास अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कल्याणकारी एसोसिएशनों से प्राप्त अभ्यावेदन दीर्घकाल से लंबित हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई/की जानी है; और

(च) दिनांक 1 जुलाई, 1986 और 1987 की स्थिति के अनुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से संबंध रखने वाले अवर सचिवों की संख्या कितनी है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश पचौरी): (क) केन्द्रीय सरकार की सेवाओं में (केन्द्रीय सचिवालय सेवा सहित) चयन द्वारा पदोन्नति में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण समूह 'क' के न्यूनतम पद तक सुलभ करवाया जाना होता है।

(ख) और (ग) केन्द्रीय सचिवालय सेवा में ग्रेड-1 (अवर सचिव) तक की पदोन्नति हेतु अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण रोस्टर का रखरखाव मौजूदा सरकारी अनुदेशों के अनुसार किया गया है।

(घ) और (ङ) केन्द्रीय सचिवालय सेवा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिकारी एसोसिएशनों ने वर्ष 1987 और उससे आगे की चयन सूचियों में केन्द्रीय सचिवालय सेवा की ग्रेड-1 (अवर सचिव) तक की पदोन्नति में आरक्षण का मुद्दा उठाया है। ऐसे अभ्यावेदनों की सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आर.के. सब्बरवाल बनाम पंजाब राज्य के मामले में निर्धारित कानून के अनुरूप आरक्षण नीति को बनाए जाने की दृष्टि से जारी कार्मिक और प्रशिक्षण-विभाग के दिनांक 2.7.1997 के कार्यालय ज्ञापन को ध्यान में रखते हुए समय-समय पर जांच की गई है। केन्द्रीय सचिवालय सेवा के ग्रेड-1 तक की पदोन्नति में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अधिकारियों का आरक्षण सरकार के वर्तमान अनुदेशों के अनुसार किया गया है।

(च) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अधिकारियों के लिए आरक्षण, वर्ष 1986 तक की केन्द्रीय सचिवालय सेवा के ग्रेड-1 (अवर सचिव) की चयन सूची तक रिक्ति आधारित रोस्टर के आधार पर दिया गया था। वर्ष 1987 और उसके आगे अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अधिकारियों के लिए आरक्षण, ग्रेड-I की चयन सूची के लिए सर्वोच्च न्यायालय के, आर.के. सब्बरवाल बनाम पंजाब राज्य के मामले में दिए गए निर्णय के अनुसार लागू पद आधारित 1 जुलाई, 1987 की स्थिति के अनुसार केन्द्रीय सचिवालय सेवा के ग्रेड-1 (अवर सचिव) में अनुसूचित जाति के अधिकारियों की संख्या उनके निर्धारित कोटे से अधिक थी। तथापि, अनुसूचित जाति के अधिकारियों के प्रतिनिधित्व में कमी रही क्योंकि फीडर ग्रेड में अनुसूचित जाति के अधिकारियों की पदोन्नति के लिए पर्याप्त संख्या यहां तक कि विस्तारित विचारण क्षेत्र में भी सुलभ नहीं थी।

राष्ट्रीय राजमार्ग गश्त योजना

3113. **श्री जी. करुणाकर रेड्डी:** क्या **पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केंद्र सरकार राष्ट्रीय राजमार्ग गश्त योजना के अंतर्गत क्रेन और एंबुलेंस की परियोजना हेतु वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान कर्नाटक सहित विभिन्न राज्यों को राज्यवार कुल कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की गई है;

(ग) क्या सरकार विभिन्न गैर-सरकारी संगठनों को एंबुलेंस प्रदान कर रही है;

(घ) यदि हां, तो कर्नाटक में अब तक एंबुलेंस पाने वाले ऐसे गैर-सरकारी संगठनों का ब्योरा क्या है; और

(ङ) केंद्र सरकार द्वारा देश में राष्ट्रीय राजमार्गों पर उचित मेडिकल सुविधाएं सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) राष्ट्रीय राजमार्ग दुर्घटना राहत सेवा स्कीम के अंतर्गत कोई वित्तीय सहायता प्रदान नहीं की जाती। तथापि, इस स्कीम के अंतर्गत यह मंत्रालय दुर्घटना स्थल को साफ करने के लिए और दुर्घटना पीड़ित व्यक्तियों को निकटतम चिकित्सा केंद्र तक पहुंचाने के लिए राज्य सरकारों/गैर-सरकारी संगठनों को क्रेन और एंबुलेंस प्रदान करता है।

(ख) प्रदान की गई/स्वीकृत क्रेनों और एंबुलेंसों के राज्यवार ब्योरा विवरण में दिए गए हैं।

(ग) जी हां।

(घ) वर्ष 2004-05 में अब तक कर्नाटक में केवल एक गैर-सरकारी संगठन अर्थात् मै. दिव्यज्योति विद्या केंद्र, बंगलौर के लिए एक क्रेन और एक एंबुलेंस स्वीकृत की गई है।

(ङ) इस मंत्रालय द्वारा क्रेनों और एंबुलेंसों के प्रावधान के अलावा, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय भी अस्पतालों, जिनमें दुर्घटना पीड़ितों के उपचार के लिए राष्ट्रीय राजमार्गों के निकट स्थित अस्पताल भी शामिल हैं, में आपात सेवाओं/ट्रामा केयर सुविधाओं के उन्नयन हेतु 'क्षमता निर्माण के लिए सहायता' स्कीम के अंतर्गत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सहायता प्रदान करता है।

विवरण

विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को प्रदान की गई/स्वीकृत क्रेनों और एंबुलेंसों की संख्या दर्शाने वाला विवरण

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2002-2003		2003-2004		2004-2005	
	क्रेन	एंबुलेंस	क्रेन	एंबुलेंस	क्रेन	एंबुलेंस
1	2	3	4	5	6	7
आंध्र प्रदेश	1	1	–	–	1	1
असम	3	3	3	3	–	1
बिहार	1	–	–	–	–	–
छत्तीसगढ़	2	2	–	–	3	3
गोवा	1	1	1	1	–	–
गुजरात	4	3	2	2	–	1
हरियाणा	10	10	6	6	5	5
हिमाचल प्रदेश	1	1	2	2	4	8
जम्मू-कश्मीर	1	1	1	1	7	7
झारखंड	2	1	4	4	4	4
कर्नाटक	2	2	4	4	7	13
केरल	–	–	–	–	6	6
मध्य प्रदेश	1	1	–	3	4	4
महाराष्ट्र	3	2	6	6	2	4

1	2	3	4	5	6	7
मणिपुर	1	1	1	1	–	1
मेघालय	2	2	–	–	–	2
मिजोरम	–	–	4	4	–	3
नागालैंड	–	–	1	1	–	–
उड़ीसा	3	3	2	2	2	2
पंजाब	1	–	–	–	–	–
सिक्किम	1	1	–	–	–	2
तमिलनाडु	1	1	5	5	–	–
त्रिपुरा	1	1	3	3	6	8
उत्तरांचल	2	2	8	9	2	2
उत्तर प्रदेश	2	2	6	6	8	12
पश्चिम बंगाल	1	1	–	–	–	1
दिल्ली	1	1	1	1	–	–
जोड़	48	43	60	64	61	90

नोट—इनमें विभिन्न राज्यों में गैर-सरकारी संगठनों को प्रदान की गई/स्वीकृत क्रेनें/एंबुलेंस भी शामिल हैं।

चिकित्सार्थ वित्तीय सहायता

3114. श्री पी.सी. थामस: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा गरीबों को इलाज शल्यचिकित्सा और अन्य चिकित्सा आवश्यकताओं के लिए वित्तीय सहायता दी जा रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) वित्तीय सहायता देने का मानदंड क्या है;

(घ) गत पांच वर्षों के दौरान वर्षवार कितने आवेदन स्वीकृत किए गए हैं और कितनी धनराशि संवितरित की गई है;

(ङ) क्या स्वीकृत आवेदनों की संख्या में काफी कमी आई है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके कारण क्या हैं;

(छ) गत पांच वर्षों के दौरान केरल से स्वीकृत ऐसे आवेदनों और वर्षवार स्वीकृत धनराशि का ब्यौरा क्या है; और

(ज) स्वीकृत धनराशि में कमी के क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) ऐसी योजनाओं के ब्यौरे और मानदण्ड विवरण-I और विवरण-I पर दिए गए हैं।

(घ) सूचना विवरण-III पर दी गई है।

(ङ) और (च) गरीबी रेखा से नीचे रह रहे रोगियों को राष्ट्रीय आरोग्य निधि के अन्तर्गत मंजूर की जाने वाली वित्तीय सहायता के लिए आवेदनों की संख्या में भारी वृद्धि हुई है। तथापि, स्वास्थ्य मंत्री विवेकाधीन अनुदान के अधीन मंजूर किए गए आवेदनों की संख्या में विवरण-IV में दिए गए ब्यौरेवार कारणों की वजह से कमी हुई है।

(छ) ब्यौरे विवरण-V में दिए गए हैं।

(ज) अलग-अलग मामलों में मंजूर की गई रकम को अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित तक कम किया जा सकता है:

(1) उपचार करने वाले सरकारी अस्पताल द्वारा प्रतिबद्धता पत्र के जवाब में सूचित किए गए अंतिम व्यय (जिसे रोगी ने अभी करना है) की सीमा तक।

(2) प्रधानमंत्री राहत निधि और विशेष रूप से राष्ट्रीय आरोग्य निधि की योजना के अधीन विचारित मामलों में कोई अन्य सरकारी/प्राइवेट धर्मार्थ संस्था जैसे अन्य स्रोतों से प्राप्त हुई सहायता की रकम तक।

विवरण I

स्वास्थ्य मंत्री के विवेकाधीन अनुदान के ब्यौरे और मानदण्ड

इस योजना के अंतर्गत गरीब एवं जरूरतमंद मरीजों को बड़े शल्यचिकित्सीय कार्यकलापों तथा बड़ी बीमारियों के इलाज हेतु अस्पताल में भर्ती होने के फलस्वरूप होने वाले व्यय के एक भाग की अदायगी के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है। जिन बीमारियों के लिए अनुदान दिया जाता है उनमें हृदय रोग, गुर्दा प्रत्यारोपण, कूल्हा एवं कोहनी प्रतिस्थापन, कैंसर, एड्स, हैपेटाइटिस, ट्यूमर आदि शामिल हैं। योजना के अंतर्गत वित्तीय सहायता की स्वीकृति हेतु ब्यौरे और मानदण्ड निम्नलिखित हैं:

(1) आवेदक से अपेक्षा की जाती है कि वह इस उद्देश्य हेतु निर्धारित प्रोफार्मा में आवेदन करे।

(2) सरकारी कर्मचारी (केन्द्र एवं राज्य सरकार के कर्मचारी) स्वास्थ्य मंत्री के विवेकाधीन अनुदान में से वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए पात्र नहीं हैं।

(3) किसी भी एक मामले में अनुदान की राशि साधारणत: 20,000 रु. से अधिक नहीं होती। अनुदान 'एक बारगी' आधार पर दिया जाता है तथा उस अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक के नाम जारी होता है जहां मरीज का इलाज हो रहा हो।

(4) सभी अनुदान अनावर्ती प्रकृति के होते हैं तथा लौटाने का कोई दायित्व नहीं होता।

(5) पहले से खर्च हो चुके व्यय की प्रतिपूर्ति स्वीकार्य नहीं होती।

(6) केवल सरकारी अस्पतालों में उपचार करा रहे रोगियों को ही अनुदान दिया जाता है। प्राइवेट अस्पताल में उपचार के लिए कोई सहायता प्रदान नहीं की जाती है।

(7) सामान्य प्रकृति के रोगों जिनके लिए उपचार महंगा नहीं है के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध नहीं है। क्षय रोग जैसा रोग जिसके लिए राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम के अधीन नि:शुल्क उपचार उपलब्ध है, भी सहायता के लिए पात्र नहीं है।

(8) वित्तीय सहायता स्वीकृत करने के उद्देश्य हेतु केवल 50,000 रु. (पचास हजार रुपए) तक की पारिवारिक सालाना आय को सहायता की पात्रता के लिए अधिकतम सीमा माना जाता है।

(9) स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात वित्तीय सहायता की स्वीकृति सूचित करते हुए संबंधित अस्पताल को एक वचनबद्धता पत्र जारी किया जाता है। अस्पताल से मरीज के दाखिले/आपरेशन की तारीख के बारे में उत्तर प्राप्त होने पर अस्पताल को वित्तीय सहायता की राशि जारी कर दी जाती है।

विवरण II

राष्ट्रीय आरोग्य निधि के अंतर्गत सहायता के ब्यौरे और मानदण्ड

इस योजना के अंतर्गत किसी भी सरकारी अस्पताल में चिकित्सीय उपचार प्राप्त कर रहे प्रमुख जानलेवा बीमारियों से पीड़ित गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले गरीब मरीजों को वित्तीय सहायता दी जाती है। योजना के अंतर्गत वित्तीय सहायता स्वीकार करने के ब्यौरे और मानदण्ड निम्नलिखित हैं:

(1) आवेदक को इस उद्देश्य हेतु प्राधिकृत राजस्व प्राधिकारी द्वारा जारी आय प्रमाणपत्र एवं राशन कार्ड की सत्यापित प्रति के साथ निर्धारित प्रोफार्मा में आवेदन करना आवश्यक है।

(2) राष्ट्रीय आरोग्य निधि की तकनीकी समिति चिकित्सीय रिपोर्टों की जांच करती है तथा अपेक्षित वित्तीय सहायता की राशि की सिफारिश करती है और अंतत: राष्ट्रीय आरोग्य निधि की प्रबंधन समिति तकनीकी समिति की सिफारिशों को अनुमोदित करती है।

(3) राष्ट्रीय आरोग्य निधि के अन्तर्गत सहायता प्रदान किए जा सकने वाले रोगों की एक निदर्शी सूची इस प्रकार है:

1. हृदय रोग विज्ञान और हृदय शल्य चिकित्सा:

सी.ए.बी.जी. वास्कुलर सर्जरी स्टेन्टस और कार्डियक ट्रांसप्लांटिशन आदि सहित जन्मजात और अर्जित परिस्थितियों के लिए टीएमटी,

इकोकार्डियोग्राफी, कोरोनरी एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी एथेरेटोमी, हार्टसर्जरी सहित इंट्रवेन्शनल प्रक्रिया के लिए पेसमेकर डिस्पोजेबल।

2. कैंसर:

सभी प्रकार के लिए विकिरण उपचार। कैंसर-रोधी केमोथिरेपी।

3. मूत्र विज्ञान/नेफरोलोजी:

उपभोज्य वस्तुओं (कोयल्ज और डायलिसिस सोलूशन आदि) सहित डायलिसिस। डायलिसि, पी.सी.एन. और पी.सी.एन.एल. किटों, लिथोट्रिप्सी (पत्थरी) के लिए वास्कुलर शंटस-मूत्र विज्ञान और जठरान्त्ररोग विज्ञान, वृक्क और हेपटी प्रत्यारोपण में एन्डोस्कोपिक शल्य चिकित्सा प्रक्रिया के लिए डिस्पोजेबल और शंटस।

4. विकलांग विज्ञान:

अंगों के लिए प्लास्टिक कृत्रिम प्रोस्थेसिस, इम्प्लांट्स तथा पूरा नितम्ब और घुटना प्रतिस्थापन बाह्य फिक्सेटर, अस्थि रोग और फ्रैक्चर के उपचार में प्रयोग होने वाले ए.ओ. इम्पांट्स।

5. विविध:

इंट्रा-आकुलर लैंस रोपना, श्रवण-सहायक यंत्र और हाइड्रोसेफलस के लिए शंटस।

6. जांचें:

अल्ट्रा साउन्ड, डाप्लर शीडर्स, रेडियोन्यूलकोलाइड स्कैन्स, सी.टी. स्कैन, मैम्मोग्राफी, सभी अंगों की एन्जियोग्राफी, एम.एम.आई., ई.ई.जी., ई.एम.जी., यूरोडायनेमिक अध्ययन।

7. औषधें:

प्रतिरक्षा दमन (इम्यूनो-स्प्रैसिव) औषधें, क्षयरोग रोधी औषधें, एन्टी डी, एन्टी हेमोफिली ग्लोबुलिन, इरिथ्रोपोयटेन, जले (बर्न) रोगियों के लिए रक्त तथा रक्त उत्पाद/प्लाज्मा।

8. चिकित्सा अधीक्षक/डाक्टरों की समिति द्वारा सहायता के लिए उपयुक्त समझी गई अन्य मुख्य बीमारियां इस सूची में जोड़ी जा सकती हैं।

(4) वित्तीय सहायता अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक को 'एक-बारगी अनुदान' के रूप में जारी की जाती है।

(5) राष्ट्रीय आरोग्य निधि को प्रबंधन समिति का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात वित्तीय सहायता की स्वीकृति सूचित करते हुए संबंधित अस्पताल को एक वचनबद्धता पत्र जारी किया जाता है। अस्पताल से रोगी को भर्ती करने की तारीख/आपरेशन की तारीख के बारे में उत्तर प्राप्त होने पर वित्तीय सहायता की रकम अस्पताल को जारी कर दी जाती है।

विवरण III

वर्ष	मंजूर किए गए आवेदनों की संख्या	भुगतान की गई रकम (लाख रुपए में)
स्वास्थ्य मंत्री विवेकाधीन अनुदान		
2000-2001	406	65.39
2001-2002	631	105.00
2002-2003	595	102.93
2003-2004	303	52.93
2004-आज की तारीख तक	207	–
राष्ट्रीय आरोग्य निधि		
2000-2001	12	25.50
2001-2002	81	144.98
2002-2003	27	39.05
2003-2004	73	78.54
2004-आज की तारीख तक	163	164.27

विवरण IV

विगत में निम्नलिखित कारणों से रद्द किए गए आवेदन

(1) सभी प्रकार से पूरे भरे गए आवेदन प्राप्त न होना।

(2) वार्षिक पारिवारिक आय का 50000 रुपए से अधिक होना।

(3) पहले किए गए व्यय की प्रतिपूर्ति के लिए सहायता का अनुरोध।

(4) क्षयरोग अथवा सामान्य प्रकृति के रोगों के उपचार के लिए सहायता।

(5) प्राइवेट अस्पताल में उपचार।

(6) रोगी एक केन्द्रीय सरकारी/राज्य सरकार/पी एस यू का कर्मचारी है।

विवरण V

स्वास्थ्य मंत्री विवेकाधीन अनुदान

वर्ष	मंजूर किए गए आवेदनों की संख्या	मंजूर की गई रकम (लाख रुपए में)
1999-2000	5	00.90
2000-2001	7	00.78
2001-2002	4	00.80
2002-2003	32	05.94
2003-2004	1	00.20

राष्ट्रीय आरोग्य निधि:

केरल राज्य से राष्ट्रीय आरोग्य निधि की योजना के अधीन कोई भी मामला मंजूर नहीं किया गया है।

फ्लाई एश का उपयोग

3115. श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी: क्या **पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हमारे देश में विभिन्न ताप विद्युत संयंत्रों के उप-उत्पाद के रूप में उत्पादित टनों फ्लाई एश का उपयोग नहीं किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा तार और सीमेंट के बजाय इस फ्लाई एश द्वारा सड़क निर्माण हेतु कोई पहल की गई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) जी हां।

(ख) और (ग) सरकार ने ऐसे क्षेत्रों में जहां थर्मल पावर प्लांट से 100 कि.मी. की परिधि में फ्लाइ एश उपलब्ध है, राष्ट्रीय राजमार्गों पर सड़कों/फ्लाई ओवर तटबंधों के निर्माण में फ्लाई एश का प्रयोग अनिवार्य बना दिया है।

हैंडसेट विनिर्माण कंपनियां

3116. श्री गुरूदास दासगुप्त:
श्री राजनारायण बुधौलिया:
श्री चेंगरा सुरेन्द्रन:
श्री हरिश्चंद्र चव्हाण:

क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि कई प्रमुख मोबाइल हैंडसेट विनिर्माण कंपनियों की देश में विनिर्माण सुविधाएं स्थापित करने की योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में कितनी धनराशि व्यय किए जाने का प्रस्ताव है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) जी, हां।

(ख) अग्रणी बहुराष्ट्रीय कंपनियों अर्थात एल्कोटैक, नोकिया, एलजी, एरिक्सन इत्यादि ने मोबाइल टेलीफोनों के विनिर्माण हेतु विनिर्माणकारी सुविधाएं स्थापित करने के लिए मीडिया के माध्यम से कतिपय घोषणाएं की हैं।

(ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन पटल पर रख दी जाएगी।

औषधियों के निर्यात हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र

3117. श्री एन.एस.वी. चित्तन: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) औषधियों का निर्यात करने हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी करने के संबंध में निर्धारित मानक समय-सीमा का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या आवेदनों की मंजूरी देने में एक माह से ज्यादा का समय लगता है;

(ग) यदि हां, तो ड्रग कंट्रोलर जनरल के कार्यालय में 15 दिनों से अधिक की अवधि से लंबित पड़े उक्त आवेदनों की संख्या कितनी है;

(घ) इनको मंजूरी देने में हुए विलंब के क्या कारण हैं; और

(ङ) इन आवेदनों को उच्च प्राथमिकता के आधार पर मंजूरी देने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं/उठाने का प्रस्ताव है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) से (ग) केवल निर्यात के प्रयोजन से गैर-अनुमोदित नई औषधों के विनिर्माता को अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए कोई मानक निर्धारित समय-सीमा नहीं है।

अनापत्ति प्रमाण-पत्र देने के लिए सभी प्रकार के पूर्ण आवेदनों पर 15 से 20 दिनों के भीतर कार्रवाई की जाती है। इस समय, केवल निर्यात के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र देने हेतु आवेदनों का कोई बैकलाग नहीं है।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

उत्तर प्रदेश में टेलीफोन कनेक्शन

3118. श्री राजेश वर्मा:
श्री राजनरायन बुधौलिया:

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आज की तिथि के अनुसार उत्तर प्रदेश के सभी प्रमुख शहरों, जिला मुख्यालयों और ग्रामीण क्षेत्रों में टेलीफोन कनेक्शन प्राप्त करने संबंधी प्रतीक्षा सूची का ब्यौरा क्या है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान उपलब्ध कराए गए टेलीफोन कनेक्शनों से संबंधित ब्यौरा क्या है और इस पर कितनी धनराशि खर्च की गई है;

(ग) क्या बेहतर दूरसंचार सेवा उपलब्ध कराने की कोई नई दूरसंचार योजना सरकार के विचाराधीन है; और

(घ) यदि हां, तो उत्तर प्रदेश में विशेषकर बुंदेलखंड के ग्रामीण क्षेत्रों में टेलीफोन कनेक्शन उपलब्ध कराने हेतु कितनी धनराशि आबंटित की गई है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) 28.2.2005 की स्थिति के अनुसार, उत्तर प्रदेश के प्रमुख शहरों, जिला मुख्यालयों एवं ग्रामीण क्षेत्रों में टेलीफोन कनेक्शनों की प्रतीक्षा सूची में कुल 1.63 लाख आवेदक दर्ज हैं। जिनमें शहरी क्षेत्रों के 60535 आवेदक तथा ग्रामीण क्षेत्र के 102970 आवेदक शामिल हैं। ब्यौरे विवरण-I और II में प्रस्तुत हैं।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान, प्रदान किये गये टेलीफोन कनेक्शनों तथा उन पर खर्च की गयी धनराशि के संबंध में ब्यौरा नीचे दिया गया है:

क्र.सं.	वर्ष	प्रदान की गयी सीधी एक्सचेंज लाइनें	खर्च की गयी धनराशि
1.	2001-02	4.68 लाख	1954.71 करोड़ रुपये
2.	2002-03	4.36 लाख	1237.20 करोड़ रुपये
3.	2003-04	3.84 लाख	663.90 करोड़ रुपये

(ग) भारत संचार निगम लि. द्वारा उत्तर प्रदेश में बेहतर दूरसंचार सेवाएं प्रदान करने के लिए निम्नलिखित उपाय किये गये हैं:

(1) कवरेज और क्षमता में वृद्धि करके, डब्ल्यूएलएल और मोबाइल का उपभोक्ता आधार बढ़ाना।

(2) इन्टेलिजेन्ट नेटवर्क (आईएन), ब्राडबैण्ड सेवाएं जैसी नई सेवाएं प्रदान करना।

(3) दोष मरम्मत सेवा तथा कस्टमर केयर सेवा का कम्प्यूटरीकरण।

(घ) 2004-05 के दौरान, उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में टेलीफोन कनैक्शन के लिए आबंटित धनराशि 155.49 करोड़ रुपये हैं।

वर्ष 2004-05 के दौरान, बुन्देलखण्ड में टेलीफोन कनेक्शनों की व्यवस्था करने के लिए 3.29 करोड़ रुपये आबंटित किये गये हैं।

विवरण I

28.2.2005 की स्थिति के अनुसार उ.प्र. (पू.) की जिला-वार प्रतीक्षा सूची

क्र.सं.	जिला	शहरी	ग्रामीण	कुल
1	2	3	4	5
1.	इलाहाबाद	128	4314	4442
2.	अम्बेडकर नगर	2789	914	3703

1	2	3	4	5
3.	औरेया	43	10	53
4.	आजमगढ़	3388	5966	9354
5.	बहराइच	238	1060	1298
6.	बलिया	1780	1323	3103
7.	बलरामपुर	206	555	761
8.	बांदा	128	240	368
9.	बाराबंकी	248	3068	3316
10.	बस्ती	142	1373	1515
11.	चन्दौली	400	1378	1778
12.	चित्रकूट	128	240	368
13.	देवरिया	2343	3489	5832
14.	इटावा	13	10	23
15.	फैजाबाद	2352	1015	3367
16.	फर्रुखाबाद	966	994	1960
17.	फतेहपुर	504	1648	2152
18.	गाजीपुर	2042	4036	6078
19.	गोंडा	574	1354	1928
20.	गोरखपुर	1654	1869	3523
21.	हमीरपुर	187	112	299
22.	हरदोई	1257	1105	2362
23.	जालौन	1525	0	1525
24.	जौनपुर	2215	818	3033
25.	झांसी	530	127	657
26.	कन्नौज	527	981	1508
27.	कनापुर	574	927	1501
28.	कानपुर देहात	1120	253	1373
29.	कौशांबी	14	559	573
30.	कुशीनगर	1922	3875	5797

1	2	3	4	5
31.	लखीमपुर	300	1222	1522
32.	ललितपुर	21	18	39
33.	लखनऊ	1413	2175	3588
34.	महाराजगंज	347	474	821
35.	महोबा	452	112	564
36.	मैनपुरी	1760	796	2556
37.	मऊ	668	912	1580
38.	मिर्जापुर	1194	322	1516
39.	प्रतापगढ़	842	2019	2861
40.	रायबरेली	109	1468	1577
41.	संत कबीरनगर	120	338	458
42.	संत रविदास नगर	179	1903	2082
43.	शाहजहांपुर	1148	919	2067
44.	श्रावस्ती	37	125	162
45.	सिद्धार्थ नगर	91	631	722
46.	सीतापुर	552	1760	2312
47.	सोनभद्र	1351	354	1705
48.	सुल्तानपुर	669	3908	4577
49.	उन्नाव	884	1027	1911
50.	वाराणसी	242	2879	3121
	कुल उत्तर प्रदेश (पूर्व)	42316	66975	109291

विवरण II

28.2.2005 की स्थिति के अनुसार उ.प्र. (प.) की जिला-वार प्रतीक्षा सूची

क्र.सं.	जिला	शहरी	ग्रामीण	कुल
1	2	3	4	5
1.	आगरा	0	3675	3675
2.	अलीगढ़	2106	1777	3883

1	2	3	4	5
3.	बदायूं	127	21	148
4.	बागपत	86	0	86
5.	बरेली	157	20	177
6.	बिजनौर	186	3201	3387
7.	बुलंदशहर	8072	4013	12085
8.	एटा	2178	1833	4011
9.	फिरोजाबाद	205	921	1126
10.	गौतमबुद्ध नगर (नोएडा)	172	40	212
11.	गाजियाबाद	455	3880	4335
12.	हाथरस	94	0	94
13.	जे.पी. नगर	88	0	88
14.	मथुरा	141	1837	1978
15.	मेरठ	610	6351	6961
16.	मुरादाबाद	469	1637	2106
17.	मुजफ्फरनगर	1511	2350	3861
18.	पीलीभीत	85	885	970
19.	रामपुर	0	0	0
20	सहारनपुर	1477	3554	5031
	कुल उत्तर प्रदेश (पश्चिम)	18219	35995	54214

भारत द्वारा दी गई सहायता का बांग्लादेश द्वारा उपयोग

3119. श्री सुरेश कुरूपः क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने भारत द्वारा बांग्लादेश को दी गई सहायता के उपयोग की निगरानी के लिए उसके साथ किसी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उन क्षेत्रों का ब्यौरा क्या है जिनमें इस राशि का उपयोग किए जाने की संभावना है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (राव इन्द्रजीत सिंह): (क) और (ख) जी हां। बाढ़ राहत के लिए भारत द्वारा दिए गए 100 करोड़ रु. की सहायता के इस्तेमाल को नियंत्रित करने के लिए भारत द्वारा दिए गए 100 करोड़ रु. की सहायता के इस्तेमाल को नियंत्रित करने के लिए भारत सरकार और बांगलादेश की सरकार के बीच 11 फरवरी 2005 को नई दिल्ली में एक समझौता ज्ञापन सम्पन्न किया गया।

(ग) यह राशि जुलाई/अगस्त 2004 में बंगलादेश में आई बाढ़ के पीड़ितों के लिए आज से अनाज, दवाइयां और भवन सामग्री खरीदने के लिए उपयोग में लाई जाएगी।

राष्ट्रीय राजमार्ग-209 पर बाइपास सड़क

3120. श्री एस.के. खारवेलथन: क्या **पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को तमिलनाडु के डिंडीगुल जिले में स्थित ओड्डान्चतरम में भारी यातायात की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार ओड्डान्चतरम (राष्ट्रीय राजमार्ग-209-डिंडीगुल-पलानी-कोयम्बटूर-बंगलौर मार्ग) पर बाइपास सड़क निर्मित करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) जी हां।

(ख) और (ग) राज्य सरकार ने ओड्डान्चतरम कस्बे के लिए बाइपास सड़क के निर्माण हेतु भूमि अधिग्रहण का प्रावधान वार्षिक योजना 2005-06 में शामिल करने का प्रस्ताव किया है। इस प्रस्ताव का शामिल किया जाना धनराशि की उपलब्धता और कार्यों की पारस्परिक प्राथमिकता पर निर्भर करता है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

भारतीय छात्रों को यूरोपीय संघ की छात्रवृत्तियां

3121. श्री पी. राजेन्द्रन:
श्री तूफानी सरोज:
श्री बालासाहिब विखे पाटील:

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रूस सहित यूरोपीय देशों में पढ़ रहे भारतीय छात्रों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है;

(ख) यदि हां, तो शैक्षणिक वर्ष 2003-04 और 2004-05 के दौरान यूरोपीय एवं अन्य देशों में जाने वाले भारतीय छात्रों की राज्य-वार और देश-वार कुल संख्या कितनी है;

(ग) क्या यूरोपीय संघ ने यूरोप में अध्ययन करने वाले 900 स्नातकोत्तर भारतीय छात्रों के लिए 33 मिलियन यूरो का बजट निर्धारित किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या इन छात्रों के चयन में सरकार की कोई भूमिका होगी;

(च) यदि नहीं, तो यूरोपीय संघ की छात्रवृत्तियों के लिए छात्रों का चयन करने हेतु निर्धारित मानदंड क्या हैं; और

(छ) भारतीय छात्रों को अपने यहां अध्ययन करने हेतु वीजा प्रदान करने वाले देशों के नाम क्या हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (राव इन्द्रजीत सिंह): (क) और (ख) चूंकि स्व-वित्तपोषण कार्यक्रमों के अंतर्गत विदेश में पढ़ रहे छात्रों को भारत सरकार के साथ पंजीकरण कराने की आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए रूस सहित यूरोपीय देशों में पढ़ रहे भारतीय छात्रों की संख्या का आंकड़ा उपलब्ध नहीं है।

(ग) से (च) यूरोपीय संघ ने 2005-2009 की अवधि के लिए इरेसमस मंडस स्कालरशिप प्रोग्राम के इंडिया विन्डो के अंतर्गत 33 मिलियन यूरो का बजट निर्धारित किया है। ऐसा अनुमान है कि इससे प्रतिष्ठित चुनिन्दा यूरोपीय संस्थाओं/विश्वविद्यालयों में उच्च शिक्षा हासिल करने के लिए 920 छात्र इस सुविधा से लाभ प्राप्त कर सकेंगे। भारत सरकार और यूरोपीय संघ द्वारा इस कार्यक्रम के लिए वित्तपोषण करार पर समझौता होने की आशा है, जिसमें इसके साथ-साथ छात्रों के चयन के लिए प्राथमिकताएं भी निर्धारित की जाएंगी।

(छ) द्विपक्षीय कार्यक्रमों के अंतर्गत छात्रवृत्तियां स्वीकृत और प्रदान करने वाले समस्त देश चुने गए छात्रों को वीजा प्रदान करते हैं।

[हिन्दी]

त्वरित मलेरिया नियंत्रण योजना

3122. श्री प्रदीप गांधी: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) त्वरित मलेरिया नियंत्रण योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के कितने विकास प्रखंडों से प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) इनमें से कितने विकास प्रखंडों को योजना में सम्मिलित किया गया है; और

(ग) शेष विकास प्रखंडों को उक्त योजना में कब तक सम्मिलित करने की संभावना है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पाणाबाका लक्ष्मी): (क) से (ग) विश्व बैंक की सहायता से

संवर्धित मलेरिया नियंत्रण परियोजना आठ राज्यों नामत: आन्ध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, झारखण्ड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा और राजस्थान के 100 जिलों में 1045 जनजातीय जनस्वास्थ्य केन्द्रों में त्वरित मलेरिया नियंत्रण के लिए जांच वर्षों की अवधि हेतु सितम्बर, 1997 से शुरू की गई। छत्तीसगढ़ के 91 प्राथमिक केन्द्रों तथा मध्य प्रदेश के 90 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को इस परियोजना में शामिल किया गया है।

छत्तीसगढ़ के 30 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों तथा मध्य प्रदेश के 24 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को शामिल करने का प्रस्ताव भारत सरकार को प्राप्त हुआ। परियोजना की विस्तारित अवधि (2003-05) के दौरान मलेरिया स्थानिकता के आधार पर 200 अतिरिक्त उच्च जोखिम वाले प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का चयन किया गया है और छत्तीसगढ़ के 14 अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों तथा मध्य प्रदेश के 5 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को परियोजना में शामिल किया गया है।

उक्त संवर्धित मलेरिया नियंत्रण परियोजना 31.03.05 को समाप्त हो जाएगी। तथापि, छत्तीसगढ़ तथा मध्य प्रदेश के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों सहित संपूर्ण देश को कवर करते हुए औषधों, कीटनाशकों, मानिटरिंग तथा निगरानी, प्रशिक्षण और सूचना, शिक्षा एवं सम्प्रेषण कार्यकलापों के रूप में भारत सरकार की सहायता जारी रहेगी।

ग्रामीण क्षेत्रों में डाकघरों का विस्तार

3123. **प्रो. महादेवराव शिवनकर:**
श्री नरेन्द्र कुमार कुशवाहा:
श्री मुन्शी राम:
श्री मो. ताहिर:
श्रीमती अनुराधा चौधरी:

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्तमान में देश में डाकघरों की कुल संख्या कितनी है;

(ख) क्या सरकार का विचार जनसंख्या के आधार पर डाकघरों का ग्रामीण क्षेत्रों में विस्तार करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) वर्तमान वर्ष के दौरान डाकघरों के बचत खातों में जमा की गई राज्य-वार कुल धनराशि कितनी है;

(ङ) शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में उक्त बचत के अंतर के कारणों का ब्यौरा क्या है;

(च) क्या वर्तमान वर्ष के दौरान सरकार ने कुछ डाकघरों में डाकियों की संख्या में कमी की है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) 31.3.2004 की स्थिति के अनुसार देश में 1,55,669 डाकघर थे।

(ख) और (ग) डाकघर दूरी, जनसंख्या और आय संबंधी मानदण्डों के आधार पर और संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर खोले जाते हैं। ब्यौरा विवरण-I में दिया गया है।

(घ) वर्ष 2003-04 के दौरान डाकघर बचत बैंक की विभिन्न प्रकार की बचत योजनाओं में 323395.28 करोड़ रुपए की राशि जमा की गई है। सर्किल-वार ब्यौरा विवरण-II में दिया गया है। वर्ष 2004-05 के आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं हैं।

(ङ) विभाग डाकघर बचत बैंकों के शहरी और ग्रामीण इलाकों का अलग-अलग डाटा नहीं रखता।

(च) और (छ) जी हां। सीधी भर्ती कोटे के अंतर्गत 2% पदों को समाप्त करने के सरकार के निदेश का पालन करते हुए स्क्रीनिंग समिति की सिफारिशों के अनुसार 1356 पोस्टमैनों के पदों को समाप्त करने के आदेश दे दिए गए हैं।

विवरण I

डाकघर खोलने के लिए मानदंड

1. अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर खोलने के लिए मानदंड:

1.1 जनसंख्या:

(क) सामान्य क्षेत्रों में:

गांवों के एक समूह की जनसंख्या 3000 (प्रस्तावित डाकघर ग्राम सहित)

(ख) पहाड़ी, जनजातीय, रेगिस्तानी और दुर्गम क्षेत्रों में:

एक अकेले गांव की जनसंख्या 500 अथवा गांवों के एक समूह की जनसंख्या 1000

1.2 दूरी:

(क) सामान्य क्षेत्रों में:

मौजूदा निकटतम डाकघर से न्यूनतम दूरी 3 कि.मी. होनी चाहिए।

(ख) पहाड़ी, जनजातीय, रेगिस्तानी तथा दुर्गम क्षेत्रों में:

पहाड़ी क्षेत्र को छोड़कर दूरी की सीमा वही होगी, जिसका ऊपर उल्लेख किया गया है। निदेशालय द्वारा उन मामलों में न्यूनतम दूरी की सीमा में छूट दी जा सकती है, जहां विशेष परिस्थितियों में यह छूट अपेक्षित है। इन परिस्थितियों का प्रस्ताव प्रस्तुत करते समय इसका स्पष्ट उल्लेख किया जाना चाहिए।

1.3 अनुमानित आय:

(क) सामान्य क्षेत्रों में:

न्यूनतम अनुमानित आय लागत की $33^{1}/_{3}$% होगा।

(ख) पहाड़ी, जनजातीय, रेगिस्तानी तथा और क्षेत्रों में:

न्यूनतम अनुमानित राजस्व लागत का 15% होना चाहिए।

इसके अलावा, यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि नया डाकघर खोलने के परिणामस्वरूप न तो मूल डाकघर का घाटा अनुमेय सीमा से अधिक न हो और न ही उसकी आय न्यूनतम निर्धारित सीमा से कम हो।

2. विभागीय उप डाक घर के रूप में दर्जा बढ़ाने/विभागीय उप डाकघर खोलने के मानदण्ड

(क) ग्रामीण क्षेत्रों में:

जिस अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर का दर्जा बढ़ाने का प्रस्ताव है, उसका न्यूनतम कार्यभार पांच घंटे प्रतिदिन होना चाहिए। सामान्य ग्रामीण क्षेत्रों में वार्षिक घाटे की अनुमेय सीमा 2400 रु. तथा जनजातीय और पहाड़ी क्षेत्रों में 4800 रु. है।

(ख) शहरी क्षेत्रों में:

शहरी क्षेत्रों में डाकघर आरंभ में आत्मनिर्भर होना चाहिए तथा प्रथम वार्षिक पुनरीक्षा के समय इसे 5 प्रतिशत लाभ दिखाना चाहिए ताकि वह आगे बनाए रखे जाने का पात्र बन सके।

20 लाख और उससे अधिक की जनसंख्या वाले शहरों में दो डाक घरों के बीच न्यूनतम दूरी 1.5 कि.मी. होनी चाहिए तथा अन्य शहरी क्षेत्रों में यह दूरी 2 कि.मी. होनी चाहिए। तथापि, कोई भी दो वितरण डाकघर एक दूसरे से 5 कि.मी. से नजदीक नहीं होने चाहिए।

सर्किल अध्यक्ष 10 प्रतिशत मामलों में दूरी की शर्त में छूट दे सकते हैं।

शहरी क्षेत्र में एक वितरण डाकघर में न्यूनतम 7 पोस्टमैन बीट्स होनी चाहिएं।

विवरण II

बचत योजनाओं की शेष बकाया राशि (सर्किलवार)

(करोड़ रु. में)

सर्किल	एसबी	आरडी	टीडी	एफडी	सीटीडी	पीपीएफ	एमआईएस	एनएसएस 87	एनएसएस 92	केवीपी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
आंध्र प्रदेश	624.13	2781.32	592.80	-0.03	0.29	340.15	6857.54	160.58	29.23	5444.26
असम	360.72	457.03	1900.98	0.00	-14.02	174.01	793.50	15.42	0.48	1866.26
बिहार	1027.38	751.52	1614.49	-0.06	-43.18	313.43	2472.48	-8.76	85.32	9250.73
छत्तीसगढ़	122.40	446.42	242.86	0.00	-0.81	99.65	1153.32	-8.34	-1.48	830.25
दिल्ली	449.10	999.62	933.68	-1.23	-1.39	1806.90	6675.01	184.80	62.93	4485.65
गुजरात	860.31	2114.88	1770.71	-0.12	4.31	1793.05	11552.66	700.44	-64.98	12272.21
हरियाणा	362.46	1283.65	1052.57	0.00	0.48	376.44	2591.06	10.85	-0.56	3525.70
हिमाचल प्रदेश	248.41	712.95	411.47	0.00	0.52	68.39	583.04	11.35	0.90	1452.15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
जम्मू-कश्मीर	153.99	204.13	360.79	0.00	0.49	38.38	332.39	3.92	15.71	1851.40
झारखण्ड	63.42	84.14	193.09	0.00	1.58	113.87	1574.98	-4.37	-0.86	1136.02
केरल	539.52	1809.22	309.82	0.03	1.29	474.42	5911.84	126.82	146.97	3393.75
कर्नाटक	301.47	2016.11	926.70	0.01	-0.49	105.49	2665.12	61.24	10.57	1435.37
मध्य प्रदेश	571.64	1386.72	402.10	-0.02	5.71	278.21	2688.28	-25.68	-1.14	3898.65
महाराष्ट्र	1001.79	4215.32	917.64	0.01	0.63	1788.00	15455.47	1477.80	64.71	8939.59
उत्तर पूर्व	208.41	329.85	113.79	0.01	14.36	31.51	432.78	6.69	4.43	838.54
उड़ीसा	429.44	567.44	181.23	0.09	0.00	59.67	1492.29	26.71	-0.82	2677.38
पंजाब	749.37	1627.62	2565.13	0.00	-0.27	980.56	4443.46	127.82	80.83	7201.19
राजस्थान	471.55	3975.97	3299.75	0.01	1.14	1237.78	5418.99	150.75	34.81	4942.07
तमिलनाडु	851.93	2074.72	730.73	-0.01	-0.83	691.13	6982.68	260.73	69.17	4150.23
उत्तर प्रदेश	2291.81	3933.90	2109.96	-1.87	-4.43	846.54	7114.38	92.55	188.44	22792.28
उत्तरांचल	97.66	267.55	277.64	0.00	-0.02	42.74	710.29	5.25	-1.25	368.60
पश्चिम बंगाल	1540.21	1802.41	1938.92	22.78	5.79	590.73	25433.55	31.57	-0.50	19426.61
बेस	40.21	121.01	1219.26	0.00	0.04	14.67	50.93	2.39	2.34	12.31
कुल	13367.33	33963.50	24066.11	19.60	-28.81	12265.72	113386.04	3410.53	725.25	122191.20

ग्रामीण परियोजनाओं में कमी

3124. श्री जे.एम. आरून रशीद:
डा. राजेश मिश्रा:
श्री सज्जन कुमार:

क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत संचार निगम लिमिटेड कुछ ग्रामीण परियोजनाओं में कमी करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इन परियोजनाओं में कमी करने के परिणामस्वरूप बजटीय घाटे में कितनी कमी आएगी?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) उपरोक्त भाग (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

एक्सेस डेफिसिट चार्ज

3125. श्री सीता राम यादव: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या टेलीकम्यूनिकेशन डेस्प्यूट सेटलमेंट आथारिटी ने 1 फरवरी, 2005 से प्रभावी होने वाले एक्सेस डेफिसिट चार्ज के नए प्रावधानों के कार्यान्वयन को स्थगित करने के एम टी एन एल के अनुरोध को ठुकरा दिया है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) ए डी सी में कमी करने पर एम टी एन एल को हुई क्षति की पूर्ति करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) के अनुसार, फिक्सड लाइन आपरेटरों के लिए विनिर्दिष्ट समग्र अभिगम घाटा प्रभार (एडीसी) कम नहीं किया गया है। एडीसी प्रति मिनट दरों में कमी की गई है। यह उपभोक्ताओं की वृद्धि (विशेषत: मोबाइल क्षेत्र में) और मिनटों में हुई परिणामी बढ़ोतरी के कारण संभव हुआ है जिससे एडीसी का वित्त-पोषण होता है। इसके अलावा, ट्राई ने यह भी उल्लेख किया है कि एमटीएनएल सहित सभी फिक्स्ड लाइन आपरेटरों को उतनी ही एडीसी निधियां दी गई हैं जितनी 1.2.2004 से 31.1.2005 तक लागू 29.10.2003 की पूर्ववर्ती व्यवस्था के तहत विनिर्दिष्ट थीं।

[अनुवाद]

भारत और पाकिस्तान के विभाजित परिवारों का पुनर्मिलन संबंधी प्रस्ताव

3126. श्री सर्वे सत्यनारायण:
श्री बाडिगा रामकृष्णा:
श्री किसनभाई वी. पटेल:
श्री डी. विट्टल राव:
श्री बृज किशोर त्रिपाठी:

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विभाजित परिवारों के पुनर्मिनल हेतु नियंत्रण रेखा पर पांच स्थानों का सीमांकन करने के भारत के प्रस्ताव को पाकिस्तान द्वारा अस्वीकार कर दिया गया है जैसा कि दिनांक 25 जनवरी, 2005 के 'द हिन्दू' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इससे संबंधित ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में पाकिस्तान के साथ वार्ता की गई है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (राव इन्द्रजीत सिंह): (क) से (घ) 27-28 दिसंबर, 2004 तक इस्लामाबाद में आयोजित विदेश सचिव स्तरीय बातचीत के दौरान भारत ने अंतर्राष्ट्रीय सीमा और नियंत्रण रेखा पर कुछ नये स्थान निर्धारित करने का प्रस्ताव किया है जहां दोनों पक्षों के सगे-संबंधी आकर मिल सकें। सुझाये गये स्थानों के नाम थे नीलम घाटी में पुंछ, मेंढ़र, सुचेतगढ़, उरी और तंगधार।

पाकिस्तान के उत्तर की प्रतीक्षा है।

राष्ट्रीय राजमार्ग-6 का निर्माण

3127. श्री हन्नान मोल्लाह: क्या **पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को कोल्लाघाट पुल से दानाकुनी के बीच हावड़ा खंड पर राष्ट्रीय राजमार्ग-6 के निर्माण के संबंध में विभिन्न शिकायतों की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि एन एच अथारिटी ने इस खंड (कोल्लाघाट-दानाकुनी) पर किसी सब-वे अथवा ओवर ब्रिज का निर्माण नहीं किया है;

(ग) क्या सरकार को यहां की घनी आबादी के कारण इस चौराहे पर बढ़ती दुर्घटनाओं की जानकारी है;

(घ) क्या सरकार को यह भी जानकारी है कि उक्त क्षेत्र में वृक्षों को लगाने का कोई प्रयास नहीं किया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं/किए जाने का प्रस्ताव है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने दुर्घटनाओं को न्यूनतम करने और सुरक्षा में सुधार के लिए निम्नलिखित उपाय किए हैं-

(1) रा.रा.-6 के कोलाघाट-दनकुनी खंड के कुछ स्थानों पर आर ओ बी/इंटरचेंज और फ्लाई ओवरों की व्यवस्था की है।

(2) चौराहों को सुरक्षित रूप से पार करने के लिए चौराहों का सुधार भी किया गया है।

(घ) अगले वृक्षारोपण मौसम में वृक्षारोपण किया जाएगा।

(ङ) अंतर्राष्ट्रीय परामर्शदाता और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अधिकारियों के पर्यवेक्षण में अनुबंध के अनुसार परियोजना का निर्बाध कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक उपाय किए गए हैं।

हुसैनीवाला सीमा को फिर से खोलना

3128. श्री जोरा सिंह मान: क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 1971 के भारत-पाक युद्ध के पश्चात् से बंद पड़ी पंजाब के फिरोजपुर जिले की हुसैनीवाला भारत पाक सीमा को फिर से खोलने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाने की संभावना है; और

(ग) उक्त सीमा को कब तक फिर से खोलने की संभावना है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (राव इन्द्रजीत सिंह): (क) से (ग) दोनों देशों के लोगों के बीच आपसी संपर्क को बढ़ावा देने के लिए पाकिस्तान के साथ व्यापार और आर्थिक संबंधों को प्रोत्साहित करना भारत सरकार की नीति रही है। इस नीति पर चलते हुए हाल ही में 15-17 फरवरी, 2005 को विदेश मंत्री श्री के. नटवर सिंह की पाकिस्तान की यात्रा के दौरान श्रीनगर और मुजफ्फराबाद तथा नानक साहिब जैसे धार्मिक स्थलों सहित लाहौर और अमृतसर के बीच बस सेवा शुरू करने के लिए पाकिस्तान के साथ समझौते हुए।

हाल में प्रस्तावित मार्गों के कार्यान्वयन के बाद सरकार अन्य मार्गों की भी जांच करेगी।

[हिन्दी]

भारतीय क्षेत्रों को गलत ढंग से दिखाना

3129. श्री तूफानी सरोज: क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नेपाल में "द कमान्डो" नामक एक फिल्म का निर्माण किया गया है जिसमें भारत के कुछ भौगोलिक क्षेत्रों को कथित रूप से नेपाल के हिस्सों के रूप में दिखाया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने नेपाल के साथ यह मामला उठाया है; और

(घ) यदि हां, तो इस पर नेपाल सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (राव इन्द्रजीत सिंह): (क) जी, हां।

(ख) से (घ) भारत सरकार ने इस बात को नेपाल की शाही सरकार के ध्यान में लाया है और उनसे उपचारी उपाय करने का अनुरोध किया है। नेपाल की शाही सरकार का उत्तर प्रतीक्षित है।

[अनुवाद]

अंग प्रत्यारोपण संबंधी कानून

3130. श्री प्रबोध पाण्डा: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार अंग प्रत्यारोपण के संबंध में कानून बनाने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उन देशों के नाम क्या हैं जिनमें अंग प्रत्यारोपण वैध है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) और (ख) सरकार ने चिकित्सीय उद्देश्यों के लिए मानव अंगों को निकालने, भण्डारण और प्रत्यारोपण के विनियमन की व्यवस्था करने और मानव अंगों तथा इससे संबंधित विषयों अथवा इससे संबंधित प्रासंगिक विषयों में व्यावसायिक लेन-देन के निवारण के लिए मानव अंग प्रत्यारोपण अधिनियम, 1994 को अधिनियमित किया है। हाल ही में, मानव अंग प्रत्यारोपण अधिनियम, 1994 के उपबंधों और मानव अंग प्रत्यारोपण नियमावली, 1995 की समीक्षा करने के लिए माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय (रिट याचिका सं. 813/2004 दिनांक 6.9.2004 के निर्णय के अनुसार) द्वारा एक समिति गठित की गई है। इस समिति की संरचना और विचारार्थ विषयों का ब्यौरा विवरण में संलग्न है। उक्त समिति की सिफारिशों की प्रतीक्षा है।

(ग) सरकार के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार वे देश जहां पर अंग प्रतिरोपण के लिए विशेष कानूनी प्रावधान हैं, इस प्रकार हैं:-

1. लातिन अमेरिका-ब्राजील चिली, कोलाम्बिया, अर्जेन्टीना, क्यूबा आदि।
2. एशिया प्रशान्त क्षेत्र—चीन, सिंगापुर, भारत आदि।
3. मध्य पूर्व और अफ्रो अरब क्षेत्र—मिश्र, सऊदी अरब, अल्जीरिया, बहरीन, जोर्डन, कुवैत, लेबनान, संयुक्त अरब अमीरात, यमन आदि।

4. अफ्रीका और इंडियन ओसियन आयरलैंड—दक्षिण अफ्रीका।

5. केन्द्रीय और पूर्वी यूरोप—रूस, रोमानियां, पोलैंड, हंगरी आदि।

6. विकसित देश—संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी और स्पेन, आस्ट्रेलिया आदि।

विवरण

समिति की संरचना:

इस समिति की संरचना इस प्रकार है:-

1. डा. एस.वाई. कुरैशी, अपर सचिव एवं महानिदेशक, राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन [सचिव (स्वास्थ्य) का नामिती और संयोजक]

2. प्रोफेसर एस.एन. मेहता, विभागाध्यक्ष, शल्य चिकित्सा विभाग, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (सदस्य)

3. डा. हर्ष जौहरी, वृक्क शल्य चिकित्सक, सर गंगा राम अस्पताल, दिल्ली (सदस्य)

4. सचिव, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, आई.पी. एस्टेट, नई दिल्ली (सदस्य)

5. श्री संजय जैन, अधिवक्ता, चेम्बर सं. 488, न्यू चेम्बर्स ब्लाक, दिल्ली उच्च न्यायालय, नई दिल्ली (सदस्य)

6. डा. वी.के. अरोड़ा, अपर महानिदेशक (सदस्य सचिव)।

मानव अंग प्रत्यारोपण अधिनियम, 1994 और मानव अंग प्रत्यारोपण नियमावली, 1995 के प्रावधानों की समीक्षा के लिए माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा 6 सितम्बर, 2004 को रिट याचिका सं. 813/2004 के संदर्भ में दिए गए निर्णय के अनुसार गठित समिति द्वारा विचारणीय विषय:

1. अंगों के प्रत्यारोपण के बारे में उपलब्ध आंकड़ों और प्राधिकरण समितियों के कार्यकरण के आधार पर इस समिति को प्राधिकरण समितियों की संरचना के बारे में जांच करना तथा अपनी सिफारिशें करना और समय पर अनुमतियां सुनिश्चित करने के लिए अपेक्षित परिवर्तन, यदि कोई हों, करना।

2. क्या प्राधिकरण समितियों के क्षेत्राधिकार को एक ''नजदीकी रिश्तेदार'' प्रमाणित करने की प्रक्रिया को इसके क्षेत्र के भीतर लाकर बढ़ाया जाना चाहिए अथवा कार्य को किसी अन्य नामित प्राधिकारी को सौंपा जाए।

3. अंगों के प्रत्यारोपण के अनुभव के आधार पर इस अधिनियम और नियमावली के उपबंधों और उक्त प्रक्रिया में सामना की जाने वाली कमियों के कारण उठने वाली कठिनाइयों की समीक्षा करना। इस समिति को विशेषत: धारा 9 के उपबन्धों और नियम 4 में निर्धारित किए गए परीक्षण करने की आवश्यकता ''नजदीकी रिश्तेदार'' की परिभाषा की समीक्षा करने के लिए फार्म-3 में प्रमाणन की जांच करना और की गई टिप्पणियों के प्रकाश में अपनी सिफारिशें करना है।

4. प्रत्यारोपण के लिए अंगों की जांच करना तथा उनको विनिर्दिष्ट करना जिनके ''नजदीकी रिश्तेदार'' होने की वास्तविकता को प्रमाणित करने के लिए नियम 4(1) (ग) में निर्धारित किए गए परीक्षण, जब अन्य प्रमाण उपलब्ध हों, किए जाने की जरूरत नहीं है।

5. विशेषतौर से शवों, ब्रेन स्टैम मौतों के मामलों और अन्य मृत व्यक्तियों, जिन्होंने मृत्यु होने पर अंगों को निकालने के लिए अधिकृत किया था, से अंग दान को प्रोत्साहित करने के लिए प्रत्यारोपण के वास्ते अंगों की उपलब्धता के बारे में जानकारी का प्रसार करने के कार्य में सहायता देने हेतु आंकड़ा बैंक सहित अंग अधिप्रापण संगठनों को प्रमाणित तथा स्थापित करने की व्यवहार्यता की जांच करना।

6. अंशत: भारत संघ से आने वाली तथा प्रदान की जाने वाली और अंशत: दाता को सामाजिक प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए और/अथवा जनता द्वारा अंगदान के प्रत्यारोपण के लिए अस्पताल का कुल बिल पर अंशत: नियत प्रभार लगाकर कोर्पस निधि बनाने की व्यवहार्यता की जांच करना।

7. ऐसे प्रोत्साहन देने के उपायों की जांच करना और उनकी सिफारिश करना लेकिन समुदाय में किसी दाता की सहायता करने और किसी वरीय स्वास्थ्य परिचर्या, मान्यता और सम्मान में सहायता करने तक सीमित नहीं है।

8. उन कारणों की जांच करना जिससे अंगदान की प्रक्रिया में गरीबों और अनजान व्यक्तियों का शोषण होता है तथा ऐसी कुप्रथाओं को कम करने, नियंत्रण करने तथा असामयिक उन्मूलन करने की विधियां सुझाना। अंगदान से संबंधित सही नैतिक, कानूनी सूचना का प्रचार-प्रसार करने और क्रियाविधि बनाने के कार्यक्रमों की सिफारिश करना ताकि प्रेरक वातावरण बनाया जा सके और आशंकाओं/भ्रमों को दूर किया जा सके।

9. इस विषय के संगत कोई अन्य मामला।

गुजरात में पत्तन के निकट स्थित सड़कों का उन्नयन

3131. श्री भरतसिंह माधवसिंह सोलंकी: क्या **पोत-परिवहन, सड़क-परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गुजरात के तटीय क्षेत्रों में ऐसे कई पत्तन हैं जो तेल उत्पादक देशों के निकट सामरिक महत्व के हैं; और

(ख) यदि हां, तो गुजरात के सभी महत्वपूर्ण पत्तनों के लिए सड़क संबंधी अवसंरचना का उन्नयन करने और इसे सुदृढ़ करने हेतु केन्द्र सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

पोत-परिवहन, सड़क-परिवहन और राजमार्ग मंत्री (श्री टी.आर. बालू): (क) जी, हां।

(ख) संघ-सरकार ने 143 किलोमीटर के मांडवी नारायण सरोवर-मार्ग और 200 किलोमीटर के सोमनाथ-द्वारका-मार्ग नामक राज्य-राजमार्गों का फरवरी, 2004 में राष्ट्रीय राजमार्गों के रूप में उन्नयन कर दिया है। गुजरात में पत्तनों तक पहुंचने वाली सड़कों से संबंधित अवसंरचनात्मक सुविधाओं को सशक्त करने के लिए निम्नलिखित निर्माण-कार्य अनुमोदित किए गए:-

क्र.सं.	राष्ट्रीय राजमार्ग सं.	अनुमोदित सड़कों के गंतव्य पत्तनों के नाम	अनुमोदित कार्य	अनुमानित राशि रुपयों में
1.	8 ए विस्तार नया	मांडवी और जखाऊ के बीच	60 कि.मी. की सड़क को दो लेन तक चौड़ा किया जाना और 5 कि.मी. की सड़क का राइडिंग सतह स्तर तक सुधार किया जाना	16.00 करोड़
2.	8 ए विस्तार	मुंद्रा-पत्तन	25 कि.मी. की सड़क का मजबूत बनाया जाना और क्रास ड्रेनेज को चौड़ा किए जाने से संबंधित निर्माण-कार्य और मरम्मत किया जाना	12.00 करोड़
3.	8 ए	कांडला-पत्तन	10 कि.मी. की सड़क का राइडिंग सतह के स्तर तक सुधार किया जाना	3.00 करोड़
4.	8 ई	गोधा, महुवा, अलंग, पिपावाव, विक्टर, जफराबाद और दीव पत्तन	40 कि.मी. की सड़क के पेव्ड साइड शोल्डर्स (पी एस एस) और क्रास ड्रेनेज से संबंधित निर्माण कार्य और मरम्मत	20.00 करोड़
5.	8 डी	वेरावल और मैंगरोल-पत्तन	50 कि.मी. की सड़क के पेव्ड साइड शोल्डर्स/नवीकरण और क्रास ड्रेनेज से संबंधित निर्माण-कार्य और मरम्मत	10.00 करोड़
6.	8 ई विस्तार	पोरबंदर और द्वारका	25 कि.मी. की सड़क का राइडिंग सतह के स्तर तक सुधार	3.00 करोड़

निजी चिकित्सा महाविद्यालयों की संख्या में वृद्धि

3132. श्री डी. विट्टलराव: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को देश में निजी चिकित्सा महाविद्यालयों की बढ़ती संख्या और चिकित्सा पाठ्यक्रम के गिरते स्तर की जानकारी है जैसाकि दिनांक 29 जनवरी, 2005 के 'द हिन्दू' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उच्चतम न्यायालय द्वारा चिकित्सा महाविद्यालयों में भारतीय चिकित्सा परिषद के मानदंडों के अनुसार उपलब्ध सुविधाओं की जांच करने हेतु समिति गठित की गई है;

(घ) यदि हां, तो समिति की सिफारिशों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इन सिफारिशों को क्रियान्वित करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) और (ख) निजी मेडिकल कालेजों की अनियंत्रित वृद्धि को रोकने के लिए 1993 में भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद अधिनियम, 1956 को नए मेडिकल कालेज शुरू करने के लिए केन्द्र सरकार की पूर्व अनुमति का प्रावधान करने हेतु, संशोधित किया गया। संशोधित अधिनियम के प्रावधान तथा उनके अंतर्गत बनाए गए विनियमों के अनुसार कोई व्यक्ति जो निजी क्षेत्र में नए मेडिकल कालेज खोलने का इच्छुक है, उसे संबंधित राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए अनिवार्यता प्रमाण-पत्र के साथ एक आवेदन प्रस्तुत करना अपेक्षित है। ऐसे अनिवार्यता प्रमाण-पत्र देते समय राज्य सरकार को राज्य में डाक्टरों की उपलब्धता तथा राज्य में चिकित्सा कार्मिक शक्ति की उपलब्धता को बढ़ाने की आवश्यकता निर्दिष्ट करना आवश्यक है। इसे भी प्रमाणित करना अपेक्षित है कि राज्य सरकार को प्रस्तावित मेडिकल कालेज की स्थापना करने में कोई आपत्ति नहीं है और यह कि परिषद के मानदण्डों के अनुसार उस प्रयोजनार्थ उपयुक्त नैदानिक सामग्री उपलब्ध है। परिषद नए मेडिकल कालेज की स्थापना करने के लिए अनुमति देने हेतु केन्द्र सरकार को सिफारिश करने से पूर्व परिषद के मानदण्डों के अनुसार अपेक्षित सुविधाओं की उपलब्धता के सत्यापन का निरीक्षण करती है। परिषद यह सुनिश्चित करने के लिए पहले से ही स्थापित मेडिकल कालेजों का आवधिक निरीक्षण भी करती है कि ऐसे कालेजों में परिषद के मानदंडों के संबंध में न्यूनतम सुविधाएं उपलब्ध हैं। इस तरह देश में मेडिकल कालेजों की स्थापना का विनियमन करने तथा चिकित्सा शिक्षा का स्तर गिरने से रोकने के लिए परिषद के विनियमों में आवश्यक प्रावधान उपलब्ध हैं।

(ग) से (ङ) भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय ने भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद के कार्यकरण की मानिटरिंग करने के लिए एक तदर्थ समिति नियुक्त की है जिसमें इस समय तीन सदस्य शामिल हैं। समिति ने माननीय न्यायालय को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। रिपोर्ट की प्रतियां केन्द्र सरकार को भी प्रस्तुत की गई हैं। उनमें की गई सिफारिशें इस प्रणाली में समग्रतापूर्वक सुधार लाने के उद्देश्य से भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद के कार्यकरण से संबंधित चिकित्सा शिक्षा क्षेत्र से संबंधित विभिन्न पहलुओं के संबंध में है। इस समय यह रिपोर्ट सरकार के विचाराधीन है।

क्षय नियंत्रण कार्यक्रम

3133. श्री डी.वी. सदानन्द गौडा: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान राष्ट्रीय क्षय नियंत्रण कार्यक्रम पर खर्च की गई धनराशि का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या कर्नाटक सरकार ने विद्यमान क्षय केन्द्रों को सुदृढ़ करने हेतु वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम के तहत विगत तीन वर्षों के दौरान व्यय की गयी राशि का राज्यवार ब्यौरा विवरण में दिया गया है।

(ख) से (घ) संशोधित राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम (आरएनटीसीपी) जिसे डाट्स के नाम से जाना जाता है और जो विश्व बैंक द्वारा संस्तुत कार्य-नीति है, के तहत धनराशि सीधे राज्य सरकारों को जारी न कर राज्य क्षयरोग सोसाइटियों को आगे जिलों को भेजे जाने के लिए, जारी की जाती हैं। कर्नाटक राज्य को पहले से ही आरएनटीसीपी के तहत कवर कर लिया गया है। कर्नाटक राज्य से इस कार्यक्रम के तहत अतिरिक्त वित्तीय सहायता संबंधी कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है।

विवरण

राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम के तहत विगत तीन वर्षों के दौरान राज्यवार व्यय का ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण

क्र.सं.	राज्य/संघ शा. क्षेत्र का नाम	2001-02 व्यय	2002-03 व्यय	2003-04 व्यय
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	1509.35	952.66	635.47
2.	अरुणाचल प्रदेश	89.59	40.09	114.13

1	2	3	4	5
3.	असम	195.06	256.81	448.95
4.	बिहार	409.47	285.01	393.29
5.	गोवा	9.88	11.37	22.50
6.	गुजरात	466.60	239.74	301.97
7.	हरियाणा	158.13	137.13	148.91
8.	हिमाचल प्रदेश	144.91	91.20	133.65
9.	जम्मू-कश्मीर	77.76	31.95	125.21
10.	कर्नाटक	529.45	455.28	636.25
11.	केरल	450.38	156.31	252.85
12.	मध्य प्रदेश	420.38	156.31	252.85
13.	महाराष्ट्र	1167.23	627.18	1399.29
14.	मणिपुर	87.88	77.14	126.83
15.	मेघालय	12.93	70.19	58.39
16.	मिजोरम	15.81	84.09	97.94
17.	नागालैंड	97.31	28.46	68.72
18.	उड़ीसा	528.04	785.45	364.13
19.	पंजाब	239.47	202.79	267.01
20.	राजस्थान	744.87	497.23	502.29
21.	सिक्किम	31.32	34.28	42.25
22.	तमिलनाडु	679.31	350.10	982.42
23.	त्रिपुरा	36.80	44.61	30.80
24.	उत्तर प्रदेश	1246.37	1142.25	1275.78
25.	पश्चिम बंगाल	656.90	677.95	889.30
26.	दिल्ली	162.63	393.55	384.15
27.	पांडिचेरी	3.97	0.00	0.39
28.	अंडमान और निकोबार	0.60	13.00	0.21
29.	चंडीगढ़	8.55	16.00	30.17

1	2	3	4	5
30.	दादरा और नगर हवेली	0.31	0.00	0.00
31.	दमन और दीव	0.31	0.00	0.00
32.	लक्षद्वीप	0.00	9.34	3.27
33.	झारखंड	54.76	78.32	373.60
34.	उत्तरांचल	15.53	97.16	273.39
35.	छत्तीसगढ़	36.30	196.55	513.91
	योग	10288.13	8746.22	11309.98

एड्स का टीका

3134. श्री किन्जरपु येरननायडु: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नोएडा स्थित इंस्टीट्यूट आफ साइटोलोजी एंड प्रीवेन्टिव आंकोलोजी ने एड्स का टीका इजाद किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और टीका विकसित करने में किन-किन घटकों का प्रयोग किया गया है; और

(ग) भारतीय बाजार में इसके कब तक उपलब्ध कराये जाने की संभावना है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) और (ख) जी, नहीं। नोएडा में भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के इंस्टीट्यूट आफ साइटोलाजी और प्रिवेन्टिव आंकोलाजी ने एचआईवी/एड्स की कोई वैक्सीन विकसित नहीं की है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

अधिकारियों/कर्मचारियों को दंड देना

3135. श्री संतोष गंगवार: क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केन्द्र सरकार द्वारा सी.एस.एस. नियम 14 के अंतर्गत कितने अधिकारियों/कर्मचारियों को दंडित किया गया है;

(ख) क्या दंडित अधिकारियों/कर्मचारियों को दंडित करने के बावजूद संवेदनशील पदों पर नियुक्त किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश पचौरी): (क) चूंकि केन्द्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम, 1965 के नियम 14 के अंतर्गत अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई, भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों के विभिन्न अनुशासनिक प्राधिकारियों द्वारा की जाती है, अत: इस प्रकार की जानकारी केन्द्रीकृत निगरानी में नहीं है/उपलब्ध नहीं है।

(ख) और (ग) दंडित अधिकारियों/कर्मचारियों की संवेदनशील पदों पर तैनाती के बारे में निर्णय कदाचार की गंभीरता और स्वरूप के मद्देनजर, प्रत्येक बार नियंत्रक प्राधिकारी द्वारा लिया जाता है। इस बारे में जानकारी, केन्द्रीकृत निगरानी में नहीं है/उपलब्ध नहीं है।

[अनुवाद]

स्वास्थ्य योजनाएं/कार्यक्रम

3136. श्री कीरेन रिजीजू: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विश्व स्वास्थ्य संगठन देश में विशेषकर अरुणाचल प्रदेश में विभिन्न स्वास्थ्य योजनाओं और कार्यक्रमों का वित्तपोषण कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार/योजनावार ब्यौरा क्या है; और

(ग) राज्यों में स्वास्थ्य कार्यक्रमों में तेजी लाने हेतु नियत धन का ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) से (ग) विश्व स्वास्थ्य संगठन ऐसी परियोजनाओं और कार्यक्रमों को तकनीकी तथा वित्तीय सहायता प्रदान करता है जो कंट्री कार्य योजना के अनुसार संयुक्त रूप से तैयार भारत सरकार के सहयोग से क्रियान्वित किए जाते हैं। द्विवार्षिकी 2004-2005 के लिए तैयार किए गए विभिन्न स्वास्थ्य कार्यक्रमों के लिए कार्य योजना का विवरण संलग्न है।

अरूणाचल प्रदेश में विश्व स्वास्थ्य (संगठन) की सहायता प्राप्त विशेष तौर क्रियान्वित की गई स्वास्थ्य स्कीमें और कार्यक्रम इस प्रकार है:-

1. अरूणाचल प्रदेश सहित पूर्वोत्तर राज्यों में मुखीय (ओरल) स्वास्थ्य संबंधी बहुकेन्द्रिक अध्ययन किया जा रहा है जिसके लिए मानकीकृत साधन के जरिए समुदाय में मुखीय स्वास्थ्य समस्याओं संबंधी अध्ययन हेतु एक कार्यनिष्पादन समझौते पर स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय; अरुणाचल प्रदेश के साथ हस्ताक्षर किए गए हैं।

2. विगत तीन द्विवार्षिककियों के दौरान भारत सरकार और विश्व स्वास्थ्य संगठन के सहयोग वाली ''आदिम जनजाति'' संबंधी परियोजना के अंतर्गत अरूणाचल प्रदेश सहित पूर्वोत्तर राज्यों को तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान की गई थी।

3. 2000-2001 में अरूणाचल प्रदेश सहित पूर्वोत्तर राज्यों में विश्व स्वास्थ्य संगठन के जरिए एक क्षेत्रीय आयोडिन अल्पता संबंधी सर्वेक्षण किया गया था।

विवरण

विश्व स्वास्थ्य संगठन से जुड़े देशों का बजट

क्र.सं.	कार्यक्रम का नाम	आबंटन (2004-05) अमेरिकी डालर में
1	2	3
I.	**संचारी रोग**	
1.	मलेरिया नियंत्रण और कालाजार	100,000
2.	क्षयरोग	75,000
3.	अन्य संचारी रोग	50,000
4.	संचारी रोग निगरानी	100,000
II.	**गैर संचारी रोग और मानसिक स्वास्थ्य**	
5.	कैंसर नियंत्रण	300,000
6.	कार्डियो वास्कुलर रोग	350,000
7.	अन्य गैर-संचारी रोग	50,000
8.	गैर-संचारी रोग निगरानी	50,000
9.	तम्बाकू	600,000
10.	मानसिक स्वास्थ्य और द्रव्य दुरूपयोग	300,000
11.	स्वास्थ्य प्रोत्साहन	100,000
12.	अक्षमता, घाव निवारण एवं पुनर्वास और व्यावसायिक स्वास्थ्य	75,000

1	2	3
III.	**परिवार और सामुदायिक स्वास्थ्य**	
13.	मातृ स्वास्थ्य (गर्भावस्था को सुरक्षित बनाने हेतु)	250,000
14.	एचआईवी/एड्स	100,000
15.	प्रजनक और बाल स्वास्थ्य एवं किशोर स्वास्थ्य	250,000
16.	महिलाओं का स्वास्थ्य	50,000
17.	नर्सिंग	400,000
IV.	**सतत विकास और स्वस्थ पर्यावरण**	
18.	खाद्य निरापदता	200,000
19.	पोषण	100,000
20.	स्वास्थ्य और पर्यावरण	50,000
21.	आपातकालीन तैयारी और अनुक्रिया	50,000
V.	**स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी और फार्मास्यूटिकल्स**	
22.	रक्त निरापदता	50,000
23.	अनिवार्य दवाइयां	425,000
24.	पारंपरिक दवाइयां	300,000
VI.	**नीति संबंधी प्रमाण और सूचना**	
25.	स्वास्थ्य सूचना और प्रबंध	50,000
26.	स्वास्थ्य क्षेत्र सुधार	200,000
27.	स्वास्थ्य वित्तपोषण एवं राष्ट्रीय स्वास्थ्य लेखे	200,000
28.	अनुसंधान नीति और प्रोत्साहन	100,000
VII.	**विविध**	
29.	कुष्ठ रोग	25,000
30.	दृष्टिहीनता	150,000
31.	बधिरता	75,000
32.	मुखीय स्वास्थ्य	100,000
33.	वृद्धों हेतु स्वास्थ्य परिचर्या	75,000
34.	पेयजल हेतु सुरक्षा मानदंड	100,000

1	2	3
35.	प्रतिरक्षण और वैक्सीन विकास	शून्य
36.	स्वास्थ्य सेवा और जनजातीय स्वास्थ्य व्यवस्थापन	शून्य
37.	जलापूर्ति और स्वच्छता (ग्रामीण)	शून्य
38.	जलापूर्ति और स्वच्छता (शहरी)	शून्य
39.	हेल्दी सिटी	शून्य
40.	स्वास्थ्य नीति और संवर्धन स्वास्थ्य प्रणाली कार्यनिष्पादन	शून्य
VIII.	**अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्र**	
41.	सतत विकास	800,000
42.	विश्व स्वास्थ्य संगठन	2,500,000
	कुल योग:	8,750,000

दिल्ली, मास्को और बीजिंग का त्रितंत्र

3137. **श्री रायापाति सांबासिवा राव:**
श्री इकबाल अहमद सरडगी:

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को क्षेत्र के आर्थिक विकास और शांति हेतु दिल्ली, मास्को और बीजिंग का त्रितंत्र सृजित करने संबंधी प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो क्या सभी तीन देशों ने उन विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की है जिन पर संयुक्त रूप से चर्चा किए जाने की संभावना है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस संबंध में क्या परिणाम निकले?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (राव इन्द्रजीत सिंह): (क) जी, नहीं। क्षेत्र के आर्थिक विकास और शांति के लिए केन्द्र सरकार को दिल्ली, मास्को और बीजिंग का त्रितंत्र स्थापित करने के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। तथापि, अंतर्राष्ट्रीय मामलों सहित हित के विभिन्न मामलों पर विचारों का आदान-प्रदान करने के इरादे से भारत, रूस और चीन के विदेश मंत्री अनौपचारिक रूप से बैठक करते रहते हैं।

(ख) विदेश मंत्रियों की 21 अक्टूबर, 2004 को अलमाती, कजाकस्तान में हुई त्रिपक्षीय बैठक के दौरान त्रिपक्षीय स्तर पर आर्थिक सहयोग की संभावना पर भी विचार किया गया।

(ग) रूस और चीन के विदेश मंत्रियों ने तीनों देशों के व्यापारियों की प्रथम बैठक की मेजबानी करने के भारत के विदेश मंत्री के प्रस्ताव का स्वागत किया।

(घ) लागू नहीं।

समुद्रीय विकास पर कर

3138. **श्रीमती जयावहन बी. ठक्कर:** क्या **पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने समुद्रीय विकास पर प्रति एम टी 50/- रु. के हसाब से कर निर्धारत कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार कर दर की पुनरीक्षा करने का है; और

(घ) यदि हां, तो यह कब तक किए जाने की संभावना है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री (श्री टी.आर. बालू): (क) से (घ) समुद्री क्षेत्र (पत्तन, वाणिज्यिक

पोत-परिवहन और अंतर्देशीय जल-परिवहन) के बारे में नीति के प्रारूप में यह परिकल्पित है कि यह नीति कार्यान्वित करने के लिए अपेक्षित धन का कुछ अंश, (हिस्सा), 10 वर्ष की अवधि तक, नाममात्र का समुद्री विकास उपकर, अर्थात् भारतीय पत्तनों से होकर विदेश जाने वाले प्रति कि.ग्रा. सामान (कार्गो) पर 05 पैसे की साधारण दर से और तटीय तथा कम कीमत के, प्रति किलोग्राम सामान (कार्गो) पर 02 पैसे की साधारण दर से उपकर उगाह कर जुटाया जाएगा। उपर्युक्त नीति, इस समय प्रारूप की अवस्था में है।

लघु उद्योग क्षेत्र को छूट

3139. श्री जसुभाई दानाभाई बारड़: क्या **लघु उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को इस बात की जानकारी है कि मात्रात्मक प्रतिबन्धों को हटा दिये जाने के कारण लघु उद्योग गंभीर संकट का सामना कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार का विचार इस उद्योग को बढ़ावा देने के लिए गुजरात के सीमावर्ती जिलों को छूट देने का है;

(घ) यदि हां, तो छूट कब तक दिये जाने की संभावना है; और

(ङ) केन्द्र सरकार द्वारा इन लघु उद्योगों को दी जाने वाली अन्य छूटों का ब्यौरा क्या है?

लघु उद्योग मंत्री तथा कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री (श्री महावीर प्रसाद): (क) और (ख) सरकार 1991 से आयात पर लगे प्रतिबन्धों को हटाने के लिए एक सतत नीति का अनुपालन कर रही है और मात्रात्मक प्रतिबन्धों के हटाए जाने/चरणबद्ध रूप से दूर करने की विविक्षा के प्रति जागरूक हैं। अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के उदारीकृत तंत्र में घरेलू उद्योगों, जिनमें लघु उद्योग शामिल हैं, को आयातों से प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ता है, बशर्ते कि सीमा शुल्क की लागू होने वाली दरें और अन्य सभी सुरक्षण उपाय अनुमेय हों।

(ग) और (घ) गुजरात राज्य, जिसमें राज्य के सीमावर्ती जिले शामिल हैं, में लघु उद्योगों का विकास और संवर्धन राज्य सरकार का मुख्य उत्तरदायित्व है। केन्द्र सरकार सीमान्त जिलों में स्थित लघु उद्योगों और अन्य स्थानों पर स्थित उद्योगों से अलग-अलग व्यवहार नहीं करती है।

(ङ) सरकार द्वारा लघु उद्योगों को क्रेडिट की उपलब्धता, बुनियादी संरचनात्मक विकास, प्रौद्योगिकी उन्नयन, मार्केटिंग आदि में सहायता देने के संबंध में सीमान्त जिलों में स्थित लघु उद्योगों को अन्य स्थानों पर स्थित लघु उद्योगों के समान ही कार्यान्वित की जा रही विभिन्न स्कीमों और कार्यक्रमों का लाभ उठाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।

नेशनल इन्नोवेशन फाउंडेशन

3140. श्री बी. विनोद कुमार: क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आधारभूत इन्नोवेशन को बढ़ावा देने के लिए नेशनल इन्नोवेशन फाउंडेशन द्वारा प्राप्त तथा अनुमोदित परियोजनाओं/प्रस्तावों की कुल संख्या कितनी है; और

(ख) आधारभूत इन्नोवेशन के लिए दिनांक 31 दिसम्बर, 2004 तक व्यक्तियों को अनुदान/वित्तीय सहायता के रूप में कुल कितनी धनराशि प्रदान की गई?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा महासागर विकास विभाग के राज्य मंत्री (श्री कपिल सिब्बल): (क) नेशनल इन्नोवेशन फाउंडेशन (एन आई एफ) द्वारा देश के 300 से अधिक जिलों में 51,922 पारंपरिक पद्धतियों तथा आधारिक स्तर के नवोन्मेषों की पहचान की गई है। एन आई एफ विशेषज्ञों की सहायता से पुरस्कारों के लिए नवोन्मेषों एवं पद्धतियों की सूची बनाने, तकनीकी अथवा व्यवसाय विकास प्रदर्शनियों तथा कृषि मेलों में भाग लेने के लिए सहायता तथा अनुसंधान और विकास सहायता प्रदान करता है। इन कार्यकलापों के लिए लगभग 675 नवोन्मेषकों को सहायता प्रदान की गई है।

(ख) नेशनल इन्नोवेशन फाउंडेशन (एन आई एफ) ने व्यक्तिगत नवोन्मेषों को पुरस्कारों, तकनीकी विकास, प्रोटोटाइम विकास, बाजार संबंधी परीक्षण सहायता, प्रदर्शनियों में भाग लेने तथा पेटेंट प्राप्ति के लिये अनुदानों के द्वारा 88.13 लाख रु. का अनुदान/वित्तीय सहायता प्रदान की है।

[हिन्दी]

बेसिक फोन की मासिक दर

3141. श्री राजाराम पाल: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राज्यों में विशेषकर उत्तर प्रदेश में सभी जिलों तथा ग्रामीण क्षेत्रों में बेसिक फोन का मासिक किराया शहरी क्षेत्रों के बराबर प्रभारित किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं तथा इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या शहरी क्षेत्रों की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में टेलीफोन सेवाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए कर्मचारियों की कमी है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार ग्रामीण क्षेत्रों में नियमित कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि करने का है;

(ङ) क्या सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में बेसिक फोन का मासिक किराया कम करने पर विचार कर रही है;

(च) यदि हां, तो यह कब तक क्रियान्वित हो जाने की संभावना है; और

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) जी, नहीं।

(ख) उपरोक्त भाग (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ग) ग्रामीण क्षेत्रों में अपेक्षित सुविधाओं की कमी के कारण स्टाफ सदस्य वहां जाने की इच्छा नहीं रखते हैं। तथापि, दोष-शिकायत प्रणाली का कंप्यूटरीकरण करके, एसबीएम एवं 256 पी आरएएक्स एक्सचेंजों को आरएसयू एवं एएन आरएएक्स एक्सचेंजों में बदल कर, डब्ल्यूएलएल सेवाएं लागू करके और ग्रामीण एक्सचेंजों की ग्रुपिंग करके ग्रामीण क्षेत्रों में टेलीफोन सेवाएं निर्बाध रूप से चलाई जा रही हैं।

(घ) जी नहीं, उपरोक्त भाग (ग) के उत्तर को देखते हुए।

(ङ) से (छ) ग्रामीण क्षेत्रों में किराया कम करने का कोई प्रस्ताव नहीं है क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में उपभोक्ताओं के लिए बीएसएनएल की मौजूदा टेलीफोन दरें अत्यधिक इमदादी हैं और शहरी क्षेत्रों से कम हैं।

डाक सर्किलों से प्राप्त राजस्व

3142. श्री राम सिंह कस्वां:
श्री जुएल ओराम:

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान विभिन्न डाक सर्किलों से सरकार को कुल कितना राजस्व प्राप्त हुआ;

(ख) तत्संबंधी वर्षवार तथा वृत्तवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या वर्ष प्रति वर्ष राजस्व में कमी आ रही है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) विभिन्न डाक सेवाओं से राजस्व प्राप्ति में वृद्धि करने के लिए क्या प्रभावी कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान अर्जित कुल राजस्व निम्नानुसार है:-

2001-2002	3697.11 करोड़ रु.
2002-2003	4009.65 करोड़ रु.
2003-2004	4256.93 करोड़ रु.

(ख) सर्किलवार ब्यौरा विवरण में दिया गया है।

(ग) जी नहीं, इसमें कमी नहीं आ रही है।

(घ) और (ङ) उपर्युक्त (ग) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

राजस्व प्राप्तियां

(करोड़ रु. में)

क्र.सं.	विवरण	2001-2002	2002-2003	2003-2004
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	161.05	187.01	190.34
2.	असम	21.13	23.00	22.18

1	2	3	4	5
3.	बिहार	36.39	33.78	40.30
4.	बेस	24.72	26.26	28.37
5.	दिल्ली	225.13	204.92	206.98
6.	गुजरात	118.60	128.97	137.31
7.	हरियाणा	38.20	44.89	52.84
8.	हिमाचल प्रदेश	21.80	25.54	26.28
9.	जम्मू व कश्मीर	13.74	13.97	15.56
10.	कर्नाटक	151.59	179.67	175.23
11.	केरल	160.2	179.15	176.45
12.	महाराष्ट्र	418.37	465.56	502.31
13.	मध्य प्रदेश	39.05	42.68	44.78
14.	उत्तर पूर्व	15.02	19.51	18.19
15.	उड़ीसा	33.01	36.39	35.43
16.	पंजाब	75.89	86.11	88.67
17.	राजस्थान	72.62	85.8	84.63
18.	तमिलनाडु	266.2	301.77	313.37
19.	उत्तर प्रदेश	129.76	138.63	147.41
20.	पश्चिम बंगाल	103.77	114.06	111.32
21.	चण्डीगढ़	30.02	36.16	34.79
22.	झारखण्ड	18.47	18.21	19.61
23.	उत्तरांचल	20.46	24.67	23.83
24.	मुख्यालय*	1501.92	1592.94	1760.75
	कुल	3697.11	4009.65	4256.93

*आरबीआई के लेखा के बाहर वार्षिक समायोजन को मुख्यालय के सामने वर्गीकृत किया गया है।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 52 पर दुर्घटनाओं में वृद्धि

3143. डा. अरूण कुमार शर्मा: क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 52 की एक लेन वाले क्षेत्र में जर्जर 'शोल्डर' की ऊंचाई बहुत कम होने के कारण वहां वाहन फिसलते हैं तथा लुढ़क जाते हैं;

(ख) यदि हां, तो सड़क तथा शोल्डर को सुदृढ़ बनाने के लिए क्या कार्रवाई की गई है; और

(ग) दसवीं योजना के दौरान राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 52 को दो लेन वाला बनाने तथा उसे सुदृढ़ बनाने पर वर्ष-वार प्रस्ताव तथा प्राप्त लक्ष्य क्या रहे?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) सीमा सड़क संगठन जो रा.रा.-52 का विकास और अनुरक्षण कर रहा है, से प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार उत्तरी लखीमपुर (345 कि.मी.) से जोनई (510 कि.मी.) क्षेत्र में रा.रा.-52 पर कैरिजवे और शोल्डरों के बीच मामूली अंतर है। तथापि, रा.रा.-52 के इकहरी लेन खण्ड पर क्षतिग्रस्त शोल्डरों के अतिन्यून स्तर के कारण वाहनों के अक्सर फिसलने और गिरने की कोई सूचना नहीं है।

(ख) शोल्डरों के सुधार के लिए कार्रवाई प्रारम्भ कर दी गई है और प्राथमिकता वाले खंडों में पहले ही कार्य शुरू कर दिया गया है। यह कार्य, राष्ट्रीय राजमार्गों का अनुरक्षण और मरम्मत का हिस्सा होने के कारण एक सतत् प्रक्रिया है। ऐसे कार्य धनराशि की उपलब्धता और पारस्परिक प्राथमिकता के आधार पर किए जाते हैं।

(ग) 'विशेष त्वरित सड़क विकास कार्यक्रम' जिले अभी अंतिम रूप दिया जा रहा है, में रा.रा.-52 के इकहरी लेन वाले खंडों को दो लेन का बनाने के लिए प्रावधान है। वर्ष 2005-06 में 345 से 360 कि.मी. में इस कार्य के प्रारम्भ हो जाने की संभावना है जो धनराशि की उपलब्धता के आधार पर निर्भर करता है।

[हिन्दी]

लघु उद्योग क्षेत्र द्वारा उत्पादित वस्तुओं का विपणन

3144. श्री धावरचन्द गेहलोत: क्या **लघु उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या लघु उद्योग क्षेत्र अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कठिन प्रतिस्पर्धा का सामना कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो इस क्षेत्र को सरकार किस प्रकार की सहायता प्रदान कर रही है;

(ग) क्या सरकार ने लघु उद्योगों द्वारा उत्पादित वस्तुओं के विपणन के संबंध में विभिन्न देशों/अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार संगठनों के साथ किसी व्यापारिक संधि पर हस्ताक्षर किये हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

लघु उद्योग मंत्री तथा कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री (श्री महावीर प्रसाद): (क) उदारीकरण एवं वैश्वीकरण को विश्वव्यापी प्रणाली जिसमें अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार पर मात्रात्मक प्रतिबन्धों का दूर करना अथवा हटाना शामिल है, के परिणामस्वरूप अधिकांश निर्यात, जिसमें लघु क्षेत्र का निर्यात शामिल है, के लिए अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में अपेक्षाकृत अधिक प्रतिस्पर्धा है।

(ख) उनकी प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने की दृष्टि से सरकार प्रौद्योगिकी के उन्नयन, गुणवत्ता प्रमाणन प्राप्त करने और उत्पादों के परीक्षण, अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेलों में भागीदारी और कैटेलाग प्रदर्शनियां आयोजित करके निर्यात संवर्धन, अन्तर्राष्ट्रीय टेंडरों पर सूचना का प्रसार, व्यवसाय प्रतिनिधिमंडलों का आदान प्रदान, आदि के संबंध में लघु इकाइयों की सहायता करने के लिए विभिन्न योजनाएं कार्यान्वित करती है।

(ग) और (घ) सरकार ने लघु उद्योगों द्वारा विनिर्मित वस्तुओं के विपणन के लिए किसी अन्य देश/अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार संगठनों के साथ किसी व्यापारिक सन्धि पर हस्ताक्षर नहीं किए गए हैं।

[अनुवाद]

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा पंजाब में किए जा रहे कार्य

3145. श्री सुखदेव सिंह ढींडसा: क्या **पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्तमान में पंजाब में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) द्वारा किए जा रहे कार्यों का ब्योरा क्या है;

(ख) जारी प्रत्येक कार्य की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ग) ये कार्य कब तक पूर्ण हो जाने की संभावना है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) से (ग) भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा पंजाब में शुरू किए गए कार्यों की सूची विवरण के रूप में संलग्न है जिसमें उनकी स्थिति और उनके पूरा होने की संभावित तारीख दी गई है।

विवरण

क्र.सं.	खंड	रा.रा. सं.	वर्तमान स्थिति	कार्य पूरा होने की संभावित तारीख
1	2	3	4	5
1.	हरियाणा/पंजाब सीमा जालंधर (212.00 से 372 कि.मी.)	1	पूरे हो चुके 4 लेन वाले खंड के अनुरक्षण और प्रचालन ठेका चल रहा है।	30.4.2005 (अनुरक्षण ठेकों के लिए)

1	2	3	4	5
2.	भोगपुर से पंजाब/जे एंड के सीमा	1ए	विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने का कार्य चल रहा है।	मई, 2005 (विस्तृत परियो. रिपोर्ट के लिए)
3.	जालंधर-अमृतसर खंड (387.1 से 407.1 कि.मी.)	1	निविदाएं मंगाई गई हैं और कार्य सौंपने का कार्य न्यायाधीन है।	–
4.	जालंधर-अमृतसर खंड (407.1 से 456.1 कि.मी.)	1	विस्तृत परियोजना रिपोर्ट पूरी हो चुकी है। एनएचडीपी चरण-III के अंतर्गत बी ओ टी आधार पर 4 लेन वाले खंडों के लिए निविदाएं आमंत्रित की गई हैं।	जुलाई, 2008 (4 लेन बनाने के लिए)
5.	पठानकोट-अमृतसर (0.00 से 101.00 कि.मी.)	15	विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने का कार्य चल रहा है।	मार्च, 2005 (विस्तृत परियो. रिपोर्ट के लिए)
6.	चंडीगढ़-कीरतपुर खंड	21	विस्तृत परियोजना रिपोर्ट पूरी हो चुकी है।	–
7.	अंबाला-चंडीगढ़ खंड (पंजाब भाग)	22	विस्तृत परियोजना रिपोर्ट पूरी हो चुकी है। एनएचडीपी चरण-3 के अंतर्गत बी ओ टी आधार पर 4 लेन वाले खंडों के लिए निविदाएं आमंत्रित की गई हैं।	अगस्त, 2008 (4 लेन बनाने के लिए)

[हिन्दी]

डाक दरों में कमी

3146. श्री विजय कुमार खंडेलवाल: क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि उच्च डाक दरों के कारण पुस्तक मेले महंगे सौदे साबित हो रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार साक्षरता तथा पुस्तकों को बढ़ावा/विस्तार के लिए डाक दरों को किफायती बनाने की दिशा में कार्रवाई करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) उपर्युक्त (क) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(घ) चूंकि "मुद्रित पुस्तकों वाली बुक पोस्ट" सेवा भारी सबसिडी युक्त है, वित्तीय वर्ष 2004-05 के अनुमानों के अनुसार 20.54 करोड़ रुपए की सबसिडी प्राप्त है। इस सेवा के परिशुल्क को अंतिम बार ग्यारह वर्षों के उपरांत 01.6.2001 से संशोधित किया था। इस सेवा का वर्तमान परिशुल्क निम्नानुसार है:-

पहले 100 ग्राम या उसके भाग के लिए	1/- रु.
100 ग्राम से अधिक हर अतिरिक्त 100 ग्राम या उसके भाग के लिए	1/- रु.

छत्तीसगढ़ को अनुदान सहायता

3147. श्री अजीत जोगी: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केंद्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत आयुर्वेदिक/होम्योपैथिक/यूनानी औषधालयों को आवश्यक औषधियां उपलब्ध कराने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा कितनी अनुदान सहायता की मांग की गई है;

(ख) राज्य को कितनी धनराशि आबंटित की गई है;

(ग) क्या आबंटित धनराशि मंजूर कर दी गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा 690 औषधालयों (आयुर्वेद-635, होम्योपैथी-50 और यूनानी-5) के लिए 172.50 लाख रुपये की सहायतानुदान राशि मांगी गई थी।

(ख) आबंटित राशि 72.50 लाख रुपये है।

(ग) जी, हां।

(घ) प्रति औषधालय 25,000 रुपये की दर से 290 औषधालयों (आयुर्वेद 235, होम्योपैथी 50 और यूनानी 5) को 72.50 लाख रुपये संस्वीकृत किए गए हैं।

(ङ) लागू नहीं।

[अनुवाद]

क्रिकेट मैच देखने के लिए पाकिस्तान के राष्ट्रपति का दौरा

3148. श्री एन. जनार्दन रेड्डी:
श्री राजेश पाठक:

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत तथा पाकिस्तान के बीच चल रही क्रिकेट श्रृंखला में भारत में क्रिकेट मैच देखने के लिए आमंत्रित किये जाने पर पाकिस्तान के राष्ट्रपति ने भारत में क्रिकेट मैच देखने की इच्छा व्यक्त की है;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार का विचार उन्हें मैच देखने के लिए आमंत्रित करने का है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (राव इन्द्रजीत सिंह): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) जी, हां। सरकार ने निमंत्रण दिया है और राष्ट्रपति मुशर्रफ ने 17 अप्रैल, 2005 को दिल्ली में खेले जाने वाले एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच देखने के लिए भारत आना स्वीकार कर लिया है।

राष्ट्रीय उद्यमशीलता विकास बोर्ड द्वारा आयोजित संगोष्ठी

3149. श्री किरिप चालिहा: क्या **लघु उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय उद्यमशीलता विकास बोर्ड ने महाविद्यालय स्तर पर उद्यमशीलता शिक्षा के महत्व पर विचार-विमर्श करने के लिए हाल ही में गुजरात में एक संगोष्ठी का आयोजन किया था;

(ख) यदि हां, तो संगोष्ठी में क्या सिफारिशें की गई हैं तथा सरकार ने इन्हें किस सीमा तक स्वीकार किया है; और

(ग) महाविद्यालय/विश्वविद्यालय स्तर पर इस विषय को शुरू किस प्रकार किया जाएगा जिससे यह असम जैसे आर्थिक रूप से पिछड़े राज्यों के आर्थिक विकास में सहायक होगा?

लघु उद्योग मंत्री तथा कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री (श्री महावीर प्रसाद): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता है।

(ग) कालेजों और महाविद्यालयों में उद्यमिता शिक्षा के समावेश से विद्यार्थियों को उद्यमिता को एक कैरियर विकल्प के रूप में अपनाने के लिए प्रोत्साहित और प्रशिक्षित किया जा सकता है। बदले में यह रोजगार बाजार के नए शिक्षित प्रवेशकों को सरकार की स्व-रोजगार योजनाओं के लाभों को प्राप्त करने और असम जैसे राज्यों में अधिक रोजगार सृजित करने के लिए प्रोत्साहित कर सकता है। कालेजों और विश्वविद्यालयों में ऐसे कोर्सों के समावेश को लंबित करते हुए और इस संबंध में जारी गतिविधियों के अंग के रूप में, लघु उद्योग सेवा संस्थान (एसआईएसआई), तेजपुर ने ऐसे स्व-रोजगार अवसरों के प्रति युवाओं को जागरूक करने के लिए कामर्स कालेज, उत्तरी लखीमपुर, असम में एक गहन अभिप्रेरणा

अभियान आयोजित किया। इसके अतिरिक्त, उद्यमिता शिक्षा पर एक राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन करने के लिए राष्ट्रीय उद्यमिता विकास बोर्ड योजना के तहत भारतीय उद्यमिता संस्थान, गुवाहाटी को वित्तीय सहायता प्रदान की गई है।

एकीकृत रोग निगरानी कार्यक्रम

3150. श्री सुग्रीव सिंह: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विश्व स्वास्थ्य संगठन भारत के एकीकृत रोग निगरानी कार्यक्रम के लिए तकनीकी सहायता प्रदान करने में भारत सरकार के साथ मिलकर कार्य करना बन्द कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में विश्व स्वास्थ्य संगठन से सहायता प्राप्त कर रहे राज्यों के क्या नाम हैं;

(ग) ऐसे राज्यों द्वारा अब तक प्राप्त सहायता का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इन राज्यों में ऐसी सहायता से कितने लोग लाभान्वित हुए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) विश्व स्वास्थ्य संगठन निम्नलिखित क्षेत्रों में अनुसंधान परियोजनाओं प्रशिक्षण कार्यकलापों के लिए समेकित रोग निगरानी कार्यक्रम को तकनीकी सहायता देता आ रहा है:

1. रोग निगरानी में मेडिकल कालेजों तथा निजी क्षेत्र की भागीदारी।
2. रोग निगरानी के लिए प्रचालन, प्रशिक्षण मापदण्डों, मानिटरिंग एवं मूल्यांकन संबंधी साधनों का विकास।
3. आपदा पश्चात रोग निगरानी, प्रयोगशाला तकनीकों तथा महामारी के प्रति तैयारी और अनुक्रिया के क्षेत्र में प्रशिक्षण।
4. सुनामी प्रभावित जिलों में प्रकोप प्रवण रोगों की मानीटरिंग।

(ख) से (घ) समेकित रोग निगरानी कार्यक्रम के पहले चरण में 9 राज्यों (तमिलनाडु, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश, मिजोरम, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, उत्तरांचल, मध्य प्रदेश और केरल) और चरण II और III में उड़ीसा, राजस्थान, अन्य पूर्वोत्तर राज्यों, बिहार एवं पांडिचेरी को तकनीकी सहायता दी गई है।

संक्रामक बीमारियों के मामले

3151. श्री भर्तृहरि महताब: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि देश में विशेषकर उड़ीसा में 20 प्रतिशत मौतें आंत की संक्रामक तथा परजीवी बीमारियों से होती हैं;

(ख) यदि हां, तो देश में मलेरिया तथा परजीवी बीमारियों की रोकथाम के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है;

(ग) क्या सरकार को "पापुलेशन फाउंडेशन आफ इंडिया" की रिपोर्ट की जानकारी है जिसमें कहा गया है कि 5 वर्ष से कम आयु के 28 प्रतिशत बच्चों की मौत दस्त की बीमारी से होती है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) से (घ) यद्यपि उड़ीसा राज्य सहित देश में संक्रामक और परजीवी रोग कुछ मौतों के लिए जिम्मेवार होते हैं, तथापि सभी रोगों के कारण होने वाली कुछ मौतों से इसका अनुपात दर्शाने के लिए कोई अलग आंकड़े नहीं हैं।

राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एनएफएचएस-II) 1998-99 की रिपोर्ट के अनुसार, तीन वर्ष से कम उम्र के बच्चों में से 19.2 प्रतिशत बच्चे अतिसार से पीड़ित थे। तथापि, इस मामले में सरकार को पोपुलेशन फाउंडेशन आफ इंडिया की रिपोर्ट के बारे में पता नहीं है।

मलेरिया और परजीवी रोगों को पर्यावरणिक स्वच्छता, सफाई के रख-रखाव सुरक्षित भोजन के उपभोग और पेयजल से जोड़ा जाता है। स्वास्थ्य राज्य का विषय है और प्राथमिक एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों के माध्यम से इन रोगों के लिए चिकित्सा राहत की व्यवस्था को राज्य सरकारों द्वारा देखा जाता है।

स्थानीय स्वास्थ्य प्राधिकारियों द्वारा शुरू किए गए उपायों में सुरक्षित पेयजल की व्यवस्था, व्यक्तिगत और सामुदायिक स्वच्छता में सुधार, मानव मल-मूत्र का सुरक्षित निपटान, उपयुक्त स्वास्थ्य शिक्षा, निगरानी और मानीटरिंग शुरू करना, क्लोरीन गोलियों और ओर आर एस पैकेटों आदि का वितरण शामिल है।

राष्ट्रीय वैक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम का क्रियान्वयन केन्द्रीय सरकार द्वारा किया जाता है जो राज्यों को मलेरिया सहित प्रमुख वैक्टर जनित रोगों की रोकथाम और नियंत्रण हेतु तकनीकी मार्गदर्शन और वस्तुगत सहायता प्रदान करती है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत सिक्किम सहित पूर्वोत्तर राज्यों को शत प्रतिशत केन्द्रीय सहायता दी जाती है। यह सहायता वस्तु और नकद के रूप में दी जाती है। इसके अतिरिक्त, विश्व बैंक की सहायता प्राप्त संवर्धित मलेरिया नियंत्रण परियोजना, जो आंध्र प्रदेश, झारखंड, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, राजस्थान और उड़ीसा के आठ समस्याग्रस्त राज्यों में शुरू की गयी थी, के अंतर्गत भी 100 प्रतिशत केन्द्रीय सहायता प्रदान की जाती है। मलेरिया के नियंत्रण हेतु कार्यनीतियों में स्वास्थ्य सुविधाएं और सामुदायिक स्वयं सेवियों तथा ऐसे समेकित वैक्टर नियंत्रण के माध्यम से शीघ्र उपचार के लिए मलेरिया रोधी औषधियां प्रदान करना शामिल है, जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों के उच्च जोखिम वाले स्थानों तथा शहरी क्षेत्रों में इनडोर अवशिष्ट छिड़काव, मच्छरदानियों का प्रयोग, पर्यावरणिक उपाय, क्षमता निर्माण, सूचना, शिक्षा एवं संप्रेषण सम्मिलित हैं।

भारत सरकार विभिन्न राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों के जरिए और त्वरित ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम, त्वरित शहरी जलापूर्ति कार्यक्रम, सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान, स्कूल स्वच्छता एवं स्वास्थ्य विज्ञान शिक्षा तथा कम लागत वाली स्वच्छता स्कीम के अंतर्गत धन प्रदान करके ग्रामीण और शहरी पेयजल आपूर्ति के संबंध में गुणवत्ता संबंधी समस्याओं से निपटने हेतु राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रयासों को पूरा करती है। राष्ट्रीय संचारी रोग संस्थान, दिल्ली राज्य सरकारों को तकनीकी सहायता प्रदान करता है और संचारी रोगों की महामारी की निगरानी, शीघ्र पहचान और रोकथाम तथा नियंत्रण संबंधी कार्य करता है। यह भी परिकल्पना की गयी है कि पेयजल की गुणवत्ता को सुधारने हेतु तकनीकी सहायता एन आई सी डी, दिल्ली द्वारा प्रदान की जाएगी। सरकार ने शीघ्र पहचान सुनिश्चित करने तथा रोग के फैलाव को रोकने के लिए द्रुत अनुक्रिया हेतु रोग निगरानी प्रणाली के और अधिक सुदृढ़ीकरण हेतु एक समेकित निगरानी परियोजना शुरू की है।

मछुआरों द्वारा सुनामी की चेतावनी

3152. श्री अधीर चौधरी: क्या **महासागर विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या समुद्री अनुसंधान अधिकारियों द्वारा आने वाली प्राकृतिक आपदा के बारे में कुछ मछुआरों द्वारा दी गई पूर्व चेतवानी को नजरअंदाज कर दिया गया था जैसा कि 15 जनवरी, 2005 के 'हिन्दुस्तान टाइम्स' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) भविष्य में ऐसी चेतावनियों को पूर्ण रूप से नजरअंदाज न किया जाए इसे सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा महासागर विकास विभाग के राज्य मंत्री (श्री कपिल सिब्बल): (क) जी नहीं।

(ख) सुनामी के बारे में मछुआरों ने कोई पूर्वानुमान नहीं किया था। इस प्राकृतिक आपदा की पूर्व चेतावनी संबंधी रिपोर्ट का कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

जम्मू और कश्मीर में आप्टिकल फाइबर केबल

3153. श्री अब्दुल रशीद शाहीन: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जम्मू के आगे कश्मीर में उड़ी तक आप्टिकल फाइबर केबल बिछा दी गई है;

(ख) क्या घाटी में विभिन्न स्थानों पर उच्च क्षमता वाले सी-डाट दूरभाष केन्द्र स्थापित किये गए हैं; और

(ग) यदि हां, तो घाटी में विशेषकर जम्मू और कश्मीर के सीमावर्ती क्षेत्रों में असंतोषजनक दूरसंचार सेवाओं के क्या कारण हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) जम्मू से श्रीनगर, श्रीनगर से बारामुला, बारामुला से बोनियार के बीच आप्टिकल फाइबर केबल (ओ.एफ.सी.) चालू हो गया है। बोनियार से उड़ी के बीच ओएफसी कार्य चल रहा है।

(ख) जी हां। अनन्तनाग, बारामुला, सोपोर और कूपवाड़ा में ज्यादा क्षमता वाले सी-डाट एक्सचेंज लगाए गए हैं।

(ग) यह सत्य नहीं है कि जम्मू और कश्मीर घाटी, विशेषत: सीमावर्ती क्षेत्रों में टेलीफोन सेवाएं असंतोषजनक हैं। हाल ही में टेलीफोन सेवाएं भारी हिमपात के कारण बाधित रहीं थी। तथापि, दोषयुक्त सेवाओं को बहाल करने के सभी प्रयास किए जा रहे हैं।

[हिन्दी]

डी.एन.बी. पाठ्यक्रमों के लिए छात्रवृत्ति

3154. **श्री भुवनेश्वर प्रसाद मेहता:**
डा. के.एस. मनोज:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त निजी संस्थाओं से डी.एन.बी. (डिपलोमैट नेशनल बोर्ड) करने वाले चिकित्सकों को सरकार द्वारा चलाए जा रहे संस्थाओं में उसी पाठ्यक्रम की पढ़ाई करने वाले चिकित्सकों की तुलना में मासिक छात्रवृत्ति कम मिलती है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) विभिन्न संस्थानों से एक ही पाठ्यक्रम की पढ़ाई करने वाले चिकित्सकों की छात्रवृत्ति की समान धनराशि का भुगतान सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/ उठाए जाने का प्रस्ताव है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) से (ग) राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड (एनबीई) द्वारा मान्यता प्राप्त अस्पताल/संस्थाएं अपने डी एन बी प्रशिक्षणार्थियों को मासिक बजीफे का भुगतान करते हैं न कि छात्रवृत्ति का। विभिन्न अस्पतालों/संस्थाओं द्वारा भुगतान किए जाने वाले मासिक बजीफे की दर में उनके महत्व, समर्थता और स्थान के अनुसार विविधताएं रही हैं। भेदभाव से बचने के लिए सभी एनबीई प्रत्यायित अस्पतालों/संस्थाओं (सरकारी और निजी दोनों) को डीएनबी प्रशिक्षार्थी को निम्नलिखित दरों पर समान रूप से मासिक बजीफे का भुगतान करने हेतु दिनांक 20 दिसम्बर, 2004 को निर्देश दिए गए हैं:

कार्यक्रम	प्रथम वर्ष	द्वितीय वर्ष	तृतीय वर्ष
बोर्ड स्पेशियल्टी	8,000 रुपये	9,000 रुपये	10,000 रुपये
सुपर स्पेशियल्टी	10,000 रुपये	11,000 रुपये	12,000 रुपये

अस्पतालों तथा औषधालयों के लिए विश्व बैंक सहायता

3155. **श्री वी.के. ढुम्मर:**
श्री काशीराम राणा:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विश्व बैंक गुजरात तथा देश के अन्य राज्यों में अस्पताल तथा औषधालय स्थापित करने के लिए धनराशि उपलब्ध करा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) विश्व बैंक से राज्य-वार कितना अनुदान/सहायता राशि प्राप्त हुई?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) से (ग) गुजरात में अस्पतालों और औषधालयों की स्थापना के लिए विश्व बैंक कोई वित्तीय सहायता उपलब्ध नहीं करा रहा है। अन्य राज्यों में अस्पतालों और औषधालयों की स्थापना से जुड़ी विश्व बैंक सहायता प्राप्त स्वास्थ्य प्रणाली विकास परियोजनाओं (हेल्थ सिस्टम डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स) का ब्यौरा विवरण में दिया गया है।

विवरण

विश्व बैंक की सहायता से चल रही राज्य स्वास्थ्य प्रणाली विकास परियोजनाओं का विवरण

क्र.सं.	परियोजना का नाम	हस्ताक्षर/बंद होने की तिथि	कार्यान्वयन क्षेत्र	क्रेडिट राशि (मिलियन अमेरिकी डालर)	31.1.05 तक संवितरण (मिलियन अमेरिकी डालर में)
1	2	3	4	5	6
1.	उ.प्र. स्वास्थ्य प्रणाली विकास परियोजना	19.6.2005/ 31.12.05	उ.प्र. और उत्तरांचल	110.00	36.01

1	2	3	4	5	6
2.	महाराष्ट्र स्वास्थ्य प्रणाली विकास परियोजना	14.1.99/ 31.3.05	महाराष्ट्र	134.00	75.32
3.	उड़ीसा स्वास्थ्य प्रणाली विकास परियोजना	13.8.98/ 31.3.05	उड़ीसा	76.40	33.24
4.	राजस्थान स्वास्थ्य प्रणाली विकास परियोजना	3.6.04/ 30.9.09	राजस्थान	89.00	4.05
5.	तमिलनाडु स्वास्थ्य प्रणाली विकास परियोजना	5.1.05/ 31.3.2010	तमिलनाडु	110.83	शून्य

झारखंड में तालुका/तहसील मुख्यालयों पर एस टी डी सुविधा

3156. श्री सुशिल कुमार महतो:
श्री धीरेंद्र अग्रवाल:

क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्तमान में झारखंड में कितने तालुका/तहसील मुख्यालयों में एस टी डी सुविधा वाले दूरभाष केन्द्र हैं;

(ख) उक्त राज्य में अब तक कितने तालुका/तहसील मुख्यालयों पर यह सुविधा उपलब्ध नहीं तथा तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इन तालुका/तहसील मुख्यालयों पर कब तक एस टी डी सुविधा उपलब्ध करा दिये जाने की सम्भावना है; और

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की जा रही है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) और (ख) झारखण्ड में तालुका व तहसील की संकल्पना नहीं है। तथापि, झारखण्ड में सम्पूर्ण राज्य जिलों, उप-मण्डलों और प्रखंडों में विभाजित है। स्थिति इस प्रकार है:-

क्र.सं.	मद	कुल संख्या	एक्सचेंज और एसटीडी सुविधा सहित कुल संख्या	टेलीफोन और एसटीडी सुविधा सहित कुल संख्या
1.	जिले	22	22	22
2.	उप-मंडल	35	35	35
3.	प्रखण्ड	211	193	211

(ग) और (घ) उपरोक्त भाग (क) और (ख) के उत्तर को देखते हुए लागू नहीं होता।

मंदबुद्धि वाले व्यक्तियों को सुविधाएं

3157. श्री रघुबीर सिंह कौशल: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि मंदबुद्धि वाले (मेंटली रिटार्डेड) व्यक्तियों को अपनी आजीविका के लिए न तो वित्तीय संरक्षण प्रदान किया जाता है और न ही कोई अन्य सहायता प्रदान की जाती है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) वर्तमान में सरकार द्वारा ऐसे लोगों को प्रदान की जा रही विभिन्न सुविधाओं का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का विचार ऐसे लोगों को वित्तीय सहायता/ उचित आजीविका तथा मुफ्त चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करने के लिए विभिन्न योजनाएं शुरू करने का है;

(ङ) क्या सरकार का विचार राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य तथा तंत्रिका विज्ञान संस्थान (एनआईएमएचएएनएस) बेल्लारी, कर्नाटक की तर्ज पर अन्य राज्यों में भी मनो-स्वास्थ्य परिचर्या केन्द्र स्थापित करने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) से (घ) सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचनानुसार, सरकारी अस्पतालों में अपंग बच्चों सहित सभी व्यक्तियों को नि:शुल्क उपचार सेवा मुहैया करायी जाती है। ''द नेशनल ट्रस्ट फार परसन्स विद आटिज्म, सेरेबल पाल्सी, मेंटल रिटार्डेशन एंड मल्टीपल डिसएबिलिटीज'' उन परिवारों को वित्तीय सहायता उपलब्ध करा रहा है जो मानसिक रूप से पूर्णत: अपंग एवं बेसहारा बच्चों के स्वास्थ्य और परवरिश की जिम्मेदारी लेने को इच्छुक हैं। इस योजना से संबंधित विस्तृत जानकारी नेशनल ट्रस्ट के वेबसाइट (डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू.नेशनलट्रस्ट.ओआरजी.आईएन) पर उपलब्ध है।

(ङ) जी, नहीं।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

अस्पतालों में महंगी औषधियां तथा उपकरण

3158. श्रीमती कल्पना रमेश नरहिरे: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार सभी सरकारी अस्पतालों में महंगी औषधियां तथा उपकरण उपलब्ध कराती है;

(ख) यदि हां, तो इन औषधियों तथा उपकरणों की न्यूनतम तथा अधिकतम कीमतें क्या हैं;

(ग) क्या इन औषधियों तथा उपकरणों का अस्पतालों द्वारा उचित उपयोग किया जाता है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) संसाधनों की जरूरत और उपलब्धता के अनुसार सभी केन्द्र सरकार के अस्पतालों में यन्त्र और उपकरण खरीदे जाते हैं।

(ख) औषधियां की लागत 5 पैसे की एक गोली से लेकर 5000/- रुपए से अधिक से एम्पयूल के एक इन्जेक्शन तक भिन्न-भिन्न हो सकती है। इसी तरह यंत्रों और उपकरणों की लागत भी कुछ हजार से लेकर आधुनिक उपकरण के लिए कुछ करोड़ तक अलग-अलग हो सकती है।

(ग) से (ङ) इन औषधों, यंत्रों और उपकरणों का उस प्रयोजन के लिए उपयोग किया जाता है जिसके लिए उनको खरीदा जाता है।

[अनुवाद]

साइकोट्रोपिक औषधियों की कमी

3159. श्री जुएल ओराम: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में साइकोट्रोपिक औषधियों की कमी है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) देश में इन औषधियों की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) से (ग) वित्त मंत्रालय के नारकोटिक्स ड्रग एण्ड साइकोट्रापिक सब्सटान्स (एनडीपीएस) के तहत कुछ आवश्यकताओं के दबाव को ध्यान में रखते हुए साइकोट्रापिक औषधों की आपूर्ति में अस्थायी रूप से कमी आई थी। तथापि,

वित्त मंत्रालय ने दिनांक 25.2.2005 की अधिसूचना सा.का.नि. 104 (ङ) के तहत एन डी पी एस नियमों में आवश्यक संशोधन किए हैं। उसके बाद इन औषधों की कोई कमी नहीं रही है।

ग्रामीण समुदाय फोन

3160. श्री सुबोध मोहिते: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बीएसएनएल ने ग्रामीण क्षेत्रों की प्रतीक्षा सूची के नामों को निपटाने की योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत एक वर्ष के दौरान बीएसएनएल द्वारा विशेषकर महाराष्ट्र में प्रदान किए गए ग्रामीण समुदाय टेलीफोन का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(घ) किन-किन क्षेत्रों में अभी भी ग्रामीण समुदाय टेलीफोन स्थापित किए जाने की प्रतीक्षा की जा रही है; और

(ङ) इन टेलीफोनों को स्थापित किए जाने में विलंब के क्या कारण हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) और (ख) जी, हां। प्रतीक्षा सूची का निपटान करने के लिए बेस टर्मिनल स्टेशन (बीटीएस) संस्थापित करने की योजना बनायी गई है ताकि सभी अल्प दूरी प्रभारण क्षेत्रों को सुविधा प्रदान की जा सके। भारत संचार निगम लि. ने वायरलैस इन लोकल लूप (डब्ल्यूएलएल) उपस्कर की 10.25 लाख लाइनों के प्रापण का आदेश पहले ही दे दिया है। उपस्कर की आपूर्ति शुरू हो चुकी है और इन उपस्करों को विभिन्न स्थानों में लगाया जा रहा है। इसके अलावा, डब्ल्यूएलएल उपस्कर पर आधारित मोबाइल स्विचन केन्द्र (एमएससी) के लिए 15 लाख लाइनों की आपूर्ति भी जुलाई, 2005 से शुरू होने की संभावना है। इसके अलावा, 15 लाख फिक्सड वायरलैस टर्मिनलों के प्रापण हेतु क्रय आदेश भी जारी किए गए हैं।

(ग) से (ङ) बीएसएनएल ने देश में सितम्बर, 2007 तक उत्तरोत्तर रूप से 24,794 ग्रामीण सामुदायिक फोन उपलब्ध कराने के लिए 30 सितम्बर, 2004 को प्रशासक सार्वभौमिक सेवा (यूएसओ) निधि के कार्यालय के साथ एक करार किया। करार के अनुसार, सितम्बर, 2005 तक 4,959 ग्रामीण सामुदायिक फोन उपलब्ध कराए जाएंगे। बीएसएनएल ने फरवरी, 2005 तक महाराष्ट्र में 147 ग्रामीण सामुदायिक फोनों सहित 4000 उक्त ग्रामीण सामुदायिक फोन उपलब्ध कराए हैं। ग्रामीण सामुदायिक फोन प्रदान करने का लक्ष्य तथा 28.2.2005 तक प्रदत्त इन फोनों का दूरसंचार सर्किल-वार ब्यौरा विवरण में दिया गया है।

विवरण

ग्रामीण सामुदायिक फोन (आरसीपी) प्रदान करने का लक्ष्य और 28.2.2005 तक प्रदत्त आरसीपी की दूरसंचार सर्किल-वार स्थिति

क्र.सं.	दूरसंचार सर्किल का नाम	सितम्बर, 2007 तक आरसीपी प्रदान करने का लक्ष्य (फोनों की संख्या)	28.2.2005 तक प्रदत्त ग्रामीण सामुदायिक फोनों की संख्या
1	2	3	4
1.	अंडमान और निकोबार	शून्य	शून्य
2.	आंध्र प्रदेश	3,677	123
3.	असम	1,913	0
4.	बिहार	1,302	05
5.	झारखंड	451	65
6.	गुजरात	1,801	933
7.	हरियाणा	145	20
8.	हिमाचल प्रदेश	95	23
9.	जम्मू तथा कश्मीर	122	03
10.	कर्नाटक	1,528	435
11.	केरल	01	शून्य
12.	मध्य प्रदेश	1,810	975
13.	छत्तीसगढ़	576	172
14.	महाराष्ट्र	3,140	147
15.	पूर्वोत्तर-I	505	06
16.	पूर्वोत्तर-II	193	शून्य
17.	उड़ीसा	936	129
18.	पंजाब	43	43
19.	राजस्थान	1,416	170

1	2	3	4
20.	तमिलनाडु	1,424	618
21.	उत्तर प्रदेश (पूर्व)	2,210	13
22.	उत्तर प्रदेश (पश्चिम)	429	60
23.	उत्तरांचल	05	02
24.	पश्चिम बंगाल	1,072	58
	जोड़	24,794	4,000

समेकित अवसंरचना विकास कार्य

3161. श्री असादुद्दीन ओवेसी: क्या **लघु उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को देश में लघु उद्योगों हेतु समेकित अवसंरचना विकास कार्यों के संबंध में विभिन्न राज्यों से प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है या किए जाने का विचार है?

लघु उद्योग मंत्री तथा कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री (श्री महावीर प्रसाद): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) असम के नालाबाड़ी जिले में एक एकीकृत आधारभूत संरचना विकास (आई आई डी) केन्द्र की स्थापना के लिए एक प्रस्ताव तथा हरियाणा के सोनीपत, रोहतक, बहादुरगढ़, अम्बाला, यमुनानगर, हिसार, पानीपत तथा गुड़गांव में विद्यमान औद्योगिक संपदाओं में आधारभूत संरचना के उन्नयन के लिए आठ प्रस्ताव, केन्द्र सरकार के विचारार्थ प्राप्त हुए हैं। आई आई डी योजना के अंतर्गत अब तक 86 नए आई आई डी केन्द्र तथा 13 विद्यमान औद्योगिक संपदाओं के उन्नयन को स्वीकृत किया गया है।

[हिन्दी]

आंध्र प्रदेश में टेलीफोन अदालतें

3162. श्री एम. अंजनकुमार यादव: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत दो वर्षों के दौरान आंध्र प्रदेश के प्रत्येक जिले में किस-किस तारीख को टेलीफोन अदालतें लगी;

(ख) गत दो वर्षों के दौरान इन अदालतों में जिलेवार कितने मुकदमें प्राप्त हुए;

(ग) इन अदालतों में जिलेवार कितने मुकदमें निपटाए गए; और

(घ) टेलीफोन उपभोक्ताओं को प्रदान की गई राहतों तथा टेलीफोन अदालतें लगाने के लिए नियमों का ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) से (घ) ब्यौरे विवरण-I और II में दिये गए हैं।

विवरण I

टेलीफोन अदालतों का आयोजन-एसएसए स्तर

क्र.सं.	गौण स्विचन क्षेत्र जिले का नाम	01.01.2003 से 31.12.2003				01.01.2004 से 31.12.2004			
		तिथि	प्राप्त मामलों की संख्या	निपटाएं गए मामलों की संख्या	दी गई राहतों का ब्योरा (रु.)	तिथि	प्राप्त मामलों की संख्या	निपटाएं गए मामलों की संख्या	दी गई राहतों का ब्योरा (रु.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	अदिलाबाद	28.02.03	शून्य	शून्य	शून्य	26.02.04	शून्य	शून्य	शून्य
		25.04.03	शून्य	शून्य	शून्य	22.04.04	शून्य	शून्य	शून्य
		27.06.03	1	1	शून्य	24.06.04	2	2	शून्य

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		22.08.03	शून्य	शून्य	शून्य	26.08.04	शून्य	शून्य	शून्य
		24.10.03	शून्य	शून्य	शून्य	28.10.04	शून्य	शून्य	शून्य
		26.12.03	शून्य	शून्य	शून्य	23.12.04	शून्य	शून्य	शून्य
	जोड़		1	1			2	2	
2.	अनन्तपुर	28.02.03	शून्य	शून्य	शून्य	26.02.04	शून्य	शून्य	शून्य
		25.04.03	3	3	शून्य	22.04.04	1	1	शून्य
		27.06.03	शून्य	शून्य	शून्य	24.06.04	4	4	33
		22.08.03	शून्य	शून्य	शून्य	26.08.04	1	1	284
		24.10.03	शून्य	शून्य	शून्य	28.10.04	शून्य	शून्य	शून्य
		26.12.03	शून्य	शून्य	शून्य	23.12.04	शून्य	शून्य	शून्य
	जोड़		3	3			6	6	317
3.	कुड्डापाह	28.02.03	शून्य	शून्य	शून्य	26.02.04	शून्य	शून्य	शून्य
		25.04.03	शून्य	शून्य	शून्य	22.04.04	3	3	शून्य
		27.06.03	शून्य	शून्य	शून्य	24.06.04	6	6	शून्य
		22.08.03	1	1	शून्य	26.08.04	शून्य	शून्य	शून्य
		24.10.03	शून्य	शून्य	शून्य	28.10.04	शून्य	शून्य	शून्य
		26.12.03	5	5	शून्य	23.12.04	शून्य	शून्य	शून्य
	जोड़		6	6			9	9	
4.	इलूरू	28.02.03	1	1	शून्य	26.02.04	शून्य	शून्य	शून्य
		25.04.03	शून्य	शून्य	685	22.04.04	शून्य	शून्य	शून्य
		27.06.03	1	1	शून्य	24.06.04	शून्य	शून्य	शून्य
		22.08.03	शून्य	शून्य	शून्य	26.08.04	1	1	241
		24.10.03	शून्य	शून्य	शून्य	28.10.04	शून्य	शून्य	शून्य
		26.12.03	1	1	329	23.12.04	शून्य	शून्य	शून्य
	जोड़		3	3	329		1	1	241
5.	गुंटूर	28.02.03	5	5	शून्य	26.02.04	शून्य	शून्य	शून्य
		25.04.03	3	3	685	22.04.04	1	1	शून्य

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		27.06.03	1	1	शून्य	24.06.04	शून्य	शून्य	शून्य
		22.08.03	6	6	शून्य	26.08.04	4	4	शून्य
		24.10.03	10	10	शून्य	28.10.04	6	6	शून्य
		26.12.03	1	1	शून्य	23.12.04	4	4	शून्य
	जोड़		26	26	685		15	15	
6.	हैदराबाद	28.02.03	3	3	शून्य	26.02.04	शून्य	शून्य	शून्य
		25.04.03	1	1	शून्य	22.04.04	शून्य	शून्य	शून्य
		27.06.03	1	1	शून्य	24.06.04	3	3	शून्य
		22.08.03	1	1	शून्य	26.08.04	शून्य	शून्य	शून्य
		24.10.03	शून्य	शून्य	शून्य	28.10.04	शून्य	शून्य	शून्य
		26.12.03	शून्य	शून्य	शून्य	23.12.04	शून्य	शून्य	शून्य
	जोड़		6	6			3	3	
7.	करीमनगर	28.02.03	2	2	1,805	26.02.04	शून्य	शून्य	शून्य
		25.04.03	शून्य	शून्य	शून्य	22.04.04	2	2	शून्य
		27.06.03	शून्य	शून्य	शून्य	24.06.04	3	3	3,898
		22.08.03	1	1	शून्य	26.08.04	1	1	शून्य
		24.10.03	शून्य	शून्य	शून्य	28.10.04	शून्य	शून्य	शून्य
		26.12.03	शून्य	शून्य	शून्य	23.12.04	शून्य	शून्य	शून्य
	जोड़		3	3	1,805		6	6	3,898
8.	खम्माम	28.02.03	शून्य	शून्य	शून्य	26.02.04	शून्य	शून्य	शून्य
		25.04.03	शून्य	शून्य	शून्य	22.04.04	1	1	शून्य
		27.06.03	शून्य	शून्य	शून्य	24.06.04	3	3	शून्य
		22.08.03	शून्य	शून्य	शून्य	26.08.04	2	2	शून्य
		24.10.03	शून्य	शून्य	शून्य	28.10.04	1	1	शून्य
		26.12.03	शून्य	शून्य	शून्य	23.12.04	1	1	शून्य
	जोड़						8	8	
9.	कुरनूल	28.02.03	शून्य	शून्य	शून्य	26.02.04	7	7	शून्य

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		25.04.03	शून्य	शून्य	शून्य	22.04.04	शून्य	शून्य	शून्य
		27.06.03	शून्य	शून्य	शून्य	24.06.04	1	1	शून्य
		22.08.03	5	5	शून्य	26.08.04	4	4	शून्य
		24.10.03	शून्य	शून्य	शून्य	28.10.04	4	4	शून्य
		26.12.03	शून्य	शून्य	शून्य	23.12.04	3	3	शून्य
	जोड़		5	5			19	19	
10.	महबूबनगर	28.02.03	शून्य	शून्य	शून्य	26.02.04	1	1	शून्य
		25.04.03	1	1	2,000	22.04.04	शून्य	शून्य	शून्य
		27.08.03	शून्य	शून्य	शून्य	24.06.04	1	1	शून्य
		22.08.03	1	1	शून्य	26.08.04	शून्य	शून्य	शून्य
		24.10.03	3	3	शून्य	28.10.04	शून्य	शून्य	शून्य
		26.12.03	4	4	शून्य	23.12.04	शून्य	शून्य	शून्य
	जोड़		9	9	2,000		2	2	
11.	नालगोंडा	28.02.03	शून्य	शून्य	शून्य	26.02.04	शून्य	शून्य	शून्य
		25.04.03	शून्य	शून्य	शून्य	22.04.04	शून्य	शून्य	शून्य
		27.06.03	शून्य	शून्य	शून्य	24.06.04	शून्य	शून्य	शून्य
		22.08.03	शून्य	शून्य	शून्य	26.08.04	शून्य	शून्य	शून्य
		24.10.03	शून्य	शून्य	शून्य	28.10.04	शून्य	शून्य	शून्य
		26.12.03	शून्य	शून्य	शून्य	23.12.04	शून्य	शून्य	शून्य
	जोड़								
12.	नेल्लोर	28.02.03	1	1	शून्य	26.02.04	शून्य	शून्य	शून्य
		25.04.03	शून्य	शून्य	शून्य	22.04.04	6	6	शून्य
		27.06.03	शून्य	शून्य	शून्य	24.06.04	शून्य	शून्य	शून्य
		22.08.03	2	2	940	26.08.04	शून्य	शून्य	शून्य
		24.10.03	शून्य	शून्य	शून्य	28.10.04	3	3	शून्य
		26.12.03	शून्य	शून्य	शून्य	23.12.04	शून्य	शून्य	शून्य
	जोड़		3	3	940		9	9	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13.	निजामाबाद	28.02.03	शून्य	शून्य	शून्य	26.02.04	शून्य	शून्य	शून्य
		25.04.03	शून्य	शून्य	शून्य	22.04.04	शून्य	शून्य	शून्य
		27.06.03	शून्य	शून्य	शून्य	24.06.04	शून्य	शून्य	शून्य
		22.08.03	शून्य	शून्य	शून्य	26.08.04	शून्य	शून्य	शून्य
		24.10.03	शून्य	शून्य	शून्य	28.10.04	शून्य	शून्य	शून्य
		26.12.03	शून्य	शून्य	शून्य	23.12.04	शून्य	शून्य	शून्य
	जोड़								
14.	ओंगोले	28.02.03	शून्य	शून्य	शून्य	26.02.04	शून्य	शून्य	शून्य
		25.04.03	शून्य	शून्य	शून्य	22.04.04	शून्य	शून्य	शून्य
		27.06.03	शून्य	शून्य	शून्य	24.06.04	शून्य	शून्य	शून्य
		22.08.03	शून्य	शून्य	शून्य	26.08.04	शून्य	शून्य	शून्य
		24.10.03	शून्य	शून्य	शून्य	28.10.04	शून्य	शून्य	शून्य
		26.12.03	शून्य	शून्य	शून्य	23.12.04	शून्य	शून्य	शून्य
	जोड़								
15.	राजाहमुन्द्री	28.02.03	5	5	2,263	26.02.04	शून्य	शून्य	शून्य
		25.04.03	शून्य	शून्य	शून्य	22.04.04	1	1	शून्य
		27.06.03	2	2	शून्य	24.06.04	2	2	शून्य
		22.08.03	शून्य	शून्य	शून्य	26.08.04	3	3	शून्य
		24.10.03	शून्य	शून्य	शून्य	28.10.04	शून्य	शून्य	शून्य
		26.12.03	1	1	532	23.12.04	3	3	शून्य
	जोड़		8	8	2,795		9	9	
16.	संगारेड्डी	28.02.03	शून्य	शून्य	शून्य	26.02.04	शून्य	शून्य	शून्य
		25.04.03	शून्य	शून्य	शून्य	22.04.04	2	2	शून्य
		27.06.03	शून्य	शून्य	शून्य	24.06.04	शून्य	शून्य	शून्य
		22.08.03	शून्य	शून्य	शून्य	26.08.04	शून्य	शून्य	शून्य
		24.10.03	शून्य	शून्य	शून्य	28.10.04	शून्य	शून्य	शून्य
		26.12.03	शून्य	शून्य	शून्य	23.12.04	शून्य	शून्य	शून्य
	जोड़						2	2	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
17.	श्रीकाकूलम	28.02.03	शून्य	शून्य	शून्य	26.02.04	शून्य	शून्य	शून्य
		25.04.03	शून्य	शून्य	शून्य	22.04.04	शून्य	शून्य	शून्य
		27.06.03	1	1	शून्य	24.06.04	शून्य	शून्य	शून्य
		22.08.03	शून्य	शून्य	शून्य	26.08.04	शून्य	शून्य	शून्य
		24.10.03	शून्य	शून्य	शून्य	28.10.04	शून्य	शून्य	शून्य
		26.12.03	शून्य	शून्य	शून्य	23.12.04	3	3	शून्य
	जोड़		1	1			3	3	
18.	तिरूपति	28.02.03	शून्य	शून्य	शून्य	26.02.04	शून्य	शून्य	शून्य
		25.04.03	शून्य	शून्य	शून्य	22.04.04	शून्य	शून्य	शून्य
		27.06.03	शून्य	शून्य	शून्य	24.06.04	1	1	शून्य
		22.08.03	शून्य	शून्य	शून्य	26.08.04	शून्य	शून्य	शून्य
		24.10.03	शून्य	शून्य	शून्य	28.10.04	1	1	शून्य
		26.12.03	1	1	शून्य	23.12.04	शून्य	शून्य	शून्य
	जोड़		1	1			2	2	
19.	विजयवाड़ा	28.02.03	शून्य	शून्य	शून्य	26.02.04	1	1	शून्य
		25.04.03	शून्य	शून्य	शून्य	22.04.04	शून्य	शून्य	शून्य
		27.06.03	शून्य	शून्य	शून्य	24.06.04	8	8	1,200
		22.08.03	5	5	10,584	26.08.04	2	2	शून्य
		24.10.03	शून्य	शून्य	शून्य	28.10.04	1	1	811
		26.12.03	शून्य	शून्य	शून्य	23.12.04	शून्य	शून्य	शून्य
	जोड़		5	5	10584		12	12	2011
20.	विशाखापट्टनम	28.02.03	2	2	शून्य	26.02.04	1	1	शून्य
		25.04.03	2	2	50	22.04.04	2	2	शून्य
		27.06.03	2	2	शून्य	24.06.04	1	1	शून्य
		22.08.03	शून्य	शून्य	शून्य	26.08.04	शून्य	शून्य	शून्य
		24.10.03	शून्य	शून्य	शून्य	28.10.04	शून्य	शून्य	शून्य
		26.12.03	शून्य	शून्य	शून्य	23.12.04	शून्य	शून्य	शून्य
	जोड़		6	6	50		4	4	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
21.	विजिआनगरम	28.02.03	शून्य	शून्य	शून्य	26.02.04	शून्य	शून्य	शून्य
		25.04.03	शून्य	शून्य	शून्य	22.04.04	शून्य	शून्य	शून्य
		27.06.03	शून्य	शून्य	शून्य	24.06.04	शून्य	शून्य	शून्य
		22.08.03	शून्य	शून्य	शून्य	26.08.04	शून्य	शून्य	शून्य
		24.10.03	शून्य	शून्य	शून्य	28.10.04	शून्य	शून्य	शून्य
		26.12.03	1	1	1500	23.12.04	शून्य	शून्य	शून्य
	जोड़		1	1	1500				
22.	वारंगल	28.02.03	शून्य	शून्य	शून्य	26.02.04	शून्य	शून्य	शून्य
		25.04.03	शून्य	शून्य	शून्य	22.04.04	शून्य	शून्य	शून्य
		27.08.03	शून्य	शून्य	शून्य	24.06.04	शून्य	शून्य	शून्य
		22.08.03	शून्य	शून्य	शून्य	26.08.04	शून्य	शून्य	शून्य
		24.10.03	शून्य	शून्य	शून्य	28.10.04	शून्य	शून्य	शून्य
		26.12.03	शून्य	शून्य	शून्य	23.12.04	शून्य	शून्य	शून्य
	जोड़								

विवरण II

सं. 12-1/2001-(पीजी)
भारत संचार निगम लिमिटेड
(भारत सरकार का उद्यम)
10वां तल, चंद्रलोक बिल्डिंग
जनपथ, नई दिल्ली-110001

दिनांक: 22.06.2001

सेवा में,

सभी दूरसंचार सर्किलों और जिलों के प्रमुख

विषय: टेलीफोन अदालतों का आयोजन

संदर्भ: 18-1/87-पीजी एंड आई दिनांक 11.6.87
18-1/87-पीजी एंड आई दिनांक 8.2.88
18-1/87-पीजी एंड आई दिनांक 17.9.89
18-1/87-पीजी एंड आई दिनांक 22.5.92
18-1/87-पीजी एंड आई दिनांक अक्तूबर, 96
2-2/2000-पीईजी (पीजी) दिनांक 16.12.2001
2-2/2000-पीजी दिनांक 9.2.2001
12.1.2001-पीजी, दिनांक 20.3.2001

निर्धारित तारीख को विभाग और पीड़ित उपभोक्ता को आमने-सामने लाने और उपभोक्ता की समस्या को निपटाने के लिए विभाग की आंतरिक व्यवस्था के रूप में दूरसंचार सर्किलों और जिलों में टेलीफोन अदालतों का गठन करने का निर्णय लिया गया।

क्षेत्र

पिछले आदेशों के अनुसार टेलीफोन अदालतों के क्षेत्र में अधिक बिलिंग संबंधी शिकायतों, सेवा संबंधी शिकायतों, टेलीफोन कनेक्शनों को प्रदान न करने/विलम्ब से प्रदान करने आदि जैसी टेलीफोन सेवाओं से संबंधित सभी शिकायतों को शामिल किया गया था। अब टेलीफोन अदालतों के क्षेत्र में संबंधित दूरसंचार सर्किलों/जिलों द्वारा प्रदत्त सभी दूरसंचार सेवाएं और उनके द्वारा जारी किए गए बिल शामिल होंगे। मुख्य महाप्रबंधकों की अध्यक्षता वाली अदालत एसएसए प्रमुख की अध्यक्षता वाली अदालत के निर्णयों के विरुद्ध अपीलीय मामलों तथा उन मामलों पर भी विचार कर सकती है जो अलग-अलग नहीं और/अथवा जिनका अप्रत्यक्ष

प्रभाव संपूर्ण सर्किल में है। अपील एसएसए अदालत के समक्ष प्रस्तुत किए गये तथ्यों पर आधारित होगी। एसएसए प्रमुखों की अध्यक्षता वाली अदालत अधिक बिलिंग संबंधी उन मामलों पर भी विचार कर सकती हैं जिन्हें इन प्रमुखों द्वारा प्रशासनिक प्रमुखों के रूप में अस्वीकृत किया गया है। केवल तीन महीने से अधिक पुराने मामलों पर इन अदालतों द्वारा विचार किया जाए।

समिति

समिति का गठन निम्नवत होगा:

(1) मुख्य महाप्रबंधक की अध्यक्षता में आयोजित की जाने वाली अदालत

(क)	दूरसंचार सर्किल/जिले का मुख्य महाप्रबंधक	–	अध्यक्ष
(ख)	सर्किल/जिले का वित्तीय सलाहकार	–	सदस्य
(ग)	सर्किल कार्यालय में पदानुक्रम में मुख्य महाप्रबंधक के बाद आनेवाला इंजीनियरिंग अधिकारी	–	सदस्य
(घ)	बीएसएनएल मुख्यालय द्वारा नामित वरिष्ठ उप महानिदेशक/उप महानिदेशक	–	सदस्य

यदि आवश्यक हो तो वरिष्ठ उप महानिदेशक/उप महानिदेशक द्वारा अपने संयुक्त उप महानिदेशक को प्रतिनियुक्त किया जा सकता है।

(2) गौण स्विचन क्षेत्र के प्रमुख की अध्यक्षता में आयोजित की जाने वाली अदालत

(क)	गौण स्विचन क्षेत्र का प्रमुख	–	अध्यक्ष
(ख)	गौण स्विचन क्षेत्र के प्रमुख का वित्तीय सलाहकार	–	सदस्य
(ग)	गौण स्विचन क्षेत्र के प्रमुख से एक स्तर नीचे का इंजीनियरिंग अधिकारी	–	सदस्य
(घ)	मुख्य महाप्रबंधक द्वारा नामित अधिकारी	–	सदस्य

बीएसएनएल मुख्यालय से नामित किए गए अधिकारियों की सूची अनुबंध-I में दी गई है।

आवृत्ति तारीख और समय

मुख्य महाप्रबंधक द्वारा तीन माह में एक बार और गौण स्विचन क्षेत्र के प्रमुखों द्वारा दो माह में एक बार अदालतें आयोजित की जानी हैं। अदालतें नियमित अंतराल पर आयोजित की जाएंगी। इन्हें आयोजित करने की तारीख और समय का निर्णय अदालतों के अध्यक्ष द्वारा किया जा सकता है। मेट्रो जिलों के संबंध में मुख्य महाप्रबंधक द्वारा तीन माह में एक बार और क्षेत्रीय महाप्रबंधक द्वारा दो माह में एक बार अदालत आयोजित की जा सकती है। जिन गौण स्विचन क्षेत्रों में एक से अधिक महाप्रबंधकों के पास स्वतंत्र प्रभार है, उनमें स्वतंत्र प्रभार रखने वाले ऐसे सभी महाप्रबंधक अपने क्षेत्र के संबंध में दो माह में एक बार स्वतंत्र अदालतों का आयोजन करेंगे।

अधिकार क्षेत्र और स्थान

मुख्य महाप्रबंधक द्वारा संचालित की जाने वाली टेलीफोन अदालतों का अधिकार क्षेत्र उसका दूरसंचार सर्किल/जिला होगा। गौण स्विचन क्षेत्र के प्रमुख द्वारा संचालित टेलीफोन अदालत का अधिकार क्षेत्र उसका गौण स्विचन क्षेत्र होगा।

प्रचार

मुख्य महाप्रबंधक तथा एसएसए प्रमुख द्वारा अदालतें आयोजित करने की सूचना का स्थानीय समाचार पत्रों तथा इलेक्ट्रानिक मीडिया के माध्यम से व्यापक प्रचार किया जाए। संबंधित संसद सदस्य तथा विधायकों को अग्रिम सूचना दी जाए। प्रकाशन की तारीख और अदालत की तारीख के बीच कम से कम 30 दिनों के अंतर का प्रावधान होना चाहिए। आवेदनों की प्राप्ति की अंतिम तारीख अदालत की तारीख से 15 दिन पहले हो।

लिया गया निर्णय

अदालत का निर्णय सकारण आदेश में होना चाहिए। अपने मातहतों द्वारा आयोजित अदालत की गुणवत्ता की समीक्षा मुख्य महाप्रबंधक द्वारा आयोजित अदालत करेगी।

रिकार्ड रखना

समाधान किए गए मामलों की संख्या, दी गई छूट की राशि की समेकित सूचना तथा सम्पूर्ण सर्किल से संबंधित अन्य संबंधित सूचना सर्किल कार्यालय में रखी जाए। इस सूचना को सर्किल की वेब साइट में डाला जाए ताकि उपभोक्ताओं अथवा बीएसएनएल मुख्यालय की पहुंच हो सके तथा दूरसंचार सर्किल/जिले की विश्वसनीयता में सुधार हो सके। सर्किल स्तर की प्रत्येक अदालत के बाद अदालत में भाग लेने वाले बीएसएनएल मुख्यालय के प्रतिनिधि अपने वरिष्ठ उप महानिदेशक/उप-महानिदेशक के माध्यम से एक संक्षिप्त (एक पैरा) रिपोर्ट वरिष्ठ उप महानिदेशक (पीजी) को देंगे। जिसका रिकार्ड वरिष्ठ उप महानिदेशक अपने एकक में रखेंगे।

ह./-
वरिष्ठ डीडीजी (पीजी)
22.6.2001

प्रतिलिपि निम्नलिखित को:-

वरिष्ठ उप महानिदेशक/उप महानिदेशक (अनुबंध-1 के अनुसार) आवश्यक कार्रवाई हेतु

भूकंप प्रवण क्षेत्रों में प्रणालियों की निगरानी

3163. श्री राकेश सिंह: क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भूकंप प्रवण क्षेत्रों में उपकरणों के कार्यकरण और आपदा प्रबंध प्रणालियों के निरीक्षण और निगरानी का कार्य नियमित रूप से किया जाता है;

(ख) क्या इस प्रयोजन हेतु कोई समय-सीमा निर्धारित की गई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा महासागर विकास विभाग के राज्य मंत्री (श्री कपिल सिब्बल): (क) से (ग) जी, हां। भूकंप अभिलेखी उपकरणों के कार्यकरण की जांच तथा मानीटरन हेतु राष्ट्रीय नेटवर्क की भूकंपीय वेधशालाओं में उपस्करों के निष्पादन की जांच नियमित रूप से करने के लिए प्रशिक्षित व्यक्ति तैनात किए जाते हैं। इनके कार्यों में किसी प्रकार की गड़बड़ी होने की स्थिति में भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) के अधिकारियों को तत्काल भेजा जाता है ताकि त्रुटियों को सुधारा जा सके।

[अनुवाद]

काली सूची में रखे गए सप्लायर

3164. श्री प्रभुनाथ सिंह: क्या प्रधानमंत्री दिनांक 1.12.2004 के अतारांकित प्रश्न संख्या 227 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सूचना एकत्रित कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्रवाई की गई है;

(ग) उन सप्लायरों की सप्लाई बंद करने के क्या कारण हैं जिनसे उन अन्य सप्लायरों की तरह वसूली की गई थी जिनके मूल्य बाजार/एन.सी.सी.एफ. से अधिक पाए गए थे;

(घ) क्या क्रय समिति/कर्मचारियों की जिम्मेदारी के संबंध में जांच की गई है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी परिणाम क्या रहे और इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है;

(च) क्या सतर्कता विभाग ने गेटवे ब्रांड टाइपिंग और डुप्लीकेटिंग पेपर को बाजार/एन.सी.सी.एफ. मूल्यों से अधिक मूल्य पर बेचने की जांच की है;

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी परिणाम क्या हैं;

(ज) उक्त सप्लायर से लेन-देन कार्य बंद न करने के क्या कारण हैं;

(झ) क्या यह भी सच है कि एच.पी. कार्टीजिज/टोनर्स को बाजार/एन.सी.सी.एफ. मूल्यों से अधिक मूल्य पर बेचने के लिए डी.डी. एंटरप्राइजेज से वसूली की गई है; और

(ञ) यदि हां, तो तत्संबंधी सप्लाई बंद न करने के क्या कारण हैं जैसा कि अन्य सप्लायरों के मामले में किया गया है?

कार्मिक, लोक-शिकायत और पेंशन-मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश पचौरी):

(क) से (ञ) इस बारे में सूचना सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

अस्पताल की अपशिष्ट सामग्रियों के उचित निपटान हेतु दिशा-निर्देश

3165. कुंवर मानवेन्द्र सिंह: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के एक दल ने हाल ही में पाया कि लुधियाना (पंजाब), में शहर के ठोस अपशिष्ट निपटान संयंत्र में रखे गए अस्पतालों में 'काटन' अपशिष्टों को खुले में निकालकर सुखाया जा रहा था तथा उसे गद्दों और रजाइयों में भरने के लिए भेजा जा रहा था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार अस्पतालों के जैव-चिकित्सकीय अपशिष्टों के निपटान के संबंध में नए दिशा-निर्देश जारी करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) देश में ऐसे मामलों की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं या किए जाने का विचार है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पाणाबाका लक्ष्मी): (क) से (ङ) यह सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

उत्तरांचल को विकास सहायता

3166. श्री राजेन्द्र कुमार: क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उत्तरांचल सरकार ने राज्य के, विशेषकर हरिद्वार और नैनीताल के विकास हेतु सहायता के रूप में एकमुश्त राशि की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने इस संबंध में कोई व्यापक कदम उठाए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. राजशेखरन): (क) से (ङ) उत्तरांचल सरकार हरिद्वार और नैनीताल सहित राज्य के विकास के लिए वार्षिक योजनाओं के प्रस्ताव तैयार कर रही है। वार्षिक योजना का आकार विभिन्न परियोजनाओं/कार्यक्रमों और राज्य विशिष्ट आवश्यकताओं के लिए संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर निर्धारित किया जाता है। वार्षिक योजना 2004-05 और 2005-06 के आकार को क्रमश: 1810.40 करोड़ रुपये और 2700 करोड़ रुपये के स्तर पर अंतिम रूप दिया गया था। इसके अतिरिक्त, वार्षिक योजना 2004-05 के दौरान 20.47 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि उपलब्ध कराई गई थी। यह भी उल्लेख किया जाता है कि हरिद्वार अर्धकुम्भ मेले के लिए आधारित संरचना के सृजन हेतु 135 करोड़ रुपये की राशि उपलब्ध कराई गई थी।

विभागीय कालोनियों में कार्य

3167. मो. मुकीम: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 1 जनवरी, 2004 से 15 फरवरी, 2004 तक उनको, उनके उपमंत्री तथा मुख्य महाप्रबंधक (अनुरक्षण) उत्तर दूरसंचार परिमंडल, नई दिल्ली को संसद सदस्यों से कालीबाड़ी मार्ग/उद्यान मार्ग, नई दिल्ली विभागीय कालोनियों से कार्यों को पूरा करने के संबंध में कुल कितने पत्र प्राप्त हुए हैं;

(ख) उक्त अवधि के दौरान प्रत्येक पत्र पर अलग-अलग की गई कार्रवाई का क्या ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उन्हें इस बात की जानकारी है कि विभागीय अधिकारी संसद सदस्यों द्वारा लिखे गए पत्रों पर न तो कोई कार्रवाई करते हैं और न ही उनका जवाब देते हैं;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) उक्त पत्रों पर समुचित कार्रवाई कब तक किए जाने का विचार है और तदनुसार संबद्ध सदस्यों को जवाब कब तक भेजे जाने का विचार है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) चार।

(ख) प्रत्येक पत्र पर की गई कार्रवाई का ब्यौरा विवरण-I में दिया गया है।

(ग) जी, नहीं। संबंधित अधिकारी उचित कार्रवाई कर रहे हैं तथा जवाब पहले ही संसद सदस्यों को भेज दिए गए हैं।

(घ) और (ङ) उपरोक्त भाग (ग) का उत्तर देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

विवरण I

क्र.सं.	पत्र संख्या और तिथि सहित संसद सदस्य का नाम	विषय	टिप्पणी
1.	श्री अजय माकन, संसद सदस्य सं. 844/04, दिनांक 4.7.04	पी एण्ड टी क्वाटर्स, काली बाड़ी मार्ग में उपलब्ध सुविधाओं के संबंध में पी एण्ड टी आवास कल्याण संघ का अभ्यावेदन	दिनांक 9.11.04 के अ.शा. पत्र सं. बीएसएनएल/12-20/एसआर/2004 के द्वारा जवाब भेजा गया।
2.	श्री मित्रसेन यादव, संसद सदस्य, दिनांक 23.11.04	पी एण्ड टी कालोनी, काली बाड़ी मार्ग, नई दिल्ली में समस्याएं	दिनांक 14.12.04 के पत्र सं. 4-682/ 2004/बिल्डिंग के द्वारा जवाब भेजा गया।
3.	श्री अजय माकन, संसद सदस्य, सं. 1940/04, दिनांक 3.12.04	पी एण्ड टी क्वाटर्स, काली बाड़ी/उद्यान मार्ग में विभिन्न कार्यों के संबंध में	दिनांक 7.1.05 के पत्र सं. 1 बिल्डिंग/ क्षेत्र. एमपी/2004 के द्वारा जवाब भेजा गया।
4.	श्री अजय माकन, संसद सदस्य, सं. 2019/04, दिनांक 17.12.04	पी एण्ड टी क्वाटर्स, काली बाड़ी मार्ग, नई दिल्ली के नवीकरण के संबंध में	दिनांक 8.3.05 के अ.शा. पत्र सं. बीएसएनएल/12-4/एसआर/2005 के द्वारा जवाब भेजा गया।

सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी खरीद में अनियमितताएं

3168. श्री ब्रजेश पाठक: क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को विशेषकर अत्यधिक मूल्य पर इंटेग्रेटिड पैकेज के लिए आई.बी.एम. के एक्स-224 सर्वर की खरीद कम्प्यूटरीकरण के नाम पर करोड़ों की निम्नस्तरीय गुणवत्ता वाले साफ्टवेयर की अवैध खरीद, घटिया अंडर ग्राउंड केबल डालने के कार्य बहुत अधिक मूल्यों पर निजी कंपनी द्वारा किए गए सिक्यूरिटी वर्क्स तथा उत्तर प्रदेश दूरसंचार परिमंडल (पूर्व) द्वारा डाले गए ओएफसी केबल के संबंध में कथित रूप से की गई अनियमितताओं की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है;

(ग) क्या सरकार को इस बात की भी जानकारी है कि गत कुछेक वर्षों से उत्तर प्रदेश दूरसंचार परिमंडल (पूर्व) में टेलीफोन उपकरण, विशेषकर डब्ल्यू.एल.एल. का प्रयोग नहीं किया जा रहा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या सरकार ने इस संबंध में एक उच्च स्तरीय केन्द्रीय समिति का गठन करके कोई जांच की है अथवा करने पर विचार कर रही है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) और (ख) भारत संचार निगम लि. को इस तथ्य की जानकारी माननीय संसद सदस्य, श्री ब्रजेश पाठक के पत्र के माध्यम से मिली। यह पत्र एक्स-225 सर्वर तथा अन्य मुद्दों के बारे में है। उत्तर प्रदेश (पूर्व) दूरसंचार सर्किल ने इंटीग्रेटिड पैकेजों के कार्यान्वयन के लिए एक्स-225 सर्वर की खरीद की है न कि एक्स-224 सर्वर की। इंटीग्रेटिड पैकेजों के कार्यान्वयन के लिए खरीदे गये साफ्टवेयर भारत संचार निगम लि. के निगमित कार्यालय द्वारा अनुमोदित थे। भूमिगत केबल तथा आप्टिकल फाइबर केबल बिछाने के लिए आगे की विस्तृत कार्रवाई हेतु विशिष्ट रूट संबंधी ब्यौरे अपेक्षित हैं।

(ग) डब्ल्यूएलएल उपस्करों का इस्तेमाल उपलब्ध संसाधनों के अनुसार हो रहा है।

(घ) लागू नहीं होता है।

(ङ) और (च) एक्स-225 सर्वर की खरीद और सुरक्षा कार्यों को सौंपे जाने के संबंध में सर्किल सतर्कता स्कंध से कहा गया है कि वह मामले की जांच करे।

[अनुवाद]

ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन प्रणाली

3169. श्री काशीराम राणा:
श्री वीर सिंह महतो:

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि निजी आपरेटरों को ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन प्रणाली के संबंध में करोड़ों रुपये का अनुचित लाभ पहुंचाया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने निजी आपरेटरों द्वारा ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन उपलब्ध कराने के संबंध में 90 करोड़ रुपये से अधिक की राशि खर्च की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं और इसके क्या कारण हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) से (घ) छह निजी कम्पनियों को 1997-98 में बुनियादी सेवा के प्रचालन के लिए प्रदान किए गए लाइसेंसों में रॉल आऊट दायित्व के भाग के रूप में 97,806 गांवों में ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन प्रदान करने की शर्त रखी गई थी। वे सभी निर्धारित समय-सीमा में अपने दायित्व को पूरा करने में सक्षम नहीं हो सकी थी। निजी बुनियादी सेवा प्रदाताओं से सेवा की शुरूआत करने में देरी और वीपीटी तथा सीधी एक्सचेंज लाइनें (डीईएल) प्रदान करने में देरी के लिए 53.75 करोड़ रु. की परिनिर्धारित नुकसानी राशि वसूली गई। लाइसेंस में यह भी शर्त थी कि दूरसंचार विभाग (उत्तराधिकारी संगठन के रूप में भारत संचार निगम लिमिटेड) द्वारा वीपीटी प्रदान करने के मामले में, उक्त राल आऊट को पूरा हुआ मान लिया जाएगा। तदनुसार, उक्त क्षेत्र में निजी बुनियादी सेवा प्रचालकों द्वारा सेवा की शुरूआत न करने अथवा निजी बुनियादी सेवा प्रचालकों का नेटवर्क उपलब्ध न होने के कारण दूरसंचार विभाग ने वीपीटी प्रदान किए थे। यह निष्कर्ष निकालना सही नहीं है कि विभाग ने निजी प्रचालकों की ओर से 90 करोड़ रु. से अधिक खर्च किया अथवा निजी प्रचालकों को करोड़ों रुपयों का अनुचित लाभ पहुंचाया गया।

जनसंख्या वृद्धि के रूझान

3170. श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत दस वर्षों के दौरान आज तक विभिन्न राज्यों में तथा अखिल भारतीय स्तर पर जनसंख्या वृद्धि के क्या रूझान रहे हैं;

(ख) किन-किन राज्यों में हाल ही के वर्षों में महिला जनसंख्या के समानुपात में 14 वर्ष के आयु समूहों में तेजी से गिरावट आई है; और

(ग) स्थिति में सुधार करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) वर्ष 1991 तथा 2001 की जनगणना पर आधारित 1991 से 2001 की जनसंख्या की राज्यवार तथा अखिल भारतीय दसकीय वृद्धि दर दर्शाने वाला ब्यौरा विवरण-I में दिया गया है।

(ख) उत्तर प्रदेश और बिहार को छोड़कर सभी राज्यों/संघ क्षेत्रों में 0-14 वर्ष आयु वर्ग में कुल जनसंख्या के अनुपात में महिलाओं की जनसंख्या में कमी आई है। वर्ष 1991 तथा 2001 की जनगणना के आधार पर राज्य-वार ब्यौरा विवरण-II में दिया गया है।

(ग) भारत सरकार द्वारा उठाए गए कदम नीचे दिए गए हैं:-

(1) प्री-नैटल डायग्नोस्टिक टैक्नीक्स अधिनियम 1994 (दुरूपयोग की रोकथाम एवं विनियोजन) को और अधिक व्यापक बनाने के लिए इसे संशोधित कर दिया गया है तथा इसका नाम बदल कर प्री-कन्सैप्शन एंड प्री-नैटल डायग्नोस्टिक टैक्नीक्स (लिंग चयन की प्रतिबंधता) अधिनियम, 1994 रख दिया है और यह 14.2.2003 से लागू हो गया है।

(2) मादा भ्रूण हत्या के निराकरण के संदेश का प्रचार-प्रसार करने के लिए समाचार पत्र, रेडियो तथा टेलीविजन जैसे लोक संचार माध्यमों का प्रयोग।

(3) भारत सरकार ने युवा बालिकाओं की उपलब्धियों को उजागर करके लड़कों को वरीयता देने की प्रवृत्ति को समाप्त करने की दृष्टि से "बेटी बचाओं अभियान" आरम्भ किया है।

(4) कन्या शिशु के महत्व को प्रदर्शित करने तथा कन्या शिशु हत्या के उन्मूलन के बाद के प्रभाव के लिए धार्मिक एवं अध्यात्मिक गुरूओं से सहायता की मांग।

विवरण I

जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर-राज्य/संघ राज्य क्षेत्र 2001

भारत और राज्य/संघ क्षेत्र	1991-2001 (प्रतिशत में)
1	2
भारत	21.54
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	26.90
आंध्र प्रदेश	14.59
अरूणाचल प्रदेश	27.00
असम	18.92
बिहार	28.62
चंडीगढ़	40.28
छत्तीसगढ़	18.27
दादरा एवं नगर हवेली	59.22
दमन और दीव	55.73
दिल्ली	47.02
गोवा	15.21
गुजरात	22.66
हरियाणा	28.43
हिमाचल प्रदेश	17.54
जम्मू और कश्मीर	29.43
झारखण्ड	23.36
कर्नाटक	17.51
केरल	9.43
लक्षद्वीप	17.30
मध्य प्रदेश	24.26
महाराष्ट्र	22.73
मणिपुर	24.86
मेघालय	30.65
मिजोरम	28.82
नागालैंड	64.53
उड़ीसा	16.25
पांडिचेरी	20.62
पंजाब	20.10
राजस्थान	28.41
सिक्किम	33.06
तमिलनाडु	11.72
त्रिपुरा	16.03
उत्तर प्रदेश	25.85
उत्तरांचल	20.41
पश्चिम बंगाल	17.77

1. जम्मू और कश्मीर को 1991 की जनगणना में शामिल नहीं किया गया था, जनसंख्या के लिए अनुमानित आंकड़े।
2. मणिपुर के 2001 के लिए पाओमाटा, माओ मारम और सेनापति जिले के पुरूल उप सम्भाग की अनुमानित जनसंख्या भी शामिल है।

स्रोत: प्राथमिक जनगणना सार, भारत की जनगणना 2001

विवरण II

कुल जनसंख्या में महिला जनसंख्या अनुपात (प्रतिशत में) 0-14 आयु वर्ग में

भारत और राज्य/संघ क्षेत्र	2001	1991
1	2	3
भारत	35.1	37.3
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	31.2	39.4
आंध्र प्रदेश	31.6	35.7

1	2	3
अरूणाचल प्रदेश	41.9	42.3
असम	37.9	41.2
बिहार	41.7	40.9
चंडीगढ़	30.3	33.6
छत्तीसगढ़	36.6	37.5
दादरा एवं नगर हवेली	38.5	39.4
दमन और दीव	31.5	34.9
दिल्ली	33.5	36.3
गोवा	24.4	28.5
गुजरात	32.2	35.5
हरियाणा	35.4	39.4
हिमाचल प्रदेश	30.2	35.2
जम्मू और कश्मीर	35.6	–
झारखण्ड	39.8	40.6
कर्नाटक	31.7	36.3
केरल	24.8	28.8
लक्षद्वीप	34.0	37.8
मध्य प्रदेश	38.5	39.7
महाराष्ट्र	32.0	35.7
मणिपुर	32.3	35.6
मेघालय	42.4	43.0
मिजोरम	35.9	39.9
नागालैंड	37.4	39.1
उड़ीसा	32.9	35.9
पांडिचेरी	26.5	31.1
पंजाब	30.3	34.7
राजस्थान	39.4	40.7
सिक्किम	36.8	41.3
तमिलनाडु	26.2	30.5
त्रिपुरा	33.8	38.7
उत्तर प्रदेश	40.8	40.8
उत्तरांचल	35.5	38.4
पश्चिम बंगाल	33.6	37.5

*जम्मू व कश्मीर को 1991 की जनगणना में शामिल नहीं किया गया।

स्रोत: प्राथमिक जनगणना सार, भारत की जनगणना-2001

खाद्य पदार्थों में सिंथेटिक डाई

3171. श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सिंथेटिक डाई के प्रयोग के कारण भारत में तैयार किए गए और निर्यात किए गए खाद्य पदार्थों में मिलावट पाई गई है;

(ख) यदि हां, तो क्या भारतीय खाद्य पदार्थों के व्यापार में यूरोपीय देशों में कमी आई है;

(ग) यदि हां, तो मिलावट के कारण खाद्य पदार्थों की कितनी खेपें रोकी गईं;

(घ) क्या निर्यात विशेषज्ञों ने भारतीय खाद्य पदार्थों में प्रयोग किए जा रहे अपंजीकृत कीटनाशकों के उत्पादन और बिक्री पर राष्ट्रव्यापी प्रतिबंध लगाने की मांग की है; और

(ङ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) से (ग) यूरोपियन यूनियन द्वारा मई/जून, 2003 में जारी रेपिड एलर्ट नोटिफिकेशन में भारत से निर्यात किए गए मिर्च पाउडर में सूडान डाई की मौजूदगी सूचित की गई। हाल ही में फरवरी, 2005 में खाद्य मानक प्राधिकरण, यू.के. ने दावा किया कि उसने वर्ष 2002 में भारत से आयात किए गए मिर्च के पाउडर में सूडान I की मौजूदगी का पता लगाया जो कि कार्सियोजेनिक डाई है। इसलिए खाद्य मानक प्राधिकरण ने सूडान I डाई वाले संदूषित कुल 575 उत्पादों को वापस कर दिया था।

तथापि, रेडिप एलर्ट का आशय यह बिल्कुल नहीं है कि सामान की कोई खेप देश के प्रवेश स्थल पर रोक दी जाती है। 10 मार्च, 2005 से निर्यातकों को मसाला बोर्ड से इस आशय का एक प्रमाण-पत्र देना होता है कि सामान की खेप निर्यात किए जाने के लिए सूडान I-IV से मुक्त है।

सूडान I विवाद का भारतीय मिर्च का यूरोपियन देशों अथवा अन्य स्थानों के लिए निर्यात पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है जैसा कि भारत से मिर्च के निर्यात में लगातार वृद्धि से स्पष्ट है। मिर्च के निर्यात के आंकड़े इस प्रकार हैं:-

वर्ष	यूरोपियन यूनियन को भारतीय निर्यात मात्रा (टन)	कुल भारतीय निर्यात मात्रा (टन)
2001-02	4456	69998
2002-03	4738	81022
2003-04	5240	81500
2004-05 (अप्रैल-जनवरी)	5177	114000

(घ) और (ङ) बिना पंजीकरण और संबंधित लाइसेंस के कीटनाशकों का विनिर्माण और बिक्री कीटनाशक अधिनियम, 1968 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध है और इस प्रकार गैर पंजीकृत कीटनाशकों का कृषि में उपयोग पहले ही प्रतिबन्धित है।

पृथ्वी की आकृति में बदलाव

3172. श्रीमती भावना पुंडलिकराव गवली: क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वैज्ञानिकों ने नासा सैटेलाइट लेजर रेंजिंग (एस.एल.आर.) के आंकड़ों का प्रयोग करके यह रहस्योद्घाटन किया है कि पृथ्वी की आकृति में बदलाव आया है तथा पृथ्वी ध्रुवों पर चपटी हुई है और भूमध्य रेखा पर यह फैली है;

(ख) यदि हां, तो यह विषय ईएल-नीनो और अन्य मौसम पैटर्नों जैसी जलवायु की घटनाओं से किस प्रकार जुड़ा हुआ है; और

(ग) इस प्रकार के घटनाक्रमों का मानव और जीवों पर क्या प्रभाव पड़ा है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा महासागर विकास विभाग के राज्य मंत्री (श्री कपिल सिब्बल): (क) से (ग) प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार अमेरिकी वैज्ञानिकों द्वारा नासा उपग्रह आंकड़ों का उपयोग कर पृथ्वी के आकार में अत्यधिक छोटे परिवर्तन पाए गए हैं (पृथ्वी के चपटेपन में एक बीलियन का एक भाग)। यह अध्ययन आंशिक रूप से जलवायु संबंधी घटनाओं से संबंधित है, यह पृथ्वी के आकार पर ईएल-नीनो और प्रशान्त दशकीय दोलन के संभावित प्रभाव पर प्रकाश डालना है न कि अन्यथा। इस प्रभाव के महत्वहीन होने की संभावना है, और जीवन सहायक जटिल प्रक्रियाओं को समझने वाले वैज्ञानिक अध्ययन चल रहे हैं।

[हिन्दी]

महाराष्ट्र के जिलों में सेल्यूलर आपरेटर

3173. श्री बापू हरी चौरे: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) महाराष्ट्र के धुले, नंदुरबार और जलगांव जिलों में कौन-कौन सी निजी सेल्यूलर कंपनियां अपनी सेवाएं प्रदान कर रही हैं;

(ख) इन जिलों में कितने सिम कार्ड प्रदान किए गए; और

(ग) इन सेल्यूलर कंपनियों द्वारा सिम कार्ड प्रदान करने के लिए निर्धारित मानदंडों का ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) और (ख) तीन निजी सेल्यूलर कंपनियां नामत: मै. आइडिया सेल्यूलर लिमिटेड, मै. बीपीएल मोबाइल सेल्यूलर लिमिटेड तथा मै. भारती सेल्यूलर लिमिटेड, महाराष्ट्र दूरसंचार सर्किल सेवा क्षेत्र में जीएसएम आधारित प्रौद्योगिकी पर सेल्यूलर मोबाइल टेलीफोन सेवा (सीएमटीएस) प्रदान कर रही हैं। ये कंपनियां धुले, नंदूरबार और जलगांव जिलों में मोबाइल सेवा प्रदान कर रही हैं। महाराष्ट्र के धुले, नंदूरबार और जलगांव जिलों में इन कंपनियों के सिम कार्डों (उपभोक्ताओं) की संख्या निम्नानुसार हैं:-

क्र.सं.	निजी कंपनी का नाम	28.2.2005 की स्थिति के अनुसार सिम कार्डों (उपभोक्ताओं) की संख्या
1.	मै. आइडिया सेल्यूलर लिमिटेड	34850
2.	मै. बीपीएल मोबाइल सेल्यूलर लिमिटेड	33985
3.	मै. भारती सेल्यूलर लिमिटेड	17025

उपर्युक्त के अतिरिक्त, दो निजी कम्पनियां नामत: मै. रिलायन्स इन्फोकाम लि. और टाटा टेलीसर्विसेज (महाराष्ट्र) लिमिटेड भी महाराष्ट्र दूरसंचार सर्किल सेवा क्षेत्र में सीडीएमए आधारित प्रौद्योगिकी जिसमें सिम कार्ड नहीं होता है, पर मोबाइल सेवा प्रदान कर रही हैं। धुले और जलगांव जिलों में मै. रिलायंस इन्फोकाम लिमिटेड मोबाइल सेवा प्रदान कर रही है तथा धुले, जलगांव और नंदूरबार जिलों में मै. टाटा टेलीसर्विसेज (महाराष्ट्र) लिमिटेड मोबाइल सेवा प्रदान कर रही है।

(ग) उपभोक्ताओं द्वारा प्रस्तुत किए गए निर्धारित दस्तावेजों का उचित सत्यापन करने के बाद नेटवर्क की क्षमता और बाजार की मांग के आधार पर सिम कार्ड प्रदान किए जाते हैं।

रेफरल अस्पतालों में उपचार की अनुमति

3174. श्री चन्द्र मणि त्रिपाठी: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सीजीएचएस लाभार्थियों को रेफरल अस्पतालों में विशेषज्ञों द्वारा अपना उपचार कराना जारी रखने के लिए हर बार संबद्ध सीजीएचएस औषधालयों से अनुमति लेनी पड़ती है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या स्वास्थ्य सेवा निदेशालय द्वारा जारी दिनांक 03.06.2004 के पत्र सं. सी-131019/2/2004-सीजीएचएस डेस्क-II सरकारी नीति के अनुरूप है;

(घ) यदि हां, तो लोक सभा में अतारांकित प्रश्न सं. 3004 दिनांक 18.08.2004 के दिए गए उत्तर के संदर्भ में संबंधित नियमों के अनुपालन में क्या प्रभावी कार्रवाई की गई है;

(ङ) क्या सरकारी रेफरल अस्पतालों/सीजीएचएस औषधालयों की ओपीडी को डाक्टरों द्वारा चाय के समय बंद रखा जाता है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) और (ख) केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के वे लाभार्थी जो पहले ही रेफरल सरकारी अस्पताल में विशिष्ट उपचार करा रहे हैं उन्हें सरकारी अस्पताल में उपचार को जारी रखने के लिए केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना औषधालय से अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं होती। चूंकि लाभार्थियों को दवाइयां केवल वैध नुस्खे के आधार पर जारी की जाती हैं इसलिए उन्हें पहले कराए गए इलाज के लिए सरकारी डाक्टर द्वारा लिखे गए नुस्खे की अवधि पूरी होने के बाद उपचार कर रहे विशेषज्ञ सरकारी डाक्टर से नए नुस्खे लिखवाने/नुस्खे के नवीकरण की सलाह दी जाती है।

केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के लाभार्थी केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना/सरकारी विशेषज्ञ अथवा केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना औषधालय के मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा बताई गई विशिष्ट चिकित्सा प्रक्रिया/परीक्षण जांच आदि के लिए सरकार से पूर्व अनुमति लेकर केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत मान्यता प्राप्त प्राइवेट अस्पतालों/नैदानिक केन्द्रों में एक्स-रे, अल्ट्रासाउंड सरीखे परीक्षणों/जांच के लिए भर्ती होकर अथवा ओ.पी.डी. में उपचार प्राप्त कर सकते हैं। कुछ विशिष्ट स्थितियों में छ: माह की अवधि के लिए केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना से मान्यता प्राप्त निजी अस्पताल में अनुवर्ती उपचार के लिए लाभार्थियों को अनुमति दी जाती है।

(ग) और (घ) केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के एक लाभार्थी से प्राप्त पत्र के उत्तर में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना निदेशालय ने दिनांक 3.6.2004 को पत्र द्वारा लाभार्थी को स्थिति स्पष्ट की थी जो सामान्य प्रकृति की थी। केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना से संबंधित सरकारी नियमों के उपबन्ध केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को सेवाएं प्रदान करने हेतु समय-समय पर परिचालित किए जाते हैं।

(ङ) और (च) केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना औषधालय और सफदरजंग अस्पताल, राममनोहर लोहिया अस्पताल और लेडी हार्डिंग मेडिकल कालेज एवं श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल जैसे सरकारी रेफरल अस्पतालों के बहिरंग रोगी विभाग जल-पान (टी-ब्रेक) के लिए बन्द नहीं होते हैं। केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के सारांश (कम्पेनियम) के अनुसार चिकित्सा अधिकारी एवं कर्मचारी औषधालय के सामान्य कार्य में किसी प्रकार की रूकावट के बिना अपनी-अपनी मेज पर प्रात: 10 बजे के बाद चाय पी सकते हैं। इन आदेशों को समय-समय पर जारी किया गया है।

जन स्वास्थ्य कर्मियों की बहाली

3175. श्री रतिलाल कालीदास वर्मा:
श्री हरिभाऊ राठौड़:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के जन स्वास्थ्य कर्मियों को बहाल करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में वर्ष 1977 में कितने जन स्वास्थ्य कर्मियों को नियुक्त किया गया;

(घ) उस समय इस योजना पर खर्च धनराशि का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) उक्त योजना के अंतर्गत वर्ष 2005-06 के लिए प्रत्येक राज्य को आबंटित धनराशि का ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) और (ख) हाल ही में घोषित राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन में सेवा से वंचित लोगों विशेष रूप से ऐसी महिलाओं तथा बच्चों जिनके पास स्वास्थ्य सेवाएं नहीं पहुंच पाती हैं, की किसी भी प्रकार की स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए ग्राम स्तर पर समुदाय आधारित कार्यतंत्र/कार्यकर्त्ता अर्थात् मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्त्ता (आशा) का एक नया दल बनाने का प्रस्ताव किया गया है।

(ग) ग्राम स्वास्थ्य निर्देशिका योजना के आरम्भ में 4.12 लाख ग्राम स्वास्थ्य गाइडों का चयन किया गया था। उनकी स्वैच्छिक सामुदायिक सेवाओं के लिए उन्हें प्रतिमाह 50/- रुपए का मानदेय दिया जाता था। तमिलनाडु, केरल, जम्मू एवं कश्मीर तथा अरूणाचल प्रदेश को छोड़कर सभी राज्यों ने इस योजना को स्वीकार कर लिया था।

(घ) इस योजना के लिए प्रति वर्ष 20 करोड़ रुपए का प्रावधान किया जा रहा था।

(ङ) राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत राज्यों को किए गए आबंटन के ब्यौरे को अभी अंतिम रूप दिया जाना है।

[अनुवाद]

अहमदाबाद से भरूच तक राजमार्ग

3176. श्री विक्रमभाई अर्जनभाई माडम: क्या **पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार बिल्ड आपरेट लीज ट्रांसपोर्ट योजना के अंतर्गत पेटलेड के रास्ते (न कि बड़ौदा के रास्ते) अहमदाबाद से भरूच तक गुजरात में नए राजमार्ग का निर्माण करने की योजना बना रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और तत्संबंधी वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) इस कार्य के कब तक आरंभ किए जाने की संभावना है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) इस समय, अहमदाबाद और भरूच निम्नलिखित दो मार्गों से जुड़े हुए हैं:-

1. अहमदाबाद-बड़ौदा	-	राष्ट्रीय एक्सप्रेस मार्ग-1
बड़ौदा-भरूच	-	रा.रा. 8
2. अहमदाबाद-नाडियाद-आनंद-बड़ौदा-भरूच	-	रा.रा. 8

दोनों मार्ग अच्छे और यातायात योग्य स्थिति में हैं।

[हिन्दी]

सी.जी.एच.एस. के डाक्टरों की लापरवाही

3177. श्री तुकाराम गणपतराव रेंगे पाटील:
श्री एम. अंजनकुमार यादव:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि सीजीएचएस के अधीन चिकित्सा अधिकारी और डाक्टर समय के पाबंद नहीं हैं और रोगियों का समुचित रूप से उपचार नहीं करते हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार इस संबंध में कोई जांच कराने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) गत तीन वर्षों के दौरान सीजीएचएस पर कुल कितनी राशि खर्च की गई?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) और (ख) केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के तहत सामान्यतया चिकित्सा अधिकारी समय के पाबंद होते हैं और अपनी क्षमता के अनुसार लाभार्थियों को सर्वोत्तम उपचार प्रदान करते हैं। डाक्टर औषधालय स्तर पर प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या और द्वितीयक एवं तृतीयक स्तर पर रेफरल सेवाएं/अनुवर्ती सेवाएं प्रदान करते हैं।

(ग) से (ङ) जैसे ही केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के डाक्टरों के खिलाफ समय के पाबंद न होने या दुर्व्यवहार से संबंधित शिकायतें प्राप्त होती हैं वैसे ही इनकी जांच की जाती हैं और शीघ्र ही आवश्यक सुधारात्मक/अनुवर्ती कार्रवाई की जाती है। आवश्यकता पड़ने पर केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना निदेशालय में विभिन्न स्तरों पर छानबीन की जाती है। केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना/स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय के वरिष्ठ अधिकारियों के निरीक्षण, पर्यवेक्षण एवं मार्गदर्शन से केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना औषधालयों के कार्य में सुधार लाने के लिए एक आन्तरिक तंत्र मौजूद है। केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना औषधालयों में अधिकारियों के समय-पाबंद एवं आचरण सही रखने के लिए समय-समय पर आवश्यक अनुदेश जारी किए जाते हैं। ऐसे सभी शहरों में, जहां केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना काम कर रही है, केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के कार्य की मानीटरिंग करने के लिए वरिष्ठ अधिकारियों के निरीक्षण दल बनाए गए हैं।

(च) सूचना विवरण पर दी गई है।

विवरण

केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के संबंध में व्यय

(हजार रुपए)

विषय	बजट अनुमान 2001-2002			संशोधित अनुमान 2001-2002			वास्तविक व्यय 2001-2002		
	प्लान	नान-प्लान	कुल	प्लान	नान-प्लान	कुल	प्लान	नान-प्लान	कुल
अन्य	75600	1457525	1533125	59475	1320986	1380461	56741	1196643	1253384
आपूर्तियां एवं सामग्री	28500	1175000	1203500	23500	1489470	1512970	44962	1608896	1653858
पेशेवर सेवाएं	15900	487475	503375	7025	642644	649669	13580	644119	657699
कुल के.स.स्वा.यो.	120000	3120000	3240000	90000	3453100	3543100	115283	3449658	3564941

विषय	बजट अनुमान 2002-2003			संशोधित अनुमान 2002-2003			वास्तविक व्यय 2002-2003		
	प्लान	नान-प्लान	कुल	प्लान	नान-प्लान	कुल	प्लान	नान-प्लान	कुल
अन्य	58950	1475000	1533950	68400	1346400	1414800	89595	1241488	1331083
आपूर्तियां एवं सामग्री	48250	1185000	1233250	54400	1565000	1619400	68705	1782537	1851242
पेशेवर सेवाएं	12800	490000	502800	18500	738600	757100	25903	793300	819203
कुल के.स.स्वा.यो.	120000	3150000	3270000	141300	3650000	3791300	184203	3817325	4001528

विषय	बजट अनुमान 2003-2004			संशोधित अनुमान 2003-2004			वास्तविक व्यय 2003-2004		
	प्लान	नान-प्लान	कुल	प्लान	नान-प्लान	कुल	प्लान	नान-प्लान	कुल
अन्य	60300	1376400	1436700	70300	1377800	1448100	70669	1314978	1385647
आपूर्तियां एवं सामग्री	60000	1265000	3225000	60000	1765000	1825000	100257	2108035	2208292
पेशेवर सेवाएं	19700	618600	638300	19700	1278600	1298300	54275	1323533	1377808
कुल के.स.स्वा.यो.	140000	3260000	3400000	150000	4421400	4571400	225201	4746546	4971747

विषय	बजट अनुमान 2004-2005			संशोधित अनुमान 2004-2005			वास्तविक व्यय 2004-2005		
	प्लान	नान-प्लान	कुल	प्लान	नान-प्लान	कुल	प्लान	नान-प्लान	कुल
अन्य	79860	1401400	1481260	154860	1481400	1636260	86037	1402127	1488164
आपूर्तियां एवं सामग्री	67440	1000000	1067440	67440	1500000	1567440	56169	1239250	1295419
पेशेवर सेवाएं	17700	2518600	2536300	17700	2500000	2517700	14477	2123850	2138327
कुल के.स.स्वा.यो.	165000	4920000	5085000	240000	5481400	4085140	156683	4765227	4921910

[अनुवाद]

जैव-प्रौद्योगिकी बाजार को बढ़ावा

3178. श्री एकनाथ महादेव गायकवाड:
श्री आनंदराव विठोबा अडसूल:
श्री कीर्ति वर्धन सिंह:
श्री सुग्रीव सिंह:

क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार जैव-प्रौद्योगिकी बाजार को बढ़ावा देने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान देश में जैव-प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने हेतु सरकार द्वारा प्रदान की गई सहायता का ब्यौरा क्या है;

(घ) उक्त सहायता के आबंटन हेतु मानदंड क्या है; और

(ङ) देश में जैव-प्रौद्योगिकी प्रोटोकोल प्रणालियों को नियमित करने के लिए क्या प्रणाली बनाई गई है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा महासागर विकास विभाग के राज्य मंत्री (श्री कपिल सिब्बल): (क) जी हां।

(ख) भारत सरकार ने नवीन जैव-प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में विशेष मशीनरी पर सीमा शुल्क को सुविधाजनक बनाते हुए, इन हाऊस अनुसंधान तथा विकास संबंधी व्यय में 15% कटौती, लघु एवं मध्यम दर्जे के उद्यमों को भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक फास्ट ट्रैक निकासी मार्ग (एसआईडीबीआई) के माध्यम से इक्विटी सहायता, सभी जैव-प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में 100% विदेशी इक्विटी निवेश करके जैव-प्रौद्योगिकी उद्योग में एफडीआई के निर्यात संवर्धन पूंजी सामग्री (ईपीजीसी) के तहत प्रोत्साहन देते हुए वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान (डीएसआईआर) द्वारा मान्यता प्राप्त वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान संगठनों (एसआईआरओ) को सीमा एवं उत्पाद शुल्क में छूट प्रदान करते हुए विकास एवं वृद्धि पर बल देकर पर्याप्त ध्यान दिया है। सरकार ने निर्यात को बढ़ावा देने के लिए भी विभिन्न कदम उठाए हैं। उन इकाईयों के लिए भी विशेष प्रोत्साहन योजनाएं हैं, जो अपने उत्पाद का 100% निर्यात करते हैं।

(ग) जैव-प्रौद्योगिकी विभाग, विज्ञान एवं औद्योगिक मंत्रालय को देश में जैव-प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए अधिदेश प्राप्त है। जैव-प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा पिछले 3 वर्ष के दौरान प्रदान की गई सहायता क्रमश: 186 करोड़, 221 करोड़ एवं 263 करोड़ रु. है।

जैव-प्रौद्योगिकी क्षेत्र को सहायता प्रदान करने वाले कुछ अन्य विभाग भी हैं जैसे कि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी) वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सीएसआईआर), अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय (एमएनईएस), भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएसआर), पर्यावरण एवं वन मंत्रालय।

(घ) अधिकतम योजनाओं को सहायता प्रदान करने का आधार जांचकर्त्ताओं का निर्णय एवं कार्यान्वयन एजेंसी के पास उपलब्ध अवसंरचनात्मक सुविधाएं है। अवसंरचनात्मक सुविधाएं तथा उत्कृष्टता केन्द्र स्थापित करने के लिए स्थान पर भी विचार किया जाता है ताकि वैज्ञानिकों की बड़ी संख्या को इन सुविधाओं की अधिकतम प्राप्ति हो सके।

(ङ) भारत सरकार ने विभिन्न अधिनियमों एवं नियमों के अनुपालन के लिए स्वतंत्र आकलन और अनुमोदन निकायों के साथ बायोटेक उत्पादों के अनुमोदन हेतु एक सुकल्पित विनियामक संरचना की स्थापना की है ताकि मानव एवं पशु स्वास्थ्य संबंधी उच्च स्तरीय पर्यावरणीय सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सके।

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा जनरल अरेंजमेंट डिजाइन प्रस्तुत किया जाना

3179. डा. के.एस. मनोज:
श्री सी.के. चन्द्रप्पन:

क्या **पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने राष्ट्रीय राजमार्ग-47 के लिए अलाप्पुझा बाईपास के साथ एर्नाकुलम-कायमकुलम रेलवे लाइन पर दो सड़क उपरि पुलों हेतु जी.ए.डी. (जनरल अरेंजमेंट डिजाइन) प्रस्तुत किया है;

(ख) इस कार्य को पूरा करने की संभावित तारीख क्या है और इसके लिए कितना बजटीय प्रावधान किया गया है;

(ग) चेरथला से तिरूवनंतपुरम तक राष्ट्रीय राजमार्ग 47 को चार लेनों वाला बनाने के संबंध में वर्तमान स्थिति क्या है;

(घ) क्या इस संबंध में सर्वेक्षण, भूमि अधिग्रहण आदि का कार्य पूरा किया जा चुका है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) और (ख) केरल में रा.रा. 47 पर अलपुझा बाइपास पर दो आर ओ बी के लिए सामान्य प्रबंधन डिजाइन (जी ए डी) और प्राक्कलन रेलवे द्वारा राज्य लोक निर्माण विभाग के परामर्श से तैयार किया जा रहा है। जी ए डी को अंतिम रूप दिए जाने के बाद ही प्राक्कलन स्वीकृत किया जाएगा। पूरा होने की तारीख और बजट प्रावधान का पता प्राक्कलन की स्वीकृति के समय ही चल पाएगा।

(ग) से (ङ) केरल में रा.रा. 47 पर चेरतलै से तिरूवनंतपुरम तक चार लेन का बनाने के कार्य को निर्माण, प्रचालन और हस्तांतरण (बी ओ टी) आधार पर शुरू की जाने वाली राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना (चरण-III) में शामिल करने के लिए अभिनिर्धारित किया गया है। साध्यता अध्ययन और विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डी पी आर) तैयार करने के लिए निविदाएं आमंत्रित की गई हैं। डी पी आर को अंतिम रूप दिए जाने के बाद ही भूमि अधिग्रहण कार्य किया जाएगा।

आदिवासी बहुल क्षेत्रों में निर्धनतम व्यक्तियों की पहचान करना

3180. श्री रामदास आठवले: क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार महाराष्ट्र सहित राज्यों में, विशेष रूप से आदिवासी बहुल क्षेत्रों में निर्धनतम व्यक्तियों की पहचान करने के लिए समुदाय आधारित संगठनों/गैर-सरकारी संगठनों की सहायता से एक सर्वेक्षण करने का है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का प्रस्ताव है; और

(ग) इन सर्वेक्षणों को राज्य-वार कब तक किए जाने की संभावना है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. राजशेखरन): (क) से (ग) महाराष्ट्र सहित राज्यों में विशेष रूप से आदिवासी बहुल क्षेत्रों में निर्धनतम व्यक्तियों की पहचान करने के लिए समुदाय आधारित संगठनों/गैर-सरकारी संगठनों की सहायता से सर्वेक्षण कराने का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, ग्रामीण विकास मंत्रालय (एम ओ आर डी) गरीबों की पहचान करने के लिए

प्रत्येक पांच वर्ष बाद पंचवर्षीय योजनाओं के साथ-साथ गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वालों (बी पी एल) की जनगणना कराता है। दसवीं पंचवर्षीय योजना के लिए क्षेत्र सर्वेक्षण कार्य लगभग सभी राज्यों द्वारा पूरा किया जा चुका है। तथापि, पी यू सी एल बनाम भारत संघ के मामले में वर्ष 2001 की सिविल याचिका संख्या 196 में माननीय सर्वोत्तम न्यायालय द्वारा पारित आदेश के कारण परिणामों को अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

[अनुवाद]

कैंसर पर अनुसंधान

3181. श्री सुव्रत बोस: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत में विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रतिनिधि को डी.एस. रिसर्च सेन्टर के प्रो. शिवशंकर त्रिवेदी से कोई पत्र मिला है जिसमें उन्होंने दावा किया है कि कैंसर का इलाज संभव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने पुस्तक के रूप में प्रकाशित प्रो. त्रिवेदी के निष्कर्षों का अध्ययन किया है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) और (ख) विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यू.एच.ओ.) संयुक्त राष्ट्र संघ का एक विशेष अभिकरण होने के नाते सदस्य देशों के स्वास्थ्य मंत्रालयों के साथ सहयोग करता है और उन संबद्ध व्यक्तियों को सुझाव देता है जो आई सी एम आर, आयुष विभाग की अनुसंधान परिषदों तथा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय सहित देश में सांविधिक राष्ट्रीय प्राधिकारियों के साथ संपर्क करने के लिए सीधे विश्व स्वास्थ्य संगठन के पास जाते हैं। अभिकरण (डब्ल्यू एच ओ) को प्राय: विभिन्न रोगों के उपचार संबंधी दावे पत्र प्राप्त होते हैं जिस पर संगठन द्वारा अपनी वैज्ञानिक उपलब्धियों के अनुसार विचार किया जाता है।

(ग) और (घ) प्रो. शिव शंकर त्रिवेदी द्वारा चलाए जा रहे डी एस अनुसंधान केंद्र, वाराणसी ने कैंसर पर एक पुस्तक प्रकाशित की है। उन्होंने सम्मिश्रणों का उल्लेख किए बिना "सर्वपिष्टी" नाम की एक औषधि विकसित की है। इस औषध का विनिर्माण किसी लाईसेंसधारी औषधि विनिर्माता एकांश द्वारा नहीं किया जाता है। प्रो. शिव शंकर त्रिवेदी एक अर्हताप्राप्त पंजीकृत चिकित्साभ्यासी भी नहीं हैं।

[हिन्दी]

भारतीय सीमाओं की निगरानी के लिए उपग्रह

3182. श्री हरिश्चंद्र चव्हाण:
श्री वाई.जी. महाजन:
श्री चन्द्रभूषण सिंह:
श्री एल. राजगोपाल:

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) भारतीय सीमाओं की निगरानी करने के लिए एक उपग्रह का विकास करने तथा कई विशेषताओं वाले उपग्रह के प्रक्षेपण पर भी विचार कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या 24 सी-बैण्ड ट्रांसपोंडर वाले एक नए उच्च-शक्ति वाले उपग्रह के प्रक्षेपण के प्रस्ताव को सरकार द्वारा स्वीकृत कर दिया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) इन उपग्रहों को कब तक विकसित किए जाने की संभावना है;

(च) इन उपग्रहों के विकास पर कितनी धनराशि खर्च किए जाने की संभावना है;

(छ) क्या इसरो इस वर्ष अपने पी.एस.एल.वी. राकेट से 350 कि.ग्रा. के इटली के वैज्ञानिक उपग्रह एजाइल (ए.जी.आई.एल.ई.) का प्रक्षेपण करेगा;

(ज) यदि हां, तो क्या इसरो ने इस संबंध में जर्मनी की एक कम्पनी के साथ समझौता किया था; और

(झ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री पृथ्वीराज चव्हाण): (क) और (ख) जी, नहीं। तथापि, भारतीय अन्तरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) के भू-प्रेक्षण उपग्रह बहु-स्पेक्ट्रमी के साथ-साथ विभिन्न आकाशीय विभेधन मोडों में सम्पूर्ण विश्व का प्रतिबिम्बन करने में सक्षम है। दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान, इसरो कई विशेषताओं वाले उपयोग उपग्रहों अर्थात् कार्टोसैट और ओशनसैट के प्रमोचन की योजना बना रहा है।

(ग) जी, हां।

(घ) 24 सी-बैण्ड प्रेषानुकरों सहित जीसैट-5/इन्सैट-4डी को स्वदेशी क्रायोजेनिक चरण सहित जी.एस.एल.वी. की 5वीं उडान द्वारा प्रमोचित किया जायेगा। उपग्रह का उत्थापन द्रव्यमान 2200 किलो ग्राम होगा। ये प्रेषानुसार इन्सैट/जीसैट प्रणाली द्वारा आयोजित की जाने वाली सी-बैण्ड सेवाओं के लिए कक्षा में अतिरिक्त के रूप में कार्य करेंगे।

(ङ) जीसैट-5/इन्सैट-4डी को 2006 की तृतीय/चतुर्थ तिमाही में प्रमोचित किया जायेगा।

(च) सरकार ने जीसैट-5/इन्सैट-4डी उपग्रह के लिए 123.75 करोड़ रुपये की धनराशि स्वीकृत की है।

(छ) जी, हां।

(ज) जी, हां।

(झ) भारतीय अन्तरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो)/अन्तरिक्ष विभाग के वाणिज्यिक अंग एन्ट्रिक्स कार्पोरेशन लिमिटेड ने इटालियन अन्तरिक्ष एजेंसी के एक वैज्ञानिक उपग्रह "एजाइल" के प्रमोचन के लिए जनवरी, 2004 में कास्मास इन्टरनेशनल सेटेलाइटनस्टार्ट गम्बएच, जर्मनी के साथ एक ठेका किया है। इस उपग्रह का भार लगभग 350 किलो ग्राम होगा और इसे श्रीहरिकोटा प्रमोचन स्थल से भारतीय ध्रुवीय उपग्रह प्रमोचक राकेट का उपयोग करते हुए निर्दिष्ट परिशुद्धता सहित लगभग 550 किलो मीटर की ऊंचा पर लगभग भूमध्यरेखीय कक्षा में स्थापित किया जायेगा।

[अनुवाद]

डाक सुविधाएं

3183. श्री एम. शिवन्ना:
श्री महेन्द्र प्रसाद निषाद:
श्री राजाराम पाल:

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नई दिल्ली के द्वारका उपनगर में डाक सुविधाएं निर्धारित मानदण्डों के अनुरूप नहीं है;

(ख) द्वारका के विभिन्न सैक्टरों में वर्तमान में कार्य कर रहे डाक घरों की संख्या कितनी है;

(ग) क्षेत्र में इन सुविधाओं को बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(घ) क्या सरकार ने हमारे देश की जनसंख्या की तुलना में डाक घरों तथा डाक कर्मचारियों के अनुपात के संबंध में कोई अध्ययन किया है;

(ङ) यदि हां, तो प्रति हजार जनसंख्या के लिए कितने डाक कर्मचारियों की आवश्यकता है और सरकार का विचार इसे कब तक क्रियान्वित करने का है और वर्तमान में इसका अनुपात कितना है;

(च) क्या सरकार देश की जनसंख्या की तुलना में डाक घरों तथा डाक कर्मचारियों की संख्या बढ़ाने पर विचार कर रही है;

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ज) डाक घरों तथा डाक कर्मचारियों की संख्या आवश्यकतानुसार कब तक बढ़ाए जाने की संभावना है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) द्वारका में डाक सुविधाओं का उन्नयन इलाके के विकास और विस्तार को ध्यान में रखते हुए संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार चरणबद्ध रूप से किया जा रहा है। दो डाकघर एक द्वारका सेक्टर-6 और दूसरा नेताजी सुभाष प्रौद्योगिकी संस्थान में क्रमश: मार्च, 2002 और फरवरी 2000 में खोले गए थे।

(ख) तीन डाकघर अर्थात् द्वारका सेक्टर 6 डाक वितरण डाकघर, नेताजी सुभाष प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारका गैर-डाक वितरण डाकघर और राजनगर भाग-II गैर-डाक वितरण डाकघर (द्वारका सेक्टर-8 के नजदीक) विभिन्न सेक्टरों को सेवा प्रदान कर रहे हैं।

(ग) इस क्षेत्र की बढ़ती जरूरतों को पूरा करने के लिए योजनाबद्ध रूप से प्रयास किए जा रहे हैं। इसके लिए संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर चरणबद्ध रूप में अपेक्षित सुविधाएं प्रदान करने हेतु एक भावी योजना तैयार की जा रही है।

(घ) से (ज) डाकघर दूरी, आबादी और आय संबंधी मानदंडों को पूरा होने के आधार पर खोले जाते हैं। एक डाकघर औसतन 21.11 वर्ग कि.मी. क्षेत्र को सेवा प्रदान करता है। हालांकि कार्यबल केवल काम की मात्रा के हिसाब से उपलब्ध कराया जाता है, ना कि जनसंख्या के आधार पर। 31.3.04 की स्थिति के अनुसार विभाग में 2.5 लाख विभागीय कर्मचारी और 2.99 लाख अतिरिक्त विभागीय कर्मचारी 155669 डाकघरों में कार्यरत थे। विभागीय कर्मचारियों और विभागीय डाकघरों का अनुपात 9.63:1 है। मौजूदा कार्यभार मानदंडों के आधार पर स्थापना की नियमित समीक्षा की जाती है और जहां भी औचित्यसम्मत पाया जाता है वहां कार्यबल

में कटौती संबंधी सरकारी दिशा-निर्देशों के अनुपालन के पश्चात् पुनर्तैनाती के माध्यम से कार्यबल उपलब्ध कराया जा रहा है।

[हिन्दी]

इंटरनेट पर भारतीय सांस्कृतिक विरासत की कथित बिक्री

3184. श्री हेमलाल मुर्मू: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इंटरनेट पर प्राचीन भारतीय सांस्कृतिक विरासत की कथित बिक्री में लगे एक रैकेट का पर्दाफाश किया गया है जैसाकि 5 फरवरी, 2005 के हिन्दी ''दैनिक जागरण'' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा अब तक क्या कार्रवाई की गई है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो की ईओयू-VIII शाखा जो पुरावस्तुओं से संबंधित मामलों पर कार्य करती है, ने बिना किसी वैध लाइसेंस के www.konark.collectable.co. वेबसाइट पर पुरावस्तुएं बेचने के आरोप में दिनांक 2.2.05 को आरसी एसआईडी 2005 ई 002 दर्ज किया है। किन्तु, अन्य एजेंसियों द्वारा दर्ज किए गए मामलों के ब्यौरे एनसीआरबी से प्राप्त किए जा सकते हैं।

(ख) आरसी एसआईडी 2005 ई 002 दिनांक 2.2.05 को बछावत, प्रापराइटर्स मेसर्स कोनार्क कलेक्टेबल्स, 20 लिंडसे स्ट्रीट, कोलकाता, पश्चिम बंगाल के खिलाफ एएटी अधिनियम के 14(3) के साथ पठित आईपीसी की धारा 411 के अनुच्छेद 5 और अनुच्छेद 25(2) के अंतर्गत इस आरोप पर दर्ज किया गया है कि उनके पास अवैध रूप से ऐसी पुरावस्तुएं पाई गईं, जिन पर चोरी की होने का संदेह है और वे उन्हें बिना किसी लाइसेंस के अपनी वेबसाइट *** पर बेच रहे थे।

संयुक्त आकस्मिक जांच के फलस्वरूप ऐसी 22 वस्तुओं की वसूली/जब्त किया गया, जिनके पुरावस्तुएं होने का संदेह है।

(ग) इस मामले की इस समय जांच की जा रही है।

कुष्ठ रोग

3185. श्री पंकज चौधरी:
श्री जय प्रकाश (मोहनलाल गंज):

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारत में कुष्ठ रोगियों की संख्या कितनी है;

(ख) क्या विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा इस संबंध में कोई सर्वेक्षण किया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या कुष्ठ रोगियों की समस्याओं को सुलझाने के लिए एक बोर्ड गठित करने का विचार है; और

(ङ) यदि हां, तो देश से कब तक कुष्ठ रोग के उन्मूलन की संभावना है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) जनवरी, 2005 के अंत तक भारत में कुष्ठ रोगियों की अनंतिम संख्या 2.07 लाख है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता है।

(घ) ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ङ) विश्व स्वास्थ्य संगठन की कार्यनीति कुष्ठ रोग की व्याप्तता दर कम करके प्रति दस हजार लोगों पर एक से कम करने की है न कि पूर्ण उन्मूलन की। भारत का उद्देश्य दिसम्बर, 2005 तक राष्ट्रीय स्तर पर कुष्ठ रोग का उन्मूलन करना है।

[अनुवाद]

संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत उपयोग न की गई धनराशि

3186. श्री जी. करूणाकर रेड्डी:
श्री एस. अजय कुमार:

क्या **सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान वर्ष-वार तथा राज्य-वार संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (एम पी एल ए डी एस) के अंतर्गत आवंटित कितनी धनराशि का पूर्ण रूप से उपयोग नहीं किया गया;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान वर्ष-वार तथा राज्य-वार उक्त योजना के अंतर्गत कुल कितनी धनराशि आबंटित की गई तथा कितने प्रतिशत धनराशि का उपयोग किया गया;

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा स्वीकृत योजनाओं के क्रियान्वयन में विलम्ब के मुख्य कारण क्या हैं;

(घ) इस संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ङ) गत तीन वर्षों के दौरान सरकार द्वारा उधार ली गई राशि के लिए ब्याज के रूप में भुगतान की गई राशि का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है; और

(च) संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत धनराशि का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की जा रही है?

सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ऑस्कर फर्नांडिस): (क) और (ख) संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के शुरू से 31.3.2002, 31.3.2003 और 31.3.2004 तक योजना के अंतर्गत निधियों के अवमोचन, किए गए व्यय और उपयोग के प्रतिशत की राज्य-वार एवं वर्ष-वार स्थिति विवरण में दी गई है।

(ग) योजना के अंतर्गत संबंधित माननीय सांसद की अनुशंसा के आधार पर जिला प्रशासन द्वारा कार्य स्वीकृत किए जाते हैं एवं कार्यान्वित कराए जाते हैं। योजना के अंतर्गत कार्यों के कार्यान्वयन में विलंब के मुख्य कारण निम्नलिखित हैं-

(1) सांसदों से प्राप्त अनुशंसाओं पर जिला प्रशासन द्वारा प्रक्रिया में विलंब।

(2) संबद्ध कार्यकारी अभिकरणों द्वारा तकनीकी संवीक्षा एवं प्राक्कलनों की तैयारी में विलंब।

(3) जिला प्रशासन द्वारा वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति जारी करने में विलंब।

(4) केन्द्रक जिले से कार्यकारी जिले को निधियों के अंतरण में विलंब।

(5) भूमि अधिग्रहण में विलंब।

(घ) भारत सरकार, राज्य सरकारों एवं जिला प्रशासनों को दिशानिर्देशों के प्रावधानों, जिनमें कार्यों का प्रबोधन भी शामिल है, का अनुपालन करने और सांसदों द्वारा अनुशंसित कार्यों का शीघ्रता से कार्यान्वयन करने का परामर्श देता रहा है। जिला प्रशासनों को पात्र कार्यों की स्वीकृति निधियों के अवमोचन की प्रतीक्षा किए बगैर करने का परामर्श दिया गया है। संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना कार्यों संबंधी प्रबोधन साफ्टवेयर भारत सरकार द्वारा प्रमोचित कर दिया गया है ताकि विभिन्न स्तरों पर योजना कार्यान्वयन का उचित प्रबोधन किया जा सके। अनुशंसित कार्यों का त्वरित कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकारों और जिला प्रशासनों के साथ विशेष समीक्षा बैठकें आयोजित की गई हैं।

(ङ) आर्थिक मामले विभाग द्वारा प्राप्त सूचना के अनुसार भारत सरकार द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान लिए गए कुल ऋण पर कुल ब्याज का भुगतान निम्न प्रकार से किया गया है:-

(1) 2001-02 - रु. 114173 करोड़

(2) 2002-03 - रु. 124573 करोड़

(3) 2003-04 (अनंतिम) - रु. 128114 करोड़

(च) संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना निधि का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करने के उद्देश्य से सरकार को जिला प्रशासन से प्रत्येक माह स्थिति रिपोर्ट प्राप्त होती है। जिला प्रशासनों से अपने कार्यकारी अभिकरणों के साथ कार्यान्वयन की समीक्षा करने का अनुरोध किया गया है और लंबित कार्यों को पूर्ण करने के लिए पहले से जारी राशि के उपयोग के लिए तत्काल आवश्यक कार्रवाई करने का भी अनुरोध किया गया है। चालू वित्तीय वर्ष 2004-05 के दौरान सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों ने जम्मू एवं कश्मीर, पंजाब, महाराष्ट्र (नागपुर प्रभाग), पश्चिम बंगाल, दिल्ली संघ शासित प्रदेश चंडीगढ़, त्रिपुरा के जिला कलेक्टरों और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ निधियों के त्वरित उपयोग के लिए समीक्षा बैठकें की।

विवरण

योजना के प्रारंभ से 31.3.2002, 31.3.2003, 31.3.2004 तक लोक सभा और राज्य सभा के सदस्यों के लिए राज्यवार अवमोचित सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना निधियां, किया गया व्यय, अवमोचन पर उपयोग का प्रतिशत

(लाख रुपये में)

क्र.सं.	राज्य	1993-94 से निम्न वर्षों तक भारत सरकार द्वारा किया गया अवमोचन			किया गया व्यय			अवमोचन पर उपयोग का प्रतिशत		
		31.03.2002	31.03.2003	31.03.2004	31.03.2002	31.03.2003	31.03.2004	31.03.2002	31.03.2003	31.03.2004
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	नामित	10710	13600	16050	7727.1	10619.5	12322	72.1	78.1	76.77
2.	आंध्र प्रदेश	70685	82695	94895	55902.5	66700	78581	79.1	80.7	82.81

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.	अरूणाचल प्रदेश	3515	4215	4815	2958.9	3818.9	4593	84.2	90.6	95.40
4.	असम	23235	28555	33255	18201.3	23217.7	28581	78.3	81.3	85.95
5.	बिहार	66205	77235	88885	47538.6	60151.1	71916	71.8	77.9	80.91
6.	गोवा	3015	3615	4415	2173.8	2912.4	3301	72.1	80.6	74.76
7.	गुजरात	41625	49335	57085	29395.2	37126.9	44677	70.6	75.3	78.26
8.	हरियाणा	17315	20525	23575	14666	18103.9	21143	84.7	88.2	89.68
9.	हिमाचल प्रदेश	7935	9335	10735	5970.2	7557.4	9344	75.2	81.0	87.05
10.	जम्मू व कश्मीर	8250	10650	12850	4924.5	6669.5	8671	59.7	62.6	67.48
11.	कर्नाटक	46090	54000	62600	36264.3	43870.9	56003	78.7	81.2	89.46
12.	केरल	32875	38995	45345	20347.6	26762.4	33010	61.9	68.6	72.80
13.	मध्य प्रदेश	47740	55860	64460	38119.1	46757.9	56119	79.8	83.7	87.06
14.	महाराष्ट्र	76265	89875	103225	52793.8	67018	81872	69.2	74.6	79.31
15.	मणिपुर	3415	4215	4815	2878.7	3628.7	4449	84.3	86.1	92.39
16.	मेघालय	3015	3915	4615	2764.1	3526.5	4076	91.7	90.1	88.32
17.	मिजोरम	2410	2810	3210	2484.8	2778.7	3172	103.1	98.9	98.83
18.	नागालैंड	2410	2710	3210	2310	2610	2965	95.9	96.3	92.37
19.	उड़ीसा	35670	41700	48650	22202	28186.6	34568	62.2	67.6	71.05
20.	पंजाब	22095	25605	30955	14891.1	19759.2	23714	67.4	77.2	76.61
21.	राजस्थान	41295	48125	55075	33273.5	41053.9	48570	80.6	85.3	88.19
22.	सिक्किम	2400	2810	3110	1937.7	2512.6	2688	80.7	89.4	86.44
23.	तमिलनाडु	67535	78535	89785	57495.2	70110.8	84839	85.1	89.3	94.49
24.	त्रिपुरा	3515	4115	4715	1725.3	2915.6	3955	49.1	70.9	83.89
25.	उत्तर प्रदेश	130040	152670	176070	99275.8	123325.4	148918	76.3	80.8	84.58
26.	पश्चिम बंगाल	60405	71685	85485	38921.8	49369.8	60569	64.4	68.9	70.85
27.	अण्डमान एवं निको. द्वीप समूह	705	1205	1605	615.4	872.7	15.52	87.3	72.4	96.70
28.	चण्डीगढ़	1005	1205	1405	574.7	773.6	1378	57.2	64.2	98.09
29.	दादर एवं नगर हवेली	1105	1405	1605	776.9	1132.1	1503	70.3	80.6	93.67

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30.	दमन एवं दीव	1205	1405	1605	1058.3	1407.3	1490	87.8	100.2	92.87
31.	दिल्ली	10295	11995	14095	7288.1	8656.2	10966	70.8	72.2	77.80
32.	लक्षद्वीप	805	1205	1405	802.9	877.7	938	99.7	72.8	66.77
33.	पांडिचेरी	2410	2810	3210	1757.8	2255.9	2511	72.9	80.3	78.24
34.	छत्तीसगढ़	17145	20165	23765	13533.1	17490.7	19591	78.9	86.7	82.44
35.	उत्तरांचल	7725	9425	10875	5464	7109.3	8583	70.7	75.4	78.92
36.	झारखंड	17375	21575	26525	12004	15630.3	19808	69.1	72.4	74.68
		889440	1049780	1217980	661018.3	827270.2	1000938	74.3	78.8	82.18

पी.एन.डी.टी. अधिनियम का कार्यान्वयन

3187. श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 'प्री-नेटल डायग्नोस्टिक टेक्नीक्स रेग्यूलेशन एण्ड प्रिवेन्शन आफ मिस्यूजेज एक्ट' विद्यमान है;

(ख) यदि हां, तो बालिका भ्रूण हत्या को रोकने के लिए इस अधिनियम को प्रभावी रूप से कार्यान्वित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या आंध्र प्रदेश में ''क्रेडल बेबीज सेन्टर्स'' खोलने का कोई प्रस्ताव है जहां अनचाहे बच्चों, जिनमें अधिकांश बालिकाएं होती हैं, को छोड़ा जा सके; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) और (ख) जी, हां। प्रसवपूर्व निदान तकनीक अधिनियम के कार्यान्वयन की जिम्मेदारी राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों की है जो यह काम राज्य जिला एवं उप जिला स्तरों पर अधिनियम के तहत नियुक्त समुचित प्राधिकारियों के जरिए करते हैं। इस अधिनियम का उल्लंघन करने वालों को 5 वर्ष तक के कारावास और 5 लाख रुपए तक के जुर्माने की सजा दी जा सकती है और साथ ही लाइसेंस का पंजीकरण भी रद्द किया जा सकता है। फरवरी, 2005 तक देश में 25770 यूनिटों का पंजीकरण किया गया है। 300 न्यायालय/पुलिस मुकदमे चल रहे हैं तथा 33 मशीनों को जब्त/सील किया गया है। कुल 300 उल्लंघनों में से 214 उल्लंघन पंजीकरण नहीं कराए जाने के संबंध में हैं, 10 उल्लंघन रिकार्ड नहीं रखे जाने के संबंध में 24 उल्लंघन भ्रूण का लिंग बताने के संबंध में, तथा शेष, अधिनियम के अन्य उल्लंघनों के संबंध में हैं। इस समस्या से प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करके जमीनी वास्तविकताओं की जानकारी लेने के लिए केन्द्रीय स्तर पर राष्ट्रीय मानीटरिंग और निरीक्षण समिति गठित की गई है। विनिर्माताओं द्वारा अल्ट्रासाउण्ड मशीनों की बिक्री इस अधिनियम के तहत केवल पंजीकृत यूनिटों को ही की जा सकती है। अभियोजन स्तर पर इस अधिनियम के बेहतर कार्यान्वयन के लिए राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी, भोपाल को न्यायपालिका के प्रशिक्षण में लगाया गया है। इस अधिनियम के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रिंट एवं अन्य मीडिया यूनिटों के जरिए बहुत से कार्यकलाप किए जाते हैं।

तथापि, यह बात मानी गई है कि सामाजिक आचरण और पूर्वग्रह में जड़ें जमा चुकी इस समस्या से निपटने के लिए केवल कानून ही काफी नहीं है। रेडियो, दूरदर्शन और प्रिंट मीडिया यूनिटों के जरिए प्रसव-पूर्व लिंग निर्धारण और बालिका भ्रूण हत्या के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए विभिन्न कार्यकलाप किए गए हैं। इस सामाजिक बुराई के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए राज्य/क्षेत्रीय/जिला/खण्ड स्तरों पर स्वैच्छिक संगठनों के जरिए कार्यशालाएं और सेमिनार भी आयोजित किए जाते हैं। इस कार्य को रोकने के लिए धार्मिक नेताओं और चिकित्सा से जुड़े लोगों की सहायता भी मांगी गई है। भारत सरकार ने युवा लड़कियों की उपलब्धियों को उजागर करके बेटे की चाहत को कम करने के विचार से 'बालिका बचाओ अभियान' शुरू किया है। वर्ष 2003-04 के लिए सुश्री सानिया मिर्जा, टेनिस खिलाड़ी और 2004-05 के लिए अरूणा केसवान, सी बी एस ई टापर को इस अभियान के लिए ब्राण्ड एम्बेसेडर बनाया गया।

(ग) और (घ) आंध्र प्रदेश सरकार ने सूचित किया है कि वे सभी सरकारी अस्पतालों में पालना रखने संबंधी प्रस्ताव पर महिला विकास और बाल कल्याण विभाग के साथ चर्चा कर रहे हैं।

पोलियो कैम्प

3188. श्री राजेश वर्मा: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में गत तीन वर्षों के दौरान राज्य-वार कितने पोलियो कैम्प आयोजित किए गए;

(ख) देश में कैम्प आयोजित करने के बाद सामने आए पोलियो के मामलो की राज्य-वार संख्या कितनी है;

(ग) क्या गत तीन वर्षों के दौरान पोलियो के मामलों की संख्या में, उस अवधि की तुलना में जब ऐसे कैम्प आयोजित नहीं कराए जाते थे, कोई कमी आई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) लोगों में पोलियो के बारे में अधिक जागरूकता फैलाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पाणाबाका लक्ष्मी): (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान आयोजित किए गए पूरक रोग प्रतिरक्षण कार्यकलापों की संख्या का ब्यौरा विवरण-I में संलग्न है।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान पता लगाए गए पोलियो के मामलों की संख्या का ब्यौरा विवरण-II में संलग्न है।

(ग) और (घ) वर्ष 2002 के दौरान पोलियो के 1600 मामलों की सूचना दी गई जो वर्ष 2003 में यह संख्या घटकर 225 और वर्ष 2004 के दौरान और कम होकर 136 रह गई है। इस प्रकार देश में पिछले तीन वर्षों के दौरान पोलियो की संख्या में धीरे-धीरे कमी हो रही है। वर्ष 1995 में पोलियो अभियान शुरू करने से पहले वर्ष 1992, 1993 और 1994 के दौरान सूचित किए गए पोलियो के मामलों की संख्या क्रमश: 9390, 7576 और 6041 थी।

(ङ) जनता में पोलियो के बारे में और अधिक जागरूकता उत्पन्न करने के लिए जन प्रचार के साधनों (इलेक्ट्रानिक और प्रिंट मीडिया), अन्तर-वैयक्तिक सम्प्रेषण के लिए प्रत्येक अवसर का उपयोग किया जाता है। इलेक्ट्रानिक प्रचार साधन रेडियो और दूरदर्शन के नेटवर्क के बारे में सूचना, शिक्षा व सम्प्रेषण सामग्री को कवर करता है। प्रिंट प्रचार साधनों में देश (स्थानीय और राष्ट्रीय) में समाचार-पत्रों में विज्ञापन का प्रकाशन शामिल है। उपर्युक्त के अतिरिक्त, देश-भर में भीड़-भाड़ वाले महत्वपूर्ण स्थानों पर छोटी-छोटी पुस्तिकाओं, पोस्टरों, बैनरों और होर्डिंग का प्रदर्शन किया जाता है। इसके अतिरिक्त, गांवों में जागरूकता उत्पन्न करने के लिए पोलियो दौरों के दौरान माइकिंग (लाऊडस्पीकर से घोषणा करने हेतु) कार्यकलाप चलाए जाते हैं।

विवरण I

पिछले तीन वर्षों में देश में राज्य-वार आयोजित किए गए पोलियो शिविरों की संख्या

क्र.सं.	राज्य/संघ क्षेत्र	2002				2003						2004							
		एनआईडी	एसएनआईडी			एनआईडी		एसएनआईडी				एनआईडी					एसएनआईडी		
		20 जन.	3 मार्च	29 सित.	17 नव.	5 जनवरी	9 फरवरी	6 अप्रैल	1 जून	14 सित.	9 नव.	4 जन.	22 फरवरी	4 अप्रैल	10 अक्तूबर	21 नव.	9 मई	4 जुलाई	22 अगस्त
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1.	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	वाई				वाई	वाई					वाई	वाई	वाई	वाई	वाई			
2.	आंध्र प्रदेश*	वाई				वाई	वाई					वाई	वाई	वाई	वाई	वाई	वाई		
3.	अरूणाचल प्रदेश	वाई				वाई	वाई					वाई	वाई	वाई	वाई	वाई			
4.	असम	वाई	वाई			वाई	वाई					वाई	वाई	वाई	वाई	वाई			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
5.	बिहार	वाई		वाई	वाई	वाई	वाई	वाई	वाई	वाई	वाई	वाई	वाई	वाई	वाई	वाई	वाई	वाई	वाई
6.	चंडीगढ़	वाई				वाई	वाई					वाई	वाई	वाई	वाई	वाई			
7.	छत्तीसगढ़	वाई				वाई	वाई					वाई	वाई	वाई	वाई	वाई			
8.	दादर व नगर हवेली	वाई				वाई	वाई					वाई	वाई	वाई	वाई	वाई			
9.	दमन व दीव	वाई				वाई	वाई					वाई	वाई	वाई	वाई	वाई			
10.	दिल्ली*	वाई		वाई	वाई	वाई	वाई	वाई	वाई	वाई	वाई	वाई	वाई	वाई	वाई	वाई	वाई	वाई	
11.	गोवा	वाई				वाई	वाई					वाई	वाई	वाई	वाई	वाई			
12.	गुजरात	वाई				वाई	वाई	वाई	वाई	वाई	वाई	वाई	वाई	वाई	वाई	वाई	वाई		
13.	हरियाणा*	वाई				वाई	वाई					वाई	वाई	वाई	वाई	वाई	वाई	वाई	वाई
14.	हिमाचल प्रदेश	वाई				वाई	वाई					वाई	वाई	वाई	वाई	वाई			
15.	जम्मू व कश्मीर	वाई				वाई	वाई					वाई	वाई	वाई	वाई	वाई			
16.	झारखंड	वाई				वाई	वाई					वाई	वाई	वाई	वाई	वाई	वाई		वाई
17.	कर्नाटक*	वाई				वाई	वाई					वाई	वाई	वाई	वाई	वाई	वाई	वाई	
18.	केरल	वाई				वाई	वाई					वाई	वाई	वाई	वाई	वाई			
19.	लक्षद्वीप	वाई				वाई	वाई					वाई	वाई	वाई	वाई	वाई			
20.	मध्य प्रदेश	वाई				वाई	वाई					वाई	वाई	वाई	वाई	वाई	वाई		
21.	महाराष्ट्र*	वाई		वाई	वाई	वाई	वाई					वाई	वाई	वाई	वाई	वाई	वाई	वाई	वाई
22.	मणिपुर	वाई				वाई	वाई					वाई	वाई	वाई	वाई	वाई			
23.	मेघालय	वाई				वाई	वाई					वाई	वाई	वाई	वाई	वाई			
24.	मिजोरम	वाई				वाई	वाई					वाई	वाई	वाई	वाई	वाई			
25.	नागालैंड	वाई				वाई	वाई					वाई	वाई	वाई	वाई	वाई			
26.	उड़ीसा*	वाई				वाई	वाई					वाई	वाई	वाई	वाई	वाई		वाई	वाई
27.	पांडिचेरी	वाई				वाई	वाई					वाई	वाई	वाई	वाई	वाई			
28.	पंजाब	वाई				वाई	वाई					वाई	वाई	वाई	वाई	वाई			
29.	राजस्थान	वाई				वाई	वाई	वाई	वाई	वाई	वाई	वाई	वाई	वाई	वाई	वाई	वाई		
30.	सिक्किम	वाई				वाई	वाई					वाई	वाई	वाई	वाई	वाई			
31.	तमिलनाडु	वाई				वाई	वाई					वाई	वाई	वाई	वाई	वाई			
32.	त्रिपुरा	वाई				वाई	वाई					वाई	वाई	वाई	वाई	वाई			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
33.	उत्तर प्रदेश	वाई		वाई	वाई	वाई	वाई	वाई	वाई	वाई	वाई	वाई	वाई	वाई	वाई	वाई	वाई	वाई	वाई
34.	उत्तरांचल*	वाई				वाई	वाई	वाई	वाई	वाई	वाई	वाई	वाई	वाई	वाई	वाई	वाई	वाई	वाई
35.	पश्चिम बंगाल	वाई		वाई	वाई	वाई	वाई	वाई	वाई	वाई	वाई	वाई	वाई	वाई	वाई	वाई	वाई	वाई	वाई

वाई का अर्थ है - अयोजित किए गए शिविर
खाली स्थान का अर्थ है - कि कोई शिविर आयोजित नहीं किया गया।

विवरण II

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	5 मार्च, 2005 तक घातक पोलियो विषाणु		
		2002	203	2004
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	0	21	1
2.	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	0	0	0
3.	अरूणाचल प्रदेश	0	0	0
4.	असम	0	1	0
5.	बिहार	121	18	41
6.	चंडीगढ़	1	0	0
7.	छत्तीसगढ़	1	0	0
8.	दादरा व नगर हवेली	0	0	0
9.	दमन व दीव	0	0	0
10.	दिल्ली	24	3	2
11.	गोवा	0	0	0
12.	गुजरात	24	3	0
13.	हरियाणा	37	3	2
14.	हिमाचल प्रदेश	0	0	0
15.	जम्मू व कश्मीर	1	0	0
16.	झारखंड	12	1	0
17.	कर्नाटक	0	36	1

1	2	3	4	5
18.	केरल	0	0	0
19.	लक्षद्वीप	0	0	0
20.	मध्य प्रदेश	21	11	0
21.	महाराष्ट्र	6	3	3
22.	मणिपुर	0	0	0
23.	मेघालय	0	0	0
24.	मिजोरम	0	0	0
25.	नागालैंड	0	0	0
26.	उड़ीसा	4	2	0
27.	पांडिचेरी	0	0	0
28.	पंजाब	2	1	0
29.	राजस्थान	41	4	0
30.	सिक्किम	0	0	0
31.	तमिलनाडु	0	2	1
32.	त्रिपुरा	0	0	0
33.	उत्तरांचल	14	0	0
34.	उत्तर प्रदेश	1242	88	82
35.	पश्चिम बंगाल	49	28	2
	कुल	1600	225	136

[हिन्दी]

'कोर सेक्टर' में उत्पादन के स्तर को बढ़ाना

3189. श्री रामजीलाल सुमन:
डा. चिन्ता मोहन:

क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 'कोर सेक्टर' में उद्यमों को सकल घरेलू उत्पाद (जी डी पी) की दर को बढ़ाने के लिए उत्पादन के स्तर को बढ़ाने की आवश्यकता है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) 'कोर सेक्टर' में अब तक कौन-कौन से उद्यम शामिल किए गए हैं;

(घ) 'कोर सेक्टर' में सिंचाई क्षेत्र को न शामिल किए जाने के क्या कारण हैं;

(ङ) क्या कृषि के विकास के लिए सिंचाई प्रणाली का सुधार और विस्तार करना आवश्यक है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. राजशेखरन): (क) जी, हां। अर्थव्यवस्था को सतत रूप से प्रतिवर्ष कम से कम 7 से 8 प्रतिशत की दर से बढ़ने के लिए यह आवश्यक है कि कोर क्षेत्र उद्यमों को उनकी आन्तरिक विकास व रोजगार संभाव्यता का अहसास कराया जाए।

(ख) सरकार व्यापक नीतियों, कार्यक्रमों एवं परियोजनाओं के माध्यम से कोर क्षेत्रक को मजबूत बनाने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाने के लिए प्रतिबद्ध है।

(ग) कोर क्षेत्रक में एनटीपीसी, ओएनडीसी, आईओसी, बीपीसीएल, एचपीसीएल, जीएआईएल, सीआईएल, एसएआईएल, आरआईएनएल कुछ पहचान किए गए केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम है। यह संपूर्ण सूची नहीं हैं, दूसरे भी कोर क्षेत्रक में निवेश करने हेतु स्वतंत्र है बशर्ते कि क्षेत्रकीय मार्गदर्शी सिद्धान्तों का पालन हो।

(घ) से (च) कृषि ग्रामीण अवसंरचना का एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटक है, तथा कृषि के विकास के लिए सिंचाई प्रणाली में सुधार व विस्तार होना अनिवार्य है। इस क्षेत्रक पर उपयुक्त ध्यान देने के लिए, एक ग्रामीण अवसंरचना समिति गठित की गई है। राष्ट्रीय साझा न्यूनतम कार्यक्रम में कृषि की एक उच्चतम प्राथमिकता वाले क्षेत्रक के रूप में पहचान की गई है। 'अंतिम चरण' की सिंचाई परियोजनाओं को पूरा करने में त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम राज्य सरकारों को सहायता करता रहा है। इस कार्यक्रम हेतु बजट जो वर्ष 2004-05 में 2800 करोड़ रुपये था, पर्याप्त रूप से बढ़ाकर वर्ष 2005-06 में 4800 करोड़ रुपये कर दिया गया है। जल निकायों की मरम्मत, नवीकरण एवं बहाली की एक प्रायोगिक स्कीम का अनुमोदन किया गया है तथा वर्ष 2005-06 में 100 करोड़ रुपये उपलब्ध कराए गए हैं। कृषि में जल प्रयोग कार्यकुशलता में सुधार हेतु, माइक्रो सिंचाई को बढ़ावा दिया जा रहा है तथा इसके लिए वर्ष 2005-06 में 400 करोड़ रुपये उपलब्ध कराए गए हैं।

ननगंजी नदी पर चौड़े पुल का निर्माण

3190. श्री एस.के. खारवेनथन: क्या **पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को यातायात को सुगम बनाने के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग (एन एच 209-डिंडीगुल-पलानी-कोयम्बतूर-बंगलौर रोड) में आने वाली ननगंजी नदी पर एक नए चौड़े पुल के निर्माण हेतु अभ्यावेदन मिले हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार उक्त नदी पर एक नए पुल का निर्माण करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) जी हां।

(ख) से (ग) राज्य सरकार ने वार्षिक योजना 2005-06 में रा.रा. 209 के 33/2 कि.मी. में ननगंजी नदी पर नए और चौड़े पुल के निर्माण के प्रावधान को शामिल करने के लिए प्रस्ताव किया है। प्रस्ताव को शामिल करना धनराशि की उपलब्धता और कार्यों की पारस्परिक प्राथमिकता के अध्यधीन है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाएं

3191. श्रीमती करूणा शुक्ला:
डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाएं लगभग न के बराबर है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर कोई योजना बना रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस योजना कब तक क्रियान्वित किए जाने की संभावना है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) और (ख) नक्सल प्रभावित क्षेत्रों सहित देश में स्वास्थ्य सुविधाएं निम्नलिखित जनसंख्या मानदण्डों के आधार पर उपकेन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र और सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के त्रिस्तरीय नेटवर्क के जरिए प्रदान की जा रही हैं:-

जनसंख्या संबंधी मानदण्ड

केन्द्र	मैदानी क्षेत्र	पहाड़ी/आदिवासी/दुर्गम क्षेत्र
उपकेन्द्र	5000	3000
प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	30,000	20,000
सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र	1,20,000	80,000

सरकार को कुछ क्षेत्रों में स्वास्थ्य संबंधी आधारभूत सुविधा की कुछ कमियों के बारे में जानकारी है और वह प्राथमिकता के आधार पर मौजूदा कमियों को दूर करने के लिए संबंधित राज्य सरकारों को सलाह देती रही है।

(ग) से (ङ) सरकार ने हाल ही में पूरे देश में अप्रैल, 2005 से राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन को शुरू करने का अनुमोदन कर दिया है। इसके लिए 18 राज्यों, जिसमें 8 अधिकार सम्पन्न कार्य दल वाले राज्य (बिहार, झारखण्ड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल, उड़ीसा और राजस्थान), 8 पूर्वोत्तर राज्य (असम, अरूणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम एवं त्रिपुरा) हिमाचल प्रदेश और जम्मू व कश्मीर शामिल हैं, पर विशेष ध्यान दिया गया है। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का मुख्य उद्देश्य विशेषकर, निर्धन एवं असुरक्षित लोगों को पहुंच योग्य, वहनीय, दायित्वपूर्ण, प्रभावी एवं भरोसेमंद प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या प्रदान करना है।

[अनुवाद]

भारतीय डाक लेखा सेवा 1982 बैच का पैनल बनाना

3192. श्री जे.एम. आरून रशीद:
डा. राजेश मिश्रा:

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि प्रधान मंत्री कार्यालय ने 'सेन्ट्रल स्टाफिंग स्कीम' के अंतर्गत संयुक्त सचिव के पद हेतु भारतीय डाक लेखा सेवा के 1982 बैच का पैनल बनाने हेतु डी.ओ.पी.टी. को निर्देश जारी किए हैं;

(ख) यदि हां, तो भारतीय डाक लेखा सेवा के साथ-साथ पैनल बनाने के लिए भारतीय डाक सेवा (आई.पी.एस.), भारतीय वन सेवा तथा ग्रुप ए की अन्य सेवाओं पर विचार न करने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या आई.पी.एस. तथा ग्रुप ए की अन्य सेवाओं का केवल 1978 तक पैनल बनाया गया है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या सरकार का विचार पैनल बनाने के लिए भारतीय डाक लेखा सेवा के साथ-साथ आई.पी.एस. तथा ग्रुप ए की अन्य सेवाओं पर विचार करने का है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कार्मिक, लोक-शिकायत और पेंशन-मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश पचौरी): (क) जी, नहीं।

(ख) उपर्युक्त (क) के मद्देनजर, प्रश्न नहीं उठता।

(ग) से (छ) केन्द्रीय स्टाफिंग योजना के अंतर्गत संयुक्त सचिव/उसके समतुल्य पदों के लिए अखिल भारतीय सेवाओं और अन्य समूह "क" सेवाओं के अधिकारियों का पैनल, एक समूह के रूप में, उसी आबंटन वर्ष के अधिकारियों पर एक साथ विचार करके बनाया जाता है। पैनल बनाए जाने के मामलों में सेवाओं में कोई भेदभाव नहीं किया जाता। संवर्ग नियंत्रक प्राधिकारियों से जब भी प्रस्ताव प्राप्त होते हैं, उन पर मौजूदा अनुदेशों के तहत प्रक्रियात्मक कार्रवाई की जाती है।

पासपोर्ट संबंधी कार्य बाह्य स्रोत द्वारा कराना और इसका निजीकरण करना

3193. श्री एम.वी. वीरेन्द्र कुमार:
श्री पी. करूणाकरन:

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में पासपोर्ट संबंधित कार्य को बाह्य स्रोत से करवाने तथा इसका निजीकरण करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार को इस संबंध में अखिल भारतीय पासपोर्ट कर्मचारी संघ से कोई अभ्यावेदन मिला है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या इस मुद्दे पर देश के विभिन्न पासपोर्ट कार्यालयों में कार्यरत कर्मचारियों में असंतोष है और वे इस पर हड़ताल आदि कर चुके हैं; और

(च) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं/ उठाए जाने का प्रस्ताव है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (राव इन्द्रजीत सिंह): (क) नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) अखिल भारतीय पासपोर्ट कर्मचारी संघ सेवा मामलों से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर समय-समय पर अभ्यावेदन प्रस्तुत करता रहा है।

(ङ) इस मामले पर कर्मचारियों के बीच किसी तरह का असंतोष असंगत है क्योंकि सरकार ने पासपोर्ट जारी करने के कार्य का निजीकरण या आऊटसोर्स करने का कोई निर्णय नहीं लिया है। अखिल भारतीय पासपोर्ट कर्मचारी संघ ने इस मामले पर दिसंबर 2004 को हड़ताल पर जाने की बात की थी जो चूंकि अनुचित थी इसलिए लगभग एक हफ्ते बाद उनके द्वारा वापिस ले ली गई थी।

(च) सेवा मामलों से संबंधित कुछेक तर्कसंगत मुद्दों को पहले ही सुलझाया जा चुका है। कुछ अन्य मामलों में भारत सरकार के अन्य प्राधिकारियों से अनुमोदन की आवश्यकता है। इन मामलों को संबद्ध प्राधिकारियों के समक्ष निरंतर उठाया गया है।

महासागर विकास हेतु प्रस्ताव

3194. श्री रूपचन्द मुर्मू: क्या **महासागर विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान महासागर बिकास विभाग से संबंधित प्रस्ताव मिले हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) ये प्रस्ताव केन्द्र सरकार के पास कब से पड़े हैं और इनकी अद्यतन स्थिति क्या है;

(घ) इन प्रस्तावों को स्वीकृति दिए जाने में विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(ङ) इन प्रस्तावों को कब तक अनुमोदित किए जाने की संभावना है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा महासागर विकास विभाग के राज्य मंत्री (श्री कपिल सिब्बल): (क) और (ख) जी नहीं। राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत किए गए महासागर विकास विभाग से संबंधित प्रस्तावों का समर्थन करने का विभाग के पास कोई प्रावधान नहीं है।

(ग) से (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

केंद्रीय होम्योपैथी परिषद में चुनाव

3195. डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केंद्रीय होम्योपैथी परिषद के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में चुनाव कराना केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में पिछली बार में चुनाव कब किए गए थे;

(घ) क्या ये चुनाव निर्धारित अवधि में कराए जाते हैं;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) इस संबंध में संबद्ध अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) और (ख) केंद्रीय होम्योपैथी परिषद (सीसीएच), होम्योपैथिक केंद्रीय परिषद अधिनियम की धारा 3(1) के तहत उपबंधों के अनुरूप गठित की गई है। होम्योपैथिक केंद्रीय परिषद (निर्वाचन नियमावली) 1975 में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार, संबंधित राज्य सरकार की अनुशंसा पर केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त निर्वाचन अधिकारी तथा संबंधित विश्वविद्यालय के होम्योपैथी संकाय के रजिस्ट्रार द्वारा पंजीकृत होम्योपैथिक चिकित्साभ्यासियों के संबंध में निर्वाचन कराए जाते हैं।

(ग) से (च) सीसीएच का अंतिम निर्वाचन महाराष्ट्र और बिहार को छोड़कर सभी राज्यों में 1997-98 में कराए। एच सी सी अधिनियम, 1973 की धारा 7(1) के तहत उपबंधों के अनुसार केंद्रीय परिषद के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, अथवा सदस्य, निर्वाचन या नामांकन की तिथि से 5 वर्ष की अवधि के लिए, जैसी भी स्थिति हो, अथवा जब तक उनके उत्तराधिकारी विधिवत् रूप से निर्वाचित या नामित नहीं हो जाते, इनमें से जो भी अधिक हो, पद पर भार ग्रहण करते हैं।

राज्य सरकारों ने सी सी एच निर्वाचन शीघ्र कराने हेतु अनुरोध किया है।

सिम कार्ड क्लोनिंग

3196. श्री डी. विट्टल राव:
श्री सुरेश कलमाडी:

क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश के सभी भागों में सिम कार्ड की क्लोनिंग एक तेजी से बढ़ने वाला व्यवसाय बन गया है जैसा कि दिनांक 4 फरवरी, 2005 के "द हिन्दु" में समाचार प्रकाशित हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो सिम कार्ड क्लोनिंग को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) और (ख) जहां तक देश में ग्लोबल सिस्टम फार मोबाइल (जीएसएम) नेटवर्क का संबंध है, जिसके मोबाइल फोनों में सब्सक्राइबर आइडेंटिफिकेशन माड्यूल (सिम) कार्डों का उपयोग किया जाता है, अभी तक सिम कार्डों की क्लोनिंग की किसी घटना की सूचना नहीं मिली है। इसके अलावा, जीएसएम नेटवर्क में सिम कार्डों की क्लोनिंग की कोई शिकायत किसी भी सेवा प्रदाता द्वारा दूरसंचार विभाग अथवा भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण को नहीं भेजी गई है।

तथापि, कोड डिवीजन मल्टीप्लेक्स एक्सेस (सीडीएमए) मोबाइल फोनों की क्लोनिंग का मामला प्रकाश में आया है। सीडीएमए फोनों में सिम कार्ड नहीं होता है।

सिम कार्डों की क्लोनिंग देश की सुरक्षा के लिए चिंता का विषय हो सकता है। लेकिन नवीनतम प्रमाणन की ऐल्गोथ्मि विधि अपनाकर और धोखाधड़ी प्रबंधन प्रणाली के उपयोग द्वारा पहल शक्ति से मामलों का समय पर पता लगाकर क्लोनिंग की संभावनाओं को बहुत कम करके इससे बचा जा सकता है।

इस संबंध में, जीएसएम एसोसिएशन ने अपने सदस्यों में सुरक्षा संबंधी एल्गोथ्मि विधि पहले ही परिचालित कर दी है। नेटवर्क आपरेटरों के लिए सभी सिमकार्डों और अपने नेटवर्क में इसे डाल कर इसे ऐक्टिवेट करना अपेक्षित है। कुछ आपरेटरों ने अपने नेटवर्क में ऐसी ऐल्गोथ्मि विधि पहले ही डाल दी है।

अमरीका द्वारा वीजा मानकों को सरल बनाया जाना

3197. श्री बालासाहिब विखे पाटील: क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एक महत्वपूर्ण वीजा कठिनाई में छूट देते हुए अमरीका ने छात्रों, आदान प्रदान दौरा करने वालों, अस्थायी कामगारों, कंपनी में ही हस्तांतरित व्यक्तियों तथा पर्यटकों और व्यावसायिक यात्रियों सहित कतिपय मुख्य श्रेणियों के लिए वीजा स्वीकृति की वैद्यता को बढ़ाया है;

(ख) यदि हां, तो अमरीका वीजा मानकों में इस छूट द्वारा भारत को किस हद तक लाभ मिलेगा;

(ग) क्या इन श्रेणियों के नए वीजा धारकों को मूल वीजा की समाप्ति पर नए वीजा की आवश्यकता नहीं पड़ेगी; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (राव इन्द्रजीत सिंह): (क) अमरीका में कतिपय संवेदनशील वैज्ञानिक एवं तकनीकी क्षेत्रों में अध्ययन अथवा कार्य करने के लिए वीजा आवेदन वाशिंगटन डी सी में अंतर एजेंसी के अनुमोदन के अध्यधीन होते है जिसे वीजा मैन्टिस कहा जाता है। वीजा मैन्टिस अनुमोदन प्रक्रिया का उपयोग प्रौद्योगिकी के अवैध अंतरण की जांच के लिए किया जाता है। एक बार जब अनुमोदन प्रक्रिया पूरी हो जाती है और वीजा जारी कर दिया जाता है तो कोई व्यक्ति किसी अमरीकी प्रवेश केन्द्र से प्रवेश के लिए आवेदन कर सकता है। अमरीकी गृह सुरक्षा विभाग के साथ विचार-विमर्श करके अमरीकी विदेश विभाग ने वीजा मैन्टिस अनुमोदन की वैद्यता एफ (छात्र) से (आंगतुकों का आदान-प्रदान) एच (अस्थायी कार्मिक) एल (अंतर कंपनी स्थानांतरण) और ख (पर्यटन एवं वाणिज्य) श्रेणियों के वीजा के लिए भी बढ़ा दी गयी है।

(ख) वीजा मैन्टिस कार्यक्रम के अंतर्गत अमरीका जाने वाले भारतीय इस रियायत का लाभ उठा सकते हैं।

(ग) और (घ) इस रियायत का अर्थ है कि यदि मूल वीजा की अवधि समाप्त हो गयी है और अमरीका में पिछले अध्ययन अथवा कार्य पर लौटने के लिए नया वीजा आवेदन दिया जाता है तो दूसरे वीजा मैन्टिस अनुमोदन की आवश्यता नहीं होगी। तथापि, यदि आवश्यक हुआ तो अमरीकी कोंसली अधिकारियों को किसी वीजी अधिनिर्णय के दौरान वीजा मैन्टिस आबेदन देने का अनुरोध करने का अधिकार होगा। अंतर्राष्ट्रीय छात्र को, (एफ वीजा) जिन्हें वीजा मैन्टिस अनुमोदन प्राप्त हो गया है और वीजा जारी किया गया है, इस अनुमोदन के होने से लाभ होगा जो कि अनुमोदित शैक्षिक कार्यक्रम की पूरी अवधि से लेकर चार वर्षों की अधिकतम अवधि के लिए वैध होगा। यदि कोई छात्र शैक्षिक कार्यक्रम में

परिवर्तन करता है तो अनुमोदन वैध नहीं रहेगा। और यदि वह आवेदक नये वीजा के लिए आवेदन करता है तो एक नये वीजा मैन्टिस की आवश्यकता होगी। अस्थायी कार्मिकों (एच वीजा), आने-जाने वाले आगंतुकों (जे वीजा) और अंतर कंपनी स्थानांतरण पर व्यक्तियों (एल वीजा) को अपने अनुमोदित क्रियाकलाप की अवधि से लेकर अधिकतम दो वर्षों के लिए वैध वीजा मैन्टिस अनुमोदन प्राप्त हो सकता है। यदि अमरीका में वीजाधारक के कार्यों के स्वरूप में परिवर्तन होता है तो यह अनुमोदन वैध नहीं रहेगा और यदि आवेदक नये वीजा के लिए आवेदन करता है तो नये वीजा मैन्टिस समीक्षा की आवश्यकता होगी। व्यावसायिक आगंतुक (बी 1 वीजा) और पर्यटन आंगतुक (बी 2 वीजा) एक वर्ष के लिए वीजा मैन्टिस अनुमोदन प्राप्त कर सकते हैं बशर्ते कि वीजा आवेदन में उल्लिखित मूल उद्देश्यों के बाद के दौरों में परिवर्तन न आया हो।

[हिन्दी]

राज्यों में दूरसंचार सेवाओं में सुधार

3198. श्री शिवराज सिंह चौहान: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उत्तरांचल, मध्य प्रदेश तथा छत्तीसगढ़ में विद्यमान संचार प्रणाली अन्य राज्यों की तुलना में घटिया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) इन राज्यों में संचार प्रणाली में सुधार लाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान इन राज्यों में संचार प्रणाली के विकास पर कितनी धनराशि खर्च की गई?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) जी, हां।

(ख) उपर्युक्त भाग (क) के मद्देनजर प्रश्न नहीं उठता।

(ग) संचार व्यवस्था में और सुधार लाने की बाबत सेवाओं में सुधार करने हेतु चरणबद्ध रूप से निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:

(1) सभी एक्सचेंजों को विश्वसनीय डिजीटल माध्यम पर जोड़ना।

(2) भूमिगत पेपर कोर केबलों को चरणबद्ध तरीके से अन्य प्रणालियों द्वारा बदलना।

(3) ड्राप वायर को कम करने के लिए खंभा रहित नेटवर्क का निर्माण करना।

(4) और अधिक टेलीफोन एक्सचेंज [रिमोट स्विचन इकाइयां/ रिमोट लाइन इकाइयां (आरएसयू/आरएलयू)] खोलना जिससे एक्सचेंज क्षेत्र का आकार कम हो सके।

(5) भूमिगत केबल को कम करने के लिए वायरलेस इन लोकल लूप (डब्ल्यूएलएल), डिजीटल लाइन कन्सेन्ट्रेटरों का प्रयोग करना।

(6) सिंगल बेस माड्यूल (एसबीएम) को आरएसयू में बदलना।

(7) सी-डाट 256 पोर्ट एक्सचेंजों को एएन-आरएएक्स (एक्सेस नेटवर्क-ग्रामीण आटोमैटिक एक्सचेंजों) में बदलना।

(8) एसडीसीसी (अल्प दूरी प्रभारण केन्द्र)/एलडीसीसी (लम्बी दूरी प्रभारण केन्द्र) में दोष दर्ज करने की केन्द्रीकृत व्यवस्था।

(9) रखरखाव मुक्त बैटरी सेटों और बैक-अप बिजली आपूर्ति के लिए इंजिन अल्टरनेटर की व्यवस्था।

(10) फिक्स्ड वायरलेस टावरों (एफडब्ल्यूटी) सहित ग्रामीण क्षेत्र में कार्यरत डब्ल्यूएलएल उपस्करों के लिए वार्षिक रख-रखाव ठेका (एएमसी) किया जाना और नयी आपूर्ति में एएमसी का प्रावधान।

(11) अधिक टाक टाइम और स्टैंड बाई टाइम प्रदान करने के लिए डब्ल्यूएलएल-एफडब्ल्यूटी के साथ विस्तारित रख-रखाव मुक्त बैटरी का प्रावधान।

(12) 90-300 वोल्ट की वोल्टेज रेंज में कार्य करने वाला एफडब्ल्यूटी का बैटरी चार्जर।

(13) जीएसएम नेटवर्क क्षमता में उत्तरोत्तर रूप से वृद्धि।

(घ) विगत तीन वर्षों के दौरान उत्तरांचल, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्यों में संचार व्यवस्था के विकास पर खर्च की गई राशि नीचे दी गई है:-

क्र.सं.	राज्य का नाम	खर्च की गई राशि (करोड़ रुपए में)		
		2001-02	2002-03	2003-04
1.	उत्तरांचल	149.68	174.01	83.26
2.	मध्य प्रदेश	635.0	466.69	222.39
3.	छत्तीसगढ़	93.30	126.12	78.90

पासपोर्टों में द्विभाषिक प्रविष्टियां

3199. श्री संतोष गंगवार: क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में जारी किए जा रहे पासपोर्टों में किस भाषा में प्रविष्टियां की जा रही हैं;

(ख) क्या संसदीय राजभाषा समिति द्वारा क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय, दिल्ली के दिनांक 7 जनवरी, 2002 को किए गए निरीक्षण के दौरान यह सूचित किया गया था कि ये प्रविष्टियां द्विभाषिक रूप से की जाएंगी;

(ग) यदि हां, तो इसका अनुपालन न करने के क्या कारण हैं; और

(घ) इसे कब तक कार्यान्वित किए जाने की संभावना है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (राव इन्द्रजीत सिंह): (क) अंग्रेजी।

(ख) से (घ) मामले की विस्तृत जांच की गई है और फिलहाल तकनीकी कारणों से पासपोर्टों में द्विभाषी प्रविष्टियां करना संभव नहीं है।

[अनुवाद]

'इंटेल कारपोरेशन' के साथ भागीदारी

3200. श्री इकबाल अहमद सरडगी:
श्री रायापति सांबासिवा राव:
श्री आलोक कुमार मेहता:

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इंटेल कारपोरेशन के दूर दराज के गांवों को सस्ती तथा प्रभावी संचार और सूचना प्रौद्योगिकी सुविधाएं प्रदान करने के लिए संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के साथ भागीदारी की घोषणा की है;

(ख) यदि हां, तो इसके मुख्य बिन्दु क्या हैं; और

(ग) ग्रामीण क्षेत्रों के लिए यह किस हद तक मददगार होगी?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) जी, हां।

(ख) 18 नवम्बर, 2004 को हस्ताक्षर किए गए भागीदारी के संयुक्त बयान में इन व्यापक क्षेत्रों में सहयोग की रूपरेखा तैयार की गई है:

1. सूचना प्रौद्योगिकी को जनसाधारण तक पहुंचाना;
2. समर्थनकारी प्रौद्योगिकी प्रतिस्पर्धात्मकता; तथा
3. शिक्षा

(ग) यह ग्रामीण लोगों को सूचना क्रांति के लाभ देने में, सूचना प्रौद्योगिकी साक्षरता में तथा वैयक्तिक कम्प्यूटरों के प्रसार में वृद्धि करने में और अंकीय विभाजन कम करने में सहायक होगा।

भारत-पाक के बीच परमाणु स्थापनाओं पर सूचना का आदान-प्रदान

3201. श्री रायापति सांबासिवा राव: क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत और पाकिस्तान ने परमाणु स्थापनाओं और सुविधाओं के पत्रों का आदान-प्रदान किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस आदान-प्रदान के हर वर्ष जारी रहने की संभावना है; और

(घ) यदि हां, तो यह दोनों देशों के लिए किस सीमा तक सहायक होने की संभावना है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (राव इन्द्रजीत सिंह): (क) से (घ) पाकिस्तान और अगस्त, 1992 से भारत और पाकिस्तान के बीच नाभिकीय संस्थानों पर अनाक्रमण पर करार के अनुबंध-II के अंतर्गत प्रत्येक वर्ष की पहली जनवरी को एक-दूसरे के नाभिकीय संस्थानों की स्थिति के बारे में सूचना का आदान-प्रदान करते हैं। यह करार 31.12.1988 को संपन्न किया गया और 27 जनवरी 1991 को प्रभावी हुआ। भारत और पाकिस्तान के बीच विश्वासोत्पादन के लिए यह करार एक प्रमुख कदम है।

चिकित्सा महाविद्यालयों में अवसंरचनात्मक सुविधाएं

3202. **श्री जसुभाई दानाभाई बारड:** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को गुजरात के सरकारी चिकित्सा महाविद्यालयों और सम्बद्ध अस्पतालों में अवसंरचनात्मक सुविधाओं में सुधार हेतु कोई परियोजना प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसकी मौजूदा स्थिति क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) से (ग) विश्व बैंक निधि प्राप्त करने के लिए गुजरात सरकार की तरफ से सरकारी चिकित्सा महाविद्यालयों तथा संबद्ध अस्पतालों के भौतिक आधारभूत ढांचे का विकास करने तथा चिकित्सा शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए 19.97 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत का एक परियोजना प्रस्ताव प्राप्त हुआ था। आर्थिक मामले विभाग, योजना आयोग तथा विश्व बैंक के परामर्श से मंत्रालय द्वारा इसकी जांच की गई थी। आर्थिक मामले विभाग ने सूचित किया है कि इस समय विश्व बैंक निधि की व्यवस्था स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए रोग नियंत्रण, प्राथमिक स्वास्थ्य, परिवार कल्याण एवं प्रतिरक्षण के क्षेत्रों तक सीमित है। राज्य में चिकित्सा शिक्षा के विकास का गुजरात सरकार का प्रस्ताव भारत में स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए विश्व बैंक निधि की प्राथमिकताओं के अनुरूप नहीं है अत: इस पर विचार नहीं किया जा सकता था।

दूरसंचार सुविधाओं के साझा चार्टर को अंतिम रूप देना

3203. **श्री चन्द्रभूषण सिंह:** क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ने टेलीफोन कंपनियों द्वारा स्वयं विनियमन प्रदान करने के उद्देश्य से दूर संचार सेवाओं में साझा चार्टर को अंतिम रूप दे दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार इस चार्टर की नियमित अन्तराल पर समीक्षा और उन्नयन करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं;

(ङ) क्या टेलीफोन कंपनियों ने इस चार्टर पर अपनी सहमति प्रदान कर दी है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) जी, हां।

(ख) सामान्य चार्टर का पाठ और तत्संबंधी ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) और (घ) जी, हां। सामान्य चार्टर की पुनरीक्षा की जाएगी और ट्राई द्वारा इसमें आवश्यकतानुसार संशोधन किया जाएगा।

(ङ) जी, हां। ट्राई द्वारा विभिन्न प्रचालकों और उपभोक्ताओं के समूहों से परामर्श करके इसे अंतिम रूप दिया गया था।

(च) उपर्युक्त (ङ) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

दूरसंचार सेवाओं का सामान्य चार्टर, 2005

1. सभी सेवा प्रदाता नागरिकों के इस अधिकार को स्वीकार करें कि उन्हें अपने सेवा प्रदाताओं के चयन का मुक्त विकल्प प्राप्त है तथा प्रतिस्पर्धा की मूल भावना और उपभोक्ताओं को सेवा प्रदान करने की परंपरा के दृष्टिगत वे अपनी सेवाओं को संवर्धित करने के लिए सहमत हों;

2. सभी सेवा प्रदाता उपभोक्ताओं के शिक्षा, चयन, अभ्यावेदन करने और प्रतितोष प्राप्त करने के अधिकार को संवर्धन प्रदान करने के लिए सहमत हों;

3. सभी सेवा प्रदाता यह आश्वासन दें कि उनके उपभोक्ताओं की गोपनीयता (जो राष्ट्र की सुरक्षा को प्रभावित करने वाली नहीं हो) की निष्ठापूर्वक रक्षा की जाए;

4. सभी सेवा प्रदाता यह आश्वासन दें कि उनके उपभोक्ताओं को उनसे स्वयं या अपने प्राधिकृत प्रतिनिधियों के माध्यम से संपर्क स्थापित करने का अधिकार हो;

5. उपभोक्ताओं को सूचना और शिक्षा प्रदान करने के लिए सभी प्रदाता अपने उपभोक्ताओं को प्रस्तुत की जाने वाली सेवाओं के व्यापक रेंज, किसी एक समय पर उन्हें उपलब्ध अलग-अलग योजना, इनमें से प्रत्येक के संबंध में लागू प्रशुल्क दरों, उनकी वैधता, निबंधन और शर्तों, भुगतान की नीतियों, बिलिंग प्रक्रियाओं और

क्रियाविधियों तथा संगठन के भीतर स्थित वह केंद्र (संबंधित टेलीफोन नंबर सहित) जहां शिकायतों और बिलिंग संबंधी विवादों के निपटान हेतु उपभोक्ता प्रतितोष तंत्र से संबंधित जानकारी और स्पष्टीकरण उपलब्ध होगा, के बारे में सूचना प्रदान करने के लिए सहमत हों;

6. सभी सेवा प्रदाता जिम्मेदार कंपनी एग्जीक्यूटिव के साथ उपभोक्ताओं के व्यक्तिगत संपर्क की व्यवस्था करने पर सहमत हों तथा किसी विवाद के समाधान की प्रक्रिया में उस एग्जीक्यूटिव का नाम और पहचान बताई जाए और काल सेंटरों के माध्यम से ग्राहक सेवा केंद्र जैसी व्यवस्थाएं की जाएं;

7. सभी सेवा प्रदाता अपने बिलों के पीछे अपने उपभोक्ताओं को दोष संबंधी शिकायतों और बिल संबंधी विवादों के संबंध में उपभोक्ता शिकायत प्रतितोष प्रक्रिया के बारे में समय-समय पर जानकारी देने के लिए सहमत हों। वे ट्राई द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार, विवादों के समाधान के लिए भी सहमत हों;

8. सभी सेवा प्रदाता आवेदक को तकनीकी व्यवहार्यता के अध्यधीन पंजीकरण के 7 दिनों के भीतर बुनियादी टेलीफोन कनेक्शन तथा उपभोक्ता द्वारा सभी अपेक्षित औपचारिकताओं को पूरा करने के अध्यधीन तत्काल मोबाइल कनेक्शन प्रदान करने पर सहमत हों;

9. सभी सेवा प्रदाता जहां कहीं भी तकनीकी रूप से संभव हो, उपभोक्ता से प्राप्त दोष संबंधी शिकायतों को 24 घंटे के भीतर दूर करने पर सहमत हों;

10. सभी सेवा प्रदाता एक ही एक्सचेंज के भीतर उपभोक्ता से अनुरोध प्राप्त होने के 3 कार्य दिवसों के भीतर, एक ही शहर के भीतर स्थित एक्सचेंजों के संबंध में 5 कार्य दिवसों के भीतर और अलग-अलग शहरों के भीतर स्थित एक्सचेंजों के संबंध में 30 कार्य दिवसों के भीतर टेलीफोन एक्सचेंजों के स्थानांतरण पर तथा टेलीफोन कनेक्शन को बंद करने (काटने) का कार्य 3 कार्य दिवसों के भीतर पूरा करने पर सहमत हों। उपभोक्ता द्वारा अंतिम टेलीफोन बिल की अधिप्रमाणित प्रतिलिपि अनुरोध पत्र के साथ संलग्न की जाए;

11. सभी सेवा प्रदाता अपने बिलों में संबंधित काल और प्रशुल्क संबंधी ब्यौरे, भुगतान प्रक्रिया और उन स्थानों के नाम की सूची जहां उपभोक्ताओं द्वारा भुगतान किया जा सके, उपलब्ध कराने हेतु सहमत हों;

12. सभी सेवा प्रदाता अपने सभी सेवा क्षेत्रों में वैयक्तिक रूप से अथवा ई-मेल द्वारा भेजी गई शिकायतों को तत्काल तथा डाक द्वारा भेजी गई शिकायतों के प्राप्त होने के 24 घंटे के भीतर दर्ज करने हेतु सहमत हों;

13. सभी सेवा प्रदाता सभी प्रभारों और जमा राशियों का भुगतान करने का वचन देने वाले प्रत्येक नागरिक को नीचे परिभाषित उसकी पात्रता के अनुसार बिना भेद-भाव किए सेवा प्रदान करेंगे;

"इस खंड के प्रयोजनार्थ, एक नागरिक को 18 वर्ष से ऊपर की आयु के किसी व्यक्ति अथवा देश के कानूनों के अंतर्गत अनुमत्य किसी कार्य में संलग्न किसी संस्था, गैर-सरकारी संगठन अथवा व्यवसाय/मेला संगठन के रूप में परिभाषित किया जाएगा"

14. सभी सेवा प्रदाता निर्देशिका (डायरेक्टरी) संबंधी सूचना उपलब्ध कराने तथा टाल-फ्री (नि:शुल्क) नम्बर पर शिकायतें दर्ज करने हेतु सहमत हों;

15. सभी सेवा प्रदाता संगत इंटरकनेक्शन करार के अंतर्गत अपने संबंधित कानूनी दायित्व के अनुसार अपने उपभोक्ताओं को अपनी सेवाओं के मामले में संतोषजनक कनेक्टिविटी उपलब्ध कराने तथा यह सुनिश्चित करने हेतु सहमत हों ताकि खराब सेवा के कारण उपभोक्ताओं को परेशानी न उठानी पड़े;

16. सभी सेवा प्रदाता टीटीओ के अनुसार पुन:कनेक्शन प्रभार लगाने तथा अपने विवेकानुसार उसे माफ करने हेतु सहमत हों;

17. सभी सेवा प्रदाता टेलीफोन कनेक्शन को निलम्बित कर दिए जाने के बाद भी 15 दिन की अवधि के लिए पुलिस, अग्नि-शमन और एम्बुलेंस जैसी आपातकालीन सेवा, यदि तकनीकी रूप से व्यवहार्य हो, प्रदान करने हेतु सहमत हों जिसके दौरान आवक कालों की सुविधा की अनुमति हो।

18. सभी उपभोक्ता निर्धारित समय अवधि के भीतर सभी प्रकार की देय राशि का भुगतान करने हेतु सहमत हों;

19. सभी सेवा प्रदाता सेवा की गुणवत्ता के संदर्भ में ट्राई द्वारा निर्धारित बेंचमार्कों की न्यूनतम अपेक्षाओं को पूरा करने हेतु सहमत हों तथा विभिन्न समय अवधियों के दौरान सेवा के मानकों में और सुधार करने के लिए भी प्रतिबद्ध हों;

20. पारस्परिक सौजन्यता और आदर सेवा प्रदाताओं और उपभोक्ताओं के बीच किसी भी स्थाई संबंध का प्रतीक है तथा दोनों इन सिद्धांतों का अनुपालन करने हेतु सहमत हों।

यद्यपि यह चार्टर न्यायालय के विचार योग्य नहीं है, फिर भी सभी सेवा प्रदाता इस चार्टर में निहित सभी बिन्दुओं का अनुसरण करने तथा चार्टर का अनुपालन करने हेतु हर संभव प्रयास करने हेतु सहमत हों।

आई.सी.सी.आर. द्वारा भारतीय सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देना

3204. श्री बाडिगा रामकृष्णा: क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आई सी सी आर हमारी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को सम्पूर्ण विश्व में बढ़ावा देने और सुदृढ़ करने में असफल रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं;

(ग) अन्य देशों में भारतीय संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए उठाए गए प्रभावी कदम/उठाये जाने वाले कदमों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इसके लिए दसवीं पंचवर्षीय योजना में कितनी धनराशि निर्धारित की गई है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (राव इन्द्रजीत सिंह): (क) से (ग) भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद ने अपने बहुफलकीय कार्यक्रमों, के माध्यम से, जिनमें सांस्कृतिक टुकड़ियों का प्रयोजन, छात्रवृत्ति कार्यक्रम, विशिष्ट व्यक्तियों के दौरों का आदान-प्रदान, वाद्य यंत्र और पुस्तकों के उपहार प्रदर्शनियों, पत्रिकाओं के प्रकाशन, विदेशों में भारतीय पीठों की स्थापना, अध्यापकों की प्रतिनियुक्ति, सभ्य समाज वार्ताएं आदि शामिल है, विदेश में भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को सफलतापूर्वक प्रस्तुत किया है और संवर्द्धित किया है। विदेशों में सांस्कृतिक केन्द्रों के विशेष संदर्भ में भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के कार्यकलाप पर विदेश मंत्रालय की स्थायी संसदीय समिति की 31वीं रिपोर्ट (13वीं लोक सभा) में भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद द्वारा इन लक्ष्यों की प्राप्ति में अदा की गई भूमिका को स्वीकार किया गया है और सराहा गया है।

भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद अपने बजटीय परिव्यय के भीतर ही नई पहलों को करने के प्रति वचनबद्ध है।

(घ) 10वीं पंचवर्षीय योजना में भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद को दी गई निधियों का ब्यौरा दे पाना संभव नहीं है क्योंकि भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद अपना बजट विदेश मंत्रालय के राजस्व शीर्ष से अनुदान सहायता के रूप में प्राप्त करता है।

किराये के घरों में कार्यरत डाकघर/दूरभाष केन्द्र

3205. डा. अरूण कुमार शर्मा: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) असम में वर्तमान में विभागीय इमारतों में चल रहे डाकघरों और दूरभाष केन्द्रों की तुलना में किराये के घरों में चल रहे केन्द्रों का ब्यौरा क्या है;

(ख) विभागीय भवनों और डाकघरों के निर्माण हेतु प्राप्त प्रस्तावों और अंतिम रूप दी गई कार्य योजना का स्थानवार ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में निर्धारित लक्ष्यों, आवंटित धनराशि और ऐसी निर्माणाधीन परियोजनाओं की कार्यान्वयन संबंधी स्थिति का ब्यौरा क्या है; और

(ग) असम राज्य में दूरसंचार, सूचना प्रौद्योगिकी और डाक क्षेत्र में क्रियान्वयनाधीन नवीकरण योजनाओं, यदि कोई हो, का ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) 455 डाकघर किराए के भवनों में कार्यरत हैं जबकि 158 डाकघर विभागीय भवनों में काम कर रहे हैं।

टेलीफोन एक्सचेंजों के संबंध में सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ख) भरालुमुख, नलबाड़ी, धुबड़ी, धेमाजी और गोलपाड़ा नामक डाकघर भवन परियोजनाओं के 5 प्रस्ताव दसवीं पंचवर्षीय योजना में अनन्तिम रूप से शामिल है। इन भवन परियोजनाओं का दसवीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत ही शुरू होने और पूरे होने की संभावना है।

टेलीफोन एक्सचेंजों के संबंध में भवन परियोजनाओं के बारे में सूचना एकत्र की जा रही है और सभापटल पर रख दी जाएगी।

(ग) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान असम में डाक के क्षेत्र में कार्यान्वित होने वाली आधुनिकीकरण योजना का ब्यौरा विवरण में दिया गया है।

दूरसंचार और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में इस संबंध में सूचना एकत्र की जा रही है और सभापटल पर रख दी जाएगी।

विवरण

चालू वित्तीय वर्ष में असम राज्य में कार्यान्वित होने वाली आधुनिकीकरण योजना का ब्यौरा

क्र.सं.	स्कीम/कार्यकलाप का नाम	परिव्यय (करोड़ रुपए में)
1.	डाकघरों (एसपीसीएम को स्थापित करना), लेखा एवं प्रशासनिक कार्यालयों का कम्प्यूटरीकरण और साफ्टवेयर का विकास	1.63
2.	प्रचालनात्मक/कार्य प्रणाली (एर्गानामिक्स का विकास) का आधुनिकीकरण	0.26
3.	प्रीमियम उत्पादों का आधुनिकीकरण/उन्नयन	0.12
4.	फिलैटली का संवर्धन एवं उन्नयन	0.06
5.	सर्किल स्टैंप डिपुओं का आधुनिकीकरण	0.04
6.	प्रशिक्षण उपस्कर	0.20
7.	नए उत्पाद एवं सेवाएं-वित्तीय उत्पादों एवं सेवाओं का विकास	0.04
	कुल	2.35

अस्पतालों में शव गृहों की स्थिति

3206. श्री मनसुखभाई डी. वसावा: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि फोरेंसिक विज्ञान विशेषज्ञ द्वारा जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार राजधानी के सरकारी अस्पतालों के अधिकांश शव गृह उपस्करों की कमी की वजह से शव परीक्षा करने में असमर्थ हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इस संबंध में सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) से (घ) दिल्ली में केन्द्र सरकार के अस्पतालों अर्थात् सफदरजंग अस्पताल तथा लेडी हार्डिंग मेडिकल कालेज तथा सम्बद्ध अस्पतालों में शव परीक्षण करने के लिए मोर्चरियां अत्याधुनिक उपकरणों से युक्त हैं। तथापि डा. राम मनोहर लोहिया अस्पताल में शव परीक्षण सुविधा नहीं है।

बजटीय धनराशि का उपयोग न करना

3207. श्री एस. अजय कुमार: क्या **पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मंत्रालय आबंटित बजट की कुल धनराशि का उपयोग करने में असमर्थ रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान वर्ष-वार वापस की गई राशि कितनी है; और

(घ) इस संदर्भ में क्या कार्यवाही करने पर विचार किया जा रहा है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) से (घ) यह मंत्रालय पर्यावरण स्वीकृति प्राप्त करने और मूल्यांकन एजेंसियों से स्वीकृति प्राप्त करने में विलंब, मानदंड के अनुसार परियोजनाओं के कार्यान्वयन में ठेकेदारों की असफलता, सुविधाओं के स्थानांतरण में विलंब, राज्य सरकारों के लिए प्रतिपूर्ति में प्रक्रियागत विलंब और अलग-अलग परियोजनाओं से संबंधित अन्य विशिष्ट कारणों जैसे विभिन्न कारणों से पूर्ण बजट आबंटन का उपयोग नहीं कर सका है।

अप्रयुक्त धनराशि की मात्रा नीचे दी गई है:-

विवरण	बजट प्राक्कलन प्रावधान के संबंध में अप्रयुक्त धनराशि (करोड़ रु.)		
	2001-02	2002-03	2003-04
पोत परिवहन	183.97	277.76	298.53
सड़क परिवहन और राजमार्ग	896.74	793.24	1011.47

राज्य लोक निर्माण विभागों द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण कार्य के लिए प्रतिपूर्ति प्रक्रिया के स्थान पर प्रत्यक्ष भुगतान प्रक्रिया प्रारंभ की गई है। कार्य शुरू करने से पहले निर्माण पूर्व कार्य किए जाते हैं। निगरानी बैठकों द्वारा नियमित रूप से व्यय की आवधिक समीक्षा की जा रही है।

जीन्स डाटा बैंक

3208. श्री बी. विनोद कुमार: क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने जीन्स की पहचान करने और उनके पेटेंट को सुविधाजनक बनाने के लिए डाटा बैंक की स्थापना की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) 31 दिसम्बर, 2004 की स्थिति के अनुसार पहचान किये गए कुल जीन्स और पेटेंट किये गए जीन्स की कुल संख्या कितनी है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा महासागर विकास विभाग के राज्य मंत्री (श्री कपिल सिब्बल): (क) और (ख) जी नहीं, जीनों की पहचान करने और उनके पेटेंट को सुविधाजनक बनाने के लिए ऐसे किसी डाटा बैंक की स्थापना नहीं की गई है। वर्तमान में भारत में जीनों को पेटेंट नहीं किया जाता है। तथापि, नवीन जीन/डीएनए खंडों, जिनकी कुछ उपयोगिता होती है, को कुछ देशों में पेटेंट किया जाता है।

(ग) अभी तक भारतीय वैज्ञानिकों ने बायोटेक्नोलाजी विभाग द्वारा सहायता प्राप्त परियोजनाओं के माध्यम से लगभग 120 ऐसे जीनों की पहचान की है जिनकी क्रियाओं से वे अवगत हैं।

निजी अस्पतालों की पंजीकरण संबंधी रिपोर्ट

3209. श्री सीता राम यादव: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को निजी अस्पतालों के पंजीकरण संबंधी पुनरीक्षा समिति की रिपोर्ट प्राप्त हो गई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या निष्कर्ष हैं और इस पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) सरकार द्वारा पुनरीक्षा समिति के गठन के क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) केन्द्र सरकार ने निजी अस्पतालों के पंजीकरण संबंधी किसी समीक्षा समिति का गठन नहीं किया है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

सी.एस.आई.आर. के विभाग अध्यक्षों की नियुक्ति

3210. श्री विजय कुमार खंडेलवाल: क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सी.एस.आई.आर. के अंतर्गत विभाग/प्रकोष्ठों के अध्यक्षों हेतु विज्ञान विषयों में उच्च योग्यता वाले व्यक्तियों को ही नियुक्त किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो क्या विज्ञान विषयों में स्नातकोत्तर योग्यता नहीं रखने वाले व्यक्तियों को कुछ विभागों का अध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया है; और

(ग) यदि हां, तो इस स्थिति में सुधार के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा महासागर विकास विभाग के राज्य मंत्री (श्री कपिल सिब्बल): (क) सी.एस.आई.आर. की प्रयोगशालाओं में निदेशक और सी.एस.आई.आर. मुख्यालय में महानिदेशक वैज्ञानिक कार्य की व्यवस्था आवश्यकता के आधार पर प्रभावों/प्रकोष्ठों के माध्यम से करते हैं तथा प्रभागीय प्रधानों की नियुक्तियों हेतु शैक्षिक योग्यता के लिए कोई निर्धारित मार्गदर्शी सिद्धांत नहीं हैं।

(ख) जी, नहीं। सीएसआईआर मुख्यालय के वैज्ञानिक प्रभागों के प्रधान स्नातकोत्तर या उच्च योग्यताओं वाले हैं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

कैंसर रोगियों का उपचार

3211. श्री रघुनाथ झा: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली में प्रशिक्षित कर्मचारियों और मशीनों के अभाव में कैंसर रोगी उचित और संतोषजनक उपचार प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में उठाए गए/उठाए जाने वाले कदमों का ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) और (ख) सफदरजंग अस्पताल में आने वाले कैंसर रोगियों को प्रशिक्षित कार्मिकों और उपलब्ध मशीनों के द्वारा अपेक्षित उपचार प्रदान किया जाता है। तथापि, सुदृढ़ीकरण और उन्नयन एक सतत प्रक्रिया है। रेडियोथिरेपी विभाग दो रोटेशनल कोबाल्ट मशीनें और ब्राची थिरेपी सिस्टम प्राप्त कर रहा है। प्रशिक्षण कर्मचारियों की रिक्तियां, जो कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के 16.5.01 के कार्यालय ज्ञापन के कारण पहले नहीं भरी जा सकी थीं, उन्हें अब भरा जा रहा है।

[हिन्दी]

छत्तीसगढ़ में बी.एस.एन.एल. मोबाइल कनेक्शन

3212. श्री अजीत जोगी:
श्री विष्णु देव साय:

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 31 दिसंबर, 2004 की स्थिति के अनुसार छत्तीसगढ़ में बी.एस.एन.एल. के मोबाइल कनेक्शनों की संख्या कितनी है;

(ख) क्या छत्तीसगढ़ के सभी जिलों और तहसील मुख्यालयों में यह सेवा आरंभ की गई है;

(ग) यदि नहीं, तो इनकी संख्या कितनी है;

(घ) छत्तीसगढ़ में मोबाइल सेवा के विस्तार के लिए कौन-कौन सी योजनाएं तैयार की गई हैं;

(ङ) क्या छत्तीसगढ़ में बी.एस.एन.एल. के मोबाइल कनेक्शन मांग पर उपलब्ध हैं; और

(च) यदि नहीं, तो बी.एस.एन.एल. के मोबाइल कनेक्शन कब तक मांग पर उपलब्ध करा दिए जायेंगे?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) 31.12.2004 की स्थिति के अनुसार भारत संचार निगम लिमिटेड (बी.एस.एन.एल.) के मोबाइल कनेक्शनों की संख्या 32815 लाइनों की थी।

(ख) और (ग) बी.एस.एन.एल. ने छत्तीसगढ़ में अब तक समस्त 16 जिला मुख्यालयों को कवर करते हुए सेल्युलर सेवा प्रदान कर दी है और 81 तहसील मुख्यालयों (97 में से) को अभी सेल्युलर कवरेज प्रदान करना बाकी है।

(घ) बी.एस.एन.एल. ने हाल ही में छत्तीसगढ़ में 50,000 अतिरिक्त लाइनों द्वारा नेटवर्क की क्षमता का विस्तार किया है जिसे उत्तरोत्तर रूप से लोड किया जा रहा है और आगे वर्ष 2005-06 के दौरान इसकी 1,50,000 अतिरिक्त लाइनों द्वारा नेटवर्क का विस्तार करने की योजना है।

(ङ) जी, नहीं।

(च) मोबाइल कनेक्शनों के छ: महीने के भीतर मांग पर उपलब्ध हो जाने की संभावना है।

[अनुवाद]

तारापुर परमाणु ऊर्जा परियोजना

3213. श्री आनंदराव विठोबा अडसूल:
श्री तथागत सत्पथी:

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही में तारापुर परमाणु ऊर्जा परियोजना का 540 मेगावाट क्षमता वाला चौथा रियेक्टर आरम्भ किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) टीएपीपी-1, 2 और 3 द्वारा कितनी ऊर्जा का उत्पादन किया जा रहा है;

(घ) क्या सरकार की योजना 700 मेगावाट क्षमता वाले नाभिकीय ऊर्जा रियेक्टर के निर्माण की है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) इस पर कितनी धनराशि व्यय होने की सम्भावना है?

प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री पृथ्वीराज चव्हाण): (क) जी, हां।

(ख) यूनिट-4 की पहली क्रांतिकता (तारापुर परमाणु विद्युत परियोजना-3 तथा 4 के द्वि-यूनिट का पहला यूनिट), जो सभी प्रणालियों के कमीशन की द्योतक है, 6.3.2005 को प्राप्त की गई। इसके बाद, भौतिकी परीक्षण किए जाएंगे और यूनिट को ग्रिड के साथ जोड़ा जाएगा। वाणिज्यिक परिचालन के अगस्त, 2005 से शुरू होने की आशा है।

(ग) वर्ष 2003-04 में तारापुर परमाणु बिजलीघर-1 तथा 2 (2×160 मेगावाट-ई) द्वारा उत्पादित बिजली 2496 मिलियन यूनिट (एमयूज) थी। वर्ष 2004-05 में, फरवरी, 2005 तक, यह उत्पादन 2350 मिलियन यूनिट रहा है। यूनिट-3 (टीएपीपी-3 तथा 4 का दूसरा यूनिट) के वर्ष 2006-07 के दौरान पूरा किए जाने की योजना है।

(घ) जी, हां।

(ङ) भविष्य में देश में स्थापित किए जाने वाले दाबित भारी पानी रिएक्टर 700 मेगावाट-ई यूनिट आकार के होंगे। मूलभूत डिजायन कार्य पूरा कर लिया गया है। ब्यौरेवार डिजायन तैयार करने का काम शुरू कर दिया गया है और निर्माण-कार्य दसवीं योजनावधि के अंत तक शुरू किए जाने की योजना है।

(च) ब्यौरेवार डिजायन तैयार करने का काम पूरा हो जाने के बाद ही लागत अनुमानों को अन्तिम रूप दिया जाएगा।

भूमि संबंधी नीतियां

3214. श्री बृज किशोर त्रिपाठी:
श्री तथागत सत्पथी:

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या योजना आयोग के उपाध्यक्ष ने औचित्यहीन और सामर्थ्यहीन भूमि नीतियों पर चिन्ता व्यक्त की है जिनकी वजह से देश के शहरों की वृद्धि और विकास अवरुद्ध हो गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई योजना तैयार की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस पर सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. राजशेखरन): (क) से (ङ) दिनांक 4 मार्च, 2005 को राज्य पर्यटन मंत्रियों के सम्मेलन को संबोधित करते हुए उपाध्यक्ष, योजना आयोग ने वास्तविक सम्पदा और निर्माण क्षेत्रक में कम निवेश के लिए मुख्य अंशदायी कारक के रूप में राज्य की भूमि संबंधी नीतियों के बारे में चिंताई जताई थी। भूमि नीति राज्य का विषय है, जिसे संबंधित राज्य सरकार द्वारा देखे जाने की आवश्यकता है।

पूर्वोत्तर राज्यों में अवसंरचनात्मक विकास

3215. श्री किरिप चालिहा: क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को पूर्वोत्तर राज्यों में खराब बुनियादी ढांचे की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या दसवीं योजना के मध्यावधि मूल्यांकन से यह पता चला है कि अपर्याप्त संसाधन ऐसी स्थिति के लिए अधिकतर जिम्मेवार हैं;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार योजना अवधि के दौरान इस क्षेत्र में विकास की गति को तीव्र बनाने के लिए सड़कों, रेलवे, विद्युत और दूर-संचार क्षेत्रों के विकास हेतु पूर्वोत्तर राज्यों को अतिरिक्त धनराशि प्रदान करने पर विचार करेगी; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. राजशेखरन): (क) और (ख) सरकार पूर्वोत्तर राज्यों के प्रमुख क्षेत्रकों अर्थात् विद्युत, सड़क, रेल आदि में सुधार की आवश्यकता के प्रति जागरूक है।

(ग) से (ङ) दसवीं पंचवर्षीय योजना का मध्यावधि मूल्यांकन अभी पूरा नहीं हुआ है।

कृषि, ग्रामीण उद्योगों और खादी क्षेत्र में सुविधाओं का दुरुपयोग

3216. श्री अब्दुल रशीद शाहीन: क्या **कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कुछ संगठनों द्वारा कृषि एवं ग्रामीण उद्योगों और खादी क्षेत्र को दी गई सुविधाओं और रियायतों का दुरुपयोग किया जा रहा है;

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि कृषि, ग्रामीण और अति लघु क्षेत्र के एकक मिलों से उत्पाद को खरीदते हैं और खादी एवं ग्रामीण उद्योग क्षेत्र के नाम पर उनका विपणन करते हैं जिसके परिणामस्वरूप रोजगार सृजन में कोई वृद्धि नहीं होती है;

(ग) क्या सरकार कोई पर्यवेक्षण प्रणाली स्थापित करने पर विचार करेगी और अति क्षेत्र की वस्तुओं के विपणन को प्राथमिकता देगी; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

लघु उद्योग मंत्री तथा कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री (श्री महावीर प्रसाद): (क) कुछ संस्थानों को प्रत्यक्ष रूप से, साथ ही राज्य खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्डों के माध्यम से दी गई सुविधाओं और छूटों के दुरूपयोग के कुछ मामलों की सूचना सरकार को दी गई हैं।

(ख) खादी संस्थान मिल के कपड़े का सौदा (डील) नहीं करते। खादी के विक्रय और विक्रय से संबंधित सभी लेन-देन केवीआईसी की केन्द्रीय प्रमाणन कमेटी द्वारा प्रमाणित किए जाने तक सीमित हैं। इन वर्षों में ग्रामोद्योग और खादी, दोनों को मिलाकर सृजित हुए रोजगार में संतुलित वृद्धि हुई है, जिसका ब्यौरा नीचे दिया गया है:

वर्ष	रोजगार (लाख व्यक्ति)
2001-2002	62.64
2002-2003	66.64
2003-2004	71.19

(ग) और (घ) सरकारी विभागों को सप्लाई किए जाने वाली खादी उत्पादों के गुणवत्ता नियंत्रण की जांच पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय (डी जी एस एण्ड डी) के निरीक्षण खण्ड द्वारा की जाती है। देश के सभी खादी संस्थान अपने खादी कपड़े के नमूने, टैक्सटाइल कमेटी एक्ट, 1963 के अतंर्गत वस्त्र मंत्रालय द्वारा गठित एक सांविधिक स्वायत्तशायी निकाय के पास निरीक्षण के लिए नियमित रूप से भेजते हैं। इसके अलावा, खादी के लिए, केन्द्रीय प्रमाणन समिति और समेकित लेखा-परीक्षा की प्रणाली के रूप में के वीआईसी का एक आन्तरिक पर्यवेक्षक तंत्र पहले से ही स्थापित है। खादी और ग्रामोद्योग (केवीआई) क्षेत्र में प्रमाणित बिक्री केन्द्र केवीआई सैक्टर में उत्पादित खादी और पोलीवस्त्र के अतिरिक्त अन्य किसी चीज में सौदा नहीं करते हैं। वे केवीआईसी/केवीआईबी के द्वारा पंजीकृत उद्यमियों/संस्थानों से प्राप्त किए गए ग्रामोद्योग के उत्पाद भी बेचते हैं।

आगरा-जयपुर खंड को चार लेन का बनाना

3217. श्री दुष्यंत सिंह: क्या **पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास राष्ट्रीय राजमार्ग-11 के आगरा-जयपुर खंड को चार लेन का बनाने संबंधी प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो चार लेन की परियोजना की अनुमानित लागत कितनी है;

(ग) इस चार लेन की परियोजना के लिए अब तक कितनी धनराशि जारी की गई है; और

(घ) चार लेन के निर्माण कार्य को पूरा करने के लिए लक्षित तिथि क्या है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) जी हां। राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण-III के अंतर्गत बी ओ टी आधार पर राष्ट्रीय राजमार्ग-11 के आगरा-जयपुर खंड का उन्नयन करके चार लेन का बनाने का प्रस्ताव है।

(ख) परियोजना की अनुमानित लागत 928 करोड़ रु. है।

(ग) राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 11 के आगरा-जयपुर खंड को चार लेन का बनाने का कार्य अभी तक शुरू नहीं हुआ है। इस परियोजना के लिए अभी तक कोई धनराशि जारी नहीं की गई है।

(घ) इस खंड को मार्च, 2009 तक चार लेन का बनाए जाने की संभावना है।

[हिन्दी]

झारखण्ड में राष्ट्रीय जैव प्रौद्योगिकी संस्थान

3218. श्री भुवनेश्वर प्रसाद मेहता: क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार झारखण्ड में राष्ट्रीय जैव-प्रौद्योगिकी संस्थान स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में झारखण्ड सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यह संस्थान कब तक स्थापित होने की संभावना है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा महासागर विकास विभाग के राज्य मंत्री (श्री कपिल सिब्बल): (क) से (घ) जी नहीं, झारखण्ड में राष्ट्रीय जैव-प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना संबंधी ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। तथापि, "राज्य सरकार द्वारा पहचान की गई विशेष प्राथमिकता योजनाओं के लिए झारखण्ड में एक समय में अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (एसीए) प्रदान करना" जिसमें जैव-प्रौद्योगिकी पार्क भी शामिल है, संबंधी एक प्रस्ताव पर योजना आयोग द्वारा जैव-प्रौद्योगिकी विभाग को लिखा गया है। टिप्पणियां/विचार योजना आयोग को प्रस्तुत की गई हैं, जिसके लिए प्रस्ताव के संशोधन के लिए राज्य सरकार को सूचित कर दिया गया है।

गुजरात में डाक और टेलीग्राफ सुविधाएं

3219. श्री वी.के. दुग्मर: क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गुजरात में ऐसी ग्राम पंचायतों की जिले-वार संख्या कितनी है जिनमें डाक एवं टेलीग्राफ सुविधाएं नहीं हैं;

(ख) गत दो वर्षों के दौरान गुजरात में स्थापित 'पंचायत संचार-सेवा' और टेलीग्राफ कार्यालयों की संख्या कितनी है; और

(ग) गुजरात के सभी जिलों में ये सुविधाएं कब तक उपलब्ध कराये जाने की सम्भावना है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) पोस्टमेन के माध्यम से डाक वितरण, डाक संग्रहण और डाक-टिकटों तथा डाक लेखन सामग्री की बिक्री की सुविधा सभी गांवों में उपलब्ध है।

बहरहाल, गुजरात की उन ग्राम पंचायतों की जिलावार संख्या जहां डाकघर उपलब्ध नहीं हैं, विवरण में दी गई है। डाकघर खोलना एक अनवरत प्रक्रिया है। डाकघर जनसंख्या, दूरी और आय संबंधी मानदंडों के पूरा होने के आधार पर एक-दूसरे के नजदीक स्थित डाकघरों की पुनर्स्थापना के माध्यम से खोले जाते हैं।

गुजरात की उन ग्राम पंचायतों की सूचना जहां तारघर सुविधाएं नहीं हैं, एकत्र की जा रही है और सभापटल पर रख दी जाएगी।

(ख) और (ग) पिछले दो वर्षों के दौरान गुजरात में स्थापित पंचायत संचार सेवा और तारघरों का ब्यौरा तथा गुजरात के सभी जिलों को इन सुविधाओं से युक्त करने में लगने वाले समय की सूचना एकत्र की जा रही और सभापटल पर रख दी जाएगी।

विवरण

गुजरात की उन ग्राम पंचायतों का जिलावार ब्यौरा जहां डाकघर नहीं हैं

क्र.सं.	जिले का नाम	डाकघर रहित ग्राम पंचायतों की संख्या
1.	अहमदाबाद	195
2.	बनासकंठा	325
3.	गांधीनगर	60
4.	मेहसाणा	294
5.	पाटण	269
6.	साबरकंठा	102
7.	अमरेली	276
8.	भावनगर	420
9.	जामनगर	343
10.	जूनागढ़	404
11.	कच्छ	0
12.	पोरबंदर	72
13.	राजकोट	422
14.	सुरेंद्रनगर	346
15.	आनंद	130
16.	भड़ूच	173
17.	दहोड़	231
18.	डांग	0
19.	खोड़ा	213
20.	नर्मदा	61
21.	नवसारी	93
22.	पंचमहल	255
23.	सूरत	265
24.	वड़ोदरा	128
25.	वल्साड	92
	कुल	5169

प्राकृतिक संसाधन सांख्यिकी प्रबन्धन प्रणाली

3220. श्रीमती कल्पना रमेश नरहिरे: क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या प्रचुर प्राकृतिक संसाधनों वाले सभी जिलों को प्राकृतिक संसाधन सांख्यिकी प्रबन्धन प्रणाली में सम्मिलित कर लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इन जिलों को उक्त प्रणाली में कब तक सम्मिलित किये जाने की संभावना है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा महासागर विकास विभाग के राज्य मंत्री (श्री कपिल सिब्बल): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) चल रहे कार्यक्रमों का विवरण निम्नलिखित है:

प्राकृतिक संसाधन आंकड़ा प्रबन्धन प्रणाली (एनआरडीएमएस), स्थानिक आंकड़ा आधार के लिए कार्यक्रम का सृजन विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा देश के 52 जिलों में किया गया था। एनआरडीएमएस कार्यक्रम स्थानिक आंकड़ा आधारों तथा आधुनिक उपकरणों जैसे भौगोलिक सूचना प्रणाली (जीआईएस), ग्लोबल पोजीशनिंग प्रणाली तथा सुदूर संवेदन का उपयोग कर निर्णय में सहायता हेतु अनुसंधान जानकारियां उपलब्ध कराता है। सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय सूचना केन्द्र ने अधिकांश जिलों में डीएसआईएनआईसी (जिला सूचना प्रणाली) नामक एक कार्यक्रम तैयार किया है और अंतरिक्ष विभाग द्वारा भी लगभग 200 जिलों में प्राकृतिक सूचना संसाधन प्रणाली (एनआईआरएस) को जिला स्तर पर सहयोग प्रदान किया जा रहा है।

[अनुवाद]

टेलीफोन सर्किलों में कर्मचारियों की कमी

3221. श्री असादुद्दीन ओवेसी: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) फरवरी, 2005 की स्थिति के अनुसार आंध्र प्रदेश में टेलीफोन सर्किलों की संख्या कितनी है;

(ख) क्या यह सच है कि प्रत्येक सर्किल में कर्मचारियों की भारी कमी है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा रिक्त पदों को तत्काल भरने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जा रहे हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) एक।

(ख) जी, नहीं।

(ग) उपर्युक्त भाग (ख) को देखते हुए लागू नहीं होता।

(घ) उपर्युक्त भाग (ग) को देखते हुए लागू नहीं होता।

निरीक्षकों के वेतनमानों में वृद्धि

3222. श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु: क्या **प्रधानमंत्री** 18 अगस्त, 2004 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3070 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने भारत सरकार (कार्य संव्यवहार) नियम, 1961 के अनुसार सी.बी.डी.टी./सी.बी.ई.सी. के निरीक्षक संवर्ग के वेतनमानों में वृद्धि करने से पूर्व कार्मिक और प्रशिक्षण-विभाग से आवश्यक सुझाव मांगा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) वेतनमानों में वृद्धि के समय सी.बी.डी.टी./सी.बी.ई.सी. के निरीक्षक संवर्गों की स्वीकृत संख्या का सी.बी.डी.टी. और सी.बी.ई.सी. के लिए पद-वार अलग-अलग ब्यौरा क्या है; और

(ङ) वेतनमानों में वृद्धि के वित्तीय प्रभाव का ब्यौरा क्या है?

कार्मिक, लोक-शिकायत और पेंशन-मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश पचौरी): (क) से (ङ) इस बारे में जानकारी एकत्र की जा रही और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

कुष्ठ प्रशिक्षण संस्थान

3223. श्री बापू हरी चौरे: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) महाराष्ट्र में कितने कुष्ठ प्रशिक्षण संस्थान हैं;

(ख) उन शहरों के क्या नाम हैं जहां पर इन संस्थानों को स्थापित किया गया है और इनमें कितने कुष्ठ रोगियों का उपचार किया गया है;

(ग) क्या सरकार का विचार कुछ अन्य स्थानों पर भी ऐसे संस्थानों को स्थापित करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) महाराष्ट्र में केन्द्रीय सरकार द्वारा चलाया जा रहा कोई कुष्ठ अस्पताल नहीं है। तथापि, महाराष्ट्र में राज्य सरकार द्वारा चलाए जा रहे पांच कुष्ठ प्रशिक्षण संस्थान और दो गैर-सरकारी प्रशिक्षण संस्थान हैं।

(ख) पांच सरकारी कुष्ठ प्रशिक्षण संस्थान पुणे, शोलापुर, नागपुर, नांदेड और जलगांव में तथा दो गैर-सरकारी कुष्ठ प्रशिक्षण संस्थान वर्धा और मिराज में स्थापित किए गए हैं। ये संस्थाएं कुष्ठ रोगियों का इलाज नहीं करती हैं लेकिन प्रशिक्षण प्रदान करती हैं। कुष्ठ का उपचार प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों, ग्रामीण अस्पताल केन्द्रों और सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों तथा नगर निगम विभाग आदि जैसे स्वास्थ्य सुविधा केन्द्रों में प्रदान किया जाता है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम सामान्य स्वास्थ्य परिचर्या सेवाओं के साथ मिलाया गया है। महाराष्ट्र में कुष्ठ की व्याप्तता दर 1981 में प्रति 10,000 लोगों पर 62 थी, वह अब फरवरी, 2005 में कम होकर प्रति 10,000 लोगों पर 1.94 रह गई है।

[अनुवाद]

जामनगर में विज्ञान केन्द्र

3224. श्री विक्रमभाई अर्जनभाई माडम: क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार अहमदाबाद स्थित विक्रम साराभाई समुदाय विज्ञान केन्द्र की तर्ज पर गुजरात में जामनगर में एक विज्ञान केन्द्र की स्थापना का है;

(ख) यदि हां, तो इसे कब तक स्थापित किए जाने की संभावना है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा महासागर विकास विभाग के राज्य मंत्री (श्री कपिल सिब्बल): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जामनगर में विज्ञान केन्द्र स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

[हिन्दी]

लघु उद्योग इकाइयों के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र

3225. श्री राकेश सिंह:
श्री सुभाष सुरेशचंद्र देशमुख:

क्या **लघु उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उद्यमियों को लघु उद्योग स्थापित करने से पहले विभिन्न प्रशासनिक विभागों से अनापत्ति प्रमाण पत्र लेना पड़ता है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे कितने विभाग हैं;

(ग) क्या सरकार लघु उद्योग स्थापित करने की प्रक्रिया को सरल बनाने पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

लघु उद्योग मंत्री तथा कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री (श्री महावीर प्रसाद): (क) और (ख) जी, हां। यद्यपि लघु उद्योगों का पंजीकरण स्वैच्छिक है, उन उद्यमी को, जो लघु उद्योगों की स्थापना की दृष्टि से स्थायी पंजीकरण प्राप्त करना चाहते हैं, सक्षम प्राधिकरण से आवश्यक स्थानिक क्लियरेन्स तथा साथ ही साथ लागू प्रचलित कानूनों, विनयमों एवं नियमों के तहत विनिर्माण/कार्यकलाप पूरे करने के लिए अपेक्षित अन्य वैधानिक क्लियरेन्स/अनापत्ति प्रमाण पत्र/अनुमति प्राप्त करनी होती है। विनिर्मित किए जाने वाले उत्पाद अथवा किए जाने वाले कार्यकलाप तथा उद्योग की स्थिति पर निर्भर करते हुए इस प्रकार की क्लियरेन्स/अनापत्ति प्रमाणपत्र की संख्या अलग-अलग हो सकती है।

(ग) और (घ) विद्यमान प्रक्रिया का सरलीकरण एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है और समय-समय पर उपयुक्त परिवर्तन लाने के लिए, केन्द्र सरकार का सदैव राज्य सरकारों, उद्योग संघ आदि से परामर्श करने का प्रयास रहता है।

[अनुवाद]

केन्द्रीय सतर्कता आयोग द्वारा प्ररूप का विकास

3226. **श्री तुकाराम गणपतराव रेंगे पाटील:**
श्री बीर सिंह महतो:

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय सतर्कता आयोग ने एक ऐसे प्ररूप का विकास किया है जिससे किसी भी शिकायत का निपटारा चार सप्ताह में किया जा सकता है;

(ख) यदि हां, तो इस प्ररूप के विकास के बाद ऐसे कितने मामले हैं जिनका निपटारा एक सप्ताह के अंदर किया गया है;

(ग) क्या केन्द्रीय सतर्कता आयोग को कई विभागों में भ्रष्टाचार के अनेक मामलों का पता चला है और इसके प्रयासों के परिणामस्वरूप अनेक न्यायिक अधिकारियों तथा विभिन्न विभागों में कार्यरत बड़े और छोटे अधिकारियों को गिरफ्तार किया गया है;

(घ) यदि हां, तो सरकार भ्रष्टाचार को रोकने के लिए केन्द्रीय सतर्कता आयोग को किस सीमा तक सहायता प्रदान कर रही है; और

(ङ) इस सहायता के परिणामस्वरूप क्या परिणाम प्राप्त हुए हैं?

कार्मिक, लोक-शिकायत और पेंशन-मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश पचौरी): (क) जी हां।

(ख) केन्द्रीय सतर्कता आयोग की नीति है कि जहां तक संभव हो शिकायतों का निपटारा चार सप्ताह के अन्दर कर दिया जाए।

(ग) जी, हां। भ्रष्टाचार की शिकायतों पर केन्द्रीय सतर्कता आयोग की कार्रवाई के परिणामस्वरूप कई अवसरों पर न्यायिक अधिकारियों के सिवाय, केन्द्रीय सतर्कता आयोग के क्षेत्राधिकार में आने वाले लोक सेवकों की गिरफ्तारी हुई।

(घ) भ्रष्टाचार को रोकने के लिए केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो तथा विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के मुख्य सतर्कता अधिकारियों की सेवाएं केन्द्रीय सतर्कता आयोग को सुलभ है।

(ङ) पिछले तीन वर्षों में केन्द्रीय सतर्कता आयोग द्वारा निपटाई गई शिकायतें निम्नवत हैं:-

वर्ष	प्राप्त शिकायतें	निपटाई गई शिकायतें
2002	17709 (पिछले वर्ष की अग्रानीत सम्मिलित हैं)	17744
2003	12362 (पिछले वर्ष की अग्रानीत सम्मिलित हैं)	12131
2004	10966 (पिछले वर्ष की अग्रानीत सम्मिलित हैं)	10592

निजी कोरियर कंपनियां

3227. **श्रीमती भावना पुंडलिकराव गवली:** क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में निजी कोरियर कंपनियों की हिस्सेदारी और इससे डाकतार सेवा पर पड़े प्रभाव का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का विचार निजी कोरियर कंपनियों पर नियंत्रण हेतु एक प्राधिकरण गठित करने का है;

(ग) यदि हां, तो डाक विभाग में ''संचार सेवक'' की क्या अवधारणा है और इस योजना को कब तक क्रियान्वित किए जाने की संभावना है;

(घ) दूरसंचार संकल्पना प्रौद्योगिकी दूरसंचार क्षेत्र के सुधार में किस प्रकार सहायक होगी; और

(ङ) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) भारत में निजी कुरियर एक अनियंत्रित वातावरण में कार्य कर रहे हैं। अत: इन कुरियर कम्पनियों का विवरण डाक विभाग के पास उपलब्ध नहीं है।

(ख) भारतीय डाकघर (संशोधन) विधेयक, 2005 को अभी अंतिम रूप दिया जाना है। फरवरी, 2004 को व्यपगत हुए भारतीय

डाकघर (संशोधन) विधेयक, 2002 में यह प्रस्तावित था कि कूरियरों का पंजीकरण किया जाए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सभी परिचालकों के लिए बराबरी की स्थिति हो तथा सेवा की गुणवत्ता और ग्राहकों के अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए।

(ग) भारत संचार निगम लि. (बीएसएनएल) ने डाक विभाग के सहयोग से 24.12.2002 को एक प्रायोगिक योजना शुरू की है जिसके अंतर्गत डाक विभाग के ग्रामीण डाक सेवक वितरण एजेंट (जीडीएसडीए) के माध्यम से गांवों में टेलीफोन सुविधा उपलब्ध कराई गई है। इन एजेंटों को ग्रामीण संचार सेवक भी कहा जाता है। ये लोग ग्रामीण जनता को टेलीफोन सुविधा प्रदान करने के लिए कैरी बैग में डिसप्ले यूनिट सहित मोबाइल फिक्स्ड वायरलेस टर्मिनल (एफडब्ल्यूटी) लेकर ग्रामीण डाक सेवकों के रूप में अपनी-अपनी बीट के अंतर्गत गांव में घर-घर जाते हैं। भारत संचार निगम लि. द्वारा उपस्करों की आपूर्ति की गई है। प्रायोगिक योजना के अंतर्गत 1800 ग्रामीण संचार सेवकों को वर्तमान ''वायरलेस इन लोकल लूप नेटवर्क'' का इस्तेमाल करते हुए देश के लगभग 8000 गांवों को कवर करने के लिए चुना गया है। यह योजना मौजूदा एसटीडी/आईएसडी पीसीओ फ्रैंचाईजी आधार पर लागू है। इस योजना को अण्डमान व निकोबार, हरियाणा और पंजाब टेलीकाम सर्किलों को छोड़कर पूरे देश में लागू कर दिया गया है। 31.01.2005 तक 2668 जीएसएस के माध्यम से देशभर के लगभग 11,291 गावों को कवर किया जा रहा है।

(घ) टेलीकाम रेजोलूशन टेक्नालाजी नामक कोई प्रौद्योगिकी नहीं है।

(ङ) उपर्युक्त (घ) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

मांग पर टेलीफोन

3228. श्री सुनिल कुमार महतो:
श्री बीर सिंह महतो:

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश में विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में मांग पर टेलीफोन प्रदान करने का है;

(ख) क्या सरकार ने ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में कम लागत वाली, न्यूनतम रख-रखाव, सस्ती और विश्वसनीय प्रौद्योगिकी प्रदान करने संबंधी व्यवहार्यता का निरीक्षण किया है;

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(घ) इस संबंध में आज की तारीख तक कितनी प्रगति हुई है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) प्रशासक, सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि के कार्यालय ने उन पात्र 1685 कम दूरी प्रभारण क्षेत्रों (एसडीसीए) में ग्रामीण घरेलू सीधी एक्सचेंज लाइनें (आरडीईएल) प्रदान करने की बाबत राजसहायता प्रदान करने के लिए सफल बोलीदाताओं के साथ करार किए हैं जहां टेलीफोन प्रदान करने की लागत अर्जित राजस्व से अधिक है। करार की शर्तों के अनुसार, सफल बोलीदाताओं को करार की प्रभावी तारीख के छ: महीने के भीतर प्रति गौण स्विचन क्षेत्र (एसएसए) में कम से कम 100 लाइनें प्रदान करनी चाहिए। तत्पश्चात् इन 1,685 एसडीसीए में प्रतीक्षा सूची में दर्ज सभी उपभोक्ताओं को तीन महीने की अवधि के भीतर टेलीफोन प्रदान किए जाने चाहिए।

(ख) और (ग) भारत संचार निगम लिमिटेड, जो सफल बोलीदाताओं में से एक है, ने किफायती रूप से वायर्ड लाइनों पर कवर न किए जा सकने वाले दूर-दराज के क्षेत्रों को वायरलेस इन लोकल लूप (डब्ल्यूएलएल) प्रौद्योगिकी लगाकर कवर करने की योजना बनायी है। डब्ल्यूएलएल प्रौद्योगिकी का लाभ यह है कि इसमें बाह्य संयंत्र हटा देने के कारण रख-रखाव की कम समस्याओं के साथ अपेक्षाकृत व्यापक कवरेज होता है।

(घ) बीएसएनएल द्वारा प्रदान किए गए कुल 65,62,687 ग्रामीण टेलीफोन कनेक्शनों में से 01.04.2001 से 30.01.2005 तक डब्ल्यूएलएल पर 10,45,680 टेलीफोन प्रदान किए गए हैं।

[हिन्दी]

प्रभावी दूरसंचार सेवाओं के लिए दिशा-निर्देश

3229. श्री रामदास आठवले: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा जून, 1996 में ''दिशा-निर्देश'' जारी किए गए थे जिसमें समान एक्सचेंज में स्थानीय टेलीफोन कनेक्शन का स्थानांतरण 7 दिनों के अंदर, एक एक्सचेंज से दूसरे एक्सचेंज में टेलीफोन का स्थानांतरण 15 दिनों में और एक राज्य से दूसरे राज्य में टेलीफोन कनेक्शन का स्थानांतरण एक माह में तथा खराब टेलीफोन को 48 घंटे में ठीक करने का निर्देश दिया गया था;

(ख) यदि हां, तो विभिन्न दूरसंचार/एमटीएनएल अधिकारियों को जून 1996 से आज तक राज्य-वार विशेष कर दिल्ली में

अलग-अलग ऐसी कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं जिन पर दिशा-निर्देशों के अनुसार ध्यान नहीं दिया गया है; और

(ग) सरकार द्वारा उक्त दिशा-निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने और इन्हें अधिक प्रभावी बनाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और यथा समय सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

सीमावर्ती क्षेत्रों में माओवादियों की गतिविधियां

3230. **श्री खजेश पाठक:**
श्री राजीव रंजन सिंह "ललन":
श्री रामजीलाल सुमन:
श्री किन्जरपु येरननायडु:
श्री मोहन सिंह:
श्री डी. विट्टल राव:

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि देश में विशेषकर सीमावर्ती क्षेत्रों में माओवादियों की गतिविधियां बढ़ रही हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने सीमावर्ती क्षेत्रों में माओवादियों की बढ़ती गतिविधियों की ओर नेपाल की सरकार का ध्यान आकृष्ट किया है अथवा ध्यान आकृष्ट करने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (राव इन्द्रजीत सिंह): (क) से (घ) भारत सरकार नेपाल के साथ खुली सीमा और नेपाल के माओवादी तथा भारत में वामपंथी विद्रोहियों और अन्य दलों के बीच सम्पर्कों की वजह से माओवादी विद्रोह के बढ़ते हुए दुष्प्रभाव से अवगत है और इससे चिंतित है। नेपाल में माओवादी विद्रोह की ही वजह से हमारे सीमावर्ती राज्यों में नेपालियों का देशांतरण होने लगा है। महामहिम नेपाल की सरकार इन समस्याओं से अवगत है। भारत सरकार ने भी सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा कड़ी करने के लिए कदम उठाए हैं और सीमा सुरक्षा बल ने भारत-नेपाल सीमा पर अपनी गश्त बढ़ा दी है।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में फ्लाईओवर

3231. **श्री जुएल ओराम:** क्या **पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को परामर्शदाताओं से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में फ्लाई ओवर के निर्माण से संबंधित रिपोर्ट प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या बदरपुर फ्लाईओवर से संबंधित रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ङ) इसकी वर्तमान स्थिति क्या है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) दिल्ली और हरियाणा में राष्ट्रीय राजमार्ग 8 पर 4-4 फ्लाईओवरों के निर्माण से संबंधित रिपोर्टें प्राप्त हुई हैं। रा.रा. 2 पर 6 लेन के उत्थापित राजमार्ग (बदरपुर फ्लाईओवर) और रा.रा. 1 पर पानीपत में 6 लेन के उत्थापित राजमार्ग के निर्माण के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट भी प्राप्त हुई हैं।

(घ) और (ङ) रा.रा. 2 पर (16.700 से 19.700 कि.मी.) बदरपुर के समीप 6 लेन के उत्थापित राजमार्ग के निर्माण-प्रचालन-हस्तांतरण आधार पर निर्माण के लिए सिद्धांत रूप में अनुमोदन प्रदान कर दिया गया है। रियायतग्राहियों के चयन के लिए पूर्व-अर्हता प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है।

लघु उद्योग क्षेत्र के लिए 'क्रेडिट रेटिंग स्कीम'

3232. **श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव:** क्या **लघु उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय उद्योग में बढ़ती हुई प्रतिस्पर्धा के मद्देनजर लघु उद्योग क्षेत्र में 'क्रेडिट रेटिंग स्कीम' की आवश्यकता का अनुभव किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो इस स्कीम से भारतीय उद्योग को क्या लाभ प्राप्त होंगे; और

(ग) लघु उद्योग क्षेत्र के लिए रेटिंग स्कीम को शुरू करने के संबंध में सरकार का क्या दृष्टिकोण है?

लघु उद्योग मंत्री तथा कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री (श्री महावीर प्रसाद): (क) जी, हां।

(ख) सरकार ने नेशनल स्माल इंडस्ट्रीज कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड (एन एस आई सी) के माध्यम से और इंडियन बैंक्स एसोसिएशन (आई बी ए) के परामर्श से 'लघु उद्योगों का प्रदर्शन और क्रेडिट रेटिंग' नामक एक नई योजना को स्वीकृति दी है। लघु उद्योग क्षेत्र के लिए इस योजना के लाभ निम्नलिखित हैं:-

* यह रेटिंग एक मान्यताप्राप्त तीसरे पक्ष द्वारा लघु उद्योग इकाइयों की क्षमताओं और क्रेडिट योग्यता के एक स्वतंत्र मूल्यांकन के रूप में काम करेगी।
* ऐसी रेटिंग के आधार पर लघु उद्योगों को तुलनात्मक आसानी से और उपयुक्त ब्याज दरों पर बैंकों और वित्तीय संस्थानों से क्रेडिट प्राप्त करने में मदद मिलेगी।
* रेटिंग योजना आवेदक लेनदार इकाइयों की मजबूतियों और कमजोरियों का स्वतंत्र मूल्यांकन उपलब्ध कराते हुए बैंकों और वित्तीय संस्थानों की मदद करती है जिससे उन्हें जोखिम का मूल्यांकन करने और क्रेडिट निर्णय लेने में मदद मिलेगी।
* लघु उद्योग इकाइयों की रेटिंग विक्रेताओं/खरीददारों को उनकी क्षमताओं और योग्यताओं के आकलन में मदद करेगी जिससे उन्हें खरीद कांट्रेक्ट को अंतिम रूप देने में मदद मिलेगी।
* रेटिंग योजना वित्तीय तथा अनुशासन की एक भावना उत्पन्न करती है जो लघु उद्योग क्षेत्र के सर्वांगीण विकास में मदद करेगा।

(ग) सरकार ने लघु उद्योग मंत्रालय के प्रशासन नियंत्रण के अंतर्गत एक सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम एनएसआईसी के माध्यम से कार्यान्वयन के लिए 'लघु उद्योगों का प्रदर्शन और क्रेडिट रेटिंग' योजना को स्वीकृति दी है। इस उद्देश्य के लिए एनएसआईसी द्वारा प्रतिष्ठित रेटिंग एजेंसियों को पैनल में शामिल किया गया है। योजना में ऐसी इकाइयों द्वारा भुगतान योग्य शुल्क की रेटिंग के व्यय के एक भाग की प्रतिपूर्ति के रूप में लघु इकाइयों को सरकारी वित्तीय सहायता शामिल है।

[हिन्दी]

केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना औषधालयों में दवाइयों की अनुपलब्धता

3233. श्री पंकज चौधरी:
श्री विजय कुमार खंडेलवाल:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को दिल्ली स्थित केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के लगभग 100 औषधालयों में दवाइयों की अनुपलब्धता संबंधी शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है;

(घ) क्या स्थानीय खरीद के माध्यम से दवाइयों की खरीद के लिए पर्याप्त धनराशि निर्धारित की गई है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या स्थानीय खरीद के बिलों का निपटारा कर दिया गया है;

(छ) यदि हां, तो गत दो वर्षों के दौरान तत्संबंधी माह-वार तथा वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ज) सरकार द्वारा दवाइयों की उचित आपूर्ति और दवाइयों के बिलों के भुगतान के लिए क्या कदम उठाए जाने का विचार है;

(झ) क्या प्रत्येक औषधालय का संबंधित मुख्य चिकित्सा अधिकारी दवाइयों की कथित कमी में संलिप्त है; और

(ञ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही किए जाने का प्रस्ताव है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) से (ज) केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के औषधालयों में पर्याप्त मात्रा में औषधें उपलब्ध हैं। तथापि, विशेषज्ञों द्वारा लिखी/निर्धारित की गई औषध औषधालय में उपलब्ध नहीं है तो उसे व्यक्तिगत नुस्खे के आधार पर लाभार्थी को अधिकृत स्थानीय कैमिस्टों से उपलब्ध कराया जाता है। उन केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के औषधालयों जिनके पास उनसे सम्बद्ध

कोई अधिकृत स्थानीय कैमिस्ट नहीं होता है, के मामले में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के लाभार्थियों (पेंशनभोगी लाभार्थियों सहित) को इन औषधों को खुले बाजार से खरीदने की अनुमति दी जाती है जिनके लिए सरकार प्रतिपूर्ति करती है।

केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना दिल्ली के अंतर्गत अधिकृत स्थानीय कैमिस्टों ने 17.2.2005 से 28.2.2005 की अवधि के दौरान मांगी गई औषधों की आपूर्ति बन्द कर दी थी। इस मामले को हल कर लिया गया है और अधिकृत स्थानीय कैमिस्टों ने 1.3.2005 से स्थानीय खरीद इन्डेंट औषधों की आपूर्ति करना अब शुरू कर दिया है। स्थानीय कैमिस्टों द्वारा हड़ताल करने के कारण औषधों की अनुपलब्धता के बारे में 11 शिकायतें प्राप्त हुई थीं। अधिकृत स्थानीय कैमिस्टों द्वारा औषधों की आपूर्ति बन्द करने की अवधि के दौरान केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के औषधालयों के प्रभारी मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को लाभार्थियों को औषधालयों में अनुपलब्ध औषधों को खुले बाजार से खरीदने के लिए अनुमति देने और सेवारत कर्मचारियों के मामले में उनके संबंधित कार्यालयों से और पेंशन भोगी कार्डधारियों के मामले में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के निदेशालय से धनराशि की प्रतिपूर्ति करवाने के निर्देश दिए गए थे।

अधिकृत स्थानीय कैमिस्टों द्वारा की गई हड़ताल का कारण के.स.स्वा.यो. के निदेशालय द्वारा उनके बिलों का देरी से भुगतान करना है। कभी-कभी वित्तीय वर्ष के समाप्ति की अवधि पास आने के कारण धन की कमी होने के कारण केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के अधिकृत स्थानीय कैमिस्टों के बिलों को स्वीकृत करने/क्लीयर करने के लिए अतिरिक्त धन की व्यवस्था करने के लिए कहा गया है।

पिछले तीन वर्षों में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के संबंध में उपशीर्ष आपूर्तियां और सामग्री जिसमें से अधिकृत स्थानीय दवा-विक्रेताओं को भुगतान किया जाता है, के अंतर्गत निधियों का आवंटन इस प्रकार है:-

(रुपए करोड़ में)

वित्तीय वर्ष	गैर-योजनागत		योजनागत	
	बजट अनुमान चरण	संशोधित अनुमान चरण	बजट अनुमान चरण	संशोधित अनुमान चरण
2001-2002	117.50	160.88	4.15	5.80
2002-2003	118.50	178.25	6.18	6.86
2003-2004	126.50	212.77	7.34	10.68

उपरोक्त आंकड़ों से यह देखा जा सकता है कि पिछले तीन वर्षों में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत अधिकृत स्थानीय दवा विक्रेताओं के माध्यम से मांग की गई औषधों की स्थानीय खरीद की आपूर्ति हेतु बजट आवंटन में बढ़ोत्तरी हुई है।

केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, दिल्ली के अधिकृत दवा-विक्रेताओं के बिलों का निपटान करना एक निरन्तर प्रक्रिया है जो निधियों की उपलब्धता पर आधारित है। पिछले दो वर्षों के दौरान केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, दिल्ली के अधिकृत स्थानीय दवा-विक्रेताओं के बिलों के निपटारे का ब्यौरा विवरण में दिया गया है।

(झ) जी, नहीं।

(ञ) उपरोक्त (झ) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

माह/वर्षवार व्यय का ब्यौरा निम्नलिखित है:-

माह	वर्ष 2002-2003	माह	वर्ष 2003-2004
1	2	3	4
अप्रैल, 2002	47167928 रुपए	अप्रैल, 2003	50005969 रुपए
मई, 2002	105809785 रुपए	मई, 2003	107461048 रुपए

1	2	3	4
जून, 2002	89147122 रुपए	जून, 2003	54451614 रुपए
जुलाई, 2002	273116339 रुपए	जुलाई, 2003	99446601 रुपए
अगस्त, 2002	79176573 रुपए	अगस्त, 2003	191346403 रुपए
सितम्बर, 2002	84068777 रुपए	सितम्बर, 2003	83954803 रुपए
अक्तूबर, 2002	37769592 रुपए	अक्तूबर, 2003	72381430 रुपए
नवम्बर, 2002	58103310 रुपए	नवम्बर, 2003	131007052 रुपए
दिसम्बर, 2002	14774376 रुपए	दिसम्बर, 2003	114802015 रुपए
जनवरी, 2003	52884192 रुपए	जनवरी, 2004	76909370 रुपए
फरवरी, 2003	129879214 रुपए	फरवरी, 2004	51094303 रुपए
मार्च, 2003	218493498 रुपए	मार्च, 2004	87295798 रुपए

[अनुवाद]

कर्नाटक में मोबाइल फोन सेवाएं

3234. श्री जी. करूणाकर रेड्डी: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कर्नाटक में कुल कितनी कंपनियां मोबाइल फोन सेवाएं प्रदान कर रही हैं;

(ख) अभी तक कंपनी-वार उपभोक्ताओं की संख्या कितनी है;

(ग) उपभोक्ताओं के हितों की सुरक्षा के लिए सरकार ने क्या सुरक्षा-उपाय किए हैं;

(घ) कर्नाटक के ऐसे कौन से क्षेत्र हैं जिन्हें अभी तक मोबाइल सेवा नेटवर्क से नहीं जोड़ा गया है;

(ङ) पूरे कर्नाटक को मोबाइल सेवा नेटवर्क से कब तक जोड़े जाने की संभावना है; और

(च) राज्य को मोबाइल सेवाओं के माध्यम से कितना राजस्व प्राप्त होता है और राज्य में आय और व्यय का अनुपात क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) और (ख) कर्नाटक में छह कंपनियां मोबाइल फोन सेवा प्रदान कर रही हैं। इन कंपनियों के नाम और 31.01.2005 की स्थिति के अनुसार कंपनी-वार उपभोक्ताओं की संख्या संलग्न विवरण-I में दी गई है।

(ग) भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) अधिनियम, 1997 के अनुसार, ट्राई को अन्य बातों के साथ-साथ दूरसंचार के क्षेत्र में सेवा की गुणवत्ता, प्रशुल्क और उपभोक्ता संतुष्टि से संबंधित कार्यों को विनियमित करने का काम सौंपा गया है। ट्राई ने बुनियादी और सेल्युलर मोबाइल टेलीफोन सेवाओं की सेवा की गुणवत्ता को विनियमित करने, उपभोक्ता सर्वेक्षण तथा प्रशुल्क से संबंधित पहलुओं के जरिए उपभोक्ता संतुष्टि पर निगरानी रखने के लिए विभिन्न उपाय किए हैं।

(घ) और (ङ) लाइसेंस करार में निर्धारित कवरेज के मानदंड के अनुसार, सेवा प्रदाताओं द्वारा लाइसेंस करार की प्रभावी तारीख से 3 वर्षों के भीतर सेवा क्षेत्र में 50% जिला मुख्यालयों (डीएचक्यू) को कवर किया जाना अपेक्षित है। सेवा प्रदाता को जिला मुख्यालय के स्थान पर जिले में किसी अन्य कस्बे को कवर करने की अनुमति भी होती है। कवर किए जाने वाले जिला मुख्यालयों/कस्बों को चयन और 50% से अधिक जिला मुख्यालयों/कस्बों का आगे विस्तार करना लाइसेंसधारक के व्यवसायिक निर्णय पर निर्भर करेगा। लाइसेंस करार के उपर्युक्त उपबंधों के मद्देनजर सरकार किसी राज्य में मोबाइल सेवा से नहीं जोड़े गए क्षेत्रों के संबंध में कोई सूचना नहीं रखती है। इसके अलावा, चूंकि 50% से अधिक जिला मुख्यालयों/कस्बों का आगे विस्तार करना लाइसेंसधारक के व्यवसायिक

निर्णय पर निर्भर करेगा अत: सरकार समूचे कर्नाटक को मोबाइल सेवा के नेटवर्क की कवरेज प्रदान करने हेतु कोई समय सीमा नहीं निर्धारित कर सकती है।

(च) सरकार लाइसेंस शुल्क की उगाही के प्रयोजन हेतु विभिन्न मोबाइल सेवा प्रदाताओं से प्राप्त लेखा-परीक्षित सकल एवं समायोजित सकल राजस्व (एजीआर) का ब्यौरा रखती है और यह उनके द्वारा किए गए व्यय के ब्योरे नहीं रखती है। अत: आय और व्यय के अनुपात का ब्यौरा करना संभव नहीं है। विभिन्न सेवा प्रदाताओं द्वारा प्रदान किए गए वर्ष 2003-04 के एजीआर विवरण के अनुसार कर्नाटक राज्य में मोबाइल सेवाओं के जरिए अर्जित सकल राजस्व के ब्यौरे विवरण-II में दिए गए हैं।

विवरण I

कर्नाटक दूरसंचार सर्किल सेवा क्षेत्र में मोबाइल टेलीफोन सेवा की स्थिति

क्र.सं.	प्रचालकों के नाम	31.01.2005 की स्थिति के अनुसार मोबाइल उपभोक्ताओं की संख्या
1.	भारती मोबाइल लिमिटेड	1166918
2.	स्पाइस कम्युनिकेशंस लिमिटेड	339254
3.	हचिसन एस्सार साउथ लिमिटेड	521184
4.	रिलायंस इन्फोकाम लिमिटेड	638147
5.	टाटा टेलीसर्विसेज लिमिटेड	95598
6.	भारत संचार निगम लिमिटेड	682159

विवरण II

कर्नाटक में मोबाइल सेवा प्रदाताओं का सकल राजस्व (वर्ष 2003-2004 के लिए)

क्र.सं.	मोबाइल सेवा प्रदाता का नाम	सकल राजस्व (रुपए में)
1.	मै. भारती मोबाइल लिमिटेड	5,016,061,019
2.	स्पाइस कम्युनिकेशंस लिमिटेड	1,756,945,836
3.	हचिसन एस्सार साउथ लिमिटेड	1,442,233,522
4.	मै. रिलायंस इन्फोकाम लिमिटेड	1,646,990,108 (डब्ल्यूएलएल धारकों से)
5.	मै. टाटा टेलीसर्विसेज लिमिटेड	229,391,342 (सीमित मोबिलिटी से)
6.	भारत संचार निगम लिमिटेड	1,855,855,583

[हिन्दी]

किराए के भवनों के महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड के कार्यालय

3235. मो. मुकीम: क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली में महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड के अनेक एक्सचेंज कार्यालय किराए के भवनों में कार्य कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान आज तक प्रत्येक भवन के लिए प्रतिमाह कितने किराए का भुगतान किया गया है;

(ग) क्या अधिकारियों द्वारा भवनों को किराए पर लेने में कथित अनियमितताएं बरती गई हैं;

(घ) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान ऐसे कितने मामले प्रकाश में आए हैं और प्रत्येक मामले में की गई कार्यवाही की ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या एमटीएनएल ने इन भवनों के सौंदर्यीकरण पर आज तक करोड़ों रुपए खर्च कर दिए हैं; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ऐसी अनियमितताओं को रोकने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) और (ख) जी, हां। ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) और (घ) वर्ष 2004 के दौरान ऐसे एक मामले की सूचना मिली है और इसकी जांच की जा रही है।

(ङ) जी, नहीं।

(च) उपर्युक्त (ङ) के मद्देनजर प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

किराए के भवनों में कार्य कर रहे एमटीएनएल के एक्सचेंज कार्यालयों के ब्यौरे

क्षेत्र: भीकाजी कामा प्लेस (बीसीपी)

क्र.सं.	भवन का नाम और अवस्थिति	एक्सचेंज/कार्यालय/आरएसयू के लिए उपयोग किया जा रहा है	वित्तीय वर्ष के लिए प्रतिमाह किराया		
			2002-2003	2003-2004	2004-2005
1	2	3	4	5	6
1.	337/3/2 बेसमेंट और भूतल, गांव महिपालपुर, नई दिल्ली	एक्सचेंज और कार्यालय	90227	89432	76572
2.	फ्लैट नं. 418, एसीआई, बीसीपी, नई दिल्ली	कार्यालय	22230	22428	11762
3.	फ्लैट नं. 420 अंसल चैम्बर-2, 6 भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली	कार्यालय	10244	10335	5421
4.	फ्लैट नं. 420 अंसल चैम्बर-2, 6 भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली	कार्यालय	10244	10335	5421
5.	भूतल-61-सी, अर्जुन नगर, सफदरजंग एन्क्लेव, नई दिल्ली	कार्यालय एवं भंडार	16402	16548	16548
6.	भूतल-61-सी, अर्जुन नगर, सफदरजंग एन्क्लेव, नई दिल्ली	कार्यालय एवं भडार	16401	16547	16547
7.	फ्लैट नं. 415, एसडी सीएच-II, बीसीपी, नई दिल्ली	कार्यालय	7515	7515	7515
8.	फ्लैट नं. 415, एसडी सीएच-II, बीसीपी, नई दिल्ली	कार्यालय	7515	7515	7515
9.	फ्लैट नं. 415, एसडी सीएच-II, बीसीपी, नई दिल्ली.	कार्यालय	7515	7515	7515
10.	फ्लैट नं. 415, एसडी सीएच-II, बीसीपी, नई दिल्ली.	कार्यालय	7515	7515	7515
11.	एफएफ-1, एमबीसी, बीसी प्लेस, नई दिल्ली	कार्यालय	15041	15175	15175

1	2	3	4	5	6
12.	एफएफ-11, एमबीसी, बीसी प्लेस, नई दिल्ली	कार्यालय	15041	15175	15175
13.	फ्लैट नं. 16-17, एमबीसीबी, बीसी प्लेस, नई दिल्ली	कार्यालय	27377	27621	27621
14.	फ्लैट नं. 16-17, एमबीसीबी, बीसी प्लेस, नई दिल्ली	कार्यालय	27377	27621	27621
15.	फ्लैट नं. एफएफ 12, एमबीसीबी, बीसीपी, नई दिल्ली	कार्यालय	37538	37776	37776
16.	फ्लैट नं. एफएफ 18-19, एमबीसीबी, बीसीपी, नई दिल्ली	संचार हाट	68411	67802	70694
17.	फ्लैट नं. 416, एसडी चैम्बर-II, 9, बीसीपी, नई दिल्ली	कार्यालय	23358	23566	23566
18.	फ्लैट नं. 417, एसडी चैम्बर-II, 9, बीसीपी, नई दिल्ली	कार्यालय	25275	25500	25500
19.	एबी-9, एसएफजे एन्क्लेव, नई दिल्ली	कार्यालय	52578	53046	52859
20.	एबी-9, एसएफजे एन्क्लेव, नई दिल्ली	कार्यालय	26289	26523	26429
21.	एबी-9, एसएफजे एन्क्लेव, नई दिल्ली	कार्यालय	13145	13262	13215
22.	एबी-9, एसएफजे एन्क्लेव, नई दिल्ली	कार्यालय	13145	13262	13215
23.	चंदन काम्पलैक्स असोला, भूतल और प्रथम तल, फतेहपुर बेरी, नई दिल्ली	एक्सचेंज एवं कार्यालय	84040	83292	82963
24.	437, महिपालपुर, नई दिल्ली	एक्सचेंज एवं कार्यालय	42024	41650	41485
25.	16/1 और 16/2, महरौली, नई दिल्ली	एक्सचेंज एवं कार्यालय	72147	71505	73359
26.	16/1 और 16/2, महरौली, नई दिल्ली	एक्सचेंज एवं कार्यालय	24049	23835	24453
27.	एस-28, प्रथम तल, ग्रीन पार्क, नई दिल्ली	कार्यालय	104445	0	0
28.	एस-28, प्रथम तल, ग्रीन पार्क, नई दिल्ली	कार्यालय	104165	82811	82384
29.	चंदन काम्पलैक्स असोला, भूतल और प्रथम तल, फतेहपुर बेरी, नई दिल्ली	एक्सचेंज और कार्यालय	48314	27898	23203
30.	बेसमेंट, एस-5, ग्रीन पार्क, नई दिल्ली	संचार हाट कार्यालय*	50245	49798	0
31.	बेसमेंट, एस-5, ग्रीन पार्क, नई दिल्ली	संचार हाट कार्यालय*	8371	8446	0
32.	बेसमेंट, एस-5, ग्रीन पार्क, नई दिल्ली	संचार हाट कार्यालय*	8371	8446	0
33.	बेसमेंट, एस-5, ग्रीन पार्क, नई दिल्ली	संचार हाट कार्यालय*	8380	8455	0
34.	बेसमेंट, एस-5, ग्रीन पार्क, नई दिल्ली	संचार हाट कार्यालय*	12562	12673	0
35.	बेसमेंट, एस-5, ग्रीन पार्क, नई दिल्ली	संचार हाट कार्यालय*	12562	12673	0
36.	भूतल, एस-5, ग्रीन पार्क, नई दिल्ली	संचार हाट कार्यालय*	46982	46564	0
37.	भूतल, एस-5, ग्रीन पार्क, नई दिल्ली	संचार हाट कार्यालय*	7827	7896	0

1	2	3	4	5	6
38.	भूतल, एस-5, ग्रीन पार्क, नई दिल्ली	संचार हाट कार्यालय*	7827	7896	0
39.	भूतल, एस-5, ग्रीन पार्क, नई दिल्ली	संचार हाट कार्यालय*	7837	7907	0
40.	भूतल, एस-5, ग्रीन पार्क, नई दिल्ली	संचार हाट कार्यालय*	11745	11850	0
41.	भूतल, एस-5, ग्रीन पार्क, नई दिल्ली	संचार हाट कार्यालय*	11745	11850	0
42.	प्रथम तल, एस-5, ग्रीन पार्क, नई दिल्ली	संचार हाट कार्यालय*	48749	48315	0
43.	प्रथम तल, एस-5, ग्रीन पार्क, नई दिल्ली	संचार हाट कार्यालय*	8122	8194	0
44.	प्रथम तल, एस-5, ग्रीन पार्क, नई दिल्ली	संचार हाट कार्यालय*	8122	8194	0
45.	प्रथम तल, एस-5, ग्रीन पार्क, नई दिल्ली	संचार हाट कार्यालय*	8131	8203	0
46.	प्रथम तल, एस-5, ग्रीन पार्क, नई दिल्ली	संचार हाट कार्यालय*	12187	12295	0
47.	प्रथम तल, एस-5, ग्रीन पार्क, नई दिल्ली	संचार हाट कार्यालय*	12187	12295	0
48.	दूसरा तल, एस-5, ग्रीन पार्क, नई दिल्ली	संचार हाट कार्यालय*	49124	48687	0
49.	दूसरा तल, एस-5, ग्रीन पार्क, नई दिल्ली	संचार हाट कार्यालय*	8184	8257	0
50.	दूसरा तल, एस-5, ग्रीन पार्क, नई दिल्ली	संचार हाट कार्यालय*	8184	8267	0
51.	दूसरा तल, एस-5, ग्रीन पार्क, नई दिल्ली	संचार हाट कार्यालय*	8194	8267	0
52.	दूसरा तल, एस-5, ग्रीन पार्क, नई दिल्ली	संचार हाट कार्यालय*	12281	12390	0
53.	दूसरा तल, एस-5, ग्रीन पार्क, नई दिल्ली	संचार हाट कार्यालय*	12281	12390	0
54.	16/1 और 16/2 महरौली, नई दिल्ली	संचार हाट कार्यालय*	50810	50358	51664
55.	16/1 और 16/2 महरौली, नई दिल्ली	संचार हाट कार्यालय*	50810	50358	51664
56.	गैराज - 61/सी, अर्जुन नगर, नई दिल्ली	कार्यालय	2106	765	762
57.	गैराज - 61/सी, अर्जुन नगर, नई दिल्ली	कार्यालय	2106	765	762
58.	19 बेगम पुर, नई दिल्ली	कार्यालय	10109	10709	10671
59.	भूतल 19 बी/1 बेगम पुर, नई दिल्ली	कार्यालय	69891	73850	73469
60.	बेसमेंट 19 बी/1 बेगम पुर, नई दिल्ली	कार्यालय	23999	21418	21342
61.	दूसरा तल, 337/3/2 गांव महिपालपुर, नई दिल्ली	एक्सचेंज और कार्यालय	37395	48012	47822
62.	294/3 धामल रोड, छत्तरपुर, नई दिल्ली	आरएसयू/एक्सचेंज	38159	38498	38362
63.	मकान नं. 252 गांव मादी, निकट बस स्टैंड, नई दिल्ली	आरएसयू/एक्सचेंज	1404	1404	0
64.	कोठी नं. 346/58 सैदुलाजाब, नई दिल्ली	आरएसयू/एक्सचेंज	4000	4000	3600

1	2	3	4	5	6
65.	कोठी नं. 332 मेन रोड, गांव जौनापुर, नई दिल्ली	आरएसयू/एक्सचेंज	5666	5666	5666
66.	कोठी नं. 332 मेन रोड, गांव जौनापुर, नई दिल्ली	आरएसयू/एक्सचेंज	5666	5666	5666
67.	कोठी नं. 332 मेन रोड, गांव जौनापुर, नई दिल्ली	आरएसयू/एक्सचेंज	5666	5666	5666
68.	खसरा - 252 निकट बस स्टैंड गांव-मांडी, नई दिल्ली	आरएसयू/एक्सचेंज	10784	10880	10442
69.	(1) जेसी-42, खिड़की एक्सटेंशन, नई दिल्ली	कार्यालय	62832	73524	73233
70.	90/22 बी, भूतल, मालवीय नगर, नई दिल्ली	कार्यालय	43094	43477	51150
71.	705-ए, 28-1, वार्ड-3, महरौली, नई दिल्ली	कार्यालय	4250	4250	4250
72.	346/58, आईएनजीओयू रोड, सैदुल्लाजाब, नई दिल्ली	कार्यालय	20130	20309	20237
73.	इंडियन आयल भवन, युसूफ सराय, नई दिल्ली-16	कार्योलय	5000	5000	5000
74.	एफ-351 लाडो सराय, नई दिल्ली	कार्यालय	*	21292	21217
75.	दुकान नं. 48, 49, 50, 58 और 59, सैक्टर-III मार्किट, प्रथम तल, पुष्प विहार, नई दिल्ली	कार्यालय	*	51520	51520
76.	दुकान नं. 48, 49, 50, 58 और 59, सैक्टर-III मार्किट, प्रथम तल, पुष्प विहार, नई दिल्ली	कार्यालय	*	41450	41450
77.	डी-70 आनंद निकेतन, नई दिल्ली	आरएसयू के लिए	*	33191	33668
78.	डी-70 आनंद निकेतन, नई दिल्ली	आरएसयू के लिए	*	33191	33668
79.	346/58, मेन रोड, सैदुल्लाजाब, नई दिल्ली	कार्यालय	*	3774	3774
80.	फ्लैट नं. 7, पहली मंजिल, अनुपम सिनेमा के अंदर, साकेत, नई दिल्ली	कार्यालय	*	8500	8500
81.	दुकान नं. (एससीओ) 31 सैक्टर 12ए हुडा, वाणिज्यिक काम्प्लैक्स, गुड़गांव	संचार हाट	*	0	16300

*अर्थात् उक्त अवधि के दौरान भवन किराए पर नहीं लिए गए।

क्षेत्र: करोल बाग

क्र.सं.	किराये के भवन की अवस्थिति	के लिए उपयोग किया जा रहा है	वित्तीय वर्ष के लिए मासिक किराया (रुपये में)		
			2002-2003	2003-2004	2004-2005
1	2	3	4	5	5
1.	2, वेस्ट पटेल नगर	जीएम आफिस + डीजीएम (एफ) + एमजीएम(सी) + एमजीएम(ए) +एजीएम (ओपी)+ एजीएम (पीएण्डआर)+ एजीएम(एल) सीएओ (बीएण्डए)	जो क्षेत्र वर्ष 2002-03 के दौरान नहीं थे	287087	287087

1	2	3	4	5	5
2.	2/15 वेस्ट पटेल नगर, नई दिल्ली	आरएसयू	–	96458	96458
3.	61/16, रामजस रोड, भूतल, नई दिल्ली	आरएसयू	–	64000	64000
4.	652 बिजवासन, नई दिल्ली	आरएसयू	–	56725	56725
5.	59/31 न्यू रोहतक रोड, नई दिल्ली	डीएलसी	–	64000	64000
6.	57 एच, गली नं. 3, आनंद पर्वत, नई दिल्ली	डीएलसी	–	16000	16000
7.	शाप नं. 61, भूतल, राजेन्द्रा भवन, नई दिल्ली	आरएसयू	–	20865	20865
8.	377, कापसहेड़ा, नई दिल्ली	आरएसयू	–	0	20715
9.	3279, रणजीत नगर, नई दिल्ली	आरएसयू	–	85680	85680
10.	डब्ल्यूजेड-118, नारायणा गांव, नई दिल्ली	आरएसयू	–	96603	96603
11.	ईजी-111, इन्द्रपुरी, नई दिल्ली	कारडेक्ट	–	3000	3000
12.	631 आरजेड ब्लाक, आनंद पर्वत, नई दिल्ली	डीएलसी	–	7000	7000
13.	आर-535, न्यू राजेन्द्र नगर, नई दिल्ली	आरएसयू	–	49000	49000
14.	सी-28, कम्यूनिटी सेंटर, नारायणा, नई दिल्ली	संचार हाट डीई/ओडी	–	122980	122980
15.	डब्ल्यू-6, वेस्ट पटेल नगर, नई दिल्ली	आरएसयू+एसडीओ आफिस	–	98086	98086
16.	डब्ल्यूजेड-121, टोडापुर, नई दिल्ली	आरएसयू	–	14800	14800
17.	डब्ल्यूजेड-250 सी, इन्द्रपुरी, नई दिल्ली	आरएसयू+एसडीओ आफिस+कारडेक्ट एन्टीना	–	37374	37374
18.	6/37, डब्ल्यूईए, करोल बाग, नई दिल्ली	आरएसयू	–	0	38069
19.	1/3 ओल्ड राजेन्द्र नगर, नई दिल्ली	आरएसयू+डीई (ओडी)+ एसडीओ आफिस	–	36530	36530
20.	1747/54 गली वाला, करोलबाग	डीएलसी	–	14655	14655
21.	206, कीर्ति महल	एसडीओ आफिस	–	7438	*
22.	फ्लैट नं. 107 पद्मा टावर, राजेन्द्र प्लेस	एमजीएम (सी) आफिस	–	8621	*
23.	फ्लैट नं. 108 पद्मा टावर, राजेन्द्र प्लेस		–	14896	*
24.	फ्लैट नं. 109 पद्मा टावर, राजेन्द्र प्लेस		–	11494	*
25.	फ्लैट नं. 110 पद्मा टावर, राजेन्द्र प्लेस		–	11494	*
26.	फ्लैट नं. 111 पद्मा टावर, राजेन्द्र प्लेस		–	6667	*

*इसका अर्थ है कि इस अवधि के दौरान भवन किराये पर नहीं था।

क्षेत्र: पूर्वी दिल्ली

क्र.सं.	किराये के भवन की अवस्थिति	के लिए उपयोग किया जा रही है	मासिक किराया (रुपये में)			टिप्पणी
			2002-2003	2003-2004	2004-2005	
1.	भारत बिल्डिंग 10-दरियागंज	कार्यालय	219580	219580	219580	
2.	जीवन विकास बिल्डिंग, आसफ अली रोड	कार्यालय	294447	294447	294447	
3.	यूनिवर्सल बिल्डिंग, आसफ अली रोड	कार्यालय	163624	163624	163624	
4.	21, दरियागंज		1320	1320	1320	
5.	आरएसयू, तिमारपुर	एक्सचेंज	8000	8000	8000	
6.	आरएसयू, रोशन आरा रोड		55000	55000	55000	
7.	आरएसयू, कमला नगर	एक्सचेंज	81000	81000	81000	
8.	आरएसयू, चन्द्रावल		75000	75000	75000	
9.	आरएसयू, पहाड़गंज	एक्सचेंज	39950	39950	39950	
10.	आरएसयू, किशन गंज	एक्सचेंज	20000	20000	20000	
11.	एफएफ काम्पलैक्स, झण्डेवालान	कार्यालय	1855	1855	1855	
12.	आईएसबीटी भवन	कार्यालय	782678	782678	782678	
					334951	संशोधित किराया प्रतिमाह 01.02.2005 से

क्षेत्र: शक्ति नगर

क्र.सं.	किराये के भवन की अवस्थिति	के लिए उपयोग किया जा रहा है	वित्तीय वर्ष के लिए मासिक किराया (रुपये में)		
			2002-2003	2003-2004	2004-2005
1	2	3	4	5	6
1.	फ्लैट सं. 111 प्लाट सं. 10 केपी ब्लाक, पीतमपुरा	आरएसयू	8,786	5,806	6,566
2.	सी 55/2 वजीर औद्योगिकी क्षेत्र	आरएसयू	122,673	122,673	138,621
3.	फ्लैट सं. 112, 113 केपी ब्लाक पीतमपुरा	आरएसयू	10,851	10,851	12,271
4.	फ्लैट सं. 101 प्लाट सं. 10, पहली मंडिल, केपी पीतमपुरा	आरएसयू	5,806	5,806	6,566
5.	206, विराट भवन एमकेएन	कार्यालय	3,826	4,056	4,400
6.	219, विराट भवन एमकेएन	कार्यालय	4,835	5,125	5,560

1	2	3	4	5	6
7.	जीएफ-06, विराट भवन एमकेएन	आरएसयू	8,689	9,155	9,992
8.	214, विराट भवन एमकेएन	कार्यालय	4,019	4,260	4,622
9.	217, विराट भवन एमकेएन	कार्यालय	4,370	4,576	5,026
10.	215, विराट भवन एमकेएन	कार्यालय	4,019	4,261	4,622
11.	212-ए, विराट भवन एमकेएन	कार्यालय	4,370	4,633	5,026
12.	210, विराट भवन एमकेएन	कार्यालय	4,617	4,895	5,310
13.	216, विराट भवन एमकेएन	कार्यालय	4,370	4,633	5,026
14.	205, विराट भवन एमकेएन	कार्यालय	3,995	4,239	4,595
15.	बिल्डिंग सं. 10 एलएससी, 2 फ्लोर, डेरावल नगर	कार्यालय	28,738	28,738	22,558
16.	3 वाणिज्यिक केन्द्र एण्ड डी 35 केपीएम	कार्यालय	15,076	15,076	16,188
17.	बिल्डिंग सं. 9 एलएससी, 2 फ्लोर डेरावल नगर	कार्यालय	28,400	28,400	22,293
18.	प्लाट सं. 9 एलएससी, 3 फ्लोर 1/2 डेरावल नगर	कार्यालय	14,409	14,409	11,310
19.	प्लाट सं. 9 एलएससी, 3 फ्लोर 1/2 डेरावल नगर	कार्यालय	14,409	14,409	11,310
20.	जीएफ-13, विराट भवन एमकेएन	आरएसयू	8,229	8,229	4,252
21.	बिल्डिंग सं. 10 एलएससी, 3 फ्लोर, डेरावल नगर.	कार्यालय	14,568	14,568	11,435
22.	बिल्डिंग सं. 10 एलएससी, 3 फ्लोर, डेरावल नगर	कार्यालय	14,568	14,568	11,435
23.	फ्लैट सं. 104, 106 के पी ब्लाक, पीतमपुरा	आरएसयू	11,244	11,244	12,715
24.	102,103 के पी ब्लाक, पीतमपुरा	आरएसयू	10,851	10,851	12,271
25.	फ्लैट सं. 114, 115 प्लाट सं. 11 केपी ब्लाक, पीतमपुरा	आरएसयू	11,244	11,244	12,715
26.	दुकान सं. 12 जीएफ केपी ब्लाक, पीतमपुरा	आरएसयू	8,786	8,786	9,936
27.	दुकान सं. 14 जीएफ केपी ब्लाक, पीतमपुरा	आरएसयू	8,786	8,786	9,936
28.	दुकान सं. 16 जीएफ केपी ब्लाक, पीतमपुरा	आरएसयू	8,786	8,786	9,936
29.	दुकान सं. 16 जीएफ केपी ब्लाक, पीतमपुरा	आरएसयू	8,786	8,786	9,936
30.	फ्लैट सं. 117 के पी ब्लाक पीतमपुरा	आरएसयू	8,540	8,540	9,657
31.	जीएफ-13 केपी ब्लाक पीतमपुरा	आरएसयू	5,806	8,786	9,936
32.	फ्लैट सं. 105 केपी ब्लाक, पीतमपुरा	आरएसयू	3,810	3,810	4,309
33.	फ्लैट सं. 105 केपी ब्लाक, पीतमपुरा	आरएसयू	3,810	3,810	4,309

1	2	3	4	5	6
34.	फ्लैट सं. 107 केपी ब्लाक, पीतमपुरा	आरएसयू	8,540	8,540	9,657
35.	28/2-4 29/2 केवल पार्क एक्सटेंशन, आजादपुर	आरएसयू	65,403	65,403	69,954
36.	347 आरएसयू बुराड़ी	आरएसयू	26,563	26,563	28,716
37.	सी 11 रामगढ़, आरएसयू, जहांगीरपुरी	आरएसयू	91,337	91,337	97,160
38.	दुकान सं. 8, बीएस ब्लाक, शालीमार बाग	आरएसयू	17,200	12,000	12,934
39.	192 ए/145 गणेश पुरा, त्रिनगर	आरएसयू	80,792	92,041	92,041
40.	14537/11 जय माता मार्किट, त्रिनगर	आरएसयू	32,692	39,873	39,873
41.	प्लाट नं. 2 एलएससी सीयू ब्लाक अग. शापिंग काम्पलैक्स पी.पी.	आरएसयू	73,013	87,616	96,059
42.	ए 17, आदर्श नगर	कार्यालय	70,103	88,702	88,702
43.	प्लाट जी 3, नेताजी सुभाष प्लेस, आरएसयू, वजीर पुर	आरएसयू	15,289	62,500	62,500
44.	प्लाट जी 3, नेताजी सुभाष प्लेस वजीर पुर	आरएसयू	15,167	62,000	62,000
45.	22 राजस्थान उद्योग नगर	आरएसयू	*	98,935	99,470
46.	229230 भारत नगर	आरएसयू	*	22,907	28,500
47.	229 भारत नगर	आरएसयू	*	22,907	28,500
48.	537 डीआर, एमकेएन	आरएसयू	*	49,696	63,444
49.	218 विराट भवन एमकेएन	कार्यालय	3,470	2,080	5,588
50.	फ्लैट सं. 204 डीआई विराट भवन एमकेएन	कार्यालय	*	2,590	7,049
51.	टीयू-22 पीतमपुरा	कार्यालय	4,781	10,094	*
52.	डीएलसी बुराड़ी	डीएलसी	4,320	836	*
53.	204 विराट भवन एमकेएन	कार्यालय	4,360	*	*

*इस अवधि के दौरान भवन किराए पर नहीं लिया गया।

क्षेत्र: मध्य दिल्ली

क्र.सं.	किराये के भवन की अवस्थिति	के लिए उपयोग किया जा रहा है	वित्तीय वर्ष के लिए मासिक किराया (रुपये में)		
			2002-2003	2003-2004	2004-2005
1	2	3	4	5	6
1.	जीवन तारा बिल्डिंग, संसद मार्ग, नई दिल्ली	कार्यालय, एसडीओ, डीई, सीएससी और संचार हाट	44275	44275	44275

1	2	3	4	5	6
2.	ए-17, जंगपुरा एक्सटेंशन, नई-दिल्ली	8.5 के आरएसयू	*	83348	3348
3.	डीडीए शापिंग सेंटर, डिफेंस कालोनी, फ्लाई ओवर के नीचे, नई दिल्ली	कार्यालय डीई एसडीओपी-II, एसडीई (सी-I) और सी-II सहित	15580.15	15580.15	15580.15
4.	एच-21, एनडीएसई पार्ट-I, नई दिल्ली	एनडीएसई, आरएसयू और एरिया फील्ड स्टाफ	*	61336	61336
5.	ए-283, डिफेंस कालोनी, नई दिल्ली	आरएसयू	51708	51708	51708
6.	प्रताप भवन, 5, बी.एस.जेड. मार्ग, नई दिल्ली	डीएलसी	8100	8100	8100
7.	अंतरिक्ष भवन, के.जी. मार्ग, नई दिल्ली	डीएलसी	*	8480	8480
8.	इन्द्र प्रकाश भवन	डीएलसी	*	14368	14368
9.	मोहन सिंह प्लेस, बी.के.एस. मार्ग, नई दिल्ली	केबीएन, डिवीजन कार्यालय	298027	298027	298027
10.	उद्योग भवन	एसडीओपी-I, एसबीएन	1058	1058	1058
11.	शास्त्री भवन	कार्यालय एएम, डीईआरपी	18322	18322	18322
12.	निर्माण भवन	आरएसयू	18303	18303	18303
13.	के.जी. मार्ग, बैरक डिफेंस पुल	फाल्ट कन्ट्रोल	2018	2018	2018
14.	कमरा नं. बी-33 और 34 साऊथ ब्लाक, नई दिल्ली	डीईआई/डी, एसबीएन, एसटी	10260	10260	10260
15.	डिफेंस पूल एकाउंट्स	एसबीएन एक्सचेंज	45825	45825	45825

*इस अवधि के दौरान भवन किराए पर नहीं लिया गया।

[अनुवाद]

विशेष सड़क कोष

3236. श्री राजेश वर्मा: क्या **पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में सड़कों की मरम्मत और उन्हें चौड़ा करने के लिए विशेष सड़क कोष के अंतर्गत धनराशि स्वीकृत/आबंटित की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उत्तर प्रदेश में विशेष सड़क कोष के अंतर्गत सीतापुर बरास्ता लेहरपुर-ताम्बूर सड़क के पुनर्निर्माण और चौड़ा करने का कार्य किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या इस उद्देश्य के लिए आवश्यक धनराशि आबंटित की गई है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) जी नहीं। तथापि, अन्य बातों के साथ-साथ धनराशि को राष्ट्रीय राजमार्गों और राज्यीय सड़कों के विकास के लिए केंद्रीय सड़क निधि से आबंटित किया जाता है।

(ख) वर्ष 2004-05 के लिए राष्ट्रीय राजमार्गों और राज्यीय सड़कों के लिए केंद्रीय सड़क निधि से आबंटन क्रमश: 1848 करोड़ रु. और 964 करोड़ रु. है।

(ग) उत्तर प्रदेश में सीतापुर सड़क वाया लेहरपुर-ताबूर सड़क के निर्माण और चौड़ीकरण के लिए कोई भी प्रस्ताव सीआरएफ के अंतर्गत नहीं लिया गया है।

(घ) से (छ) प्रश्न नहीं उठता।

हथकरघा को लघु उद्योग से अनारक्षित करना

3237. श्री एस.के. खारवेनथन: क्या लघु उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हथकरघा लघु उद्योगों के अंतर्गत आरक्षित मद है;

(ख) यदि हां, तो क्या हथकरघा क्षेत्र को लघु उद्योगों से अनारक्षित करने के लिए कोई पहल की गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

लघु उद्योग मंत्री तथा कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री (श्री महावीर प्रसाद): (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) उपरोक्त (क) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

रियायती दर पर एड्स प्रतिरोधी औषधियां

3238. श्री सुबोध मोहिते: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार भारतीय औषध विनिर्माताओं के लिए स्थानीय लोगों को एड्स प्रतिरोधी औषध को रियायती दर पर उपलब्ध कराने को, अनिवार्य बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या उपाय किए गए हैं;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा एच आई वी/एड्स निवारक उपायों में निजी क्षेत्र की अधिक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) से (ग) जी, नहीं।

सरकार ने अब तक भारतीय औषध निर्माताओं के लिए स्थानीय लोगों को रियायती दरों पर एड्स रोधी औषधें प्रदान करना अनिवार्य बनाने का प्रस्ताव नहीं किया है। तथापि, सरकार ने स्टेवुडाइन, जिडोवुडाइन, लेमिवुडाईन, नेविरेपाइन, इफेविरेंज, डाइडेनोसाइन, इन्डीनेविर, रिपोनेविर नेल्फिनेविर और सेक्विनेविर जैसी आमतौर पर उपयोग की जाने वाली 10 ए आर वी औषधों पर वर्ष 2002-03 के बजट में केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के भुगतान पर रियायत कर उनकी कीमत कम कर दी है।

(घ) राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम गैर-सरकारी संगठनों के माध्यम से उच्च जोखिम वाले समूहों में निवारक उपायों को क्रियान्वित कर रहा है। इस समय देश में देह-व्यापार में लगी महिलाओं, इन्जेंक्टिंग औषध उपयोगकर्त्ताओं, प्रवासी श्रमिकों, ट्रकर्स और पुरुषों के साथ यौन संबंध स्थापित करने वाले पुरुषों जैसे उच्च जोखिम वाले समूहों में ऐसी 933 लक्षित कार्यकलाप परियोजनाएं चल रही है। गैर-सरकारी संगठन भी सामुदायिक परिचर्या केन्द्रों, एच आई वी पाजिटिव व्यक्तियों के लिए ड्राप इन केन्द्रों और स्कूल एड्स शिक्षा कार्यक्रम को चला रहे हैं। एड्स, क्षयरोग और मलेरिया निवारण परियोजना के लिए वैश्विक निधि के अंतर्गत वे परामर्शी, पहुंच बाह्य सेवाओं को संचालित करने और रिट्रोवायरल रोधी चिकित्सा प्रदान करने वाली संस्थाओं से रेफरल सम्पर्क की व्यवस्था करने में लगे हुए हैं।

[हिन्दी]

अस्पतालों में जैव-चिकित्सा अपशिष्ट इकाई

3239. श्रीमती करूणा शुक्ला: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने राज्य सरकारों से प्रत्येक राज्य के अस्पतालों में जैव-चिकित्सा अपशिष्ट इकाई की स्थापना संबंधी प्रस्ताव मांगे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने जैव-चिकित्सा अपशिष्ट इकाई की स्थापना के लिए मानदंड निर्धारित किए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) से (घ) जैव-चिकित्सा अपशिष्ट (प्रबंधन एवं रखरखाव) नियम, 1998 के अनुसार स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने अस्पताल अपशिष्ट प्रबंधन पद्धति की स्थापना करने हेतु पहचाने गए सरकारी अस्पतालों/संस्थानों में आधारभूत

ढांचे का निर्माण करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के वास्ते राज्य/संघ क्षेत्र की सरकारों से प्रस्तावों की मांग की थी।

[अनुवाद]

लिंग अनुपात में गिरावट

3240. श्री एम.पी. वीरेन्द्र कुमार: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि शिक्षित और अमीर वर्गों में शिशु लिंग अनुपात में गिरावट आ रही है, जैसाकि दिनांक 19 फरवरी, 2005 के 'हिन्दू' में इस आशय का समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं;

(ग) क्या सरकार सामाजिक अनुसंधान केन्द्र द्वारा कराए गए उस अध्ययन के निष्कर्षों से सहमत है जिसमें यह बताया गया है कि क्या भ्रूण की हत्या में बढ़ोत्तरी हो रही है और तत्संबंधी कानून के क्रियान्वयन का अभाव है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार ''प्री-कनशेप्शन एंड प्री-नाटल डायग्नोस्टिक टेकनीक्स (प्रोहिबिशन आफ सेक्स सेलेक्शन) एक्ट'' के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए क्या कदम उठा रही है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) और (ख) देश में बाल लिंग अनुपात में आ रही गिरावट सभी के लिए चिंता की बात है। भारत में वर्ष 2001 में 0-6 वर्ष के आयु वर्ग में बाल लिंग अनुपात प्रति हजार लड़कों पर 927 लड़कियों का है जबकि वर्ष 1991 की जनगणना में 945 लड़कियों का था। वर्ष 2001 के जनगणना आंकड़ों से आगे यह भी खुलासा हुआ कि बाल लिंग अनुपात सम्पन्न क्षेत्रों अर्थात् पंजाब, हरियाणा, चण्डीगढ़, दिल्ली, गुजरात और हिमाचल प्रदेश में अपेक्षाकृत कम है। यहां पर यह अनुपात क्रमश: 798, 819, 845, 868, 883 और 896 है। 'द हिन्दू' में दिनांक 19.2.2005 को प्रकाशित आंकड़े 'जन्म के समय लिंग अनुपात' से संबंधित है जिसकी तुलना 0-6 वर्ष के आयु वर्ग में बाल लिंग अनुपात के आंकड़ों से की जा सकती है।

(ग) और (घ) सामाजिक अनुसंधान केन्द्र द्वारा किए गए अध्ययन में यह उद्धृत किया गया है कि मादा भ्रूणहत्या के बारे में सही आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। इसलिए इस निष्कर्ष पर पहुंचना कठिन है कि मादा भ्रूण हत्या कराने वालों की संख्या में वृद्धि हो रही है। मादा भ्रूण हत्या को रोकने के लिए देश में प्रसव पूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन निषेध) अधिनियम वर्ष 1996 से लागू किया गया है। इस अधिनियम के कार्यान्वयन की जिम्मेदारी राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों की है जो यह काम राज्य, जिला एवं उप-जिला स्तरों पर अधिनियम के तहत नियुक्त समुचित प्राधिकारियों के जरिए करते हैं। इस अधिनियम का उल्लंघन करने वालों को 5 वर्ष तक के कारावास और 5 लाख रुपए तक के जुर्माने की सजा दी जा सकती है और साथ ही लाइसेंस का पंजीकरण भी रद्द किया जा सकता है। इस अधिनियम के तहत अल्ट्रासाउण्ड मशीन आदि का प्रयोग कर रही सभी यूनिटों को अपना पंजीकरण करवाना चाहिए। ऐसा नहीं किए जाने पर इनको सील एवं जब्त किया जा सकता है। फरवरी, 2005 तक देश में 25770 यूनिटों का पंजीकरण किया गया है। 300 न्यायालय/पुलिस मुकदमे चल रहे हैं तथा 33 मशीनों को जब्त/सील किया गया है। कुल 300 उल्लंघनों में से 214 उल्लंघन पंजीकरण नहीं कराए जाने के संबंध में हैं, 10 उल्लंघन रिकार्ड नहीं रखे जाने के संबंध में 24 उल्लंघन भ्रूण का लिंग बताने के संबंध में तथा शेष अधिनियम के अन्य उल्लंघनों के संबंध में हैं। दिल्ली में 1779 अल्ट्रासाउण्ड मशीनों को पंजीकृत किया गया है तथा न्यायालय/पुलिस में 73 मामले हैं। इस समस्या से प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करके जमीनी वास्तविकताओं की जानकारी लेने के लिए केन्द्रीय स्तर पर राष्ट्रीय मानीटरिंग और निरीक्षण समिति गठित की गई है। विनिर्माताओं द्वारा अल्ट्रासाउण्ड मशीनों की बिक्री इस अधिनियम के तहत केवल पंजीकृत यूनिटों को की जा सकती है। अभियोजन स्तर पर इस अधिनियम के बेहतर कार्यान्वयन के लिए राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी, भोपाल को न्यायपालिका के प्रशिक्षण में लगाया गया है। इस अधिनियम के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रिंट एवं अन्य मीडिया यूनिटों के जरिए बहुत से कार्यकलाप किए जाते हैं।

तथापि, यह बात मानी गई है कि सामाजिक आचरण और पूर्वाग्रह में जड़ें जमा चुकी इस समस्या से निपटने के लिए केवल कानून काफी नहीं है। रेडियों, दूरदर्शन और प्रिंट मीडिया यूनिटों के जरिए प्रसव पूर्व लिंग निर्धारण और बालिका भ्रूण हत्या के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए विभिन्न कार्यकलाप किए गए हैं। इस सामाजिक बुराई के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए राज्य/क्षेत्रीय/जिला/खण्ड स्तरों पर स्वैच्छिक संगठनों के जरिए कार्यशालाएं और सेमिनार भी आयोजित किए जाते हैं। इस कार्य को रोकने के लिए धार्मिक नेताओं और चिकित्सा से जुड़े लोगों की सहायता भी मांगी गई है। भारत सरकार ने युवा लड़कियों की उपलब्धियों को उजागर करके बेटे की चाहत को कम करने के विचार से 'बालिका बचाओ अभियान' शुरू किया है। वर्ष 2003-04 के लिए सुश्री सानिया मिर्जा, टेनिस खिलाड़ी और वर्ष 2004-05 के लिए अरुणा केसवान, सी बी एस ई टापर को इस अभियान के लिए ब्राण्ड एम्बेसेडर बनाया गया है।

होमियोपैथिक चिकित्सा महाविद्यालयों के निरीक्षण की शक्ति

3241. डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या होम्योपैथिक सेन्ट्रल काउंसिल एक्ट, 1973 केंद्र सरकार को होम्योपैथिक चिकित्सा महाविद्यालयों के निरीक्षण की शक्ति प्रदान करता है;

(ख) यदि हां, तो क्या केवल सेन्ट्रल काउंसिल आफ होम्योपैथी को ही होम्योपैथिक महाविद्यालयों और अस्पतालों के निरीक्षण का कानूनी अधिकार प्राप्त है;

(ग) यदि हां, तो क्या मंत्रालय के आयुष विभाग ने अनेक नए और पुराने होम्योपैथी महाविद्यालयों का निरीक्षण किया है और रोहतक और श्रीगंगानगर में दो नए होम्योपैथी महाविद्यालयों को खोलने की अनुमति दी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या यह निरीक्षण बिना किसी कानूनी अधिकार के किया गया था;

(च) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(छ) दोषी पाए गए व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) से (छ) होम्योपैथी शिक्षा के स्तरों में सुधार लाने और देश में अवमानक होम्योपैथी मेडिकल कालेजों की अंधाधुंध वृद्धि पर लगाम लगाने के इरादे से वर्ष 2002 में होम्योपैथी केंद्रीय परिषद अधिनियम, 1973 में संशोधन किया गया। संशोधित विधि में जो 28.1.2003 को लागू हो पाई, नए होम्यो. मेडिकल कालेज खोलने के लिए केंद्रीय सरकार की अग्रिम अनुज्ञा लेने की व्यवस्था है।

इस अधिनियम की धारा 12क के उपबंधों के अनुसार, प्रत्येक व्यक्ति या आयुर्विज्ञान संस्था अनुज्ञा प्राप्त करने के प्रयोजनार्थ केंद्रीय सरकार का एक योजना प्रस्तुत करेगी तथा केंद्र सरकार इस योजना को केंद्रीय परिषद की अनुशंसाओं के लिए उसके पास भेज देगी। केंद्रीय सरकार से योजना के प्राप्त होने के पश्चात् केंद्रीय परिषद संबंधित व्यक्ति या आयुर्विज्ञान संस्था से ऐसे विवरण प्राप्त कर सकती है जो उसके द्वारा अनिवार्य समझे जा सकते हों। योजना पर विचार करने के बाद, केंद्रीय परिषद इस पर अपनी अनुशंसाओं के साथ इसे केंद्रीय सरकार को प्रस्तुत करेगी। केंद्रीय सरकार योजना और केंद्रीय परिषद की अनुशंसाओं पर विचार करने के बाद और संबंधित व्यक्ति या आयुर्विज्ञान संस्था से अनिवार्य समझे जा सकने वाले अन्य विवरणों को आवश्यकतानुसार प्राप्त करने के बाद योजना का अनुमोदन या अनुमोदन कर सकती है और ऐसा अनुमोदन अनुज्ञा के रूप में लिया जाएगा।

रोहतक और श्री गंगानगर में नए होम्योपैथी कालेज खोलने के लिए केंद्रीय सरकार द्वारा प्राप्त योजनाएं (आवेदन) संशोधित अधिनियम की धारा 12क के अनुसार, अनुशंसा करने के लिए केंद्रीय होम्योपैथी परिषद को अग्रेषित कर दी गई। चूंकि केंद्रीय परिषद ने भेजी गई योजना (आवेदन) पर विधिक उपबंधों के कारण कार्रवाई नहीं की, अत: केंद्रीय सरकार ने अपनी संतुष्टि के ख्याल से आवेदक संस्थाओं के निरीक्षणार्थ विशेषज्ञ तैनात किए। ऐसा करना अनिवार्य था क्योंकि अधिनियम की धारा 12क (5) में व्यवस्था है कि "उप धारा (2) के अनुसार केन्द्रीय सरकार को योजना की प्रस्तुति की तिथि से एक वर्ष की अवधि के भीतर, केंद्रीय सरकार योजना प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति या आयुर्विज्ञान संस्था का कोई आदेश नहीं भेजती तो ऐसी योजना जिस रूप में प्रस्तुत की गई थी, उसी रूप में केंद्रीय सरकार द्वारा अनुमोदन कर दी गई समझी जाएगी और तदनुसार, उप-धारा (1) के तहत केंद्रीय सरकार की अपेक्षित अनुज्ञा प्रदान कर दी गई समझी जाएगी।" यह अधिनियम निरीक्षण हेतु आवश्यकतानुसार विशेषज्ञ तैनात करने से केंद्रीय सरकार को किसी रूप में नही रोकता।

होम्योपैथी केंद्रीय परिषद (संशोधन) अधिनियम, 2002 के उपबंधों के अनुसार, केंद्रीय सरकार उन विद्यमान कालेजों को जिनकी अनुज्ञा 2003-2004 में व्यपगत हो चुकी थी, अनुज्ञा प्रदान करने के लिए अधिकृत है। विधिक उपबंधों का शब्दार्थ की दृष्टि से अनुपालन किया गया है।

लाइसेंस शर्तों का उल्लंघन

3242. श्री बालासाहिब विखे पाटील: क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सेल्युलर आपरेटर्स एसोसिएशन आफ इंडिया (सी.ओ.ए.आई.) ने दिल्ली-मुम्बई ट्रैफिक पर एमटीएनएल द्वारा लाइसेंस शर्तों का उल्लंघन करने का आरोप लगाते हुए सरकार को लिखा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस मामले में क्या कार्रवाई की गयी है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) और (ख) सेल्युलर आपरेटर्स एसोसिएशन आफ इंडिया (सीओएआई) ने यह आरोप लगाया है कि उन्हें ऐसा प्रतीत होता है कि महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड (एमटीएनएल) दिल्ली और मुम्बई के बीच अपनी लंबी दूरी के परियात (ट्रैफिक) को इस प्रकार प्रचालित कर रहा है मानो इस दो सेवा क्षेत्रों के बीच उसकी सीधी संयोजकता है। सीओएआई ने निजी सेवा प्रदाताओं को भी यह सुविधा प्रदान करने पर विचार करने का अनुरोध किया है।

(ग) उल्लेखनीय है कि मौजूदा दिशा-निर्देशों के अनुसार दो दूरसंचार सेवा क्षेत्रों के बीच संयोजकता केवल लाइसेंस प्राप्त राष्ट्रीय लंबी दूरी के प्रचालकों के नेटवर्क के जरिए ही अनुमत है। एमटीएनएल द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार एमटीएनएल दिल्ली और एमटीएनएल, मुंबई दूरसंचार सेवा क्षेत्रों के बीच परियात का वहन बीएसएनएल के नेटवर्क के जरिए किया जाता है, जो एक लाइसेंस प्राप्त राष्ट्रीय लंबी दूरी का प्रचालक है। इसे देखते हुए एमटीएनएल द्वारा लाइसेंस शर्तों का कोई उल्लंघन नहीं किया गया है अत: सरकार द्वारा किसी प्रकार की कार्रवाई किए जाने की आवश्यकता नहीं है।

[हिन्दी]

पत्तनों द्वारा अर्जित आय में कमी

3243. श्री शिवराज सिंह चौहान: क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पिछले वर्ष के दौरान कुछ बड़े पत्तनों की आय में तेजी से कमी आयी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी पत्तन-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या दूसरी ओर उक्त पत्तनों पर किए जाने वाले व्यय में लगातार वृद्धि हो रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी कारण और पत्तन-वार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) बड़े पत्तनों विशेषकर पारादीप पत्तन की कार्यक्षमता बढ़ाने तथा उन पर आने वाली प्रचालन/प्रशासनिक लागत को कम करने हेतु क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री (श्री टी.आर. बालू): (क) और (ख) 12 महापत्तनों में से चेन्नई-पत्तन और मुम्बई-पत्तन की आय वर्ष 2002-2003 में रही क्रमश: 446.04 करोड़ रु. तथा 968.28 करोड़ रु. से घटकर, वर्ष 2003-2004 के दौरान क्रमश: 413.58 करोड़ रु. और 544.88 करोड़ रु. हो गई।

(ग) उपर्युक्त पत्तनों द्वारा पिछले चार वर्षों के दौरान किया गया खर्च नीचे दर्शाया जा रहा है:-

(करोड़ रु.)

	2000-2001	2001-2002	2002-2003	2003-2004
चेन्नई-पत्तन-न्यास	437.12	411.43	319.36	339.39
मुम्बई-पत्तन-न्यास	1095.12	855.97	705.22	761.67

(घ) वर्ष 2003-2004 के दौरान चेन्नई-पत्तन के खर्च में बढ़ोत्तरी, विशेष स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति पर लगभग 900 कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की वजह से पेंशन-निधि में अतिरिक्त अभिदान किए जाने और पेंशन से संबंधित दायित्व का निर्वाह करने की दृष्टि से अपेक्षित आय कायम रखने के लिए ब्याज की दर घटा दिए जाने के कारण हुई। वर्ष 2003-2004 के दौरान मुम्बई-पत्तन के खर्च में बढ़ोत्तरी, मुख्य रूप से वेतन और मजदूरी में वृद्धि और लागतों में सामान्य वृद्धि हो जाने के कारण हुई।

(ङ) अपनी कार्य-कुशलता बढ़ाने की दृष्टि से उपर्युक्त पत्तनों द्वारा, निरंतर चलती रहने वाली प्रक्रिया के एक हिस्से के रूप में विभिन्न कार्य-कलापों की आवधिक रूप से समीक्षा की जाती है। उपर्युक्त पत्तनों द्वारा कार्य-संचालनात्मक क्षमता बढ़ाने की दृष्टि से पुराने संयंत्रों और मशीनों का आधुनिकीकरण भी किया जाता है।

पारादीप-पत्तन द्वारा वर्ष 2003-2004 के दौरान किए गए कार्य-संचालनात्मक खर्च सहित कुल खर्च में वर्ष 2002-2003 में किए गए खर्च की तुलना में कोई बढ़ोत्तरी नहीं हुई है। उपर्युक्त पत्तन द्वारा वर्ष 2002-2003 में किया गया 211.79 करोड़ रु. का कार्य-संचालनात्मक खर्च, वर्ष 2003-2004 में 0.55% बढ़कर, 212.96 करोड़ रु. हो गया। वर्ष 2003-2004 के दौरान उपर्युक्त पत्तन के प्रशासनिक खर्च में कोई बढ़ोत्तरी नहीं हुई।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय राजमार्गों का उन्नयन

3244. श्री इकबाल अहमद सरडगी: क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार राष्ट्रीय राजमार्गों का उन्नयन करने हेतु 1,72,000 करोड़ रु. खर्च करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार वृहत परियोजनाओं का वित्त-पोषण करने हेतु 30,000 करोड़ रु. बाजार से उधार लेने तथा विदेशी सहायता और निजी पूंजी प्राप्त करने पर भी विचार कर रही है; और

(घ) तत्संबंधी वर्तमान स्थिति क्या है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) और (ख) अगले सात वर्षों (2005-2012) में राष्ट्रीय राजमार्गों के उन्नयन के लिए 1,72,000 करोड़ रु. (निजी क्षेत्र की भागीदारी से 75,000 करोड़ रु. सहित) की अनुमानित लागत से प्रस्तावित कार्यक्रम हेतु अवसंरचना संबंधी समिति के समक्ष योजना आयोग द्वारा एक प्रस्तुतिकरण किया गया था।

(ग) और (घ) राष्ट्रीय राजमार्गों के उन्नयन के लिए इस कार्यक्रम हेतु बाजार ऋण अथवा विदेशी सहायता की आवश्यकता को अभी बता पाना संभव नहीं है।

राष्ट्रीय राजमार्ग विकास प्रस्ताव

3245. श्री जसुभाई दानाभाई बारड़: क्या **पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय राजमार्ग विकास हेतु कोई प्रस्ताव केंद्र सरकार के विचारार्थ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) राजमार्ग विकास के संबंध में गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में सरकार की प्राथमिकताएं क्या हैं;

(घ) क्या इस प्रयोजनार्थ सौराष्ट्र क्षेत्र में किसी राजमार्ग को चिन्हित किया गया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) और (ख) अगले सात वर्षों (2005-2012) में राष्ट्रीय राजमार्गों के उन्नयन के लिए 1,72,000 करोड़ रु. (निजी क्षेत्र की भागीदारी से 75,000 करोड़ रु. सहित) की अनुमानित लागत से प्रस्तावित कार्यक्रम हेतु अवसंरचना संबंधी समिति के समक्ष योजना आयोग द्वारा एक प्रस्तुतिकरण किया गया था। इस प्रस्तुतिकरण में राष्ट्रीय राजमार्गों, बाइपासों आदि का विकास कार्य शामिल था।

(ग) से (च) राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण-I और II के अंतर्गत गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में चार लेन का बनाने के लिए अभिनिर्धारित राष्ट्रीय राजमार्ग खंडों के ब्यौरे विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

क्र.सं.	खंड	रा.रा.	लंबाई (कि.मी.)	वर्तमान स्थिति
1	2	3	4	5
पूर्व-पश्चिम महामार्ग (एन एच डी पी चरण-II)				
1.	पोरबंदर-जैतपुर (2-117 कि.मी.)	8बी	115	कार्य सौंप दिया गया है।
2.	जैतपुर-गोंडल (117-143.30 कि.मी.)	8बी	26	कार्य को बी ओ टी आधार पर सौंपा जाना है।
3.	गोंडल-रिबडा (143.30-160 कि.मी.)	8बी	17	पहले से ही चार लेन।
4.	रिबडा-राजकोट (160-175 कि.मी.)	8बी	15	पहले से ही चार लेन।

1	2	3	4	5
5.	राजकोट बाइपास (175-185 कि.मी.)	8बी	10	कार्य को बी ओ टी आधार पर सौंपा जाना है।
6.	राजकोट-बामनबोर (185-216 कि.मी.)	8बी	31	पहले से ही चार लेन।
7.	बामनबोर-गानामोर-गागोधर सड़क खंड (182.6-280 कि.मी.)	8ए	97.4	कार्य सौंप दिया गया है।
एन एच डी पी चरण-III				
8.	जैतपुर-सोमनाथ	8डी	127	एनएचडीपी चरण-III के अंतर्गत अभिनिर्धारित।

तार अधिनियम में संशोधन

3246. श्री चन्द्रभूषण सिंह: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार अवैध प्रचालन हेतु कानूनी प्रावधान को और अधिक कठोर बनाना सुनिश्चित करने के लिए तार अधिनियम में संशोधन करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह सच है कि वर्ष 1998 से देश में अवैध प्रचालन के कारण 400 करोड़ रुपये की राष्ट्रीय क्षति हुई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) और (ख) वित्तीय दंड राशि को संशोधित करने की बाबत भारतीय तार अधिनियम में संशोधन विचाराधीन है।

(ग) और (घ) वर्ष 1998 से आज तक अवैध बाजार के जिन 267 मामलों का पता लगा है उनसे देश को 400 करोड़ रुपए से अधिक की अनुमानित नोशनल हानि हुई है। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार आज की तिथि के अनुसार वर्ष-वार ब्यौरा नीचे दिया गया है:-

वर्ष	नोशनल हानि
1	2
1998	60 करोड़ रु.
1999	55.92 करोड़ रु.
2000	154.75 करोड़ रु.
2001	126.63 करोड़ रु.
2002	19.08 करोड़ रु.
2003	17.56 करोड़ रु.
2004	30.93 करोड़ रु.
2005	27.57 करोड़ रु.

महिलाओं हेतु प्रौद्योगिकी पार्क

3247. श्री बी. विनोद कुमार: क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 31 दिसम्बर, 2004 के अनुसार महिलाओं हेतु स्थापित प्रौद्योगिकी पार्कों की राज्य-वार संख्या कितनी है;

(ख) दसवीं पंचवर्षीय योजना के शेष वर्षों के दौरान कितने प्रौद्योगिकी पार्क स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है; और

(ग) इसके लिए कितनी धनराशि स्वीकृत और खर्च की गयी है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा महासागर विकास विभाग के राज्य मंत्री (श्री कपिल सिब्बल): (क) देश के निम्नलिखित राज्यों में एक जैव प्रौद्योगिकी पार्क सहित 17 महिला प्रौद्योगिकी पार्क स्थापित किए गए हैं:-

क्र.सं.	राज्य	प्रौद्योगिकी पार्कों की संख्या
1.	आंध्र प्रदेश	1
2.	असम	1
3.	छत्तीसगढ़	1
4.	केरल	1
5.	कर्नाटक	1
6.	मध्य प्रदेश	1
7.	महाराष्ट्र	3
8.	मेघालय	1
9.	राजस्थान	1
10.	सिक्किम	1
11.	तमिलनाडु	2
12.	उत्तरांचल	1
13.	उत्तर प्रदेश	1
14.	पश्चिम बंगाल	1

(ख) 10वीं पंचवर्षीय योजना के शेष वर्षों के दौरान विभिन्न कृषि-जलवायु क्षेत्रों में कम से कम 8 महिला प्रौद्योगिकी पार्क स्थापित करने संबंधी कार्रवाई संगठनों से प्रस्ताव प्राप्त हो जाने पर शुरू किए जाने का प्रस्ताव है।

(ग) 31.12.2004 तक की स्थिति के अनुसार प्रौद्योगिकी पार्कों के लिए 331.27 लाख रु. की राशि स्वीकृत की गई है तथा 287.13 लाख रु. की राशि खर्च की गई है।

वित्तीय सहायता का दुर्विनियोजन

3248. श्री प्रभुनाथ सिंह: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है एम्स, नई दिल्ली को गरीब मरीजों के उपचार हेतु प्रधान मंत्री राहत कोष गैर-सरकारी संगठनों, व्यक्ति विशेष आदि से वित्तीय सहायता मिल रही है;

(ख) यदि हां, तो पिछले पांच वर्षों के दौरान प्राप्त दान का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या दान आदि के रूप में प्राप्त धनराशि का कथित रूप से दुर्विनियोजन किया जा रहा है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) से (घ) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान को प्रधानमंत्री के कार्यालय, दिल्ली अरोग्य निधि, राष्ट्रीय बीमारी सहायता कोष (एन.आई.ए.एफ.) और अन्य गैर-सरकारी संगठनों सहित विभिन्न सरकारी संगठनों से वित्तीय सहायता/अनुदान/चिकित्सा अग्रिम प्राप्त होते हैं। पिछले पांच वर्षों के दौरान उपर्युक्त संगठनों से प्राप्त अनुदान का ब्यौरा इस प्रकार है:

(रुपए लाख में)

वर्ष	प्रधानमंत्री कार्यालय निधि	दिल्ली अरोग्य सहायता निधि	राष्ट्रीय बीमारी	अन्य
1999-2000	17.45	7.53	–	54.88
2000-2001	18.36	21.10	33.32	79.87
2001-2002	20.48	26.97	186.88	122.02
2002-2003	21.90	11.94	65.95	152.69
2003-2004	20.80	12.38	87.52	1079.36

व्यक्तिगत रोगियों के लिए उनके उपचार के वास्ते अनुदान प्राप्त किए जाते हैं। ऐसे सभी रोगी अपने-अपने उपचार से संबंधित औषधों/इम्पलांटों/शल्य चिकित्सीय मदों इत्यादि के बिल प्रस्तुत करते हैं और उनकी रसीदों को उपचार करने वाले चिकित्सक/शल्य-चिकित्सा अधीक्षक सत्यापित करते हैं और चिकित्सा अधीक्षक द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया जाता है फिर रोगियों को धनराशि की प्रतिपूर्ति कर दी जाती है। हृदय रोग विज्ञान, तंत्रिका विज्ञान और विकलांग विज्ञान (केवल प्रत्यारोपण हेतु) जैसे आपरेशन क्रियाविधियों के लिए प्रभारों का पैकेज है, संबंधित विभाग द्वारा विशेष प्रयोजन हेतु रखे गए लेखें में धन को हस्तांतरित कर दिया जाता है। ऐसे रोगियों के लिए प्राप्त किए गए सभी अनुदानों का उपयुक्त रूप से हिसाब रखा जाता है और अनुदान मंजूर करने वाले अभिकरण को अलग-अलग समुपयोजन प्रमाण-पत्र भेजे जाते हैं।

[हिन्दी]

डाक्टरों की पदोन्नति

3249. श्री राजेन्द्र कुमार:
श्री रवि प्रकाश वर्मा:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** दिनांक 1 दिसम्बर 2004 के अतारांकित प्रश्न संख्या 102 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या संबंधित सूचना अब तक एकत्र कर ली गयी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) से (ग) जी, हां। केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना औषधालयों में केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के जनरल ड्यूटी चिकित्सा अधिकारियों और गैर-शिक्षण विशेषज्ञों की तैनाती की जाती है। उनकी प्रोन्नति केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा नियमावली, 1996 और सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अनुदेशों के अनुसार की जाती है। केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के जनरल ड्यूटी चिकित्सा अधिकारी एवं गैर-शिक्षण विशेषज्ञ उप संवर्ग में वर्ष 2002, 2003, 2004 एवं 2005 में प्रोन्नत अधिकारियों की संख्या क्रमश: 675, 245, 152 एवं 193 है। आवश्यक दस्तावेजों के नहीं होने पर सक्षम प्राधिकारियों का अनुमोदन न मिलने के कारण इस समय 354 डाक्टरों की प्रोन्नति नही हो पाई है।

केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के तहत काम कर रहे अन्य श्रेणियों के कर्मचारियों की प्रोन्नति, प्रमोशन वाले पद के लिए विधिवत अधिसूचित भर्ती नियमों के उपबंधों के अनुसार की जाती है।

[अनुवाद]

चिकित्सा महाविद्यालयों/अस्पतालों का निरीक्षण

3250. श्री आनंदराव विठोबा अडसूल: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि भारतीय चिकित्सा परिषद द्वारा प्रत्येक चिकित्सा महाविद्यालय और सरकारी अस्पताल का निरीक्षण किए जाने का प्रावधान है;

(ख) यदि हां, तो क्या भारतीय चिकित्सा परिषद ने अनेक वर्षों से चिकित्सा महाविद्यालयों और अस्पतालों का निरीक्षण नहीं किया है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है; और

(ङ) सरकार द्वारा चिकित्सा महाविद्यालयों और सरकारी अस्पतालों का नियमित निरीक्षण करने हेतु क्या उपाय किए गए हैं अथवा किए जाने का प्रस्ताव है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) से (ङ) नए महाविद्यालयों की स्थापना करने या नए पाठ्यक्रम को शुरू करने या सीटों की संख्या में वृद्धि करने, प्रदान की गई अनुमतियों का वार्षिक नवीकरण करने के लिए इस अधिनियम की धारा 11(2) के तहत चिकित्सा पाठ्यक्रमों को मान्यता देने तथा देश में चिकित्सा शिक्षा के मानदंडों को बनाए रखने हेतु पहले से ही पहचाने गए संस्थानों का आवधिक निरीक्षण करने संबंधी सिफारिशें भारत सरकार से करने के उद्देश्य से भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम, 1956 के विभिन्न प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय चिकित्सा परिषद को चिकित्सा महाविद्यालयों तथा सम्बद्ध अस्पतालों का निरीक्षण करने का अधिकार प्राप्त है। भारतीय चिकित्सा परिषद उपर्युक्त अलग-अलग श्रेणियों के निरीक्षण के लिए लम्बित विभिन्न चिकित्सा महाविद्यालयों तथा संबद्ध अस्पतालों का नियमित निरीक्षण कर रही हैं।

उत्तर-दक्षिण, पूर्व-पश्चिम कॉरीडोर परियोजनाएं

3251. श्री रायापति सांबासिवा राव: क्या **पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने उत्तर-दक्षिण, पूर्व-पश्चिम कॉरीडोर पर 1,800 करोड़ रुपये की छह परियोजनाओं को स्वीकृति दी है;

(ख) यदि हां, तो क्या इनमें से 995 करोड़ रुपये लागत की तीन परियोजनाएं दक्षिण कोरिया की डेलिम के साथ मिलकर नागार्जुन कन्स्ट्रक्शन को प्राप्त हुई हैं; और

(ग) यदि हां, तो इन परियोजनाओं पर काम कब तक शुरू किए जाने की संभावना है तथा इस पर कुल कितनी लागत आएगी?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) ठेकेदारों ने कार्यस्थल पर उपस्कर जुटाना आरंभ कर दिया है। 6 निर्माण पैकेजों में होने वाला कुल व्यय अनुमानत: 1736.59 करोड़ रु. है।

जीन क्रांति

3252. श्री बृज किशोर त्रिपाठी: क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हरित क्रांति के पश्चात भारत को भविष्य में जनसंख्या के बृहत्तर भाग के भोजन की आवश्यकता की पूर्ति हेतु अधिक उपज करने वाले खाद्यान्नों की किस्मों का विकास करने के लिए जीन क्रांति की आवश्यकता है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने वैज्ञानिकों से इस संबंध में इन परियोजनाओं पर कार्य करने के लिए कहा है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा महासागर विकास विभाग के राज्य मंत्री (श्री कपिल सिब्बल): (क) जी हां। हरित क्रांति अब श्रान्ति का संकेत दे रही है और फार्म उत्पादकता में हुई वृद्धि भी मन्द पड़ रही है, क्योंकि बहुत सी फसल किस्में अपनी उत्पादकता की जैविक सीमा तक पहुंचने वाली हैं और भविष्य में कृषि सामग्रियों के अधिक उपयोग से फसलों की उत्पादकता में वृद्धि करना संभव नहीं भी हो सकता है। हमारी बढ़ती आबादी की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हमें प्रति व्यक्ति कम कृषि-योग्य भूमि, कम पानी तथा अन्य प्राकृतिक संसाधनों की सहायता से बढ़ती हुई प्रतिकूल पर्यावरणीय परिस्थितियों में अपने खाद्य उत्पादन में वृद्धि करनी होगी। पादप जैव प्रौद्योगिकी में हुई प्रगति से प्रजनात्मक सीमाओं के बाहर अपनी उत्पादकता में सुधार के लिए किसी भी स्रोत से परिभाषित जीनों को हमारी फसलों में अन्तरित करना संभव हो सका है।

(ख) और (ग) सरकार कृषि महत्व के जीनों की क्लोनिंग और लक्षण-वर्णन तथा हमारी महत्वपूर्ण फसलों में उनके अन्तरण संबंधी अनुसंधान परियोजनाओं को सहायता दे रही है। इन प्रयासों के परिणामस्वरूप बीटी, प्रोटिएस इनहिबिटर, फेरिटिन, लेक्टिन, वसीय अम्ल डीसैचुरेस जीन, ऊतक विशिष्ट प्रोमोटर, प्रोटीन गुणवत्ता तथा लवण सहय जीनों जैसे 2 दर्जन से अधिक जीनों की पहचान हो सकी है। इसके अतिरिक्त भारतीय चावल जीनोम अनुक्रमण पहल ने अनेक जीनों की पहचान की है और तदुपरान्त पैदावार एवं प्रतिबल से संबंधित जीनों की पहचान तथा उनके क्रियात्मक विश्लेषण के लिए बहु-संस्थानिक नेटवर्क कार्यक्रम शुरू किया गया है। सरकार चावल, सरसों, टमाटर, मूंगफली, चना, आलू, शकरकंद, कपास, गन्ना इत्यादि जैसी फसलों की उत्पादकता में सुधार करने, जीवीय एवं अजीवीय प्रतिबलों के कारण होने वाली क्षति को कम करने और पौषणिक गुणवत्ता में सुधार करने के लिए जैव प्रौद्योगिकीय हस्तक्षेप के संबंध में अनुसंधान परियोजनाओं को पहले ही सहायता प्रदान कर रही है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) ने चावल, ज्वार, मक्का, चना, अरहर, कपास, सरसों, केला, पपीता, टमाटर, बैंगन, आलू तथा कैसाव जैसी महत्वपूर्ण फसलों में विशिष्ट लक्षणों के लिए पराजीनियों के विकास हेतु एक नए कार्यक्रम पर भी विचार किया है। यह परियोजना इन फसलों के आण्विक सुधार में विशेषज्ञता प्राप्त 20 आईसीएआर संस्थानों द्वारा शुरू की जाएगी।

[हिन्दी]

प्री-पेड कार्डों का अभाव

3253. श्री संतोष गंगवार: क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उत्तर प्रदेश में विशेषकर बरेली जिले में भारत संचार निगम लिमिटेड में प्रीपेड कनैक्शनों का अभाव है और एक वर्ष से अधिक समय बीत जाने के बावजूद कनैक्शन न मिलने की शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(ख) यदि हां, तो सरकार इस संबंध में क्या कदम उठा रही है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) जी, हां। क्षमता संबंधी बाध्यताओं के कारण और ग्राहकों को निर्बाध सेवा देने के लिए प्री-पेड कनेक्शन देने पर अस्थायी रूप से नियंत्रण लगा दिया गया है।

(ख) बीएसएनएल ने उत्तर प्रदेश के बरेली जिले में 42,800 लाइनों की क्षमता सहित 12,20,000 लाइनों की क्षमता वाले उपस्कर की आपूर्ति और संस्थापना के लिए क्रयादेश दे दिए हैं और छः महीनों के भीतर मांग पर कनेक्शन उपलब्ध कराए जाने की आशा है।

[अनुवाद]

दवाओं की आयुर्वेदिक और अन्य वैकल्पिक प्रणालियां

3254. श्री दुष्यंत सिंह: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का दवाओं की आयुर्वेदिक और अन्य वैकल्पिक प्रणालियों को प्रोत्साहन देने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में तैयार किए गए कार्यक्रमों का राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) राजस्थान में दवाओं की आयुर्वेदिक और अन्य वैकल्पिक प्रणालियों को बढ़ावा देने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) और (ख) सरकार आयुर्वेद एवं अन्य भारतीय चिकित्सा पद्धतियों के संवर्धन हेतु प्रतिबद्ध है। शैक्षणिक संस्थानों का विकास, अनुसंधान क्रियाकलापों का संवर्धन, औषधि गुणवत्ता नियंत्रण, अस्पताल एवं औषधालय आदि हेतु इस संबंध में कई केंद्र क्षेत्रक और केंद्रीय प्रायोजित स्कीमें कार्यान्वित की जा रही हैं। सभी राज्यों में शैक्षणिक अवसंरचना के विकास, शिक्षण अस्पतालों, राज्य औषधि परीक्षण प्रयोगशालाओं और फार्मेसियों के सुदृढ़ीकरण और ग्रामीण व पिछड़े क्षेत्रों के औषधालयों में अनिवार्य औषधियों की आपूर्ति हेतु वित्तीय सहायता दी जाती है बशर्ते कि प्रासंगिक मार्गदर्शिका के अनुरूप प्रस्ताव उपयुक्त हों।

(ग) राजस्थान सरकार को राज्य के आयुर्वेद, यूनानी एवं होम्योपैथी चिकित्सा पद्धतियों के शैक्षणिक अवसंरचना के विकास, राज्य औषधि परीक्षण प्रयोगशालाओं और राज्य फार्मेसियों के सुदृढ़ीकरण और ग्रामीण एवं पिछड़े क्षेत्रों के अनेक औषधालयों को अनिवार्य औषधियों की आपूर्ति हेतु वित्तीय सहायता दी गई है।

[हिन्दी]

केन्द्रीय सचिवालय सेवाओं में रिक्तियां

3255. श्री अजीत जोगी: क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि केन्द्रीय सचिवालय सेवाओं में अभी भी अनेक रिक्तियां भरी जानी हैं;

(ख) यदि हां, तो इन पदों को कब तक भरे जाने की संभावना है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार का विचार केन्द्रीय सचिवालय सेवाओं में प्रवेश हेतु आयु सीमा में छूट देने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कार्मिक, लोक-शिकायत और पेंशन-मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश पचौरी): (क) और (ख) केन्द्रीय सचिवालय सेवा में रिक्तियों का भरा जाना एक चलती रहने वाली प्रक्रिया है तथा इन सेवाओं में आवधिक आधार पर होने वाली रिक्तियां मौजूदा नियमों और अनुदेशों के अनुसार भरी जाती हैं।

(ग) ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

गैर-सरकारी संगठनों को निधियां

3256. श्री बापू हरी चौरे: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार स्वास्थ्य और परिवार कल्याण कार्यक्रमों तथा ग्रामीण स्वास्थ्य परिचर्या योजनाओं के क्षेत्र में कार्यरत स्वैच्छिक संगठनों/गैर-सरकारी संगठनों को निधियां मुहैया कराती हैं;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष गैर-सरकारी संगठनों को मुहैया करायी गयी कुल निधियों का और राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) उपरोक्त कार्यक्रमों/योजनाओं में लगे गैर-सरकारी संगठनों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा इन गैर-सरकारी संगठनों द्वारा निधियों के समुचित उपयोग की निगरानी हेतु कौन-सी एजेंसियां नियुक्त की गयी है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

मुलुन्द डाकघर, मुम्बई में धोखाधड़ी

3257. श्रीमती कल्पना रमेश नरहिरे: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मुलुन्द पश्चिम डाकघर, मुम्बई में छोटे निवेशकों से संबंधित धोखाधड़ी की जांच पूरी कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह सच है कि इसमें डाक कर्मचारी संलिप्त थे;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है/किए जाने का प्रस्ताव है;

(ङ) क्या विभाग द्वारा इस संबंध में मुम्बई पुलिस/केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो के पास शिकायत दर्ज करा दी गई है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं तो विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(छ) निवेशकों की धनराशि कब तक वापस किए जाने की संभावना है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) जी हां, विभागीय जांच पूरी हो चुकी है।

(ख) पता लगी धोखाधड़ी की राशि 57,16,956/- (सत्तावन लाख सोलह हजार नौ सौ छप्पन रुपए मात्र) है। चार लघु बचत एजेंट इसमें शामिल हैं।

(ग) इस मामले में चार डाक कर्मचारी संलिप्त पाए गए हैं।

(घ) इन सभी कर्मचारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू कर दी गई है।

(ङ) जी हां, विभाग ने मुंबई पुलिस में शिकायत दर्ज की है।

(च) पुलिस ने उन एजेंटों को गिरफ्तार कर लिया है जो मुख्य रूप से दोषी हैं और न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया है।

(छ) अब तक 2,34,364/- रुपए (दो लाख चौंतीस हजार तीन सौ चौंसठ रुपए केवल) के बारह दावों को स्वीकृति प्रदान कर दी है। इस समय विभाग के पास निपटारे के लिए कोई दावा लंबित नहीं है।

[हिन्दी]

भ्रष्टाचार के मामले

3258. श्री तुकाराम गणपतराव रेंगे पाटील:
श्री सुशिल कुमार महतो:

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भ्रष्टाचार रोकने के लिए जिम्मेदार सतर्कता अधिकारी अक्षम और निष्प्रभावी साबित हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सरकार का विचार भ्रष्टाचार के मामलों की हैंडलिंग की समीक्षा करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपचारात्मक उपाय किए जाने का प्रस्ताव है?

कार्मिक, लोक-शिकायत और पेंशन-मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश पचौरी): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

ग्राम पंचायतों को टेलीफोन

3259. श्री असादुद्दीन ओवेसी: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आंध्र सर्किल में सभी ग्राम पंचायतों को टेलीफोन मुहैया करा दिए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो उन पंचायतों का जिलेवार ब्यौरा क्या है जिनको अब तक टेलीफोन मुहैया कराए जा चुके हैं तथा जिन्हें अभी टेलीफोन मुहैया कराया जाना है;

(ग) सभी ग्राम पंचायतों को टेलीफोन सुविधा कब तक मुहैया कराए जाने की संभावना है; और

(घ) वर्ष 2003-2004 और 2004-2005 के दौरान इस प्रयोजनार्थ कितना बजटीय आवंटन किया गया और वास्तव में खर्च की गयी धन राशि कितनी है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) जी, नहीं।

(ख) 18,264 ग्राम पंचायतों को टेलीफोन सुविधा प्रदान कर दी गई है और 1,269 ग्राम पंचायतों को टेलीफोन सुविधा अभी प्रदान की जानी है। गौण स्विचन क्षेत्रवार (एसएसए) ब्यौरा विवरण-I में दिया गया है।

(ग) आंध्र प्रदेश में टेलीफोन सुविधा रहित शेष गांवों में ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन (वीपीटी) प्रदान करने हेतु आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए सार्वभौमिक सेवा दायित्व (यूएसओ) निधि के प्रशासक के कार्यालय ने 10.11.2004 को भारत संचार निगम लिमिटेड के साथ एक करार पर हस्ताक्षर किए हैं। इनमें

आबादी रहित, नक्सल/उग्रवाद प्रभावित, 100 व्यक्तियों से कम की जनसंख्या वाले और घने वन क्षेत्रों में बसे गांव शामिल नहीं हैं। इन गांवों को नवम्बर, 2007 तक चरणबद्ध तरीके से वीपीटी प्रदान किए जाएंगे।

(घ) आंध्र प्रदेश में मौजूदा ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोनों (वीपीटी) से संबंधित विभिन्न क्रियाकलापों के लिए यूएसओ निधि से प्रदान की गई आर्थिक सहायता का ब्यौरा विवरण-II में दिया गया है।

विवरण I

आंध्र प्रदेश में उन ग्राम पंचायतों की गौण स्विचन क्षेत्रवार (एसएसए) सूची जिनमें टेलीफोन सुविधा प्रदान की गई है और जहां टेलीफोन सुविधा अभी प्रदान की जानी है

क्र.सं.	गौण स्विचन क्षेत्र (एसएसए) का नाम	उन पंचायतों की सं. जहां टेलीफोन सुविधा प्रदान की गई है।	उन पंचायतों की सं. जहां टेलीफोन सुविधा प्रदान की गई है
1	2	3	4
1.	अदिलाबाद	629	97
2.	अनंतपुर	823	42
3.	चित्तूर	1,144	148
4.	कुड्डपा	715	26
5.	पूर्वी गोदावरी	869	67
6.	गुंटूर	959	0
7.	करीम नगर	988	63
8.	खम्माम	575	33
9.	कृष्णा	933	0
10.	कुरनूल	811	10
11.	महबूबनगर	1,092	12
12.	मेडक	791	18
13.	नालगोंडा	968	43
14.	नेल्लोर	900	42
15.	निजामाबाद	553	68
16.	प्रकासम	897	58
17.	रंगारेड्डी	581	2
18.	श्रीकाकुलम	985	79
19.	विशाखापट्टनम	724	205
20.	विजयनगरम	832	57
21.	वारंगल	686	198
22.	पश्चिमी गोदावरी	809	1
	कुल	18,264	1,269

विवरण II

आंध्र प्रदेश में ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोनों (वीपीटी) के लिए सार्वभौमिक सेवा दायित्व (यूएसओ) निधि से दी गई आर्थिक सहायता

क्र.सं.	क्रियाकलाप का नाम	संवितरित सब्सिडी (करोड़ रु. में)	
		2003-04	2004-05 (28.2.2005 तक)
1.	वीपीटी का प्रचालन और रख रखाव	2.48	3.50
2.	मल्टी एक्सेस रेडियो रिले (एमएआरआर) वीपीटी का प्रतिस्थापना	0.21	5.76
	कुल	2.69	9.26

टेलीफोन सुविधाओं की स्थापना हेतु प्रौद्योगिकी

3260. श्री सुनिल कुमार महतो:
श्री वी.के. दुग्गर:

क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश की भौगोलिक और सामाजिक स्थितियों को ध्यान में रखते हुए ग्रामीण क्षेत्रों में टेलीफोन सुविधाओं की स्थापना हेतु प्रौद्योगिकी को चिन्हित कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) देश के ग्रामीण क्षेत्रों में टेलीफोन सुविधाओं की स्थापना हेतु अब तक प्रयुक्त विभिन्न प्रकार की प्रौद्योगिकियों का ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) देश की भौगोलिक और सामाजिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए ग्रामीण क्षेत्रों में टेलीफोन सुविधाएं प्रदान करने के लिए बीएसएनएल ने निम्नलिखित प्रौद्योगिकियों को चिह्नित और प्रयुक्त किया है:

(1) वायरलैस इन लोक लूप (बीएसएनएल) ग्रामीण क्षेत्रों में अभिगम नेटवर्क के लिए यह पूर्णत: बेतार प्रौद्योगिकी है। इस प्रणाली में एक बेस स्टेशन कन्ट्रोल होता है जिससे विभिन्न स्थानों पर अवस्थित बहुत से बेस स्टेशन जुड़े होते हैं।

(2) उपग्रह आधारित प्रौद्योगिकी दूर-दराज और अलग-थलग क्षेत्रों में बसे जिन गांवों को किसी अन्य स्थलीय माध्यम से कवर नहीं किया जा सकता उन्हें डिजीटल सेटलाइट फोन टर्मिनलों (डीएसपीटी) का प्रयोग करके टेलीफोन सुविधा प्रदान की जा रही है।

(3) भूमिगत केबल/ऊपरी लाइनें।

[हिन्दी]

राज्य स्वास्थ्य विकास परियोजनाएं

3261. श्री ब्रजेश पाठक: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आज की स्थिति के अनुसार उन राज्यों के नाम क्या हैं जहां विश्व बैंक द्वारा वित्तपोषित राज्य स्वास्थ्य विकास परियोजनाएं वर्ष 1996 में शुरू की गयी थी परन्तु अब बंद कर दी गई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) उक्त परियोजनाओं के अंतर्गत क्या उपलब्धियां हासिल हुई हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) से (ग) दूसरी राज्य स्वास्थ्य प्रणाली परियोजना कर्नाटक, पंजाब और पश्चिम बंगाल में विश्व बैंक से एस डी आर 235.5 एम/350 मिलियन अमरीकी डालर की सहायता से आरंभ की गई थी। यह परियोजना 31 मार्च, 2004 को पूरी हो गई। विश्व बैंक ने अपनी अंतिम समीक्षा में यह रिकार्ड किया है कि इस परियोजना के लिए निर्धारित सभी विकास कार्य पूरे कर लिए गए हैं।

[अनुवाद]

पत्तन/गोदी कामगारों की सेवानिवृत्ति आयु बहाल करना

3262. श्री जुएल ओराम: क्या पोत-परिवहन, सड़क-परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का पत्तन और गोदी कामगारों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष बहाल करने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

पोत-परिवहन, सड़क-परिवहन और राजमार्ग मंत्री (श्री टी.आर. बालू): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

पंचायत संचार सेवा योजना

3263. श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव: क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने वर्ष 1995 में पंचायत संचार सेवा योजना आरंभ की थी;

(ख) यदि हां, तो इस योजना के उद्देश्य क्या हैं;

(ग) क्या इस योजना के अंतर्गत, सरकार ने ऐसे एजेंटों को कमीशन दी जिन्होंने कोई सेवा प्रदान नहीं की थी;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इसके परिणामस्वरूप सरकार को कितना घाटा हुआ है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) जी, हां।

(ख) उद्देश्य यह था कि डाक सुविधाओं रहित ग्राम पंचायत गांवों में पंचायतों के सहयोग से अधिक किफायती रूप से बुनियादी डाक सुविधाएं मुहैया कराई जाएं।

(ग) और (घ) पंचायत संचार सेवा योजना के अंतर्गत एक एजेंट को डाक-टिकटों तथा डाक लेखन सामग्री की बिक्री तथा

रजिस्टर्ड पत्रों की बुकिंग जैसी काउंटर सेवाएं प्रदान करने के साथ-साथ जहां लागू हो वहां डाक संग्रहण, उसे लाने-ले जाने तथा डाक वितरण जैसी सेवाएं मुहैया कराने के लिए 300/- रु. प्रति माह (संशोधन के बाद मार्च 2001 से 600/- रु. प्रति माह) की नियत राशि प्रदान की जाती थी। डाक-टिकटों तथा डाक लेखन सामग्री की मात्रा और बुक की गई हर रजिस्टर्ड डाक वस्तु के लिए अलग से प्रोत्साहन राशि/कमीशन प्रदान किया जाता था। जहां कोई लेन-देन नहीं हुआ हो वहां एजेंट को केवल नियत भत्ता प्रदान किया जाता था परन्तु कमीशन नहीं।

(ङ) उपर्युक्त (ग) और (घ) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

कर्नाटक में सार्वजनिक टेलीफोन बूथों का आबंटन

3264. श्री जी. करूणाकर रेड्डी: क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कर्नाटक में सार्वजनिक टेलीफोन बूथों के आबंटन के लिए लंबित पड़े आवेदनों की सर्किल-वार संख्या कितनी है;

(ख) ऐसे बूथों के आबंटन के लिए क्या मानदंड निर्धारित किये गए हैं;

(ग) सभी लंबित आवेदनों को निपटाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या उक्त बूथों के आबंटन के संबंध में शिक्षित युवक बेरोजगारों/विकलांगों को कोई वरियता दी जा रही है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) कर्नाटक में लंबित पड़े आवेदनों की कुल संख्या 1719 है। जिला-वार ब्योरा विवरण में दिया गया है।

(ख) 18 वर्ष और इससे अधिक आयु प्राप्त कर चुके सभी आवेदक सार्वजनिक टेलीफोन बूथों के आबंटन हेतु पात्र हैं। उन्हें उनके रजिस्ट्रेशन के अनुसार तकनीकी व्यवहार्यता के अध्यधीन कनेक्शन प्रदान किए जाते हैं।

(ग) लंबित पड़े आवेदनों को निपटाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:-

(1) तकनीकी रूप से अव्यवहार्य क्षेत्रों को व्यवहार्य बनाने के लिए भूमिगत केबल बिछाने का कार्य शुरू किया गया।

(2) नए क्षेत्रों में डब्ल्यूएलएल प्रणाली संस्थापित करना।

(3) मौजूदा डब्ल्यूएलएल प्रणाली और उपलब्ध डब्ल्यूएलएल क्षमता द्वारा कवर किए गए क्षेत्रों के लिए स्थिर वायरलेस टर्मिनलों की अधिप्राप्ति।

(घ) और (ङ) सामान्यत: सभी आवेदकों को उनके रजिस्ट्रेशन के अनुसार सार्वजनिक टेलीफोन आबंटित किए जाते हैं। तथापि, जहां प्रतीक्षा सूची होती है वहां आबंटन में युद्ध में मारे गए सैनिकों की विधवाओं/उनके आश्रितों, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के आवेदकों और भूतपूर्व सैनिकों सहित विकलांग व्यक्तियों को प्राथमिकता दी जाती है। शिक्षित बेरोजगार युवाओं के लिए कोई प्राथमिकता निर्धारित नहीं की गई है।

(च) शिक्षित बेरोजगार युवाओं को प्राथमिकता देना आवश्यक नहीं समझा गया है क्योंकि अधिकांश क्षेत्रों में पीसीओ मांग पर उपलब्ध हैं।

विवरण

कर्नाटक में लंबित पड़े आवेदनों की जिलेवार संख्या

क्र.सं.	जिले का नाम	पीसीओ के लिए लंबित पड़े आवेदनों की संख्या (28.2.2005 की स्थिति के अनुसार स्थानीय और एसटीडी/आईएसडी पीसीओ सहित)
1	2	3
1.	बंगलौर (शहरी)	129
2.	बंगलौर (ग्रामीण)	96
3.	बिदर	0
4.	बेलगाम	0
5.	बीजापुर	740
6.	बेगलकोट	222
7.	बेल्लारी	18
8.	चिकमगलूर	41
9.	दावनगेरे	0
10.	चित्रदुर्ग	0

1	2	3
11.	दक्षिण कन्नड	6
12.	उडुपी	17
13.	गुलबर्ग	11
14.	हसन	0
15.	हुबली	34
16.	गडग	107
17.	हावेरी	28
18.	कोलार	0
19.	मैसूर	0
20.	चामराज नगर	0
21.	मांड्या	0
22.	मादिकेरी	0
23.	रायचुर	0
24.	कोप्पल	0
25.	शिमोगा	270
26.	तुमकुर	0
27.	उत्तर कन्नड	0
	कुल	1719

ग्रामीण/अर्ध शहरी क्षेत्रों में डब्ल्यू.एल.एल.

3265. श्री सुबोध मोहितेः क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश के ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में डब्ल्यूएलएल प्रौद्योगिकी आरंभ करने हेतु कोई रणनीति तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में सेवाएं प्रदान करने की अपनी वचनबद्धता को पूरा न करने वाले बेसिक टेलीफोन आपरेटरों के विरुद्ध कार्यवाही आरंभ की है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) और (ख) जी हां। बीएसएनएल ने देश के ऐसे सभी ग्रामीण और अर्द्ध-शहरी क्षेत्रों में वायरलैस इन लोकल लूप (डब्ल्यूएलएल) प्रौद्योगिकी को प्रयोग में लाने की योजना बनाई है जहां इसकी मांग है और जहां ऐसा करना व्यवहार्य है। 31.01.2005 की स्थिति के अनुसार अब तक बीएसएनएल ने डब्ल्यूएलएल की 8,59,750 लाइनें शहरी क्षेत्रों में और 16,70,550 लाइनें ग्रामीण क्षेत्रों में लगाई हैं।

(ग) उपर्युक्त भाग (क) और (ख) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(घ) से (च) सेवा को आरंभ करने में हुए विलंब, ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन (वीपीटी) और सीधी एक्सचेंज लाइनों (डीईएल) को प्रदान न किए जाने के लिए 53.75 करोड़ रु. की परिनिर्धारित नुकसानी वसूल की गई।

कर्नाटक में चिकित्सा इकाइयों का उन्नयन

3266. श्री इकबाल अहमद सरडगी: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार 200 मिलियन रुपये से थोड़ी सी अधिक लागत पर कर्नाटक में ग्रामीण, जिला और राज्य स्तरों पर 276 चिकित्सा इकाइयों का उन्नयन करने का है ताकि असामान्य निदानिक लक्षणों पर लगातार दृष्टि रखने के अलावा रोगों के उत्पन्न होने पर चौबीस घंटे निगरानी रखी जा सके;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार द्वारा इन चिकित्सा इकाइयों के उन्नयन पर धनराशि खर्च किये जाने की संभावना है; और

(घ) यदि हां, तो ये इकाइयां कब तक कार्य करना प्रारंभ कर देंगी?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) से (घ) सरकार ने कर्नाटक सहित देश के नौ राज्यों में चरण I में एकीकृत रोग निगरानी परियोजना आरंभ की है। इस परियोजना का उद्देश्य रोग निगरानी तंत्र को सुदृढ़ करना तथा इस प्रयोजन के लिए कर्नाटक राज्य में 249 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों और 27 जिला निगरानी यूनिटों का चयन किया गया

है। राज्य के लिए निर्धारित 215.95 मिलियन रुपए में से अब तक 29.20 मिलियन रुपए जारी कर दिए गए हैं। इन यूनिटों द्वारा वर्ष 2005-06 के दौरान कार्य शुरू कर दिए जाने की संभावना है।

गुजरात में दूरसंचार सेवाओं हेतु धनराशि

3267. श्री जसुभाई दानाभाई बारड़: क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान गुजरात में दूरसंचार सेवाओं के लिए जिलेवार कितनी धनराशि आवंटित की गई;

(ख) क्या दूरसंचार सर्किलों ने इस संबंध में निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है;

(ग) यदि हां, तो उस पर खर्च की गई राशि का ब्यौरा क्या है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इस लक्ष्य को कब तक प्राप्त कर लिए जाने की संभावना है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) गुजरात सर्किल में गत तीन वर्षों में और चालू वर्ष के दौरान दूरसंचार सेवाएं प्रदान करने के लिए जिलेवार आबंटित की गई राशि का ब्यौरा विवरण-I में दिया गया है।

(ख) अधिकांश मामलों में लक्ष्य प्राप्त कर लिए गए हैं। इस संबंध में स्थिति संलग्न विवरण-II में दर्शाई गई है।

(ग) गत तीन वर्षों में और चालू वित्त वर्ष के दौरान खर्च की गई राशि का ब्यौरा निम्नवत है:

क्र.सं.	वर्ष	खर्च की गई राशि (राशि करोड़ रु. में)
1.	2001-02	1170.81
2.	2002-03	896.19
3.	2003-04	337.21
4.	2004-05	95.77 (31.01.05 तक)

(घ) और (ङ) गुजरात में सेवा प्रदाताओं द्वारा मोबाइल नेटवर्क का विलंब से रॉल आउट किए जाने के कारण उपभोक्ताओं को मोबाइल कनेक्शन प्रदान करने में विलंब हुआ। तथापि, अब मोबाइल कनेक्शन प्रदान किए जा रहे हैं।

विवरण I

गुजरात सर्किल में दूरसंचार सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए आवंटित राशि का एसएसए/जिला/वर्ष-वार ब्यौरा

क्र.सं.	एसएसए/जिले का नाम	वर्ष 2001-02	वर्ष 2002-03	वर्ष 2003-04	वर्ष 2004-05
1	2	3	4	5	6
1.	अहमदाबाद	269.1	164.04	159.64	104.24
2.	अमरेली	28.92	55.97	3.63	1.61
3.	बड़ौदा	87.4	38.01	30.57	12.79
4.	भरूच	68.61	36.73	15.01	5.88
5.	भावनगर	33.42	23.31	11.89	5.94
6.	भुज	62.45	30.26	20.49	6.68
7.	गोधरा	45.28	49.27	6.04	3.23
8.	हिम्मतनगर	61.28	60.01	19.1	7.28

1	2	3	4	5	6
9.	जामनगर	55.69	50.46	25.32	6.91
10.	जूनागढ़	69.55	22.71	41.7	7.14
11.	मेहसाना	51.99	100.75	31.96	6.72
12.	नाडियाड	57.16	41.15	8.6	4.11
13.	पालनपुर	44.6	51.81	15.81	6.56
14.	राजकोट	91.16	118.75	22.55	18.3
15.	सूरत	90.36	50.38	27.78	11.46
16.	सुरेंद्र नगर	48.2	34.16	11.72	3.35
17.	वालसाद	94.01	64.39	6.08	8.15
18.	सीओ एन्सिलियरी सिस्टम	66.85	129.78	66.05	39.99
	कुल	1326.03	1121.94	523.94	260.34

विवरण II

गुजरात दूरसंचार सर्किल में गत तीन वर्षों और 2004-05 (31.01.05 तक) के दौरान लक्ष्यों और उपलब्धियों का ब्यौरा

क्र.सं.	वर्ष	पैरामीटर					
		सकल टेलीफोन कनेक्शन (स्थिर, डब्ल्यूएलएल और मोबाइल)		आप्टिकल फाइबर केबल (मार्ग किमी)		ट्रंक आटोमैटिक एक्सचेंज (किलो सर्किट)	
		लक्ष्य	उपलब्धियां	लक्ष्य	उपलब्धियां	लक्ष्य	उपलब्धियां
1.	2001-02	650000	587866	9050	9215	59	61
2.	2002-03	502700	584669	2000	2633	86.5	90.5
3.	2003-04	424000	398840	1200	2008	51	29
4.	2004-05 (31.01.2005 तक)	663000	270111	1000	383	26	16

आयुर्वेदिक अनुसंधान केंद्र की स्थापना

3268. श्री विक्रमभाई अर्जनभाई माडम: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को गुजरात में आयुर्वेदिक अनुसंधान केन्द्र की स्थापना हेतु कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस प्रस्ताव को कब तक मंजूरी प्रदान किए जाने की संभावना है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) केंद्र सरकार को गुजरात में आयुर्वेदिक अनुसंधान केंद्र स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं प्राप्त हुआ है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

पर्वतीय क्षेत्रों के लिए योजना

3269. श्री बृज किशोर त्रिपाठी: क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार के पास देश के पर्वतीय क्षेत्रों के विकास के लिए कोई योजना/कार्यक्रम हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार को उड़ीसा के तटवर्ती क्षेत्रों के लिए भी ऐसी योजना/कार्यक्रम हेतु आग्रह प्राप्त हुए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और केन्द्र सरकार ने ऐसे आग्रहों पर क्या कार्यवाही की है; और

(ङ) सरकार द्वारा तटवर्ती क्षेत्रों के लिए पृथक योजना/ कार्यक्रम कब तक बनाये जाने की संभावना है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. राजशेखरन): (क) जी, हां।

(ख) देश के अभिनामित पर्वतीय क्षेत्रों के विकास के लिए पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम (एच ए डी पी) और पश्चिमी घाट विकास कार्यक्रम (डब्ल्यू जी डी पी) के अंतर्गत विशेष केन्द्रीय सहायता जारी की जाती है। पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम असम के दो जिलों, तमिलनाडु का एक जिला और पश्चिम बंगाल का एक जिला तथा पश्चिमी घाट विकास कार्यक्रम पश्चिमी घाट क्षेत्र के 171 ताल्लुकों को कवर करता है जिसमें गोवा (1 जिले में 3 ताल्लुक), कर्नाटक (11 जिलों में 40 ताल्लुक), केरल (13 जिलों में 32 ताल्लुक) महाराष्ट्र (11 जिलों में 63 ताल्लुक) और तमिलनाडु (8 जिलों में 33 ताल्लुक) शामिल हैं। इन कार्यक्रमों को समान महत्व देते हुए और पश्चिमी घाट विकास कार्यक्रम के मामले में क्षेत्र को 75% और जनसंख्या को 25% महत्व देते हुए विशेष केन्द्रीय सहायता का आबंटन किया जा रहा है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

नई मानचित्र नीति

3270. श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु: क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार नई 'मानचित्र नीति' विकसित करने का है;

(ख) यदि हां, तो इसके मुख्य प्रावधान क्या हैं;

(ग) क्या इसमें एरियल/डिजिटल फोटोग्रैमट्री के क्षेत्र में आवश्यक संशोधन भी शामिल हैं;

(घ) क्या भारतीय सर्वेक्षण विभाग की लोपोशीट्स डिजिटल रूप में सार्वजनिक क्षेत्रों में उपलब्ध करायी जायेंगी; और

(ङ) यदि हां, तो इसका स्केल क्या है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा महासागर विकास विभाग के राज्य मंत्री (श्री कपिल सिब्बल): (क) जी, हां।

(ख) से (ङ) नई मानचित्र नीति अभी भी सरकार के विचाराधीन है। इसके प्रावधानों को अभी अंतिम रूप दिया जा रहा है।

अमरीका द्वारा नये परमाणु हथियारों का विकास

3271. श्री बालासाहिब विखे पाटील: क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अमरीका नयी पीढ़ी के परमाणु हथियारों का डिजाइन तैयार कर रहा है जैसा कि दिनांक 8.2.2005 के 'हिन्दुस्तान टाइम्स' में प्रकाशित हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (राव इन्द्रजीत सिंह): (क) सरकार ने नई पीढ़ी के परमाणु हथियारों को विकसित करने की यूएस योजनाओं से संबंधित रिपोर्ट को देखा है। यह रिपोर्ट यूएस की रिलायबल रिप्लेसमेंट वारहेड्स प्रोग्राम से संबंधित है। डा. सैमुअल बोडमैन, यूएस ऊर्जा सचिव ने कार्यक्रम पर टिप्पणी करते हुए कहा है ''यह हमारे पास जो भी है उसे कायम रखने की बात है। मैं समझता हूं कि किसी ने सुझाव दिया है कि वे कुछ नया सृजित कर रहे हैं। यह हमारे पास जो है से कायम रखने

की बात है।" पूर्व में स्टीफन जी. रेडमेकर, यू एस असिस्टेंट सेकेट्री आफ स्टेट, ने 3 फरवरी, 2005 को एक वक्तव्य में कहा "अपनी संधि वचनबद्धताओं और रक्षा आवश्यकताओं से सामंजस्य रखते हुए, यह हमारी नीति है कि आकस्मिकताओं के लिए योजना बनाना जारी रखें तथा वैचारिक तौर पर तकनीकी विकल्पों की खोज करें जो हमारी परमाणु निवारक क्षमता की साख को बनाए रख सके"। उन्होंने यह भी कहा "वास्तविकता यह है कि यूनाइटिड स्टेट्स अल्प-उत्पादन परमाणु हथियारों सहित, कोई नया परमाणु हथियार विकसित नहीं कर रहा है। उन्नत संकल्पनाओं के लिए पिछले वर्षों में कांग्रेस द्वारा किए गए वित्तपोषण के अंतर्गत नए हथियार डिजाइनों का अध्ययन पूर्णत: वैचारिक रहा है।"

(ख) भारत ने सदैव कहा है कि परमाणु हथियारों सहित जन संहार के समस्त हथियारों को बहुपक्षीय समझौतों, व्यापक और गैर-भेदमूलक निरस्त्रीकरण उपकरणों के माध्यम से वैश्विक तौर पर मिटाया जाना चाहिए।

नैमित्तिक श्रमिकों को नियमित किया जाना

3272. श्री के.सी. सिंह 'बाबा': क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि सरकारी विभागों में कार्यरत नैमित्तिक श्रमिकों की कतिपय श्रेणियों को अस्थायी या नियमित होने का दर्जा देने के लिए सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों में उक्त दिशा-निर्देशों के जारी होने का तारीख के समय सेवा में रहे उन कतिपय नैमित्तिक श्रमिकों को या उन श्रमिकों को अलग रखा गया है जिन्होंने दिशा-निर्देशों में निर्धारित न्यूनतम दिनों की दी गई सेवा के बावजूद उक्त दिशा-निर्देशों के जारी होने की तारीख के बाद रोजगार प्राप्त किया;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो गत तीन वर्षों के दौरान मंत्रालय/विभागवार विशेषकर रक्षा लेखा विभाग में कार्यरत कितने नैमित्तिक श्रमिकों को अस्थायी श्रमिकों का दर्जा दिया गया?

कार्मिक, लोक-शिकायत और पेंशन-मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश पचौरी): (क) और (ख) जी, हां। भारत सरकार की, अनियत मजदूरों को (अस्थायी दर्जा दिए जाने तथा नियमित किए जाने की) योजना, 1993 के प्रावधानों के अनुसार, उन अनियत मजदूरों को अस्थायी दर्जा दिया जा सकता है जो योजना आरंभ होने की तारीख को रोजगार में थे तथा जिन्होंने कम से कम एक साल की अविच्छिन्न सेवा कर ली हो। जिसका अभिप्राय यह है कि कम से कम 240 दिन (पांच दिवसीय कार्य सप्ताह वाले कार्यालयों के मामले में 206 दिन) की अवधि के लिए उन्हें काम पर लगाए रखा गया हो। जो अनियत मजदूर, उपर्युक्त मानदण्डों को पूरा नहीं करते वे अस्थायी दर्जा पाने के पात्र नहीं हैं।

(ग) उपर्युक्त (क) और (ख) के मद्देनजर प्रश्न नहीं उठता।

कर्नाटक में टेलीफोन सुविधाएं

3273. श्री जी.एम. सिद्देश्वर: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कर्नाटक के सभी जिलों के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में टेलीफोन सुविधाएं प्रदान की गई हैं;

(ख) यदि नहीं, तो उन गांवों की जिला-वार संख्या कितनी है जहां, पर टेलीफोन सुविधा उपलब्ध नहीं है;

(ग) कर्नाटक के ग्रामीण क्षेत्रों में प्रतीक्षा सूची का जिला-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) ग्रामीण क्षेत्रों में राष्ट्रीय दूर संचार नीति के निर्धारित लक्ष्य सरकार द्वारा प्राप्त नहीं कर पाने के क्या कारण हैं;

(ङ) कर्नाटक के ग्रामीण क्षेत्रों में टेलीफोन कनेक्शनों की प्रतीक्षा सूची कब तक निपट जाने की संभावना है;

(च) इस प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि उपलब्ध कराई गई है; और

(छ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जाने का विचार है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) जी, हां। कर्नाटक में सभी जिलों के शहरी क्षेत्रों में और सुगम, आबादी वाले और विवाद रहित गांवों में टेलीफोन सुविधा प्रदान कर दी गई है।

(ख) लागू नहीं होता।

(ग) ब्यौरे विवरण में दिए गए हैं।

(घ) नई दूरसंचार नीति, 1999 के उद्देश्यों के अनुसार ग्रामीण टेली-घनत्व को 0.4 प्रतिशत से बढ़ाकर वर्ष 2010 तक 4 प्रतिशत करने का लक्ष्य रखा गया है। वर्तमान टेली-घनत्व 1.63% है। आशा है कि नई दूरसंचार नीति 1999 के तहत निर्धारित 4% के लक्ष्य को 2010 तक प्राप्त कर लिया जाएगा।

(ङ) मौजूदा अधिकांश प्रतीक्षा सूची को जून, 2006 तक निपटा दिए जाने की आशा है।

(च) ग्रामीण क्षेत्रों में टेलीफोन प्रदान करने के लिए वर्ष 2004-05 में 156.11 करोड़ रु. की राशि आबंटित की गई।

(छ) ग्रामीण क्षेत्रों में प्रतीक्षा सूची को सीडीएमए वायरलैस इन लोकल लूप (डब्ल्यूएलएल) उपस्कर का प्रयोग करके निपटाए जाने का प्रस्ताव है।

विवरण

कर्नाटक के ग्रामीण क्षेत्रों में प्रतीक्षा सूची

क्र.सं.	राजस्व जिले	ग्रामीण प्रतीक्षा सूची
1	2	3
1.	बंगलौर (ग्रामीण)	11,921
2.	बिदर	81
3.	बेलगाम	6,449
4.	बीजापुर	2,478
5.	बगलकोट	1,046
6.	चिकमगलूर	1,996
7.	दावनगेरे	780
8.	चित्रदुर्ग (सीटीएल)	1,730
9.	दक्षिण कन्नड	9,934
10.	उडुपी	10,408
11.	गुलबर्ग	2,385
12.	हसन	4,064
13.	हुबली	563
14.	गडग	897
15.	हावेरी	1,786
16.	कोलार	3,498
17.	मैसूर	2,685
18.	चामराज नगर	75
19.	मांड्या	3,402
20.	कोडागू	2,921
21.	रायचुर	2,299
22.	कोप्पल	598
23.	शिमोगा	7,120
24.	तुमकुर	3,557
25.	उत्तर कन्नड	1,412

[हिन्दी]

मेडिकल स्टोरों का नेटवर्क

3274. श्री निखिल कुमार चौधरी: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार सरकारी मेडिकल स्टोरों का राष्ट्र व्यापी नेटवर्क स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसे कब तक कार्यान्वित किए जाने की संभावना है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) से (ग) चिकित्सा सामग्री भंडार डिपो संगठन का पहले ही देश-व्यापी नेटवर्क है और यह दिल्ली, चैन्नई, गुवाहाटी, हैदराबाद, करनाल, कोलकाता एवं मुम्बई स्थित सात सरकारी चिकित्सा सामग्री भंडार डिपो के माध्यम से कार्य करता है। ये चिकित्सा सामग्री भंडार डिपो, सरकारी अस्पतालों और केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना औषधालयों को दवाओं की आपूर्ति के लिए पूरे देश की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं।

ब्राडबैंड सेवाएं

3275. श्री मुन्शी राम:
श्री मो. ताहिर:
श्री डी. विद्टल राव:
श्रीमती अनुराधा चौधरी:

क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कितने राज्यों में ब्राडबैंड सेवा शुरू की गई है;

(ख) ब्राडबैंड कनेक्शन हेतु राज्यवार कितने आवेदन प्राप्त किए है;

(ग) क्या सरकार का विचार उक्त सेवा को मोबाइल फोन उपभोक्ताओं को भी प्रदान करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) और महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड (एमटीएनएल) द्वारा जनवरी, 2005 में 9 राज्यों नामत: आंध्र प्रदेश, बिहार, दिल्ली, कर्नाटक, महाराष्ट्र, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और गुजरात में ब्राडबैंड सेवाएं शुरू की गई हैं।

(ख) ब्राडबैंड कनेक्शनों के लिए बीएसएनएल और एमटीएनएल द्वारा प्राप्त किए गए पंजीकरणों के राज्य-वार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) और (घ) ब्राडबैंड नीति, 2004 में दूरसंचार विभाग की स्पेक्ट्रम प्रबंधन नीति और सेवा प्रदाताओं के लाइसेंस प्रदान करने के ढांचे के भीतर ब्राडबैंड सेवाएं प्रदान करने के लिए विभिन्न अभिगम प्रौद्योगिकियों के माध्यम से अवसंरचना का निर्माण करने की कल्पना की गई है।

विवरण

*बीएसएनएल और एमटीएनएल के ब्राडबैंड पंजीकरण के ब्यौरे**

क्र.सं.	दूरसंचार सर्किल/ जिले का नाम	पंजीकरण की संख्या
1	2	3
1.	अंडमान और निकोबार	79
2.	आंध्र प्रदेश	11811
3.	असम	838
4.	बिहार	3597
5.	छत्तीसगढ़	802
6.	दिल्ली	18002
7.	गुजरात	10799
8.	हरियाणा	3242
9.	हिमाचल प्रदेश	642
10.	जम्मू और कश्मीर	767
11.	झारखंड	2029
12.	कर्नाटक	21491
13.	केरल	6918
14.	मध्य प्रदेश	5931
15.	महाराष्ट्र	15809
16.	मुंबई	4763
17.	पूर्वोत्तर I	754
18.	पूर्वोत्तर II	399
19.	उड़ीसा	2025
20.	पंजाब	7313
21.	राजस्थान	4739
22.	तमिलनाडु	10166
23.	उत्तर प्रदेश (पूर्व)	7207
24.	उत्तर प्रदेश (पश्चिम)	3206
25.	उत्तरांचल	1096
26.	पश्चिम बंगाल	2927
27.	चेन्नई दूरसंचार जिला	16017
28.	कोलकाता दूरसंचार जिला	19168

*टिप्पणी: क्र.सं. 6 और 16 के ब्यौरे एमटीएनएल से संबंधित हैं जबकि शेष बीएसएनएल से संबंधित हैं।

[हिन्दी]

पासपोर्ट जारी करने में विलम्ब

3276. **श्री मनसुखभाई डी. वसावा:**
श्री विक्रमभाई अर्जनभाई माडम:
श्री निखिल कुमार:
श्री काशीराम राणा:
श्री अतीक अहमद:
श्री एम. अंजनकुमार यादव:
श्री वी.के. दुग्मर:
श्री रघुवीर सिंह कौशल:

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पासपोर्ट जारी करने में होने वाले विलम्ब का मुख्य कारण पुलिस सत्यापन प्रक्रिया की धीमी गति है;

(ख) यदि हां, तो आज की तिथि को आर.पी.ओ-वार लंबित पासपोर्ट आवेदनों की संख्या कितनी है;

(ग) लंबित आवेदनों को यथाशीघ्र निपटाने के लिए क्या कदम उठाए हैं/उठाए जाने का विचार है;

(घ) क्या सभी जिलों में जिला पासपोर्ट प्रकोष्ठ स्थापित नहीं किये गए हैं;

(ङ) यदि हां, तो इन प्रकोष्ठों के कब तक स्थापित किये जाने की सम्भावना है;

(च) क्या पासपोर्ट कार्यालयों का हाल ही में निरीक्षण किया गया है;

(छ) यदि हां, तो इस निरीक्षण से उजागर हुए भ्रष्टाचार के विभिन्न मामलों का ब्यौरा क्या है; और

(ज) दोषी पाए गए कर्मियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है/किए जाने का प्रस्ताव है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (राव इन्द्रजीत सिंह): (क) समय पर पुलिस सत्यापन रिपोर्ट प्राप्त न होने की वजह से कई बार पासपोर्ट जारी करने में देरी होती है।

(ख) एक ब्यौरा विवरण में संलग्न है।

(ग) लम्बित मामलों को निपटाने के लिए उठाए गए कदमों में शामिल है (1) पुलिस से सत्यापन प्रक्रिया की गति को बढ़ाने का अनुरोध, (2) आवेदन की प्रक्रिया को सरल बनाना, (3) पब्लिक पूछताछ काउंटरों को सुदृढ़ बनाना, (4) विलम्ब की शिकायतों की जांच करने के लिए मुख्य पासपोर्ट अधिकारी की प्रत्यक्ष देखरेख में केन्द्रीय लोक शिकायत निगरानी केन्द्र खोलना।

(घ) उत्तरांचल को छोड़कर बाकी सभी राज्यों में जिला पासपोर्ट सैल खोले गए हैं। वर्तमान समय में देश में लगभग 400 जिलों में जिला पासपोर्ट सैल हैं।

(ङ) राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों को जिला पासपोर्ट सैल खोलने के लाभों के बारे में बताया गया है और उनसे उन जिलों में पासपोर्ट सैल खोलने का अनुरोध किया गया है जहां अभी तक जिला पासपोर्ट सैल नहीं खोले गए हैं।

(च) मंत्रालय के अधिकारियों द्वारा पासपोर्ट कार्यालयों का नियमित निरीक्षण किया जाता है।

(छ) प्रश्न नहीं उठता।

(ज) ऐसे मामलों में दोषी पाए गए व्यक्तियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी और इसमें निलम्बन अथवा उचित दंड दिया जाना भी शामिल है।

विवरण

लंबित मामलों संबंधी ब्यौरा

क्र.सं.	पासपोर्ट कार्यालय	14.03.2005 तक लंबित आवेदन
1	2	3
1.	अहमदाबाद	4520
2.	बंगलौर	4462
3.	बरेली	1618
4.	भोपाल	8535
5.	भुवनेश्वर	1882
6.	चंडीगढ़	10488
7.	चैन्नई	4164
8.	कोचिन	3126
9.	दिल्ली	8779
10.	गाजियाबाद	2118
11.	गुवाहाटी	220
12.	हैदराबाद	2134
13.	जयपुर	22087
14.	जालंधर	3578
15.	जम्मू	79
16.	कोलकाता	1208
17.	कोजीकोड	13927
18.	लखनऊ	10264
19.	मुम्बई	745

1	2	3
20.	नागपुर	1375
21.	पणजी	209
22.	पटना	1283
23.	पुणे	45
24.	रांची	2520
25.	श्रीनगर	2934
26.	सूरत	2656
27.	ठाणे	शून्य
28.	तिरूचिरापल्ली	4516
29.	त्रिवेंद्रम	3428
30.	विशाखापट्टनम	2924

होमियोपैथिक महाविद्यालयों को खोलना

3277. श्री विजय कुमार खंडेलवाल:
श्री फग्गन सिंह कुलस्ते:
श्रीमती नीता पटैरिया:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में होमियोपैथिक महाविद्यालय खोलने के लिए अनुमोदन प्राप्त करने संबंधी निर्धारित प्रक्रिया और मापदण्ड क्या है;

(ख) संस्थानों द्वारा महाविद्यालय के रूप में अर्हता प्राप्त करने और सुविधाओं का ब्यौरा क्या है और इस संबंध में अनुमोदन प्रदान करने से पूर्व निरीक्षण करने के लिए किस एजेंसी को तैनात किया जाता है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने हाल के वर्षों के दौरान कुछेक राज्यों में होमियोपैथिक महाविद्यालयों को खोलने के लिए मंजूरी दी है;

(घ) यदि हां, तो राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ऐसे संस्थानों के क्या नाम हैं;

(ङ) उक्त होमियोपैथिक महाविद्यालयों को खोलने से पूर्व निरीक्षण करने वाली एजेंसी के नाम क्या हैं;

(च) क्या केन्द्र सरकार ने उक्त होमियोपैथी महाविद्यालयों को बिना सक्षम होमियोपैथी परिषद् द्वारा निरीक्षण और बिना कोई सिफारिश के अनुमोदन किया है;

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं; और

(ज) इस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) से (ज) अधिनियम की धारा 12क के अंतर्गत प्रावधानों के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति अथवा चिकित्सा संस्थान को अनुमति लेने के प्रयोजनार्थ केन्द्र सरकार के पास स्कीम प्रस्तुत करनी पड़ती है और केंद्र सरकार स्कीम को केंद्रीय परिषद के पास उसकी संस्तुतियों हेतु भेजती है। केंद्र सरकार से स्कीम प्राप्त होने पर केंद्रीय परिषद संबद्ध व्यक्ति अथवा चिकित्सा संस्थान से ऐसे ब्यौरे प्राप्त कर सकती है जिन्हें वह आवश्यक समझती है। स्कीमों पर विचार करने के बाद, केंद्रीय परिषद उसे अपनी संस्तुतियों के साथ केंद्र सरकार को प्रस्तुत कर देती है। केंद्र सरकार स्कीम और केंद्रीय परिषद की संस्तुतियों पर विचार करने और संबद्ध व्यक्ति अथवा चिकित्सा संस्थान से ऐसे अन्य ब्यौरे, जिन्हें वह आवश्यक समझती है, प्राप्त करने के बाद स्कीम को अनुमोदित अथवा अस्वीकृत कर सकती है और ऐसी किसी भी अनुमोदन को अनुमति के रूप में माना जाएगा।

आवेदक संस्थान द्वारा प्राप्त सुविधाओं और पात्रता से संबद्ध ब्यौरों में कक्षाएं चलाने हेतु भवन अवसंरचना की उपलब्धता, अस्पताल, प्रयोगशालाएं न्यूनतम विहित मानदंडों के अनुसार अध्यापन संकायों, अध्यापन, तकनीकी, और गैर-तकनीकी मानव शक्ति की भर्ती, विहित क्षेत्रफल में भूमि, राज्य सरकार से अनापत्ति प्रमाण पत्र और संबद्ध विश्वविद्यालय के संबंध की सहमति शामिल हैं।

भारत सरकार ने रोहतक (हरियाणा) और श्रीगंगानगर (राजस्थान) में नए होमियोपैथी कालेज खोलने के लिए क्रमश: जे आर किसान न्यास, रोहतक और जे आर तांत्या न्यास, श्री गंगानगर को अनुमति दी है।

रोहतक और श्री गंगानगर में नए होम्योपैथी कालेज खोलने के लिए आवेदन पत्रों को संशोधित अधिनियम की धारा 12क के अंतर्गत संस्तुति के लिए केंद्रीय होम्योपैथी परिषद को अग्रेषित कर दिया गया था। चूंकि केंद्रीय परिषद ने भेजी गई स्कीम (आवेदन पत्र) पर विधिक उपबंधों के संबंध में कार्रवाई नहीं की, इसलिए, केंद्र सरकार ने अपने संतोष के लिए रोहतक (हरियाणा) में नए होम्योपैथिक कालेज के निरीक्षण हेतु विशेषज्ञों यथा डा. एस.पी. सिंह, सलाहकार (होम्योपैथी) और डा. टी.एन.एस. कुरूप, सहायक निदेशक, सी.सी.आर.एच. और श्री गंगानगर (राजस्थान) में नए

होम्योपैथिक कालेज और अनुसंधान संस्थान के निरीक्षण हेतु प्रो. सी. नायक और डा. आलोक कुमार, उप निदेशक (होम्योपैथी) को प्रतिनियुक्त किया था। यह इसलिए आवश्यक है क्योंकि अधिनियम की धारा 12क (5) यह उपबंध करती है कि "यदि उपधारा 2 के अंतर्गत केंद्र सरकार को स्कीम प्रस्तुत करने की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर स्कीम प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति अथवा चिकित्सा संस्थान के पास केंद्र सरकार द्वारा कोई आदेश संप्रेषित नहीं किया जाता है, तो ऐसी स्कीम को उसी रूप में जिस रूप में इसे प्रस्तुत किया गया था, केंद्र सरकार द्वारा अनुमोदित मान लिया जाएगा। तदनुसार उपधारा (1) के अंतर्गत अपेक्षित केंद्र सरकार की अनुमति को भी प्रदान मान लिया जाएगा।" अधिनियम किसी प्रकार से निरीक्षणों के लिए विशेषज्ञों की यथा अपेक्षित प्रतिनियुक्ति को बाधित नहीं करता है। एच एस सी सी (संशोधित) अधिनियम, 2002 के अंतर्गत प्रावधानों के अनुसार केंद्र सरकार को उन वर्तमान कालेजों को अनुमति देने का अधिकार दिया गया है जिनकी अनुमति 2003-2004 में समाप्त हो गई थी। विधिक उपबंधों का अक्षरश: अनुपालन किया गया है।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति संसदविद सम्मेलन की सिफारिशें

3278. श्री रामदास आठवले: क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि दिसम्बर, 1999 में हुए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति संसदविद सम्मेलन ने सिफारिश की थी कि निगमों/स्वायत्त संस्थाओं/सरकारी विभागों में उच्च पदों पर नियुक्त/नामांकन हेतु चयन बोर्ड के साथ अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के सदस्य को संबद्ध किया जाए;

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई; और

(ग) वित्त मंत्रालय में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कितने कर्मचारी ऐसे उच्च पदों पर आसीन हैं?

कार्मिक, लोक-शिकायत और पेंशन-मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश पचौरी): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

होम्योपैथिक महाविद्यालयों से संबंधित प्रारूप विनियम

3279. डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय:
श्री आनंदराव विठोबा अडसूल:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या होम्योपैथी केंद्रीय परिषद द्वारा नए होम्योपैथिक महाविद्यालय को मान्यता देने, सीट संख्या बढ़ाने और नए पाठ्यक्रम शुरू करने संबंधी प्रारूप विनियम स्वीकृति हेतु केंद्र सरकार के पास भेजे गए है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने उक्त प्रारूप विनियमों को स्वीकृति दे दी है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा उक्त प्रारूप में क्या परिवर्तन किए गए हैं;

(घ) क्या किए गए परिवर्तन होम्योपैथी केंद्रीय परिषद अधिनियम, 1973 के अनुरूप नहीं है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त मुद्दे को सुलझाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) से (ङ) केंद्रीय होम्योपैथी परिषद ने नए होम्योपैथिक मेडिकल कालेजों की स्थापना, अध्ययन अथवा प्रशिक्षण के नए या उच्चतर पाठ्यक्रम प्रारंभ करने एवं होम्योपैथी मेडिकल कालेजों द्वारा प्रवेश क्षमता में वृद्धि के लिए केंद्र सरकार के अनुमोदनार्थ प्रारूप विनियम को भेजा है। केंद्र सरकार ने आवश्यक परिवर्तन और विधि एवं न्याय मंत्रालय की सहमति से विनियम को अधिसूचना हेतु सीसीएच को भेजा है। शिक्षा के उच्च मानकों को कायम रखने और होम्योपैथी के अवमानक शिक्षण संस्थानों की अनियंत्रित वृद्धि पर अंकुश लगाने के लिए भूखंड क्षेत्र, बैंक गारंटी, आवेदन शुल्क आदि के संबंध में परिवर्तन किए गए। ये परिवर्तन होम्योपैथी केंद्रीय परिषद अधिनियम, 1973 के प्रावधानों के अनुरूप ही किए गए। तथापि, केन्द्रीय परिषद ने केंद्र सरकार द्वारा अनुमोदित विनियमों को प्रकाशित नहीं किया। मामले को केंद्रीय होम्योपैथी परिषद द्वारा की गई अनियमितताओं की छानबीन के लिए गठित जांच आयोग को सौंप दिया गया है।

उच्च तकनीक वाले उत्पादों की निगरानी

3280. श्री रायपति सांबासिवा राव:
श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव:

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत वर्ष संयुक्त राज्य अमरीका और भारत द्वारा किसी नए समझौते पर हस्ताक्षर किये गये थे जिसमें भारत ने यह प्रतिबद्धता जताई थी कि वह न केवल उच्च तकनीक वाले उत्पादों को आखिर तक उपयोग में लाने की मानीटरिंग करेगा बल्कि आखिर तक इन्हें उपयोग में लाने वाले प्रयोक्ताओं की भी निगरानी करेगा;

(ख) यदि हां, तो उक्त समझौते की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं और उपभोग-सत्यापन हेतु सम्मिलित किये गये अमरीकी उत्पादों की सूची का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त समझौते के अंतर्गत भारत संवेदनशील प्रौद्योगिकी का आयात करने वाले संगठनों अथवा कंपनियां पर सांकेतिक नियंत्रण करने में अमरीकी सरकार की सहायता करेगा; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके भारत के लिए कितना सहायक होने की संभावना है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (राव इन्द्रजीत सिंह): (क) और (ख) जी, हां। भारत और संयुक्त राज्य अमरीका ने संयुक्त राज्य लाइसेंसिंग आवश्यकता अथवा प्रतिबंध के अध्यधीन चयनित दोहरे उपयोग की वस्तुओं के अंतिम उपयोग सत्यापन के लिए सितम्बर, 2004 में एक व्यवस्था की है। यह व्यवस्था अंतिम उपयोगकर्त्ता पर नहीं बल्कि अंतिम उपयोग पर केन्द्रित है।

(ग) इस व्यवस्था के अंतर्गत, भारत सरकार संयुक्त राज्य के साथ उच्च तकनीक व्यापार की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पूर्व-लाइसेंस जांच और माल भेजने के बाद के सत्यापन को सुविधाजनक बनाएगी।

(घ) इसके फलस्वरूप, संयुक्त राज्य सरकार ने अधिक उदार और पूर्व सूचनीय लाइसेंसिंग नीतियां अपना ली हैं। इसके कारण दोनों देशों के बीच उच्च-तकनीकी वाणिज्य का विस्तार हुआ है।

अपराह्न 12.01 बजे

सभा पटल पर रखे गए पत्र

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री (श्री टी.आर. बालू): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) (एक) नाविक भविष्य निधि संगठन, मुम्बई के वर्ष 2003-2004 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) नाविक भविष्य निधि संगठन मुम्बई के वर्ष 2003-2004 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) नाविक भविष्य निधि संगठन, मुम्बई के वर्ष 2003-2004 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 1847/2005]

(3) पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की वर्ष 2005-2006 की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 1848/2005]

[हिन्दी]

लघु उद्योग मंत्री तथा कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री (श्री महावीर प्रसाद): अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) (एक) कयर बोर्ड, कोच्चि के वर्ष 2003-2004 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखे।

(दो) कयर बोर्ड, कोच्चि के वर्ष 2003-2004 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) (एक) कयर उद्योग अधिनियम, 1953 की धारा 17 की उपधारा (4) के अंतर्गत कयर बोर्ड, कोच्चि के वर्ष 2003-2004 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(दो) कयर बोर्ड, कोच्चि के वर्ष 2003-2004 के लेखापरीक्षित लेखाओं की समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 1849/2005]

(5) (एक) खादी और ग्रामोद्योग आयोग, मुम्बई के वर्ष 2003-2004 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) खादी और ग्रामोद्योग आयोग, मुम्बई के वर्ष 2003-2004 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) खादी और ग्रामोद्योग आयोग, मुम्बई के वर्ष 2003-2004 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 1850/2005]

[अनुवाद]

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री दयानिधि मारन): महोदय, मैं दूरसंचार विभाग, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की वर्ष 2005-2006 की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 1851/2005]

प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर): महोदय, मैं प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय की वर्ष 2005-2006 की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल.टी. 1852/2005]

सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ऑस्कर फर्नांडिस): महोदय, मैं सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय की वर्ष 2005-2006 की अनुदान की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल.टी. 1853/2005]

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा महासागर विकास विभाग के राज्य मंत्री (श्री कपिल सिब्बल): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):

(एक) सेंट्रल इलेक्ट्रानिक्स लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2003-2004 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) सेंट्रल इलेक्ट्रानिक्स लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2003-2004 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 1854/2005]

(3) निम्नलिखित अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):

(एक) महासागर विकास विभाग की वर्ष 2005-2006 की।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल.टी. 1855/2005]

(दो) विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय की वर्ष 2005-2006 की।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल.टी. 1856/2005]

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश पचौरी): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 की धारा 3 की उपधारा (2) के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवा (मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति लाभ) संशोधन नियम, 2004 जो 20 दिसम्बर, 2004 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 820(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल.टी. 1857/2005]

(2) कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय तथा संघ लोक सेवा आयोग की वर्ष 2005-2006 की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल.टी. 1858/2005]

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूं:

(1) (एक) फार्मेसी काउंसिल आफ इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 2003-2004 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) फार्मेसी काउंसिल आफ इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 2003-2004 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 1859/2005]

(3) (एक) इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान (क्षेत्रीय कैंसर केन्द्र), पटना के वर्ष 2002-2003 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंदिरा गांदी आयुर्विज्ञान संस्थान (क्षेत्रीय कैंसर केन्द्र), पटना के वर्ष 2002-2003 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 1860/2005]

(5) खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 की धारा 23 की उपधारा (2) के अंतर्गत खाद्य अपमिश्रण निवारण (तीसरा संसोधन) नियम, 2004 जो 11 अगस्त, 2004 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 517(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उनका एक शुद्धिपत्र जो 17 नवम्बर, 2004 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 750(अ) में प्रकाशित हुआ था।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 1861/2005]

(6) भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद अधिनियम, 1970 की धारा 36 की उपधारा (2) के अंतर्गत भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद (स्नातकोत्तर आयुर्वेद शिक्षा) विनियम, 2005 जो 4 फरवरी, 2005 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 1 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 1862/2005]

(7) (एक) किदवई मेमोरियल इंस्टिट्यूट आफ ओन्कोलोजी, बंगलौर के वर्ष 2003-2004 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) किदवई मेमोरियल इंस्टिट्यूट आफ ओन्कोलोजी, बंगलौर के वर्ष 2003-2004 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) किदवई मेमोरियल इंस्टिट्यूट आफ ओन्कोलोजी, बंगलौर के वर्ष 2003-2004 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 1863/2005]

(9) (एक) एमएनजे इंस्टिट्यूट आफ ओन्कोलोजी (क्षेत्रीय कैंसर केन्द्र), हैदराबाद के वर्ष 2003-2004 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) एमएनजे इंस्टिट्यूट आफ ओन्कोलोजी (क्षेत्रीय कैंसर केन्द्र), हैदराबाद के वर्ष 2003-2004 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(10) उपर्युक्त (9) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 1864/2005]

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 की धारा 37 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):

(एक) दूरसंचार (प्रसारण और केबल सेवाएं) इंटरकनेक्शन (पहला संशोधन) विनियम, 2005 से 3 मार्च, 2005 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 3-37/2005/बीएण्डसीएस में प्रकाशित हुए थे।

(दो) रिपोर्टिंग सिस्टम आन एकाउंटिंग सेपरेशन (तीसरा संशोधन) विनियम, 2005 जो 4 मार्च, 2005 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 16-6/2005/एफए में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) रजिस्टर आफ इंटरकनेक्ट (एग्रीमेंट्स (तीसरा संशोधन) विनियम, 2005 जो 4 मार्च, 2005 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ सं. 306-3/2005-क्यूओएस में प्रकाशित हुए थे।

(चार) रजिस्टर आफ इंटरकनेक्ट एग्रीमेंट्स (प्रसारण और केबल सेवाएं) (पहला संशोधन) विनियम, 2005 जो 4 मार्च, 2005 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 6-6/2005-बीएण्डसीएस में प्रकाशित हुए थे।

(पांच) भारतीय दूर-संचार विनियामक प्राधिकरण (सूचना की प्राप्ति) विनियम, 2005 जो 4 मार्च, 2005 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ सं. 14-1/2005-एफए में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 1865/2005]

(2) डाक विभाग की वर्ष 2005-2006 की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 1866/2005]

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (राव इन्द्रजीत सिंह): महोदय, मैं विदेश मंत्रालय की वर्ष 2005-2006 की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं:

[ग्रंथालय में रखी गई। **देखिए** संख्या एल.टी. 1867/2005]

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 की धारा 10 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):

(एक) का.आ. 1276 (अ) जो 17 नवम्बर, 2004 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसमें मुख्य इंजीनियर, राष्ट्रीय राजमार्ग, सड़क निर्माण विभाग, बिहार अथवा उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि को राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 31 पर कड़ी कोशी पर स्थायी पुल के प्रयोक्ता से मेकैनिकल वाहनों पर केन्द्रीय सरकार की ओर से विनिर्दिष्ट दरों पर शुल्क एकत्रित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है।

(दो) का.आ. 95 (अ) जो 27 जनवरी, 2005 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 4 (चेन्नई-रानीपेट खंड) को चार लेन वाला बनाने के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(तीन) का.आ. 164 (अ) जो 4 फरवरी, 2005 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 29 सितम्बर, 2003 की अधिसूचना संख्या का.आ. 1120 (अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(चार) का.आ. 165 (अ) जो 4 फरवरी, 2005 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 6 सितम्बर, 2004 की अधिसूचना संख्या का.आ. 991 (अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(पांच) का.आ. 169 (अ) जो 7 फरवरी, 2005 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 5 (चेन्नई-विजयवाड़ा खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन तथा प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(छह) का.आ. 217 (अ) जो 17 फरवरी, 2005 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो महाराष्ट्र राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 (मन्सार-नागपुर खंड) के निर्माण (चौड़ा करने) के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(सात) का.आ. 1426 (अ) जो 30 दिसम्बर, 2004 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 4 (चेन्नई-रानीपेटड खंड) को चार लेन वाला बनाने के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(आठ) का.आ. 107 (अ) जो 31 जनवरी, 2005 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो कर्नाटक राज्य में चार लेन वाले राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 4 (बेलगाम-महाराष्ट्र खंड) के प्रयोक्ता से शुल्क के उद्ग्रहण के बारे में है।

(नौ) का.आ. 160 (अ) जो 4 फरवरी, 2005 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राजस्थान

राज्य में चार लेने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 79 और 79क के प्रयोक्ता से शुल्क के उद्ग्रहण के बारे में है।

(दस) का.आ. 161 (अ) जो 4 फरवरी, 2005 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो महाराष्ट्र राज्य में चार लेने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-8 के प्रयोक्ता से शुल्क के उद्ग्रहण के बारे में है।

(ग्यारह) का.आ. 162 (अ) जो 4 फरवरी, 2005 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राजस्थान राज्य में चार लेन के बारे में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-79 के प्रयोक्ता से शुल्क के उद्ग्रहण के बारे में है।

(बारह) का.आ. 78 (अ) जो 24 जनवरी, 2005 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-46 (कृष्णागिरि-रानीपेट खंड) पर भूमि के अर्जन के बारे में है।

(तेरह) का.आ. 112 (अ) जो 1 फरवरी, 2005 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो केरल राज्य में भूमि के अर्जन के लिए उसमें उल्लिखित अधिकारियों की नियुक्ति के बारे में है।

(चौदह) का.आ. 116 (अ) जो 2 फरवरी, 2005 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो असम राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-54 (लम्बडिंग-मैबोंग-हरनगांजो खंड) पर भूमि के अर्जन के बारे में है।

(पन्द्रह) का.आ. 170 (अ) जो 7 फरवरी, 2005 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो पश्चिम बंगाल राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-2 पर प्रस्तावित दूसरे विवेकानन्द पुल के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन तथा प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(सोलह) का.आ. 94 (अ) जो 27 जनवरी, 2005 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-4 के निर्माण (चार लेन बनाने) के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(सत्रह) का.आ. 1409 (अ) जो 24 दिसम्बर, 2004 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-46 (कृष्णागिरि-रानीपेट खण्ड) पर भूमि के अर्जन के बारे में है।

(अठारह) का.आ. 1410 (अ) जो 24 दिसम्बर, 2004 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-46 (कृष्णागिरि-रानीपेट खण्ड) पर भूमि के अर्जन के बारे में है।

(उन्नीस) का.आ. 52 (अ) जो 13 जनवरी, 2005 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य के तिरुनेलवेली जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-7 पर भूमि के अर्जन के बारे में है।

(बीस) का.आ. 110 (अ) जो 1 फरवरी, 2005 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य के कन्याकुमारी जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-7 पर भूमि के अर्जन के बारे में है।

(इक्कीस) का.आ. 114 (अ) जो 1 फरवरी, 2005 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य के मदुरै जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-7 पर भूमि के अर्जन के बारे में है।

(बाईस) का.आ. 186 (अ) जो 10 फरवरी, 2005 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-7 को चार लेनों वाला बनाने और उसे चौड़ा करने तथा मदुरै-कन्याकुमारी खण्ड के बीच नए बाईपास का निर्माण करने के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(तेईस) का.आ. 1999 (अ) जो 14 फरवरी, 2005 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-45 (विल्लुपुरम-त्रिची खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन एवं प्रचालन हेतु भूमि के अर्जन के बारे में है।

(चौबीस) का.आ. 236 (अ) जो 22 फरवरी, 2005 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आंध्र प्रदेश राज्य में सिंगारयाकोण्डा गांव तथा (चेन्नई-विजयवाड़ा खण्ड) बाइपास सड़क का निर्माण करने के लिए राजमार्ग संख्या-5 पर भूमि के अर्जन के बारे में है।

(पच्चीस) का.आ. 19 (अ) जो 4 जनवरी, 2005 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो केरल राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-47 (मनुठी-अलुवा खण्ड) को चौड़ा करने और उसके निर्माण के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(छब्बीस) का.आ. 168 (अ) जो 7 फरवरी, 2005 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आंध्र प्रदेश राज्य के पूर्वी गोदावरी जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-5 (विजयवाडा-विशाखापत्तनम खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन एवं प्रचालन हेतु भूमि के अर्जन के बारे में है।

(सत्ताईस) का.आ. 1422 (अ) जो 29 दिसम्बर, 2004 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो पंजाब राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1क (जालंधर-पठानकोट खण्ड और पठानकोट-जम्मू खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन एवं प्रचालन हेतु भूमि के अर्जन के बारे में है।

(अट्ठाईस) का.आ. 1423 (अ) जो 29 दिसम्बर, 2004 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 24 सितम्बर, 2003 की अधिसूचना संख्या का.आ. 1096 (अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(2) उपर्युक्त (1) की मद संख्या (एक) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 1868/2005]

प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री पृथ्वीराज चव्हाण): महोदय, कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

(1) भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड, चेन्नई के वर्ष 2003-2004 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(2) भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड, चेन्नई के वर्ष 2003-2004 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 1869/2005]

अपराह्न 12.02 बजे

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति

सातवां प्रतिवेदन

श्री चरणजीत सिंह अटवाल (फिल्लौर): महोदय, मैं गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति का सातवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

अपराह्न 12.02$^{1}/_{2}$ बजे

लोक लेखा समिति

नौवां प्रतिवेदन

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा (दक्षिण दिल्ली): महोदय, मैं "सफाई कर्मचारियों और उनके आश्रितों की मुक्ति और पुनर्वास की राष्ट्रीय योजना" के बारे में लोक लेखा समिति का नौवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

अपराह्न 12.03 बजे

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति

विवरण

[हिन्दी]

डा. सत्यनारायण जटिया (उज्जैन): अध्यक्ष महोदय, मैं अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति के निम्नलिखित की-गई-कार्यवाही प्रतिवेदनों के अध्याय-एक में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार के की-गई-कार्यवाही संबंधी अंतिम उत्तरों को दर्शाने वाले विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं:

(1) सातवां प्रतिवेदन (तेरहवीं लोक सभा)—अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए केनरा बैंक में आरक्षण तथा नियोजन और बैंक द्वारा उन्हें प्रदत्त ऋण सुविधाएं;

(2) अठारहवां प्रतिवेदन (तेरहवीं लोक सभा)—केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए प्रवेश तथा नियोजन में आरक्षण सहित सेवाओं में आरक्षण;

(3) छब्बीसवां प्रतिवेदन (तेरहवीं लोक सभा)—अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों का रक्षा सेवाओं में सैन्य भागीदारी अनुपात-नीति तथा संदर्श; और

(4) अट्ठाईसवां प्रतिवेदन (तेरहवीं लोक सभा)—बैंकिंग सेवा भर्ती बोर्ड (बीएसआरबी) के उत्पादन के पश्चात् विभिन्न राष्ट्रीयकृत बैंकों में कर्मचारियों की भर्ती की नीति।

अपराह्न 12.03½ बजे

कोयला और इस्पात संबंधी स्थायी समिति

छठा और सातवां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री अनंत कुमार (बंगलौर दक्षिण): महोदय, मैं कोयला तथा इस्पात संबंधी स्थायी समिति (2004-2005) के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं:

(1) इस्पात मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2004-2005) बारे में कोयला तथा इस्पात संबंधी स्थायी समिति (2004-05) के तीसरे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी छठा प्रतिवेदन; और

(2) ''कोयला खानों में सुरक्षा'' विषय पर ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति (2004-तेरहवीं लोक सभा) के 47वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी सातवां प्रतिवेदन।

अपराह्न 12.04 बजे

मानव संसाधन विकास संबंधी स्थायी समिति

एक सौ सत्तावनवां प्रतिवेदन

प्रो. बसुदेव बर्मन (मथुरापुर): महोदय, में युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2004-2005) के बारे में 152वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही के संबंध में मानव संसाधन विकास संबंधी स्थायी समिति के एक सौ सत्तावनवें प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: अब हम विशेष उल्लेख को लेंगे।

...(व्यवधान)

श्री गुरूदास दासगुप्त (पंसकुरा): महोदय, मैं आज के कार्य पर स्पष्टीकरण की मांग करता हूं, हमें आज के लिए कार्य पत्र प्राप्त हुए हैं और कल भी हमारे पास कार्य पत्र थे, लेकिन आज के कार्य पत्र में पेंशन पर चर्चा को शामिल नहीं किया गया है, मैं आपसे और सरकार से जानना चाहता हूं कि पेंशन मुद्दे पर चर्चा का क्या हुआ है। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: हम इस मुद्दे पर भी आएंगे।

श्री गुरूदास दासगुप्त: नहीं, मैं इस मुद्दे पर स्पष्टीकरण मांग रहा हूं *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: अध्यक्षपीठ से स्पष्टीकरण मांगने की भी एक प्रक्रिया है।

श्री गुरूदास दासगुप्त: महोदय, क्या सरकार की संशोधित सूची परिचालित करने की मंशा है अथवा सरकार इस अध्यादेश को व्यपगत होने देना चाहती है? क्या माननीय मंत्री जी हमें यह बताने की कृपा करेंगे? *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: हम इस बात का पता लगाएंगे।

श्री गुरूदास दासगुप्त: महोदय, माननीय संसदीय कार्य मंत्री यहां बैठे हैं।

अध्यक्ष महोदय: नहीं वह तत्काल उत्तर देने के लिए बाध्य नहीं हैं। आपने कोई नोटिस नहीं दिया है और आप अचानक इस प्रश्न साथ अध्यक्षपीठ से बात कर रहे हैं।

श्री गुरूदास दासगुप्त: महोदय, हम यह मान लें कि सरकार की इसमें रुचि नहीं है।

अध्यक्ष महोदय: कार्य-सूची सुबह ही परिचालित कर दी गई थी। श्री ललित मोहन शुक्लवैद्य।

श्री गुरूदास दासगुप्त: महोदय, हम यह मानते है कि सरकार की इसमें रुचि नहीं है।

श्री खारबेल स्वाईं (बालासोर): महोदय, इस महीने की 16 तारीख को मैंने माननीय रेल मंत्री श्री लालू प्रसाद के विरुद्ध विशेषाधिकार का नोटिस दिया था।

अध्यक्ष महोदय: मैं आज ही आपको इसके बारे में बताऊंगा। मैं आज ही इस मुद्दे पर निर्णय लूंगा।

श्री खारबेल स्वाईं: महोदय, मुझे बताया गया है कि आपने इसे अस्वीकार कर दिया। कृपया, मैं इसके कारणों के बारे में जानना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय: कारण आपको भेज दिए जाएंगे। प्रत्येक माननीय सदस्य के संबंध में सामान्य प्रक्रिया का अनुपालन किया जाएगा।

श्री खारबेल स्वाईं: महोदय, ऐसा लगता है कि यह मेरे पास नहीं आया है इसीलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं। यह मेरे पास नहीं आया है। कृपया, इसे मुझे भिजवाएं।

अध्यक्ष महोदय: जो कुछ संभव होगा उसे आपको भेजा जाएगा, हम सभा में हर विशेषाधिकार नोटिस पर चर्चा नहीं कर सकते।

डा. सिबैस्टियन पाल (एर्णाकुलम): महोदय, मैंने भी आज विशेषाधिकार नोटिस दिया है।

अध्यक्ष महोदय: कृपया बताइएं, किस बात का यह नोटिस था?

डा. सिबैस्टियन पाल: महोदय, मैंने विशेषाधिकार का नोटिस दिया है।

अध्यक्ष महोदय: यह बहुत ही अजीब प्रक्रिया है, सभा का कार्य चलाया जा रहा है। क्या कोई भी माननीय सदस्य खड़े होकर जैसा वह चाहे किसी भी मुद्दे को इस तरह उठा सकता है? यह ऐसा करने का तरीका नहीं है।

डा. सिबैस्टियन पाल: महोदय, मैंने विशेषाधिकार का नोटिस दिया है।

अध्यक्ष महोदय: नहीं, कृपया बैठ जाइए।

श्री ललित मोहन शुक्लवैद्य (करीमगंज): अध्यक्ष महोदय, राष्ट्रीय राजमार्ग-44 बराक घाटी और त्रिपुरा की जीवन ऐसा है। इससे हमारी आपूर्ति लाइन बनी रहती है। करीमगंज में श्री गौरी हाई स्कूल के निकट इस राष्ट्रीय राजमार्ग-44 को कौशियारा नदी द्वारा किए गए अपरदन के कारण बड़ी क्षति पहुंची है। सड़क की एक लेन पहले ही कट गई है और यातायात इस राष्ट्रीय राजमार्ग की बची लेनों से गुजर रहा है। यदि इसकी तत्काल मरम्मत नहीं की जाती है तो हमें जिन अन्य लेनों से आपूर्ति प्राप्त होती है वह भी अप्रयोज्य हो जाएगी।

मैं सरकार से राजमार्ग के उक्त भाग की तत्काल मरम्मत करने का अथवा यातायात के विपणन का अनुरोध करता हूं ताकि हमारी आपूर्ति नियमित बनी रही।

अध्यक्ष महोदय: अगली बारी श्री मित्रसेन यादव की है। यह समय अति महत्वपूर्ण मामलों के विशेष उल्लेख का है। आपको इस मुद्दे से जुड़ा रहना होगा। आपने अपना मामला उठा लिया है।

श्री ललित मोहन शुक्लवैद्य: धन्यवाद, महोदय।

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा): महोदय, मेरा मामला भी अति महत्वपूर्ण है।

[हिन्दी]

श्री मित्रसेन यादव (फैजाबाद): माननीय अध्यक्ष जी, हमारा देश कृषि प्रधान देश है और हमारे देश में सबसे अधिक आय का स्रोत कृषि है। हमारे देश में जो 411 सिंचाई की योजनाएं थीं, उनमें मुश्किल से 28 योजनाओं का निष्पादन हो सका है, जबकि योजना आयोग ने इस पर भरपूर जोर दिया है। इन योजनाओं में कुल 77 हजार करोड़ रुपये का खर्च था। समय से पूरा न होने के कारण आज इस पर 1 लाख 20 हजार करोड़ रुपये का खर्च बढ़ गया है। पूरे देश में कृषि क्षेत्र में 14 करोड़ हैक्टेयर कृषि योग्य भूमि है और उसकी सिंचाई के साधन मात्र एक तिहाई हैं। इसमें सिर्फ 6000 करोड़ कृषि योग्य भूमि की सिंचाई हो पाती है, बाकी क्षेत्र असिंचित पड़ा हुआ है। राज्यों को जो पैसा दिया जाता है, या योजना आयोग जो मांग करता है, वह पैसा राज्यों को पर्याप्त न मिलने के कारण सिंचाई की सुविधाएं बाधित हो रही हैं और कृषि क्षेत्र का सिंचित क्षेत्र न बढ़ पाने के कारण कृषि उत्पादन प्रभावित हो रहा है।

[हिन्दी]

महोदय, कृषि उत्पादन बढ़ सके, इसके लिए लाजमी है कि हमारी केन्द्रीय सरकार योजना आयोग के मुताबिक, उसकी संस्तुतियों के मुताबिक, देश में सिंचाई के साधन उपलब्ध कराने के लिए पैसा उपलब्ध कराए जिससे कृषि क्षेत्र का उत्पादन बढ़ सके और हमारा देश सम्पन्न हो सके।

श्री शिवराज सिंह चौहान (विदिशा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मध्य प्रदेश सहित अनेकों राज्यों के अभ्यारण्य क्षेत्रों में रहने वाले आदिवासी संकट में हैं। उनकी रोजी-रोटी छीनी जा रही है। उनके घर-बार उजाड़े जा रहे हैं। आदिवासी सीधे-सादे, सरल और भोलेभाले होते हैं, जिन्हें तथाकथित सभ्य समाज के लोगों ने संसाधन छीन कर, जंगलों की तरफ धकेल दिया है। वे वनों में रहते हैं। वनों की ही पूजा करते हैं और वन से ही अपनी रोजी-रोटी चलाते हैं, लेकिन पिछले दिनों वनों की सुरक्षा और वन्य प्राणियों की सुरक्षा के नाम पर जो कानून बनाए गए हैं, उन कानूनों ने न तो वनों की सुरक्षा की है और न ही वे वन्य प्राणियों की रक्षा कर पाते हैं, बल्कि अपराधी खुलकर खेलते हैं। ये सारे कानून आदिवासियों के ऊपर कहर बनकर टूटते हैं।

महोदय, गर्मियों के दिनों में आदिवासी लोग तेंदू पत्ता तोड़कर अपनी रोजी-रोटी चलाते थे, लेकिन पिछले दिनों एक आदेश चला गया कि अभ्यारण्य क्षेत्र में रहने वाले आदिवासी तेंदू पत्ता नहीं तोड़ सकते। आदिवासी लोग गर्मियों के दिनों में 20-25 दिन तेंदू पत्ता तोड़कर छः महीने के अपने रोजगार की व्यवस्था कर लेते थे, लेकिन अब वहां तेंदू पत्ते की तुड़ाई पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया है। इसके कारण उनके सामने रोजगार का गम्भीर संकट पैदा हो गया है।

महोदय, वहां सड़कें नहीं बनाई जा रही हैं, बिजली नहीं लगाई जा रही है। सैकड़ों वर्षों से आदिवासी वनों में रह रहे हैं। उन्हें तेंदू पत्ता नहीं तोड़ने दिया जा रहा है और इतना ही नहीं, वनों की सुरक्षा के कानूनों की आड़ में हमारे वनों के अधिकारी और कर्मचारी उन पर अमानुषिक अत्याचार करते हैं, उनके साथ मार-पीट की जाती है, उनकी माता-बहनों को बेइज्जत किया जाता है, उनके मुर्गा-मुर्गी छीने जाते हैं। इसलिए नक्सलबाद जैसे आन्दोलन जन्म लेते हैं और इसीलिए आदिवासी अपने हाथ में हथियार उठाने के लिए बाध्य होते हैं।

महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से भी विनम्र निवेदन करना चाहता हूं कि जितने भी हमने कानून बनाए हैं, वे मानवों के लिए बनाए हैं, मनुष्यों के लिए बनाए हैं। अगर ऐसे कानून उनकी रोजी-रोटी छीनने में आड़े आते हैं, तो वे बदल दिए जाने चाहिए। इस संबंध में सरकार तत्काल पहल करे, ताकि आदिवासी अपने परम्परागत तेंदू पत्ते की तुड़ाई कर के, अपना रोजगार चला सकें। वहां सड़कें बनाई जाएं, वहां बिजली लगाई जाए, ताकि वे क्षेत्र विकास की तरफ बढ़ सकें।

[अनुवाद]

श्री बृज किशोर त्रिपाठी (पुरी): माननीय सदस्य ने जो कहा है मैं स्वयं को उससे सम्बद्ध करता हूं।

श्री सुरवरम सुधाकर रेड्डी (नालगोंडा): मैं आपके माध्यम से भारत सरकार का ध्यान सरकारी क्षेत्र की बीमा कम्पनियों के 1,50,000 कर्मचारियों द्वारा की गई हड़ताल की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। जैसाकि सरकार ने उनकी मांगों तथा अन्य प्रकार के आन्दोलनों के प्रति कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की थी इसलिए उन्हें हड़ताल के लिए बाध्य होना पड़ा।

काफी समय से दो मुद्दे लम्बित पड़े हैं। पहला तो वेतन संशोधन कर है जो काफी समय से लम्बित है और भारत सरकार द्वारा कुछ समय से स्वीकार नहीं किया जा रहा है। दूसरी बात आउट सोर्सिंग क्रियाकलापों की है। विशेषकर स्वास्थ्य बीमा क्षेत्र में कई करोड़ रुपयों का दुरुपयोग हो रहा है जबकि बीमा कम्पनियों के कर्मचारी बेकार बैठे हैं।

देश में सबसे बड़े नियोक्ता होने के नाते सरकार को माडल नियोक्ता की भूमिका निभानी चाहिए। दुर्भाग्यवश, ऐसा नहीं हो रहा है। सरकार से विशेषकर निगमों और निजी क्षेत्र द्वारा कानूनों को लागू कराने की अपेक्षा की जाती है किन्तु सरकार ऐसा नहीं कर रही है।

हम आपके माध्यम से यह अपील करते हैं कि सरकार कर्मचारी संगठनों विशेषकर बीमा संगठनों को बुलाये और उनकी मांगों को तत्काल निपटाये। मैं सरकार को यह सूचना भी देना चाहता हूं कि हिन्दुस्तान केबल्स के कर्मचारी भी हड़ताल पर हैं।

अध्यक्ष महोदयः श्री बसुदेव आचार्य, आप स्वयं को सम्बद्ध कर सकते हैं क्योंकि इस सप्ताह आप पहले ही बोल चुके हैं।

श्री बसुदेव आचार्यः महोदय, यह एक महत्वपूर्ण मसला है। हजारों बीमा कर्मचारी आज से दो दिन की हड़ताल पर हैं। एक साल से वे वेतनमानों में संशोधन के लिए कह रहे हैं जो लम्बित है। उनकी मांग यह है कि उनके वेतनों में कम से कम 18 प्रतिशत की वृद्धि होनी चाहिए। कल ही, इस सम्बन्ध में बात-चीत हुई किन्तु वह भी विफल रही।

मेरी सरकार से यह मांग है कि वह तत्काल भारतीय जीवन बीमा निगम और जीआईसी प्रबन्धन को दिशा-निदेश जारी करें जिससे कि बीमा कम्पनियों के कर्मचारियों को वेतन संशोधन को तत्काल अन्तिम रूप दिया जा सके।

[हिन्दी]

श्री मोहन रावले (मुम्बई दक्षिण-मध्य): अध्यक्ष महोदय, मैं इस विषय पर माननीय श्री बसुदेव आचार्य जी के साथ अपने को एसोसिएट करता हूं।

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा (दक्षिण दिल्ली): अध्यक्ष महोदय, मैं भी इस विषय से अपने आपको एसोसिएट करता हूं।

अध्यक्ष महोदयः ठीक है। श्री मोहन रावले और प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा इस पर अपने को एसोसिएट कर रहे हैं।

श्री मोहन रावलेः अध्यक्ष महोदय, हम भी चाहते हैं कि बैंक एम्पलाइज को जो मिल रहा है ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप अब क्यों बोल रहे हैं? हमने कह तो दिया कि आप इस विषय पर एसोसिएट कर रहे हैं।

[अनुवाद]

श्री गुरूदास दासगुप्त: महोदय, मैं भी अपने आपको सम्बद्ध करता हूं।

अध्यक्ष महोदय: ठीक है।

माननीय सदस्यों मुझे 44 नोटिस मिले हैं। कृपया सहयोग करें।

[हिन्दी]

श्री टेक लाल महतो (गिरिडीह): आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि नयी सरकार बनने के बाद झारखंड के विभिन्न जिलों में कई घटनाएं हो चुकी हैं। वहां कई लोग गरीबी और भुखमरी से मर चुके हैं। उदाहरणस्वरूप झारखंड की राजधानी रांची में 20 मार्च को गरीबी एवं भुखमरी से तंग आ कर एक ही परिवार के सात लोग, चंडिका सिंह, उम्र 50 वर्ष और उनकी पत्नी, उम्र 45 वर्ष एवं उनकी पांच बेटियों ने लालपुर थाना के अंतर्गत, चिरैयां माहौल स्ट्रीट में, डीएन घोष कम्पाउंड में फांसी लगा कर आत्महत्या कर ली। इसी तरह झारखंड के तमाम जिलों में भुखमरी से लोग मर रहे हैं, किन्तु राज्य सरकार कोई कारगर कदम उठाने में असमर्थ है।

अध्यक्ष महोदय, जहां 54 प्रतिशत लोग गरीबी रेखा से नीचे रहते हैं, वहां ढाई करोड़ रुपए में मात्र 11 मंत्रियों के लिए गाड़ी खरीदी जा रही है। इसलिए मैं इसमें केन्द्र सरकार से हस्तक्षेप करने की मांग करता हूं।

[अनुवाद]

श्री तथागत सत्पथी (ढेंकानाल): महोदय, मैं आपके प्रति बहुत आभारी हूं। अन्ततः आपने मेरी ओर देखा तो सही।

अध्यक्ष महोदय: श्री सत्पथी, इस प्रकार की अनुचित टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं है।

श्री तथागत सत्पथी: महोदय, मेरा इरादा व्यंग्य करने का नहीं था।

अध्यक्ष महोदय: मैं चाहता हूं कि आप अपनी सीट मुझसे बदल लें और तब आपको महसूस होगा कि क्या किया जाए।

श्री तथागत सत्पथी: महोदय, मेरी यह इच्छा नहीं थी, धन्यवाद। हिन्द महासागर की सीमा पर स्थित विश्व के अन्य भागों की तरह भारत के सुनामी प्रभावित क्षेत्र अभी भी इसकी चपेट में हैं। इस विशाल प्राकृतिक घटना ने हमें एक महत्वपूर्ण पाठ पढ़ा दिया है। संसद को भारत के तटों की सुरक्षा हेतु कार्य करना होगा। इसे अंजाम देने का एकमात्र रास्ता तटीय विनियामक क्षेत्र नीति को तत्काल और गम्भीरतापूर्वक क्रियान्वित करना है। स्वतंत्र भारत के सबसे महत्वपूर्ण राजनैतिक नेताओं में से एक स्वर्गीय इन्दिरा गांधी का स्वप्न यह था कि यदि तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, उड़ीसा, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, और लक्षद्वीप में सी आर जेड लागू कर दिया जाता है तो इससे नई पर्यावरणीय स्थिति पैदा होगी जो विस्थापित मछुआरों और जिनका पुनर्वास किये जाने की आवश्यकता है के लिए लाभकारी होगा। ऐसी कई समस्याएं हैं जिन पर सरकार का ध्यान तुरन्त आकृष्ट किये जाने की आवश्यकता है। तथापि, जनता और पर्यावरण की सुरक्षा के लिए सी आर जेड को लागू करने का यह सही समय है जो चरण 1, 2 और 3 में विभक्त हैं इससे सचमुच में राष्ट्र की आने वाली पीढ़ियों की भलाई होगी। इसको निम्नलिखित सुझाई गई पद्धतियों के माध्यम से हासिल किया जा सकता है—(1) समुद्र तट पर वानिकी जहां लोग बेघर हो गए हैं, सरकार, वानिकी में लगे लोग और निवेशक पाम, नारियल आदि जैसे उत्पादों के लाभ को शेयर करें; (2) विस्थापित लोगों का ऐसे स्थानों पर पुनर्वास करना जहां वे, समुद्र के प्रकोप से सुरक्षित रहें और अच्छी सफाई सुविधाएं हो; (3) तट के समीप भू जल स्तर को बनाये रखने पर ध्यान केन्द्रित करना; और (4) उड़ीसा, कर्नाटक महाराष्ट्र और गोवा जैसे राज्य जो सुनामी से प्रभावित नहीं हुए हैं, के लिए विशेष व्यवस्था करना और उसे लागू करना तथा सी आर जेड क्षेत्र का निर्धारण और विनियमनों को कड़ाई से लागू करना तथा समुद्र तट को अतिक्रमण से बचाना तथा निर्माण हेतु खाली करवाना।

[अनुवाद]

डा. सी. कृष्णन (पोल्लाची): महोदय, मैं तमिलनाडु के कोयम्बटूर जिले के बलपरई में चाय और काफी के बागानों में कार्य कर रहे श्रमिकों के कल्याण के बारे में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। उनकी मजदूरी को कम कर दिया गया है। तीन वर्ष पहले उन्हें 76 रु. प्रतिदिन मिल रहे थे। लेकिन, पिछले तीन वर्षों से उन्हें केवल 72 रु. दिए जा रहे हैं। बागान मालिकों को उनका बकाया उन्हें दिया जाना चाहिए। केरल में वे 84 रु. का भुगतान कर रहे हैं। तमिलनाडु में यही बागान मालिक केवल 72 रु. से 74 रु. का भुगतान कर रहे हैं। मजदूरी के अंतर को दूर करना चाहिए तथा दिहाड़ी के रूप में उन्हें अच्छी-खासी धनराशि दी जानी चाहिए। मेरा यही अनुरोध है।

[हिन्दी]

श्री पुन्नूलाल मोहले (बिलासपुर): माननीय अध्यक्ष जी, मैं पूरे देश में सूखा प्रभावित क्षेत्रों के बारे में कहना चाहता हूं। देश में छत्तीसगढ़ राज्य सहित गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश आदि राज्यों के कई भागों में सूखा पड़ा हुआ है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: इस पर चर्चा होनी है। आप बाद में उसमें भाग ले सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री पुन्नूलाल मोहले: सूखे की चपेट के कारण पुनहारी और सीयारी दोनों फसलों का नुकसान हो गया है। किसान बरबादी की कगार पर हैं। किसान तथा मजदूर भटक रहे हैं। दिल्ली, भोपाल, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश अन्य राज्यों में यो लोग खाने-कमाने के लिए चले जा रहे हैं। अकाल की स्थिति को देखते हुए छत्तीसगढ़ सरकार अपने संसाधनों से जितनी सहायता दे सकती है, उन्हें दे रही है। मैं केन्द्रीय सरकार से मांग करना चाहूंगा कि प्रत्येक राज्य को तीन-तीन करोड़ रुपयों की आर्थिक सहायता दे, जिससे छत्तीसगढ़ का विकास हो सके और पुल-पुलिया, रोड, सड़क, गली एवं स्टाप डैम मध्य प्रदेश में बनाए जा सकें। सभी सूखा प्रभावित क्षेत्रों के लिए केन्द्र सरकार आवश्यक कदम उठाए और तीन-तीन हजार करोड़ रुपये उनके विकास के लिए देने का कष्ट करें।

श्री प्रदीप गांधी (राजनंदगांव): मैं भी अपने आपको इस से संबद्ध करता हूं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: क्या आप स्वयं को संबद्ध करना चाहते हैं? आप संबद्ध हो सकते हैं। परन्तु, आप अपने स्थान पर नहीं बैठे हैं।

श्री विकास चौधरी (आसनसोल): अध्यक्ष महोदय, रानीगंज कोलफील्डस् एरिया बुर्दवान जिले तथा बांकुरा, बीरभूम और पुरूलिया जिलों के कुछ भागों को कवर करता है। गहरी खनन पद्धतियों तथा भूमिगत और खुली खान परियोजनाओं के कारण उपर्युक्त क्षेत्रों में अनेक वर्षों से जल की भारी कमी महसूस की जा रही है। भूमिगत तथा सतह पर जल निकाय पूरी तरह नष्ट हो चुके हैं। 300 मीटर की गहराई में भी जल उपलब्ध नहीं है। इन परिस्थितियों में ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड को कार्रवाई करनी पड़ी क्योंकि इन क्षेत्रों में उनके क्रियाकलाप चल रहे हैं। केन्द्र सरकार को आगे आकर पेयजल उपलब्ध कराने तथा अन्य उद्देश्यों के लिए जल उपलब्ध कराने के उपाय करने चाहिएं। मैं केन्द्र सरकार से अनुरोध करूंगा कि वह आगे आए और रानीगंज कोलफील्ड्स एरिया में घरेलू उपयोग तथा अल्प प्रयोजनों हेतु जल उपलब्ध कराने के लिए 100 करोड़ रु. की धनराशि प्रदान करे। धन्यवाद, महोदय।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: श्री तूफानी सरोज, यह आजमगढ़-गाजीपुर राजकीय सड़क राज्य सरकार के अंतर्गत है या केंद्रीय सरकार के अधीन है?

श्री तूफानी सरोज (सैदपुर): अध्यक्ष महोदय, यह केंद्रीय सरकार के अधीन है। मैं आपका ध्यान पूर्वी उत्तर प्रदेश में स्थित आजमगढ़-गाजीपुर राजकीय सड़क की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधीन आने वाली इस सड़क को केंद्रीय सरकार की योजना के तहत चौड़ा किया जा रहा है, जिसका सारा खर्च विश्व बैंक उठा रहा है। सरकार की योजना इस सड़क को 7 मीटर चौड़ा करने की है। आजमगढ़ से बिरनो पुलिस थाना (जनपद गाजीपुर) तक की लगभग 60-62 कि.मी. लंबी इस सड़क को चौड़ा करने का ठेका 78 करोड़ रुपये में दिल्ली के किसी ...*(व्यवधान)** ठेकेदार को दिया गया है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: नाम नहीं जाएगा।

[हिन्दी]

श्री तूफानी सरोज: इस सड़क को 7 मीटर चौड़ा करने के साथ-साथ सड़क पर 3 कोट के पिच का काम करने का सरकार का निर्देश है। आजमगढ़ से चिरैयाकोट बाजार (जनपद मऊ) तक इस सड़क को सरकार के दिशा-निर्देशानुसार 7 मीटर चौड़ा तो बनाया गया है पर चिरैयाकोट के बाद उस सड़क की चौड़ाई जानबूझ कर कम कर दी गई है। चिरैयाकोट के बाद संबंधित ठेकेदार ने उक्त सड़क की चौड़ाई को 7 मीटर की जगह मात्र साढ़े पांच मीटर कर दिया है। यही नहीं सरकारी आदेश का खुला उल्लंघन कर सड़क पर तीन कोट पिच करने की जगह मात्र एक कोट ही पिच किया जा रहा है। इस तरह ठेकेदार, सरकार एवं विश्व बैंक के धन को लूट तो रहा है, सरकार की योजना को भी असफल करने में लगा हुआ है।

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[श्री तूफानी सरोज]

अत: सरकार से मेरी मांग है कि वह इस सड़क के निर्माण कार्य की तत्काल जांच कराए और उक्त सड़क के निर्माण में की जा रही अनियमितता के लिए जिम्मेदार ठेकेदार के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करे।

[अनुवाद]

श्री सुनील खां (दुर्गापुर): अध्यक्ष महोदय, मैंने अपने निर्वाचन क्षेत्र के अन्य सदस्यों के साथ राष्ट्रीय राजमार्ग-60 के बारे में पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री को बहुत से पत्र लिखे। यह राजमार्ग रानीगंज से मेजिया, बांकुरा तथा विष्णुपुर होते हुए मिदनापुर जाता है। साली पुल, नगरदंघा पुल तथा तारापुर नामक तीनों पुल जर्जर अवस्था में हैं। उनका पुनर्निर्माण होना चाहिए। यदि ऐसा नहीं किया जाता तो कोई दुर्घटना घट सकती है। विष्णुपुर से बांकुरा सड़क की स्थिति जर्जर है। वर्षा के मौसम में इस क्षेत्र में हम मत्स्यपालन कर सकते हैं। ये सड़कें रानीगंज तथा मिदनापुर के बीच की जीवन रेखा है। इनको तुरन्त जोड़ा जाना चाहिए तथा पुलों का तुरन्त पुनर्निर्माण किया जाना चाहिए। मैं माननीय मंत्री महोदय से इस ओर ध्यान देने का अनुरोध करता हूं।

[हिन्दी]

श्री भुवनेश्वर प्रसाद मेहता (हजारीबाग): अध्यक्ष महोदय, कोयला मंत्रालय और कोल इंडिया में व्याप्त भ्रष्टाचार के चलते कोयले की आपूर्ति और कोयले के वितरण में भयंकर अनियमितता हो रही है। झारखण्ड में, जहां कोयले का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है, पूरे देश का 37 परसेंट कोयले का उत्पादन झारखण्ड में होता है, आज झारखण्ड में कोयले की सप्लाई नहीं होने के चलते लगभग 500 कल-कारखाने बन्द हैं। अकेले हजारीबाग लोक सभा क्षेत्र में, जो मेरी कांस्टीट्वेंसी है, उसमें 100 से ज्यादा हार्ड कोक और दूसरे कोयले पर आधारित कारखाने बन्द हैं। झारखण्ड से कोयला दूसरे राज्यों में भेजा जा रहा है। 20 लाख टन कोयला उत्तर प्रदेश में प्रगतिशील सहकारी समिति को दिया गया, दो लाख टन कोयला डबल शेयर में महानदी कोलफील्ड से दिया गया ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: यह राष्ट्रीय संपत्ति है तथा इसे हर स्थान पर उपलब्ध होना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री भुवनेश्वर प्रसाद मेहता: दो लाख टन कोयला वैस्टर्न कोलफील्ड से दिया गया। झारखण्ड का कोयला दूसरे राज्यों में जा रहा है, झारखण्ड के कल-कारखानों को नहीं दिया जा रहा है। हजारीबाग में सैंकड़ों कल-कारखाने आज बन्द हैं और 25 हजार मजदूर आज वहां बेकार हो गये हैं। इसलिए आपके माध्यम से हम कोयला मंत्री जी से कहना चाहते हैं कि इस पर कार्रवाई करें, कोयले पर ऐसी मानसिकता ठीक नहीं है। जब एन.डी.ए. की सरकार थी तो 11 कोयला मंत्री बदले गये और यू.पी.ए. की सरकार बनी तो आया राम, गया राम बना हुआ है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: यह जरूरी नहीं है। मैं आपसे सहमत नहीं हूं।

[हिन्दी]

श्री भुवनेश्वर प्रसाद मेहता: कोल इंडिया में डेढ़ साल से आज तक कोई चेयरमैन नहीं है, पता नहीं यह मंत्रालय कैसे चलेगा। इसलिए हम चाहते हैं कि सबसे पहले कोयला झारखण्ड के कल-कारखानों को दिया जाये ताकि वहां के मजदूर बेकार नहीं हों।

श्री हरिभाऊ राठौड़ (यवतमाल): अध्यक्ष महोदय, 2001 की सेंसस रिपोर्ट में बहुत बड़ी धांधली हुई है। महाराष्ट्र में अनुसूचित जाति की जनसंख्या 6 परसेंट कम हो गई है। यह बहुत सीरियस मामला है। अभी ग्राम पंचायत के इलैक्शन वहां होने हैं। लास्ट 1991 की जो सेंसस रिपोर्ट आई थी, इसके कारण हजारों सरपंच की पोस्टें कम हो गई हैं। हमने देखा है कि यह क्यों हुआ। यहां डा. बाबासाहेब अम्बेडकर के अनुयायी जो नवबौद्ध कहलाते हैं, जब उनको पूछा गया कि आपकी क्या जाति है, आपकी कौन सी कास्ट है तो उन्होंने बताया कि हम नवबौद्ध हैं। नवबौद्ध जैसी कोई कास्ट अपनी सेंसस में नहीं है। माननीय श्री वी.पी. सिंह सरकार ने यह किया था कि जितने भी नवबौद्ध थे, उनको एस.सी. का दर्जा दिया था। इतनी बड़ी धांधली महाराष्ट्र में अभी देखी गई है। पहले बौद्ध समाज का जनसंख्या परसेंटेज 0.1 था, लेकिन अभी बौद्ध समाज को ये 6 परसेंट बता रहे हैं। यह बहुत बड़ी धांधली सेंसस में हुई है। एस.सी. समाज के ऊपर यह घोर कांस्टीट्यूशनल सवाल खड़ा हो गया है।

मेरा सरकार से निवेदन है कि मैं आठवले जी के बिहाफ पर यह बात कर रहा हूं कि सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए और जल्दी से जल्दी इलैक्शन के पहले महाराष्ट्र में जो ग्राम पंचायत के इलैक्शन होने हैं, उसके पहले इसका फैसला होना चाहिए। धन्यवाद।

श्री रामदास आठवले (पंढरपुर) अध्यक्ष महोदय, मैं भी इससे अपने आपको सम्बद्ध करता हूं।

[अनुवाद]

श्री अबदुल्लाकुट्टी (कन्नानौर): मनंतथावंडी रोड केरल और कर्नाटक के बीच एक लिंक रोड की तरह कार्य करता है और इससे 110 किलोमीटर से अधिक की दूरी कम हो जाती है। यह रोड महान टीपू सुल्तान के जमाने से विद्यमान है। केरल में बावेली और कर्नाटक में एच डी कोटा दोनों ही जगहों से 32 किलोमीटर लम्बा रास्ता हाल के वर्षों में बनाये गए राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान से होकर गुजरता है। यह सड़क मौजूद है लेकिन हमारे वन विभाग को कुछ आपत्तियां हैं। कर्नाटक से केरल के तिरूनेल्ली मंदिर में जाने वाले तीर्थयात्रियों सहित दोनों राज्यों के अनेक लोग इस सड़क पर यात्रा करते हैं। राज्य का राजमार्ग होने के कारण कर्नाटक और केरल के लोग निर्माण विभाग द्वारा इस राजमार्ग का रखरखाव किया जाता है। कर्नाटक की ओर से इसका विकास कार्य एशियाई विकास बैंक सहायता पैकेज से किया जा रहा है।

महोदय, यह राज्य राजमार्ग इस क्षेत्र में रहने वाले दोनों तरफ के आदिवासियों की जीवनरेखा है। पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा जारी किए गए नए मार्गदर्शी सिद्धान्तों में सार्वजनिक उपयोग के प्रयोजनार्थ वन भूमि के विकास की अनुमति दी गई है। यह राज्य राजमार्ग दोनों राज्यों के लिए बहुत उपयोगी है। इसलिए राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान से गुजरने वाली सड़क के उन्नयन की आवश्यकता है।

इसलिए महोदय, मैं केन्द्र से सार्वजनिक उपयोग के प्रयोजनार्थ वनभूमि विकास की अनुमति देने वाले नए मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अंतर्गत इस सड़क के उन्नयन की अनुमति देने का अनुरोध करता हूं।

अध्यक्ष महोदय: कुछ माननीय सदस्यों ने शून्य काल के दौरान राष्ट्रीय आपदाएं जैसे अपने बहुत ही महत्वपूर्ण मद्दे उठाने के लिए नोटिस दिए हैं। लेकिन हम आज देश में राष्ट्रीय आपदाओं के संबंध में नियम 193 के अधीन कोई खास चर्चा करने जा रहे हैं। हमारे पास समय है। इसलिए मैं आपसे इन मुद्दों को अभी न उठाकर उस चर्चा के दौरान उठाये जाने का अनुरोध करता हूं। मैं उन्हें चर्चा में भाग लेने की अनुमति दूंगा। धन्यवाद।

...(व्यवधान)

श्री इकबाल अहमद सरडगी: महोदय, मैं पर्यटन मंत्री का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। गुलबर्गा एक ऐतिहासिक स्थल है। यह बहमनी साम्राज्य की राजधानी थी। इस पर लगभग 600 वर्षों से अधिक समय तक शासन किया गया था। गुलबर्गा शहर में एक ऐतिहासिक स्मारक है जोकि एक किला है इस किले में भारत की ही नहीं अपितु एशिया की सबसे बड़ी मस्जिद मौजूद है।

[हिन्दी]

इसलिए मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि उस मान्यूमेंट को प्रिजर्व करने के लिए पर्यटन मंत्री की तरफ से गुलबर्गा को टूरिस्ट सैंटर घोषित किया जाए क्योंकि यह ऐतिहासिक मोस्क हेरीटेज एसेट्स है। वह पर्यटकों के लिए एक बड़ा ही आकर्षण का केंद्र है। दूसरी बात, गुलबर्गा धार्मिक स्थान है, जहां पर बारहवीं शताब्दी के महान संत श्री बसेवेश्वर जी ने जन्म लिया था और उन्हीं का एक स्टेच्यू पिछले साल पार्लियामेंट में लगाया गया है। लाखों श्रद्धालु वहां पर आते हैं। अजमेर के बाद सबसे बड़ी धार्मिक दरगाह बदानवाज गुलबर्गा में है। लाखों मुस्लिम श्रद्धालु वहां आते हैं। वहां भगवान बुद्ध का भी स्टेच्यू है। गुलबर्गा एक ऐतिहासिक और धार्मिक स्थान है। वहां मोस्क को देखने के लिए तुर्की से भारत के राजदूत श्री धर्मवीर जी आए थे। वहां पर उनको इंफार्मेशन दी थी कि यह एक ऐतिहासिक मोस्क है। उन्होंने वहां पर आकर विजिट किया था। गुलबर्गा ऐसा ऐतिहासिक और धार्मिक स्थान है जहां कई धार्मिक और ऐतिहासिक मान्यूमेंट्स हैं। मैं आपके माध्यम से पर्यटन मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि इसको टूरिस्ट सेंटर घोषित करके, टूरिस्टों को आकर्षित किया जाए। साथ ही साथ वहां पर पर्यटकों के लिए सुविधाएं उपलब्ध करायी जाएं। धन्यवाद।

[अनुवाद]

श्री भर्तृहरि महताब: महोदय, मैं सरकार का ध्यान उड़ीसा में चिकित्सा के स्नातकोत्तर छात्रों से संबंधित एक बहुत ही दिलचस्प स्थिति की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। हाल ही में भारतीय चिकित्सा परिषद ने कटक के एस सी बी महाविद्यालय के प्रधानाचार्य को एक पत्र भेजा था जिसमें यह कहा गया है कि "आपने अधिक संख्या में छात्रों को प्रवेश दिया है और आपने भारतीय चिकित्सा परिषद से अनुमति नहीं ली है" पिछले 10-12 वर्षों से एस सी बी चिकित्सा महाविद्यालय में स्नातकोत्तर छात्रों विशेषकर बाल रोग विज्ञान के छात्रों को प्रवेश दिया जाता है। इसलिए बारह छात्रों को प्रवेश दिया गया था। जनवरी 2004 को राज्य सरकार ने अपेक्षित धनराशि जमा कर दी थी और केन्द्र सरकार को भारतीय चिकित्सा परिषद में अग्रेषित करने हेतु आवेदन भेजे थे। तदनुसार केन्द्र सरकार ने भारतीय चिकित्सा परिषद को आवेदन भेजे थे। भारतीय चिकित्सा परिषद की पुस्तिका में इस बात का उल्लेख किया गया है कि वे किसी भी प्रकार का मानदंड अपना सकते हैं। एक इंस्पेक्टर (निरीक्षक) की नियुक्ति की जानी थी

[श्री भर्तृहरि महताब]

और तदनुसार अप्रैल में एक इंस्पेक्टर (निरीक्षक) को नियुक्त किया गया था।

[अनुवाद]

अकादमिक सत्र जून में शुरू होता है। 30 जून तक सभी आवश्यक प्रवेश प्रक्रिया को पूरा कर लिया जाना होता है लेकिन प्रवेश 31 मई तक पूरा किया जाना है। इसलिए, उड़ीसा के स्वास्थ्य विभाग और मेडिकल कालेज ने स्नातकोत्तर के विद्यार्थियों का दाखिला कर लिया है। लेकिन आश्चर्य तो इस बात का है कि निरीक्षक ने उस स्थान का दौरा किया जिसे नामांकन होने के पूर्व नवंबर माह में रिपोर्ट प्रस्तुत करनी थी; और 2005 में वह यह पूछने हुए कि उन्होंने उन विद्यार्थियों का दाखिला क्यों किया था, उन्हें मेडिकल कालेज से निकाल दिया जाए के संबंध में कारण बताओ नोटिस दे रहे हैं।

वे योग्य विद्यार्थी हैं, और वे अपनी स्नातकोत्तर की पढ़ाई कर रहे हैं और वह भी शिशु चिकित्सा विज्ञान में उड़ीसा में शिशु चिकित्सकों की कमी है। आज भी इस संबंध में हमारे कई प्रश्न थे, यद्यपि वे रखे नहीं जा सके। उड़ीसा में शिशु चिकित्सकों की आवश्यकता है और पूरे देश में भी। यह एक राष्ट्रीय मुद्दा है।

एक बार जब स्नातकोत्तर के विद्यार्थियों को हटा दिया गया तो स्नातकोत्तर की पूरी सूची जिसमें विद्यार्थियों को जनरल मेडिसीन, सर्जरी आदि के लिए प्रवेश दिया गया है, वह उलटा-पुलटा हो जाएगा। महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान इस मुद्दे की ओर आकर्षित करना चाहूंगा और एम.सी.आई. को निर्देश देने के लिए शीघ्र ही कुछ किया जाना चाहिए ताकि विद्यार्थियों को अपना अध्ययन पूरा करने की अनुमति मिल सके। पहले ही उन्होंने ग्यारह माह का अध्ययन पूरा कर लिया है। पाठ्यक्रम पूरा होने में एक वर्ष और है। कम से कम उन्हें अपना अध्ययन पूरा करने की अनुमति होनी चाहिए और तदनन्तर आगे आने वाले विद्यार्थियों के लिए जो भी तरीका अपनाये जाने की जरूरत हो उसका अनुपालन वर्ष 2005 में दिया जाए। आपसे मेरा यह हार्दिक अनुरोध है।

अध्यक्ष महोदय: श्री त्रिपाठी इस मुद्दे से सम्बद्ध कर सकते हैं, श्री स्वाईं भी इस मुद्दे से सम्बद्ध कर सकते हैं।

श्री बृज किशोर त्रिपाठी: महोदय, यह एक गंभीर मामला है। मैं अपने आपको इस मुद्दे से सम्बद्ध कर रहा हूं। सरकार को शीघ्र कार्रवाई करनी चाहिए; हमारे यहां उड़ीसा में डाक्टरों की कमी है।

अध्यक्ष महोदय: मैं समझता हूं, सभा को इससे सम्बद्ध करना चाहिए। मैं समझता हूं कि विद्यार्थियों का भविष्य कतिपय महत्वपूर्ण है।

[हिन्दी]

डा. करण सिंह यादव (अलवर): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके समक्ष एक अति गंभीर मुद्दा उठाना चाहता हूं। राजस्थान में अब सरसों की फसल हुई है जिसे समर्थन मूल्य पर खरीदा जाना चाहिए था। केन्द्र सरकार के अनुसार 1700 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से फसल की खरीद की जानी चाहिए, लेकिन एक तो केन्द्र कम हैं और जहां केन्द्र हैं, वहां स्टाफ कम है। किसान जब फसल लेकर जाते हैं तो उनसे कहा जाता है कि मंडी में गेट पास बनवाएं, अपनी जमीन का प्रमाण-पत्र और पास बुक दिखाएं और पटवारी द्वारा फसल की गिरदावरी की रिपोर्ट दिखाएं। उसके बाद भी फसल खरीदने वाले सरकारी कर्मचारी सरसों की क्वालिटी, नमी या गुणवत्ता की बात कहकर किसानों को उनकी फसल वापिस लौटा देते हैं। आज यह स्थिति हो रही है कि जो फसल 1700 रुपये प्रति क्विटंल खरीदी जानी चाहिए, उसे व्यापारी 1300 रुपये या 1400 रुपये प्रति क्विंटल में खरीद लेते हैं और कुछ दिन बाद अपने तरीके से उसे वापिस एफसीआई एजेंसीज-राजफेड, तिलहन संघ या दूसरी क्रय-विक्रय समितियों को बेच देते हैं।

मैं निवेदन करना चाहूंगा कि मेरे जिले अलवर में सरसों की फसल की खरीद नहीं हो रही है। बहरोड, खैरतल, खेडली और अलवर में सरसों की फसल के केन्द्रों की पूरी जांच करवाई जाए और किसानों की सरसों समर्थन मूल्य पर खरीदी जाए। मैं आपके माध्यम से कृषि मंत्री जी से दरख्वास्त करूंगा कि इस बात की व्यवस्था की जाए। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री पी. राजेन्द्रन (क्विलोन): महोदय, आपका धन्यवाद। मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान इस ओर आकृष्ट करना चाहूंगा कि केन्द्रीय विद्यालय हेतु पी.जी.टी. परीक्षा के लिए केरल राज्य में कोई परीक्षा केन्द्र नहीं है। केरल के शिक्षित युवकों को इस परीक्षा में शामिल होने के लिए या तो चेन्नई या फिर बंगलौर जाना होता है। इसके कारण, उन्हें कठिनाइयों और परेशानियों का सामना करना पड़ता है। भारत के सबसे अधिक शिक्षित राज्य केरल को पी.जी.टी. के लिए इस परीक्षा केन्द्र से वंचित किया गया है और यह अत्यधिक अन्यायपूर्ण और भेदभाव वाली बात है। निर्धन शिक्षित विद्यार्थी अत्यधिक व्यय होने के कारण अन्य राज्यों में इस परीक्षा में बैठ नहीं पाते हैं।

मैं, आपके माध्यम से, केन्द्रीय विद्यालयों की पी.जी.टी. परीक्षाओं और अन्य सभी केन्द्रीय परीक्षाओं के लिए त्रिवेन्द्रम, कोचीन और कोझीकोड में परीक्षा केन्द्रों को शीघ्र स्वीकृति देने का अनुरोध करता हूं।

श्री मणि चारेनामै (बाहरी मणिपुर): पूर्वोत्तर क्षेत्र की पहचान देश के जैव विविधता वाले क्षेत्रों में से एक महत्वपूर्ण क्षेत्र के रूप में की गई है। वर्ष 2001 में पूर्वोत्तर क्षेत्र में वनाच्छादन 1,69,366 वर्ग किमी. था और विभिन्न रक्षित क्षेत्रों के अंतर्गत यह 22,815.84 वर्ग किमी. क्षेत्र है जोकि कुल वन क्षेत्र का 13.5 प्रतिशत है। मणिपुर में, वन क्षेत्र 16,926 वर्ग किमी. है और रक्षित क्षेत्र के अंतर्गत यह 81.30 वर्ग किमी. है जो कि कुल वन क्षेत्र का 0.48 प्रतिशत है। शेष 99.52 प्रतिशत रक्षित क्षेत्र के बाहर है और यह उन क्षेत्रों में से है जहां सभी प्रकार के जंगली जीव-जन्तु और वनस्पति पाई जाती है, इन क्षेत्रों में जंगली जानवरों के मांस की बड़े बाजारों में खुली बिक्री की जा रही है। आज तक, मणिपुर राज्य में रायल बंगाल टाइगर और हाथियों की उपस्थिति नहीं पाई गई है। पिछले करीब 20 वर्षों से राज्य नगण्य रिपोर्ट भेज रहा है। दूसरी तरफ वन में रह रहे जनजातीय लोगों द्वारा बाघ की हत्या की जा रही है।

वर्ष 1996 में गैडीन्जंग गांव में बाघ की हत्या की गई थी। उसी वर्ष, फोकलौंग गांव के ग्रामीणों द्वारा दो बाघों को जहर दे दिया गया था। वर्ष 2002 में सेकजांग गांव में बाघ की हत्या की गई थी और हाल ही में 5 मार्च, 2005 को जिला मुख्यालय के निकट ही ग्रामीणों द्वारा एक बाघ की हत्या की गई थी। वर्ष 1980 के पूर्व मणिपुर में हाथियों की संख्या 12 थी। वर्ष 1980 और 1992 के बीच छः हाथियों को मार दिया गया था। आज, शेष हाथियों को चखा-लेम्टा के घने जंगल में रखा गया है। सड़क निर्माण के कारण सभी गलियारों को पूरी तरह से काट दिया गया है। इस तरह से ये निवासी हाथी बन गए हैं। सभी उपर्युक्त उल्लिखित स्थान रक्षित क्षेत्र के बाहर हैं।

ग्रामीणों के अनुसार, राज्य के मानव पहुंच से रहित वन क्षेत्रों में रायल बंगाल टाइगर और जंगली हाथी अभी भी बड़ी संख्या में हैं। इसलिए, मैं केन्द्र सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह उन क्षेत्रों में बागों और हाथियों की गणना कराए जहां संबंधित क्षेत्रों के ग्रामीणों सहित कई बार उन्हें देखे जाने की घटना का पता चला है और उन क्षेत्रों को बाघ परियोजना और हाथी परियोजना के अंतर्गत लाने हेतु आवश्यक कदम भी उठाए जाएं। मैं माननीय पर्यावरण और वन मंत्री से उन बहुमूल्य जीव-जन्तु और वनस्पतियों के संरक्षण हेतु चालू वित्तीय वर्ष से ही धनराशि निर्धारित करने के लिए योजना आयोग पर दबाव डालने का अनुरोध करता हूं जो संरक्षित क्षेत्र से बाहर हैं।

[हिन्दी]

श्री जसवंत सिंह बिश्नोई (जोधपुर): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से पर्यावरण और वन मंत्री जी का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहात हूं कि देश के विभिन्न स्थानों पर आज भी पशु और पक्षियों की बलि चढ़ाई जा रही है। आज के समय में जहां एक तरफ पशुओं के लिए क्रूरता अधिनियम बना हुआ है, उसके बाद भी धर्म के नाम पर पशुओं की बलि चढ़ाई जा रही है, पशुओं की क्रूरतापूर्वक हत्या हो रही है।

मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि आज समय बदल चुका है। इस समय मानव के साथ-साथ पशु और पक्षी भी इन्वायर्नमैंट के लिए बहुत जरूरी हैं। लेकिन इस वजह से छः-सात हजार वन्य प्राणियों की जातियां खत्म हो गयी हैं। मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि चंद मंदिरों में या जहां कहीं भी पशु और पक्षियों की बलि चढ़ाई जा रही हैं, वहां उनको रोका जाये।

श्री रेवती रमन सिंह (इलाहाबाद): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान एक अत्यंत महत्वपूर्ण सवाल की ओर आकर्षित करना चाहता हूं।

महोदय, नैनी, इलाहाबाद में हिन्दुस्तान केबिल फैक्ट्री लगी हुई है जिसमें 210 कर्मचारी कार्यरत हैं। इन कर्मचारियों को पिछले सात-आठ महीनों से वेतन नहीं मिला। वे भुखमरी की कगार पर हैं, उनके बच्चों को स्कूल की फीस नहीं मिल पा रही है और मैडिकल सुविधा उपलब्ध नहीं है। यह आप्टिकल फाइबर बनाने की पब्लिक सैक्टर की देश की एकमात्र फैक्ट्री है। आप्टिकल फाइबर की इतनी ज्यादा डिमान्ड है कि अगर इस कंपनी को मात्र 27-28 करोड़ रुपए और दे दिए जाएं तो इसका पूरी तरह आधुनिकीकरण हो जाएगा और इसे बीएसएनएल या रेलटेल के साथ मर्ज कर दिया जाए। मैं आपके माध्यम से आग्रह करता हूं कि इन कर्मचारियों को तकाल वेतन दिलाया जाए ताकि वे भुखमरी का शिकार न हो सकें।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मुझे यकीन है सरकार इस पर विचार करेगी।

[हिन्दी]

श्री लालमणि प्रसाद (बस्ती): महोदय, मैं आपके माध्यम से एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठाना चाहता हूं। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री खारवेल स्वाईं: महोदय, मैं संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत धनराशि की मांग करने जा रहा हूं। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: एक सदस्य बोल रहे हैं। सभा कभी शांत नहीं रहती मानो सभा के समक्ष कोई काम नहीं है। एक माननीय सदस्य बोल रहे हैं। वह भी मुद्दे उठाने के पात्र हैं।

श्री लालमणि प्रसाद: महोदय, मैं गन्ना किसानों की ओर से बोलना चाहता हूं। गन्ना किसानों की समस्याओं की ओर आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। गन्ना किसानों के जीवन का आधार है। गन्ने को बेचकर ही किसान अपने बच्चों का शादी-ब्याह करता है और अन्य मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। लेकिन आज हमारे बस्ती जिले में गन्ना किसान की बहुत खराब हालत है। गन्ना मिल मालिकों की साजिश से कर्मचारियों और दलालों की मिलीभगत से वहां पर गन्ना केंद्रों पर घटतौली और किसानों का शोषण हो रहा है। जिससे किसानों में आक्रोश व्याप्त है और जब किसान विरोध करते हैं तो उन पर फर्जी मुकदमा कायम किया जाता है। इसलिए मेरा निवेदन है कि किसानों पर जो फर्जी मुकदमे कायम किए जा रहे हैं उनको समाप्त किया जाए और किसानों का शोषण रोका जाए और साथ ही साथ बकाया गन्ना मूल्य दिलाए जाए।

श्री दरोगा प्रसाद सरोज (लालगंज): आदरणीय अध्यक्ष महोदय, बहुत समय बाद मुझे बोलने का मौका मिला है, इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। मैं आपकी अनुमति से, सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में सबसे पिछड़े इलाके जनपद आजमगढ़ की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। दुर्भाग्य यह है कि आज सदन में माननीय रेलमंत्री जी मौजूद नहीं हैं। उनसे मुलाकात होती तो बहुत अच्छा होता। उन्होंने एक बहुत अच्छा बजट पेश किया था, लेकिन जिस तरह से आजमगढ़ ही नहीं पूरे उत्तर प्रदेश की उपेक्षा की गयी, वह अच्छी बात नहीं रही। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि जनपद आजमगढ़ से होकर एक ट्रेन मुंबई और दो ट्रेन दिल्ली के लिए गुजरती हैं। आजमगढ़ रेलवे स्टेशन पर दो प्लेटफार्म हैं, लेकिन वहां पर फुटब्रिज आज तक नहीं बन पाया है जिसके कारण यात्रियों को इस पार से उस पार जाने में कठिनाई होती है। इसके चलते कई बार हादसे हो चुके हैं जिनमें कई लोगों की मृत्यु भी हो चुकी है। मेरा निवेदन है कि वहां पर फुटब्रिज का निर्माण करवाया जाए।

मान्यवर, दूसरी बात यह है कि राज्यसभा और लोकसभा को मिलाकर लगभग एक दर्जन से ज्यादा सांसद वहां से आते हैं, लेकिन वहां से एक भी अच्छी ट्रेन नहीं है। अध्यक्ष महोदय, आप तो बड़े उदार हैं और मैं समझता हूं कि आप अपनी उदारता अवश्यक दिखाएंगे। मैं आपसे कहना चाता हूं कि हम लोगों को आजमगढ़ से दिल्ली आने-जाने के लिए लगभग 10 किलोमीटर रास्ता तय करके वाराणसी आना पड़ता है और वहां से हमें दिल्ली के लिए ट्रेन मिल पाती है। अत: मेरी आपसे गुजारिश है कि लिच्छवी ट्रेन जो मुजफ्फरपुर से वाराणसी होती हुई दिल्ली के लिए आती है कम से कम हफ्ते में तीन दिन उसे आजमगढ़ होकर चलाया जाए, तो आपकी बड़ी कृपा होगी। जब तक स्वर्गीय कल्पनाथ राय जी जनपद मऊ से चुनकर यहां आते थे, तो प्रथम श्रेणी ए.सी. का कोच लगता था। आज हम वहां से करीब 13 सांसद आते हैं। वह प्रथम श्रेणी कोच हटा दिया गया है और उसकी जगह द्वितीय श्रेणी ए.सी. कोच लगा दिया गया है, जो कि काफी घटिया है और उसका कोई मतलब नहीं है। मैं पुरजोर शब्दों में कहना चाहता हूं कि कैफियत एक्सप्रेस ट्रेन के लिए हमने पूर्व रेल मंत्री नीतीश कुमार जी से काफी आग्रह किया था।

अध्यक्ष महोदय: आजमगढ़ का मुद्दा रोज उठाइए।

श्री दरोगा प्रसाद सरोज: बहुत दिनों के बाद बोलने का मौका मिला है। कैफियत एक्सप्रैस रात को नौ बजे चलती है।

अध्यक्ष महोदय: मुद्दा सही ढंग से उठाना चाहिए और सही ढंग से अपनी बात कहनी चाहिए। ऐसे बोलना ठीक नहीं है।

श्री दरोगा प्रसाद सरोज: वह रात को नौ बजे चलती है और आज चलेगी या कल चलेगी और कहां खड़ी हो जाएगी, इसका कोई पता नहीं है। इसलिए उस ट्रेन की समय सीमा होनी चाहिए और वह आजमगढ़ से तीन बजे शाम से पांच बजे शाम के बीच चलनी चाहिए। मुम्बई के लिए गोदाम एक्सप्रेस ट्रेन चलती है।

अध्यक्ष महोदय: यह आपका चौथा मुद्दा हो गया।

श्री दरोगा प्रसाद सरोज: अध्यक्ष महोदय, रेल बजट पर बोलने का मौका नहीं मिला।

अध्यक्ष महोदय: आजमगढ़ के सब मुद्दों पर हम समर्थन देते हैं।

श्री दरोगा प्रसाद सरोज: मैं चाहता हूं गोदान एक्सप्रेस को नियमित किया जाए, क्योंकि खाड़ी में वहां से कई लोग जाते हैं इसलिए इसे पूरे हफ्ते चलाया जाए एवं आजमगढ़ से गोरखपुर तक पहुंचने का समय शाम 2 बजे से 6 बजे के बीच होना चाहिए ताकि यात्री अपने घर जा सकें।

अध्यक्ष महोदय: धन्यवाद। अब तो आपका गुस्सा शांत हो गया होगा।

श्री राजनरायन बुधौलिया (हमीरपुर, उ.प्र.): अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से पूरे सदन को अवगत कराते हुए मानव संसाधन मंत्री जी को बताना चाहता हूं कि बहुत से माननीय सदस्यों के संसदीय क्षेत्रों में केन्द्रीय विद्यालय नहीं हैं।

श्री शैलेन्द्र कुमार (चायल): यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है।

श्री राजनरायन बुधौलिया: अभी तक कुछ मानकों को पूरा नहीं करने के कारण केन्द्र सरकार द्वारा वहां केन्द्रीय विद्यालय भविष्य में भी खोलने की बात समझ में नहीं आ रही है। इसलिए नियमों को शिथिल करने की आवश्यकता है। मेरा मानव संसाधन विकास मंत्री जी से अनुरोध है कि जिस तरह से राज्य सभा के सांसदों को जिस राज्य से वे आते हैं, पूरे राज्य में दो छात्रों को प्रवेश दिलाने की संस्तुति करने की सुविधा प्राप्त है, उसी तरह लोक सभा के सांसदों को भी, जहां केन्द्रीय विद्यालय नहीं है, उस राज्य में कहीं भी दो छात्रों को प्रवेश दिलाने की अनुमति प्रदान की जाए।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: भविष्य में, आपको समय से नोटिस देना चाहिए।

[हिन्दी]

दस बजे से पहले आपने नोटिस नहीं दिया है, फिर भी मैं आपको बोलने का मौका दे रहा हूं।

श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा (जालौन): अध्यक्ष महोदय, मेरे लोक सभा क्षेत्र जालौन से और उत्तर प्रदेश के अन्य इलाकों से अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान चिकित्सा संस्थान और अन्य अस्पतालों में दिल में छेद होने के मरीज काफी मात्रा में इलाज हेतु आते हैं। उन मरीजों की उम्र एक माह से 20 साल तक है। उन मरीजों की एंज्योग्राफी कराई जाती है, जिसमें करीब 20,000 रुपए से लेकर 45,000 रुपए तक का खर्चा आता है। एंज्योग्राफी के बाद दिल के आपरेशन के लिए एक लाख रुपए से लेकर दो लाख रुपए तक का खर्च आता है। हमारे क्षेत्र में और अन्य जगह जो गरीब किसान हैं, वे अपनी जमीन को बेचकर या कर्ज लेकर अपने बच्चों का इलाज करा रहे हैं। कर्ज न लौटा पाने के कारण उनमें से कई किसान आत्महत्या भी कर रहे हैं। मेरी केन्द्र सरकार से मांग है कि जिस तरह से इस रोग के रोगियों की संख्या बढ़ रही है, उसके लिए एक समिति बनाकर जांच की जाए कि ऐसी कौन सी चीज है, जिससे इन रोगियों की तादाद बढ़ रही है। गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले ऐसे तमाम मरीजों के परिवार वालों को इस रोग के इलाज हेतु आर्थिक सहायता दी जाए।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्री अनवर हुसैन, भविष्य में आप समय से नोटिस दें।

[हिन्दी]

श्री शैलेन्द्र कुमार: जिन्होंने सुबह आठ बजे नोटिस दिया है, उन्हें इजाजत दे दें।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: साढ़े सात बजे देने पर इजाजत भी नहीं मिलेगी।

जब दूसरा माननीय सदस्य बोल रहा हो तो कृपया आप बाधा न पहुंचाएं क्योंकि आपका वक्तव्य कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जा रहा है? आप ऐसा क्यों कर रहे हैं?

*...(व्यवधान)**

श्री अनवर हुसैन (धूबरी): महोदय, मैं असम के 2.68 लाख मतदाताओं के भाग्य की ओर माननीय गृह मंत्री का ध्यान आकृष्ट कराना चाहूंगा जिन्हें 1991 से मतदान के अधिकार से वंचित कर दिया गया है। महोदय, मतदाता सूची की गहन पुनरीक्षा में यह एक गंभीर मामला है। वर्ष 1991 में मतदाता सूची तैयार की गयी थी जिसमें 2.68 लाख मतदाताओं के नाम के आगे "डी" लिखा गया था और उन्हें मताधिकार से वंचित किया गया था। यह एक गंभीर विषय है। जनता की मांग के कारण सरकार ने कुछ कदम उठाए हैं। इन 15 वर्षों के दौरान 2.68 लाख मामलों में से मात्र 40,000 मामलों को निपटाया गया है और उन सभी को पात्र मतदाता घोषित किया गया था। यदि इसी गति से काम चला तो सारे मामले निपटाने में और 125 वर्ष लगेंगे। अत: मैं सरकार से इस मामले को शीघ्र निपटाने व (वास्तविक) मतदाताओं को मताधिकार देने का अनुरोध करता हूं।

अध्यक्ष महोदय: श्री खारबेल स्वाईं, एमपीलैड योजना के बारे में आज प्रश्नकाल के दौरान सभा में चर्चा हुई थी। इसके बावजूद यदि आप बोलना चाहते हैं, तो बोलिए।

श्री खारबेल स्वाईं: महोदय, एम पी लैड योजना के दिशानिर्देशों के बारे में कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय द्वारा हाल ही में एक परिपत्र जारी किया गया है। इसके अनुसार यदि जिला समाहर्ता द्वारा 1 करोड़ रु. से अधिक धनराशि का उपयोग नहीं किये जाने के संबंध में प्रमाणपत्र नहीं भेजा गया तो एमपीलैड फंड से आगे की किस्त जारी नहीं की जाएगी। इससे माननीय सदस्यगण कई कठिनाइयों में पड़ गए हैं। महोदय, हालांकि यह वित्तीय वर्ष समाप्त होने वाला है तथापि 1 करोड़ रु. की दूसरी किस्त जारी नहीं की गयी

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[श्री खारबेल स्वाईं]

है। बुद्धिजीवी वर्ग और मीडिया के अधिकांश लोगों की यह आम राय है कि संभवत: साल के आरंभ में इस देश के माननीय प्रधानमंत्री ने 800 बड़े सूटकेस खरीदे, उसमें नकद 2 करोड़ रु. भरे और सभी सांसदों को दे दिया कि जैसे मन करे वैसे खर्च करो जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्योंकि जिला समाहर्त्ता को कुछ सुझाव देने के अलावा हम कुछ और नहीं करते हैं। जिला समाहर्त्ता प्राक्कलन तैयार करते हैं। कार्यादेश उनके द्वारा निर्गत किया जाता है। वही चेक का भुगतान करते हैं और कार्य सम्पन्न कराते हैं। इस संबंध में सब कुछ वह करते हैं।

एमपीलैड्स दिशानिर्देशों में एक प्रावधान है कि प्राक्कलन 45 दिनों के भीतर तैयार किया जाना चाहिए। यदि 45 दिनों के भीतर प्राक्कलन तैयार नहीं हुआ तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। यह काम कब किया जाएगा इस संबंध में कोई समय सीमा नहीं है। यदि समाहर्त्ता या कलेक्टर उचित समय के भीतर इसे पूरा नहीं कराता है तो हम उसके विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं कर सकते हैं।

बाहर के लोगों में और तथाकथित समाज विज्ञानियों में यह छवि बनती है कि सांसद बेकार हैं और वे अपना काम करने में अक्षम हैं। ऐसे ममले में हम कहां जाएं?

अतएव मेरी आपसे अपील है कि मंत्रालय को प्रत्येक छह महीने में एक करोड़ रु. जारी करने को कहा जाए और काम को कराने की जिम्मेदारी हमारी हो। इसके लिए कोई तरीका निकाला जाना चाहिए कि यदि काम समय पर नहीं होता है तो हम जिला समाहर्त्ता या अधिकारियों के विरुद्ध कुछ कार्रवाई करने में सक्षम हों। राशि को बढ़ाए जाने की मेरी मांग नहीं है। इस बात पर मैं आपके माध्यम से सरकार से अपील करता हूं। कार्यमंत्रणा समिति में भी मैंने आपसे अपील की थी कि मंत्री को यह देखने के लिए कहें कि हमें उस चीज के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जाए जिस पर हमारा कोई अधिकार नहीं है। आपसे मेरी यही अपील है।

अध्यक्ष महोदय: हम आपसे सहमत हैं।

...(व्यवधान)

अपराह्न 1.00 बजे

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्यगण, कृपया धैर्य रखें। मुझे आज 46 नोटिस प्राप्त हुए हैं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: मेरी इच्छा है कि यहां बैठकर आप समय बांट सकते। 46 नोटिसों में से मैंने पाया कि 12 नोटिस उन माननीय सदस्यों के हैं जिन्होंने इसी सप्ताह एक विषय पहले ही उठाया है। केवल मैंने नहीं, हम सबने यह नियम अपनाया है। हमारे नेतागण और कार्यमंत्रणा समिति ने निर्णय लिया है कि प्रति सप्ताह केवल एक मामले की अनुमति दी जाएगी। उन 12 सदस्यों को छोड़कर आज मैंने पहले ही 34 माननीय सदस्यों को बोलने को कहा है। इसके बावजूद कुछ माननीय सदस्यगण यह भलीभांति जानते हुए भी कि वे इस सप्ताह अपने मामले पहले ही उठा चुके हैं और आगे कोई मुद्दा उठाने के पात्र नहीं हैं, कुछ मामले उठाने के लिए दबाव डाल रहे हैं। इनमें से कुछ मामले अप्रासंगिक हैं।

किन्तु मैं एक मामले को उसके महत्व के कारण अनुमति दे रहा हूं हालांकि जो माननीय सदस्य इस मामले को उठाना चाहते हैं वह पहले ही इस सप्ताह एक मामले को उठा चुके हैं। मैं इसे उदाहरणस्वरूप नहीं बल्कि अपवादस्वरूप अनुमति दे रहा हूं। श्री रामजीलाल सुमन को अनुमति दे रहा हूं यदि वह अपनी बात एक मिनट में समाप्त कर लें।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री गणेश सिंह (सतना): मैं एक महत्वपूर्ण मामला उठाना चाहता हूं। *...(व्यवधान)* रीवांचल एक्सप्रेस चार संसदीय क्षेत्र को कवर करती है। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: आप रेल मंत्रालय से संबंधित मामला उठाना चाहते हैं, जबकि रेल मंत्रालय पर हमने पहले ही 35 घंटे की चर्चा कर ली है। मुझे खेद है, मैं इसे अनुमति नहीं दूंगा। मैंने श्री सुमन को बोलने के लिए कहा है। श्री गणेश सिंह, मैंने आपको बोलने के लिए नहीं कहा है।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री गणेश सिंह: हम इसके बारे में किससे निवेदन करें? *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: एक मिनट रुकिए। यदि आप तुरंत नहीं बैठते हैं तो मैं आपको बोलने का समय बिल्कुल नहीं दूंगा।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री राकेश सिंह (जबलपुर): अध्यक्ष महोदय, मुझे बोलने का समय नहीं दिया गया। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: आप दिन के आखिर तक चिल्लाते रह सकते हैं। मैं नहीं सुनूंगा। नियम जानते हुए भी आपने अपने नाम से नोटिस दिया है। किसी और के नाम से यह क्यों नहीं दिया गया? आप सभा के नियम और प्रक्रियाओं का पालन करने का प्रयास नहीं कर रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री चन्द्रमणि त्रिपाठी (रीवा): अध्यक्ष महोदय, मैंने भी नोटिस दिया था और उसमें मेरा नाम है। *...(व्यवधान)*

श्री गणेश सिंह: मेरा एक महत्वपूर्ण मामला है। मुझे बोलने का समय क्यों नहीं दिया जा रहा है? *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: आप सभा में बाधा और अव्यवस्था पैदा कर रहे हैं। आपकी वरीयता नहीं हो सकती है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं होगा। केवल श्री रामजीलाल सुमन का भाषण के ही कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित होगा।

*...(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री गणेश सिंह: मुझे बोलने का समय नहीं दिया गया, इसलिए मैं दुखी होकर सदन का बहिष्कार करता हूं। *...(व्यवधान)*

अपराह्न 1.01 बजे

[अनुवाद]

(तत्पश्चात श्री गणेश सिंह और श्री राकेश सिंह सभा भवन से बाहर चले गए)

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमन (फिरोजाबाद): अध्यक्ष महोदय, सरदार सरोवर योजना 30 बड़े और 135 मध्य आकार के बांधों की सबसे बड़ी परियोजना है। योजना आयोग ने इस परियोजना को 1988 में मंजूरी दी थी। जिस समय इस परियोजना को स्वीकृति मिली उस समय इसकी अनुमानित लागत 6406 करोड़ रुपए थी। मार्च 2000 तक इसकी अनुमानित लागत 40 हजार करोड़ रुपए है। 15 हजार करोड़ रुपए इस पर खर्च भी हो गए हैं। जब यह परियोजना शुरू हुई थी तो ट्रिब्यूनल के मुताबिक यह प्रावधान किया गया था कि इस योजना से प्रभावित जिन लोगों की 25 फीसदी लैंड जलाशय में चली जाएगी, उन परिवारों को खेती योग्य जमीन दी जाएगी और डूब से प्रभावित परिवारों का 6 महीने में पुनर्वास किया जाएगा। सबसे दुखद बात यह है कि इतना लंबा समय बीत जाने के बाद भी उन्हें न विकल्प के तौर पर जमीन मिली है और न ही प्रभावित लोगों का पुनर्वास हुआ है। सर्वोच्च न्यायालय ने 2000 में एक फैसले में कहा था कि पुनर्वास एवं क्षति-पूर्ति पूरी होने की शर्त पर इस परियोजना को आगे बढ़ाया जा सकता है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: कृपया संक्षिप्त रूप से बोलिए।

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमन: महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश के लगभग 33 हजार से 40 हजार परिवार इससे प्रभावित हुए हैं। उनके पुनर्वास का आज तक कोई काम नहीं हुआ है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि राज्य सरकारें अपनी सुविधानुसार नीतियां बना रही हैं। वहां पुनर्वास का काम नहीं हुआ है और लोगों को वैकल्पिक जमीन नहीं मिली है। वैबसाइट में यह दिखाने का प्रयास हो रहा है कि लोगों का पुनर्वास हो गया है। 15 मार्च, 2005 को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जिन परिवारों का अहित हुआ है, उन्हें प्रति परिवार 5 एकड़ जमीन मिलनी चाहिए। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्री सुमन जी, यह समस्या है।

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमन: अध्यक्ष महोदय, हम आपका संरक्षण चाहते हैं।

राज्य सरकारें अपने धर्म को पूरा नहीं कर पा रही हैं। आप संसद की टीम वहां भिजवा दीजिए जिससे परिस्थिति की जानकारी हो सके और पीड़ित परिवारों को न्याय मिल सके। मेरा आपसे यही निवेदन है। आपने मुझे बोलने का समय दिया इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: डा. रामकृष्ण कुसमरिया जी, आपने भी इस पर हस्ताक्षर किए हैं। क्या आप इस पर बोलना चाहेंगे? इसे पूर्वोदाहरण के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। आपके सहयोग के कारण मैं ऐसा अपवाद के रूप में कर रहा हूं।

[हिन्दी]

डा. रामकृष्ण कुसमरिया (खजुराहो): अध्यक्ष महोदय, रीवांचल गाड़ी तीन दिन बीना कटनी खंड से चलती है और चार दिन जबलपुर से चलती है। हमारा मानना है कि इस गाड़ी को पूरे समय, हफ्ता भर लगातार बीना कटनी खंड से चलाया जाए जिससे बुंदेलखंड की जनता को लाभ मिल सकता है और सुविधा मिल सकती है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: आपके सहयोग के लिए आपको धन्यवाद।

[हिन्दी]

श्री वीरेन्द्र कुमार (सागर): यह मामला मेरे संसदीय क्षेत्र से भी संबंधित है इसलिए मैं अपने आपको इससे संबद्ध करता हूं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्री वीरेन्द्र कुमार भी इससे सम्बद्ध होंगे।

डा. सिबैस्टियन पाल, मैंने आज, दिनांक 23 मार्च, 2005 को हिन्दुस्तान टाइम्स में प्रकाशित अपमानजनक और संसद सदस्यों की छवि को धूमिल करने की मंशा से प्रकाशित किए गए लेख, जैसाकि आपने आरोप लगाया है, के विरुद्ध आपके विशेषाधिकार के प्रश्न की नोटिस को प्राप्त किया है। आपने मुझे इसे पढ़ने के लिए एक घंटे का भी समय नहीं दिया है। आप दोपहर 12 बजे तत्काल उत्तर चाहते हैं। एक सदस्य को ऐसा आचरण नहीं करना चाहिए। यह मामला मेरे विचाराधीन है।

सभा 2.00 बजे पुन: समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 1.06 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए अपराह्न 2.10 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अपराह्न 2.15 बजे

लोक सभा मध्याह्न भोजन के पश्चात अपराह्न 2.15 बजे पुन: समवेत हुई।

[उपाध्यक्ष महोदय *पीठासीन हुए*]

पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण विधेयक के बारे में

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय हान्डिक): उपाध्यक्ष महोदय, क्या मैं आपकी अनुमति से एक घोषणा कर सकता हूं?

उपाध्यक्ष महोदय: जी हां।

श्री विजय हान्डिक: महोदय, मुझे माननीय संसदीय कार्य मंत्री द्वारा यह सूचित करने का निदेश दिया गया है कि सरकार ने पेंशन कोष विनियामक और विकास प्राधिकरण विधेयक को स्थायी समिति को भेजने का निर्णय लिया है।

उपाध्यक्ष महोदय: ठीक है।

अपराह्न 2.16 बजे

नियम 377 के अधीन मामले

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: अब सभा मद सं. 19 अर्थात् नियम 377 के अधीन मामले को उठाएगी। डा. करण सिंह यादव।

(एक) मरुधर एक्सप्रेस को जोधपुर और वाराणसी के बीच बरास्ता लखनऊ चलाए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

डा. करण सिंह यादव (अलवर): महोदय, जोधपुर से लखनऊ-वाराणसी के बीच मरुधर एक्सप्रेस गाड़ी रात कई वर्षों से जयपुर, बांदीकुई, अलवर, मथुरा होती हुई लखनऊ जाती है तथा लौटते में लखनऊ से मथुरा, अलवर, बांदीकुई, जयपुर होती हुई जोधपुर पहुंचती है। गत कुछ सप्ताह से मेरे लोक सभा क्षेत्र अलवर के यात्री इस बात से चिन्तित हैं कि रेल प्रशासन अब इस गाड़ी का अलवर-मथुरा मार्ग पर आना बंद करना चाह रहा है।

[डा. करण सिंह यादव]

ऐसी स्थिति में अलवर के यात्रियों को मथुरा, आगरा, कानपुर, लखनऊ, बनारस तथा उससे आगे जाने की सुविधा से वंचित होना पड़ेगा। अलवर, मथुरा की इस ब्राडगेज लाइन पर कोई सवारी गाड़ी नहीं रह जायेगी।

अत: माननीय रेल मंत्री जी से क्षेत्र की जनता की ओर से प्रार्थना करता हूं कि मरुधर एक्सप्रैस को अपने वर्तमान में चलने वाले रास्ते पर ही यथावत रखा जाए।

[हिन्दी]

(दो) गुजरात के अमरेली और जूनागढ़ जिलों में मोबाइल टेलीफोन नेटवर्क में सुधार किए जाने और प्रदेश में और अधिक क्षेत्रों को कनेक्टिविटी उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता

श्री वी.के. ठुम्मर (अमरेली): महोदय, मैं सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान अपने संसदीय क्षेत्र अमरेली के दो जिलों अमरेली एवं जूनागढ़ में मोबाइल सेवा के अभाव एवं घटिया स्तर की मोबाइल सेवा की तरफ दिलाना चाहता हूं। इन जिलों के कई तालुकाओं, जैसे कुकावाव, लाठी, खाम्बा एवं लिलिया जाफराबाद में अभी तक मोबाइल सेवा शुरू नहीं की गई है एवं धारी और अमरेली क्षेत्र में मोबाइल सेवा ठीक ढंग से काम नहीं करती है एवं घरों में तो मोबाइल सेवा बिल्कुल काम नहीं करती है। जिसके कारण लोगों को बहुत असुविधा हो रही है। अगर यह मोबाइल सुविधा लोगों को अच्छी तरह से मिले तो यहां पर मोबाइल टेलीफोनों की मांग बहुत ज्यादा हो सकती है। जिससे दूरसंचार को राजस्व का फायदा होगा। साथ ही साथ सदन को यह भी बताना चाहता हूं कि मेरे संसदीय क्षेत्र में कई तालुकाओं में इंटरनेट की सुविधाएं भी नहीं हैं जिसके कारण दूरसंचार की आधुनिक सेवाओं का लाभ मेरा संसदीय क्षेत्र नहीं उठा पा रहा है।

मेरा सदन के माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि मेरे संसदीय क्षेत्र के अमरेली एवं जूनागढ़ जिलों में मोबाइल सेवा दुरुस्त की जाए। जहां पर मोबाइल सेवा शुरू नहीं की गई है, वहां पर जल्द इन सेवाओं को शुरू करवाया जाए।

[अनुवाद]

(तीन) मदुरै के स्वतंत्रता सेनानी श्री एन.एम.आर. सुब्बारमन की स्मृति में 14.8.2005 को उनकी जन्मशती के अवसर पर एक स्मारक डाक-टिकट जारी किए जाने की आवश्यकता

श्री एन.एस.वी. चित्तन (डिंडीगुल): महोदय: मदुरई के श्री एन.एम.आर. सुब्बारमन को 'मदुरई गांधी' के रूप में जाना जाता है। उन्होंने गांधी जी के सभी सत्याग्रह आंदोलनों में भाग लिया और लगभग पांच वर्षों तक अपनी पत्नी के साथ जेल में रहे। वह मदुरई नगरपालिका के अध्यक्ष और स्वतंत्रता पूर्व और स्वतंत्रता के पश्चात् मद्रास विधान सभा के सदस्य रहे। वह मदुरई निर्वाचन क्षेत्र से लोक सभा के लिए भी चुने गए थे।

हरिजनों के उत्थान के लिए कार्य करना उनको प्रिय था। हरिजनों को सामाजिक-राजनीतिक जीवन की मुख्य धारा में लाने के लिए उनके द्वारा किये गए कार्य महान हैं। एन एम आर सुब्बारमन गांधी जी द्वारा स्थापित अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ की एक इकाई तमिलनाडु हरिजन सेवक संघ के माध्यम से हरिजन छात्रावासों की श्रृंखला को स्थापित करने में सक्रिय थे।

गांधी युग के बाद श्री एन एम आर सुब्बारमन विनोबा जी द्वारा आरंभ किए गए भू-दान आंदोलन में सक्रिय रहे और अपनी 100 एकड़ उर्वरक भूमि को विनोबा जी को दान में दिया। वह मदुरई में देश के पहले गांधी संग्रहालय की स्थापना करने में सक्रिय रहे।

14 अगस्त 2005 को हम श्री एन.एम.आर. सुब्बारमन की जन्मसदी मना रहे होंगे। मैं सरकार से भारत के इस महान देशभक्त की याद में एक स्मारक टिकट जारी करने का अनुरोध करता हूं।

[हिन्दी]

(चार) महाराष्ट्र चन्द्रपुर जिले में मिंझारी खानों से कोयला निकाले जाने की आवश्यकता

प्रो. महादेवराव शिवनकर (चिमूर): उपाध्यक्ष महोदय, महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले के चिमूर क्षेत्र में कोयला की खदान मिनझारी इत्यादि छ: खदानें शुरू करने की आवश्यकता है। देश में चीन से कोयला आयात किया जा रहा है। तीन गुना दाम चीन को दिया गया मगर मिनझारी इत्यादि खानें शुरू नहीं की जा रही हैं। मुरपार खदान घाटे में चलाई गई। लाइसैंस का कोयला भी बाजारों में उपलब्ध है। इन सब प्रकरणों की जांच की जाए। मिनझारी आदि छ: खदानें भी शुरू करें। हजारों लोगों को रोजगार प्रदान करें। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: केवल अनुमोदित पाठ को ही कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

प्रो. महादेवराव शिवनकर: मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया।

उपाध्यक्ष महोदय: मैं क्या कहूं, आपका कहना रिकार्ड पर नहीं आ सका।

[अनुवाद]

(पांच) उड़ीसा के क्योंझर जिले में खंदाधर जल प्रपात के आस-पास के क्षेत्रों में वायु और जल प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए उपयुक्त किए जाने की आवश्यकता

श्री अनन्त नायक (क्योंझर): महोदय, क्योंझर संसदीय क्षेत्र में खण्डाधार जल प्रपात सैकड़ों पर्यटकों को आकर्षित करता रहा है लेकिन अब प्रतिदिन उसका आकर्षण तेजी से कम हो रहा है। इस प्रसिद्ध प्रपात के चारों ओर अंधाधुंध खनन और पेड़ों की कटाई के कारण इस क्षेत्र का जन्तु और वनस्पति जगत बर्बाद हो गया है। कई खानों को पट्टे पर दे दिया गया है और पर्यटन रिसोर्ट के आस-पास ढलवां लोहे के संयंत्र स्थापित किए गए हैं। राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने खान मालिकों और उद्योगपत्तियों को अपनी कार्यकलाप चलाने की अनुमति दे दी है। इन सभी चीजों के संयुक्त प्रभाव से क्षेत्र की जैव-विविधता नष्ट हो गई है। इस क्षेत्र में बहने वाली नदियों का जल तेजी से संदूषित होता जा रहा है जिसके कारण इन पर निर्भर रहने वाले लोगों और वन्य जीवों के लिए स्वास्थ्य संबंधी गम्भीर खतरा उत्पन्न हो गया है। वायु प्रदूषण भी भयावह रूप से बढ़ रहा है।

खण्डाधर के आस-पास जीव और वनस्पति जगत का संरक्षण आवश्यक है, अन्यथा पर्यटकों का वहां आना कम होता चला जाएगा।

मेरी इच्छा है कि खण्डाधर और क्योंझर जिले के अन्य भागों में खनन और औद्योगिक गतिविधियों को तब तक रोक दिया जाए जब तक कि पर्याप्त वायु और जल प्रदूषण नियंत्रण के उपाय नहीं कर लिए जाते और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को तदनुसार निदेश दिया जाए।

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्यों मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि जो भी आपने लिख कर दिया है और स्पीकर कार्यालय से जो अप्रूव्ड हुआ है, वही टैक्स्ट रेकार्ड में जाएगा और कोई रेकार्ड में नहीं जाएगा।

(छह) उत्तरांचल में जंगली सुअरों को संरक्षित प्रजातियों की श्रेणी से हटाए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री बची सिंह रावत "बचदा" (अल्मोड़ा): उपाध्यक्ष महोदय, देश का हिमालयी क्षेत्र विशेषकर उत्तरांचल का पर्वतीय क्षेत्र घने जंगलों से आच्छादित है। इस क्षेत्र में अधिकांश ग्राम जंगलों से लगे हुए हैं। इन ग्रामों के निवासी मुख्य रूप से अपने खेतों में पैदा होने वाली साग-सब्जी, फल-फूल व फसलों पर ही निर्भर रहते हैं तथा पशुपालन भी उनका एक प्रमुख व्यवसाय है।

वन संरक्षण अधिनियम 1980 के पूर्व ही वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के कारण जंगलों में निवास कर रहे जंगली जीव जन्तुओं की जनसंख्या में अत्यधिक वृद्धि हुई है। इसमें भी विशेष रूप से सुअर, घुरड़, काकड़, बाघ, भालू आदि की जनसंख्या सबसे अधिक बढ़ी है।

इन जनसंख्या वृद्धि के कारण जंगलों में वन्य जीवों को आहार हेतु अत्यंत कमी हो जाने से पिछले कुछ समय से उनका रुख ग्रामीण बस्तियों की ओर हुआ है और ग्रामीणों के पालतू पशुओं को मार डालने के साथ-साथ मनुष्यों को भी समय-समय पर समाप्त करने की घटनाएं हुई हैं। इन हेतु वन विभाग द्वारा नाम मात्र की क्षतिपूर्ति दी जाती है।

जन हानि के साथ-साथ अब पिछले कुछ समय से जंगली सुअरों आदि के झाड़ के झाड़ ग्रामीणों के खेत खलिहानों में रात्रि के समय पहुंच जाते हैं और खेतों में पैदा की जा रही साग-सब्जी, फल-फूल व फसलों को चट कर जाते हैं व खेतों को खोद कर बाकी की फसल को भी नष्ट कर देते हैं।

देश के मैदानी क्षेत्रों में फसल हानि को देखते हुए जंगली नील गाय को संरक्षित वन्य जीव की श्रेणी से हटाया गया है। मेरा भी सरकार से आग्रह है कि वह उत्तरांचल के पर्वतीय क्षेत्र में जंगली सुअरों के द्वारा फसल की हानि पर पर्याप्त मुआवजे की व्यवस्था करे और सुअरों को संरक्षित वन्य जीव की सूची से हटाया जाए।

(सात) प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत परियोजनाओं को समय पर कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार को पर्याप्त धनराशि जारी किए जाने की आवश्यकता

डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय (मंदसौर): उपाध्यक्ष जी, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना एक महत्वपूर्ण ग्राम विकास की कड़ी है

जिससे न केवल प्रत्येक गांव को पक्की सड़कों से जोड़ने का संकल्प है, किंतु इससे गांवों में व्यावसायिक व व्यापारिक अवसर बढ़ेंगे। ग्रामीण उद्योगों को भी स्थापित किए जाने में सुविधा प्राप्त होगी तथा गांवों से शहरों की ओर का पलायन भी रुकेगा। मूलत: इस योजना के तहत वर्ष 2007 तक सीधे गांवों का संपर्क सड़कों द्वारा होने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था किंतु वार्षिक लक्ष्य की पूर्ति की दृष्टि से धनराशि केंद्र द्वारा नहीं दिए जाने के कारण अनेक राज्य अपने निर्धारित वार्षिक लक्ष्य से भी पीछे रह गए हैं। इन राज्यों में मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान प्रमुख हैं। जहां तक मध्य प्रदेश का संबंध है इस प्रधानमंत्री ग्राम सड़क विकास योजना में धनाभाव के कारण काफी पीछे है। यही कारण है कि माननीय सांसदों के संसदीय क्षेत्रों में जो सड़कें वर्ष 2004-05 को पूर्ण होनी थी, संभवत: वे वर्ष 2006 में पूरी होंगी। कार्य समयावधि में पूरे हों।

अत: मेरा माननीय मंत्री जी से अनुरोध होगा कि इस योजना को समयावधि में पूरा किए जाने की दृष्टि से मध्य प्रदेश की आवश्यक धनराशि तुरंत उपलब्ध कराई जाए।

[अनुवाद]

(आठ) गुजरात के कच्छ जिले में उत्पाद शुल्क से छूट की तारीख 31 दिसम्बर, 2005 तक बढ़ाए जाने संबंधी दिनांक 9.11.2004 की अधिसूचना को वापस लिए जाने की आवश्यकता

श्री अमिताभ नन्दी (दमदन): उपाध्यक्ष महोदय, दिनांक 20 अगस्त 2004 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3434 के संबंध में सभा में वित्त राज्य मंत्री द्वारा अपने उत्तर के संबंध में दिए गए आश्वासन के विपरीत वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग द्वारा 9 नवम्बर, 2004 को जारी अधिसूचना संख्या 55/2004 के अनुसार केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, गुजरात के कच्छ जिले में उत्पाद शुल्क में छूट की विधि को 31 दिसम्बर, 2005 तक बढ़ाया गया है। चूंकि इससे छूट देने का मुख्य उद्देश्य ही समाप्त हो गया है और मुझे आशंका है कि कोर क्षेत्र में खासकर लोहा और इस्पात के मामले में इससे पूरे देश और विशेषकर पश्चिम बंगाल में उत्पादकों को 16 प्रतिशत उत्पाद शुल्क के भार के कारण असमान प्रतिस्पर्द्धा से गुजरना पड़ेगा। मैं या तो दिनांक 9 नवम्बर 2004 की अधिसूचना को वापस लेने या सारे देश में उत्पाद शुल्क की छूट के काम को दिए जाने की मांग करता हूं।

[हिन्दी]

(नौ) उत्तर प्रदेश के सलेमपुर रेलवे स्टेशन के दक्षिणी छोर पर एक सड़क उपरि पुल का निर्माण किए जाने की आवश्यकता

श्री हरिकेवल प्रसाद (सलेमपुर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से नियम 377 के अधीन सूचना दे रहा हूं कि मेरे संसदीय क्षेत्र के सलेमपुर रेलवे स्टेशन के दक्षिण में एक ओवरब्रिज बनाना अति आवश्यक है। आजकल इस जगह पर ओवरब्रिज के अभाव में कई किलोमीटर तक जाम लगा रहता है, जिसके कारण लोगों को बहुत असुविधा हो रही है और समय भी बर्बाद हो रहा है। शादियों के समय तो इस स्थान पर असहनीय जाम रहता है। इस मार्ग से यातायात बलिया एवं बिहार जाता है एवं यही मार्ग भटनी-सलेमपुर होकर वाराणसी के मुख्य मार्ग से जोड़ता है। आज इस समपार से लाख से ज्यादा वाहन आते-जाते हैं। इस मार्ग को सहभागिता के आधार पर बनाना है।

सदन के माध्यम से मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि लोगों की असुविधा एवं बढ़ते हुए यातायात के जाम को दूर करने के लिए सलेमपुर रेलवे स्टेशन के दक्षिण में स्थित समपार पर एक रोड ओवरब्रिज तत्काल बनाने की कार्रवाई की जाए।

उपाध्यक्ष महोदय: डा. धीरेन्द्र अग्रवाल—उपस्थित नहीं।

(दस) गैर-कोर सेक्टर को अधिसूचित दर पर कोयले की मासिक आपूर्ति सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता

श्री राजाराम पाल (बिल्हौर): उपाध्यक्ष महोदय, कोयला मंत्रालय व भारत कोकिंग कोल लिमिटेड, धनबाद एवं नार्थ-ईस्ट कोल फील्ड लिमिटेड द्वारा प्रत्येक माह एक निश्चित मात्रा में ई-नीलामी द्वारा नॉन-कोर सैक्टर को कोयला उपलब्ध कराना होता है, लेकिन फरवरी व मार्च माह की आज की तिथि तक ई-नीलामी द्वारा निर्धारित मात्रा में तथा निर्धारित व नोटीफाइड मूल्य पर कोयला उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है। इस कारण खासकर जनपद कानपुर सहित पूरे उत्तर प्रदेश में नान-कोर सैक्टर के अधीन उद्योग धंधे बन्द होने की स्थिति में आ गए हैं। अगर यह नान-कोर सैक्टर उद्योग बन्द हो गया, तो लाखों दिहाड़ी मजदूर सीधे रूप में प्रभावित होंगे। अत: मैं भारत सरकार से मांग करता हूं कि प्रतिमाह निर्धारित व नोटीफाइड मूल्य पर कोयले की आपूर्ति नान-कोर सैक्टर को सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

(ग्यारह) देश में भारतीय कपास निगम के माध्यम से कपास उत्पादकों के लिए लाभकारी मूल्य सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता

श्री अनंत गुढ़े (अमरावती): उपाध्य महोदय, देश में महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में बड़ी मात्रा में कपास का उत्पादन होता है। महाराष्ट्र में एकाधिकार योजना के द्वारा कपास की खरीददारी होती है। पिछले वर्ष 2003-2004 में कपास के दाम रु. 2,700 और रु. 2,800 थे, लेकिन इस वजह से इस वर्ष किसानों ने बड़ी मात्रा में कपास की बुवाई की, लेकिन सारे देश में कपास के दाम में भारी मात्रा में गिरावट आई है। कम बरसात के कारण कपास के उत्पादन में भारी मात्रा में गिरावट आई है।

[श्री अनंत गुढ़े]

इस साल केवल रु. 1800 से रु. 2000 तक के भाव से कपास की खरीददारी हुई है। मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करता हूं कि सी.सी.आई. के द्वारा कपास की खरीददारी हो, कपास को तीन हजार रुपए प्रति क्विंटल के दाम मिलें और जो कपास बाहरी देशों से हिन्दुस्तान में आयात होती है, उस पर 50 प्रतिशत आयकर शुल्क लगाया जाए।

[अनुवाद]

(बारह) संबलपुरी/कोशाली भाषा को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल किए जाने की आवश्यकता

श्री प्रसन्न आचार्य (सम्बलपुर): उड़ीसा के पश्चिमी क्षेत्र की एक अलग संस्कृति, वर्षों पुरानी परम्परा तथा एक अलग भाषा है। इस क्षेत्र में उड़ीसा के 10 जिले हैं जहां लोग सामान्यत: सम्बलपुरी/कौशाली नाम की एक ही भाषा बोलते हैं।

सम्बलपुरी/कौशाली भाषा की अपनी बोली तथा अपनी शैली है। इसका अपना शब्दकोष है। लगभग एक करोड़ लोग यह भाषा बोलते हैं। इस भाषा का लोक गीत इतना लोकप्रिय है कि वह उड़ीसा ही नहीं बल्कि भारत की सीमाओं को भी पार कर गया है। रामायण और महाभारत जैसे महाकाव्यों सहित उच्च स्तर का बहुत सारा साहित्य इसी भाषा में लिखा गया है जो आम पाठकों में बहुत लोकप्रिय है। पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़, जो कौशल क्षेत्र के साथ लगा हुआ है, में भी बहुत से लोग यह भाषा बोलते हैं। बहुत से विख्यात लेखकों तथा कवियों ने इस भाषा में उच्च स्तर के साहित्य की रचना की है। महान कवि गंगाधर मेहर का संबंध इसी क्षेत्र से था।

उपर्युक्त तथ्यों के मद्देनजर पिछले बहुत से दशकों से इस भाषा को मान्यता प्रदान करने तथा इसे भारत के संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल करने की लगातार मांग की जा रही है। मैं केन्द्र सरकार से इस मांग पर विचार करने तथा भारत के संविधान की आठवीं अनुसूची में सम्बलपुरी/कौशली भाषा को शामिल करने का अनुरोध करता हूं।

श्री विक्रम केशरी देव (कालाहांडी): महोदय, मैं स्वयं को श्री प्रसन्न आचार्य के साथ संबद्ध करना चाहता हूं क्योंकि मेरा संबंध पश्चिमी उड़ीसा से है तथा प्रश्न भाषा को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल करने के बारे में है।

उपाध्यक्ष महोदय: आप संबद्ध हैं।

(तेरह) लद्दाख क्षेत्र में आवश्यक वस्तुओं की कमी को पूरा करने के लिए इनकी आपूर्ति विमानों द्वारा किए जाने की आवश्यकता

श्री छेवांग थुपस्तन (लद्दाख): संपूर्ण लद्दाख क्षेत्र को आवश्यक वस्तुओं की कमी के कारण संकट की स्थिति का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि शेष देश से लद्दाख को जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्गों के अचानक अवरुद्ध हो जाने से पर्याप्त मात्रा में आवश्यक वस्तुओं का भंडारण नहीं किया जा सकता। लद्दाख सहित संपूर्ण जम्मू एवं कश्मीर राज्य में असामान्य रूप से भारी हिमपात के कारण स्थिति और बिगड़ गई है। ऐसी आशंका है कि श्रीनगर और लेह तथा मनाली और लेह के बीच सड़क संपर्क बहाल करने में लम्बा समय लगेगा तथा जून के दूसरे सप्ताह से पहले सड़कों का संपर्क नहीं हो पाएगा। इन परिस्थितियों में वायु सेना के विमानों के माध्यम से आवश्यक वस्तुओं की ढुलाई के लिए आवश्यक प्रबंध किए जाने चाहिएं। मैं भारत सरकार से इस मामले में हस्तक्षेप करने तथा रक्षा मंत्रालय के सैन्य विमानों द्वारा आवश्यक वस्तुओं की ढुलाई की व्यवस्था करने का अनुरोध करूंगा ताकि लद्दाख क्षेत्र में लोगों को आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध कराई जा सकें।

अपराह्न 2.37 बजे

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क टैरिफ अधिनियम की पहली अनुसूची तथा दूसरी अनुसूची में संशोधन हेतु अधिसूचना का अनुमोदन किए जाने के बारे में सांविधिक संकल्प

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: अब हम मद सं. 20, सांविधिक संकल्प पर चर्चा करेंगे।

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): महोदय, मैं निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करता हूं:

'केन्द्रीय उत्पाद शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1985 की धारा 3 की उपधारा (2) के अनुसरण में, यह सभा 7 मार्च, 2005 की अधिसूचना संख्या 14/2005-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क [7 मार्च, 2005 का सा.का.नि. 161 (अ)] जिसका आशय केन्द्रीय उत्पाद शुल्क टैरिफ अधिनियम की पहली अनुसूची और दूसरी अनुसूची का संशोधन करना है ताकि संशोधित केन्द्रीय उत्पाद शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1985 की पहली अनुसूची के शीर्षक संख्या 8706 के अंतर्गत आने वाले कतिपय मोटर वाहनों के मामले में इंजनों के साथ फिट की गई चेसिसों, चाहे वे कैब के साथ फिट हों अथवा नहीं, और टैरिफ मद 58063200 के अंतर्गत आने वाले 'मानव निर्मित फाइबर से बुने हुए अन्य फैब्रिक' के संबध में शुल्क की दरों

को उन्हीं दरों पर बनाए रखा जा सके जो 27 फरवरी, 2005 को प्रवृत्त थीं, का एतद्द्वारा अनुमोदन करती है।'

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

'केन्द्रीय उत्पाद शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1985 की धारा 3 की उपधारा (2) के अनुसरण में, यह सभा 7 मार्च, 2005 की अधिसूचना संख्या 14/2005-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क [7 मार्च, 2005 का सा.का.नि. 161 (अ)] जिसका आशय केन्द्रीय उत्पाद शुल्क टैरिफ अधिनियम की पहली अनुसूची और दूसरी अनुसूची का संशोधन करना है ताकि संशोधित केन्द्रीय उत्पाद शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1985 की पहली अनुसूची के शीर्षक संख्या 8706 के अंतर्गत आने वाले कतिपय मोटर वाहनों के मामले में इंजनों के साथ फिट की गई चेसिसों, चाहे वे कैब के साथ फिट हों अथवा नहीं, और टैरिफ मद 58063200 के अंतर्गत आने वाले 'मानव निर्मित फाइबर से बुने हुए अन्य फैब्रिक' के संबध में शुल्क की दरों को उन्हीं दरों पर बनाए रखा जा सके जो 27 फरवरी, 2005 को प्रवृत्त थीं, को एतद्द्वारा अनुमोदन करती है।'

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 2.39 बजे

परेल इन्वेस्टमेंट्स एंड ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड तथा डोमेस्टिक गैस प्राइवेट लिमिटेड (प्रबंध-ग्रहण) निरसन विधेयक, 2005

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: अब हम मद संख्या-21 पर विचार करेंगे।

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि परेल इन्वेस्टमेंट्स एण्ड ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड तथा डोमेस्टिक गैस प्राइवेट लिमिटेड (प्रबंध-ग्रहण) अधिनियम, 1979, का निरसन करने वाले विधेयक, राज्य सभा द्वारा यथापारित, पर विचार किया जाए।"

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

...(व्यवधान)

श्री मणि शंकर अय्यर: महोदय, मैं समझता हूं, मुझे एक स्पष्टीकरण वक्तव्य देना होगा।

उपाध्यक्ष महोदय: ठीक है।

श्री मणि शंकर अय्यर: उपाध्यक्ष महोदय, मुझे परेल इन्वेस्टमेंट्स एण्ड ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड तथा डोमेस्टिक गैस प्राइवेट लिमिटेड (प्रबंध-ग्रहण) अधिनियम, 2005, का निरसन करने वाले विधेयक, राज्य सभा द्वारा यथापारित, को आपके विचारार्थ प्रस्तुत करने का सम्मान प्राप्त हुआ है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे इस विधेयक की पृष्ठभूमि को प्रस्तुत करने के लिए आपके अनुग्रह की मांग करता हूं? मैसर्स हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड (एच.पी.सी.एल.), जो भारत सरकार का उपक्रम है, का सृजन अलग-अलग समय में चार कंपनियों का विलय करने के पश्चात् किया गया था जिनके नाम हैं-ई.एस.एस.ओ., ल्यूब इंडिया अंडरटेकिंग्स, काल्टेक्स और कोसान गैस कंपनी। एल.पी.जी. व्यवसाय में एच.पी.सी.एल. की अखिल भारतीय उपस्थिति है।

मैसर्स परेल इन्वेस्टमेंट्स एंड ट्रेडिंग कम्पनी लिमिटेड (पहले परेल इन्वेस्टमेंट्स एंड मैसर्स ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड के नाम से जानी जाती थी) और डोमेस्टिक गैस प्राइवेट लिमिटेड नामक दोनों कंपनियां कालटेक्स से अनुदान प्राप्त करती थीं और इन्हें काल्टेक्स के पैक्ड एल.पी.जी. को दक्षिणी और पश्चिमी भारत में बिक्री के लिए वितरक के रूप में नियुक्त किया गया। भारत सरकार ने पी.आई.टी.सी.एल. और डी.जी.पी.एल. का प्रबंधन अपने हाथ में ले लिया और उनके एल.पी.जी. व्यवसाय का अनिर्णीत अधिग्रहण कर लिया। परेल इन्वेस्टमेंट्स एण्ड ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड तथा डोमेस्टिक गैस प्राइवेट लिमिटेड (प्रबंध-ग्रहण) अधिनियम, 1979 द्वारा एच.पी.सी.एल. को संरक्षक नियुक्त किया गया।

गोकुलदास ग्रुप आफ कंपनीज, इन दोनों कंपनियों के प्रमोटर, ने इन दोनों कंपनियों के संबंध में वर्ष 1979 में दिल्ली उच्च न्यायालय में रिट याचिकाएं दायर कीं। न्यायालय ने याचिकाकर्त्ताओं को अंतिम राहत प्रदान की और यह आदेश दिया कि सरकार अथवा एच.पी.सी.एल. द्वारा इन कंपनियों के गैर-एल.पी.जी. व्यवसाय का अधिग्रहण नहीं किया जायेगा। गोकुलदास ग्रुप आफ कंपनीज के प्राधिकृत प्रतिनिधि श्री आर.एम. गोकुलदास ने 1985 में न्यायालय से बाहर समाधान की पेशकश की। यह महसूस किया गया कि बातचीत से न्यायालय के बाहर किये गये समाधान से लंबे समय से चल रहा मुकदमा समाप्त हो जायेगा। दिसम्बर, 1996 में दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा विवाद का शेष समाधान भी पूरा कर दिया गया और रिट याचिकाओं का निपटान कर दिया गया और उन्हें

[श्री मणि शंकर अय्यर]

यह स्वतंत्रता दी गयी कि आवश्यकता पड़ने पर वे पुनः इन मामलों पर मुकदमें के लिए आवेदन कर सकते हैं। फिर भी, विवाद का समाधान नहीं किया जा सका।

फरवरी, 2000 में, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में पूर्व सचिव श्री अशोक चंद्र को सभी इच्छुक दलों के मामले की सुनवाई के लिए और अपनी सिफारिशें देने के लिए नियुक्त किया गया।

इन सिफारिशों के आधार पर, गोकुलदास ग्रुप आफ कंपनीज, एच.पी.सी.एल. तथा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के बीच न्यायालय से बाहर समझौता समाधान की बातचीत हुई। इसमें पी.आई.टी.सी.एल. और डी.जी.पी.एल. के रसोई गैस व्यवसाय का 10,000 रुपये की नाममात्र की राशि पर अधिग्रहीत करने और गैर-एल.पी.जी. व्यवसाय से संबंधित प्रबंधन को गोकुलदास ग्रुप आफ कंपनीज को सौंपने की बात हुई। इसमें यह भी बात हुई कि उनके रसोई गैस व्यवसाय के प्रबंधन और परिसम्पत्तियों और उत्तरदायित्वों के अधिग्रहण के संबंध में भविष्य में कोई विवाद खड़ा नहीं किया जायेगा।

इन दोनों कंपनियों के रसोई गैस व्यवसाय के मालिकाना हक को एच.पी.सी.एल. में निहित किए जाने की आवश्यकता थी ताकि उनके एल.पी.जी. व्यवसाय को आधुनिकीकरण और विस्तार में एच.पी.सी.एल. के निवेश को विनियमित किया जाए इनके एल.पी.जी. व्यवसाय के अधिग्रहण से एच.पी.सी.एल. रसोई गैस की बाटलिंग, परिवहन, विपणन और वितरण को बनाए रखने में समर्थ हो जायेगा।

निर्णय के अनुसार, पी.आई.टी.सी.एल. और डी.जी.पी.एल. के रसोई गैस व्यवसाय और संबंधित परिसम्पत्तियों का भारत सरकार और एच.पी.सी.एल. के पक्ष में हस्तांतरण दिनांक 2 अप्रैल, 2004 को समनुदेशन के विलेखों के माध्यम से किया गया था।

समानुदेशन के विलेखों के अंतर्गत, रसोई गैस व्यवसाय से संबंधित सभी परिसम्पत्तियां जैसे कि पट्टा, भूमि, भवन, गैस सिलेण्डर, बाटलिंग और भराई सुविधाएं, टैंक लारियां, रसोई गैस भंडार, बैंक राशि, खाते, पंजियां अधिग्रहीत कर ली गई हैं और वर्ष 1979 में किये गये प्रबंधन-ग्रहण के पश्चात् इन्हें हस्तांतरित कर दिया गया। इसके अलावा, रसोई गैस सिलेण्डरों के लिए उपभोक्ताओं से संग्रहीत जमाराशि से उत्पन्न देनदारियों, कर्मचारियों का उपदान, विविध ऋणदाताओं से संबंधित वर्तमान देनदारियों और कर्मचारियों के वेतन का उत्तरदायित्व सरकार और एच.पी.सी.एल. द्वारा ले लिया गया है।

वर्ष 1979 के अधिनियम ने इन दोनों कंपनियों के निदेशक मंडल को विस्थापित कर दिया और एच.पी.सी.एल. को निदेशक मंडल के सभी कार्य करने के सभी अधिकार सौंपे। विलेखों के अनुसार, अधिग्रहीत किये गये रसोई गैस संबंधी व्यवसाय को छोड़कर उक्त दोनों कंपनियों के प्रबंधन को संबंधित दोनों कंपनियों के पक्ष में छोड़ दिया जायेगा।

उक्त दोनों कंपनियों में से प्रत्येक कंपनी के लिए रसोई गैस व्यापार के दायित्व के लिए 10,000 रुपये की धनराशि का भुगतान किया गया है।

विलेखों के अन्तर्गत, पी.आई.टी.सी.एल. और डी.जी.पी.एल. के रसोई गैस व्यापार से जुड़े अधिकारियों और कर्मचारियों का एच.पी.सी.एल. में विलय किया जायेगा। उनका रोजगार अधिग्रहण पूर्व मान्य नियम और शर्तों पर और एच.पी.सी.एल. द्वारा संशोधन किये जाने तक पूर्ववत् जारी रहेगा।

अब हस्तांतरण की प्रक्रिया पूरी हो गयी है, इसलिए परेल इवेस्टमेंट्स एण्ड ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड तथा डोमेस्टिक गैस प्राइवेट लिमिटेड (प्रबंध-ग्रहण) अधिनियम, 1979 को निरस्त करने का प्रस्ताव किया जा रहा है। वर्तमान विधेयक का लक्ष्य यही है।

इसलिए, मैं इस विधेयक को सम्माननीय सभा में प्रस्तुत करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय: प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ:

"कि परेल इन्वेस्टमेंट्स एण्ड ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड तथा डोमेस्टिक गैस प्राइवेट लिमिटेड (प्रबंध-ग्रहण) अधिनियम, 1979, का निरसन करने वाले विधेयक, राज्य सभा द्वारा यथापारित, पर विचार किया जाए।"

श्री खारबेल स्वाईं (बालासोर): महोदय, मैं एक मिनट में अपनी बात समाप्त करता हूं। मैं माननीय मंत्री का ध्यान एक बहुत ही दिलचस्प तथ्य की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं।

महोदय, श्री गोकुलदास समूह के प्राधिकृत प्रतिनिधि श्री आर.एम. गोकुलदास ने 1985 में भारत सरकार से न्यायालय में गए बिना ही समझौता करने का प्रस्ताव किया था। लेकिन भारत सरकार ने इसे कब स्वीकार किया? इसे 15 वर्ष के बाद सन् 2000 में स्वीकार किया गया। यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। हमारी सरकार किस प्रकार कार्य कर रही है कि उसे इस प्रस्ताव को स्वीकार करने में 15 वर्ष लग गए। मैं माननीय मंत्री से एक छोटा सा स्पष्टीकरण चाहता हूं। इन्होंने कार्यभार ग्रहण करते ही कर्मचारियों की उपादान राशि, ग्राहकों से संग्रहीत निक्षेप और

विविध ऋणदाताओं से संबंधित मौजूदा देनदारियों जैसे उत्तरदायित्वों के बारे में बताया है। क्या ये काफी है? मैं माननीय मंत्री से यही छोटा सा स्पष्टीकरण चाहता हूं।

मैं विधेयक का समर्थन करता हूं।

श्री के.एस. राव (एलूरू): महोदय, मुझे खुशी है कि माननीय मंत्री अब परेल इनवेस्टमेन्ट्स एंड ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड तथा डोमेस्टिक गैस प्राइवेट लिमिटेड (प्रबंधन-ग्रहण) निरसन विधेयक को प्रस्तुत कर रहे हैं। यह इस बात का स्पष्ट उदाहरण है कि हमारे देशवासी सरकार और न्यायपालिका में विश्वास क्यों खो रहे हैं। इस निरसन विधेयक को लाने में 26 वर्ष लग गए। इसे बहुत पहले लाया जा सकता था। अब माना ये कहते हैं कि परिसम्पत्तियों और अन्य चीजों का कोई मूल्य नहीं है, वहां कोई परिसम्पत्ति नहीं हो सकती हैं और वहां पर जो भी परिसम्पत्तियां हैं वह केवल सरकार की है। इसलिए मैं माननीय मंत्री की सराहना करते हुए सरकार से यह अनुरोध करता हूं कि वह इस प्रकार का विधेयक लाए और लोगों में यह विश्वास पैदा करे कि सरकार कार्य कर रही है और न्यायपालिका भी कार्य कर रही है। आप न्यायपालिका को भी यह संदेश दें कि वह दशकों तक मामलों को लम्बित न रखें।

मैं समझ सकता हूं कि यदि कोई मुकदमा चल रहा है तो कम समय में उसका फैसला नहीं किया जा सकता है। लेकिन इस छोटे से मामले में 25 वर्ष लग गए जबकि इसमें कई सौ करोड़ रुपए की राशि अंतर्ग्रस्त नहीं थी।

मैं श्री बहुगुणा की सराहना करता हूं कि उन्होंने 1979 में इस बात का अनुभव किया कि जनहित में उन्हें इस निजी कंपनी को अपने अधिकार में ले लेना चाहिए था। हम इसे समझ सकते हैं। लेकिन जब सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को ही लाभप्रद स्थिति में चलाना मुश्किल है तब सरकार द्वारा निजी कंपनियों को अपने नियंत्रण में लेना समझ से परे है।

इसलिए मैं माननीय मंत्री द्वारा कम से कम अब तो निरसन विधेयक लाने और विशेषकर गैर-एल पी जी व्यापार संबंधी कार्यभार सौंपने के लिए उनका समर्थन करता हूं। लेकिन एक बार पुनः जैसाकि मेरे माननीय मित्र श्री खारबेल स्वाईं ने कहा है मैं भी चाहता हूं कि माननीय मंत्री यह सुनिश्चित करें कि भूमि जैसी मूल्यवान परिसंपत्ति, जो एल पी जी का व्यापार करने वाली कंपनी के स्वामित्व में है, उसे उस कंपनी के स्वामित्व में नहीं रहने देना चाहिए और माननीय मंत्री द्वारा ऐसी परिसम्पत्तियों पर ध्यान दिया जाना चाहिए।

श्री मणिशंकर अय्यर: महोदय, मुझे खेद है कि मेरे पास इससे उत्पन्न हुई देनदारियों के वास्तविक आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। मैं माननीय सदस्य को निश्चित रूप से इससे अवगत कराऊंगा लेकिन मैं इन्हें आश्वासन देता हूं कि जहां तक एल पी जी व्यापार से संबंधित देनदारियों का संबंध है तो यह उचित है कि उनकी परिसम्पत्तियों के साथ हमें उनकी देनदारियां भी लेनी चाहिए। यह एक लाभप्रद व्यापार है और यह अच्छी तरह चलेगा।

मैं माननीय सदस्य श्री के.एस. राव से सहमत हूं कि हमें इन मामलों को जल्दी से जल्दी निपटाना चाहिए। लेकिन कई बार समस्याओं से उत्पन्न विवादों के समाधान में समय लगता है।

महोदय, इन्हीं शब्दों के साथ, मैं सभा में विधेयक की सिफारिश करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि परेल इन्वेस्टमेंट्स एण्ड ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड तथा डोमेस्टिक गैस प्राइवेट लिमिटेड (प्रबंध-ग्रहण) अधिनियम, 1979, का निरसन करने वाले विधेयक पर, राज्य सभा द्वारा पारित रूप में विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय: अब सभा विधेयक पर खंड-वार विचार आरंभ करेगी।

प्रश्न यह है:

"कि खंड 2 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र, उद्देशिका तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

उपाध्यक्ष महोदय: अब माननीय मंत्री प्रस्ताव कर सकते हैं कि विधेयक पारित किया जाए।

श्री मणि शंकर अय्यर: मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 2.52 बजे

नियम 193 के अधीन चर्चा

देश में प्राकृतिक आपदाएं

[हिन्दी]

श्री रूपचन्द मुर्मू (झाड़ग्राम): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे बंगला में बोलने की इजाजत चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय: ठीक है, बोलिए।

***श्री रूपचन्द मुर्मू:** नियम 193 के अधीन प्राकृतिक आपदाओं पर चर्चा आरम्भ करने का मुझे अवसर देने के लिए सर्वप्रथम मैं आपको धन्यवाद देता हूं। लगभग प्रति वर्ष इस सम्माननीय सभा में हम सूखे तथा बाढ़ के बारे में चर्चा करते हैं। वर्ष 1999 में उड़ीसा में समुद्री तूफान आया था तथा वर्ष 2001 में, गुजरात के भुज में भूकम्प आया था। इन प्राकृतिक आपदाओं के परिणामस्वरूप इन क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ था। लेकिन, महोदय, मैं दिनांक 26.12.2004 को आये सुनामी तूफान का उल्लेख करना चाहता हूं-जिससे विश्व के कई भागों में भारी-नुकसान हुआ है। दो लाख से अधिक लोग मारे जा चुके हैं तथा बहुत से लापता हैं। श्रीलंका, इंडोनेशिया, थाइलैण्ड-सर्वाधिक प्रभावित हुए हैं। भारत के पांच राज्यों—तमिलनाडु, पांडिचेरी, आन्ध्र प्रदेश, केरल, अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में भारी नुकसान हुआ है। अधिकारिक सूत्रों के अनुसार, इन पांच राज्यों में 10,273 व्यक्ति मारे गए हैं, 5,823 व्यक्ति लापता हैं, 530 से अधिक बच्चे अनाथ हो गए हैं, लगभग 22 एकड़ भूमि पर खड़ी फसल नष्ट हो गयी है, 36,000 से अधिक पशु मारे गए हैं। इनके अलावा पत्तन, जेट्टी, विद्यालय, महाविद्यालय तथा सम्पूर्ण संचार व्यवसाय ध्वस्त हो चुकी है। महोदय, केन्द्र सरकार द्वारा युद्ध स्तर पर सहायता पहुंचायी गयी है। माननीय प्रधानमंत्री ने प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। संप्रग की अध्यक्षा तथा अन्य माननीय मंत्रियों ने भी वहां का दौरा किया है। पश्चिम बंगाल से हमारे मंत्री जैसे श्री कांति गांगुली, श्री गौतम देब भी वहां का दौरा करके आए हैं। सेना तथा अर्ध-सैनिक बल तैनात कर दिये गए हैं। यहां तक कि गैर-सरकारी संगठनों ने बहुत अच्छा काम किया है। वस्तुत: केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकारों ने सराहनीय कार्य किया है तथा इसके लिए मैं सरकार को बधाई देता हूं। हमें पहले ही बहुत क्षति हो चुकी है। किसी भी प्राकृतिक आपदा के तीन अंग होते हैं—बचाव, सहायता और पुनर्वास। अभी भी कुछ क्षेत्रों में राहत सहायता पहुंचनी बाकी है। परन्तु पुनर्वास सबसे महत्वपूर्ण है। इस संकट का सामना करने के लिए पर्याप्त धन की उगाही की गई है। सरकार ने 2731 करोड़ रुपये के पैकेज की घोषणा की है जो अत्यन्त कम है। पश्चिम बंगाल सरकार के पास सीमित संसाधन हैं, फिर भी इससे प्रधानमंत्री सहायता कोष के लिए 9½ करोड़ रुपये उगाहे हैं। हम, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) के सदस्यों ने अपने कैडर्स को प्रत्येक घर जाकर सहायता दान, खाद्य सामग्री, कपड़े आदि एकत्रित करने के लिए कहा है। हमने, अपनी पार्टी की ओर से अण्डमान निकोबार तथा तमिलनाडु को राहत सामग्री तथा 2 करोड़ रुपए नकद भेजे हैं। हमारे कुछ माननीय सांसद जैसे श्री रामचन्द्र, श्री शामिक लाहिड़ी, श्री सुजन चक्रवर्ती राहत सामग्री लेकर वहां गए थे। बात यह है कि जिन लोगों को अधिक क्षति हुई है उन्हें पर्याप्त राहत मिलनी चाहिए। किसी भी प्राकृतिक आपदा से महिलाएं तथा बच्चे सर्वाधिक प्रभावित होते हैं। इंडोनेशिया, थाइलैंड में बच्चों का अपहरण किया गया है, उनके साथ बलात्कार किया गया है। यद्यपि, हमारे देश में ऐसी कोई घटना प्रकाश में नहीं आयी है। लेकिन राहत सामग्री के वितरण के सम्बन्ध में शिकायतें मिली हैं। सरकार को इस सम्बन्ध में और सजग रहना चाहिए।

मैं मछुआरों का उल्लेख करना चाहूंगा। उन्होंने सब कुछ खो दिया है। उन्हें पर्याप्त मुआवजा मिलना चाहिए। कृषि भूमि का अत्यधिक नुकसान हुआ है। यह या तो रेत से या फिर क्षारीय पानी से भर गयी है। सरकार को चाहिये कि वह उर्वरक का उपयोग कर, बालू और पानी को हटाकर या जो भी उपाय हो, उससे भूमि को पुन: खेती योग्य बनाने हेतु तुरन्त, कदम उठाए। महोदय, आपदा से बच गए लोग अभी आशंकित हैं—वे लोग किसी अन्य आशंकित विपदा से सहमे हुए हैं जैसा कि कुछ स्थानों पर रुक-रुक कर भूकम्प आ रहा है। इसलिए मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह ऐसे विशेषज्ञों की नियुक्ति करे जो अंडमान-निकोबार द्वीपसमूह में भविष्य के बारे में पूर्वानुमान कर सके, जो शैक्षिक संस्थान और अस्पताल भवन नष्ट हो गए थे उन्हें फिर से बनाया जाये।

हम जानते हैं कि इलाज से बेहतर सुरक्षा है। लेकिन हमारे देश में संभावित आपदा के बारे में भविष्यवाणी करने के लिए उचित तंत्र नहीं है। नहीं तो बहुत से लोगों का जीवन बच सकता था।

अपराह्न 3.00 बजे

यह देखने में आया है कि पर्यावरण में अत्यधिक असंतुलन के कारण प्राकृतिक आपदाएं बढ़ रही हैं। हमें अपने पर्यावरण का संरक्षण करना होगा। महोदय, प्रशांत क्षेत्र के कुछ देशों ने सुनामी चेतावनी प्रणाली ईजाद कर ली है। लेकिन इस क्षेत्र में 100 वर्षों में 700 सुनामी आ चुकी हैं। लेकिन उनका सुनामी चेतावनी प्रणाली द्वारा पहले ही पता लगा लिया गया था। मेरा कहना है कि ऐसी चेतावनी प्रणाली हमारे देश में भी स्थापित होनी चाहिए। हमारे पास बहुत से विद्वान तथा विशेषज्ञ वैज्ञानिक तथा शोधकर्त्ता

*मूलत: बंगाली में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

[श्री रूपचन्द मुर्मू]

हैं। हम सौभाग्यशाली हैं कि एक विश्व विख्यात व्यक्ति हमारे देश के राष्ट्रपति हैं। ऐसी सुनामी चेतावनी प्रणाली स्थापित करने में वे काफी हद तक योगदान दे सकते हैं।

महोदय, वर्ष 2002 में 18 राज्यों के 400 जिलों ने सूखे का सामना किया था। तात्कालिक सरकार ने इसे राष्ट्रीय आपदा घोषित नहीं किया। जब कई राज्यों में बाढ़ आई तो सरकार ने पर्याप्त राहत सामग्री नहीं भेजी। बहुत राज्यों जैसे पश्चिम बंगाल, असम में बार-बार बाढ़ आती है। हाल ही में जम्मू तथा कश्मीर में बर्फ गिरने के कारण लोगों को बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह स्थिति को संज्ञान में ले तथा नुकसान हुए लोगों की सहायता करने का प्रयास करे।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करना चाहूंगा।

श्री मानवेन्द्र सिंह (बाड़मेर): उपाध्यक्ष महोदय, धन्यवाद मेरे विद्वान साम्यवादी मित्र ने आपदा तथा विपदा के राहत पहलू के बारे में बात की। मैं इस समस्या के पक्ष के बारे में ही अपनी बात करूंगा।

मैं पहले तो इस सभा में सरकार द्वारा प्रतिबद्धता व्यक्त किये जाने तथा यह घोषणा किये जाने कि देश में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अंतत: गठन किया जायेगा, के लिए माननीय गृह मंत्री को धन्यवाद देना चाहता हूं। यह सराहनीय कदम है। इसकी लम्बे समय से मांग थी। भारत कई बातों में बेजोड़ है लेकिन जीवन यथार्थ की इस दु:खद स्थिति में भी यह सबसे अलग है। कि इसने विश्व के किसी अन्य देश की तुलना में तरह-तरह की बहुत सारी प्राकृतिक आपदाओं का सामना किया है। इसलिए यह सराहनीय कदम है। मेरी इच्छा है कि माननीय गृह मंत्री इन उपायों में तेजी लाएं तथा सभा इस प्राधिकरण के गठन के बारे में विस्तार से चर्चा करें। जैसा कि मैंने कहा था कि आज मैं समस्या के प्रबंधन पक्ष के बारे में ही अपनी बात करूंगा।

मैं सभा के साथ-साथ मंत्री जी को याद दिलाना चाहूंगा कि जब 26 दिसम्बर को भारत में तथा बंगला की खाड़ी के तटवर्ती अन्य देशों में प्रलयकारी सुनामी लहरों ने कहर बरपाया था तो जो पहला आपदा प्रबंधन दल आया था, वह गुजरात राज्य का था। यह इसलिए कि गुजरात में विनाशकारी भूकंप का सामना करने के बाद, गुजरात सरकार ने अपना राज्य-स्तरीय आपदा प्रबंधन दल गठित कर लिया है। इसलिए यह निकाय देश में पहले से ही विद्यमान है, भले ही एक राज्य में हो। राष्ट्रीय रूपरेखा बनाने के लिए, इस निकाय ने कैसा कार्य किया है उससे हमें कुछ सीख लेना लाभकारी होगा।

अंतत: आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का उद्देश्य क्षति (जो पहले ही ले चुकी है) को कम करना, जानें बचाना, प्रभावित हुए लोगों की सहायता करना उनकी जीविका के साधनों को बचाना, उनके पशुओं को बचाना या उनके जीविका के अन्य साधनों को बचाना है। इसलिए, यह आवश्यक है कि प्रस्तावित राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण आपदा जोनों के प्रति उत्तरदायी हो तथा जितना मानव के लिए संभव हो उसी गति से वह कार्यक्षम हो। किसी भी प्राधिकरण को जवाबदेह बनाने के लिए तथा यथासंभव प्रतिक्रिया व्यक्त करने वाला बनाने के लिए यह आवश्यक है कि हम उसका कार्यकरण विकेन्द्रीयकृत करें।

तो यह संभव है। निर्णय लेने तथा प्रतिक्रिया दल भेजने के संबंध में विकेन्द्रित प्राधिकरण की आवश्यकता होती है। इसके लिए यह भी आवश्यक होता है कि विकेन्द्रित अनुवीक्षण एजेन्सियां होनी चाहिएं क्योंकि एक बड़ा देश होने के कारण भारत में एक ही दिन में देश के विभिन्न भागों में विभिन्न जलवायु संबंध जोनों अथवा मौसम पैटर्नों का प्रभाव पड़ता है। विभिन्न मौसम संबंधी घटनाओं का असर देश पर पड़ सकता है जो देश के अन्य भागों से बिल्कुल अलग हो सकती है। अत: इसके लिए इस बात की आवश्यकता होती है कि यह अनुवीक्षण प्राधिकरण अपने कार्यकरण के संबंध में विकेन्द्रित हो।

उपाध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्यगण, कृपया शांति बनाए रखें।

श्री मानवेन्द्र सिंह: 26 दिसम्बर, 2004 को जब सुमात्रा के तट पर भूकंप आया था, यह समझने के लिए यदि मुझे ठीक से याद है तो किसी के लिए भी इस बात की जानकारी के लिए 11वीं कक्षा का भूगोल का अध्याय ही काफी था कि जब तटीय क्षेत्र में या समुद्र के गर्भ में भूकंप आता है तो इसके बाद निश्चित रूप से सुनामी लहरें आती हैं। जबकि देश में हमारी अनुवीक्षा प्रणाली अत्यंत केन्द्रित होने के कारण आंकड़े एकत्रित कर उनकी जांच करने में समय लगता है और चूंकि आंकड़ों की जांच करने में समय लगता है, सूचना के प्रसार में समय लगता है और यह समय उन चन्द घण्टों का अथवा मिनटों में अमूल्य होता है। जब प्रभावित होने वाले लोगों को सूचना दी जाती है, लोगों का अमूल्य जीवन काल का ग्रास बन जाता है, रोजगार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, पशु धन तथा मानव सृजित सम्पत्ति और सृजित की गई सभी वस्तुओं की क्षति हो जाती है।

अत: निर्णय लेने को प्रत्युत्तरदायी बनाने के लिए इसका विकेन्द्रीकरण किए जाने की आवश्यकता है। प्रतिक्रिया दलों को विकेन्द्रित करने की आवश्यकता है। अनुवीक्षण एजेन्सियों का विकेन्द्रीकरण किया जाना चाहिए। माननीय गृह मंत्री को मैं यह सुझाव दूंगा।

[श्री मानवेन्द्र सिंह]

भूतपूर्व उप प्रधानमंत्री तथा अब विपक्ष के नेता के शासन काल के दौरान आपदा प्रबंधन का विषय उचित रूप से कृषि मंत्रालय से लेकर गृह मंत्रालय को दिया गया था। यह ठीक भी था क्योंकि इस पर काफी समय से विचार किया जा रहा था। गृह मंत्रालय अधिक जिम्मेदार है इस तरह से कि यह भारतीय प्रशासन के अधिक पहलुओं पर ध्यान देता है और कृषि मंत्रालय की तुलना में इस मंत्रालय के भारतीय प्रशासनिक संरचना के साथ अधिक संबंध हैं। अत: मुझे यह बात जानकर खुशी हुई कि यह कदम उठाया गया है।

अपराह्न 3.14 बजे

[**श्री अजय माकन** *पीठासीन हुए।*]

मैं यह सुझाव देना चाहूंगा कि इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाए और भारतीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की प्रतिक्रिया प्रणाली को गृह मंत्रालय तक सीमित न रखकर इसमें रक्षा मंत्रालय को भी शामिल किया जाए। भारत की किसी भी आपदा पर यह मंत्रालय ही सबसे पहले ध्यान देता है। यह ध्यान देने, प्रतिक्रिया करने तथा प्रभावित क्षेत्र को राहत सामग्री पहुंचाने के लिए सशस्त्र बलों तथा सैनिकों की क्षमता पर निर्भर रहता है। यहां यह बताना आवश्यक होगा कि कच्छ में विनाशकारी भूकंप के बाद भारत की प्रतिक्रिया, सेना की प्रतिक्रिया, सैनिकों को जुटाना एक उदाहरण है। जिसका पूरे विश्व की विभिन्न पेशेवर सेना अध्ययन करती है। कच्छ के आपदाग्रस्त क्षेत्र से विमान द्वारा रोगों को ले जाने की क्षमता तथा व्यापकता अपने आप में एक उदाहरण है। अत: स्पष्ट रूप से हमारे पास क्षमता है, हमारे पास अनुभव है। हमें इसे आकार देने की आवश्यकता है ताकि देश आवश्यकता अनुसार तेज गति से बार-बार प्रतिक्रिया कर सकें।

प्रभावित लोगों को राहत सामग्री मिलनी चाहिए, उनके जीवन की रक्षा के लिए राहत सामग्री बहुत तेजी से मिलनी चाहिए। अन्तत: लोगों की जान बचाना सबसे जरूरी है। सेना की (शब्दावली) इस आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का के आर ए अथवा 'मुख्य परिणाम क्षेत्र' लोगों की जान बचाना होना चाहिए।

इसमें मैं एक और बात जोड़ना चाहूंगा। इस आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सृजन की प्रक्रिया में, इस संरचना के सृजन की प्रक्रिया में और इसके कार्यकरण के लिए मैंने पहले ही बताया है मेरे विचार से विकेन्द्रित प्रतिक्रिया प्रणाली होनी चाहिए, एक विकेन्द्रित अनुवीक्षण प्रणाली होनी चाहिए और इसे आगे बढ़ाने के लिए मैं सुझाव दूंगा और सिफारिश करूंगा कि गृह मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय के कार्यकरण में प्रतिक्रिया दल प्रणाली के इस सृजन में यह दायित्व, सशस्त्र बलों के संभावित सबसे निचले निर्माण स्तर तक लाया जाए क्योंकि सैन्य संगठन एक साथ रहते हैं, एक साथ प्रशिक्षण पाते हैं, वे एक साथ अभ्यास करते हैं। हमारे आपदा प्रबंधन दल अथवा आपदा प्रतिक्रिया दल अपने कार्यकरण में एक संगठन का एक पहलू हो सकते हैं। यह ब्रिगेड स्तर पर हो सकता है या यह स्थानीय वायु सेना स्टेशनों तथा नौसेना स्टेशनों के साथ यूनिट स्तर पर हो सकते हैं ताकि आपदा प्रबंधन पर अभ्यास और इसके ड्रिल्स सुव्यवस्थित हो सके।

उनके प्रशिक्षण चक्र में आपदा पर प्रतिक्रिया शामिल है; इसमें विमान तथा भूमि पर सामग्री ले जाना, आपदा क्षेत्रों तक राहत सामग्री ले जाना शामिल है। हमने सुनामी का विध्वंस देखा है। हमारे भारत के इतिहास में दर्ज की गई पहली तरह की आपदा है। अब पिछले 30 से 35 सालों में कश्मीर घाटी में सर्वाधिक बर्फबारी देखी गई है। कई सालों में न सुनी गई हिमस्खलन की स्थिति हमारे सामने है। अत: प्रतिक्रिया प्रणाली, प्रतिक्रिया दल को इन क्षेत्रों में स्पष्ट रूप से आपदाओं पर ध्यान देना होगा। उदाहरण के लिए घाटी में इस संगठन को अतिशय बर्फबारी के कारण हुई आपदाओं पर ध्यान देने के लिए प्रशिक्षण की आवश्यकता है। तटीय क्षेत्रों में दल सुनामी की तरह की स्थितियों पर ध्यान देना अथवा भूमि पर स्थित दल बाढ़ जैसी स्थिति पर ध्यान देगा। बाढ़ के बारे में मैं यह बताना चाहूंगा कि आपदा प्रबंधन के बारे में योजना बनाते समय हम सामान्यत: चक्रवातों पर ध्यान देते हैं, हम भूकंप पर ध्यान देते हैं और अब दिसम्बर में सुनामी के बाद सुनामी जैसी आपदाएं हमारे एजेण्डे पर सबसे ऊपर हैं। परन्तु वह आपदा जो हर वर्ष होती है, जो सबसे अधिक भारतीयों को प्रभावित करती है, जो आजीविका को प्रभावित करती है, जो पशुधन को, सम्पत्ति को प्रभावित करती है वह है सूखा। यह भारत के अधिक भागों को प्रभावित करता है। यह आपदा अन्य किसी भी आपदा की तुलना में प्रतिवर्ष अधिक भारतीयों को प्रभावित करती है। हमारी योजना में मैं माननीय गृह मंत्री से अनुरोध करूंगा कि सूखे के संबंध में अनुवीक्षण प्रणाली के साथ-साथ प्रतिक्रिया प्रणाली को भी ध्यान में रखा जाए। यह कोई छोटी बात नहीं है क्योंकि यह मेरे राज्य अथवा मेरे निर्वाचन क्षेत्र के साथ-साथ पड़ोसी राज्यों को भी प्रभावित करती है। आपदाओं तथा विपत्तियों के किसी भी अन्य पहलू की तुलना में यह अधिक राज्यों को प्रभावित करती है।

इससे जुड़ी एक बात है, जिसकी बात लगभग पांच दशकों से की जा रही है वह काफी समय से लम्बित परियोजना है।

रक्षा मंत्रालय में वरिष्ठ वैज्ञानिक के रूप में कार्य करने से अब तक भारत के माननीय राष्ट्रपति का प्रमुख मुद्दा नदियों को आपस में जोड़ना है। सरकार ने उच्चतम न्यायालय को आश्वासन दिया है कि नदियों को आपस में जोड़ने की परियोजना को अधर

[श्री मानवेन्द्र सिंह]

मैं नहीं छोड़ा जाएगा। इस आश्वासन का हम स्वागत करते हैं। मैं चाहता हूं कि सरकार इससे और आगे बढ़े और मैं यह भी चाहता हूं कि नदियों को आपस में जोड़ने के इस मुद्दे पर यह सभा वाद-विवाद करें क्योंकि जब देश के एक भाग में सूखा पड़ता है, तो ठीक उसी समय किसी अन्य भाग में बाढ़ से लोग प्रभावित होते हैं। देश में इससे अधिक विपरीत स्थिति नहीं हो सकती जिसके बारे में मैंने अभी बात की है। अतः इस प्राधिकरण द्वारा नदियों को आपस में जोड़ने की परियोजना शुरू की जा सकती है या इसका अध्ययन किया जा सकता है।

अंत में महोदय माननीय मंत्री जी की वचनबद्धता के लिए उनकी प्रशंसा करता हूं। परन्तु साथ ही मैं उन्हें याद दिलाना चाहूंगा कि हाल ही में सभा पटल पर रखे गए बजट में 'आपदा प्रबंधन' शीर्ष के अंतर्गत काफी कमी की गई है। परन्तु मुझे आशा है कि माननीय मंत्री बजट में इस असंतुलन को हटाने के लिए अपनी समझदारी अपनी वरिष्ठता तथा अपनी दृढ़ता का प्रयोग करेंगे।

मुझे समय देने के लिए धन्यवाद।

श्री मनोरंजन भक्त (अंडमान और निकोबार द्वीप समूह): सभापति महोदय, मैं अपने अच्छे मित्र श्री रूपचन्द मुर्मू द्वारा शुरू किए गए वाद-विवाद, जो देश में प्राकृतिक आपदाओं से सम्बन्धित है में, भाग लेने के लिए खड़ा हुआ हूं। मैं उनका आभारी हूं क्योंकि उन्होंने राहत और पुनर्वास हेतु कुछ अच्छे कार्यों का विशेषत: उल्लेख किया। उन्होंने कुछ ऐसे मुद्दे भी उठाये हैं जो उनके विचार में सुनामी पीड़ितों के पुनर्वास के लिए बेहतर नीतिविधियों हेतु उपयुक्त हैं।

हमने अपने देश में सूखा, बाढ़ और यहां तक कि अनेकों जानें लेने वाले हिमस्खलनों जैसी विनाशकारी प्राकृतिक आपदाओं को देखा है। किन्तु सुनामी एक नया क्षेत्र है जिसका हमने पहले सामना नहीं किया है। हमने देखा कि यह किसी अन्य ऐसी आपदाओं से अधिक शक्तिशाली है क्योंकि कुछ द्वीपों पर 10,000 से अधिक लोग या तो मर गए या फिर गुम हो गए हैं। जो लोग गुम हो गए हैं वे वास्तव में गुम न होकर मर गए हैं।

अब मुख्य प्रश्न यह है: कि प्रशासन क्या कर सकता था और प्रशासन ने क्या किया। सम्पूर्ण प्रशासन तत्काल ही राहत एवं बचाव कार्य पर तैनात किया गया। इसके बाद, पुनर्वास का प्रश्न आता है। राहत एवं बचाव कार्य में बहुत अधिक समय लगता है क्योंकि अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह छोटे-छोटे भागों में बिखरे पड़े हैं जहां पहुंचना कठिन है। इस आपदा की वजह से बहुत सी डेडिटियां टूट गईं। कोई भी संचार माध्यम नहीं रहा। इसलिए, केवल हेलिकाप्टर ही ऐसा माध्यम रहा जिसके द्वारा पीड़ितों तक पहुंचा जा सकता था और उन्हें राहत सामग्री पहुंचाई जा सकती थी। इसमें भी कुछ समय लगा।

महोदय, मैं यह भी महसूस करता हूं कि किसी के पास भी ऐसी चुनौतीपूर्ण स्थिति से निपटने का अनुभव नहीं है। किन्तु कुछ सीमा तक इसमें कुछ आयोजना का भी अभाव था। किन्तु फिर भी, केन्द्र सरकार ने जो कुछ भी किया वह अद्वितीय और प्रसंसनीय था। दूसरे ही दिन, रक्षा मंत्री और संप्रग (यूपीए) अध्यक्ष, श्रीमती सोनिया गांधी ने कार से निकोबार और अन्य क्षेत्रों का दौरा किया, तथा रक्षा कार्मिकों को सहायता हेतु अनुदेश जारी किये। इसलिए, रक्षा कार्मिकों, नागरिकों और प्रशासन के कर्मचारियों, सभी ने मिलकर कैम्पबेल खाड़ी सहित कतिपय क्षेत्रों में फंसे लोगों के बचाव एवं राहत के लिए इस स्थिति का सामना करने का प्रयास किया।

इसके बाद, आवास प्रदान करने का प्रश्न आता है, कि पीड़ितों का पुनर्वास किस प्रकार किया जाए क्योंकि उनके घर सुनामी लहरों में बह गए थे।

इसलिए, अस्थाई मकानों का निर्माण करना अनिवार्य था। यह कार्य अब प्रगति पर है। शायद गृह मंत्रालय ने इसे एक चुनौती की तरह लिया है। कई अधिकारियों को तैनात किया गया है और राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है। उनका यह लक्ष्य है कि अस्थाई मकानों का निर्माण 15 अप्रैल तक पूरा हो जाना चाहिए। तत्पश्चात् स्थाई मकानों का निर्माण आरम्भ किया जायेगा।

महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं और इस सभा के अभिलेख में दर्ज कराना चाहता हूं कि ऐसे समय के दौरान जिस प्रकार सम्पूर्ण देश-जाति, पंथ, धर्म और भाषा का भेदभाव किये बिना सहयोग किया, वह अद्वितीय है। केन्द्रीय मंत्रियों—गृह मंत्री, कृषि मंत्री एवं जनजातीय कार्य मंत्री—राज्य मंत्री, श्री जायसवाल जी, श्री रघुपति जी, डा. शकील अहमद जी तथा कई अन्य विशिष्ट व्यक्तियों ने तत्काल ही द्वीपसमूह का दौरा किया। उन्होंने स्थिति को मानीटर करने का प्रयास किया और जहां कहीं मदद की आवश्यकता थी, उन्होंने उसे प्रदान करने का प्रयास किया। मैं प्रधानमंत्री का इसलिए भी कृतज्ञ हूं। कि वे वहां पहुंचे और तत्काल 200 करोड़ रुपये की राहत की घोषणा की थी। वह भी प्रशंसनीय है। इस सभा के सदस्यों सहित संसद सदस्यों ने माननीय अध्यक्ष महोदय के आह्वान पर स्वैच्छिक रूप से अपने एम पी एल ए डी एस कोष से सुनामी पीड़ितों के बचाव एवं पुनर्वास हेतु 10 लाख रुपये प्रदान किये। इसीलिए मैं यह उल्लेख करना चाहता हूं कि हम अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह के प्रतिनिधि होने के नाते ये नहीं भूल सकते कि किस प्रकार हमारे देशवासियों ने हमको सहयोग दिया। दलीय राजनीति और अन्य मामलों में

[श्री मनोरंजन भक्त]

हमारे भेद चाहे जो भी हों, हम यह महसूस करते हैं कि भारत एक है। यह एक बार फिर सिद्ध हुआ है। इसलिए, मैं सभी माननीय संसद सदस्यों के सहयोग का धन्यवाद करता हूं।

महोदय, जब यह स्थिति आ गई है तो दो या तीन मुद्दे मेरे मस्तिष्क में आ रहे हैं। सर्वप्रथम क्या कोई ऐसी पद्धति अथवा प्रणाली विद्यमान है जिसके द्वारा पूर्व सूचना उपलब्ध करवाई जा सके और इसे आम आदमी तक पहुंचाया जा सके जिससे कि वे सुरक्षित स्थानों पर आश्रय ले सकें। किन्तु, मैं सोचता हूं, विगत में भी अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह में आपदा प्रबन्धन पर कुछ चर्चा हुई थी। कुछ प्रतिवेदन भी तैयार किये गए थे किन्तु किसी ने भी इसे पढ़ा नहीं। हम इस प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। तथापि, अब समय आ गया है, जब द्वीपों के भाग्य के बारे में सोचना होगा। यह आवश्यक है कि नोडल एजेंसी होने के नाते गृह मंत्रालय को इन द्वीपों के वैज्ञानिक अध्ययन की पहल करनी होगी और, बाद में आपदा प्रबन्धन तैयार करना होगा जिससे कि हम भविष्य में इनका सामना कर सकें। अन्यथा, उनका सामना करना हमारे लिए बहुत कठिन होगा क्योंकि हम ऐसे द्वीपों पर रहते हैं जो भूकम्पीय क्षेत्र में आते हैं। यदि हम भूकम्प और सुनामी से सम्बन्धित सूचना देने वाली प्रणाली का अनुपालन नहीं करते हैं, तो ये समस्याएं यूं ही रहेंगी। यह इन द्वीपों के हितों में रहेगा।

महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारे सामने पुनर्वास पैकेज है और इस पर कार्य चल रहा है। इसमें कुछ विसंगतियां और कमियां हैं। एक अच्छे पैकेज में भी कमी हो सकती है। इसलिए, इनका जब भी पता चलेगा तो यह सरकार की जिम्मेवारी होगी कि उन्हें ठीक करें। वैसे भी, इसका उद्देश्य क्या है? ऐसी राहत और पुनर्वास को प्रदान करने का उद्देश्य क्या है? हम यह चाहते हैं कि हमारे लोगों का पुनर्वास पहले से बेहतर हो।

इसलिए, जब हम ऐसा करना चाहते हैं तो हमें वास्तविक स्थिति और सच्चाई का पता होना चाहिए। सच्चाई यह है कि सम्पूर्ण अंडमान और निकोबार द्वीप समूह भूकम्प और उसके बाद आई सुनामी लहरों से प्रभावित हुआ था। जब सम्पूर्ण अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह प्रभावित हुआ था क्षति की मात्रा अलग-अलग रही। अंडमान जिले में, कृषि योग्य भूमि प्रभावित हुई और पक्के मकानों की भी क्षति हुई। निकोबार जिले में, नारियल के पेड़ों का सम्पूर्ण विनाश हो गया तथा सबसे अधिक मरने की रिपोर्ट इसी जिले से प्राप्त हुई।

इसलिए, सहायता प्रदान करते समय हमें इन पर भी ध्यान देना होगा। सहायता क्या है? निकोबारी जनजातीय लोग नारियल पर आश्रित हैं। उनकी आजीविका केवल यही है और इसके अलावा उनका कोई अन्य आजीविका का साधन नहीं है। यदि उन्हें क्षतिपूर्ति के रूप में प्रति पेड़ 20 रुपये दिए जाते हैं तो यह बहुत ही हास्यास्पद स्थिति होगी क्योंकि दो नारियलों की कीमत 20 रुपये होती है। जब रक्षा मंत्रालय ने भूमि का अधिग्रहण किया था तो उन्होंने उन्हें प्रति पेड़ 5,000 रुपये अदा किये थे। जब अंडमान और निकोबार प्रशासन ने भूमि अधिग्रहण किया था तो उन्होंने प्रति पेड़ 1000 रु. अदा किये। अब वे प्रति पेड़ 20 रु. अदा कर रहे हैं जो बहुत कम है। कम से कम, निम्नतम क्षतिपूर्ति तो उन्हें की जानी चाहिए।

अंडमान में कोई भी बड़ा भूस्वामी नहीं है और वहां केवल छोटे और सीमांत कृषक ही हैं। उनके पास केवल 5-10 एकड़ अथवा 1-2 हेक्टेयर भूमि ही है। उनकी सम्पूर्ण भूमि खारे पानी में डूब गई है। न केवल उनकी भूमि खारे पानी में डूब गई है अपितु उनकी तैयार फसल भी नष्ट हो गई है। जब इस प्रकार की स्थिति हो तो तैयार फसल के लिए प्रति हेक्टेयर 2000 रुपये की क्षतिपूर्ति उचित नहीं है और ऐसी स्थिति में उनके लिए जीना बिल्कुल असम्भव हो जायेगा। जब हम उनका पुनर्वास करना चाहते हैं तो हमें इसे सार्थक ढंग से करना चाहिए, और यह पहले से बेहतर होना चाहिए। मेरा यही अनुरोध है।

महोदय, मैं आपके माध्यम से कुछ सुझाव देना चाहता हूं। जहां तक मत्स्य पालन का सम्बन्ध है तो जिन मछुआरों की डोंगी या बोट पूर्णत: ध्वस्त हो गई अथवा खो गई उन्हें एक लाख रुपये नकद की अदायगी की जानी चाहिए। बोट और डोंगियों की मरम्मत के लिए तत्काल नकद अदायगी की जानी चाहिए। जिन मछुआरों के मछली पकड़ने के उपस्कर गुम हो गए हैं उन्हें उपस्करों की प्रतिपूर्ति की जानी चाहिए। जो मछुआरे बोंगा डोंगीयां बनाने के लिए लकड़ियां एकत्र करना चाहते हैं या खरीदना चाहते हैं उन्हें परमिट जारी किये जाने चाहिए। जिन मछुआरों के आवास बह गए हैं उन्हें रहन-सहन हेतु स्थल चयन की अनुमति दी जानी चाहिए। मछुआरों, स्वयं सहायता समूह, बेरोजगार युवकों, सहकारी समितियों और वेण्डरों को क्षतिपूर्ति की जानी चाहिए। सुनामी पीड़ित मछुआरों को राजीव गांधी वित्तीय सहायता के अन्तर्गत कम ब्याज दरों पर ऋणों की तत्काल मंजूरी दी जानी चाहिए। उन्हें छह महीनों का राशन प्रदान किया जाए। यदि उनके घरों की मरम्मत भी हो जाती है तो भी उनकी कोई आय नहीं है। इसलिए, वे जीवनयापन कैसे करेंगे? ऐसी स्थिति में उनके लिए आहार अत्यावश्यक है। क्षतिग्रस्त शीतागारों की मरम्मत की जानी चाहिए।

कृषि के संबंध में, उन किसानों के लिए तत्काल एक सहायता पैकेज की घोषणा की जाये जिनकी फसल और खेती सुनामी से प्रभावित हुई है। जिन किसानों की भूमि समुद्र के पानी आ जाने के कारण प्रभावित हुई है उन्हें वैकल्पिक पहाड़ी भूमि आवंटित की

[श्री मनोरंजन भक्त]

जाए। इन्हें सभी प्रभावित किसानों को एक वर्ष की न्यूनतम अवधि अथवा जब तक भूमि खेती योग्य नहीं बनती है, तब तक राशन देना चाहिए।

* सरकार प्रभावित परिवारों के कम से कम एक सदस्य को रोजगार मुहैया करायें।

* धान और सब्जी हेतु प्रति हेक्टेयर 30,000 रुपये के मुआवजे का भुगतान।

* आदिवासियों को नारियल वृक्ष हेतु कम से कम प्रति हेक्टेयर 8.25 लाख रुपये के मुआवजे का भुगतान।

* प्रभावित सरकारी कर्मचारियों का 50,000 रुपये के मुआवजे का भुगतान। इस आपदा से कई सरकारी कर्मचारी भी प्रभावित हुए हैं। जो सरकारी कर्मचारी अभी भी कार्यरस्त हैं उन्होंने अपनी पत्नियों और बच्चों को सुनामी में बहते देखा है। चूंकि वे सरकारी कर्मचारी हैं उनके साथ भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए।

* प्रभावित दुकानदारों को मुआवजे का भुगतान और आसान ऋण मंजूर करना। पूर्णतया क्षतिग्रस्त भवन के लिए। लाख रुपये का मुआवजा आंशिक और मामूली रूप से क्षतिग्रस्त भवन को मुआवजे का भुगतान।

* जिन वाहन मालिकों के वाहन खो गए हैं उनके लिए दूसरे वाहन हेतु आसान ऋण स्वीकृत करना।

* सुनामी के कारण अधिकांश परिवारों की आर्थिक स्थिति प्रभावित हुई है। अत: उनका आर्थिक स्तर पुन: निर्धारित करने हेतु नया बीपीएल सर्वेक्षण कराया जाए।

* अनाथ बच्चों और विधवाओं हेतु राष्ट्रीय सुरक्षा राशि के भुगतान हेतु तत्काल प्रबंधन करना।

* समयबद्ध कार्यक्रम के अंतर्गत प्राथमिकता के आधार पर क्षतिग्रस्त अवसंरचना की मरम्मत। यह काम चल रहा है किंतु चूंकि वर्षा शीघ्र ही आ रही है इसलिए इसमें और तेजी लाए जाने की जरूरत है।

* काम के बदले अनाज अथवा रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत प्रभावित परिवारों को रोजगार प्रदान करना। मैं समझता हूं कि सुदूर और पिछड़ा क्षेत्र होने के कारण अंडमान और निकोबार जिलों को 100 दिन रोजगार योजना में शामिल नहीं किया गया है। मैं अनुरोध करता हूं कि इन दोनों जिलों को तत्काल शामिल किया जाए ताकि उन्हें काम के बदले अनाज अथवा रोजगार गारंटी योजना का काम मिल सके।

* सुपारी और नारियल जैसे कृषि उत्पाद का तत्काल विपणन किया जाए और उत्पादकों की सहायता की जाए।

* प्रभावित परिवारों के बकाया ऋण की वसूली हेतु कानूनी कार्यवाही पर रोक।

* पी एम आर वाई सहित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अंतर्गत 2.5 लाख रुपये के स्वीकृत अन्य ऋण पर ब्याज माफ करना।

* सुनामी के कारण चराई भूमि की भारी कमी के मद्देनजर पी आर आई फंड स्कीम से ग्रामीण विकास योजना के अंतर्गत आवंटित चराई भूमि का विकास।

* जब तक चराई भूमि का विकास हो तब तक सस्ती दर पर चारा और पशुओं का भोजन उपलब्ध कराना।

* प्रभावित परिवारों को भवन निर्माण और बागान फसल के समुचित विकास हेतु उनकी आवंटित भूमि पर खड़े वृक्षों से लट्ठों को एकत्र करने की अनुमति देना।

* आयात आधार पर समुद्री दीवार की मरम्मत क्योंकि धान की फसल क्षेत्र में समुद्र का पानी जा रहा है। इसलिए जरूरी स्थानों पर जलद्वार बनाने के अतिरिक्त भूमि सुधार हेतु सभी प्रभावित लोगों की भूमि शामिल करने के लिए पुन: सर्वेक्षण किया जाए। स्वचालित जलद्वार हल्के ज्वार भाटे के समय उपलब्ध जल का विकास करते हैं और ऊंचे ज्वार भाटे के समय जलद्वार बंद हो जाते हैं।

* योजना और गैर-योजना के अंतर्गत सभी रिक्त पदों को तत्काल भरा जाए।

भारत सरकार ने सहानुभूति दिखाकर लोक सेवा में अंडमान और निकोबार पर लगी रोक को हटा दिया है। इसके अतिरिक्त, अंडमान और निकोबार प्रशासन को सरकारी नीतियों और कार्यक्रमों को बेहतर ढंग से लागू करने हेतु पंचायती राज संस्थाओं को विश्वास में लेने हेतु सलाह दी जाए।

मैंने माननीय गृह मंत्री और भारत सरकार से ये कुछ अनुरोध किए हैं। मैं स्पष्ट तौर पर यह बताना चाहता हूं कि राहत और पुनर्वास कार्य हेतु स्वीकृत की गई 821.88 करोड़ रुपए की राशि वास्तव में विशिष्ट है। मैं इसके लिए देश, संसद और भारत सरकार को धन्यवाद देता हूं। मैं बोलने का अवसर देने के लिए एक बार फिर आपको धन्यवाद देता हूं।

सभापति महोदय: मेरे पास 40 वक्ताओं की सूची है। अत: मेरा सभी वक्ताओं से यह अनुरोध है कि वे यथासंभव संक्षेप में अपनी बात कहें।

डा. सुजान चक्रवर्ती (जादवपुर): माननीय सभापति महोदय, मुझे बोलने का अवसर देने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। सर्वप्रथम, मैं यह चर्चा शुरू करने के लिए श्री रूपचन्द मुर्मू को धन्यवाद देता हूं। यह मुद्दा वास्तव में सारे राष्ट्र के लिए काफी महत्वपूर्ण है। दो अभूतपूर्व घटनाओं—एक सुनामी और इसका प्रभाव तथा दूसरे जम्मू और कश्मीर तथा अन्य राज्यों में हिमघाव और बर्फबारी के कारण प्राकृतिक आपदा का मुद्दा एक बार फिर सामने आया है।

हमारे देश में, स्पष्टतया प्राकृतिक आपदा का अर्थ बाढ़ और सूखे से है। मूलत: देश में यह प्रतिवर्ष घटित हो रहा है। ऐसे बहुत कम देश हैं जहां प्रतिवर्ष और हर बार प्राकृतिक आपदा आती है। वास्तव में, हमारा देश एक वर्ष में दो या तीन बार प्राकृतिक आपदा का सामना करता है। यह विभिन्न प्रकार की आपदाओं का सामना कर रहा है जोकि हमारे देश के लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है।

मैं सुनामी और उसके प्रभाव पर अपनी बात केन्द्रित करता हूं। इसमें कोई शक नहीं है कि इससे देश हिल गया है। संसार भर में तीन लाख से अधिक लोग मारे गए हैं। हमारे देश में भी आंकड़ा काफी बड़ा है। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि करीब 10,000 लोगों की मृत्यु हुई है और 50 लाख से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं। मरने वालों की अधिकाधिक संख्या 10,000 से अधिक होगी किंतु गैर-अधिकारिक सूत्रों के अनुसार मृतकों की संख्या इससे कहीं अधिक है। घटना के शुरू में अधिकारियों ने विस्तृत रिपोर्ट एकत्र नहीं की। मैं यह कहना चाहता हूं कि 26 दिसम्बर को, जिस दिन यह घटना हुई, सारे देश ने यह देखा कि इसके लिए देश बिलकुल भी तैयार नहीं था। मैं भारत सरकार को बधाई देना चाहता हूं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि सरकार ने काफी ईमानदारी से प्रयास किया है। यह सत्य है। प्रधानमंत्री स्वयं प्रभावित क्षेत्रों में गए चाहे वह अंडमान हो, तमिलनाडु या कश्मीर और सरकार ने समस्त कार्यकलापों में तेजी लाने का प्रयास किया। किंतु फिर भी तैयारी न होने के कारण, समस्त कार्यवाही में यह परिलक्षित नहीं हो सकी। यही बात विभिन्न संगठनों, राज्य सरकारों और गैर-सरकारी संगठनों पर भी लागू होती है। मेरा संबंध पश्चिम बंगाल से है। पश्चिम बंगाल सरकार ने अंडमान में लोगों की सहायता करने का प्रयास किया। मंत्री और संसद सदस्य लगातार एक महीने तक अंडमान में रहे। जनता और विभिन्न गैर-सरकारी संगठनों की भागीदारी बहुत बड़ी रही है। चूंकि यह एक आपदा है, हमने सही कार्रवाई की है।

सभापति महोदय, मैं व्यक्तिगत रूप से मानता हूं कि सरकार द्वारा शुरू में उठाया गया कदम बहुत सही था। आपदा के प्रभावों से निपटने के लिए विदेशी सहायता मांगने की बजाय, जिस प्रकार से हमारी सरकार ने अन्य राष्ट्रों के पीड़ितों की सहायता की है, यह प्रशंसनीय है। यह भारत की परम्पराओं के अनुरूप है। जबकि हम स्वयं आपदा से जूझ रहे थे, हम उन चंद राष्ट्रों में से एक रहे जिन्होंने श्रीलंका और इंडोनेशिया की विपत्ति में उनके सहायतार्थ सबसे पहले कदम बढ़ाया। मेरे मित्र इसके बारे में पहले ही बोल चुके हैं। पूरे देश की जनता ने इस निमित्त प्रधानमंत्री सहायता कोष में उदारतापूर्वक योगदान किया है। पश्चिम बंगाल सरकार, विभिन्न संगठनों व समूहों ने धन एकत्रित करके राहत कोष में दान दिया है। जनता ने प्रधानमंत्री कोष तथा मुख्यमंत्री कोष में पर्याप्त धनराशि का योगदान करने हेतु गलियों में घूम-घूमकर धन एकत्रित किया। अंडमान हो अथवा तमिलनाडु वहां की स्थानीय जनता ने इस प्राकृतिक आपदा के शिकार लोगों की मदद करने हेतु हर संभव प्रयास किया था।

महोदय, मैं अपने कर्त्तव्य में चूक जाऊंगा यदि मैं तमिलनाडु की घटना का जिक्र नहीं करता हूं। दुर्भाग्यवश, देश में हम लोग विभिन्न अवसरों पर लोगों को धर्म और समुदाय के आधार पर विभाजित करने का कार्य करते हैं। परन्तु तमिलनाडु की घटना का सकारात्मक प्रभाव रहा है। तमिलनाडु के कुड्डालोर जिले में पारंगापेटी गांव में, जहां पर अधिकांशत: मुस्लिम समुदाय के लोग रहते हैं, प्रभावित लोगों विशेषकर मछुआरों में से अधिकांश हिन्दू और इसाई समुदाय के हैं। उस गांव के मुसलमानों की एक मस्जिद समिति है तथा आपदा के समय उन्होंने लोगों को उस क्षेत्र से बाहर निकाला, उन्हें सुरक्षित स्थानों पर ले गए और उन्हें आश्रय दिया। उन्होंने लगभग 7000 हिन्दुओं और ईसाई धर्म के लोगों को आश्रय दिया।

सभापति महोदय: कृपया अब अपनी बात समाप्त करें।

डा. सुजान चक्रवर्ती: महोदय, अपने दल का प्रथम वक्ता होने के नाते मुझे बताया गया कि मुझे 15 मिनट तक बोलने की अनुमति होगी और मैंने तदनुसार बोलने की तैयारी की है।

सभापति महोदय: आपके दल को कुल दस मिनट का समय आवंटित किया गया है। आप पहले ही आठ मिनट का समय ले चुके हैं। आप ही बताएं मैं अब क्या करूं?

डा. सुजान चक्रवर्ती: महोदय, तब मैं अपनी बात यहीं समाप्त करता हूं।

सभापति महोदय: मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि इस विषय पर 40 वक्ता बोलने वाले हैं। इसलिए यथासंभव संक्षेप में बोलें।

डा. सुजान चक्रवर्ती: महोदय, उनके द्वारा 7,000 लोगों को आश्रय और खाना दिया गया। यहां तक कि मुस्लिम समुदाय की एक शादी रद्द कर दी गयी तथा अतिथियों के लिए तैयार किए गए भोजन को आपदा पीड़ितों को खिलाया गया। मेरी समझ से, हमें ऐसी घटनाओं का स्वागत करना चाहिए और हम राजनीतिज्ञों को इससे सबक लेना चाहिए तथा आत्मपरिशोधन करने का प्रयास करना चाहिए और भाईचारे की भावना को आत्मसात करना चाहिए।

महोदय, अब प्रश्न उठता है कि आखिर ऐसी विध्वंसकारी घटना क्यों घटी? मैं इसका वैज्ञानिक कारण जानता हूं परन्तु मैं उनका विस्तारपूर्वक जिक्र करना नहीं चाहता। पृथ्वी के अनेक रहस्यों का उद्घाटन किया जाना अभी भी बाकी है। विवर्तनिक प्लेटों के खिसकने से भारी मात्रा में 2.0 एक्सा-जूल ऊर्जा उत्सर्जित हुई जो विश्व की समस्त जनता के लिए 150 लीटर पानी उबालने के बराबर है। यह भारी मात्रा में ऊर्जा है। पृथ्वी का दोहन भी 20 से 30 सेंमी. हो गया है। समुद्रतल की स्थलाकृति बदल गयी है। यह वर्ष 1900 से चौथी सबसे बड़ी प्राकृतिक आपदा है तथा यह वर्ष 1964 में अलास्का में आयी प्राकृतिक आपदा के पश्चात् सबसे बड़ी प्राकृतिक आपदा है। इस प्रकार इस आपदा की गम्भीरता का अनुमान लगाया जा सकता है। मेरा प्रश्न है कि क्या इस आपदा का पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता था।

वर्तमान में, विज्ञान का काफी विकास हो चुका है और हम इस प्रकार की घटनाओं का प्रबंधन भली-भांति कर सकते हैं। हम प्राकृतिक आपदा संभावित क्षेत्र में रह रहे हैं और ये क्षेत्र भूकंपीय जोन के अंतर्गत हैं। क्या हम ऐसी घटनाओं के प्रबंधन हेतु अपने को तैयार नहीं रख सकते थे? वस्तुत: हम 'पैसिफिक ओसन जोन' के 26 देशों के संगठन में शामिल नहीं हैं। परन्तु इस मामले में भी मुझे यह कहते हुए दु:ख हो रहा है कि एन.ओ.ए.ए. नाम से प्रसिद्ध अमरीका के नेशनल ओसन एंड एटमोस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन के पास संबंधित सूचना उपलब्ध थी तथा उन्होंने इसकी भविष्यवाणी की थी उन्होंने डिएगो गार्सिया के सैनिक अड्डे को पूर्व में ही इसकी सूचना दे दी थी। उन्होंने इसके लिए अपने को तैयार कर लिया था। परन्तु यह सूचना हमारे देश को और अन्य राष्ट्रों को प्राप्त नहीं हुई। यहां तक कि रेडियो के माध्यम से भी कोई संदेश प्रस्तावित नहीं किया गया। ऐसे विशाल देश के भीतर यह काफी दुर्भाग्यपूर्ण और लज्जाजनक बात है और इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। प्रारंभिक प्रतिक्रिया के रूप में उन्होंने सहायतार्थ 35 मिलियन डालर की धनराशि देने का प्रस्ताव किया था जो इराक में उनके नास्ते पर आने वाले खर्च के बराबर है। वस्तुत: उन्होंने इस मामले को समुचित रूप से नहीं लिया। यह काफी अपमानजनक है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने फरवरी, 2005 में इंडोनेशिया के पास पुनर्भुगतान हेतु बकाया धनराशि को माफ करने के बजाय इसे समायोजित करने की घोषणा की है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में अधिकांश देशों ने इस आपदा को गम्भीरता से लिया है। परन्तु सभी ने समुचित प्रतिक्रिया प्रदर्शित नहीं की है। हमें इस बात को भी ध्यान में रखना चाहिए।

मैं यहां तीन अन्य बातों का उल्लेख करूंगा। एक प्राकृतिक आपदा है। इसके कारक तो प्राकृतिक हैं। परन्तु क्या प्रभाव भी प्राकृतिक हैं। नहीं, प्रभाव प्राकृतिक नहीं हैं। हम पाते हैं कि ऐसी घटनाओं से गरीब जनता तथा अपेक्षाकृत कम चुस्त देश अधिक प्रभावित होते हैं। हम अमरीका और यूरोप के उन भागों का उदाहरण लेते हैं जो भूकंप आशंकित क्षेत्र हैं। परन्तु आप शायद ही पाएंगे कि वहां 10,000 से अधिक लोग आपदा में मारे गए हों। वर्ष 1991 में उत्तरकाशी में 2000 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। वर्ष 1993 में लातूर में 9000 लोग मारे गए। उड़ीसा के महाचक्रवात में जान गंवाने वाले लोगों की संख्या 10000 से अधिक थी जबकि वर्ष 2001 में गुजरात में आए भूकम्प में 13,000 से अधिक लोग हताहत हुए और 2005 में सुनामी लहरों ने 10,000 से अधिक लोगों को निगल लिया। तबाही का यह आलम है। जापान और अमरीका के पूर्वी तट पर प्राय: तूफान आते रहते हैं परन्तु इतनी तबाही नहीं होती क्यों? जापान में प्राकृतिक आपदा में मारे जाने वाले लोगों की औसत वार्षिक संख्या 63 है जबकि पेरू में यह संख्या 29000 है। ऐसा क्यों है। जिस समय लातूर में भूकम्प आया था लगभग उसी समय केलिफर्निया में भी भूकम्प आया था परन्तु वहां अपेक्षाकृत काफी कम लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: कृपया अपनी बात समाप्त करें। आप 15 मिनट समय ले चुके हैं जबकि आपके दल को मात्र दस मिनट का समय आबंटित किया गया था। कृपया अब अपनी बात समाप्त करें।

डा. सुजान चक्रवर्ती: महोदय, व्यवहारिक रूप से, आपदा प्रबंधन एक अति महत्वपूर्ण विषय है। मैं सिर्फ दो बातें सुझाना चाहता हूं। पहला, यह कि प्रथम दुर्घटना स्वयं आपदा प्रबंधन थी जिस पर मैं बोलना चाहता था। सिविल प्रशासन और सैन्य प्रशासन के बीच समन्वय का बिल्कुल अभाव है। हमारे पास नागपुर स्थित नेशनल राष्ट्रीय अग्निशमन प्रशिक्षण संस्थान है परन्तु हम उनका समुचित उपयोग नहीं कर पाए। आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन होने जा रहा है और इस प्रकार बचाव, कार्य, संचार, परिवहन, जनता की भागीदारी आदि के आधार पर संबंधित विषयों पर स्पष्ट रूप से ध्यान दिया जाना चाहिए।

मैं आपसे डा. स्वामीनाथन रिसर्च फाउन्डेशन तथा अन्य संगठनों पर विचार करने का अनुरोध करता हूं क्योंकि वैज्ञानिक आधार पर काफी पुनर्वास कार्य किए जाने हैं। विशेष रूप से, जानवर इसे

[डा. सुजान चक्रवर्ती]

अपेक्षाकृत अधिक समझ सकते हैं। इसलिए, वैज्ञानिक अनुसंधान समुचित तरीके से किया जाना चाहिए ताकि ऐसी आपदा का पुर्वानुमान लगाया जा सके और सम्पूर्ण मामले को समुचित तरीके से सुलझाया जा सके।

[हिन्दी]

श्री शैलेन्द्र कुमार (चायल): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे श्री रूपचंद मुर्मू द्वारा नियम 193 के तहत प्राकृतिक आपदा पर होने वाली चर्चा में भाग लेने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। आप इसे प्राकृतिक आपदा कहें, कुदरत का कहर कहें या प्रकृति का तेवर, एक ही बात है। अपने देश में ज्यादातर तूफान, बिजली, ओलावृष्टि, बाढ़, सूखा, भुखमरी या बीमारी से कोई महामारी आती है, तो उसे हम दैवी आपदा ही कहते हैं।

अभी बहुत से सम्मानित सदस्यों ने सुनामी के बारे में अपनी बातें कहीं, खासकर अंडमान-निकोबार के हमारे सम्मानित सदस्य श्री मनोरंजन भक्त ने बहुत विस्तार से अपनी बातें कही हैं। जब भी समुद्र में ज्वालामुखी सक्रिय होता है, तो वह सुनामी को जन्म देता है। सुनामी को राष्ट्रीय आपदा घोषित किया गया है जिसमें तमाम लोगों ने स्वयं सेवी संस्थाओं, एनजीओज, सेना के तीनों विंग्स, तमाम राज्यों के विधायक या सम्मानित संसद सदस्यों ने इसमें बढ़-चढ़कर सहायता दी है। दैवी आपदा में पीड़ित लोगों को खासकर स्नेह और स्पर्श की बहुत जरूरत होती है।

सभापति महोदय, ऐसी घटना अचानक घटती है, जिसमें जान-माल का काफी नुकसान होता है। यह आपदा गरीबों पर ज्यादा आती है। चूंकि जो गरीब होता है, वह हर दैवी आपदा से जूझते हुए अपने पेट का पालन करता है, इसलिए वह सबसे ज्यादा पीड़ित होता है। 26 दिसम्बर को 800 किलोमीटर की रफ्तार से जो सुनामी आयी, वह एक जबरदस्त कहर था, जिसमें 10 हजार के करीब लोग मारे गये। तमिलनाडु में 7,921, केरल में 107, आंध्र प्रदेश में 105, अंडमान-निकोबार में 900 और पांडिचेरी में 579 लोगों की जानें गयीं। अगर देखा जाये तो अन्य देशों में भी इससे एक लाख 65 हजार के करीब लोग मारे गये। इंडोनेशिया में इसका कहर सबसे ज्यादा था, क्योंकि वहीं से सुनामी शुरू हुई थी। सुनामी के कारण अपने देश में 5,322 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ तथा 7 हजार करोड़ रुपये की सम्पत्ति का नुकसान हुआ।

मैं निवेदन करना चाहूंगा कि तीन वर्ष पहले सरकार के पास तत्काल राहत के लिए एक योजना लंबित पड़ी है। वह योजना एयरक्राफ्ट में मोबाइल हैल्थ सेवा उपलब्ध कराने से संबंधित है।

अपराह्न 3.59 बजे

[**श्री वरकला राधाकृष्णन** *पीठासीन* हुए]

इसके तहत जहां भी इस प्रकार की कोई आपदा आये, वहां हेलीकाप्टर या हवाई जहाज को उतारकर, तुरंत मोबाइल सेवा देकर, उन तमाम पीड़ित लोगों को दवा-दारू का प्रबन्ध किया जा सकता है। अक्सर यह होता है कि जब भी कहीं कोई आपदा आती है, तो पीड़ित लोगों को वहां से निकालकर दूसरी जगह विस्थापित करने या अस्पताल ले जाने में काफी समय लगता है, जिसके कारण अनेक लोगों की रास्ते में ही जान चली जाती हैं, वे मौत के शिकार हो जाते हैं। मेरा कहना है कि केन्द्र सरकार के पास जो मोबाइल स्वास्थ्य सेवा तीन साल से लंबित पड़ी है, उसे प्राथमिकता दें ताकि ऐसी आपदाओं के समय हम उसकी सेवा ले सकें।

जहां तक लोगों के पुनर्वास की बात है, तमाम मकान कम्पोजिट मैटीरियल से स्थायी मकान बनाये जायें। जो सुनामी से पीड़ित लोग हैं, वे आज भी जंगलों में पड़े हुए हैं, बेघरबार हैं। उनके लिए कम्पोजिट मैटीरियल द्वारा स्थायी घर बनाये जायें ताकि उन्हें एक घर मिल सके।

अपराह्न 4.00 बजे

दूसरे, बचाव-राहत और पुनर्वास में जो भी पैसा लगे उसकी कमी नहीं होनी चाहिए। इसके लिए मैं यूपीए सरकार और केंद्र सरकार को बधाई देना चाहूंगा कि उसने विदेशों से मदद न लेकर बल्कि अपने देश में जो दैवी आपदा आई, उसमें राहत एवं बचाव के लिए जो भी पैसे की जरूरत पड़ी उसमें कोई कमी नहीं होने दी। पैसों का सही सदुपयोग हो, पीड़ित लोगों तक पैसा पहुंचे, यही हम सभी का प्रयास होना चाहिए। अब भी कभी-कभी अखबारों में पढ़ने को मिलता है कि अण्डमान में भूकम्प के झटके आ रहे हैं। इसलिए वहां जो लोग हैं उनको धैर्य और साहस देने की जरूरत है और जब इससे पहले भी सदन में यह बात उठाई गयी थी मैंने कहा था कि सही मायने में पीड़ित लोगों का पुनर्वास किया जाए। उनके सामने सबसे बड़ी जरूरत रोटी, कपड़ा और मकान की है, खासकर डेली के कमाने-खाने वालों की जो कि बेरोजगार हो गए हैं, उनके लिए रोजगार की व्यवस्था होनी चाहिए। यह व्यवस्था केंद्र सरकार को करनी चाहिए और जैसा कि केंद्र सरकार ने भी कहा है कि वर्ष 2007 तक चेतावनी तंत्र का विकास किया जाए ताकि चाहे तूफान हो या भूकम्प हो या कोई भी कहर आए, हमें उसका पूर्वानुमान हो सके ताकि हम जनमानस को तत्काल हटाकर सुरक्षित स्थान पर ले जा सकें और उनके जान-माल की रक्षा की जा सके।

दूसरी बात यह है कि सुनामी से प्रभावित इलाकों में जो बच्चे बेघर हुए हैं, उनको तमाम लोग गोद ले रहे हैं। मेरा निवेदन है कि गोद लेने सम्बन्धी कानून में ढील दी जानी चाहिए ताकि ऐसे बच्चों को भी सहारा मिल सके और उनका जीवनयापन ठीक से हो सके। नेशनल कैलेमिटी रिमोट सेंसिंग एजेंसी ने अध्ययन किया है और एजेंसी अध्ययन करके बताएगी कि अब तक कितना नुकसान हुआ है, कितनी आवश्यकता है, कितने लोगों को पुनर्वासित किया गया है, ये तमाम बातें हमारे सामने आएंगी। आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की स्थापना की जानी चाहिए जिससे हम पीड़ित लोगों को सही मायने में राहत और सुविधा उपलब्ध करा सकें।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: कृपया अपनी बात समाप्त करें।

[हिन्दी]

श्री शैलेन्द्र कुमार: महोदय, मैं समाजवादी पार्टी से अकेले बोल रहा हूं इसलिए मुझे बोलने का अधिक समय दिया जाए।

कई जगहों पर कभी-कभी यह सुनने में आता है कि वर्षा के कारण बिजली गिरने की घटनाएं होती हैं। इससे भी उत्तर प्रदेश में इस वर्ष में 27 लोगों की जानें गयी हैं। यह भी एक बहुत बड़ी समस्या है जिसके लिए हमें उपाय करना चाहिए चाहे वह तड़ित चालक जैसे इन्तजाम जो बिल्डिंग्स को बिजली गिरने से बचाने के लिए लगाए जाते हैं, या फिर कोई और उपाय हो, उसे बस स्टापेज या पेड़ों के नीचे लगाने की व्यवस्था की जाए ताकि बिजली गिरने से होने वाली मौतों को रोका जा सके। महोदय, प्रति दिन 44,000 तूफानी बारिशें होती हैं, 100 बिजलियां हर सेकण्ड में गिरती हैं जिससे हमें सतर्क रहना चाहिए। अभी दिल्ली में कल-परसों में बारिश हुई और ओले गिरे हैं। इसी प्रकार उत्तर प्रदेश में ओला वृष्टि से खेती चौपट हो गयी है और किसान बर्बाद हो गए हैं। केंद्र सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश के लिए स्पेशल पैकेज देकर किसानों को कम से कम राहत तो प्रदान करे। साथ ही साथ बाढ़ और सूखे की समस्या से निपटने के लिए हमें एक ऐसी कार्य योजना बनानी चाहिए कि जब भी बाढ़ आए तो नदियों के किनारे बसे लोगों को तत्काल हटाकर हम उन्हें बचा सकें। इसी प्रकार जो सूखाग्रस्त इलाके हैं, जहां वर्षा नहीं हुई, वहां किसान तबाही की कगार पर हैं, उन्हें भी मदद करने की आवश्यकता है। इसलिए केंद्र सरकार को एक ऐसी कार्य योजना बनानी चाहिए कि इसी प्रकार की दैवी आपदा तथा नुकसान से हम लड़ सकें। मैं इसी के साथ आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया।

श्री सीताराम सिंह (शिवहर): सभापति महोदय, प्राकृतिक आपदा पर सदन में चर्चा हो रही है। माननीय अध्यक्ष महोदय ने इस विषय पर चर्चा के लिए स्वीकृति दी, इसके लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूं।

महोदय, प्राकृतिक आपदा पर चर्चा हो रही है। इसे हम दो भागों में बांट सकते हैं—एक ऐसी आपदा जो प्रति वर्ष आती है, जिसके आने की तारीख और समय निश्चित है और जो आनी ही है और दूसरी ऐसी आपदा जिसका समय निर्धारित नहीं है, जो अचानक आती है, जैसी सुनामी। आज पूरी दुनिया की साइंस काफी डैवलप हो गई है और हिन्दुस्तान की साइंस भी काफी डैवलप है। मैं भारत सरकार से कहना चाहता हूं कि जो आपदा अचानक आती है जो आपदा इस देश में अचानक आने वाली है, उसके लिए भारत सरकार की क्या व्यवस्था है? अगर व्यवस्था नहीं है और चाहे जो भी सरकार रही हो, तो क्या बरसों से सरकार इस प्रतीक्षा में बैठी है कि तूफान आएगा, विपत्ति आएगी या आपदा आएगी, उसके बाद उससे बचने और उसे जानने का प्रयास करेंगे। मेरा साफ कहना है कि समुद्री तूफान और सुनामी जैसी दुर्घटना इस देश के अंदर हुई। सरकार को इस बात के लिए धन्यवाद है कि सरकार ने काफी अच्छे और मजबूत मन से इसका सामना किया और लोगों को सहायता पहुंचाने का काम किया। लेकिन एक बात समझ में नहीं आई कि क्या हमारे देश में ऐसी साइंस नहीं है जो इस आपदा आने के दो चार घंटे पहले से बता दे कि ऐसी विपत्ति, ऐसी आपदा के आने की संभावना है। लेकिन यह नहीं हो सका। मैं सरकार को धन्यवाद देते हुए सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि आपने काफी प्रयास किया। इसके लिए स्वयंसेवी संस्था, राज्य सरकार और तमाम लोगों ने काम किया। मैं सुझाव देना चाहता हूं कि ऐसी आने वाली विपत्तियों के लिए, आने वाली आपदाओं के लिए आपकी तैयारी तो बाद में हो लेकिन उसकी जानकारी पहले हो, इस पर आप का अधिक ध्यान केन्द्रित हो।

दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि कुछ आपदाएं ऐसी हैं जो प्रति वर्ष आनी निश्चित हैं। कई माननीय सदस्यों ने इसकी चर्चा की है। मैं कहना चाहता हूं कि इस देश के कई राज्य ऐसे हैं जहां प्रति वर्ष बाढ़ आना निश्चित है। हमारा बिहार इसमें अव्वल दर्जे में आता है। इसमें उत्तर प्रदेश और असम का हिस्सा भी है, लेकिन बिहार का हिस्सा सबसे अधिक है। आजादी से पहले क्या हुआ, मैं नहीं कह सकता। लेकिन आजादी के बाद लगातार बाढ़ें आती हैं। पहली बात है कि बाढ़ को रोकने के लिए भारत सरकार के पास अभी तक कोई तरीका नहीं है। कई बांध बनाए गए, नदियों को मुड़वाया गया। आज बांध पुराने हो गए हैं लेकिन उनकी मरम्मत नहीं हो रही है। नदियों में बालू पूरा भर चुका है, नदियों का मुंह खत्म हो गया है लेकिन उनकी सफाई नहीं हो

[श्री सीताराम सिंह]

रही है। नदियों से नदियों को जोड़ने का काम नहीं हो रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि प्रति वर्ष जो क्षति होती है, उस पर करोड़ और अरबों रुपये खर्च करने के लिए जोर दिया जाए। किसी भी सरकार ने इसकी कल्पना की होती और इसके लिए स्थायी प्रयास किया होता तो इसका स्थायी निदान निकल जाता और करोड़ों लोगों की आबादी की क्षति नहीं होती है, वह रुक जाती। बिहार में खासकर उत्तरी बिहार में जैसे शिवहर, सीतामढ़ी, मोतीहारी, बेतिया, दरभंगा, मधुबनी और उत्तरी बिहार का पूरा हिस्सा प्रति वर्ष बाढ़ से प्रभावित होता है। पिछले वर्ष भी काफी लंबी चर्चा इस पर हुई थी। मैं उस मामले में साफ कहना चाहता हूं कि क्या क्षति हुई थी लेकिन उस पर चर्चा के लिए लंबा समय नहीं देंगे। मगर मैं सरकार को इस रूप में सुझाव देना चाहता हूं कि वह हाई डैम बनाये। सरकार को नदियों को जोड़ना चाहिये, पानी को अपनी धारा में ले जाने का प्रयास करना चाहिये। आप ब्रह्मपुत्र पर ऐसा कर रहे हैं। तकनीकी सलाहकार की मदद से तैयारी करनी चाहिये। आप ब्रह्मपुत्र पर ऐसा कर रहे हैं। तकनीकी सलाहकार की मदद से तैयारी करनी चाहिये। बिहार में जितनी बाढ़ आती है, उसका कारण नेपाल की नदियां हैं। भारत सरकार को नेपाल सरकार से बात करनी चाहिए जिससे समस्या का स्थायी निदान हो सके। पिछली बार चर्चा के दौरान माननीय मंत्री जी ने कहा था कि इस मद में हजारों करोड़ रुपया खर्च हो सकता है, लेकिन उसका खर्चा नेशनल प्रोजैक्ट बनाकर करना चाहिये। लगता है कि सरकार की सोच में कमी है। मैं इस अवसर पर कहना चाहता हूं कि सरकार तैयारी करे वरना सारा इनफ्रास्ट्रक्चर खत्म हो जायेगा। किसानों की खेती डूब जाती है, हजारों जानें चली जाती हैं, सारी परिसम्पत्ति खत्म हो जाती है। पुल-पुलिया ध्वस्त हो जाते हैं। उनकी क्षतिपूर्ति नहीं होती है। ऐसी स्थिति में, मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि वह गम्भीरतापूर्वक इस समस्या का निदान करे। सरकार ने शिवहर जिला को लिया है लेकिन सीतामढ़ी को 'फूड फार वर्क' या 'सम विकास योजना' में ले सकती थी। इसके अलावा, मोतिहारी, बेतिया में बरबादी हुई है। मधुबनी, दरभंगा का भी यही हाल है। ...*(व्यवधान)* सभापति जी, आपने घंटी बजा दी, अभी तो मैंने बोलना शुरू ही किया है। मुझे थोड़ा वक्त दीजिये।

सभापति जी, मेरा सरकार से आग्रह है कि पिछड़े जिलों को 'फूड फार वर्क में लिया जाये' या सम विकास योजना में लिया जाये। बिहार सूखे से आधा बरबाद हो चुका है। वहां प्रति वर्ष सूखा होता है लेकिन सरकार ने उसके लिये कोई स्थायी उपाय नहीं किया है। भारत सरकार के मंत्री कहते हैं कि यह स्टेट गवर्नमेंट का मामला है लेकिन राज्य सरकार के पास कोई संसाधन नहीं है। केन्द्र संसाधन दे, तभी राज्य सरकार कुछ कर सकने की स्थिति में होगी। स्टेट गवर्नमेंट सिंचाई की व्यवस्था नहीं कर सकती। भारत सरकार को इस पर विचार करना चाहिये। प्राकृतिक आपदा के अलावा प्राकृतिक विडम्बना भी है। बिहार की बरबादी ही बरबादी हुई है।

सभापति जी, मैं दो-तीन बातें कहकर अपनी बात समाप्त करूंगा। प्राकृतिक आपदा में ओलावृष्टि से जो भी जन-धन की बरबादी होती है। भारत सरकार का मौसम विभाग कभी पूर्व में इस आशय की घोषणा नहीं करता कि, ओलावृष्टि होने वाली है। मीडिया के माध्यम से उसे बताना चाहिये कि फलां-फलां इलाके में ओले पड़ने की संभावना है। मैं इसे वैज्ञानिक भूल मानता हूं या सरकार इस मामले में एकदम निष्क्रिय हो गई है। सरकार की इस संबंध में कभी सोच ही नहीं बनती है। जब तूफान आ जायेगा, उसके बाद राहत के नाम पर कुछ कार्यवाही शुरू होगी। मेरा सरकार को सुझाव है कि वह गम्भीरता से इस संबंध में विचार करे। यदि ओला वृष्टि की पूर्व सूचना मिल जाये तो किसानों को फायदा होगा।

अंत में, समय की पाबंदी के कारण मैं बहुत कुछ कहना चाहता था लेकिन प्राकृतिक आपदा से संघर्ष करने के अलावा एक पाइंट यह भी है कि जानी हुई बातों के स्थायी निदान के लिये सरकार को उपाय खोजने चाहिये।

श्री महेन्द्र प्रसाद निषाद (फतेहपुर): माननीय सभापति महोदय, देश में प्राकृतिक आपदाओं के विषय पर चर्चा करने के लिए आपने मुझे बोलने का मौका दिया है, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद ज्ञापित करता हूं।

श्रीमान, हमारे देश में सुनामी लहरों से जो धन और जन की हानि हुई है और जो तबाही हुई है, उससे निपटने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने और माननीय गृह मंत्री जी ने जो महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं, उसके लिए मैं उनको धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। ऐसी दैवी आपदाएं जो व्यापक पैमाने पर धन और जन की हानि करती हैं, उनसे निपटने के लिए केंद्र सरकार के पास प्रधानमंत्री राहत कोष के अलावा कोई दूसरी व्यवस्था नहीं है। केंद्र के पास ऐसा कोई विभाग नहीं है जो भारत सरकार द्वारा दी जाने वाली राजसहायता की मानिटरिंग कर सके या सहायता कार्यक्रमों को सही ढंग से क्रियान्वित कर सके और पीड़ित लोगों के हाथ तक सहायता राशि या राजसहायता पहुंच सके। इसका निरीक्षण करने के लिए केंद्र सरकार के पास अपना कोई विशेष विभाग नहीं है। राहत कार्यों में हम सेना की मदद से राहत कार्य चलाते हैं। सेना को स्थानीय प्रशासन के साथ मिलकर कार्य करना पड़ता है। जब स्थानीय प्रशासन या स्थानीय कर्मचारी सेना को सहयोग नहीं दे पाते हैं, सहायता देने के प्रति तत्परता नहीं बरत पाते हैं तो हमारी सेना के लोग पर्याप्त क्षमता होते हुए भी, संसाधन होते हुए भी उचित पैमाने पर बचाव कार्य करने की जितनी क्षमता है, वह स्पेशल सेल न होने के कारण, सही सहयोग न मिलने के कारण नहीं कर पाती है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि हमको अपने देश के अंदर होने वाली इन दैवी आपदाओं और

प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए एक स्पेशल सेल का गठन किया जाए तो इस सहायता के काम को देखे। यह प्राकृतिक आपदाओं की न तो कोई तिथि निश्चित है और न ही स्थान निश्चित है। यह कभी भी और किसी भी समय, किसी भी स्थान पर हो सकती है। इसके लिए व्यापक पैमाने पर स्पेशल सेल का विस्तार होना चाहिए ताकि यह सेल पूरे देश में जहां कहीं भी कोई आपदा घटित हो, उस पर नियंत्रण पाने के लिए वहां की स्थानीय इकाई के साथ मिलकर काम कर सके।

सभापति महोदय, कई प्राकृतिक आपदाएं छोटे पैमाने पर होती हैं जिनका क्षेत्र छोटा होता है और प्रहार सीमित जगह पर होता है, लेकिन वह प्रहार बड़ा आक्रामक होता है और उससे भी जन और धन की हानि होती है। चाहे अनावृष्टि का कहर हो, चाहे ओलावृष्टि का कहर हो, चाहे बाढ़ हो या आकस्मिक ढंग से आग लगने की घटनाएं हों, उन पर भी नियंत्रण करने के लिए हम उस स्पेशल सेल से काम ले सकते हैं। हमारे देश में चाहे गुजरात का भूकंप हो, सुनामी का कहर या जम्मू-कश्मीर में बर्फवारी या भूस्खलन जैसी दैवी आपदाएं हों, बड़े पैमाने पर घटित हुई हैं।

सभापति जी, लेकिन हमारे पास आज भी ऐसा कोई तन्त्र नहीं बन पाया, जो हमें सूचित कर सके कि किस स्थान पर कौन सी आपदा घटित होने वाली है, जिससे राहत और बचाव कार्य का पहले से कार्यक्रम तय किया जा सके, उसकी व्यवस्था की जा सके।

श्रीमान, अभी हाल में, पूरे उत्तर प्रदेश में, खासतौर से बुंदेलखंड और पूर्वान्चल में जो ओलावृष्टि हुई और विशेष रूप से मेरे क्षेत्र फतेहपुर जनपद में अत्यधिक ओलावृष्टि से 200 गांवों से अधिक के किसानों की फसल पूरी तरह से तबाह और बर्बाद हो गई। उन्हें अपने खेतों से अन्न का एक दाना भी उठाने का मौका नहीं मिला। घरों की कच्ची खपरैलों की छतें टूट-टूट कर गिर गईं। हर प्रकार की तबाही हुई। प्रशासन जो मुआवजा देता है, वह पर्याप्त नहीं है। मैं सरकार के ध्यान में लाना चाहता हूं कि दैवी आपदा से पीड़ित परिवारों को जो मुआवजा दिया जाता है, उसका शेड्यूल रेट बहुत ही कम है। मेरा निवेदन है और मैं मांग करता हूं कि इसकी समीक्षा होनी चाहिए और सही मायने में यह तय होना चाहिए कि जिस किसान ने बीज और खाद हेतु ऋण लिया है, यदि उसकी फसल ओलावृष्टि से बर्बाद हो जाती है, तो उसे इतना मुआवजा अवश्य दिया जाना चाहिए, जिससे कम से कम उसके नुकसान की भरपाई हो जाए।

महोदय, आज स्थिति यह है कि यदि किसान की फसल ओलावृष्टि से तबाह हो जाए, एक दाना भी अपने खेत से किसान को उठाने का अवसर नहीं मिले, तो उसके सामने समस्या खड़ी हो जाती है कि वह खाद एवं बीच हेतु लिए गए ऋण को कैसे चुकाएगा, अपने बेटे-बेटी की शादी कैसे करेगा और पूरे एक साल तक अपने परिवार का जीवन-यापन कैसे करेगा। यही कारण है कि ओलावृष्टि प्रभावित किसान भी आज आत्महत्या करने पर विवश हो रहा है क्योंकि उसका भविष्य अंधकारमय हो जाता है।

महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करना चाहता हूं कि ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि दैवी आपदा से पीड़ित परिवारों को उचित मुआवजा मिल सके, बचाव और राहत कार्य तेजी से चल सकें। इस हेतु यह आवश्यक है कि एक आपदा प्रबन्धन औथोरिटी गठित की जाए। मैं इसकी मांग करता हूं और उम्मीद करता हूं कि उसका गठन किया जाएगा और आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया।

***श्री ए.के.एस. विजयन** (नागापट्टिनम): माननीय सभापति महोदय, यह प्रतिष्ठित सभा हमारे देश को प्रभावित करने वाली प्राकृतिक आपदाओं के बारे में नियम 193 के अंतर्गत चर्चा कर रही है। मैं चर्चा में भाग लेने और द्रविड़ मुनेत्र कषगम् की तरफ से अपने विचारों को कार्यवाही-वृत्तांत में शामिल कराने हेतु अध्यक्षपीठ को धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा। संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन की सरकार के गठन के बाद प्राकृतिक आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की स्थापना के प्रयास किए जा रहे हैं। मैं अपनी पार्टी डी.एम.के. की तरफ से सरकार को धन्यवाद देता हूं।

जब प्राकृतिक आपदाओं की बात आती है तो एक तरफ हमें देश के एक भाग में लगातार बाढ़ की खबरें देखने को मिलती हैं तो दूसरी तरफ देश के अन्य भाग से सूखे की खबरें आती हैं। लेकिन हाल ही में हमने सुनामी के रूप में अति विध्वंसक स्थिति देखी है। हो सकता है विश्व के कई भागों में कई बार ऐसी विनाशकारी स्थितियां आई हों लेकिन, हमने जो हाल में तमिलनाडु में देखा, वह विशेष रूप से उप महाद्वीप में भयानक आपदाओं में से एक था। तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों को अधिक चोट सहनी पड़ी थी और मेरे निर्वाचन क्षेत्र में नागापट्टिनम जिला तो दक्षिणी प्रायद्वीप में सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाला तटीय जिला था। सिर्फ मेरे निर्वाचन क्षेत्र के आस-पास के क्षेत्रों में ही आप्लावित सुनामी लहरों के कारण 8000 से भी अधिक लोग मारे गए थे और उन प्रलयकारी लहरों ने कहर बरपाया था। सिर्फ हमारे नागापट्टिनम जिले में ही करीब 6000 लोग मारे गए थे। इन विनाशकारी लहरों के कारण जो मेरे निर्वाचन क्षेत्र के समुद्र तट से टकराई थीं, कुल मिलाकर करीब 6500 लोगों की जानें गईं थी।

---

*मूलत: तमिल में दिये गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपांतर।

[श्री ए.के.एस. विजयन]

कोडियाकरई से कोल्लीडम तक सुनामी का व्यापक प्रभाव रहा और लोग तबाह हो गए। तमिलनाडु के इन तटीय क्षेत्रों में मारे गए लोगों की संख्या और इन लहरों के कारण होने वाला विनाश और विध्वंस बहुत ज्यादा था। वेहंकली और नागोर जैसे तीर्थ स्थल इस तरह से अत्यधिक प्रभावित थे कि प्रत्येक धार्मिक तीर्थ स्थल में हजार से भी अधिक लोग मारे गए। जब इस तरह की व्यापक विनाश लीला की घटना घटती है तो यह सुनिश्चित करने के लिए राज्य प्रशासन की कोई शीघ्र प्रतिक्रिया नहीं होती कि वे लोग जो अभी भी मलवे में दबे पड़े हुए हैं, उन्हें बचाया जाए। कुछ लोग कीचड़ में जीवित दबे पड़े थे और विलंब से राहत कार्य शुरू किए जाने के कारण उनकी मौत हो गई। इस अवसर पर मैं माननीय प्रधानमंत्री और संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार के परामर्शदात्री समिति की अध्यक्षा माननीया श्रीमती सोनिया गांधी को हार्दिक धन्यवाद देता हूं जिन्होंने सुनामी प्रभावित क्षेत्रों में केन्द्रीय मंत्रियों को शीघ्र भेजा था। केन्द्रीय मंत्रियों श्री दयानिधि मारन, श्री टी.आर. बालू, श्री मणि शंकर अय्यर और श्री राजा अचानक आई विध्वंसकारी सुनामी लहरों से प्रभावित लोगों को सान्त्वना देने शीघ्र पहुंचे थे। वस्तुत: राहत कार्यों में तभी तेजी आई जब केन्द्रीय मंत्री प्रभावित क्षेत्रों में पहुंचे। यदि पर्वत जैसी लहरें आएं तो वह सुनामी है, यदि लहरों के बाद लहर जैसी पर्वतीय ताकत आएं तो वह जयललिता की भ्रष्टाचार सुनामी है। सुनामी राहत कार्यों के लिए निर्धारित बड़ी धनराशि को जयललिता की ए.आई.ए.डी.एम.के. के लोगों और सत्ताधारी दल के लोगों द्वारा डकार लिया गया था जो वहां तमिलनाडु में सत्ता में है। हमारी पार्टी डी.एम.के. के नेता और तमिलनाडु के हमारे गठबंधन के नेता डा. कलैगनार करूणानिधि ने दस्तावेजी प्रमाण और साक्ष्य के साथ ऐसे सभी बुरे कार्यों और दुर्विनियोजनों की सूची तैयार की है। मुझे लगता है उनमें से कुछ को यहां प्रस्तुत करना मेरा कर्त्तव्य है। वेदरण्यम क्षेत्र में राहत सहायता को भगवान के नाम पर छोड़ दिया गया है। वेदरण्यम तालुक में नालु वेथपथी में राहत सहायता के रूप में 4000 रुपए वेथन्नासामी सुपुत्र सर्वारायण को दे दिया गया है। जांच के बाद यह पाया गया है कि जो पता दिया गया था वह मंदिर का था। सुनामी राहत के रूप में एक ग्रेनाइट की मूर्ति को 4000 रुपए प्राप्त हुए हैं। दरअसल भगवान के नाम पर राशि ए.आई.ए.डी.एम.के. कार्यकर्ता की जेब में चली गयी। इसी तरह से, सुनामी राहत सहायता सी.आर.पी.एफ. के एक सिपाही श्री सरवनम सुपुत्र समीनाथन के नाम से दी गयी थी जो वास्तव में पंजाब में अपनी ड्यूटी कर रहा था और जब तमिलनाडु के तट पर सुनामी लहरों ने कहर बरपाया तो वह वहां नहीं था। वस्तुत: तमिलनाडु सरकार ने सबसे अधिक प्रभावित नागापट्टिनम जिले में किसी भी सरकारी कर्मचारी को सुनामी राहत भत्ता नहीं दिया है। पुष्पवनम नाम के एक गांव में सुनामी राहत सहायता के नाम पर तथा "एजलैस वन्डर्स" के नाम पर धनराशि का गलत वितरण किया गया है। क्योंकि वीरापांडियन पुत्र श्री बालासुब्रह्मण्यम, मनिकन्दन पुत्र श्री दानापालन, सतीश कुमार पुत्र श्री चंद्र शेखरन और बसंत कुमार पुत्र श्री चेल्लादुरई को एक पात्र लाभार्थी के रूप में दिखाया गया है। लेकिन वे सभी क्रमश: 2, 3, 4 और 5 वर्ष के छोटे बच्चे हैं और ऐसे सैकडों मामले हैं।

यहां तक कि भूमिहीन किसानों को भी राहत सहायता दी गई है मानों उन्हें उनकी फसल बर्बादी की क्षतिपूर्ति की जा रही हो। यह अभी भी जारी है। अरब काटुथुरई, कोडियाकरई और पुष्पवनम में नावों की कुल संख्या 200 से अधिक नहीं है। लेकिन तमिलनाडु की सरकार 1500 नावों की राहत सहायता देने का दावा करती है। सिर्फ नागापट्टिन जिले में ही ए.आई.ए.डी.एम.के. द्वारा लाखों रुपए का गबन किया गया है जो कहर बरपाने वाली सुनामी लहरों वाली घटना से भी बड़ी घटना है। यहां तक कि राहत एवं विकास के ठेकों में भी सत्ताधारी दल के स्थानीय कार्यकर्त्ताओं का वर्चस्व है। पूरा किए गए ऐसे कार्य संतोषजनक नहीं हैं। उन प्रभावित क्षेत्रों के लिए गैर-सरकारी संगठनों द्वारा करोड़ों रुपए इकट्ठे किए गए है, उन्हें भी उनके हाथ लगने से नहीं बचाया जा सका। भ्रष्टाचार मुक्त आचरण अब दुर्लभ वस्तु बन गई है। यहां तक कि मानवीय कार्यों में भी अमानवीय लालच हावी है।मैं यह सुनिश्चित करने के लिए केन्द्र सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि ऐसी परिस्थिति में सचमुच में अत्यधिक जरूरतमंद लोगों को अधिक मदद और सहायता की आवश्यकता है।

नालु वेतपथी गांव में राशन कार्डधारी कुल परिवारों की संख्या 709 है, लेकिन 1161 परिवारों को सहायता दी गई है। इसी तरह से पेरिया कुथागई गांव में 667 राशन कार्ड हैं लेकिन लाभान्वित परिवारों में 685 की संख्या दर्शाई गई है। इसी तरह से अरू नाटु थुरई नाम के एक अन्य गांव में 667 राशन कार्डधारी परिवार हैं जबकि लाभ प्राप्त करने वालों में हजार परिवार दर्शाये गये हैं। कोवीलपत्तु गांव में 670 परिवार में कार्ड मौजूद हैं लेकिन लाभार्थी 717 हैं। वेल्ला पल्लम में 1321 परिवार राशन कार्ड सदस्य हैं, लेकिन लाभान्वितों में 1415 की संख्या दर्शाई गई है। कोडीया करई भी अलग नहीं है। 426 के बजाय 667 की संख्या दिखाई गई है। बेट्टा करम इरुप्पु में परिवार राशन कार्ड की संख्या 1949 से बढ़कर 2622 हो गई है। कल कुड्डलोर में प्रभावित मछुआरों में सड़क जाम की क्योंकि उन्हें अब तक कोई सार्थक और ठोस राहत सहायता प्रदान नहीं की गई। उन सभी पर तमिलनाडु सरकार द्वारा लाठी-चार्ज किया गया और उन पर घातक हमले कराए गए।

मैं केन्द्र सरकार से उन अत्यधिक प्रभावित मछुआरों के हितों की रक्षा करने का अनुरोध करता हूं।

अब निवास इकाइयों के निर्माण की बात उठी थी तो केन्द्र सरकार ने प्रत्येक को 40,000 रुपए की सहायता देने का प्रस्ताव

किया था। ...*(व्यवधान)* मैं बताना चाहूंगा कि यह पर्याप्त नहीं है। सामान्यतया, शवदाह गृह की छत को बदलने के लिए भी संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास निधि से 35,000 रुपए प्रदान किए गए, इसलिए, मैं केन्द्र सरकार से इस राशि को 40,000 रु. से बढ़ाकर 50,000 रुपए तक करने का अनुरोध करता हूं। जब उन्हें सुनिर्मित आवास प्रदान किया गया है तो उनकी सुरक्षा और संरक्षा पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। निर्माण और भवन निर्माण सामग्री निश्चय ही उत्तम गुणवत्ता वाली होनी चाहिए। क्योंकि पुनर्वास टिकाऊ होना चाहिए।

महोदय, मयिलादुथुरई, चिदम्बरम, कुड्डालोर, चेंगलपुट, चेन्नई, श्रीपेरम्बुदुर और कन्याकुमारी जैसे स्थानों में हमने व्यापक क्षति और विनाश का दृश्य देखा है जिससे लोगों की जिंदगी तबाह हो गई है। इसलिए मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि उन्हें अपने पारंपरिक जीवन निर्वाह के लिए नाव, मत्स्यन जाल और अन्य आवश्यक सहायता प्रदान कराई जायें।

हमारे नेता डा. कलैगनार ने मछुआरों और उनके परिवारों को स्थाई आवास परिसर प्रदान करने की अपील की थी और उन्हें अपने पेशागत औजार और वाहन अवश्य मिलने चाहिए क्योंकि उनको अत्यधिक क्षति हुई है।

लापता व्यक्तियों के परिवारों और नमक बनाने वालों को भी राहत प्रदान करने हेतु सरकार से अनुरोध करते हुए मैं सरकार पर लवणीकृत कृषि योग्य भूमि को पुन: कृषि योग्य बनाने हेतु शीघ्र प्रभावी कदम उठाने के लिए विशेष जोर देता हूं।

इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

श्री भर्तृहरि महताब (कटक): धन्यवाद, श्रीमान।

मैं श्री रूपचन्द मुर्मू के द्वारा देश में प्राकृतिक आपदाओं के बारे में नियम 193 के अंतर्गत शुरू की गई चर्चा में भाग लेने के लिए आज खड़ा हुआ हूं।

यह सही है कि आज की चर्चा का विषय सुनामी है किंतु इसके साथ-साथ अधिक तीव्रता वाली अन्य प्राकृतिक आपदाओं पर भी चर्चा किए जाने की जरूरत है।

यह देखकर बड़ी खुशी हुई है कि बारहवें वित्त आयोग ने अपनी रिपोर्ट में चक्रवात, सूखा, भूकंप, आग लगना, बाढ़ और ओलावृष्टि जैसी प्राकृतिक आपदाओं के अतिरिक्त कीट आक्रमण, भूस्खलन, हिमघाव और बादल फटने को प्राकृतिक आपदाओं के रूप में शामिल करने की सिफारिश की है। बारहवें वित्त आयोग की रिपोर्ट में इन प्राकृतिक आपदाओं की पहचान की गई है। सूखे से इतर अन्य सभी प्राकृतिक आपदाओं से गृह मंत्रालय निपटता है।

जैसा कि कुछ माननीय सदस्यों ने इस सभा में यह बताया है कि सूखा एक धीमी मौत है और इससे हमारे देश का काफी बड़ा भाग प्रभावित होता है किंतु सूखा प्रभावित क्षेत्रों की पहचान करने वाली प्रक्रिया में काफी समय लगता है। जब तक सरकार अथवा प्रशासन को सही स्थिति का पता लगता है, काफी हानि हो चुकी होती है। जिस प्रकार से चक्रवात, भूकंप, बाढ़ या किसी अन्य प्रकार की प्राकृतिक आपदाओं के संबंध में तत्काल राहत या बचाव कार्य किया जाता है, सूखे की स्थिति में तत्काल कोई राहत या बचाव कार्य नहीं किया जाता है। इसलिए मैं सरकार से इस पर विचार करने का आग्रह करता हूं।

बारहवें वित्त आयोग ने अपनी सिफारिश में इन सभी नई मदों को प्राकृतिक आपदा के रूप में शामिल करने का जो विचार प्रस्तुत किया है, उसे सरकार ने स्वीकार कर लिया है और इसे 1 अप्रैल, 2005 से आगामी 5 वर्षों के लिए लागू किया जा रहा है।

इससे उन विभिन्न राज्यों को काफी सहायता मिलेगी जो प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित हैं। हमने माननीय राष्ट्रपति के अभिभाषण और बाद में बजट में भी इस बारे में सुना है। यह प्रस्ताव किया गया है कि एक आपदा प्रबंधन प्राधिकरण बनाया जाए। तदनुसार एक संस्थागत तंत्र बनाने हेतु विधेयक लाया जा रहा है जिसमें निवारण और संताप उपाय हेतु शक्तियां होगी। उस आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के ये दो मुख्य पहलू होंगे और इससे विभिन्न प्रकार की आपदाओं के लिए तैयारी, क्षमता निर्माण और समन्वित प्रतिक्रिया हेतु तंत्र विकसित होगा। यह एक केन्द्रीय विधान होगा जिससे अंतर्गत माननीय प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण गठित किया जाएगा। हमें आशा है कि चालू बजट सत्र के पहले भाग में यथा प्रस्तावित आपदा प्रबंधन विधेयक, 2005 लाया जाएगा। चूंकि यह बजट सत्र के पहले भाग का अंतिम पूर्व दिन है, हमें आशा है कि इसे बजट सत्र के दूसरे भाग में लाया जाएगा। जब इस विधेयक पर इस सभा में चर्चा होगी तो हम उस पर विस्तार से चर्चा जरूर करेंगे। किंतु मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान इस ओर आकृष्ट करना चाहता हूं क्योंकि हिन्द महासागर के क्षेत्र वाले देशों चाहे वह इंडोनेशिया हो, मालदीव, श्रीलंका, थाइलैंड या अंडमान और निकोबार और हमारा देश हो, यहां जो आपदा आई थी वह काफी तीव्रता वाली थी। इसमें कोई संदेह नहीं है। किंतु कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पर इस स्तर पर विस्तार से चर्चा किए जाने की जरूरत है।

[श्री भर्तृहरि महताब]

यहां मैं आपके माध्यम से इस सभा का ध्यान घातक सुनामी की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। हमारी मानव सभ्यता के इतिहास में सर्वाधिक भीषण सुनामी 1883 में आई थी जिससे इंडोनेशिया का 'कराकटोया' ज्वालामुखी प्रभावित हुआ था और जिसमें लगभग 36,000 लोग मारे गए थे। सुनामी की रफ्तार में अंतर होता है। गहरे महासागर में सुनामी की गति तेज होती है। चिलियन सुनामी ने प्रशांत महासागर में और किसी द्वीप को प्रभावित किए बिना जापान को प्रभावित किया था। यह लगभग 22 घंटे तक सक्रिय रहा और इससे जापान में हजारों लोग मरे। हमारे पूर्वी तट अर्थात् कार निकोबार द्वीप पर इससे पहले 31 दिसम्बर, 1881, तथा 26 जून 1941 को और हाल ही में अर्थात् 26 दिसम्बर, 2004 को सुनामी आई थी। हिन्द महासागर की प्लेट के हिलने से भारतीय तटीय क्षेत्र में अगले 100 वर्षों तक ज्वार भाटा आता रहेगा। इसके फलस्वरूप केन्द्र और राज्य सरकारों को इन उच्च मूल्य वाले आर्थिक क्षेत्र को विनियमित करने हेतु सुदृढ़ नीतियों की जरूरत है।

हाल ही में तिरूवनंतपुरम स्थित महासागर प्रबंध संस्थान के निदेशक श्री एस. रामचन्द्र ने एक अन्य बात कही है। यह एक बहुत ही गंभीर मुद्दा है और मुझे आशा है कि सरकार इसका उत्तर देगी।

उन्होंने यह कहा है कि पृथ्वी के मुख्य भाग में परिवर्तन होने के कारणों में से एक कारण तेल और गैस का अन्वेषण करना है। मैं समझता हूं कि महासागर निकास मंत्रालय और विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, जो इससे सम्बद्ध हैं, इस मामले की जांच कर रहे हैं। उन्हें इस पर एक वक्तव्य देना चाहिए। हिन्द महासागर के क्षेत्र वाले देशों को इसकी जानकारी होनी चाहिए। इसमें कोई संदेह नहीं है कि हिन्द महासागर के क्षेत्र वाले अन्य पड़ोसी देशों की तुलना में भारत को कम नुकसान हुआ है क्योंकि हम पाते हैं कि गंगा बेसिन से एक गहरा नाला बंगाल की खाड़ी से गुजरते हुए बंगाल तट से मालद्वीव को जाता है जिससे हमारी मुख्य भूमि का काफी हद तक बचाव हुआ है।

किंतु इसके साथ-साथ मैं इस घटना, जिससे हम प्रभावित हुए हैं की तीव्रता की ओर ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। इस सुनामी से कार निकोबार में 'कैंपबेल बे' स्थित वायु और नौसेना अड्डे का अस्तित्व समाप्त हो गया है, इससे कलपक्कम स्थित परमाणु संयंत्र की सुरक्षा खतरे में पड़ गई है; इसने उड़ीसा में बालासोर स्थित अंतरिम परीक्षण स्थल पर व्यवधान पैदा किया है और इससे पूर्वी नौसेना कमान का काम प्रभावित हुआ है। जान-माल के नुकसान के अतिरिक्त इससे नुकसान भी हुआ है। ये कुछ मुख्य बाते हैं जिन पर ध्यान दिए जाने की भी जरूरत है। मैं समझता हूं कि सैन्य तैयारी के साथ-साथ नागरिक प्रशासन द्वारा आपदा प्रबंधन का गठन करने की भी आवश्यकता है।

अब मैं, एक दूसरे पहलू पर आता हूं। 1999 में उड़ीसा में आए भीषण तूफान से लेकर वर्ष 2001 में गुजरात के भुज इलाके में आए भूंकप तक, सूचना मिलने को सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रणाली माना गया जिससे और अधिक व्यावहारिक बनाये जाने की जरूरत है। भीषण तूफान और भूकंप ने हमारे देश की तैयारी प्रणाली में गंभीर सीमाओं को उद्घाटित किया है। भारत में कोई राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन नीति नहीं है। संकट के समय राज्य सरकार काम करती है और केन्द्र धन और सामग्री मुहैया कराता है। आपदा के दौरान विभिन्न मंत्रालय आपदा से निपटने के बजाय प्रशासनिक संकट पैदा कर देते हैं। आपदाओं को एक बार का संकट समझा जाता है और आपदा प्रबंधन एक गैर-योजनागत व्यय है। मैं समझता हूं कि सरकार को इन पांच बातों पर ध्यान देना चाहिए और समस्या को सुलझाने हेतु जल्दी से कदम उठाने चाहिए।

मैं यहां पर गृह मंत्रालय का ध्यान इस बात की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं कि एक सचिव स्तर के अधिकारी की जरूरत है जो आपदा का प्रभाव कम करने के काम को देखे। जब तक ऐसा नहीं किया जाएगा तब तक हम समस्या को समग्र रूप से नहीं निपटा सकते हैं।

सुमात्रा के तट पर आए भूकंप से सुनामी आई जिससे दक्षिण-पूर्व एशियाई देश प्रभावित हुए। हमारी मुख्य भूमि तक पहुंचने में इसे चार घंटे से अधिक समय लगा और चेन्नई को इससे सर्वाधिक नुकसान हुआ।

यदि तमिलनाडु और केरल तथा आंध्र प्रदेश के अन्य प्रभावित क्षेत्रों को सूचना दी जाती तो मैं समझता हूं कि काफी कम व्यक्तियों की मौत होती। अत: मैं इस बात पर बल दूंगा कि राज्य राहत और पुनर्वास विभाग को आपदा प्रबंधन विभाग में बदलने से तब तक कोई लाभ नहीं होगा जब तक वे आपदा प्रबंधन के समग्र चक्र अर्थात् बचाव, समस्या का प्रभाव कम होने, तैयारी, प्रतिक्रिया, राहत और पुनर्वास को देखने की जिम्मेदारी नहीं लेंगे। जब इन सभी छह पलुओं पर ध्यान दिया जाएगा केवल तभी हम प्राकृतिक आपदाओं से निपट सकते हैं।

एक प्राकृतिक आपदा और एक राष्ट्रीय आपदा, जिसे उच्च तीव्रता की प्राकृतिक आपदा माना जाता है, में भी अंतर होता है। मैं समझता हूं कि अन्य सदस्य इसके बारे में विस्तार से बोलेंगे। हम माननीय गृह मंत्री से एक अच्छे उत्तर की आशा करते हैं।

सभापति महोदय: कृपया अब अपना भाषण समाप्त कीजिए। काफी सदस्य इस विषय पर बोलना चाहते हैं। अत: काफी अधिक समय नहीं बचा है।

श्री भर्तृहरि महताब: महोदय, मैं यह बात कहकर अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं कि उड़ीसा सभी प्रकार की प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित है। उड़ीसा भी भूकंपीय क्षेत्र में आता है। इसलिए, जब राष्ट्रीय आपदाओं तथा एन सी सी एफ और सी आर एफ बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय महत्व की राष्ट्रीय आपदाओं पर भी कोई निर्णय लिया जाए तो उड़ीसा पर समुचित ध्यान दिया जाए।

***श्री एम. अप्पादुरई** (तेनकासी): महोदय, सबसे पहले मैं माननीय सभापति को मुझे अपनी पार्टी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की ओर से बोलने का अवसर देने के लिए धन्यवाद देना चाहूंगा। इस सभा में देश की प्राकृतिक आपदाओं के बारे में चर्चा नहीं की जा रही है। महोदय, एक महाद्वीप में कई देश होते हैं। परन्तु यदि कोई देश अपने आप में ही महाद्वीप है तो वह भारत है। यहां पूरे वर्ष बर्फ से ढके पहाड़ देखे जा सकते हैं। यहां विशाल रेगिस्तान हैं। काफी बड़ी तट रेखा भी है। हमारा देश उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में स्थित है जहां सभी तरह की मौसमी स्थिति देखने को मिलती है। हमारे यहां पश्चिमी घाट है जो कि विश्व की प्राचीन पर्वतीय शृंखलाओं में से एक है। हमारे यहां विश्व का नवीनतम पर्वतीय क्षेत्र हमारी हिमालय श्रृंखलाएं हैं। महोदय, मेरा निर्वाचन क्षेत्र तेनकासी देश की पश्चिमी पर्वतीय श्रृंखला में इसकी दक्षिणी शिखर की ओर स्थित है। मैं उस क्षेत्र के लोगों प्रतिनिधि हूं जो कि प्राचीन सभ्यता, एक प्राचीन प्रजाति और एक प्राचीन भाषा अर्थात तमिल संस्कृति और सभ्यता तमिल प्रजाति और तमिल भाषा का उद्गम है। पोधीगई पहाड़ियां जहां तमिल की शुरुआत हुई मेरी जगह के पास ही है। यहां प्राकृतिक संपदा की बहुलता है। शायद इसीलिए प्रकृति अपनी विनाशलीला भी दिखाती है क्योंकि हमारा पर्यावरण विस्तृत और अत्यंत परिवर्तनशील है। महोदय, स्वाभाविक है कि हमारे देश में सभी प्रकार की प्राकृतिक आपदाओं की आशंका रहती है क्योंकि इसकी भौगोलिक स्थिति ऐसी ही है। चक्रवाती तूफान, भूकंप, कभी-कभी सुनामी तथा हिमस्खलन, वर्षा और बाढ़ तथा सूखे जैसे संकट लोगों को तरह-तरह से प्रभावित करते हैं। इतिहास बताता है कि ज्वारीय लहरों ने प्राचीन काल के लैमुरिया अथवा कुमारी महाद्वीप को नष्ट कर दिया था जहां महान तमिल साम्राज्य था। सुनामी त्रासदी एक ऐसी भयानक आपदा है जिसकी ओर न केवल हमारे देश कें लोगों का ध्यान आकृष्ट हुआ है बल्कि पूरे विश्व समुदाय का इस ओर ध्यान आकृष्ट हुआ है। हम इसके प्रभाव और आवश्यक राहत मिशन की व्यापक रूप से चर्चा कर रहे हैं। महोदय, तूफानों, भूकंपों तथा सुनामियों से बिना किसी पूर्वानुमान के अचानक तबाही और बर्बादी हो जाती है। परन्तु वर्षा तथा बाढ़ और सूखे की पूर्व चेतावनी दी जा सकती है। अत: मैं केन्द्र तथा राज्य सरकारों से एक पूर्ण रूप से समन्वित व्यवहार्य प्रणाली सुनिश्चित करने के लिए सुधारात्मक उपाय करने का अनुरोध करता हूं। महोदय, यदि हमने समुद्र तट के साथ-साथ गरान के जंगल लगाए होते तो सुनामी का प्रभाव शायद काफी कम हो सकता था।

महोदय, प्रभावी जल प्रबंधन से बाढ़ों को रोका जा सकता है। सूखे का सामना मानसून न आने के तुरंत बाद समय पर हस्तक्षेप से किया जा सकता है। महोदय, सबसे बड़ी विध्वंसक त्रासदी सुनामी ने तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल तथा अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह के तटीय क्षेत्रों को प्रभावित किया है। हालांकि, सरकारी एजेंसियां जल्द न पहुंच सकीं। आम जनता और गैर-सरकारी संगठनों ने मदद भी की और उचित मानवीय दृष्टिकोण भी अपनाया। यदि हमने पहले ही समुद्र तटों पर चक्रवात शेल्टर बनाए होते तो हम सुनामी त्रासदी में जान-माल का नुकसान कम कर सकते थे तथा राहत कार्य को बेहतर तरीके से कर सकते थे। इसी तरह यदि हम भूकंप प्रवण क्षेत्रों की पहले ही प्रभावी रूप से पहचान कर लेते हैं तो उन क्षेत्रों में हम उचित प्रौद्योगिकी तथा तकनीकें अपनाकर एक उपयुक्त तरीके से घरों का निर्माण सुनिश्चित कर सकते हैं।

अपराह्न 4.54 बजे

[**उपाध्यक्ष महोदय** *पीठासीन* हुए]

मैं यह कहना चाहूंगा कि तबाहीग्रस्त स्थलों का माननीय प्रधान मंत्री, केन्द्रीय मंत्रियों तथा केन्द्रीय दलों द्वारा दौरा करने से तथा राहत उपायों की घोषणा करने से और निधियों के आवंटन से प्रभावित इलाकों के लोगों को सहानुभूति मिली और वे केन्द्र की सद्भावना से प्रभावित भी हुए।

भविष्य में संभावित सुनामी से हमारे तटीय क्षेत्रों को बचाने के लिए हमारे तटों पर एक बड़ी दीवार निर्मित करने का प्रस्ताव विचाराधीन है। मैं इससे सहमत नहीं हूं। बल्कि मैं एक चेतावनी देना चाहूंगा। मैं यह बताना चाहूंगा कि पोर्तो नोवा अथवा परंगीपेट्टाई में पुर्तगाली किले के आस-पास बनी दीवारों तथा मामल्लापुरम तटीय मंदिर के आस-पास सरकार द्वारा निर्मित लकड़ी की दीवार का क्या हाल हुआ। सुनामी के बाद पता चला कि हाल ही में निर्मित दीवार बह गई जबकि बरसों पुराने स्ट्रेक्चर्स जो कि एक विशिष्ट प्रौद्योगिकी से बनाया गए थे, बने रहे। तमिलनाडु के वर्तमान शासक पूरे तमिलनाडु तट पर दीवार बनाने में काफी दिलचस्पी तो दिखाते हैं लेकिन हो सकता है कि वे इसे यूंही समझकर इस पर ध्यान न देते हों क्योंकि उनकी नीयत साफ नहीं है। हो सकता है वे करोड़ों रुपया हथिया कर संपत्ति जोड़ने की सोच रहे हैं। हमारे लोकप्रिय कवि स्वर्गीय श्री पट्टुकोटाई कल्याण सुंदरम ने एक कविता गाकर सुनाई, जो इस प्रकार है: ''विधायक विधान बनाकर करते हैं चोरी खत्म करने का प्रयास, धोखेबाज है ये लूटेरों की फौज जो निरंतर निसंकोच लूटती है बेहिसाब।''

*मूलत: तमिल में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

[श्री एम. अप्पादुरई]

अत: मैं केन्द्र सरकार से इनकी चाल को समझने तथा गबन करने को आतुर लोगों को कोई मौका न देने और एक लम्बी तटीय दीवार बनाने की उनकी मांग न मानने का अनुरोध करता हूं।

हमें बाढ़ तथा सूखे के रूप में बार-बार आपदाओं का सामना करना पड़ता है। ये देश में एक साथ आकर तबाही मचाती हैं। जब देश के एक हिस्से में बाढ़ आ रही होती है तो कोई अन्य हिस्सा सूखे की चपेट में आ रहा होता है। महाकवि सुब्रमण्यम भारती के अनुसार भारत देश में सदा बहने वाली सदानीरा हैं। प्रत्येक वर्ष हम गंगा और ब्रह्मपुत्र दोनों नदियों के किनारों पर बाढ़ से प्रभावित लोगों के दुख-दर्द कम करने के लिए लाखों करोड़ों रुपये खर्च कर देते हैं। साथ ही तमिलनाडु के दक्षिणी राज्यों द्वारा सूखे तथा अकाल जैसी स्थितियों का सामना करने के लिए 1000 करोड़ रुपये की मांग की जाती है। यदि हमारे पास कार्यक्रम जल व्यवस्था तथा जल इंजीनियरिंग होती तो मैत्रीपूर्ण जल बंटवारा फार्मूले से जरिये ही बाढ़ की तबाही से बचा जा सकता था। इसीलिए एक भविष्यदृष्टा के रूप में हमारे राष्ट्रीय कवि भारती ने कहा था कि हम अपने देश को विशाल नदी गंगा को कावेरी के साथ जोड़कर देश की भूमि को उपजाऊ बना सकते हैं। आपसे गंगा और कावेरी को तुरंत जोड़ने का अनुरोध नहीं कर रहा हूं। परन्तु आप दक्षिण की नदियों को तुरंत जोड़ना शुरू कर सकते हैं। इससे दक्षिणी राज्यों के लोगों, विशेष रूप से सूखा प्रवण इलाकों में रहने वाले लोगों को मदद मिलेगी। मैं केन्द्र सरकार से इस संबंध में समन्वित प्रयास करने का अनुरोध करता हूं। महोदय, बाढ़ और सूखा दोनों की पहले से पूर्व चेतावनी तथा मूल्यांकन किया जा सकता है। जब मानसून नहीं आता है तो हम मान सकते हैं कि आने वाले महीनों में सूखे का खतरा हो सकता है। सूखे के दुष्प्रभावों को रोकने के लिए अभी भी समय पर हस्तक्षेप नहीं किया जाता है। क्या हम तुरंत कार्यवाही करते हैं? जब समय निकल जाता है तो हम सूखा राहत कार्य शुरू करते हैं। लेकिन इसी बीच किसानों और कृषि मजदूरों को लाखों-करोड़ों रुपये का भारी नुकसान हो जाता है। हमें कुछ रोकथाम के उपाय करने होंगे। इससे पहले कि आपदा और भीषण रूप ले, सरकार को सुरक्षात्मक रवैया अपनाना चाहिए। जल संसाधनों को बेहतर बनाकर, नहरों को सुचारू बनाकर और प्रभावी जल प्रबंधन सुनिश्चित करके हमारी अर्थव्यवस्था और गरीब लोगों की आर्थिक कार्यकलापों पर सूखे के कुप्रभाव को पड़ने से रोका जा सकता है। बड़ी जलाशय परियोजनाओं से कतिपय क्षेत्रों में सूखे की समस्या को समाप्त करने में हमें मदद मिली है। इसलिए मैं केन्द्र सरकार से इनका अनुपालन करने का अनुरोध करता हूं। माननीय सभापति महोदय, हाल की सुनामी आपदा ने हमें सबक सिखाया है।

महोदय, मुझे मेरा भाषण समाप्त करने के लिए कुछ और मिनट का समय दें।

सुनामी ने तो पाठ हमें यही पढ़ाया है कि किसी भी प्रकार की प्राकृतिक आपदा से निपटने के लिए तैयारी नाम की कोई व्यवस्था नहीं है। सुनामी यह दिखा चुकी है कि हमारा देश जरा भी तैयार नहीं है। महोदय, सरकारी योजनाओं के कार्यान्वयन से पूर्व मैं एक विशेष बात की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा जो मेरे प्रेक्षण पर आधारित है। मैं तटवर्ती नगर तूतीकोरीन में रहता हूं। मैंने व्यक्तिगत रूप से स्वयं सुनामी के कहर को देखा है। इससे पहले कि सरकार सहायता के लिए आती, देश भर के लोग जात-पात और सम्प्रदाय के भेदभाव को छोड़कर सहायता के लिए आ चुके थे। मानवतावाद की वर्षा होने लगी। महोदय, वित्त मंत्रालय में हमारे राज्य मंत्री ने इस सभा में कहा है कि हमारे देश में सुनामी द्वारा ढाये गये कहर से लगभग 11000 करोड़ रुपये की सम्पत्ति की क्षति होने की संभावना है। दिनांक 1 मार्च को, प्रश्न के उत्तर में गृह मंत्री जी ने यह वक्तव्य दिया कि विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत ऋण, राजसहायता और सहायता के रूप में प्रभावित क्षेत्रों को 8000 करोड़ रुपये की सहायता दी जाएगी। मेरा मानना है कि सुनामी द्वारा की गयी क्षति 11000 करोड़ रुपये से भी अधिक हो सकती है। मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि वह इनमें से किसी भी योजना को केवल कागज पर न रहने दें। इसे अवश्य कार्यान्वित करें और जरूरतमंद को समय पर इसका लाभ पहुंचायें। अधिकांश प्रभावित लोग गरीब मछुआरे हैं। हम यहां पर उनके पुनर्वास की सहायता देने के लिए हैं। स्थायी समाधान के लिए दीर्घकालिक योजनाओं से पुनर्वास संभव है।

महोदय, 25 दिसम्बर को क्रिसमस का दिन था। अगले दिन 26 दिसम्बर को रविवार था। इसी कारण हमारे बहुत से मछुआरे मछली पकड़ने समुद्र में नहीं गए थे। अन्यथा, मृतकों की संख्या में कई गुणा वृद्धि हुई होती और यह संख्या एक लाख अथवा उससे भी अधिक हो जाती।

अपना सब कुछ गंवा चुके सभी लोग ऋण अथवा राजसहायता प्राप्त नहीं कर सकते इसलिए उन्हें अपने जीवन को फिर से सुधारने के लिए पूरी सहायता मिलनी चाहिए।

इस अवसर पर मैं यह कहना चाहूंगा कि कुछ लोग सुनामी की ओर इशारा करके सेतु समुद्रम परियोजना को ठंडे बस्ते में डालने की कोशिश कर रहे हैं। मैं यह समझता हूं कि ऐसे विचार हमारे प्रधानमंत्री के कार्यालय से निकले हैं। सेतु समुद्रम परियोजना में और विलंब के किसी भी प्रयास का मैं सख्त विरोध करता हूं। यह नोट किया जाना चाहिए कि सुनामी ने वहां कम तबाही मचायी जहां समुद्र की गहराई अधिक थी। इसलिए सेतु समुद्रम

परियोजना की खुदाई द्वारा ही समुद्र की तलहटी को गहरा किया जा सकता है और इससे सुनामी के असर को कम किया जा सकता है।

इसलिए मैं यह कहना चाहूंगा कि सेतु समुद्रम परियोजना भविष्य में सुनामी के संभावित प्रभाव को रोक सकती है। इसलिए मैं सरकार से सेतु समुद्रम परियोजना को तत्काल कार्यान्वित करने का अनुरोध करता हूं। हमारी केन्द्र सरकार को आने वाले सभी समय में आपदा प्रबंधन के लिए प्रभावी निकाय स्थापित करना चाहिए। इसके लिए तीन मंत्रालयों में समन्वय की आवश्यकता है। इससे योजना और उसके कार्यान्वयन में विलंब होता है। इसलिए मैं सरकार से एक विशिष्ट मंत्रालय के रूप में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन मंत्रालय स्थापित करने का अनुरोध करता हूं। मैं सरकार से इस संबंध में गंभीरतापूर्वक विचार करने और इस सभा में विधेयक लाने का आग्रह करता हूं। महोदय, पीड़ित और प्रभावित हुए लोगों का बीमा होना चाहिए। इसी प्रकार सुनामी से प्रभावित किसानों के लिए फसल बीमा की तरह बीमा सुरक्षा होनी चाहिए। कोई भी आपदा हो, सबसे अधिक प्रभावित गरीब और मजदूर लोग होते हैं। ऐसे करोड़ों लोगों के आंसू अवश्य पोंछे जाने चाहिए। इसलिए मैं सरकार से समाज के गरीब तबकों को प्राकृतिक आपदा के हमले से बचाने हेतु प्रभावी कदम उठाने का अनुरोध करता हूं।

महोदय, इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

***श्री जोरा सिंह मान** (फिरोजपुर): उपाध्यक्ष महोदय, धन्यवाद कुछ समय पहले, पंजाब में अत्यधिक ओलावृष्टि हुई थी। अब भी, ओलावृष्टि की खबरें आ रही हैं। इसने किसानों को तबाह कर दिया है। गेहूं की खड़ी फसल पूरी तरह बर्बाद हो गयी है। पंजाब के किसानों की हालत पहले से ही दयनीय है। वे कर्ज में आकंठ डूबे हुए हैं और आत्महत्याएं कर रहे हैं। एक समय था जब किसान 'अन्नदाता' कहलाता था लेकिन अब वे दो जून की रोटी मुश्किल से जुटा पा रहे हैं। ओलावृष्टि ने उनकी आजीविका के साधन को छीन लिया है और उनके परिवार कष्ट में हैं। मेरे लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र में इतनी क्षति हुई है जिसकी भरपाई नहीं की जा सकती। खड़ी फसलें बर्बाद हो गयी हैं और किसान आहत हैं। उनके पास पैसा नहीं है। वे बीज नहीं खरीद सकते। वे उर्वरक नहीं खरीद सकते। किसानों की स्थिति दयनीय है। उनकी दुर्दशा को देखते हुए, मैं केन्द्र सरकार से पंजाब को विशेष पैकेज देने का आग्रह करता हूं ताकि किसानों को हुई क्षति की पर्याप्त क्षतिपूर्ति की जा सके। इसी से किसानों को उबारा जा सकता है और किसान भविष्य में इससे अच्छी फसल प्राप्त कर सकते हैं।

*मूलत: पंजाबी में दिए गए भाषण का अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

अपराह्न 5.00 बजे

[हिन्दी]

श्री कैलाश मेघवाल (टोंक): उपाध्यक्ष महोदय, आज हम प्राकृतिक आपदा पर चर्चा कर रहे हैं। हमारे गृह मंत्री जी इस मामले में थोड़ा भाग्यशाली हैं कि इस संबंध में जो विधेयक आने वाला है, उसमें आज की चर्चा कहीं न कहीं और किसी न किसी रूप में सार्थक सहयोग करेगी। हमारे देश में प्राचीन आपदायें आजादी से पहले और आजादी के बाद एक इतिहास रही हैं। यहां दो तरह की प्राकृतिक आपदायें हैं। एक तो वह जिनका हम अनुभव कर चुके हैं और दूसरी प्राकृतिक आपदा की आखिरी कड़ी सुनामी के रूप में जुड़ी है। यह प्राकृतिक आपदा जितनी भयानक और भयावह थी, आज से पहले कभी नजर नहीं आयी थी। हमारे यहां प्राकृतिक आपदायें आती रही हैं। अतिवृष्टि, बाढ़, सूखा आते रहे हैं। साइक्लोन, बर्फबारी आते रहे हैं। मैं आपसे इसलिए कह रहा हूं कि इन प्राकृतिक आपदाओं का हम अनुभव कर चुके हैं। इन अनुभवों के आधार पर एक कंसौलिडेटेड एक्ट आने वाला है। इससे कम से कम मनुष्य की चुभन की जो स्थिति बनी हुई है, वह एक्ट उसका समाधान करेगा, ऐसा मैं मानकर चलता हूं।

उपाध्यक्ष जी, हम प्रकृति की लीला को नहीं जानते। आज हम प्राकृतिक संसाधनों का उपभोग कर रहे हैं। उसके दो स्वरूप हैं। एक स्वरूप तो रीप्रोडक्शन का है, जिसमें हम अनाज पैदा करते हैं, खाते चले जाते हैं। दूसरा, हम ऐसे संसाधनों का दोहन कर रहे हैं जिससे पृथ्वी की संरचना में परिवर्तन आ रहा है। इस परिवर्तन से कब, क्या प्रतिक्रिया होगी, उसकी कल्पना न तो आप कर सकते हैं और न हम कर सकते हैं। हम जमीन से तेल निकाल रहे हैं, कोयला निकाल रहे हैं, वे चीजें वापस नहीं जाती हैं। ज्वालामुखी लावा निकल रहा है। भू-जल भी ले रहे हैं। इस तरह पृथ्वी की संरचना में परिवर्तन आ रहा है। पृथ्वी की उपजाऊ परत कम होती जा रही है। यह पानी को रोकने में, रीचार्ज करने में प्रोटैक्शन में बहुत योग कर सकती है। ऐसी स्थिति में बर्फ पिघल रही है, गलेशियर्स में परिवर्तन आ रहा है।

उपाध्यक्ष जी, आप क्या शास्त्रों में विश्वास करते हैं? उसमें हमारे यहां प्रलय की भी कल्पना की गई है। यह कब आयेगी, इस बारे में कोई कुछ नहीं कह सकता लेकिन मैं इतना ही निवेदन करना चाहूंगा कि इन सारी परिस्थितियों को देखकर हम मानव की पीड़ा जो प्राकृतिक आपदा में कम से कम करने में योग दे सकें, ऐसी स्थिति होनी चाहिए।

इस देश में न केवल केन्द्र बल्कि राज्य सरकारें भी प्राकृतिक आपदा से राहत देने के लिए खर्च कर रही हैं। मुझे इस बात का

[श्री कैलाश मेघवाल]

अफसोस होता है कि हम एक लाख करोड़ रुपया अब तक प्राकृतिक आपदाओं में राहत देने के नाम पर खर्च कर चुके हैं मगर इसका स्थायी हल आज तक हम लोग नहीं ढूंढ पाये हैं। अब यह आवश्यक हो गया है कि जिन नदियों में बाढ़ आती हैं और जो आइडैंटिफाई हो चुकी हैं, उन पर तटबंध बनने चाहिए। हमारा 100 साल का इतिहास है, एक रिकार्ड है कि नदियों में बाढ़ आती है, वह अपना रास्ता किस प्रकार और कहां निकालती रहती हैं जिससे बाढ़ की विनाशकारी लीला पैदा हो जाती है। ऐसी स्थिति में क्या हम कुछ नहीं कर सकते? नदियों में बाढ़ आती हैं, उसके लिए आवश्यक है कि उन पर तटबंध बनाये जायें या किस तरह पानी के प्रभाव को रोकने की स्थिति हम पैदा कर सकते हैं।

अभी माननीय सांसद बोल रहे थे कि प्राकृतिक आपदाओं की पहचान हो चुकी है, लेकिन हम उनका उपचार नहीं कर पा रहे हैं। यह हमारी व्यवस्था का फेल्योर है। प्रकृति ने हमें जितना ज्ञान दिया है उसके आधार पर हम इस फेल्योर को दूर कर सकते हैं। आज तक का आपदा राहत प्रबंधन का फार्मूला संतोषप्रद नहीं है। नवें फाइनेंस कमीशन के पहले केन्द्रीय सरकार की टीमें प्रभावित इलाकों में जाती थीं और उसके बाद धीरे-धीरे सहायता उपलब्ध करायी जाती थी। नवें फाइनेंस कमीशन ने फार्मूले बना दिये। दसवां फाइनेंस कमीशन उन्हीं के बनाए नियमों पर चला। ग्यारहवें फाइनेंस कमीशन ने उसी को थोड़ा बहुत संशोधन करके फालो किया। क्या ये सही फार्मूले हैं? फाइनेंस कमीशन के आधार पर हम प्राकृतिक आपदाओं के आकार का कैसे पता लगा सकते हैं? कितने विभत्स रूप में और कितने लोगों को आपदा प्रभावित करेगी, कितनी जन-धन की हानि होगी, उसका कभी पता नहीं चल सकता है। इसलिए आवश्यक है कि आज तक प्राकृतिक आपदा प्रबंधन के कार्यों से मार्गदर्शन लेकर, उनके अनुभवों को ध्यान में रखते हुए हमें एक नया फार्मूला निकालना चाहिए जिससे प्राकृतिक आपदा से मानव कम से कम पीड़ित हो और पशु तथा संपत्ति की क्षति में कमी लाई जा सके।

उपाध्यक्ष महोदय, मुझे आज तक समझ नहीं आया है कि प्राकृतिक आपदाओं में राज्य सरकार की भूमिका पर अविश्वास क्यों है। केन्द्रीय टीम को प्रभावित राज्यों में भेजने का क्या मतलब है? केन्द्रीय टीम नवें फाइनेंस कमीशन के पहले भी जाती रही है। वह कार्य अभी भी जारी है। केन्द्रीय मशीनरी पटवारी से पूछती है, तहसीदार से पूछती है, एसपीओ से पूछती है और राज्य सरकार के बड़े अधिकारियों से जानकारी लेती है। जब सारी जानकारी राज्य सरकार से ही प्राप्त करनी है, तो फिर राज्य सरकार पर अविश्वास क्यों है? मेरा मानना यह है कि यह अविश्वास की स्थिति समाप्त होनी चाहिए। राज्य भी अपनी मशीनरी रखता है। राज्य के अपने कर्मचारी हैं और राज्य सरकार जिस तरह का आकलन भेजती है उसे केन्द्रीय सरकार द्वारा तत्काल स्वीकार कर लेना चाहिए और जो प्रावधान हैं उन प्रावधानों की सीमा कम से कम प्राकृतिक आपदाओं के लिए नहीं होनी चाहिए। प्राकृतिक आपदा कहीं भी हो, किसी भी राज्य में हो जैसे गुजरात में विभत्स भूकंप आया था, अभी हाल में सुनामी त्रासदी हुई है। कई राज्यों द्वारा अपने आप मैनेजमेंट नहीं हो सकता है। राज्य सरकारों की अपनी समस्याएं भी होती हैं। उनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होती है, कई राज्य कर्जे में डूबे हुए हैं, ऐसी स्थिति में प्राकृति आपदा से मानव पीड़ित न हों, पशु पीड़ित न हों, सारे देश को आधार बना कर यह पहचान करके कि कहां किस चीज की आवश्यकता है इस पर निरंतर निगाह रखने की प्रक्रिया शुरू होनी चाहिए। इस क्रिया से जो परिणाम आएंगे और जो तथ्य सामने आएंगे उनको आधार बनाकर हमें प्राकृतिक आपदाओं से बचने की व्यवस्था करनी चाहिए और यह जो अभी का फार्मूला है यह फार्मूला ठीक नहीं है। इस प्रक्रिया को आपको छोड़ना पड़ेगा और प्राकृतिक आपदाओं से इंसान तो किसी तरह बच जाते हैं लेकिन अकाल जहां पड़ता है वहां पर पशु धन जिस तरह से नष्ट हो रहा है, पक्षी धन नष्ट हो रहा है, हमारे वातावरण को जिस तरह से अकाल प्रभावित कर रहा है उनको बचाना है। आज तक अकाल से बचने की पर्याप्त व्यवस्था नहीं हुई है। हमारा पशु धन हमारे देश का बहुत बड़ा आर्थिक आधार है। अगर इसी तरह से पशु धन समाप्त होता चला जाएगा तो हम समृद्धि की तरफ आगे नहीं बढ़ सकते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, यह बहुत बड़ा विषय है, क्योंकि हड़ताल भी हो जाती है, आन्दोलन भी हो जाते हैं, प्रदर्शन भी हो जाते हैं, मांग भी हो जाती है, लेकिन सब के आधार पर, पशु-धन को बचाने के लिए, पक्षी-धन को बचाने के लिए और पर्यावरण को बचाने के लिए जिस प्रकार के प्रभावी और प्रामाणिक कदम उठाने चाहिए, वे कदम आज तक नहीं उठाए गए।

महोदय, आप बार-बार घंटी बजा रहे हैं और समय भी काफी हो चुका है, इसलिए मैं अन्त में केवल इतना निवेदन करना चाहता हूं कि एक कॉम्पैक्ट, सार्थक और आज तक के अनुभवों के आधार पर एक ऐसा एक्ट लाया जाए जिससे सारे देश में जहां और जब भी कोई प्राकृतिक आपदा आए, उससे राहत मिले। यदि गृह मंत्री जी ऐसा एक्ट लाएंगे और ऐसी स्थिति पैदा करेंगे, तो यह देश आपका आभारी होगा। इतना ही बोलकर, मैं अपने शब्दों को विराम देता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय: मैं हाउस के सामने एक प्रॉब्लम रखना चाहता हूं।

[अनुवाद]

मेरे पास 30 से अधिक सदस्यों की सूची है जो बोलना चाहते हैं।

[हिन्दी]

अगर हम पांच मिनट लेंगे, तो भी मेरा ख्याल है कि डेढ़ घंटे से ज्यादा लग जाएंगे और यदि 10-10 मिनट लेंगे, तो तीन-चार घंटे लग जाएंगे। इसलिए मेरी ऑनरेबल मैम्बर्स से दर्ख्वास्त है कि वे अपनी स्पीच ले करना चाहें, तो सदन के पटल पर ले कर सकते हैं। ऐसी स्पीचें सदन के कार्यवाही का हिस्सा समझी जाएंगी।

मेरा निवेदन है कि माननीय सदस्य दो-दो और तीन-तीन मिनट में अपनी स्पीच समाप्त करें, तो मेरा ख्याल है कि अच्छा होगा।

[अनुवाद]

आपको यहां लम्बे समय तक बैठना होगा। इसलिए मैं आपसे सहयोग चाहता हूं। 30 से ज्यादा मैम्बरों की लिस्ट मेरे पास है। नैक्स्ट श्री आर. प्रभू। मैं चाहता हूं कि दो-तीन मिनट में आप खत्म कर दें।

[हिन्दी]

अगले वक्ता श्री आर. प्रभु हैं।

[अनुवाद]

श्री आर. प्रभु (नीलगिरि): उपाध्यक्ष महोदय, हम हाल ही में देश में आई एक प्रमुख राष्ट्रीय आपदा अर्थात सुनामी के परिप्रेक्ष्य में देश में प्राकृतिक आपदाओं के बारे में बहस कर रहे हैं। मेरे मित्रों ने सुनामी तथा अन्य प्राकृतिक आपदाओं के प्रभावों पर बहुत सटीकतापूर्वक चर्चा की है।

26 दिसम्बर को एक विशाल समुद्री लहर, जो अम्पायर स्टेट बिल्डिंग से ऊंची, पेट्रोनास टॉवर से भी लम्बी हवाई जहाज की गति से चलने वाली थी, ने तटीय भारत तथा श्रीलंका एवं अन्य तटीय देशों में आकर अपना कहर बरपाया। यह विध्वंसकारी लहर, अपने पीछे विध्वंस, विनाश, मौत, बेघर लोग, अपने प्रियजनों को खोने वाले लोग, अपने पति खोने वाली पत्नियों, अपने मां-बाप खोने वाले बच्चों को छोड़ गई है। इस प्रकार का विनाश एवं विध्वंस तूफान की अत्यधिक प्रचण्डता के कारण हुआ।

सुनामी तूफान आने के तुरंत बाद केन्द्र सरकार तुरन्त हरकत में आई। कांग्रेस अध्यक्षा एवम् संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन की राष्ट्रीय सलाहकार परिषद की अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी, माननीय प्रधानमंत्री, माननीय गृहमंत्री, माननीय कृषि मंत्री तथा विभिन्न मंत्रियों ने सुनामी प्रभावित इलाकों का व्यक्तिगत रूप से दौरा किया। संबंधित मुख्यमंत्रियों ने भी इलाकों का दौरा किया। अधिकांश राजनीतिक दलों के नेताओं ने इन इलाकों का दौरा किया। अति महत्वपूर्ण व्यक्तियों तथा महत्वपूर्ण व्यक्तियों का दौरा आपदा की प्रचण्डता की ओर ध्यान केन्द्रित करता है तथा अधिकारियों का ध्यान भी इस ओर केन्द्रित करता है कि वे यह सुनिश्चित करें कि पुनर्वास तथा राहत कार्य युद्ध स्तर पर किया जाये। मैं इस देश के लोगों के प्रति सम्मान व्यक्त करता हूं कि उन्होंने स्व प्रेरणा से तथा स्वेच्छा से सुनामी सहायता के लिए बहुत सी धनराशि का दान किया है। लोगों ने 2 रुपये, 5 रुपये भी दान में दिये हैं। जब आप समाचार-पत्रों को देखें तो छोटे प्रिंट के दान देने वाले लोगों के नाम के संबंध में आपके माध्यम से मैं सुनामी राहत के लिए दान देने वाले लोगों के प्रति धन्यवाद देना चाहता हूं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि सभा के अन्य माननीय सदस्य इसमें मेरा साथ देंगे।

दुर्भाग्यवश जब हम तमिलनाडु के जिलों का दौरा करते हैं तो पाते हैं कि सुनामी के तीन माह के पश्चात् भी राहत कार्य प्रारंभ नहीं हुए हैं। लोग अभी भी अस्थायी आवासों में रह रहे हैं। उनके मकान बनना प्रारंभ नहीं हुआ है। यहां मोल-भाव किया जा रहा है कि 35,000 रुपये पर्याप्त हैं या 40,000 रुपये पर्याप्त हैं या 50,000 रुपये पर्याप्त हैं। मेरा मंत्री जी से यह सुनिश्चित करने का अनुरोध है कि घरों की निर्माण लागत का समुचित आंकलन किया जाये क्योंकि दो कमरे वाले घरों का निर्माण किया जाना है। यदि यह निर्माण लागत 50,000 रुपये या 60,000 रुपये है तो कृपया यह सुनिश्चित करें कि इन लोगों के घरों के निर्माण के लिए धनराशि मुहैया हो।

महोदय, मैं तमिलनाडु राज्य का हूं और इसलिए मेरा अपना भाषण तमिलनाडु के सुनामी प्रभावित लोगों तथा वहां की समस्याओं के बारे में ही है। तटीय जिलों में मूलत: मछुआरे प्रभावित हुए हैं। इसलिए उन्हें राहत प्रदान करने के लिए हमें नावें प्रदान करनी हैं। पहले वाले लोगों में तो वे लोग हैं जिनके पास बड़ी यांत्रिकृत नावें हैं। दूसरे वाले लोगों में वे लोग हैं जिनके पास छोटी कैटमास हैं तथा तीसरे वे वाले लोग द्वितीयक हैं और वे मछलियां बेचते हैं। ये तीन प्रकार के लोग प्रभावित हुए हैं। अब लोग अस्थायी निवासों में रह रहे हैं, दान में दिया हुआ भोजन खा रहे हैं तथा कुछ राहत प्राप्त कर रहे हैं।

महोदय, एक समस्या और भी है। ये मछुआरे समुद्र में ज्वार हो या चाहे मौसम खराब हो। बिना किसी डर के समुद्र में मछली

[श्री आर. प्रभु]

पकड़ने हेतु जाया करते थे, लेकिन आज वे जब कभी समुद्र को देखते भी हैं तो उनमें भय की कम्पन्न होने लगती है। इसलिए राहत और पुनर्वास के साथ-साथ उन्हें मार्गदर्शन की भी आवश्यकता है। मार्गदर्शन उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। ये लोग अपना उत्पाद भी नहीं बेच पा रहे हैं क्योंकि लोग सोचते हैं कि वे इस तरह की मछली खायेंगे तो बीमार पड़ जाएंगे।

अब इन लोगों को घर उपलब्ध कराना होगा। वे समुद्र के आसपास जाने तथा वहां रहने से सहमे हुए हैं। वे समुद्र से दूर जा भी नहीं सकते हैं तथा वहां से दूर रह भी नहीं सकते हैं क्योंकि फिर वे मछली पकड़ने के लिए समुद्र में नहीं जा सकेंगे। इसलिए हमें उनके लिए मकान बनाने हेतु सर्वोत्तम स्थान का पता लगाना होगा। एक सुझाव यह है कि समुद्री तटों पर भारतीय नमक बोर्ड की काफी जमीन है तथा क्या बोर्ड घरों के निर्माण के लिए कुछ जमीन दान कर सकता है। माननीय मंत्री जी से अनुरोध है कि वे इस विचार पर गौर करें।

महोदय, एक और निर्वाचन क्षेत्र है जो प्रभावित हुआ है। समुद्रतटीय क्षेत्र में काफी संख्या में अनुसूचित जातियों के लोग तथा दलित लोग रहते हैं। वे भी प्रभावित हुए हैं। इसलिए उनका भी पुनर्वास तथा राहत कार्य शीघ्रतापूर्वक प्रारम्भ होना चाहिए।

विद्यार्थियों, युवकों तथा युवतियों और स्कूल जाने वाले लड़के एवं लड़कियों की भी समस्याएं हैं। यद्यपि तमिलनाडु सरकार ने अपनी परीक्षाएं एक माह के लिए आगे बढ़ा दी हैं, लेकिन अभी भी उन्हें मार्गदर्शन तथा उन पर ध्यान दिये जाने की आवश्यकता है ताकि वे अपना अध्ययन जारी रख सकें।

महोदय, मेरे मित्र श्री विजयन ने एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया कि किस प्रकार मंदिर का एक देवी देवता लाभार्थियों में से था और लोगों में से जिसे ही सहायता के लिए चुना गया था तथा दो वर्ष का एक बच्चा, तीन वर्ष का एक बच्चा तथा चार वर्ष के बच्चा भी लाभार्थियों में से था। लेकिन मेरे मित्र एक बात का उल्लेख करना भूल गए कि कोई व्यक्ति जो 25 वर्ष पूर्व मर चुका है उसका नाम भी राहत के लिए लाभार्थियों में है। इसलिए इस प्रकार की विसंगतियां तो रही हैं। मैं किसी पर आरोप नहीं लगा रहा हूं। तेनाकासी के मेरे मित्र ने बताया है कि वहां पर भ्रष्टाचार व्याप्त है। मैं तो केवल यही कह सकता हूं कि तमिलनाडु में केन्द्र तथा राज्य के बीच अहम का टकराव है। हमारी मुख्यमंत्री ने विधान सभा में यह कहते हुए केन्द्र सरकार तथा प्रधानमंत्री पर यह आरोप लगाया कि पर्याप्त राहत नहीं पहुंच रही है। राहत तो इस प्रकार के लोगों, अपनी पार्टी के सदस्यों को दान में दी जा रही है।

महोदय, यह प्रदान करने तथा यह सुनिश्चित करने का एक ही तरीका है कि राहत सही लोगों को मिले, उचित सुपुर्दगी प्रणाली हो, तथा लोगों तक राहत पहुंचाने के लिए यह आवश्यक भी है कि राहत तथा पुनर्वास कार्य हो और इसका विशेष प्रयोजन होना चाहिए।

हम धनराशि संग्रहण के बारे में बात करते हैं। हजारों करोड़ रुपये आवंटित किये जाते हैं। लेकिन क्या हम यह जानते हैं कि ये हजारों करोड़ रुपये पुनर्वास की आवश्यकता वाले उचित लोगों तक पहुंचते हैं। ऐसे लोगों की सही पहचान होनी चाहिए। इसलिए हमारे पास एक विशेष प्रयोजन वाला ऐसा कोई निकाय होना चाहिए जिसका अध्यक्ष कोई व्यक्ति या सेवानिवृत्ति नौकरशाह हो जो इस समय केन्द्र सरकार या राज्य सरकार का कर्मचारी न हो। यदि ऐसा होता है तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस प्रकार भी उचित सुपुर्दगी प्रणाली कार्य कर सकती है और यह देश में सभी प्रकार की आपदाओं के लिए आदर्श होगी। बहुत सारे हमारे मित्र उड़ीसा चक्रवात तथा भूकंप के बारे में कह रहे थे। इसलिए एक मॉडल का सृजन करना होगा। माननीय गृह मंत्री आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन करने वाले हैं। यह अच्छी बात है। इस प्राधिकरण का गठन होने दें। परन्तु इतनी बड़ी आपदा आने की स्थिति में, आपके पास प्रत्येक राज्य के लिए एक विशेष प्रयोजन वाहन होना चाहिए जो इस प्राधिकरण से सम्बद्ध हो। यह भविष्य के लिए एक मॉडल के रूप में हो।

महोदय, मैं एक या दो और बातें कह कर अपना भाषण समाप्त करूंगा। इस संबंध में काफी चर्चा की जा रही है कि सुनामी से वे स्थान प्रभावित नहीं होते हैं जिनके पास प्राकृतिक सुरक्षा उपलब्ध है। संसार के सृजन के साथ ही प्रत्येक चीज के लिए प्राकृतिक संरक्षण भी उपलब्ध है। माननीय राष्ट्रपति महोदय, आपदा के दूसरे दिन इडेन गार्डन में कोलकाता टैस्ट मैच जीतने के लिए अपने क्रिकेट खिलाड़ियों को बधाई दे रहे थे। हम कुम्बले की वजह से उस मैच जीत पाए।

उस मैच में कौन खेल रहा था। कुम्बले सुनामी के तांडव के समय मद्रास के निकट एक समुद्रतटीय सैरगाह में ठहरे हुए थे। सुनामी लहरें उन्हें बहा ले गयी होती। वह सिर्फ इस वजह से बच पाए क्योंकि समुद्र तट पर स्थित उस सैरगाह में साथ-साथ एक छोटी संकरी खाड़ी बनी हुई है। इस प्रकार, सुनामी का प्रकोप और लहरों की विकरालता कम हो गयी। वह इस तरह से बच सके। लोग समझते हैं कि हमारा मंदिरों का शहर रामेश्वरम और वेलांकन्नी संभवतः भगवद्कृपा से बच गये। परन्तु उनके बचने व प्रभावित न होने के वैज्ञानिक कारण भी हैं। वे प्रभावित इसलिए नहीं हुए क्योंकि वहां प्राकृतिक संरक्षण उपलब्ध है, प्रवाल भित्तियां है और नारियल के बाग हैं। इन्हीं कारणों से वे सुनामी से प्रभावित नहीं

हुए। इसलिए मेरा यह विनम्र निवेदन है कि हमें प्रकृति के साथ छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। जब हमारे पास प्राकृतिक संरक्षण उपलब्ध है, तो हमें अलग चीज का निर्माण करके संरक्षण देने की कोई जरूरत नहीं है। हमारे एक मुख्य मंत्री तमिलनाडु की 1700 कि.मी. लम्बे समुद्र तट पर दीवार का निर्माण करने की बात कर रहे हैं। महोदय, जैसा कि हमारे मित्र ने कहा है, यह मात्र भ्रष्टाचार की सुनामी पैदा करने जैसी बात है। इससे तमिलनाडु की जनता सुरक्षित नहीं होगी। कतिपय स्थानों पर जहां महासागरीय लहरों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से क्षरण जारी है, मैं ऐसे क्षरण को रोकने हेतु दीवार बनाए जाने की आवश्यकता को समझ सकता हूं। यह एक अच्छी बात है। परन्तु तमिलनाडु के समुद्र तट पर चीन की दीवार जैसी किसी दीवार का निर्माण करने से समुद्र तट की सुन्दरता और सम्पूर्ण पारिस्थितिकी को बर्बाद करने के अलावा और कुछ नहीं होगा।

अंततः, दक्षिण में एक लोक कहावत है। मुझे पता नहीं कि यह कपोल कल्पना है अथवा सच्चाई। परन्तु यह कहावत प्रचलित है कि जब अत्यधिक संख्या में छोटी लाल मछलियां जाल में फंसने लगें तो इसका तात्पर्य है कि महासागर के तल में कुछ घटित हो रहा है। इस प्रकार, मछुआरे इस स्थिति में समुद्र में नहीं जाएंगे। इस बार, काफी संख्या में इन लाल मछलियों के पकड़े जाने के बावजूद, मछुआरे समुद्र में गए और सुनामी का शिकार बने। हमारे पास कुछ चेतावनी प्रणाली होनी चाहिए। हमें दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों के साथ शामिल होना चाहिए और समुचित चेतावनी प्रणाली की विद्यमानता सुनिश्चित करनी चाहिए। जो भी लागत आए उसे हमें वहन करना चाहिए तथा यथाशीघ्र यह चेतावनी प्रणाली स्थापित की जानी चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय: अगले वक्ता श्री वरकला राधाकृष्णन हैं। यदि संभव हो तो वे कृपया अपनी बात पांच मिनट में समाप्त करें।

श्री वरकला राधाकृष्णन (चिरायिंकिल): महोदय, मैं काफी दुःखी मन से इस चर्चा में भाग ले रहा हूं। इस प्राकृतिक आपदा के तुरंत बाद मैंने केरल राज्य के और कन्याकुमारी जिले के समुद्रतटीय क्षेत्रों का दौरा किया था। हमने प्राकृतिक आपदाओं के बारे में सुना था। हमने समाचार पत्रों के माध्यम से उनके बारे में पढ़ा भी था। परन्तु यह प्राकृतिक आपदा ऐसी थी जिसके बारे में मानव इतिहास में सुनने को नहीं मिलता। यह त्रासदी अति अविश्वसनीय थी। हम अनेकानेक मनुष्यों के कष्टों को देख सकते थे मुझे एक ही दिन में 48 मृत व्यक्तियों के पार्थिव शरीर के दाह-संस्कार में भाग लेने का कटु अनुभव प्राप्त हुआ। मैंने एक गिरिजाघर और मस्जिद में दर्जनों मृत व्यक्तियों को दफनाते हुए देखा। मैंने कभी ऐसी कल्पना नहीं की थी कि मेरे जीवन में इस प्रकार चीजें देखने को मिलेंगी। यह कैसे घटित हुआ हमें इस बात का पता नहीं है। यह बताया गया कि अचानक समुद्र में अति विशाल लहरें उठीं और समुद्र तट से सब कुछ बहा ले गयीं। समुद्रतटीय क्षेत्रों में रहने वाले गरीब मछुआरों को सर्वाधिक भुगतना पड़ा। सुनामी के आने के ठीक पहले समुद्र का पानी सामान्य तौर पर पीछे हटा। तत्पश्चात् मछलियां बाहर आयीं, लोगों ने अचानक पानी को अपनी ओर आते हुए देखा और देखते ही देखते सब कुछ बहकर समुद्र में ले गया। अलेप्पी जिला में एक पंचायत है जिसकी लम्बाई 30 अथवा 40 कि.मी. है। पूर्वी छोर पर वे अप्रवाही जल का सामना कर रहे थे और पश्चिमी छोर पर अरब सागर है। वस्तुतः लोग गहरे समुद्र और महाविपत्ति के बीच फंसे थे। यदि वे पूरब की ओर दौड़ते तो अप्रवाही जल का शिकार बनते, यदि वे पश्चिम की ओर दौड़ते तो समुद्र में जाते। अलेप्पी जिले के अरतुपुझा में यही स्थिति थी। नुकसान इतना भयावह था कि हम इसका वर्णन नहीं कर सकते। इन सभी स्थानों पर ऐसी ही स्थिति थी। मैंने इन सभी स्थानों का दौरा किया। अधिकांश लोगों को यह भी पता नहीं है कि आखिर क्या हुआ था। लोगों के परिवार के सदस्य आज भी लापता है। केरल और कन्याकुमारी जिलों के समुद्र तट पर सदियों से रह रहे गरीब मछुआरों के मानसिक कष्ट व उनके दुःख का विकल्प कोई भी शब्द अथवा राहत कार्य नहीं हो सकता। मुझे ये सारी चीजें देखने को मिली। हम एक तथ्य को अवश्य महसूस करना चाहिए। हमने मानव जीवन के कष्टों के बारे में सुना है। परन्तु यह एक ऐसी त्रासदी है जिसका वर्णन शब्दों में नहीं किया जा सकता। इस प्रकार का अनुभव रहा।

जहां तक नुकसान का प्रश्न है अलेप्पी जिले में हुआ अनुमानित नुकसान करीब 2,253 करोड़ रुपये का है। मैंने इसे स्वयं देखा है। जिला समाहर्त्ता हम लोगों के साथ थे। ऐसा बहुत ही कम होता है जब लोग एक साथ बचाव कार्य में जुट जाएं। यह चर्चा का विषय है। काफी राहत उपाय किए गए। प्रतिष्ठित समाचार पत्रों, संस्थाओं ने राहत कार्य शुरू किया और राहत उपायों हेतु धन एकत्रित करना प्रारंभ किया। 'द हिन्दू', 'मलायाला मनोरमा' और 'देश अभिमानी' ने इस कोष हेतु पर्याप्त धनराशि एकत्र की। इन पूरी धनराशि को तटीय क्षेत्रों में राहत उपाय करने के लिए प्रदान किया गया। परन्तु राहत उपाय किये जाने अभी भी बाकी हैं। कन्याकुमारी जिले में मकान नहीं बनाए जा सके हैं। कुलाचल, सुचिन्द्रम, करुणागापल्ली, अलेप्पी और अन्य स्थानों के निकट हुई हानि का अंदाजा लगाना मुश्किल है। हम शब्दों के माध्यम से अथवा धन देकर इसकी भरपाई नहीं कर सकते। परन्तु भारी संख्या में लोग मानवीय भावनाओं से ओत-प्रोत होकर मदद के लिए आगे आए। लाखों लोग इन गरीब लोगों की मदद के लिए आगे आए परन्तु इतना ही पर्याप्त नहीं है। वे अपने घर गवां चुके हैं जिनका

[श्री वरकला राधाकृष्णन]

पुनर्निर्माण किया जाना आवश्यक है। मैं भारत सरकार से इस पर विचार करने का अनुरोध करता हूं।

क्विलोन जिले में 137 लोग तथा अलेप्पी जिले में 141 लोग मारे गए। मैं एक बात बताना चाहूंगा। समुद्री क्षरण प्रतिरोधक दीवार अथवा समुद्री दीवार की वजह से वे काफी कुछ बच गए हैं। यदि यह दीवार नहीं होती तो सम्पूर्ण इलाका जलमग्न हो गया होगा। समुद्री दीवार एक सुरक्षित उपाय है परन्तु यह निरापद उपाय नहीं है। जहां तक हमने अनुभव किया, समुद्री दीवार से काफी बचाव हुआ है। इसकी वजह से काफी संख्या में लोग बच गए। मैं समुद्रतट से सटी एक समुद्री दीवार का निर्माण करने हेतु एक पैकेज तैयार करने के लिए केन्द्र सरकार से अनुरोध करता हूं ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो और लोग सुरक्षित रह सकें।

अब समुद्रतटीय क्षेत्रों में रहना एक चुनौती बन गया है। लोग अभी भी इसके बारे में डर रहे हैं। मैं एक और बात का उल्लेख करना चाहता हूं। मत्स्य ग्रहण उद्योग भी बुरी तरह प्रतिकूल प्रभावित हुआ है। वर्तमान में मत्स्य ग्रहण का कोई कार्य नहीं हो रहा है। इन स्थानों से आधी मात्रा में भी मछली नहीं पकड़ी जा रही है तथा मछुआरों का कहना है कि पानी के नीचे की जमीन काफी कुछ क्षतिग्रस्त हो चुकी है और इन समुद्रतटीय क्षेत्रों में मत्स्य ग्रहण का कार्य संभव नहीं है। सुनामी के पश्चात् इन क्षेत्रों में मत्स्यन प्रतिकूल ढंग से प्रभावित हुआ है और यह जहां तक मछुआरा समुदाय का संबंध है यह अभी तक बड़ी समस्या है।

हमें इससे एक सबक सीखना चाहिए और हमें सुनामी आने से पहले जो मत्स्यन सुविधाएं उपलब्ध थी उन्हें पुनः स्थापित करने की सम्भावनाओं को तलाशना चाहिए। सरकार को इस मामले पर गम्भीर दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। मैं यह उल्लेख करना चाहता हूं कि केरल झींगा पकड़ने का प्रसिद्ध स्थान है: हम इसे चकारा कहते हैं। लोग इससे काफी धन अर्जित करते हैं। हजारों मछुआरे अलेप्पी तट पर एकत्र होकर इन्हें पकड़ते हैं। चकारा वहां बहुत प्रचलित नाम है और झींगों का पालन किया जाता है। किन्तु इस बार सुनामी की वजह से इस पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।

मैंने समुद्र के स्तर को एक निश्चित स्तर से ऊपर उठते भी देखा है। यह बहुत कटु अनुभव है। मैं केन्द्र सरकार और अन्य संबंधित प्राधिकारियों से अनुरोध करता हूं कि जो भी सम्भव हो वह करें। मैंने माता अमृताआनंदमयी, दैविक महिला, जो मछुआरा समुदाय से संबंध रखती हैं, उनका उल्लेख किया था। उन्होंने अपने भक्तों के माध्यम से करोड़ों रुपये एकत्र किये। जिसका उपयोग निर्धन लोगों हेतु आवास निर्माण में किया जा रहा है। मैं केन्द्र सरकार से अनुरोध करता हूं कि जो भी सम्भव हो वह एकत्र करें, तथा इन लोगों को साहस और सुरक्षा की भावना प्रदान करें। मैंने माननीय गृह मंत्री से इन पक्षों पर विचार करने का अनुरोध किया था। इन धनराशियों का उपयोग अन्यत्र नहीं किया जाना चाहिए। राज्य सरकारों द्वारा इस धनराशि का अन्यत्र उपयोग किया जा रहा है, इसकी अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। सम्पूर्ण धनराशि सुनामी पीड़ितों के पुनर्वास पर व्यय की जानी चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद।

उपाध्यक्ष महोदय: श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव, कृपया संक्षेप में अपनी बात कहें। आपके पास केवल पांच मिनट हैं। मेरे पास 30 से अधिक वक्ताओं की सारणी है। अन्यथा, हमें 11.00 बजे रात्रि तक बैठना होगा।

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव (झंझारपुर): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके आदेश का अनुपालन करने की कोशिश करूंगा। ...*(व्यवधान)* आज सदन में प्राकृतिक आपदा पर जो चर्चा हो रही है, यह संवेदनशील मामला है। यह विषय ही बहुत संवेदनशील है। ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: मैं आपकी बात से ऐग्री करता हूं।

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव: महोदय, 26 दिसम्बर 2004 को जिस तरह सुबह गत चार दशकों में आए विश्व के भीषणतम भूकम्पों से भी बड़े भूकम्प के कारण जो सुनामी लहर हुई है, उसके चलते उस क्षेत्र के तटीय इलाकों में कहर ढा गया और उस कहर से मौत और बर्बादी का मंजर सामने है। भारत सहित दक्षिण पूर्व एशिया में उस समय हजारों लोग काल के गाल में समा गए। इंडोनेशिया के बाद श्रीलंका ही एक ऐसा द्वीपीय राष्ट्र था जहां जान-माल की सबसे अधिक क्षति हुई। मालदीव, मलेशिया, म्यांमार, बंगलादेश, सोमालिया, केन्या, तंजानिया, सैशल्स आदि सभी जगह सुनामी के कारण काफी क्षति हुई। लेकिन भारत के पूर्वी तटों विशेषकर नागापट्टनम और अंडमान-निकोबार के द्वीपों में अधिकतम विनाशलीला हुई। केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पांडिचेरी और उसके तटीय क्षेत्रों में जान-माल की काफी क्षति हुई। अभी तक जो अनुमान है, ऐग्जैक्ट फिगर नहीं कही जा सकती, कितने मछुआरे मारे गए, समुद्र के तट पर बसे हुए लोगों को मौत में मुंह में जाना पड़ा। अनुमान है कि दस हजार लोगों की जानें गई हैं और लाखों लोग विस्थापित हुए हैं जिनमें ज्यादातर गरीब मछुआरे हैं। उनका आकलन सही नहीं हो सकता। अनुमान से जो आंकड़े बताए गए, ऐसा कहा जाता है कि 69 हजार करोड़ रुपये

की सम्पत्ति की भी क्षति हुई है। देश में आए हुए अभूतपूर्व राष्ट्रीय संकट के बावजूद भी सुनामी से तबाह पड़ोसी देशों के आंसू पोंछने का काम भारत ने किया। यह एक सराहनीय कदम है। साथ ही ऐसी अभूतपूर्व स्थिति में, विपदा और आपदा की स्थिति में इतनी बड़ी प्राकृतिक आपदा से निपटने के लिए भारत ने विदेशी सहायता लेना अस्वीकार किया। मैं समझता हूं कि आपने देश के स्वाभिमान का नया कीर्तिमान स्थापित किया है। मैं इस बात के लिए यूपीए सरकार की सबसे ज्यादा प्रशंसा करता हूं। आपने देश के स्वाभिमान के झंडे को ऊंचा किया है, मजबूत किया है। क्योंकि इस देश में जो पुरुषार्थ है, उसे आपने खैरात पसंद नहीं बनने दिया। अपने देश में जो संसाधन हैं, पीड़ित मानवता की सेवा करने की क्षमता है, उस पर आपने काफी मजबूती से काम किया। आपको बाहर के देशों से कहा गया कि आप प्राकृतिक आपदा से निपटने के लिए जो भी सहायता चाहें, वह हमसे ले लीजिए। लेकिन भारत सरकार ने, संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन की जो सरकार है, उसने बड़ी विनम्रता के साथ कहा कि इतनी बड़ी प्राकृतिक आपदा से निपटने के लिए हम विदेशी सहायता नहीं लेंगे। सरकार की ओर से यह भी कहा गया कि फिलहाल उसे सहायता और पुनर्वास के लिए विदेशी मदद की जरूरत नहीं है। यह अच्छी बात है।

मैं इस बात को कहना चाहता हूं कि जिस तरह से देश ने आपदा प्रबंधन मैनेजमेंट बनाने की कोशिश की है, मैं नहीं कहता कि पर्याप्त मैनेजमेंट हो गया, पर्याप्त आपदा का मुकाबला हो गया लेकिन आपदा में फंसे अन्य देशों की सहायता भी आपने की। हमारे देश ने आपदा में फंसते हुए भी अड़ोस-पड़ोस के देशों को जो सुनामी लहरों के चलते पीड़ित थे, उनकी भी सहायता करने का काम किया। यह एक सराहनीय काम है। मैं समझता हूं कि पूरी दुनिया में अगर किसी देश को खैरात देने की बात करें, रिलीफ फंड बनाने की बात करें, तो वह उसे स्वीकार करके कामयाबी मानता है। लेकिन अकेले भारत ने जो स्टैंड लिया है, निश्चित रूप से वह सराहनीय स्टैंड है कि अपने देश में जितनी दौलत है, जितने भी संसाधन हैं, उसकी बदौलत आपने पुनर्वास के साथ-साथ दूसरे देशों को जो सहायता देनी थी, उस सहायता को आपने अंजाम देने का काम किया।

प्राकृतिक आपदा का आखिर निजात क्या है? इस बारे में कई सजेशन्स माननीय सदस्यों के आये। लेकिन उसके लिए कोई स्थायी उपाय नहीं है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि परमानेंट सॉल्यूशन होना चाहिए। एक फॉरकास्टिंग नेटवर्क चेतावनी प्रणाली को यहां विकसित करना होगा कि जो क्षति हो रही है, उस क्षति में कमी कैसे आये, इसकी पूर्व सूचना कैसे प्राप्त हो जाये। विज्ञान, साइंस टेक्नोलॉजी बहुत डेवलप कर गयी है इसलिए पूर्व फॉरकास्ट नेटवर्क स्थापित होना चाहिए।

मैं इस संबंध में कुछ सुझाव देना चाहता हूं। चूंकि इसी तरह की घटना बिहार में हर साल आती है। बिहार में छः महीने बाढ़ और छः महीने सुखाड़ रहता है। उत्तरी बिहार के 21 जिले पूरी तरह से बाढ़ में डूब जाते हैं। देश में प्राकृतिक आपदा आती है तो उसकी कोई सूचना नहीं होती। बाढ़ से तटबंध टूट जाते हैं, घर उजड़ जाते हैं तथा करोड़ों रुपये की फसल बर्बाद होती है। वहां कमलाबालान, कोसी, बागमती आदि नदियां तबाही मचाती हैं। वहां नेपाल से पानी आता है। मेरा निवेदन है कि वहां परमानेंट स्थायी समाधान का एक रास्ता मल्टीपरपस हाई लैवल डैम बनाने का निकला था। इसकी डीपीआर बनाने के लिए सरकार ने पहल की है। इसके तहत विराटनगर में ज्वाइंट प्रोजैक्ट कार्यालय खोलने की बात की गयी है। नेपाल और भारत के सीमावर्ती इलाके में जो जल अधिग्रहण क्षेत्र है, उन सात इलाकों में ज्वाइंट प्रोजैक्ट कार्यालय खोलने की बात हुई थी। अभी 17 अगस्त को जब यह सरकार आयी तो उसने कुछ कार्यालय खोले हैं लेकिन अभी भी कुछ कार्यालय खोलने बाकी हैं। उन कार्यालयों में डिटेल्ड प्रोजैक्ट रिपोर्ट बनेगी ताकि बाढ़ का स्थायी समाधान निकल सके। ऐसी संभावना है कि उन नदियों से 3300 मेगावाट हाइड्रो इलैक्ट्रिक पैदा होगी। उससे देश में खासकर बाढ़ पीड़ित सात राज्य हैं चाहे असम हो, पश्चिम बंगाल हो, उड़ीसा हो, बिहार और कुछ भाग उत्तर प्रदेश के हैं, उन राज्यों को हाइड्रो इलैक्ट्रिक सस्ती दर पर यानी 17 पैसे यूनिट पर मिल सकती है।

मैं एक सुझाव देना चाहता हूं कि डिजास्टर मैनेजमेंट के नाम पर हर साल अपने देश में 10 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा का खर्च होता है। अभी सुनामी के नाम पर 500 करोड़ रुपये प्राकृतिक आपदा कोष या आकस्मिक आपदा कोष में बढ़ाये गये हैं। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस पर जोर दिया जाये और लोगों को रिलीफ मैनडेट नहीं बनाया जाये। अभी दुख का समय है।

दुख का समय है, ठीक है। लेकिन भोजन के लिए, रसद के लिए, पैकेट या पॉलिथीन आदि क्या-क्या बांटा जाता है, इस पर ज्यादा जोर नहीं देकर, इसका स्थायी समाधान निकालने के लिए जोर देना चाहिए। उसके लिए योजना बनाई जानी चाहिए ताकि प्राकृतिक आपदा के नाम पर देश के जो दस हजार करोड़ रुपये खर्च होते हैं, सही कार्यों में लग सके। महोदय, जब कोई व्यक्ति पानी से डूबकर मर जाता है तो यह नियम है कि उसे 50,000 रुपए देने पड़ते हैं और अगर घर बर्बाद हो जाता है तो उसे घर बनाने के लिए पैसा देना पड़ता है। इसके अतिरिक्त देश के सूखे से प्रभावित 11 राज्यों में जो फूड फार वर्क प्रोग्राम चलाया जाता है, इसी प्रकार सूखा प्रभावित राज्यों के लिए चलाए जाने वाले कार्यक्रमों के लिए भी हमें पेमेण्ट करना पड़ता है। इसलिए मैं समझता हूं कि इस पर अधिक जोर देकर जनता को रिलीफ माइण्डेड नहीं बनाया जाना चाहिए। केन्द्र सरकार का सुनामी के

[श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव]

संबंध में जो एप्रोच रहा है, वह काबिले तारीफ है, लेकिन जनता को रिलीफ माइण्डेड नहीं बनाया जाना चाहिए अन्यथा यह देश पुरुषार्थहीन हो जोगा। यह देश अपनी ताकत पर अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो पाएगा। इसलिए आपदा के समय भी इस देश को रिलीफ माइण्डेड नहीं बनाया जाना चाहिए। उनके अधिकारों की और उनको जो क्षति हुई है उसका स्थायी समाधान निकालने की व्यवस्था होनी चाहिए, यही बेहतर समाधान होगा। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि चेतावनी प्रणाली को विकसित किया जाना चाहिए। जब भूकम्प, सुनामी जैसी प्राकृतिक आपदाओं का हमें पूर्वानुमान हो सकेगा, पहले ही उसका एसेसमेंट हो जाएगा तो जान-माल की क्षति की रक्षा की जा सकेगी और जो दस-दस हजार लोग मर जाते हैं, वह क्षति नहीं हो पाएगी। आज जब साइंस एण्ड टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप हो गयी है, हमें ऐसी चेतावनी प्रणाली का विकास करना चाहिए। इसीलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि प्राकृतिक आपदाओं का स्थायी समाधान ढूंढने का प्रयास करना चाहिए और देश के पैसे को बर्बाद नहीं किया जाना चाहिए। हमें योजना बनाकर इस पैसे को सही रास्ते पर चलते हुए खर्च करना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

[अनुवाद]

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा महासागर विकास विभाग के राज्य मंत्री (श्री कपिल सिब्बल): उपाध्यक्ष महोदय, यह अवसर देने के लिए धन्यवाद। इस महत्वपूर्ण वाद-विवाद में भाग लेना मैं अपना सौभाग्य समझता हूं।

महोदय, मैं केवल सुनामी के बारे में अपनी टिप्पणियां नहीं करूंगा। वास्तव में मुद्दा यह है कि प्राकृतिक आपदाएं कई तरह की होती हैं। मानव द्वारा पैदा की गई आपदाएं भी हैं। एक राष्ट्र के रूप में हमें सभी प्रकार की आपदाओं से परिचित होना चाहिए और उनके लिए तैयार होना चाहिए ताकि हम इन आपदाओं का प्रभाव जहां तक सम्भव हो कम कर सकें।

महोदय, मैं आपका ध्यान हिमालय अल्पाइन फाल्ट श्रृंखला की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। हिमालय अल्पाइन फॉल्ट श्रृंखला जावा और सुमात्रा से आरम्भ होकर हिमालय से होकर अल्पाइन श्रृंखला तक जाती है। इस हिमालय अल्पाइन फॉल्ट श्रृंखला का बहुत छोटा सा हिस्सा महासागर में भी है। इसका शेष हिस्सा भूमि पर, हिमालय के साथ है। इन फॉल्ट लाइन का कारण यह है कि भारत का पूर्वी तट विगत में अंटार्कटिक के पूर्वी भाग का हिस्सा था। अरबों वर्ष पहले वे एक साथ जुड़ गए थे। वर्षों पूर्व यह प्लेट टूट गई और लाखों वर्षों बाद भारतीय उपमहाद्वीप की संरचना हुई।

महोदय, तथ्य यह है कि भारतीय उपमहाद्वीप लगातार बर्मा प्लेट को धक्का दे रहा है और बारम्बार यही घर्षण बारम्बार भूकम्पों का असली कारण है। इन प्लेटों की स्थिति में पांच सेंटीमीटर वार्षिक तक का परिवर्तन आ जाता है। वास्तव में, हमने अंटार्कटिका में इसी की गणना की है। अंटार्कटिका में हम जो कर रहे हैं उसमें एक कार्य यह देखना है कि अंटार्कटिका और इस फॉल्ट श्रृंखला के बीच की दूरी को नापना और क्या यह दूरी प्रति वर्ष बढ़ रही है और कितनी बढ़ रही है। इससे हमें यह पता चल जायेगा कि यह प्लेट किस गति से बर्मा प्लेट की ओर घिसक रही है।

इस गति और दबाव से भूकम्प आते हैं। जैसा कि मैंने कहा है भूकम्प एक सतत प्रक्रिया है। ये इस लिए आते हैं क्योंकि यह प्लेट लगातार चल रही है और दबाल डाल रही है। अब ऐसी स्थिति में कब और किस स्थान पर हिमालय अल्पाइन श्रृंखला का दबाव विनाशकारी भूकम्प में परिवर्तित हो जायेगा इसका अंदाजा लगाना असम्भव है। इसलिए, कोई भी सभ्यता ऐसी किसी वैज्ञानिक पद्धति का निर्धारण नहीं कर पाई है जो यह बता सके कि भूकम्प कब और कहां आयेगा। इसका परिणाम यह होता है हम हमेशा इस बारे में अंजान रहते हैं।

भूकम्प और सुनामी में एक सम्बन्ध है। मैं उसका उल्लेख इस सभा के माननीय सदस्यों के समक्ष करना चाहूंगा। यह संबंध निम्नलिखित है।

प्रत्येक भूकम्प से सुनामी उत्पन्न नहीं होती है। रिक्टर पैमाने पर 7 से ऊपर वाले भूकम्प सुनामी का कारण हो सकते हैं किन्तु रिक्टर पैमाने पर 7 से ऊपर वाले सभी भूकम्प सुनामी उत्पन्न नहीं करते हैं। सुनामी का कारण भूकम्प हो सकते हैं। समुद्र के नीचे ज्वालामुखी फटने से भी सुनामी उत्पन्न हो सकती हैं। इसका कारण उल्काओं का गिरना अथवा ऐसी कोई प्राकृतिक घटना जिसे हम अभी तक समझ नहीं पाते हैं, हो सकती है। किन्तु जब भी ऐसा होता है तो अरबों टन पानी उर्ध्वाधर रूप से हटता है। महासागरीय संरचना के सैकड़ों किलोमीटर पानी को उर्ध्वाधर रूप से पानी को हटाकर कुछेक मीटर डूब जाते हैं। इस प्रकार हटा हुआ पानी साम्य की स्थिति बनाना चाहता है। यह प्रकृति का नियम है। और जब पानी अपनी साम्य स्थिति चाहता है तो तरंगें उत्पन्न होती है। इसलिए, तो हम ऐसे भूकम्प का पूर्वानुमान लगा सकते हैं जो सुनामी का कारण होते हैं। हम विस्थापित पानी की मात्रा को नहीं जानते हैं और नहीं जानते थे जिससे सुनामी उत्पन्न होती है।

ऐसे में सुनामी का पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। सौभाग्य से वैज्ञानिक तरीके से इसका पूर्वानुमान किया जा सकता है। किन्तु

मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि प्रशांत महासागर में यूनेस्को के अंतर्गत देशों का एक समूह है जिसने प्रशान्त महासागर में सुनामी आने की पूर्वसूचना देने वाला तन्त्र स्थापित कर रखा है। किन्तु प्रशांत महासागर में सभी चेतावनियों की 60 प्रतिशत सूचनाएं झूठी सिद्ध होती है। इस समस्या को देखते हुए, भारत सरकार ने यह निर्णय लिया है कि हम ऐसी प्रणाली की स्थापना करें जो प्रशान्त सुनामी चेतावनी प्रणाली से अधिक कारगर हो। वास्तव में, हमें एक ऐसी प्रणाली स्थापित करनी होगी जो हमें सही समय पर यह बता सके कि सुनामी कब उत्पन्न होगी, यह किस प्रकार चल रही है, इसकी गति क्या है, देश के विभिन्न भागों से यह कब टकरायेगी और जब यह टकरायेगी तो किस प्रकार की क्षति होगी। इसके लिए, हमें कुछ प्रौद्योगिकियों की आवश्यकता है। सर्वप्रथम, हमें बॉटम प्रेशर रिकार्डर की आवश्यकता है।

श्री तथागत सत्पथी (ढेंकानाल): महोदय मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूं। मंत्री जी का भाषण बहुत ही रुचि कर और ज्ञानवर्धक है। हम इस भाषण से कई बातें सीख रहे हैं *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: जब संबंधित मंत्री बोले तो आप अपने स्पष्टीकरण पूछ सकते हैं। कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

*...(व्यवधान)**

श्री तथागत सत्पथी: ऐसी समाचार रिपोर्ट प्राप्त हुई थी कि मौसम विभाग को दो घंटे पहले सुनामी और भूकम्प के भारतीय तट पर आने के बारे में पता चल गया था। किन्तु उन्होंने संबंधित मंत्री के बजाय भूतपूर्व मंत्री जी को पत्र फैक्स कर दिया। क्या यह सही है? यह बहुत क्लिष्ट भाषण है। यदि उस स्तर पर त्रुटि करते हैं तो हम कल्पना कर सकते हैं कि हमारी स्थिति क्या है।

श्री कपिल सिब्बल: मैं सोचता हूं कि माननीय सदस्य ने एक ही वाक्य में इस मुद्दे पर जिस स्तर पर वाद-विवाद चल रहा था उसका स्तर घटा दिया है। इसलिए, मैं उन्हें उत्तर नहीं देना चाहूंगा। हमें इस मुद्दे पर वृहत स्तर पर विचार करना चाहिए क्योंकि यह एक राष्ट्रीय मुद्दा है और मैं केवल सुनामी के बारे में बात नहीं कर रहा हूं। मैं सभी प्राकृतिक आपदाओं की बात कर रहा हूं। हम वाद-विवाद का स्तर इन बातों से कम नहीं करना चाहिए कि किसने किसे फैक्स भेजा। हम इस मुद्दे पर आज चर्चा नहीं कर रहे हैं। प्रबुद्ध सदस्य प्रश्न पूछ सकते हैं और मैं उन्हें प्रश्न काल में उत्तर देकर प्रसन्न होऊंगा। अब मुझे अपनी बात जारी रखने दे *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: संबंधित मंत्री उत्तर देंगे। वह स्पष्टीकरण देंगे।

...(व्यवधान)

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री कपिल सिब्बल: मुझे सभा से बाहर उन्हें यह जानकारी देने में बहुत प्रसन्नता होगी *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: इसे कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाना चाहिए।

*...(व्यवधान)**

श्री कपिल सिब्बल: उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कह रहा था कि हमारे पास भी आज सुनामी चेतावनी प्रणाली स्थापित करने के लिए विज्ञान है। यह प्रशान्त सुनामी चेतावनी प्रणाली से अधिक प्रभावी होगी। हमारे पास समुद्रतल प्रेशर रिकॉर्डर्स हैं। वे ऐसे उपकरण हैं जिन्हें समुद्र की तह में लगाया जाता है जोकि ध्वनि तरंगे भेजते हैं जिन्हें समुद्र की सतह पर डाटा बोनस के नाम से जाना जाता है। जब भी समुद्र के तल में दबाव में परिवर्तन होता है तो यह ध्वनि तरंगे समुद्र की सतह पर डाटा बोनस को उस परिवर्तन की सूचना देती है। बाद में उपग्रह को इसकी सूचना मिलती है जोकि संबंधित डाटा को भू-केन्द्र भेजता है, ताकि हम समुद्र के लगभग छह किलोमीटर नीचे, समुद्र तल में दबाव में हुए वास्तविक परिवर्तन, वास्तविक समय लगभग वास्तविक समय की जानकारी मिल सके। इसलिए जब भी सुनामी आएगी और भूमि की सतह सीधी मुड़ेगी और उसके परिणामस्वरूप अरबों टन पानी अपना स्थान बदलेगा तो हमें तुरन्त इसकी जानकारी मिल जाएगी। अब, यह सुनामी चेतावनी प्रणाली अथवा ये समुद्र तल प्रेशर रिकॉडर्स बाजार में उपलब्ध हैं। इन्हें डार्ट कहा जाता है। हम उन्हें खरीद सकते हैं। यह प्रौद्योगिकी उपलब्ध है। यह समस्या नहीं है। समस्या थोड़ी जटिल हुई है। हो सकता है कि आपको सुनामी के आने के बारे में पता हो। हो सकता है कि आपको सुनामी की गति की जानकारी भी हो। परन्तु यह जानना बहुत कठिन है कि यह तट के किस भाग पर कब पहुंचेगी तथा तट के किस भाग पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा क्योंकि सुनामी जावा से लेकर हिमालय तक या फिर वास्तव में म्यांमार तक फैली फॉल्टलाइन के विभिन्न भागों तक आ सकती है क्योंकि तटरेखा समुद्र जुड़ी हुई है। हमें अनुमान लगाना होगा कि यदि किसी स्थान पर सुनामी आती है तथा हमने उसकी गति का अनुमान लगा लिया है तो उसका क्या परिणाम होगा, उसे तट के विभिन्न भागों तक पहुंचने में कितना समय लगेगा। कहीं यह क्रीकस है, कहीं खुली तटरेखा हैं, कहीं दल-दल वाली भूमि है, कहीं पर निर्माण किया हुआ है। इसलिए हमें देखना होगा कि तटरेखा का सबसे कमजोर भाग कौन-सा है जहां इससे तबाही हो सकती है विनाश हो सकता है तथा कितना विनाश हो सकता है हमें आज गहराई मापने के सर्वेक्षण की आवश्यकता है। यह और कुछ नहीं है बल्कि यह तट, दोनों पूर्वी तट तथा पश्चिमी तट के साथ-साथ समुद्र के उथलेपन अथवा गहराई को निर्धारित करता है। एक बार आप गहराई मापने का

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[श्री कपिल सिब्बल]

सर्वेक्षण कर लेते हैं और आपको समुद्र की गहराई तथा तटरेखा की गहराई मालूम चल जाती है तो फिर आपको सॉफ्टवेयर प्रोग्राम तैयार करना होगा। यह प्रोग्राम एक निश्चित समय पर फॉल्टलाइन पर सुनामी आने के अनुमानित समय तथा इसके प्रभाव की जानकारी देगा, यह मानते हुए कि इसकी गति 600 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो इसे तट के एक विशेष भाग तक पहुंचने में कितना समय लगेगा। हमें पूरी फॉल्टलाइन के साथ यह सॉफ्टवेयर तैयार करना होगा। इसमें समय लगेगा। जब हमारे पास समुद्र तल प्रेशर रिकॉर्डर्स होंगे और गहराई मापने वाला सर्वेक्षण हो चुका होगा तथा हमारे पास सॉफ्टवेयर होगा तो इन सब की सहायता से हम सुनामी आने के वास्तविक समय के बारे में बता सकेंगे तथा यह बता सकेंगे कि यह किस समय तट के किस भाग तक पहुंचेगी। यही वह प्रक्रिया है, जो हम पहले ही आरंभ कर चुके हैं। यही वह परियोजना है जो हम पहले ही तैयार कर चुके हैं। वास्तव में, सुनामी आने के दो दिन बाद ही हमने परियोजना की रूपरेखा तैयार कर ली थी। यह संपूर्ण प्रक्रिया ढाई साल में पूरी हो जाएगी तथा हमारे पास एक प्रणाली होगी।

अब, यह कहते हुए बहुत आलोचना की जा रही है कि भारत, विश्व के अन्य देशों के साथ सहयोग नहीं कर रहा है क्योंकि हम एकीकृत सुनामी प्रणाली नहीं चाहते। हम मूल रूप से भारतीय तट की बात कर रहे हैं, क्योंकि यदि कोई इंडोनेशिया में बैठा हुआ है और इंडोनेशिया में सुनामी आती है तो उसके पास स्वयं को बचाने का समय नहीं होगा क्योंकि वहां ऐसा होता रहता है। परन्तु भारत पर इसका प्रभाव दो घंटे अथवा ढाई घंटे बाद पड़ता है अथवा सोमालिया तथा कैंपटाऊन, जापान, अफ्रीका के पूर्वी तट पर यह छह घंटे बाद पहुंचेगी। इसलिए, सूचना देने के लिए हमारे पास पर्याप्त समय है। हमने कहा है कि हम सुनामी चेतावनी प्रणाली की स्थापना करेंगे तथा हम थाइलैंड, इंडोनेशिया, म्यांमार, श्रीलंका, सोमालिया, मालद्वीव तथा दक्षिण अफ्रीका सहित सभी पड़ोसी देशों से भी सहयोग करेंगे। जो भी हमसे सहयोग चाहता है, हम उसे सहयोग देंगे। हम उनके साथ तालमेल बनाकर रखेंगे। दूसरे शब्दों में हम जो भी सूचना एकत्र करेंगे, उसे उनकी तटरेखा के साथ लगे समुद्रतल प्रेशर रिकॉडर्स तक भेजा जाएगा।

इसे उनके द्वारा गहराई मापने वाले सर्वेक्षण के साथ जोड़ा जाएगा तथा इस सब को आंध्र प्रदेश के हैदराबाद में एक केन्द्र में केन्द्रीयकृत किया जाएगा। यह वास्तविक समय वाली सुनामी चेतावनी प्रणाली होगी। हम इसी की योजना बना रहे हैं तथा मैं सभा को इसके बारे में बताना चाहता था।

दूसरा पहलू जिसका मैं उल्लेख करना चाहता हूं वह यह है कि पूरे जीवनकाल में सुनामी केवल एक बार ही आती है। पिछले सौ वर्षों में केवल 1941 में सुनामी आयी। इसलिए ऐसा हो सकता है कि अगले 50 वर्षों तक सुनामी न आए। इसलिए हम जो यह विशेष प्रणाली तैयार कर रहे हैं, वह पुरानी होने की वजह से नष्ट हो जाएगी क्योंकि कोई भी प्रणाली के लिए कार्य नहीं करेगा। इसलिए हम सुनामी चेतावनी प्रणाली को तूफानी लहरों की प्रणाली के साथ एकीकृत कर रहे हैं। हमारे पास पहले ही तूफानी लहरों की प्रणाली है। हम सुनामी को तूफानी लहरों के साथ एकीकृत कर रहे हैं, जिससे कि प्रणाली प्रति वर्ष कार्य करेगी क्यों? क्योंकि तूफानी लहरें प्रति वर्ष आती हैं। इसलिए प्रणाली पुरानी नहीं पड़ेगी। यह एक बात है तथा यहां चक्रवात को शामिल नहीं किया गया है। हम यही योजना बना रहे हैं। परन्तु, हमें इस पर ध्यान देना होगा। एक क्षण के लिए सुनामी को भूल जाइए तथा हिमालय के साथ फॉल्टलाइन पर ध्यान दीजिए। हम एक प्रश्न पूछते हैं कि क्या एक राष्ट्र के रूप में हम रिएक्टर हिमालियाई फॉल्टलाइन के साथ पैमाने पर 8 तथा उससे अधिक के भूकम्प के परिणामों के लिए तैयार हैं। यह क्या है? क्या देश इसके लिए तैयार है। इस प्रश्न का स्पष्ट उत्तर है 'नहीं, हम इसके लिए तैयार नहीं है।' मैंने, अपने विभाग में यह प्रक्रिया पहले ही शुरू कर दी है। इसके लिए तैयार क्यों नहीं है इसका कारण यह है कि जोन-6 खतरनाक जोन है, जोकि हिमालय के साथ 200 किलोमीटर तक है-जहां इस तीव्रता के भूकम्प का सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है। तत्पश्चात जोन-5 जहां दिल्ली तथा भारत के अन्य भाग आते हैं-जोकि फिर इस तरफ सौ किलोमीटर है यह दूसरा सबसे खतरनाक तथा प्रभावित होने वाला जोन है। उस तीव्रता के भूकम्प के प्रभाव को जानने के लिए हमें माइक्रो-जोनेशन करना होगा। अन्य शब्दों में हमें हिमालयी फॉल्टलाइन के साथ साथ संपूर्ण क्षेत्र को विभिन्न जोनों में विभाजित करना होगा। हम ऐसा कर सकते हैं। जोनों में विभाजित करने के बाद हम भूमि में उपलब्ध चिकनी मिट्टी, मृदा तथा ढांचे की गुणवत्ता का पता लगाएंगे। उदाहरण के लिए भूमि चट्टानी है अथवा चिकनी मिट्टी से भरी हुई है अथवा वह कूड़े-कचरे वाली भूमि है। एक विशेष क्षेत्र को खतरा मृदा की प्रकृति पर निर्भर करता है। माइक्रो-जोनेशन आरंभ नहीं हुआ है। मैंने अपने विभाग के अधिकारियों से कम से कम दिल्ली में यह प्रक्रिया आरंभ करने को कहा है। क्योंकि यह सच है कि भूकम्प से सबसे ज्यादा गरीब लोग ही प्रभावित होते हैं। क्यों? क्योंकि गरीब लोग झुग्गी-झोपड़ियों में रहते हैं, गरीब लोग ही कूड़े-कचरे वाले क्षेत्रों में रहते हैं, गरीब लोग ही बड़ी कालोनियों से दूर रहते हैं और वे गरीब लोग ही हैं जो भूकम्प से सुरक्षित नहीं है। इसलिए हमें माइक्रो-जोनेशन की प्रक्रिया के माध्यम से उन क्षेत्रों की पहचान करनी चाहिए जिन पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ने वाला है। उदाहरण के लिए भारत में होने वाले निर्माणों को देखिए। मुझे यह कहते हुए डर लगता है कि भारत में अधिकतर निर्माण ऐसे होते हैं जोकि इस प्रकार की तीव्रता वाले भूकम्प से सुरक्षित रही है जिसकी आवश्यकता है। यह बहुत ही सीधी सी

बात है। छत में कॉलम बनाने की बजाय यदि आप भवन की बुनियाद में कालम बनाते हैं और उन्हें क्रास करते हैं तो यह भूकम्परोधी होगा। परन्तु किसी ने इस पहलू की ओर ध्यान नहीं दिया है। इसलिए यह सब करने से पहले, नियमों को बदलने से पहले हमें माइक्रो-जोनेशन करना चाहिए। मैंने आदेश दिया है कि ऐसा किया जाना चाहिए तथा जितनी जल्दी हो हमें इस प्रक्रिया को समाप्त करने का प्रयास करना चाहिए। तत्पश्चात्, आपको विभिन्न जोनों को निर्धारित करना होगा तथा हमें विभिन्न जोनों के लिए अलग-अलग रणनीतियां बनानी होगी क्योंकि एक ही प्रकार की रणनीति, सभी जोनों के लिए लाभकारी नहीं होगी। यह निवारक भाग है। अन्य शब्दों में यदि आप मानते हैं कि भूकम्प आएगा तो इससे लाभ होगा। हम जानते हैं कि भूकम्प आना है तथा पश्चिमी क्षेत्र में भी एक फॉल्टलाइन है। इसीलिए, लातूर में भूकम्प आए हैं, कोयाना जैसे पश्चिम भारत के अन्य भागों में भूकम्प आएं हैं।

सायं 6.00 बजे

ऐसा इसलिए है क्योंकि वहां पर भी कुछ फाल्ट लाईन है। माननीय मंत्री इस मामले इस पहलु के बारे में अच्छी तरह जानते है। यह भी हिमालयन फाल्ट लाइन के अंतर्गत आता है।

उपाध्यक्ष महोदय: सिब्बल जी, कृपया एक मिनट के लिए अपनी सीट पर बैठ जाए। मेरे पास इस चर्चा में बोलने वाले 28 सदस्यों की सूची है। यदि सभा की सहमति हो तो सभा के समय को एक घंटे के लिए बढ़ाया जा सकता है।

...(व्यवधान)

अनेक माननीय सदस्य: हां।

उपाध्यक्ष महोदय: ठीक है, हम समय में एक घंटे का विस्तार करते हैं।

श्री कपिल सिब्बल: महोदय, मैं अपनी बात पूरी करने वाला हूं। क्योंकि सभा में अनेक सदस्यों को बोलना है। मैं सभा में किसी अगले दिन अपनी बात रखूंगा। मुझे कोई समस्या नहीं है। *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: आप अपनी बात जारी रखें। कृपया पूरी करने का प्रयत्न करें।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: श्री कबिल सिब्बल के वक्तव्य के अतिरिक्त और कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री कबिल सिब्बल: महोदय, धन्यवाद। मैं इस बात की सराहना करता हूं।

मैं जो बात कह रहा था वह यह है कि कल क्या होगा इसे हम नहीं जानते हैं इससे पहले ही हमें इस प्रक्रिया को शुरू कर देना चाहिए अन्यथा लोग पूछेंगे कि सरकार क्या कर रही है। मुझे यह कहते हुए बहुत खुशी हो रही है कि माननीय गृह मंत्री आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की स्थापना संबंधी हमारे निर्णय के बारे में विस्तार से बताएंगे। *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: लाल सिंह जी, आपकी पार्टी के मंत्री बोल रहे हैं कृपया शांत रहें। माननीय मंत्री महोदय कृपया आप अपनी बात जारी रखे।

श्री कपिल सिब्बल: मेरा कहना यह था कि आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को विशेषज्ञों को प्राधिकरण होना चाहिए। इसमें भूकम्प विज्ञान की समझ रखने वाले पेशेवर होने चाहिए। इसमें जलवायु परिवर्तनों की समझ रखने वाले पेशेवर होने चाहिए। उदाहरण के लिए आज जापान में इस प्रकार के भवनों का निर्माण किया गया है जिन पर रिक्टर स्केल पर 7 और उसके अधिक की तीव्रता वाले भूकम्पों का कोई असर नहीं होता क्योंकि इन भवनों का नींव में अपने आप ही अपनी जगह बदल लेती है। लेकिन हमारे यहां ऐसे उपनियम नहीं है। यह एक ऐसी बात है जिसका ध्यान राज्य सरकारों को रखना होगा क्योंकि जैसाकि आप जानते हैं कि निर्माण गतिविधियां राज्य का विषय है। इसलिए राज्यों को विशेषकर उत्तर प्रदेश को इसके प्रति अत्यधिक गम्भीर होना चाहिए कि किस प्रकार के उपनियम बनाए जाए जिससे इतनी तीव्रता वाले भूकम्पों से लोगों को बचाया जा सके।

अब मान लीजिए कि कोई भूकम्प आता है तो इस भूकम्प में सबसे पहली घटना क्या होती है कि बिजली के सभी कनेक्शन टूट जाते हैं। संचार संपर्क भी नष्ट हो जाते हैं। एक राष्ट्र के रूप में हमें सबसे पहले अपने लोगों से संचार संपर्क स्थापित करने में समर्थ होना चाहिए। इसलिए हमें एक चीज करनी चाहिए कि हमारे पास इसी कार्य हेतु निर्धारित फ्रिक्वेंसी होनी चाहिए जो इसी कार्य हेतु निर्धारित भूकम्प फ्रिक्वेंसी होगी ताकि यह फ्रिक्वेंसी रेडियो के सभी चैनलों की फ्रिक्वेंसी को पकड़ सके। जैसे ही भूकम्प आता है और यदि आपके पास बिजली नहीं है तो गांव के निर्धन लोगों के पास ट्रांजिस्टर होंगे जो बैटरी से चलते हैं इससे इन लोगों को तत्काल भूकम्प की जानकारी दी जा सकती है। इसलिए एक राष्ट्र में इस प्रकार की चीजों की आशा की जा सकती है। रेडियो फ्रिक्वेंसी का इसी कार्य के लिए निर्धारण अवश्य ही होना चाहिए।

[श्री कपिल सिब्बल]

हमें पता है कि जब बिजली नहीं होती तो लोगों को पता नहीं होता कि क्या करे। हमें ऐसे हजारों साधारण सेट लगाने चाहिए जो केवल साइक्लिंग से बिजली का उत्पादन कर सकें। मुझे पता है विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ऐसे सेट खरीद सकता है। हमारे पास ऐसी प्रक्रिया मौजूद है जिसके माध्यम से एक आदमी केवल साइक्लिंग के द्वारा बिजली पैदा कर सकता है। हमें इसके लिए तैयार रहना चाहिए ताकि तत्काल बिजली, पानी और सूचना उपलब्ध कराई जा सकें।

यह करने के बाद दूसरा मुद्दा है भोजन। यहां भी मेरे विभाग सीएफटीआरआई ने पहले ही सुनामी के दौरान भोजन की आपूर्ति की थी। हमारे पास तुरन्त उपलब्ध कराए जाने वाले भोजन के पैकेट है। लेकिन यह केवल लोगों की तात्कालिक आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं। आपको पता है कि आपदा के दौरान लोगों पर क्या बीतती है।

मैं अंटार्कटिका गया था। मुझे इस अनुभव को आपके साथ बांटना चाहिए। जब मैं वहां गया तो मैंने उन लोगों से बात की जो पिछले 12-13 महीनों से बाहरी विश्व से बिना किसी संपर्क के वहां रह रहे थे। उनकी यह स्थिति न तो मानवजनित आपदा से उत्पन्न हुई और न ही प्राकृतिक आपदा से उत्पन्न हुई है। परन्तु फिर भी उनकी मानसिकता पर इसका विनाशकारी प्रभाव पड़ा। कल्पना कीजिए कि आप अंटार्कटिका में है। जहां पर वर्ष के 8 या 9 महीने में 24 घंटे रात्रि होती है। जहां पर आप कहीं भी नहीं जा सकते। जब वहां पर बर्फीला तूफान आता है और उस समय यदि आप बाहर निकलते हैं तो आपको अपनी नाक के आगे कुछ भी नहीं दिखाई देता।

अंटार्कटिका में जब तापमान शून्य से 40 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला जाता है तो आप अपनी आंखों को भी बाहर के वातावरण के सम्पर्क में नहीं ला सकते। आपकी आंखे पत्थर में परिवर्तित हो जाती है। कल्पना कीजिए कि आप बाहर जाकर किसी चीज की मरम्मत करने की कोशिश करते हैं लेकिन वापसी में आपको अपने रास्ते का पता नहीं चल पाता क्योंकि आपको नहीं पता कि भवन (बिल्डिंग) कहां है। मैं बताना चाहता हूं कि यह कोई प्राकृतिक आपदा या मानव जनित आपदा नहीं है। फिर भी यहां की एकाकीपन की स्थिति मनुष्य की मानसिक व्यवस्था पर कई प्रकार के प्रभाव डाले हैं। इनमें से अधिकतर लोग संतुलन बनाए रखने की शक्ति खो चुके हैं। आप उस परिवार की स्थिति का अंदाजा लगा सकते हैं जिसने सुनामी के कारण अपने जवान बच्चे खो दिए हैं। ऐसा होने से पूर्व समुद्री लहरें एक किलोमीटर पीछे चली गयी थी। तमिलनाडु के अनेक हिस्सों में बच्चे प्रकृति के इस नजारे को देखने के लिए दौड़ कर बाहर आ गए थे। माताएं भी उनके पीछे दौड़ रही थी। परिवार के कुछ सदस्यों ने अपना सब कुछ खो दिया है। उनकी मानसिक स्थिति पर इसका क्या प्रभाव पड़ा। हमारे सामने प्रश्न यह है कि हम किस प्रकार उनका पुनर्वास कर सकते हैं और एक सामान्य जीवन को जीने के लिए हम उनकी क्या सहायता कर सकते हैं। यही चुनौती (टॉस्क) है जिसका हमें सामना करना है। क्या यह कार्य केवल सरकार ही करेगी सभ्य समाज का यह एक संयुक्त प्रयास होना चाहिए।

जब सुनामी अथवा भूकम्प आता है तो जो लोग इससे सीधे तौर पर प्रभावित होते हैं न केवल उनका पुनर्वास किया जाना होता है परन्तु ऐसे भी लोग होते हैं जो अप्रत्यक्ष रूप से इससे प्रभावित होते हैं। क्योंकि उनका दैनिक जीवन उन लोगों पर निर्भर करता है जो प्रत्यक्ष रूप से इससे प्रभावित होते हैं। क्या हमारे पास ऐसी कोई प्रणाली है? मैं कहता हूं, नहीं। मैं सोचता हूं कि हमें इस सभा में एकजुट होकर यह संकल्प लेना चाहिए कि हमें सुनामी, भूकम्प, सार्स अथवा मानव जनित आपदा जैसी त्रासदियों से निबटने के लिए क्या करना चाहिए। इसके लिए हमें एक हो जाना चाहिए। मैं यह सोचकर कांप उठता हूं कि चांदनी चौक में मेरे लोगों का क्या होगा जो भवन निर्माण से संबंधित सभी उपनियम की अनदेखी करते हुए मकान के ऊपर मकान बनाये हैं। अधिकांश घरों में आग लगने का खतरा बना रहता है। महोदय जब कभी आग लग जाती है तो वह अपने आप ही आपदा बन जाती है। क्या इस स्थिति से निबटने के लिए कोई योजना है? मैं कहता हूं नहीं। क्या स्थानीय प्रशासन के पास ऐसी कोई योजना है।

महोदय, मुझे यह कहते हुए बहुत प्रसन्नता हो रही है कि सरकार गृह मंत्री के माध्यम से इस बारे में विस्तार से बताएगी कि इस संबंध में सरकार, आपदा की पूरी संकल्पना और आपदा प्रबंधन पर व्यापक रूप से विचार-विमर्श कर रही है। राष्ट्रीय स्तर पर, राज्य स्तर पर अथवा जिला स्तर पर अनेक प्रकार की मानव जनित और प्राकृतिक आपदा से उत्पन्न होने वाली आपातकालीन स्थितियों से निबटने के लिए योजनाएं तैयार होनी चाहिए। मैं सोचता हूं कि एक सभ्य समाज में हमें बिना कोई प्रश्न पूछे एक साथ उठ खड़ा होना होगा, जैसाकि मेरे प्रिय मित्र पूछ रहे हैं क्योंकि हम मानव त्रासदी को राजनीतिक वाद-विवाद में बदलकर कम नहीं कर सकते। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं सोचता हूं कि अब समय आ गया है कि हमें आपदा के परिणामों और समस्याओं के समाधान के लिए एक हो जाना चाहिए, एक साथ चलना चाहिए और साथ मिलकर कार्य करना चाहिए। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री खारबेल स्वाईं (बालासोर): महोदय, मैं माननीय मंत्री से एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। महोदय, आपने जापान के बारे में बताया है कि जब भी वहां भूकम्प आता है तो वहां पर भवनों

को कोई नुकसान नहीं होता। भारत में जब कभी कोई भवन निर्माण की योजना बनाता है तो वह टाऊन प्लानर के पास जाता है जो सामान्यत: अनुमति दे देता है। लेकिन महोदय, वहां कोई संरचनात्मक डिजाइनर नहीं होता ...*(व्यवधान)*

श्री कपिल सिब्बल: मैं आपको उत्तर दूंगा।

श्री खारबेल स्वाईं: मैं जानना चाहता हूं कि क्या आप इस चीज को जारी रखेंगे। मैं यह भी जानना चाहता हूं कि संरचना के डिजाईनरों को उपलब्ध कराया जाना आवश्यक नहीं है।

[अनुवाद]

श्री कपिल सिब्बल: मैं आपको उत्तर दूंगा। जब मैं युजा था तो मैं अमेरिका गया था और वॉल स्ट्रीट में कई वर्षों तक वकील के रूप में कार्य किया। जब मैं वहां वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के समीप एक इमारत के 42वें तल पर कार्य करता था तो नवयुवक की तरह मैंने अनुभव किया कि मेरे कार्यालय के मुख्य द्वार की ओर से इमारत हमारी ओर से अन्य दिशा में घूमती थी। मैंने यह महसूस किया कि इमारत की अवसंरचना को इस प्रकार बनाया गया है कि इस्पात में ऐसा लचीलापन है जिससे कि इसकी संरचना में आंदोलन के बावजूद यह अपने स्थान पर स्थिर है। अब तो हमारे पास भी ऐसी संरचनाएं मौजूद है। हमारे पास उस प्रकार का इस्पात भी विद्यमान है। हमारे पास ऐसी प्रौद्योगिकी भी हैं। हमारे पास ऐसी संरचनाओं का निर्माण करने हेतु ऐसा मानव संसाधन भी है। हमारे पास इनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने वाली प्रौद्योगिकी भी है।

[हिन्दी]

श्री बची सिंह रावत 'बचदा' (अल्मोड़ा): माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं कपिल सिब्बल साहब का आभारी हूं-कि उन्होंने सुनामी के संबंध में, भूकम्प के संबंध में, अपने भाषण में पूरा दृश्य प्रस्तुत किया जो काफी अच्छा था जिसके कारण सांसदों का इस बारे में जो कुछ भ्रम था या जानकारी नहीं थी, उस संबंध में अच्छी जानकारी प्राप्त हुई। चूंकि हमारे गृह मंत्री जी, स्वयं भी दो बार साइंस एंड टैक्नौलोजी मंत्रालय में काम कर चुके हैं, दो बार मंत्री रह चुके हैं और अब कपिल सिब्बल साहब साइंस एंड टैक्नोलोजी के मंत्री हैं। इसलिए वे अच्छा काम करेंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। मुझे भी लगभग चार, सवा चार साल इस मंत्रालय में मंत्री के रूप में काम करने का अवसर प्राप्त हुआ था। जो अनुभव मैंने प्राप्त किए, मैं उन्हें यहां दोहराना नहीं चाहता, लेकिन मैं एक चीज को हाउस के साथ जरूर शेयर करना चाहता हूं और बताना चाहता हूं कि इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टैक्नोलोजी, चेन्नै में, मुझे देखने का अवसर मिला कि वहां जो डाटा-बॉइस के इक्विपमेंट और इंस्ट्रूमेंट्स हैं, वे सारे इंडीजीनस हैं। स्वदेश में निर्मित हैं। उन्हें कहीं बाहर से आयात नहीं किया जा रहा है। इसलिए मैं समझता हूं कि अपने देश के उन वैज्ञानिकों को जो डिपार्टमैंट आफ ओशन डैवलपमेंट में काम कर रहे हैं, इस सदन के माध्यम से, उन्हें स्वदेश में निर्मित इक्विपमेंट्स के लिए बधाई दी जानी चाहिए।

महोदय, सुनामी के संबंध में जो फैसला आया और कहा गया कि यह घटना 100 साल के बाद हुई है, इसलिए इसके बारे में हमें जल्दी से जल्दी व्यवस्था करनी चाहिए। इस संबंध में मैं केवल इतना ही कहना चाहूंगा कि स्टैंडिंग कमेटी ऑन साइंस एंड टैक्नोलोजी में हम लोग सदस्य हैं। हमने इसका एवीडेंस भी लिया था और पूरी स्टेंडिंग कमेटी इस संबंध में यूनेनिमस है कि इस मंत्रालय का इस विभाग से संबंधित जो भी बजट और डिमांड्स फॉर ग्रांट्स होंगी, उन्हें एक मत से पास करने पर हम सभी सदस्यों की सहमति होने जा रही है। इसी के साथ मैं इसमें एक चीज और जोड़ना चाहता हूं कि जब उड़ीसा में चक्रवात आया था तो उस समय अपने देश के डॉपलर राडार्स, पूर्व चेतावनी देने में काफी सहायक सिद्ध हुए। यह अच्छी बात है कि आज सूनामी चेतावनी प्रणाली के साथ, स्टॉर्म्स की चेतावनी प्रणाली भी जोड़े जाने की बात मंत्री जी ने कही है और बताया है कि उस दिशा में हम शीघ्र आगे बढ़ेंगे।

महोदय, अर्थक्वेक के संबंध में मैं बतलाना चाहता हूं कि हिमालय जोन में, हिमालय क्षेत्र में, जहां 5 सेंटीमीटर धरती का, यूरो-एशियन प्लेट के तिब्बतन प्लेट के साथ टकराव के कारण खिसकाव हो रहा है, वहां उसका परिणाम यह है कि केवल यह खिसकाव ही नहीं बल्कि उसके कारण 2 सेंटीमीटर प्रति वर्ष की रफ्तार से हिमालय की ऊंचाई बढ़ रही है। इसका परिणाम यह हो रहा है कि न केवल ऊंचाई बढ़ रही है, बल्कि प्लेटों के टकराव से, पूरे हिमालय जोन में जो स्टेबिलिटी आनी चाहिए थी, पर्वत को सैचुरेट होना चाहिए था, वह नहीं हो रहा है। साउथ के जो पर्वत हैं, वे मजबूत स्थिति में हैं, लेकिन हिमालय क्षेत्र के पर्वत इस घर्षण के कारण मजबूत स्थिति में नहीं आ पाते हैं और इसका परिणाम यह होता है कि जब क्लाउट बर्स्ट और हैवी रेन्स का अवसर आता है, तो उस समय सारे के सारे क्षेत्र में लैंड स्लाइड्स होने के कारण, बरसात के समय रास्ते बन्द हो जाते हैं और भारी तबाही होती है। इस वर्ष भी गोविन्द घाट पर, हेमकुंड साहब के आसपास और हमारे अपने क्षेत्र चम्पावत, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, बागेश्वर और उधर चमोली तक में बड़े पैमाने पर जो लैंड स्लाइड हुए, वे इसी कारण हुए। इसका मुख्य कारण भयंकर तरीके से प्रति वर्ष हिमालय की ऊंचाई का बढ़ना और पहाड़ों का सैचुरेट नहीं होना है।

महोदय, उन्होंने 8 रिक्टर स्केल की बात कही। मुझे केवल इतना ही स्मरण आता है कि साढ़े छ: रिक्टर स्केल पर जब माप आई, तो उत्तर काशी में इतना विनाशकारी भूकम्प आया जिसके

[श्री बची सिंह रावत 'बचदा']

बहुत अधिक विनाशकारी परिणाम निकले। इसी तरह चमोली में वर्ष 1997 में भूकम्प आया, उसका भी लगभग साढ़े छः रिक्टर स्केल पर माप किया गया था। चूंकि मैंने शुरू में ही मंत्री जी का धन्यवाद किया कि उन्होंने काफी अच्छी जानकारी दी। इसलिए मैं आशा करूंगा कि इस मंत्रालय पर डिस्कशन के समय जो भी डिबेट होगी, उसमें हमें पार्टीसिपेट करने का अवसर मिलेगा और उस समय इस बारे में कुछ और नई जानकारियां भी मिल सकेंगी।

महोदय, चूंकि श्री शिवराज वि. पाटिल स्वयं गृह मंत्री हैं, इसलिए इसमें साइंस और टैक्नोलोजी के क्या-क्या इनपुट्स शामिल हो सकते हैं, कौन-कौन से विभाग शामिल हो सकते हैं, ओशन डैवलपमेंट डिपार्टमेंट, डी.टी.एस. आदि हैं उनका किस प्रकार सहयोग लिया जाए, वे स्वयं इसे देखेंगे, ऐसी मुझे उम्मीद है।

महोदय, अपने देश में 10वीं पंचवर्षीय योजना में 50 करोड़ रुपए अर्थक्वेक को रोकने पर व्यय करने के लिए रखे गए हैं। मैं अवगत कराना चाहूंगा कि जब एन.डी.ए. सरकार से पहले इस क्षेत्र में लगभग 0.7 प्रतिशत खर्च हो रहा था, लेकिन हमने नौवीं पंचवर्षीय योजना में 12 हजार करोड़ रुपये रिसर्च एंड डैवलपमेंट पर खर्च करने का प्रावधान किया। 10वीं पंचवर्षीय योजना, 2007 तक चलने वाली है उसमें रिसर्च एंड डैवलपमेंट पर खर्च करने हेतु 25 हजार करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। पिछले वित्तीय वर्ष में 1.4 प्रतिशत आर. एंड डी. पर व्यय हुआ था, वह अब और बढ़ा है और मैं समझता हूं कि इसे और आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। उसे और अधिक बढ़ाए जाने की आवश्यकता है और जो कमिटमेंट है कि हम इसे दो प्रतिशत तक ले जाएंगे, इसे सरकार और आगे बढ़ाएं। उसमें निश्चित रूप से पूरे सदन का सहयोग मंत्री जी और सरकार को रहेगा।

महोदय, मैं सुनामी पर ज्यादा विस्तार में नहीं जाना चाहता, क्योंकि समय का अभाव है। इसलिए मैं सुनामी और अन्य साइंस टैक्नोलॉजी के विषय को छोड़ कर अपने क्षेत्र के विषय में कुछ बातें कहना चाहूंगा। सरकार ने बाढ़ और सूखे के विषय को गंभीरता से लिया था। मेरा मानना है कि बीच में अवश्य कंट्रोवर्सी सामने आई थी कि पूर्व प्रधानमंत्री जी ने उद्घोषणा कर दी, लेकिन समझौते पर हस्ताक्षर नहीं हुए। ईश्वर को धनयवाद है कि वह स्पष्टीकरण आ गया कि कैसे-कैसे आचार संहिता लग जाने से मध्य प्रदेश और राजस्थान में समझौते पर हस्ताक्षर नहीं हुए। उस दिशा में जो लिंकेज ऑफ रीवर का प्रोग्राम है, वह भी देश को सूखे और बाढ़ से बचाने के लिए, और साथ में अपनी आर्थिक प्रगति के लिए पर्यटन, ऊर्जा और रीवर ट्रांसपोर्ट है, इन सब के लिए आवश्यक है। उस दिशा में केन्द्र सरकार विभिन्न राज्यों को, जिनके-जिनके लिंकेज ऑफ रीवर का प्रोग्राम है, उन्हें विश्वास में ले और आगे बढ़े।

महोदय, मैं वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलोजी की बात कर रहा था। इसमें बादल फटने का पूर्व अनुमान नहीं होता। इससे नुकसान होता है और ओलावृष्टि से लगातार नुकसान हो रहा है। हमारे उत्तरांचल और हिमाचल में ओले से केवल फसल को ही नुकसान नहीं हुआ, बल्कि फलों में जो फूल उग रहे हैं, उनका भी काफी नुकसान हुआ है। पिछले वर्ष नवम्बर, 2004 से लगातार बर्फबारी हो रही है। कश्मीर में बहुत ज्यादा बर्फबारी होने के कारण डेढ़ सौ लोगों की मृत्यु हुई। हमारे उत्तरांचल और हिमाचल के क्षेत्र, मुन्स्यारी, धारचूला, डीडीहाट आदि अनेक ऐसे विकासखंड थे, जहां एक हफ्ते तक रास्ते ठीक नहीं थे। वहां पशुधन और लोगों की भी बहुत हानि हुई है। यह जो भारी हिमपात हुआ है, उसकी तरफ भी सरकार का ध्यान जाना चाहिए।

महोदय, मैं एक बहुत बड़े खतरे की तरफ मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहूंगा, क्योंकि यह जो भारी हिमपात हुआ है, इससे बहुत नुकसान हुआ है। 50 वर्षों के बाद इतना हैवी स्नोफॉल हुआ है और जो बर्फ है, वह पुरानी बर्फ नहीं है, इसी वर्ष की है, अभी मार्च तक भी बर्फबारी हो रही है। जानकारों का कहना है कि पहले ज्यादा बर्फ होती थी, जून और जुलाई में वर्षा शुरू होगी तो उस वर्षा में जो स्नो फैड रीवर्स हैं, उन नदियों में पानी का जल स्तर इतना अधिक होगा कि आने वाले समय में बाढ़ का बहुत ज्यादा खतरा देश के सामने हो सकता है, यह संभावना है। इस संबंध में मेरा विशेष अनुरोध होगा कि विशेषज्ञों का जांच दल बना कर पता लगाएं कि क्या वास्तव में उसका मेग्नीच्यूट है, उसका कितना भंडार है और उसकी क्या संभावनाएं हैं, इसे देखा जाना चाहिए। इसके लिए मुझे थोड़ी सी शिकायत करनी है, मैं शिकायत करना नहीं चाहता था, लेकिन मजबूरी है। मेरी शिकायत यह है कि जितना बजट एलोकेशन होता है, उसमें 80 प्रतिशत केन्द्र सरकार का रहता है-चाहे नेशनल केलेमिटी रिलीफ फंड से हो, फाइनेंस कमीशन के माध्यम से हो या प्राइम मिनिस्टर फंड से हो, लेकिन हो क्या रहा है? मैं बाकी स्टेट्स के बारे में नहीं कहूंगा, लेकिन अपनी स्टेट के बारे में जिम्मेदारी के साथ यह अनुरोध करना चाहता हूं कि जो दैवी आपदा के लिए पैसा जा रहा है, उसे जिलों में आवंटित किया जा रहा है। उस दैवी आपदा का जो पैसा है, हमारे उत्तरांचल में मिनिस्ट्री बनी हुई है, दैवी आपदा प्रबंधन मंत्रालय है, लेकिन मंत्रालय से न होकर, जिलों के प्रभारी मंत्री और विधायक उन कामों की अनुशंसा कर रहे हैं। वहां नये काम किये जा रहे हैं, अगर कोई पूल टूटा है तो उसके लिए पैसा नहीं है, वहां ठेकेदारी का हिसाब चल रहा है। मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि इसकी तत्काल जांच होनी चाहिए। अगर कहीं से भी ऐसी शिकायत आती है तो उसकी जांच होनी चाहिए। राजीव गांधी ने कहा था कि 15 पैसे नहीं पहुंचते, मैं तो कह रहा हूं कि रिलीफ का एक भी पैसा नहीं पहुंचता, वह तो उस

जमाने की बात थी। इसलिए इसे गंभीरता से देखे जाने की आवश्यकता है। जहां केलेमिटी हुई है, वहां उन्हें रिलीफ दिया जाए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। समय का अभाव है, फिर भी आपने मुझे समय दिया, इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

[अनुवाद]

श्री ए. कृष्णास्वामी (श्री पेरूम्बुदूर): उपाध्यक्ष महोदय, जब भी कोई प्राकृतिक आपदा आती थी तो हम इस सम्माननीय सभा में बाढ़, चक्रवात और सूखे पर चर्चा किया करते थे।

यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि हम सुनामी पर चर्चा कर रहे हैं जिसने तमिलनाडु और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के तटीय क्षेत्रों को सबसे अधिक प्रभावित किया है। भारत के नागरिकों ने जाति और वर्ण को ताक पर रखते हुए भारत और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के सभी क्षेत्रों में सुनामी की वजह से हुई जानमाल की हानि के लिए लोगों के प्रति अपना दुख प्रकट किया है।

मैं उन सभी व्यक्तियों को धन्यवाद अदा करता हूं जिन्होंने उन लोगों के लिए सहयोग दिया है जिनकी जान-माल की हानि हुई है। मैं विशेषकर हमारे माननीय प्रधानमत्री, हमारी संप्रग अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी, माननीय गृह मंत्री श्री शिवराज वी. पाटील और अन्य मंत्रियों का धन्यवाद अदा करता हूं जिन्होंने तमिलनाडु के सुनामी प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया है।

मेरे साथी, श्री बिजयन ने विस्तार से अपनी बात कही है। उन्होंने सुनामी भ्रष्टाचार के बारे में तथ्य और आंकड़े प्रस्तुत किये हैं। मैं अपने संसदीय क्षेत्र में घटित हुए अपने वैयक्तिक अनुभव के बारे में संक्षेप में बताना चाहता हूं। मेरा संसदीय क्षेत्र श्री पेरूम्बुदूर है। हमारे पास पुलिकट झील के रूप में बहुत ही थोड़ा सा तटीय क्षेत्र है। इस झील में, सुनामी की वजह से 20 व्यक्ति मारे गए। ज्वारीय तंरगे 10 मीटर तक की ऊंचाई तक आती हैं। क्योंकि यहां नदी का पानी छिछला है, इसलिए तरंगों की गति कम हो जाती है और तरंगे नदी के तल में सभा जाती हैं और परिणामस्वरूप यहां मरने की कम घटनाएं हुई हैं।

तमिलनाडु राज्य सरकार ने सुनामी से प्रभावित लोगों के लिए राहत उपायों को गम्भीरतापूर्वक नहीं लिया है। मैं व्यक्तिगत तौर पर उन पुलिस वालों, अग्निशमन कार्मिकों और राजस्व कार्मिकों से मिला है जिन्होंने तत्काल राहत उपाय नहीं किये थे। तमिलनाडु की मुख्यमंत्री ने भी उन्हें त्वरित कार्यवाही करने के अनुदेश नहीं दिए थे। किन्तु हमारे पार्टी नेता और भूतपूर्व मेयर, थिरू एम.के. स्टालिन ने तत्काल ही सभी स्थलों का दौरा किया और राहत उपाय किये।

सायं 6.23 बजे

(श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव *पीठासीन* हुए)

सभापति महोदय, तमिलनाडु की मुख्य मंत्री ने विधान सभा में केन्द्र सरकार पर आरोप भी लगाया है और उन्होंने यह कहा है कि सशस्त्र बलों, सैन्य और अर्ध सैनिक बलों ने उन लोगों के लिए कोई भी महत्वपूर्ण कदम उठाये हैं जो सुनामी से प्रभावित हुए हैं। उपाध्यक्ष महोदय, यह गलत है। हमने प्रत्यक्ष रूप से रक्षा कार्मिकों, सैन्य एवं अर्ध सैनिक बलों की कार्यवाही देखी है। उन्होंने ही अधिकांश सुनामी राहत कार्य सम्पन्न किया था। और तो और महामहिम राष्ट्रपति और प्रधान मंत्री ने अर्ध-सैनिक बलों, सीआरपीएफ को धन्यवाद दिया और उनकी प्रशंसा की और इसका उल्लेख किया कि कैसे उन्होंने सुनामी प्रभावित क्षेत्रों में कार्य किया। किन्तु तमिलनाडु की मुख्य मंत्री ने राज्य विधान सभा में अर्धसैनिक बलों पर आरोप लगाया और यह कहा कि उन्होंने सुनामी राहत कार्य को गम्भीरतापूर्वक नहीं किया। उस समय जब हमारे डीएमके तथा यूपीए के सदस्यों ने इसका विरोध किया तो उन्हें विधान सभा से स्थानान्तरित कर दिया गया, उन्हें सभा से बाहर निकाल दिया गया और तो और उन्हें इसके लिए गिरफ्तार भी किया गया। हमने इस दृश्य को राज्य विधान सभा में देखा है। केवल यही नहीं, तमिलनाडु की मुख्य मंत्री ने माननीय वित्त मंत्री, श्री पी. चिदम्बरम पर यह आरोप लगाया है कि वे कंगाल हैं। उन्होंने यह भी कहा कि उन्होंने तमिलनाडु को कोई भी धनराशि आवंटित नहीं की। हम जानते हैं कि वित्त मंत्री ने तमिलनाडु राज्य को हजारों करोड़ रुपये आवंटित किये हैं। हम यह जानना चाहते हैं कि तमिलनाडु सरकार ने उस धनराशि को किस प्रकार मदों में खर्च किया है और उस राशि को किस प्रकार वितरित किया गया है।

महोदय, सुनामी के हमले के दौरान कोई भी यह नहीं जानता था कि इससे पीड़ित और प्रभावित लोगों की देखभाल किस प्रकार की जाए। मेरा विनम्र निवेदन यही है कि राजस्व कार्मिक, पुलिस, अग्निशमन कार्मिक, डाक्टर, नर्स और प्रत्येक कार्मिक जो तटीय क्षेत्रों में कार्यरत हो उन्हें प्रशिक्षित किया जाना चाहिए क्योंकि सुनामी का पूर्वानुमान सम्भव नहीं है। यह भारत के लिए नई घटना है। इसलिए हमें उन्हें प्रशिक्षण देना होगा जिससे कि वे भविष्य में सुनामी के हमले का आसानी से सामना कर सकें।

सुनामी प्रभावित क्षेत्रों में, राहत कार्यों के लिए दी गई धनराशि का सही ढंग से वितरण नहीं किया गया है। मछुआरों को मात्र 80 प्रतिशत राशि ही मिल पा रही है तथा शेष 50 प्रतिशत राज्य सरकार द्वारा रिश्वत के रूप में रख ली गई है। छिछली और मंद नदियों के क्षेत्रों, विशेष रूप से मेरे संसदीय क्षेत्र पसियावरम से

[श्री ए. कृष्णास्वामी]

अरम्बक्कम तक में रहने वाले मछुआरों को राहत धनराशि नहीं दी गई हैं क्योंकि उन्हें मछुआरा नहीं माना जाता है। छिछली तथा मन्द नदी वाले क्षेत्रों में रहने वाले व्यक्तियों को मछुआरा नहीं माना जाता है। साथ ही, वहां रहने वाले और मछली पकड़ने का काम करने वाले आदि द्रविड़ और अनुसूचित जाति के लोगों को मछुआरा नहीं माना गया है। इसलिए उन्हें भी राहत धनराशि नहीं दी गई है। उनके बारे में भी विचार किया जाए तथा उन्हें सुनामी राहत धनराशि दी जानी चाहिए। न केवल मछुआरों को बल्कि जो लोग मत्स्यपालन पर निर्भर हैं, उन्हें भी मछुआरा माना जाना चाहिए तथा उन्हें भी राहत धनराशि दी जानी चाहिए।

मैं इस सम्माननीय सभा में कहना चाहता हूं कि इलाज से बेहतर सुरक्षा है। पिछले वर्ष मैंने विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी मंत्री को मेरा ज्ञापन दिया था। मैंने उनसे कदम उठाने स्वरूप समुद्रतटीय क्षेत्रों में मैंग्रोव के वृक्ष लगाने के लिए कहा था, जो हमारे लिए लाभदायक होंगे, जो सुनामी जैसी-समुद्री लहरों से हमारी सुरक्षा करेंगे। अब, हमने सुनामी की मार झेल ली है, तो सरकार संपूर्ण तटीय क्षेत्रों में मैंग्रोव के वृक्ष लगाने चाहिए। ये मछुआरों तथा तटीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए लाभदायक होंगे।

प्राकृतिक आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एक बहुत अच्छा विचार है। मैं इसका स्वागत करता हूं। इसे उचित तरीके से अनुवीक्षण किया जाना चाहिए। इसे गंभीरता से क्रियान्वित किया जाना चाहिए। यह सुनामी लहरों को रोक सकता है। चेतावनी प्रणाली भी स्वागत योग्य कदम है।

सुनामी प्रभावित क्षेत्रों में राजीव गांधी पुनर्वास पैकेज एक बहुत अच्छी योजना है। आपने 3,644 करोड़ रुपये से अधिक का आवंटन किया है। तमिलनाडु को 2,347 करोड़ रुपये आवंटित किये गये हैं।

सभापति महोदय: कृपया अपना भाषण समाप्त कीजिए।

श्री ए. कृष्णास्वामी: तमिलनाडु में पुनर्वास और राहत उपायों के लिए 5,000 करोड़ रुपये से अधिक की जरूरत है। साथ ही, कैटामारैन, मशीनबोट, मोटर बोट, मछली पकड़ने के जाल बदलने तथा नौकाओं की मरम्मत के लिए सरकार ने 50 प्रतिशत राजसहायता की घोषणा की है। इसे जल्द से जल्द दिया जाना चाहिए।

साथ ही, तमिलनाडु राज्य को जो भी धनराशि दी जाए, केन्द्र सरकार द्वारा गंभीरता से उसकी निगारनी की जानी चाहिए। मारे गए व्यक्तियों के निकट संबधियों को जब भी राहत उपाय धनराशि दी जाए उस समय सांसदों को आमंत्रित किया जाए। सांसदों की उपस्थिति में मृत व्यक्तियों के रिश्तेदारों को धनराशि दी जानी चाहिए। मैं यह इसलिए कह रहा हूं क्योंकि तमिलनाडु सरकार ने हमें आमंत्रित किये बिना मुख्यमंत्री राहत कोष से एक लाख रुपये का चैक जारी कर दिया। उन्होंने विधायकों की उपस्थिति में व्यक्तिगत रूप से धनराशि जारी की। इसलिए सरकार से मेरा अनुरोध है कि प्रधानमंत्री राहत सहायता कोष से दी जाने वाली धनराशि सांसदों की उपस्थिति में ही दी जाए।

[अनुवाद]

श्री पी.एस. गढ़वी (कच्छ): महोदय मैं अपना भाषण सभा पटल पर रखना चाहता हूं।

सभापति महोदय: अनुमति है।

***श्री पी.एस. गढ़वी:** महोदय, मुझे मेरा भाषण सभा पटल पर रखने तथा नियम 193 के अधीन चर्चा में देश में प्राकृतिक आपदाओं के बारे में कुछ सुझाव तथा मेरे विचार रखने की अनुमति दी जाए।

महोदय, हमारे देश ने, पिछले पचास वर्षों के दौरान सूखा, अकाल, बाढ़, चक्रवात, भूकंप, सूनामी आदि जैसी बहुत सी आपदाओं का सामना किया है। इनसे लाखों लोगों की मौत हुई है तथा अरबों रुपयों की चल तथा अचल सम्पत्ति का नुकसान हुआ है।

मेरा निर्वाचन क्षेत्र कच्छ (गुजरात) पिछले सात-आठ वर्षों में अनेक भयंकर आपदाओं का साक्षी रहा है। वर्ष 1998 में मेरे निर्वाचन क्षेत्र के तटीय क्षेत्रों में चक्रवात आया था तथा इससे नमक उत्पादन करने वाली इकाईयों में कार्य करने वाले तीन हजार से अधिक गरीब श्रमिकों की अनमोल जानें चली गई। किसानों के तीन हजार से ज्यादा फलों के पेड़ नष्ट हो गए।

फिर 1999 में मेरे निर्वाचन क्षेत्र के पश्चिमी भाग में चक्रवात से भारी नुकसान हुआ। इससे बहुमूल्य पशु संपदा का नुकसान हुआ। पचास हजार से अधिक पशु इस आपदा में मारे गए।

जनवरी, 2001 में विश्व के सबसे भयंकर भूकंप से केवल मेरे निर्वाचन क्षेत्र में अठारह हजार से अधिक लोगों की मृत्यु तथा बेशुमार चल एवं अचल सम्पत्ति का नुकसान हुआ।

महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि यदि जनता को सही समय पर प्राकृतिक आपदा की चेतावनी देने वाला यंत्र उपलब्ध करा दिया जाए तो लोगों की जान तो निश्चित तौर पर बचायी जा सकती है।

इसी प्रकार प्राकृतिक आपदा आने के बाद यदि राहत तथा पुनर्वास कार्य उचित रूप से प्रशिक्षित आपदा प्रबंधन कर्मचारियों द्वारा किया जाता है तो आगे होने वाले नुकसान तथा क्षति से बहुत हद तक बचा जा सकता है।

---

*लिखित भाषण सभा पटल पर रखा गया।

आपदा आने के बाद बचाव राहत तथा पुनर्वास कार्य करने के लिए शीघ्र एक मास्टर प्लान बनाया जाना चाहिए ताकि प्रभावी उपाय किये जा सकें।

मेरा यह कहना है कि वर्ष 2001 में आए भूकंप के बाद आपदा प्रबंधन में विशेषज्ञ कई विदेशी दल मेरे निर्वाचित क्षेत्र में आए थे। अपने सभी उपकरणों से उन्होंने बहुत प्रसंसनीय बचाव तथा राहत कार्य किया। उन्होंने विनाशकारी भूकंप के हजारों पीड़ितों की जान बचायीं।

महोदय, मैं कुछेक सुझाव देना चाहूंगा। हमारे सभी विश्वविद्यालयों में आपदा प्रबंधन हेतु नियमित पाठ्यक्रम शुरू किये जाएं।

प्राकृतिक आपदाओं की पूर्व सूचना हेतु चेतावनी प्रणाली को उन्नत किया जाए।

केन्द्र के साथ-साथ सभी राज्यों में प्राकृतिक आपदाओं से संबंधित सभी मुद्दों का ध्यान रखने के लिए विधिवत रूप से योग्य तथा प्रशिक्षित नियमित कर्मचारी रखे जाएं।

महोदय, हम देश में कुछ स्थानों पर सूखे तथा अकाल और अन्य स्थानों पर बाढ़ का सामना कर रहे हैं। नदियों को आवास में जोड़ना इस समस्या का समाधान हो सकता है। इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

बैंकों तथा वित्तीय संस्थानों को प्राकृतिक आपदा से प्रभावित लोगों को पुनर्वास के लिए काफी कम ब्याज दरों पर आसान ऋण देने चाहिएं। ऐसे ऋणों के पुनर्भुगतान के लिए किस्तें 20 वर्षों के लिए निर्धारित की जानी चाहिए।

आपदा से प्रभावित लोगों तथा अनेक आश्रितों के पुनर्वास के लिए सरकार की ओर से आवश्यक सहायता प्रदान की जानी चाहिए।

महोदय, मुझे यह अवसर देने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

[अनुवाद]

***श्रीमती के. रानी** (रासीपुरम): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, समुद्र में 8.9 तीव्रता वाले सुमात्रा के बड़े भूकंप द्वारा भारी भूकंपीय समुद्री लहरें आई थीं। ये लहरें 26 दिसंबर, 2004 को आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, पांडिचेरी और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के तटीय क्षेत्रों से टकराई जिसके कारण भारी संख्या में लोगों और पशुओं की जान चली गई तथा करोड़ों रुपये की संपत्ति का नुकसान हुआ। सुनामी लहरों के कारण जान और माल का सबसे अधिक नुकसान तमिलनाडु के चेन्नई, नागापट्टिनम और कन्याकुमारी क्षेत्रों में हुआ। तटरक्षक बल मछुआरों को खोज रहा है और उसने यह रिपोर्ट दी है कि तमिलनाडु तट पर सत्ताइस हजार मत्स्यन नौकाओं को क्षति पहुंची है।

सुनामी के कारण हुए नुकसान का जायजा लेने के लिए इन क्षेत्रों का दौरा करने वाले केन्द्रीय दल ने घोषणा की है कि बड़ी संख्या में व्यक्ति मारे गए हैं अथवा लापता हो गए हैं। लापता व्यक्तियों के परिवारों को मुआवजा प्राप्त करने के लिए अपने संबंधियों को लापता होने की बात सिद्ध करने में अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है और ऐसी आशंका है कि मौजूदा नियमों के अंतर्गत उन्हें मुआवजा दिलाने के मामले तय करने में पांच से सात वर्षों से अधिक का समय लगेगा। यदि प्रभावित परिवारों को समय पर मुआवजा नहीं मिला तो मुझे डर है कि उनकी दुर्दशा दोगुनी हो जाएगी।

हमारी करिश्माई नेत्री श्रीमती सोनिया गांधी सरकारी अस्पतालों में घायल व्यक्तियों से और दो राहत केन्द्रों में विस्थापित मछुआरों से मिलीं और कहा "इस समय हमें इन व्यक्तियों का यथाशीघ्र पुनर्वास कराने पर पूरी तरह से ध्यान केन्द्रित करना है और यह सुनिश्चित करना है कि यह कार्य पूरा हो तथा सरकार इस कार्य को निश्चित रूप से करेगी।"

हमारी सरकार ने सुनामी प्रभावित व्यक्तियों के लिए 8000 करोड़ रुपये आवंटित किये थे। रिजर्व बैंक ने सुनामी के उत्तरजीवितों को आसान शर्तों पर ऋण देने हेतु बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थाओं को निर्देश दिये थे। ये ऋण 500 करोड़ रु. के केन्द्रीय पैकेज से राज्यों द्वारा प्रदान की जाने वाली सहायता के अतिरिक्त हैं।

बीमा कंपनियों को क्षति के दावों विशेषकर मछुआरों की नौकाओं और आम उपकरण के क्षेत्रों को निपटाने के कार्य में तेजी लाने के निदेश दिया गया था। इसके बावजूद ऐसा समझा जाता है कि प्रभावित व्यक्तियों को मुआवजा नहीं मिल रहा है और वे उन्हें परिवार के सदस्यों के लापता होने के कारण अपने लिए आवंटित ऋणों को प्राप्त करने के लिए व्यर्थ में इधर-उधर भटकना पड़ रहा है।

इसलिए, मैं सरकार से अनुरोध करूंगी कि जिन परिवारों के सदस्य लापता हुए हैं और अधिक समय गंवाए बिना मुआवजे का भुगतान किया जाए। उनके मामलों पर यथाशीघ्र निर्णय लिया जाए।

*लिखित भाषण सभा पटल पर रखा गया।

*श्री ई. पोन्नुस्वामी (चिदंबरम): माननीय सभापति महोदय, अपनी मातृभाषा तमिल में बोलने का अवसर देने पर मैं आपको धन्यवाद देता हूं। महोदय, हम अपने देश को प्रभावित करने वाली प्राकृतिक आपदाओं पर अपने-अपने विचार रख रहे हैं। प्राकृतिक आपदाएं समुद्री तूफान और तूफान, सूखा, बाढ़ और हाल ही की अप्रत्याशित सुनामी त्रासदी जैसी किसी भी रूप में हो सकती है। जिस समय भारतीय उपमहाद्वीप तैयार नहीं था, उस समय दिनांक 26.12.04 को अपेक्षाकृत अप्रत्याशित रूप से सुनामी नामक महाविध्वंसक लहरें हमारे दक्षिणी तटों से टकराई और 5 से 10 मिनट के भीतर ही भारी विनाश कर दिया। यह एक बड़ा झटका और विध्वंस था जो कि हमें जीवनभर याद रहेगा। आंध्र प्रदेश, केरल, अंडमान और निकोबार तथा तमिलनाडु के तट हमारे देश में सुनामी प्रभावित क्षेत्र हैं। जहां तक तमिलनाडु का संबंध है तो चेन्नई, चिंगलपुट, कन्याकुमारी, रामनाथपुरम, तिरूनेलवेली, कुड्डालोर, नागापट्टिनम, तथा साथ ही करक्काल सबसे अधिक प्रभावित जिले हैं। महोदय, सुनामी के कारण सबसे अधिक नुकसान नागापट्टिनम जिले को हुआ है और कुड्डालोर जिले में चिदंबरम ताल्लुक जो कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र में आता है वह तमिलनाडु में दूसरा सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्र है। आरंभ में यह एक बड़ी पहेली थी और अंत में यह काफी समय तक रहने वाला भय था और व्यक्तियों ने इस प्राकृतिक आपदा को साक्षात देखा। देखते ही देखते हजारों व्यक्ति मारे गए। लाखों व्यक्तियों को प्रकृति के कोप के कारण भारी मुश्किल और असंख्य कष्ट का सामना करना पड़ा। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में कुड्डालोर जिले में मृतकों की संख्या बढ़कर 614 हो गई। 48 व्यक्ति अभी तक लापता है। 516 नौकाएं गायब हैं। लगभग 1600 हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि उन समुद्री लहरों से जलमग्न होने के कारण खारी हो गई है जो कि प्रचंड सुनामी के कारण तट से टकराई थीं। इस त्रासदी में 1068 मवेशी मारे गए हैं। 51 गांव या तो बह गए हैं या फिर नष्ट हो गए हैं। 20800 से अधिक परिवार अपने सदस्यों की ओर संपत्ति को गंवा चुके हैं जो इन परिवारों से संबंधित है। सुनामी के कम से कम दो दिन बाद तक उन 12800 गांवों को कोई सहायता नहीं पहुंची जहां सबसे अधिक व्यक्ति मारे गए और इतना अधिक विनाश हुआ।

जब सरकारी एजेंसियां भी असफल हो गई तो, स्थानीय व्यक्तियों, पड़ोसी जिलों और राज्यों से व्यक्तियों ने, देशभर से गैर-सरकारी संगठनों ने मानवीय आधार पर सहायता पहुंचाई। तमिलनाडु सरकार दो दिनों के बाद गहरी नींद से जागी। परंतु केन्द्र सरकार काफी आगे थी। माननीय प्रधानमंत्री, हमारी संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन की अध्यक्षा माननीय सोनिया गांधी तथा हमारे माननीय गृह मंत्री सभी तमिलनाडु से केन्द्रीय मंत्रियों समेत सुनामी प्रभावित व्यक्तियों के प्रति सहानुभूति प्रकट करने के लिए तमिलनाडु के प्रभावित क्षेत्रों में गए। हमने अपने कुछ समय के इतिहास में, इस प्रकार की आपदा नहीं देखी है। इस आपदापूर्ण प्रलय के पहले दो दिनों तक तमिलनाडु की मुख्यमंत्री प्रभावित क्षेत्रों में नहीं गई। केन्द्र सरकार द्वारा अभी तक तमिलनाडु के लिए 1760 करोड़ रुपये आवंटित किये गये हैं। तमिलनाडु को लगभग 217 करोड़ रुपये पहले ही जारी किये जा चुके हैं। प्रत्येक मृतकों के निकटतम रिश्तेदार को जाने वाली 1 लाख रुपये की राशि केन्द्र द्वारा दी गई धनराशि से वितरित की गई है। हमें यह अवश्य सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी प्रभावित व्यक्तियों को दीर्घकालीन राहत देने के लिए नौकाएं, जाल और मकान दिए जाएं। परंतु अभी तक प्रति बेड़ा 75000 रुपये, प्रति जाल 32000 रुपये और 15 लाख प्रति यंत्रचालित नौका की बजाय केवल 5 लाख रुपये वितरित किये गये हैं। जब हमने इस अपर्याप्त सहायता के बारे में पूछा तो राज्य प्रशासन का उत्तर था कि केन्द्रीय धनराशि अभी तक नहीं पहुंची है। हाल ही में तमिलनाडु की मुख्यमंत्री द्वारा केन्द्र के विरुद्ध यह आरोप तमिलनाडु विधान सभा में लगाया गया था। तमिलनाडु सरकार आवश्यकता के समय में सुनामी पीड़ितों तक पहुंचने वाली राहत और सहायता से राजनीति खेलकर नाटक कर रही है। तमिलनाडु के मेरे सम्मानित साथी श्री ए.के.एस. विजयन, श्री कृष्णसामी और श्री आर. प्रभु ने तमिलनाडु सरकार की इन चूकों पर विस्तार से चर्चा की है। केवल हमारे माननीय प्रधान मंत्री ने ही नहीं बल्कि महामहिम राष्ट्रपति ने भी यह कहा है कि पर्याप्त सुरक्षोपाय अवश्य किए जाने चाहिएं और इतने अधिक विध्वंस पर पार पाने के लिए पर्याप्त सामाजिक सुरक्षा भी प्रदान की जानी चाहिए। भविष्य में इस प्रकृति की ऐसी चुनौतियों का सामना करने के लिए पूर्व चेतावनी प्रणालियों, एहतियाती उपायों का होना आवश्यक है। माननीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री ने इस प्रणाली के बारे में विस्तार से स्पष्ट रूप से उस प्रणाली के बारे में बताया था जिसे सुनामी और भूकंप की समय पर चेतावनी देने के लिए शीघ्र ही स्थापित किया जाएगा। लेकिन आवश्यकता की इस घड़ी में संबंधित सभी व्यक्तियों के द्वारा निष्पक्ष रवैया अपनाए जाने की आवश्यकता है। संकट की इस घड़ी में मुद्दों को राजनैतिक रंग नहीं दिया जाना चाहिए। इस कार्य को या तो केन्द्र सरकार द्वारा अथवा राज्य सरकारों द्वारा किया जाना चाहिए। इस समय सहायता की महत्ती आवश्यकता है। अतएव सहायता उचित ढंग से समय पर पहुंचनी चाहिए। जहां तक मछुआरों का संबंध है, तटवर्ती क्षेत्रों में नावों, जालों और आश्रयों की आवश्यकताएं तात्कालिक और महत्वपूर्ण हैं। इन क्षेत्रों के न केवल मछुआरे बल्कि मजदूर और असंगठित क्षेत्र के मजदूर जिनका संबंध गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले गरीब लोगों और पददलित लोगों से है, इस आपदा में अपनी सारी सम्पत्ति और आजीविका के समस्त साधन गंवा चुके हैं। उनका जीवन नष्ट हो चुका है और हमें उनके मकानों के पुन: निर्माण के लिए तुरन्त सहायता पहुंचानी चाहिए। उनके लिए आवासों का तत्काल निर्माण किया जाना चाहिए। नाव और जाल उपलब्ध

*मूलत: तमिल में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

कराने के पश्चात् उन्हें उनके पारंपरिक पेशे जारी रखने के लिए उनकी अवश्य सहायता की जानी चाहिए। जहां तक तमिलनाडु में राज्य सरकार का संबंध है, सही-सही योजना बनाए बगैर ढंग से कोई भी कार्य नहीं किया है। वे सीधे केन्द्र सरकार पर यह कहकर दोष मढ़ देते हैं कि निधियां प्राप्त नहीं हुई हैं। महोदय, कई मानवप्रेमी संगठनों के प्रयासों से सरकार को कई करोड़ रुपये प्राप्त हुए हैं, यहां तक कि मीडिया और गैर-सरकारी संगठनों ने सहायता प्रदान की है। परन्तु संकट की इस घड़ी में छोटे किसानों तक को मदद नहीं मिली है।

महोदय, कुछ दिन पहले मैंने सुनामी राहत कोष में संसद सदस्यों द्वारा किये गये अंशदान के संबंध में पढ़ा। इस सम्माननीय सभा के 541 सदस्यों में से केवल 161 सदस्यों ने संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना कोष से धनराशि प्रदान की। इसका श्री गणेश माननीय अध्यक्ष ने किया जिन्होंने विशेष मामले के रूप में सुनामी राहत के लिए निधियों के अन्यत्र उपयोग का मार्ग निकाला। मैं अपने सभी माननीय सहयोगियों से संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना से उदार हृदय से धनराशि देने की अपील करता हूं क्योंकि सुनामी द्वारा मचाई गयी तबाही बताई गयी तबाही से कहीं अधिक है। महोदय, जहां तक मेरा संबंध है, मैंने संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना कोष से माननीय अध्यक्ष द्वारा स्थापित कोष में पहले ही 50 लाख रुपये की राशि दान कर दी है। मेरा इरादा शेष 1.50 करोड़ रुपये की राशि को भी इस वर्ष सुनामी राहत कार्यों पर खर्च करने का है। हमें इस प्राकृतिक आपदा को एक राष्ट्रीय आपदा मानकर तत्काल कार्यवाही करने की जरूरत है। क्योंकि देश के कई भागों के लोग अपनी जान-माल गंवा चुके हैं और उन्हें क्षतिपूर्ति और पुनर्वास प्रदान किये जाने की आवश्यकता है। मैं इस सम्माननीय सभा के माध्यम से तमिलनाडु सरकार से यह अपील करता हूं कि राजनीतिकरण छोड़कर अब तत्काल कार्यवाही की जानी चाहिए। इसलिए मैं माननीय गृह मंत्री के माध्यम से केन्द्र सरकार से पीड़ित लोगों के लिए आश्रय और व्यावसायिक उपकरण और औजार जैसे नावें आदि देकर पुनर्निर्माण कार्य यथाशीघ्र आरंभ करने का अनुरोध करता हूं।

इसी के साथ राष्ट्रीय आपदा पर हमारी प्रतिक्रिया स्वरूप अपना भाषण समाप्त करता हूं।

***श्रीमती तेजस्विनी शीरमेश** (कनकपुरा): माननीय सभापति जी, सभ्यता, आधुनिकीकरण, सार्वभौमिकरण और इनसे प्राप्त आश्चर्यजनक उपलब्धियों और कार्यों के इस दौर में सुनामी जैसी आपदाओं ने एक बार फिर से यह सिद्ध कर दिया है कि प्रकृति इस ब्रह्मांड में मनुष्य की तुलना में बहुत बड़ी शक्ति है।

जब भी मानव ने अपने स्वार्थों और स्वार्थपूर्ण जीवन शैली के लिए प्रकृति और उसके कायदे-कानूनों और सिद्धान्तों का उल्लंघन किया है, इतिहास इस बात का गवाह है कि प्रकृति ने बाढ़, हिमस्खलन, ज्वालामुखियों, सूखे, चक्रवातों और एड्स जैसी बीमारियों द्वारा इसका भयंकर बदला लिया है।

हमारी वैज्ञानिक प्रगति और मौसम संबंधी पूर्वानुमान के बावजूद, हम सुनामी की चेतावनी का पता न लगा सके। इससे पुन: यह सिद्ध होता है कि मनुष्य प्रकृति पर विजय अथवा अपनी तानाशाही नहीं चला सकता।

आंध्र प्रदेश जैसे अन्य राज्यों के साथ-साथ मेरे कर्नाटक राज्य को साढ़े चार सालों तक सर्वाधिक भयंकर सूखे का सामना करना पड़ा जिसने गरीब किसानों को आत्महत्याओं द्वारा अपनी मौत करने के जाल में धकेला। इससे स्थानीय लोग बड़ी संख्या में अन्यत्र विस्थापन कर गये और भूजल स्तर और पेयजल के लिए भी गंभीर संकट पैदा हो गया।

हमारी प्रकृति जैसे वायु, वन, महासागर की सुरक्षा करना और नि:संदेह विभिन्न धर्म जातियां, सीमा, जो अमेरिका पर 9/11 हमले जैसी मानव द्वारा उत्पन्न आपदाओं को जन्म देती है, के बीच सामंजस्य स्थापित करने जैसे अपने राष्ट्रीय उत्तरदायित्वों को अनुभव करना एक भयावह स्थिति है।

सायबेरिया में नोवोसिबीरस्क स्थित सुनामी प्रयोगशाला के अनुसार, प्रशांत महासागर क्षेत्र में गत शताब्दी में 976 सुनामी आयी जिनसे केवल 117 ने मानवीय दुर्घटनाएं और संपत्ति को नुकसान पहुंचाया।

26 दिसम्बर से पहले वर्ष 1797, 1843, 1861 और 1883 में पांच ऐसी दु:खद त्रासदियां हुईं। वर्ष 1797 में, 300 लोग मारे गये। वर्ष 1883 में 36000 लोग मारे गये लेकिन 1861 में कई हजार मौतें दर्ज की गयीं। वर्ष 1883 से इस सुमात्रा-अंडमान क्षेत्र में 26 दिसम्बर 2004 तक कोई सुनामी नहीं आयी। सुमात्रा-अंडमान क्षेत्र में वर्ष 1997 में 8.4, वर्ष 1843 में 8.7, वर्ष 1861 में 8.5 और वर्ष 2000 में 7.9 तीव्रता वाले भूकंप आए। लेकिन दक्षिण-पूर्व और दक्षिण एशिया में तबाही मचाने वाले बाद के भूकंप की तीव्रता को रिएक्टर पैमाने पर 9 आंका गया था।

भारत की राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन में बहुत पुरानी विशेषज्ञता है। लेकिन वर्ष 1984 की भोपाल गैस त्रासदी ने हमारी विशेषज्ञता और इस प्रकार की आपदाओं से निपटने में हमारी विफलता को उजागर किया। हमने विगत में ऐसी घटनाओं का सामना कभी नहीं किया था।

*लिखित भाषण सभा-पटल पर रखा गया।

[श्रीमती तेजस्विनी शीरमेश]

श्री राजीव गांधी जी, तत्कालीन प्रधानमंत्री ने लीपापोती के स्थान पर मुक्त रूप से त्रुटियों को स्वीकार किया और उनमें सुधार करने के उपाय आरंभ किये और पुनरुद्धार के कार्य में जुट गये। मैं यह महसूस करती हूं कि इस सम्माननीय सभा में यह उल्लेख करना अनुचित नहीं है कि कांग्रेस सरकार वर्ष 1989 में केन्द्र में अपनी सत्ता गंवा चुकी थी और बाद की सरकारों ने इसे उतना महत्व नहीं दिया जितना राजीव जी ने दिया था।

जहां तक सुनामी पश्चात् राहत कार्यों का संबंध है, हमारे प्रधान मंत्री, डा. मनमोहन सिंह जी, जो एक अत्यन्त विनम्र और ईमानदार नेता हैं, प्रशंसा के योग्य हैं और उन्होंने सुनामी पीड़ितों के दिल-दिमाग को जीता है।

यदि इम हमारी नेता और संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार की चेयरपर्सन श्रीमती सोनिया गांधी द्वारा प्रदत्त अमूल्य सेवाओं को नजरअंदाज करें तो यह हमारा पाप होगा। जिन्होंने देशभर में सुनामी पीड़ितों को सांत्वना देने के लिए यात्राएं की तथा राहत कार्यों की निगरानी की।

महोदय, श्रीमती सोनिया गांधी के जीवन से सदा-सदा के लिए बिछुड़ने वाले और इस राष्ट्र के लिए अपने जीवन को न्योछावर करने वाले प्रिय व्यक्ति की कमी को कोई भी पूरा नहीं कर सकता। श्री राजीव जी जो राष्ट्रीय एकता को बचा कर रखने में शहीद हो गए की गर्वीली विधवा के रूप में वह कार्यरत हैं। दो बच्चों की दुखी माता के रूप में जो अपने प्रिय पिता को खो चुके हैं, दो छोटे बच्चों की नानी के रूप में, वह आप एक सम्पूर्ण महिला हैं। हमें उनके इस समर्पण पर गर्व है। इस घड़ी में, सुनामी पश्चात् संकट के समय, हम सभी इकट्ठे होकर आपदा का सामना करें।

सायबेरिया में नोवोसिबीरस्क स्थित सुनामी प्रयोगशाला के अनुसार, गत शताब्दी के दौरान प्रशांत महासागर में 796 सुनामी आयी। इनमें से केवल 117 ने दुर्घटना जन्म मृत्यु और संपत्ति को विनाशलीला की। इनमें से अधिकांश मामलों में, मानवीय दुर्घटनाएं और संपत्ति का नुकसान केवल सुनामी उत्पन्न होने वाले क्षेत्र में ही हुआ। इनमें से केवल नौ ने प्रशांत महासागर में व्यापक विनाश किया। एक ही वर्ष में सबसे अधिक सुनामी वर्ष 1983 में आए थे और उनकी संख्या 19 थी, परंतु ये सब सुनामी कम प्रभाव वाले थे और उनके कारण कोई क्षति नहीं हुई। पिछली शताब्दी के दौरान एक भी वर्ष ऐसा नहीं था जब प्रशांत महासागर क्षेत्र में कोई सुनामी न आया हो।

इसी स्रोत के अनुसार पिछली शताब्दी के कुल सुनामियों में से 17 प्रतिशत सुनामियों के शुरू होने का स्थान जापान में या उसके आसपास था। इसके बाद दक्षिण अमरीका, 15 प्रतिशत; न्यू गिनी सोनोमन द्वीप समूह, 13 प्रतिशत; इंडोनेशिया, 11 प्रतिशत; कुरील द्वीपसमूह और कामचैटका, 10 प्रतिशत; मैक्सिको और मध्य अमरीका, 10 प्रतिशत; फिलीपिंस, 9 प्रतिशत; न्यूजीलैंड और टोंगा, 7 प्रतिशत; अलास्का और कनाडा के पश्चिमी तट और संयुक्त राज्य अमरीका, 7 प्रतिशत; और हवाई, 3 प्रतिशत का स्थान आता है। इस प्रकार, इस क्षेत्र में सबसे अधिक सुनामी प्रवण देशों/क्षेत्रों की सूची में इंडोनेशिया चौथे स्थान पर हैं।

प्रशांत महासागर क्षेत्र में सुनामी को पूर्णत: स्थानीय, क्षेत्रीय और प्रशांत महासागर क्षेत्र प्रसार के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। स्थानीय सुनामी सामान्यत: अंत:समुद्री भूस्खलनों या ज्वालामुखी फटने के कारण होते हैं। 9 जुलाई, 1958 को अलास्का में आए स्थानीय सुनामी के कारण लहरें उत्पन्न हुई जिनके बारे में बताया जाता है ये लहरें दक्षिण पूर्व एशियाई और दक्षिण एशियाई क्षेत्रों में हाल ही के सुनामी विध्वंस के दौरान देखी गई लहरों से भी अधिक ऊंची और अधिक वेग वाली थीं, परन्तु इस सुनामी की क्षति उसी क्षेत्र तक सीमित थी जहां पर यह आया था। इसका प्रभाव अधिक क्षेत्र तक नहीं था। प्रशांत महासागर क्षेत्र में व्यापक क्षति पहुंचाने वाला पिछला सुनामी 22 मई, 1960 को आया था प्रभावित देशों में चिली, संयुक्त राज्य अमरीका (हवाई), जापान और फिलीपिंस थे। कम क्षेत्र को प्रभावित करने वाला परन्तु अत्यधिक क्षति पहुंचाने वाला सुनामी, वर्ष 1964 को विध्वंसकारी अलास्का भूकंप सुनामी था जिसके बारे में बताया जाता है कि शअचबे और वाल्डेज इनलेट में 67 मीटर की लहरें उत्पन्न हुई थी। अलास्का में 106, कैलीफोर्निया में 13 और ओरगोन में चार व्यक्तियों की मौत हुई थी। संपत्ति की क्षति हुई थी परन्तु कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया क्षेत्र में लोगों की मौत नहीं हुई थी।

26 दिसंबर, 2004 की त्रासदी से पूर्व पांच विनाशकारी सुनामी सुमात्रा क्षेत्र में 10 फरवरी, 1797, 24 नवंबर 1833, 5 जनवरी, 1843, 16 फरवरी, 1861 और 1883 (महीने और तारीख की सूचना उपलब्ध नहीं) को आए थे। वर्ष 1797 में लगभग 300 व्यक्तियों और वर्ष 1883 में 36000 व्यक्तियों की मत्यु हुई थो। शेष घटनाओं में मृत्यु संबंधी आंकड़ों के ब्यौरे का रिकार्ड नहीं है, परन्तु ऐसा बताया गया था कि वर्ष 1861 में भी हजारों व्यक्ति मारे गये थे। वर्ष 1883 के बाद से सुमात्रा क्षेत्र में 26 दिसम्बर, 2004 तक ऐसा कोई सुनामी नहीं उठा है जिसके कारण हजारों व्यक्ति मारे गए हों।

सुमात्रा-अंडमान क्षेत्र में वर्ष 1797 में रिक्टर स्केल पर 8.4 की तीव्रता वाला वर्ष 1843 में 8.7 की तीव्रता, वर्ष 1861 में 8.5 की तीव्रता और वर्ष 2000 में 7.9 की तीव्रता वाले भूकंप आए थे। दक्षिण पूर्व और दक्षिण एशिया में हाल ही में आए विध्वंसकारी

भूकंप की तीव्रता पर आंकी गई। ऐसा बताया जाता है कि संयुक्त राज्य अमरीका सहित अनेक देशों में विशेषज्ञों द्वारा हाल ही में आए भूकंपों की तीव्रता का आकलन करने में कुल विलंब हुआ था।

इस विलंब का स्पष्टीकरण करते हुए अमरीकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण बताता है: ''जबकि भूकंप के स्थान का अपेक्षाकृत शीघ्रता से पता लगाया जा सकता है, भूकंप की तीव्रता का पता लगाना कुछ कठिन है। इसका कारण है कि स्थान का पता मुख्यत: समय के माप पर आधारित है जब भूकंपीय लहरें केन्द्र पर पहुंचती है। दूसरी तरफ, तीव्रता इन लहरों के एम्पीलायड पर आधारित है। एप्लीट्यूड इनके पहुंचने के समय की तुलना में बहुत अधिक परिवर्तनीय है, इसके कारण तीव्रता के आकलन में काफी अनिश्चितता रहती है। बड़े भूकंप के मामले में इस तथ्य के कारण यह समस्या और बढ़ जाती है कि भूकंप जितना बड़ा होता है। भूकंपीय लहरों की विशिष्ट आवृत्ति उतनी ही कम होती है। इसका अर्थ यह है कि धरातलीय लहर, जिसमें 'बोडी वेव्ज' की अपेक्षा कम आकृति ऊर्जा होती है, को तीव्रता का निर्धारण करने के लिए प्रयोग किया जाना आवश्यक है। बड़े भूकंप के मामले में तीव्रता का सही-सही निर्धारण करने के लिए कई घंटों के आंकड़ों को रिकार्ड किया जाना आवश्यक है। इस प्रकार, कई घंटों में स्थान के सही-सही अनुमान लगाने के बाद तीव्रता का सही-सही आकलन हो सकता है। 9.0 सुमात्रा अंडमान द्वीपसमूह भूकंप के मामले में, उत्पन्न अति निम्न आवृत्ति ऊर्जा को मापने के लिए मानक विधियां अपर्याप्त थी और उनमें आशोधन किये जाने की आवश्यकता थी। इसके कारण तीव्रता के अंतिम निर्धारण में अगले दिन तक विलंब हुआ।

20वीं शदी की शुरुआत से जब भी उच्च तीव्रता वाले (7.5 से अधिक) भूकंप से सुनामी लहरें बनी हैं, इनके प्रसार की दिशा प्रशान्त क्षेत्र की ओर रही है। ऐसा पहली बार हुआ है कि इनकी दिशा बंगाल की खाड़ी/हिन्द महासागर क्षेत्र की ओर हुआ।

प्रशान्त क्षेत्र में सुनामी लहरों के बार-बार आने के मद्देनजर 1949 में हवाई के इवा समुद्र तट पर प्रशान्त सुनामी चेतावनी केन्द्र (पीटीडब्ल्यूसी) की स्थापना की गई थी जिसका उद्देश्य प्रशान्त बेसिन में स्थित अधिकांश देशों तथा हवाई और अलास्का के बाहर प्रशान्त में अन्य सभी अमरीकी स्वत्व के क्षेत्रों को संभावित सुनामी की पूर्व चेतावनी प्रदान करना है तथा अमरीकी पश्चिमी तटीय क्षेत्रों पर पाकर, अलास्का में स्थित पश्चिमी तट/अलास्का सुनामी चेतावनी केन्द्र (डब्ल्यूसी/एटीडब्ल्यूसी) द्वारा ध्यान दिया जाता है। हवाई के स्थानीय तथा क्षेत्रीय सुनामियों के लिए चेतावनी केन्द्र भी पीटीडब्ल्यूसी है।

सुनामी के संबंध में जागरूकता उत्पन्न करने तथा सुनामी की आशंका वाले क्षेत्रों में वैज्ञानिक अनुसंधान तथा शैक्षिक संगठनों, सिविल डिफेन्स एजेंसियों तथा आम जनता के नेटवर्क के माध्यम से सुनामी से संबधित तैयारी में सुधार लाने के लिए संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन (यूनेस्को) के इंटरगवर्नमेंटल ओशनोग्राफिक कमिशन (आईओसी) द्वारा 1965 में एक अंतर्राष्ट्रीय सुनामी सूचना केन्द्र (आईटीआईसी) की स्थापना की गई। यह अन्य कार्यों के अलावा निम्नलिखित कार्य करता है: प्रशान्त क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सुनामी चेतावनी कार्यकलापों को मानीटर करना; सदस्य राज्यों की राष्ट्रीय चेतावनी प्रणाली बनाने में सहायता करना तथा सुनामी चेतावनी प्रणालियों के लिए नवीन प्रौद्योगिकियों पर सूचना प्रसारित करना। यह हवाई में होनोलुलू में स्थित है।

सुनामी चेतावनी प्रणाली की संचार योजना में दी गई कार्यविधि के अनुसार पूरे प्रशान्त क्षेत्र में सदस्य राष्ट्रों को सुनामी निगरानी, चेतावनी तथा परामर्शी बुलेटिनों का प्रसारण सुनिश्चित करने के लिए 1968 में प्रशान्त में सुनामी चेतावनी प्रणाली सुनामी वार्निंग सिस्टम इन पैसिफिक के लिए एक अन्तर्राष्ट्रीय समन्वयन समूह (आईसीजी) का गठन किया गया था। आईसीजी यूनेस्को तथा इंटरगवर्नमेंटल ओशनोग्राफिक कमिशन (आईओसी) का सहायक निकाय है।

वर्तमान में सुनामी वार्निंग सिस्टम इन पैसेफिक (टीडब्ल्यूएसपी) के निम्नलिखित 26 सदस्य देश हैं: आस्ट्रेलिया, कनाडा, चिली, चीन, कोलम्बिया, कुक द्वीपसमूह, कोस्टारिका, डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया, इक्याडोर अल सलवाडोर, फिजी, फ्रांस, गोटेमाला, इंडोनेशिया, जापान, मैक्सिको, न्यूजीलैंड, निकारागुआ, पेरू, फिलीपीन्स, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, सैमुआ, सिंगापुर, थाईलैण्ड, रूसी संघ तथा अमरीका। यह बताया गया है कि इन सभी देशों की अपनी राष्ट्रीय चेतावनी प्रणालियां भी हैं।

इसके बावजूद न केवल इंडोनेशिया और थाईलैण्ड बल्कि अमरीका, फ्रांस, कनाडा, आस्ट्रेलिया तथा न्यूजीलैण्ड जैसे पश्चिमी देश और जापान जहां से हजारों पर्यटक क्रिसमस तथा नव वर्ष की छुट्टियां थाइलैण्ड, श्रीलंका और मालदीव में बीताते हैं, सुनामी लहरों से सावधान नहीं हो पाए, जिससे इन क्षेत्रों के 1,20,000 लोगों तथा 2000 से अधिक विदेशी, प्रमुख रूप से पश्चिम के पर्यटकों की जानें गई। पश्चिमी पर्यटकों की मृत्यु मुख्य रूप से थाईलैंड और श्रीलंका में बताई गई है।

पश्चिमी देश विशेष रूप से अमरीका विदेश में जा रहे अपने नागरिकों को आतंकवाद तथा प्राकृतिक आपदाओं से उनकी जान पर संकट की संभावना के संबंध में सलाह देते हैं। इंडोनेशिया में असेह से दूर समुद्र में आए भूकंप के बाद इस क्षेत्र में विशेष रूप

[श्रीमती तेजस्विनी शीरमेश]

से थाईलैण्ड, श्रीलंका तथा मालदीव में छुट्टी मनाने आए उनके हजारों (लगभग 40,000) नागरिकों को कोई सलाह जारी कैसे नहीं की गई?

सामान्य रूप से प्रशान्त चेतावनी प्रणाली तथा विशेष रूप से इंडोनेशिया और थाईलैण्ड की राष्ट्रीय चेतावनी प्रणाली सन्निकट सुनामी आपदा के बारे में अपने नागरिकों तथा विदेशी पर्यटकों को पूर्व चेतावनी देने में असफल कैसे रहे? पश्चिमी देश तथा 1949 में उनके द्वारा स्थापित आधुनिक प्रणालियां पूर्व चेतावनी देने में असफल कैसे रही जब इसके प्रसार की दिशा बंगाल की खाड़ी/ हिन्द महासागार क्षेत्र की ओर थी? अब तक इसका कोई संतोषजनक स्पष्टीकरण सामने नहीं आया है।

थाईलैण्ड के मौसम विभाग के एक अज्ञात सदस्य ने आरोप लगाते हुए कहा कि सुनामी चेतावनी के गलत साबित हो जाने पर देश के महत्वपूर्ण पर्यटन उद्योग पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की आशंका से सुनामी चेतावनी नहीं दी गई। प्रधानमंत्री थाकसिन शिनावात्रा ने मामले की जांच कराने का वादा किया है।

भारत किसी भी सुनामी चेतावनी प्रणाली का सदस्य नहीं रहा है। भारत द्वारा विगत में अपनी राष्ट्रीय चेतावनी प्रणाली स्थापित करने हेतु किये गये प्रस्ताव तथा अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क (मुख्यत: प्रशान्त) में शामिल होने के अनुरोध को कम प्राथमिकता दी गई क्योंकि इसमें अत्यधिक धनराशि (1,000 मिलियन रुपये-एक यू.एस. डॉलर 45 रुपये के बराबर) खर्च होती तथा इस तथ्य के मद्देनजर 100 से कुछ ज्यादा वर्षों से भारत में कोई सुनामी लहरें नहीं आयी थीं।

भारत के सुनामी लहरों से प्रभावित होने की संभावना बहुत कम नगण्य मानी गई थी। परिणामस्वरूप, न केवल उन्नत चेतावनी तथा अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्किंग प्रणाली की स्थापना के लिए कोई प्रयास किये गए बल्कि हमारे नाभिकीय एवं अंतरिक्ष प्रक्षेपण प्रतिष्ठानों के स्थल निर्धारण तथा उनके सुरक्षा पहलुओं को तैयार करने में सुनामी संभाव्यता के पहलू पर भी विचार नहीं किया गया। इसी प्रकार अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूहों में सैन्य प्रतिष्ठानों के स्थल निर्धारण में तथा उनके सुरक्षा पहलुओं को तैयार करने में सुनामी संभाव्यता पर विचार नहीं किया गया।

भारतीय अधिकारियों के अनुसार, चैन्नई के निकट कलपक्कम स्थित विद्युत केन्द्र, तमिलनाडु में दक्षिण तट पर कुडानकुलम में रूस की सहायता से निर्माणाधीन विद्युत केन्द्र तथा आंध्र प्रदेश में श्री हरिकोटा स्थित अंतरिक्ष परिसर सहित हमारे नाभिकीय प्रतिष्ठानों को कोई नुकसान नहीं हुआ है। कलपक्कम में समुद्र के निकट स्थित रिहायशी इलाकों में जब सुनामी लहरें घुसी तो अपने परिवार के सदस्यों के साथ पांच कर्मचारियों की दर्दनाक मृत्यु हो गई।

भविष्य में राष्ट्रीय सुरक्षा के हमारे सभी संवेदनशील प्रतिष्ठानों की योजना बनाते समय तथा विगत में स्थापित प्रतिष्ठानों के सुरक्षा उपायों को उन्नत करने के बारे में सुनामी संभाव्यता के पहलू पर तत्काल ध्यान दिये जाने की आवश्यकता है, चाहे इस पर कितना भी खर्च क्यों न आये।

भारत सरकार ने अग्रिम चेतावनी प्रणाली स्थापित करने और अंतर्राष्ट्रीय चेतावनी तंत्र में शामिल होने की घोषणा भी की है। इससे निश्चित रूप से भावी आपदाओं का अनुमान लगाने तथा जान तथा माल के भारी नुकसान को कम करने की हमारी क्षमता बढ़ेगी बशर्ते कि मानवीय पहलू पर हम पूरा ध्यान दें। बेहतर प्रौद्योगिकीय इनपुट, सूचनाओं की बेहतर गुणवत्ता आदि उपलब्ध कराने से गजटों, प्रौद्योगिकियों तथा अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्किंग से निश्चित रूप से मदद मिलती है। लेकिन आपदा या विपत्ति को रोकने या उसके प्रभाव को कम करने में हम अंतत: कितने प्रभावी हैं यह विश्लेषण, आकलन तथा आंकड़ों का प्रयोग करने वालों के तत्परता के स्तर और कितनी शीघ्रता से यह प्रतिक्रिया करता है; पर निर्भर करता है। एक सजग, सावधान, विश्लेषणमूलक, सक्रिय, दूरदर्शी दिमाग आपदा तथा विपत्ति को रोकने तथा उसके प्रभाव को कम करने में गजटों तथा प्रौद्योगिकियों से हजार गुना महत्वपूर्ण होता है।

प्राकृतिक तथा कृत्रिम आपदाओं की भांति ही यह राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए होने वाले खतरों के बारे में सत्य है। यह हमने 1984 में भोपाल गैस त्रासदी के बाद वर्ष 1999 में पाकिस्तान के साथ कारगिल संघर्ष से पूर्व तथा यू.एस.ए. में 9/11 के आतंकवादी हमलों से पूर्व देखा है। भारत में कारगिल संघर्ष तथा यू.एस.ए. में 9/11 की घटना के चार सप्ताह पूर्व ही होने वाले संघर्ष/आपदा के पर्याप्त संकेत मिल गए थे। जिस मानव दिमाग, से आंकड़ों का सही तथा समय पर विश्लेषण करने तथा इन दुर्घटनाओं को रोकने की आशा की गई थी, वह ऐसा करने में असफल रहा।

जब हम 26 दिसम्बर, 2004 को आए विनाशकारी सुनामी का मनोविश्लेषण करते हैं तो पाते हैं कि न केवल सुमात्रा बल्कि हमारे स्वयं के क्षेत्र अंडमान तथा निकोबार से सुदूर समुद्री भूकंप की तीव्रता के बारे में पर्याप्त रहस्य सूचक सूचनाएं, थाईलैण्ड में आने से पूर्व कार निकोबार में सुनामी लहरों के आने तथा उनकी दक्षिण भारत एवं श्रीलंका में आने से पूर्व थाइलैण्ड में आने की सूचनाएं मिल चुकी थीं। यह आशा थी कि एक व्यावसायिक तथा सजग व्यक्ति के दिमाग में यह बात तुरन्त आएगी तथा वह चेतावनी देगा एवं नई दिल्ली स्थित आपदा प्रबंधन मशीनरी को सक्रिय कर देगा। मीडिया में प्रकाशित समाचारों के अनुसार संकट प्रबंधन तंत्र ने लगभग 2 बजे कार्य करना आरंभ किया। उस समय तमिलनाडु तट पर विनाशकारी लहरों को आए हुए पांच घंटे से ऊपर हो चुके थे।

जैसी कि कहावत है कि घटना के बाद बुद्धिमान बनना आसान है। यह सही है। परन्तु यदि हम घटना से पहले तक भी बुद्धिमानी नहीं दिखा पाए तो कम से कम उसके बाद तो बुद्धिमान हो ही जाना चाहिए। अन्यथा, इस प्रकार की आपदाएं बार-बार आती रहेंगी। घटना के बाद बुद्धिमानी इसी में है कि हमें अपनी कर्मियों का नैदानिक वस्तुनिष्ठ आलोचनात्मक विश्लेषण करना चाहिए। मीडिया के अनुसार विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सूत्रों ने दावा किया है कि सुमात्रा के समुद्री भूकम्प के संबंध में तत्काल चेतावनी इसलिए जारी नहीं की गयी क्योंकि यह दूसरे देश की सीमा क्षेत्र में हुआ था तथा भारत के क्षेत्र में नहीं। इन सूत्रों के अनुसार वर्तमान प्रक्रिया के अनुसार इस प्रकार की चेतावनी उस समय जारी की जाती है जब केवल भारतीय क्षेत्र या इसके आसपास भयंकर भूकम्प आए। यह बहुत ही आश्चर्यजनक और दहलाने वाला है कि इन अधिकारियों ने इस तथ्य को नजरअंदाज कर दिया कि अंडमान और निकोबार हमारा क्षेत्र है तथा समुद्री भूकम्प हमारे क्षेत्र के समीप आया है तथा इस त्रासदी का प्रभाव सबसे पहले कार निकोबार में हमारे नागरिकों पर पड़ा।

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन में भारत के पास लम्बे समय की विशेषज्ञता है। परन्तु 1984 की भोपाल गैस त्रासदी ने हमारी विशेषज्ञता की गंभीर कमियों को उजागर किया तथा उस प्रकार की आपदाओं से निपटने में हमारी असमर्थता जाहिर कर दी, जिनका सामना हमने पहले नहीं किया था। एक व्यापक तथा निरन्तर अद्यतन की जा रही आपदा प्रंबधन प्रणाली उपलब्ध नहीं थी।

इसका श्रेय तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी को जाता है कि उन्होंने कमियों को छिपाने के स्थान पर खुले तौर पर उन्हें स्वीकार किया तथा उनमें सुधार करने के उपाय आरंभ किये। उन्होंने हमारी प्राकृतिक आपदा प्रबंधन प्रणाली को नया रूप देने के लिए इस मामले में विशेषज्ञता प्राप्त एक वरिष्ठ अधिकारी को नई दिल्ली में भारत सरकार के गृह मंत्रालय के साथ संलग्न किया। 26 दिसम्बर, 2004 को जब सुनामी, भारत के दक्षिण भाग तथा अंडमान और निकोबार तक पहुंची तो निचले स्तर तक स्थानीय प्रशासन के समय पर बचाव और राहत कार्य आयोजित किये। उनके द्वारा पर्याप्त तत्परता का अच्छा खासा श्रेय राजीव गांधी द्वारा किये गये मूल कार्य को दिया जाना चाहिए। परन्तु दुर्भाग्य से जैसाकि अक्सर होता है, 1989 में चुनाव में उनकी कांग्रेस पार्टी की हार के कारण, सरकार से उनके बाहर होने के बाद आई सरकारों ने इस विषय पर उतना ध्यान नहीं दिया, जितना राजीव गांधी के शासन में दिया गया था। यह आशा की जा रही है कि कम से कम अब तो प्राकृतिक अथवा मानव निर्मित हर तरह की आपदा हेतु प्रबंधन प्रणाली को पुनर्गठित करने के आवश्यक कार्य को सबसे अधिक वरीयता दी जाएगी।

सुनामी तबाही के परिणामों ने नीति निर्माताओं को यह बता दिया होगा कि प्राकृतिक आपदाओं का जबरदस्त प्रभाव न केवल लोगों के जीवन तथा कल्याण और अर्थव्यवस्था पर पड़ता है बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा भी इससे प्रभावित होती है जैसाकि अंडमान और निकोबार में देखा गया। द्वीपसमूह में स्थापित संयुक्त सैन्य मुख्यालय, हमारी नौसेना रक्षा व्यवस्था तथा मलाका जलडमरूमध्य पर संयुक्त गश्त तथा निगरानी तथा पोतों और तेल के टैंकरों की समुद्री डाकुओं तथा आतंकवादियों से रक्षा करने जैसे मामलों में दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों को सहायता देने की हमारी क्षमता का महत्वपूर्ण घटक है। द्वीपसमूह में हमारी सैन्य क्षमताओं को हुए नुकसान की भरपाई पर भी तत्काल ध्यान दिये जाने की आवश्यकता है, चाहे इस पर कितनी भी लागत आए।

वित्तीय कारणों से भारत द्वारा अग्रिम सुनामी चेतावनी प्रणाली में शामिल होने में विलंब तथा स्वयं की राष्ट्रीय क्षमता की स्थापना, हमारे वित्तीय विशेषज्ञों के अदूरदर्शी दृष्टिकोण के कारण हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा तथा आपदा प्रबंधकों के सामने आ रही कठिनाइयों को उजागर करती हैं। यह विशेषज्ञ इस प्रकार के प्रस्तावों को इस आधार पर नामंजूर कर देते हैं कि यह प्रस्ताव, असुरक्षा की संभावना पर आधारित होते हैं तथा वास्तविक खतरों की संभावना अथवा निश्चितता पर नहीं। वे अक्सर उन प्रस्तावों को स्वीकृत करने में हिचकिचाते हैं, जिनका औचित्य इस आधार पर होता है कि आने वाले खतरे से निपटने के लिए हमें पूरी तरह तैयार होना चाहिए। इस प्रकार का नकारात्मक रवैया हानिकारक साबित हो सकता है। यह तथ्य कि जो हो सकता है यदि नहीं हुआ तो वह इसका अर्थ यह नहीं है कि जिन्होंने इस ओर ध्यान दिलाया कि क्या हो सकता है, वे मूर्ख नहीं हैं अथवा उसे रोकने अथवा उसके प्रभाव को कम करने पर आया खर्च, करदाताओं के धन को बर्बाद करना है।

[हिन्दी]

सभापति महोदय: मैं आप लोगों से एक आग्रह करना चाहता हूं कि अभी 25 माननीय सदस्य बोलने वाले हैं। इसके बाद माननीय मंत्री जी को भी रिप्लाई देना है। इस तरह ढाई घंटे लग जायेंगे। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि समय सीमा को देखते हुए हर सदस्य पांच मिनट में अपनी बात खत्म करे।

श्री खारबेल स्वाईं: अभी एक घंटे पहले भी 25 मैम्बर बोलने वाले थे। इस बीच पांच-सात मैम्बर बोल चुके हैं। इसके बाद भी क्या अभी 25 मैम्बर और बोलने वाले हैं?

सभापति महोदय: चीफ व्हिप से लिस्ट आती रहती है।

[अनुवाद]

श्री किन्जरपु येरननायडु (श्रीकाकुलम): माननीय सभापति महोदय, सुनामी से अंडमान और निकोबार द्वीप, तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश और पांडिचेरी को भारी नुकसान हुआ है। सुनामी से अंडमान और निकोबार द्वीप के अतिरिक्त कुल 2,220 किलोमीटर लंबे समुद्रतट को नुकसान पहुंचा है।

आंध्र प्रदेश में सुनामी के कारण 105 लोग मरे तथा 481 मकानों, 89 पशुओं, 596 हेक्टेयर कृषि क्षेत्र और 12,189 नौकाओं का नुकसान हुआ। पिछले 6 वर्षों से आंध्र प्रदेश में हमने 1,104 मंडलों में से वर्ष 1999-2000 में 689 मंडलों, वर्ष 2000-2001 में 142 मंडलों, 2001-2002 में 995 मंडलों; 2002-03 में 1,087 मंडलों, पिछले वर्ष 2003-04 में 453 मंडलों और चालू वर्ष अर्थात् 2004-05 में 802 मंडलों को सूखाग्रस्त घोषित किया।

आंध्र प्रदेश सरकार ने केन्द्र सरकार से 1,200 करोड़ रुपये और 25 लाख मीट्रिक टन चावल उपलब्ध कराने का अनुरोध किया था। अभी तक भारत सरकार ने राष्ट्रीय आपदा राहत कोष से केवल 117.88 करोड़ रुपये जारी किये हैं और आंध्र प्रदेश के लिए केवल 2.2 लाख मीट्रिक टन चावल स्वीकृत किये हैं। पूर्ववर्ती राजग सरकार में, जब तेलगु देशम सरकार राज्य में सत्ता में थी तो हमने 55 लाख मीट्रिक टन चावल स्वीकृत किये थे। हमने सारे आंध्र प्रदेश में 'काम के बदले अनाज' कार्यक्रम लागू किया था। हालांकि इस संप्रग सरकार ने केवल आठ जिलों के लिए काम के बदले अनाज कार्यक्रम की स्वीकृति दी है। इस कार्यक्रम का शुभारम्भ माननीय प्रधानमंत्री ने किया था। कल तक, लगभग 82 लाख कृषि मजदूर और लगभग 18 लाख छोटे और मंझोले किसान आंध्र प्रदेश से देश के विभिन्न भागों में चले गये हैं।

ग्यारहवें वित्त आयोग ने प्रत्येक राज्य के लिए आपदा राहत कोष में यह निर्धारित किया है कि हमें आपदा राहत कोष के अंतर्गत कितनी धनराशि उपलब्ध करानी है। दूसरे, भारत सरकार इस दल की सिफारिशों के आधार पर राष्ट्रीय आपदा राहत कोष का निर्णय करती है। अत: वर्तमान परिदृश्य में ज्यादा प्रभावित राज्यों को भी राष्ट्रीय आपदा राहत कोष के अंतर्गत अधिक धन नहीं मिल रहा है। अब आपके माध्यम से माननीय गृह मंत्री जी से मेरा यह अनुरोध है कि आपदा राहत कोष और राष्ट्रीय आपदा राहत कोष के अंतर्गत भी बजटीय आवंटन को बढ़ाया जाए अन्यथा किसी भी राज्य को अधिक धन नहीं मिलेगा।

बारहवां वित्त आयोग 2005-06 से 2010 तक काम करेगा. बारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार सरकार को राज्यों के लिए राष्ट्रीय आपदा राहत कोष और आपदा राहत कोष के अंतर्गत भी बजट में वृद्धि करनी चाहिए।

जहां तक सुनामी चेतावनी केन्द्र का संबंध है, हैदराबाद या विशाखापट्टनम सुनामी चेतावनी केन्द्र स्थापित करने हेतु उपयुक्त स्थान हैं। हमारे पास मौसम विज्ञान विभाग, तूफान चेतावनी केन्द्र और भूकंप चेतावनी केन्द्र है किंतु कोई सुनामी चेतावनी केन्द्र नहीं है। अत: भारत सरकार ने सर्वदलीय बैठक में आपदा प्रबंधन प्राधिकरण बनाने का निर्णय लिया है। उसने आपदा प्रबंधन प्राधिकरण बनाने हेतु आदेश जारी कर दिए हैं और राज्य सरकारों को अपने राहत और पुनर्वास विभाग को आपदा प्रबंधन केन्द्र में बदलने का अनुदेश भी दे दिया है। उसने चालू बजट सत्र में एक कानून बनाने का भी निर्णय लिया है। इसलिए इस संबंध में मैं भारत सरकार की प्रशंसा कर रहा हूं।

सरकार ने आंध्र प्रदेश राज्य को 3,666 करोड़ रुपये में से 70 करोड़ रुपये अनुदान के रूप में दिए हैं। उसने मात्स्यिकी से संबंधित मंत्रालय और अन्य मंत्रालयों तथा राष्ट्रीय आपदा राहत कोष से विभिन्न शीर्षों के अंतर्गत आंध्र प्रदेश को कुल 70 करोड़ रुपये भी दिए हैं। किंतु अभी तक आंध्र प्रदेश में कोई काम शुरू नहीं हुआ है। हमें पैसा दिया गया है किंतु मछुआरे विभिन्न राजनैतिक दलों के पास भी जा रहे हैं। वे बेघर हैं किंतु राहत हमने दी है। हमने पुनर्वास कार्य भी किया है और आंध्र प्रदेश में पुनर्निर्माण कार्य भी चल रहा है। अत: सभी मछुआरे बेघर हैं। इसलिए मैं भारत सरकार से अनुरोध कर रहा हूं कि वह राज्य सरकार से कहे। हमने इस प्रयोजनार्थ पैसा दिया है। राज्य सरकार को मछुआरों के लिए अविलंब घरों का निर्माण कार्य शुरू करना होगा।

जहां तक सूखे का प्रश्न है, सारे राज्य में भयंकर सूखा पड़ा है। राज्य भर में पेयजल और चारे की कमी है। 'काम के बदले अनाज' कार्यक्रम की कमी है। लोग देश के विभिन्न भागों में पलायन कर रहे हैं। मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार भी भारत सरकार ने राज्य को जितना चावल दिया था वह समाप्त हो गया है। आंध्र प्रदेश में यह स्थिति चल रही है। इसलिए भारत सरकार को राज्य सरकार के अनुरोध को मानना चाहिए। राज्य सरकार ने 1,200 करोड़ रुपये और 20 लाख मीट्रिक चावल की मांग की है। अत: आपके माध्यम से मैं गृह मंत्री जी से यह अनुरोध कर रहा हूं कि वे राष्ट्रीय आपदा राहत कोष के अंतर्गत अधिक राशि और 'काम के बदले अनाज' कार्यक्रम के अंतर्गत अधिक चावल स्वीकृत करें। मेरा यही अनुरोध है।

महोदय, इन थोड़े से शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

सभापति महोदय: येरननायडु जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने निर्धारित समय में अपना भाषण पूरा किया है।

....(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री राजनरायन बुधौलिया (हमीरपुर, उ.प्र.): महोदय, देश में बदलते मौसम के कारण कई राज्यों में प्रतिवर्ष ओलावृष्टि, अत्यधिक वर्षा एवं तूफान से देश की गरीब जनता सबसे ज्यादा और सबसे पहले प्रभावित होती है। कृषि प्रधान देश होने के कारण किसान खेतों में और चरवाहे चारागाहों में, खुले मैदानों में रहते हैं और ओलावृष्टि होने से सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं। अचानक ओलावृष्टि होने से प्रतिवर्ष हजारों की संख्या में लोगों की मौतें होती हैं लेकिन सरकार की ओर से इस पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। किसानों की खड़ी फसलें इस तरह की दैवी आपदा के कारण नष्ट हो जाती है।

सुनामी लहरों से देश और विदेश में काफी मात्रा में क्षति हुई है। इसके बारे में सदन में काफी विस्तार से चर्चा हुई है। मैं भी अपना दुख व्यक्त करते हुए अपने को माननीय सदस्यगणों के सुझावों से सम्बद्ध करता हूं। लेकिन अभी हाल ही में बुन्देलखण्ड क्षेत्र के हमीरपुर, महोबा, चित्रकूट, जालौन, बांदा, झांसी, ललितपुर और छतरपुर आदि जिलों में ओलावृष्टि से जो क्षति हुई है, उसकी ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। किसानों की सम्पूर्ण खड़ी फसलें नष्ट हो गयीं, अनेक किसानों की अकाल मौत हो गयी और पशुधन की भी भारी क्षति हुई है। यातायात, विद्युत, दूरसंचार भी भारी मात्रा में प्रभावित हुए हैं तथा गरीब-कमजोर वर्गों के लोगों के मकान पूर्णत: क्षतिग्रस्त हो गए हैं। सम्पूर्ण प्रभावित क्षेत्र में त्राहि-त्राहि मची हुई है। मान्यवर 2, 3, 4, 8, 10, 11 और 12 मार्च की तारीखों पर जो ओलावृष्टि हुई, मैं उसकी चर्चा कर रहा हूं। इस तरह की दैवी आपदा से प्रतिवर्ष काफी नुकसान हो जाता है। अत: मेरी केन्द्र सरकार से मांग है कि एक ऐसा राष्ट्रीय कोष बनाया जाए जिससे प्रभावित लोगों को तुरन्त सहायता दी जा सके। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

मोहम्मद सलीम (कलकत्ता-उत्तर पूर्व): महोदय, सबसे पहले मैं अपने साथी श्री रूपचन्द मुर्मू को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस विषय पर चर्चा का आरम्भ की और मैं आसन को भी धन्यवाद देना चाहता हूं क्योंकि हमें यह अंदेशा था कि यह महत्वपूर्ण विषय शोर-शराबे में कहीं खो न जाए और हमें अपने विचार रखने का मौका दिया।

हम विज्ञान, टैक्नोलॉजी, सभ्यता आदि के विकास के बारे में कितना भी गर्व क्यों न करें, लेकिन जब इस तरह की कोई प्राकृतिक आपदा आती है जिससे पूरी मानवता हिल जाती है तो हम लोग यह सोचते हैं कि अभी भी हम कितने असहाय हैं और यह सब जो आर्टिफिशियल चीजें हैं, जैसे धर्म, जाति, भाषा, उनके विषय में हमें एक सबक, एक शिक्षा मिलती है। जब ऐसी आपदा आती है तो उसके शिकार हम सभी होते हैं और फिर उससे जूझने का काम भी हम सब मिलकर, इकट्ठा होकर करते हैं। सुनामी की काफी चर्चा सदन में हुई है। मैं उस पर आने से पहले माननीय प्रधान मंत्री जी और गृहमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं जिनके साथ मुझे जम्मू-कश्मीर जाने का मौका मिला था। वहां हमने देखा कि वहां जिस तरह से त्रासदी हुई थी, खासकर फरवरी के महीने में कि लोग कह रहे थे कि यह अन्प्रिसिडेन्टेड थी, पिछले 30-35 सालों में ऐसा कभी नहीं हुआ था। जब हम लोग ऊपर से जा रहे थे तो पीर पंजर के पास एक अजीब सा मामला था। पूरी जमीन तो बर्फ की चादर से ढकी हुई थी, लेकिन जो बिजली के खम्भे थे, वे क्रिसमस ट्री की तरह बर्फ से लदे हुए थे। वे उसका बोझ नहीं संभाल पा रहे थे और जब हम लोग रिमोट एरियाज में गए तो वहां पाया कि बिजली की सप्लाई ठप्प, टेलिकम्युनिकेशन ठप्प, पीने के पानी की परेशानी, बिजली न होने के कारण हास्पिटल में चिकित्सा में परेशानी हो रही थी। एसेंसियल सप्लाइज रुकी हुई थीं क्योंकि आप जानते हैं कि जम्मू-कश्मीर हमारे हाईवेज और टनल्स बंद हो गई थी। इसके कारण लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। वहां की आर्म्ड फोर्सेज, पैरा-मिलिट्री फोर्सेज, स्टेट गवर्नमेंट, सेन्ट्रल गवर्नमेंट, पोलिटिकल पार्टीज, नॉन-पोलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन्स, सब लोग मिलकर, इकट्ठे होकर लोगों की परेशानी से जूझ रहे थे।

मैं एक बात और कहना चाहूंगा। जम्मू-कश्मीर का बहुत महत्व है। यह हम लोग सुनते रहते हैं कि पड़ोसी देश हमारी सप्लाई लाइन काटना चाहता है, कभी मिलिटेंसी की बात होती है और कभी हाइवे पर गोलीबारी होती है। ऐसी स्थिति में जब सर्दियां आती हैं, तो उस प्रदेश की राजधानी जम्मू शिफ्ट हो जाती है। इसलिए हमें वहां स्थिति से निपटने के लिए तीन-चार महीने का राशन, एसेंशियल सप्लाइज का स्टाक रखना चाहिए। इस बार जो बर्फबारी हुई या दूसरी परेशानी हुई, आप सबने भी टी.वी. पर देखा होगा कि कैसे वहां पर्यटक फंसे पड़े हैं, रसोई गैस नहीं है। अगर कहीं है भी तो सप्लाई लाइन का इंतजाम नहीं है। राज्य सरकार के लिए भी यह परेशानी थी, क्योंकि पिछले 30 साल में इस तरह से ऐसी विपदा नहीं आई थी। फिर भी उसने स्थिति से निपटने की कोशिश की और दिल्ली से भी केन्द्रीय सहायता पहुंचाने की कोशिश की गई।

[मोहम्मद सलीम]

अभी हमारे हिमाचल प्रदेश के साथी ने बताया कि वहां अत्यधिक बर्फबारी हुई है। यह आसार है कि जब वह पिघलेगी, ग्लेशियर हटेंगे तो फ्लश फ्लड की आशंका है। हम लोग जो नीचे रहते हैं, गर्मियां आ रही हैं, वहां जो बर्फ पिघलेगी तो कितना पानी यहां आने की सम्भावना है, उससे क्या परेशानी नीचे के लोगों को आ सकती है, इसका भी असेसमेंट करना चाहिए।

सुनामी का जो हादसा हुआ, उससे हम सब भली भांति परिचित हैं। ऐसे स्थिति से निपटने के लिए भारत सरकार ने जिस तेजी से रिस्पांस किया, वह सराहनीय है और मैं उसकी सराहना करता हूं। उसने बाकी राज्यों से भी बात की। मैं पश्चिम बंगाल से आता हूं। मुझे मालूम है कि केन्द्र ने हमारी राज्य सरकार से बात की, क्योंकि अंडमान-निकोबार हमारे पास है इसलिए हमने वहां के प्रशासन से बात की और जैसा भी हम लोगों से हुआ, वह किया। जनता, राज्य सरकार, केन्द्र सरकार, प्राइवेट कार्पोरेट बाडीज और पब्लिक सेक्टर्स सभी ने अपने-अपने तरीके जो काम किया, वह एक मिसाल है।

सभापति महोदय: कुछ सुझाव भी दें। आप एक तजुर्बेकार मेम्बर हैं।

मोहम्मद सलीम: इसी तरह से अमेरिका आदि जो देश हैं, जो ऐसी आपदाओं के वक्त लपक कर अपनी मदद करने आते हैं, उसकी भी हम सराहना करते हैं। लेकिन हम इस चीज की भी सराहना करते हैं कि भारत सरकार ने अपनी सॉवर्नेटी, इंटीग्रेटी और गौरव को यह कह कर बढ़ाया कि हमें जब मदद चाहिए होगी, हम आपको कहेंगे। हमने 21वीं, सदी में यह निशानदेही की है। हमने कहा कि फौरन जो रिलीफ और रिस्क्यू वर्क का मामला है, हम खुद कर सकते हैं। इसके अलावा हमने मालद्वीप, श्रीलंका, इंडोनेशिया को मदद पहुंचाने का कार्य किया, वह भी सराहनीय है। जो पुनर्वास का मामला है, आपने जो कोर ग्रुप्स बनाए हैं, मैं समझता हूं कि वह एडहाक अरेजमेंट नहीं होना चाहिए। कुछ रिलीफ दे दिया, कहीं 20,000 रुपये और कहीं 50,000 रुपये दे दिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। सिर्फ हाउसिंग या ड्वैलिंग यूनिट्स ही नहीं, कोस्टल एरिया हो या अंडमान निकोबार हो, वहां के जो फिशरमैन हैं, उनके भी विकास का मामला है। राष्ट्रपति जी कहते हैं कि प्रोवाइडिंग अर्बन फैसेलिटी इन दि रूरल एरियाज। तो यह एक मौका हमें मिला है हम ऐसे प्रोविजंस कर सकते हैं कि जहां पर उनका इंटीग्रेटिड डवलपमेंट का बंदोबस्त हो, हम एक मिसाल कायम करें। जिसे बाद में दूसरी राज्य सरकारों के लिए चाहे बाढ़ हो, भूकम्प हो या और परेशानी आए, वे भी रिलीफ और पुनर्वास को उसमें जोड़कर एक नई दिशा दे सकते हैं।

जहां तक डिसास्टर मैनेजमेंट अथोरिटी की बात है, उसकी हम सराहना करते हैं। इस संबंध में लेजिस्लेशन लाने की बात हमें सुनने को मिल रही है, वह जल्द से जल्द आना चाहिए। ऐसा देखने में आता है कि जब एकदम से कोई हंगामे की सूरत सामने आए या ऐसी परिस्थिति हो, तभी हम रिस्पांस करते हैं। फिर धीरे-धीरे मामला ज्यों का त्यों हो जाता है। फरवरी में बर्फबारी हुई, हम मार्च में चर्चा कर रहे हैं। यह जारी रहनी चाहिए।

मैं अक्सर जब भी ऐसी कोई आपदा आती है, चाहे मानवीय हो या प्राकृतिक हो, जैसे अमरनाथ में ग्लैशियर फटे थे, वहां जाने का प्रयास करता हूं। मैं अमरनाथ भी गया था। ऐसी जगह सबसे बड़ी समस्या कम्युनिकेशन की होती है। वहां कई लोग मारे गए थे। वह तो जो हुआ सो हुआ, लेकिन जो लोग वहां फंस जाते हैं, उनको परेशानी होती है, वहां कोई कम्युनिकेशन का नेटवर्क होना चाहिए। हमने देखा कि हमारे यहां के लोग क्रिसमिस के सीजन में तमिलनाडू और अंडमान-निकोबार गए थे। वहां जब यह आपदा आई तो हमारे यहां लोगों को लगा कि वे तो गए, वे तो गुजर गए। इसलिए इमर्जेंसी की स्थिति में कैसे रिस्पांस करेंगे, उसका बंदोबस्त होना चाहिए। इसी तरह से आपके सरकारी अफसर हैं। रेल चल रही है तो चल रही है। दुर्घटना हो गयी तो कोई जिम्मेदारी नहीं लेगा और उससे रूटीन वर्क ही टूट जाता है। कैसे क्या करना है, इसको देखने के लिए कुछ लोग या ऑरगेनाइजेशन्स हैं, लेकिन उनको भी इस तरह के कामों की ट्रेनिंग होनी चाहिए। अभी साइंस एंड टैक्नोलॉजी की बात हुई है, तो उस पर भी हमारा ध्यान जाना चाहिए। हमारे यहां बाढ़, सूखाड़, साइक्लोन आते हैं, नदी में कटाव होते हैं, प्राकृतिक आपदाएं आती हैं। हमारे देश में पैकेज मांगने का भी फैशन सा हो गया है। डिजास्टर का पैकेज अनुपातिक होना चाहिए। हमारे यहां नदी के किनारे लोग बसते हैं। यूपीए सरकार के कामों का मैं समर्थन करता हूं, जो इस प्राकृतिक आपदा के लिए किये गये हैं। हमें राजनीति से ऊपर उठकर इस बारे में काम करना चाहिए। हमें किसी के नाम का स्टीकर ऐसे कामों पर नहीं चिपकाना चाहिए। इस तरह के स्टीकर चिपकाने की पद्धति को हम नहीं मानते हैं। राष्ट्रीय आपदा के समय, छोटे-छोटे फायदों से ऊपर उठकर काम करना चाहिए।

[अनुवाद]

***श्रीमती वी. राधिका सेलवी** (तिरूचेन्दूर): महोदय, अपना भाषण सभा पटल पर रखने का अवसर देने के लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूं।

मैं हमारे प्रिय नेता श्री कलैंगर एम. करुणानिधि तथा तमिल गुरु श्री एम.के. स्टलिन को भी धन्यवाद देती हूं।

महोदय, मेरे तिरुचेन्दूर निर्वाचन क्षेत्र में भूमि, समुद्र और पर्वत हैं। पर्वतों से बहकर लाखों क्यूबिक जल समुद्र में मिल जाता है। इस दौरान कई लोगों के लिए तो यह वरदान है जबकि लाखों

*लिखित भाषण सभा पटल पर रखा गया।

क्यूबिक जल बिना किसी उपयोग के समुद्र में मिल जाता है। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में तामिराबरनी नदी पुनाकायल नामक गांव में समुद्र में मिलती है। बाढ़ के दौरान कई गांवों को नुकसान होता है और लाखों क्यूबिक जल बिना किसी उपयोग के समुद्र में चला जाता है। जबकि मेरे निर्वाचन क्षेत्र में राधापुरम और सातकुलम जैसे स्थान पानी की कमी से सर्वाधिक प्रभावित है। यह उपयुक्त समय है कि तमिराबरनी नदी के बहाव का राधापुरम और सातकुलम में रहने वाले लोगों के लाभ के लिए उपयोग किया जाए। केन्द्र सरकार को इसे लागू करने के लिए उचित परियोजनाएं बनानी चाहिए।

सरकार को अंडमान और तमिलनाडु में आई सुनामी की त्रासदी को नहीं भूलना चाहिए। मेरे निर्वाचन क्षेत्र के कई मछुआरों ने इसमें अपनी जान और आजीविका खो दी है। उनमें से कईयों की नौकाएं क्षतिग्रस्त हो गई। कुछ नौकाओं की मरम्मत नहीं हो सकती जबकि कुछ नौकाएं मरम्मत योग्य हैं। उन्होंने अपने आश्रय स्थल भी खो दिए हैं। पुन्ननकायल और चिन्नामुत्तम में रेत के टीले बन गए हैं जिससे मछुआरे समुद्र में नहीं जा पा रहे हैं। उन्हें समुद्र में जाने से पहले रेत के टीलों को हटाना पड़ता है। सरकार इन रेत के टीलों को हटाने हेतु उचित कदम उठाए और रेत के टीले न बनने देने हेतु उपाय भी ढूढ़े। इससे पुन्नाकायल और चिन्नामुत्तम के लोगों को काफी सहायता मिलेगी।

चिन्नामुत्तम में पिछले 20 वर्षों से एक छोटा बंदरगाह है। इसकी क्षमता 150 फाइबर नौकाओं की है। किंतु अब वहां पर 350 नौकाएं हैं। ज्यादा नौकाएं होने के कारण प्राय: नौकाएं क्षतिग्रस्त हो जाती हैं। सुनामी के दौरान काफी नौकाएं क्षतिग्रस्त हुई और लगभग 75 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ। यद्यपि केन्द्र सरकार ने राशि स्वीकृत की किंतु वह प्रभावित मछुआरों तक नहीं पहुंची। वे अपने भविष्य के प्रति चिंतित है। उन्हें प्रदान किये गये आश्रय टूटे-फूटे हैं। केन्द्र सरकार यह देखे कि मछुआरों ने सुनामी में जो कुछ खोया है उन्हें वह सब मिले। मेरे भाइयों श्री ए.के.एस. विजयन और श्री ए. कृष्णास्वामी ने जयललिता सरकार के भ्रष्टाचार के बारे में पहले ही विस्तार से बता दिया है इसलिए मैं उस मुद्दे पर कुछ नहीं बोलना चाहती हूं।

केन्द्र सरकार को विभिन्न मत्स्यन गांवों में छोटे बंदरगाह बनाने हेतु कदम उठाने चाहिए ताकि भविष्य में प्राकृतिक आपदा की स्थिति में कम से कम नुकसान हो। हाल ही में, नवचन्द्र के दिन मेरे निर्वाचन क्षेत्र में लगभग 100 मीटर अंदर तक पानी आ गया। इन आपदाओं से बचने के लिए सरकार को जल्दी से जल्दी छोटे बंदरगाह बनाने चाहिए।

[हिन्दी]

श्री गणेश सिंह (सतना): सभापति जी, यह साबित हो गया है कि हमारा देश आपदाओं का देश है। हमारे देश में कोई न कोई प्राकृतिक आपदा हर लोग वर्ष आती है, जिससे भयंकर तबाही देश में होती है। हमारे किसान हमेशा कहते हैं कि हम लोग तो पूरी तरह से प्रकृति पर निर्भर हैं और हमारा तो भगवान ही मालिक है। निश्चित ही हमारे देश में यही स्थिति है। प्रकृति का संतुलन दिनोंदिन बिगड़ रहा है और इन आपदाआ के कारणों की जांच अवश्य होनी चाहिए लेकिन सरकार पूरी तरह से गंभीर नहीं है। हमारे देश में आपदा विभिन्न रूपों में आती है। बाढ़, सुखाड़, भूकम्प, चक्रवात, ओलावृष्टि, पाला, भूस्खलन, हिमस्खलन, बादल फटना, आग और कीटों से किसानों की फसल का नष्ट होना। अकेले सुनामी के चलते 6 देश पूरी तरह से तबाह हो गये और लगभग 67 द्वीप आज भी गायब हैं करोड़ों रुपयों की जन-धन की हानि हुई। सभापति महोदय, सन् 684 से लेकर 1940 तक 84 बार सुनामी लहरें उठीं। चिल्ली में ऐसा हादसा 1960 में हुआ था। इसके बाद 26 दिसम्बर 2004 को यहां पर सुनामी लहरें थटीं। जोकि यह विश्व की सबसे बड़ी आपदा थी। अकेले हमारे देश में भूकम्प से लेकर 1985 से लेकर अब तक 1 लाख 36 हजार 973 लोग मारे गये हैं। सुनामी लहरों से 10,273 लोग आंध्र, केरल, तमिलनाडु, पांडिचेरी और अंडमान-निकोबार में मारे गये और लगभग 22750 हैक्टेयर भूमि में बोयी फसल नष्ट हो गयी। करीब 2 लाख 39 हजार 24 परिवार पूरी तरह से तबाह हुए। करीब 83 हजार 788 नावें और उनके परिवार के लोग तबाह हुए। करीब 40 फुट ऊंची लहरों ने साबित कर दिया कि प्रकृति का तांडव किसी भी देश में कहर बरपा सकता है। बिहार, असम, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश पश्चिम बंगाल, झारखण्ड में बाढ़ से बहुत बड़ा हिस्सा प्रभावित हुआ। उस समय तो पूरा देश लोगों के दु:ख दर्द से जोड़ने का काम तो करते हैं लेकिन इसका स्थायी समाधान हम नहीं निकाल पाए, यदि ऐसी ही स्थिति रही तो इस देश की स्थिति और खराब होने वाली है।

सायं 7.00 बजे

किसान तथा गरीब आदमी सबसे ज्यादा इस प्राकृतिक आपदा के शिकार होते हैं। आज देश के कई राज्य बाढ़ से प्रभावित होते हैं और कई राज्य सूखे से प्रभावित होते हैं। अभी सुनामी से पीड़ित लोगों को सहायता देने के लिए माननीय स्वर्गीय राजीव गांधी पुनर्वास पैकेज के नाम से मदद की गई। जबकि देश भर के लोगों ने मदद दिया, एक व्यक्ति के नाम को महिमामंडित करना उचित नहीं है।

सभापति महोदय: अभी 20 माननीय सदस्य और बोलने वाले हैं। इसलिए सदन की सहमति हो तो सदन का एक घंटा और समय बढ़ा दिया जाए।

श्री गणेश सिंह: अभी समुद्री विकास मंत्री जी ने घोषणा की कि हम देश में सुनामी की चेतावनी प्रणाली को 125 करोड़ रुपये खर्च करके, ढाई साल के अन्दर सुनामी की चेतावनी के बारे में देश को बता सकेंगे। अंडमान की जो पांच जनजातियां थीं-जरावा, ओगी, शोम्पेन, सैटनेली, ग्रेट अंडमानी, उन जातियों के लोगों को पता हो गया था कि सुनामी आने वाला है इसलिए वह उस जगह को छोड़ गए। उनकी बिरादरी का एक व्यक्ति प्रभावित नहीं हुआ। क्या इस विधि से हम लोग कुछ नहीं सीख सकते? क्या इन पुरानी विधियों को वैज्ञानिक स्वरूप नहीं दे सकते?

ओलों से देश के कई गांव हर साल तबाह होते हैं। पान का वृक्ष लगाने वाला चौरसिया जब ओला बांधता है तो गांव में कभी ओला नहीं गिरता है। इसी तरह से भूकम्प आने के पहले पशु-पक्षियों को पता लग जाता है। आखिर कोई न कोई प्राकृतिक विधि रही है। हम उस विधि का प्रयोग अभी तक क्यों नहीं कर पाए? क्यों उन प्राकृतिक आपदाओं से लोगों को बचाने का काम नहीं कर पाए? यह एक गम्भीर प्रश्न है।

प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए जितने काम हुए हैं, मैं समझता हूं कि वे पर्याप्त नहीं है। अभी मध्य प्रदेश के 22 जिलों, सतना, कटनी, विदिशा, रायसेन जैसे जिलों में और देश के कई राज्यों में इतनी ओलावृष्टि हुई जिससे करोड़ों रुपये की फसल नष्ट हो गई। मैं चाहता हूं कि केन्द्र सरकार कम से कम इतनी व्यवस्था करे कि उन पीड़ित किसानों को फसल का मुआवजा जरूर दे। इसके लिए केन्द्रीय दल को अध्ययन करने हेतु भेजा जाना चाहिए।

सरकार के प्राकृतिक आपदा प्राधिकरण बनाने के फैसले का निश्चित तौर पर हम स्वागत करेंगे। एनडीए सरकार ने भी प्राकृतिक आपदा प्रबंधन समिति बनायी थी। देश के कृषि मंत्री श्री पवार जी उस समिति के अध्यक्ष थे। उन लोगों ने जो सिफारिशें की थी, मैं चाहूंगा कि इस प्राधिकरण विधेयक में निश्चित रूप से उसका समावेश हो। हम बड़े बांधों को बना कर बाढ़ को रोक सकते हैं। नदियों को आपस में जोड़ने का काम भी हम लोग कर सकते हैं जिससे इन विपत्तियों से गांव के लोगों को बचाया जा सकता है।

जिन किसानों को हम राष्ट्रीय फसल बीमा योजना के अंतर्गत जोड़ते हैं, बीमा का क्षेत्र तहसील स्तर बनाया गया है, उनसे किसान लाभान्वित नहीं हो रहे हैं। यदि पटवारी हल्का को आधार स्तर का फसल बीमा योजना मान लिया जाए और कीटों तथा अन्य बीमारियों से जो फसल नष्ट होती है उसे फसल बीमा योजना में शामिल कर लिया जाए तो निश्चित तौर पर किसानों को मदद पहुंचाने का काम किया जा सकता है।

श्री मदन लाल शर्मा (जम्मू): मोहतरम चेयरमैन साहब, मैं आपका मशकूर हूं कि आपने मुझे बोलने का समय दिया। मैं सबसे पहले रूपचन्द मुर्मू जी को धन्यवाद देता हूं कि उनके द्वारा यह चर्चा शुरू की गई। मैं इसके बाद ऑनरेबल होम मिनिस्टर को धन्यवाद देता हूं। मैं उनका भी मशकूर हूं। मैं सुनामी पर बोलते समय अगर वही बातें दोहराऊंगा जो बाकी ऑनरेबल मैम्बर्स की स्पीच नोट करते समय हुई हैं तो मेरी भी वही बातें होंगी। मैं समझता हूं कि अपने आपको भी शामिल करता। आज यू.पी.ए. सरकार ने सारी दुनिया के अंदर अपना नाम कमाया है। जब भी हमारे मुल्क पर कुदरती आपदा आयी है, उससे निपटने के लिए बहुत सारी संस्थायें, बहुत सारे देश मदद के लिए सामने आते हैं। लेकिन ऐसा पहली बार हुआ है कि हमारी सरकार ने कह दिया कि हम इससे निपटने के काबिल हैं और इतने मजबूत हैं कि हमारे मुल्क के लोग इस मुसीबत का मुकाबला करने के लिए इकट्ठे हुये हैं और हम किसी दूसरे मुल्क की मदद इसमें नहीं चाहेंगे। इससे हमारे देश का वकार बढ़ा है, उसका नाम ऊंचा हुआ है। हमने न सिर्फ अपने देश की मदद की बल्कि सुनामी से पीड़ित दूसरे मुल्कों को भी मदद भेजी, जो सुनामी से बरबाद हुये थे। इसमें सरकार की जिम्मेदारी तो बनती है, लेकिन दूरंदेशी एन.जी.ओज़, सुनामी से मुतासरा लोगों के लिए फिल्म इंडस्ट्री के लोग भी आगे आये, सरकार भी आगे आई और देश के लोग भी आगे आए।

सभापति जी, मैं 1962 की चीन के साथ हुई जंग की याद दिलाता हूं। हमारे देश की बहनों, माताओं ने अपने जेवर बेचकर अपने बहादुर फौजियों के लिए धन भेजा। अपने देश की सलामती के लिए कुछ भी करना पड़े, हम करेंगे। उसके बाद 1965 की जंग हुई। उस समय हमारा देश इतना एडवांस नहीं था, फिर भी देश के लोगों ने अपनी एकता दिखाकर देश की मुश्किलात का मुकाबला किया। सन् 1971 की जंग हुई और 1999 में कारगिल युद्ध हुआ। उस समय हमारा देश मुश्किल में पड़ा था। इसके अलावा कुदरती आपदा भी आई हुई थी और कुछ इनसानों ने पैदा कीं लेकिन उन आपदाओं से निपटने के लिए हम लोगों ने पार्टी-पौलिटिक्स से ऊपर उठकर यहां फैसले किये हैं। मैं समझता हूं कि हमारा देश अमन-चैन चाहता है। इस ऐवान में मैं यू.पी.ए. की चेयरमैन मोहतरिमा सोनिया गांधी, इनसानियत की मूर्ति मोहतरिम डा. मनमोहन सिंह और मोहतरिम शिवराज पाटिल जी को मुबारकवाद देता हूं। ये लोग फुरसत में सुनामी मुतासरा लोगों के पास पहुंचे

और उनके आंसू पोंछे। अब यह सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वह उसे निभाये।

सभापति महोदय: जो माननीय सदस्य अपना भाषण ले करना चाहें, वे कर सकते हैं।

श्री मदन लाल शर्मा: अब मैं अपने सूबे जम्मू कश्मीर की बात करूंगा। मैं एक बार फिर से मोहतरिमा सोनिया गांधी को धन्यवाद देता हूं कि जम्मू कश्मीर में बर्फबारी पड़ने के तीसरे ही दिन वे वहां पहुंची। सारी वैली सफेद चादर से घिरी हुई थी। जवाहर टनल में, जहां 18-18 फुट बर्फ पड़ी थी, हमारे नेता वहां पहुंचे। हमारे सीनियर नेता और डिफैंस मिनिस्टर जनाब प्रणब मुखर्जी भी वहां गये। उनके बाद आनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब और आनरेबल होम मिनिस्टर वहां तशरीफ ले गये। जम्मू कश्मीर में पिछले 15 साल से मिलिटेंसी थी और 1999 में कारगिल वार हुआ, उससे जम्मू कश्मीर की बरबादी हुई। एक तरफ कुदरत का कहर ऐसा कि 35 सालों के बाद जहां इतनी भारी बर्फबारी हुई लेकिन हमारे लीडर्स के पहुंचने के बाद वहां के लोगों का मनोबल ऊंचा हुआ। उन्हें ऐसा एहसास हुआ कि सारा हिन्दुस्तान और देश की सरकार हमारे साथ है। मौके पर जाकर उन्होंने जो राहत के फैसले किये, उस राहत के लिए मैं अपनी रियासत जम्मू-कश्मीर के आवाम की तरफ से मौअज्जिज ऐवान का, अपनी यू.पी.ए. सरकार, प्रधान मंत्री जी, होम मिनिस्टर साहब, डिफैन्स मिनिस्टर साहब और सोनिया जी का धन्यवाद अदा किये बगैर नहीं रह सकता हूं। इस कारण वहां के लोगों ने महसूस किया कि सारा देश हमारे पीछे है।

सभापति महोदय, इसके साथ ही मैं कुछ राय देना चाहता हूं। मैं मश्कूर हूं कि जो डिजास्टर मैनेजमैन्ट अथॉरिटी बनाने जा रहे हैं, इस इदारे का क्या काम होगा। कुदरती आफतें तो आती हैं, लेकिन कहीं वर्षा होती है, कहीं फ्लड आती है और बाकी देश में दूसरी आपदाओं से तबाही और बरबादी होती है। लेकिन एक हफ्ते के बाद, हमारी रियासतें जम्मू-कश्मीर में, मुख्तलिफ सी बात है कि दो दरिया झेलम और चिनाब हैं, जम्मू-कश्मीर में जितनी ज्यादा गर्मी होगी, बर्फ पिघलेगी और दरियाओं के किनारे पर बसने वाले जितने देहात हैं, वे तबाह और बरबाद होते हैं। जो गुंजान आबादी वाले देहात और एग्रीकल्चरल लैन्ड है, वह बर्बाद होती है।

सभापति महोदय: अब आप कंक्लूड कीजिए।

श्री मदन लाल शर्मा: सर, आप मुझे बोलने दीजिए। आपकी इंटरप्शन से मैं अपनी तकरीर इधर-उधर नहीं करूंगा। लेकिन मुझे समय का एहसास है। मेरा कहना है कि वहां के लिए एक जामा प्लान बनना चाहिए, ताकि जो रोजमर्रा की तबाही और बरबादी होती है, उससे निजात हासिल हो सके और लोगों को राहत मिल सके। मैं ज्यादा कुछ न बोलते हुए आखिर में यू.पी.ए. की सरकार को, प्रधान मंत्री जी को, सोनिया गांधी जी को, होम मिनिस्टर साहब को, डिफैन्स मिनिस्टर साहब का धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने इस मुश्किल वक्त में हमारी रियासतें जम्मू-कश्मीर पहुंच कर वहां के लोगों की सुध ली और उनकी हौसला-अफजाई की। ...*(व्यवधान)*

श्री राम कृपाल यादव (पटना): क्या श्री गुलाम नबी आजाद साहब का शुक्रिया अदा नहीं करेंगे।

श्री मदन लाल शर्मा: आजाद साहब के जराये से सारे लोग वहां पहुंचे। मैं और आजाद साहब तो वहां के लोकल हैं।

***डा. रामकृष्ण कुसमरिया** (खजुराहो): मान्यवर, बहुत ही संवेदनशील, महत्वपूर्ण विषय "प्राकृतिक आपदाओं के निराकरण और निवारण" पर सदन में चर्चा हो रही है जिस प्रकार समुद्र मंथन से चौदह रत्न प्राप्त हुए थे इस विचार मंथन से भी निश्चित रूप से ऐसे महत्वपूर्ण और ठोस निर्णय निकलेंगे जो कि भविष्य में प्राकृतिक आपदाओं से निपटने में सहायक होंगे।

मान्यवर, प्राकृतिक आपदा जो कि अचानक आती है उससे निपटने की मानसिकता नहीं होती किंतु उसे भोगना मजबूरी होती है। बाढ़, सुखाड़, ओलावृष्टि, चक्रवात, भूकंप, सुनामी आदि कारणों से यह आपदा आती है। इसका विशेष कारण प्राकृतिक संतुलन बिगड़ना होता है और आज कल प्रकृति को छेड़ना इसका प्रमुख कारण है। प्राकृतिक संपदा का दोहन किया जा रहा है जैसे कृषि। कृषि प्राकृतिक संतुलन को बिगाड़ती नहीं वरन् संपोषण करती है, किंतु अंधाधुंध उत्खनन कोयला तेल एवं भूजल का निकालना यह प्रकृति की क्षति की पूर्ति नहीं करता बल्कि ज्वालामुखी भूकंप जैसी आपदाओं को जन्म देता है। जंगलों की कटाई, पर्यावरण को नष्ट करना एवं ए.सी. एवं फ्रिज और आधुनिक सुख सुविधा के साधनों, नसृत गैस ओजोन मंडल को कमजोर कर रहा है जो निकट भविष्य में अधिक ताप उत्पन्न करेगा तथा पिघाल कर प्रलय की स्थिति पैदा कर सकता है।

सुनामी से अपूर्व क्षति हुई है। देश के तटवर्ती इलाके पांडिचेरी, अंडमान निकोबार, चेन्नई, तिरूवनंतपुरम के साथ तटवर्ती इलाके प्रभावित हुए हैं जन-धन की हानि हुई है, पशुधन का नुकसान हुआ है। इसी तरह चक्रवात में उड़ीसा आंध्र प्रदेश के अनेक तटवर्ती प्रदेशों में पूर्व से अधिक आपदाएं आ चुकी हैं। इसी तरह लातूर एवं जबलपुर में भूकंप के कारण जन-धन की, पशुधन की हानि हुई है वे लोग मकान विहीन हो गए हैं।

---

*लिखित भाषण सभा पटल पर रखा गया।

[डा. रामकृष्ण कुसमरिया]

अभी-अभी बुंदेलखंड के क्षेत्र में भयंकर ओलावृष्टि हुई जिससे फसलें नष्ट हो गई हैं। खाने को कुछ नहीं बचा है। उन्हें तत्काल राहत पहुंचाने की आवश्यकता है। विकास कार्य की आवश्यकता है। मेरे क्षेत्र खुजराहो में करीब 100 गांव ओलावृष्टि से प्रभावित हुए हैं। मैं केवल एक बात कहना चाहता हूं कि राहत तो मिलनी ही चाहिए लेकिन साथ ही साथ उनका फसल बीमा का पैसा उन्हें मिलना चाहिए। बीमा कंपनी लूट कर रही है। इसकी प्रक्रिया सरल करें तथा सहायता की इकाई, खेत को माना जाए क्योंकि ओलावृष्टि खेत में ही होती है।

मान्यवर, बाढ़, सुखाड़ से निपटने के लिए एनडीए सरकार ने श्री अटल बिहारी जी के नेतृत्व में नदियों को जोड़ने की योजना बनाई थी उसे जारी रखना जरूरी है।

मान्यवर, प्राकृतिक आपदा को रोकने के लिए आपदा प्रबंधन को सही ढंग से प्रणाली में लाना चाहिए। प्राकृतिक आपदा से बचाव के लिए समुचित उपाय करने चाहिए। पीड़ित लोगों तक तत्काल राहत पहुंचाई जानी चाहिए और साथ ही उनके पुनर्वास का कार्य भी तुरंत शुरू हो जाना चाहिए। प्रभावित लोगों को बचाने का कार्य किया जाना चाहिए और उनके घावों पर मरहम लगानी चाहिए।

उपरोक्त सभी प्रबंधों के लिए विशेष पैकेज का प्रावधान बजट में किया जाना चाहिए। विशेषज्ञों के ज्ञान एवं विज्ञान, तकनीक व सहयोग की आवश्यकता है।

श्री आलोक कुमार मेहता (समस्तीपुर): सभापति महोदय, प्राकृतिक आपदाओं पर हो रही चर्चा में आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए मैं आपको आभार व्यक्त करता हूं। प्राकृतिक आपदाओं को दो तरह से वर्गीकृत किया जा सकता है - प्रथम जो आज के दिन तक मानव नियंत्रण में नहीं है और दूसरी जिन पर मानव अपनी इच्छाशक्ति की बदौलत नियंत्रण कर सकता है। जो अनियंत्रित प्राकृतिक आपदाएं हैं, उनमें वर्ष 1999 में उड़ीसा में सुपर साइक्लोन आया, भुज में वर्ष 2001 में अर्थक्वेक आया, देश के विभिन्न राज्यों में ओलावृष्टि हुई तथा इसके अलावा कुछ जगहों पर बर्फबारी हुई। इनके कारण किसानों की फसलें तबाह हुई, जन-जीवन बरबाद हुआ, जान-माल की क्षति हुई और हाल में दक्षिण भारत में सुनामी की लहरें आईं, जो पूरे विश्व की मानवता के सामने एक चुनौती बनकर खड़ी हैं।

सभापति महोदय, एक अर्थशास्त्री मालथस ने कहा था कि मानव जब जनसंख्या पर नियंत्रण नहीं करेगा, तो प्रकृति अपनी विभिन्न तरह की विभीषिकाओं के साथ उन पर नियंत्रण करेगी। मैं कहना चाहता हूं कि मानव के द्वारा प्राकृतिक संसाधनों के ओवर एक्सप्लायटेशन का नतीजा विभिन्न प्राकृतिक आपदाओं के रूप में हमारे सामने आता है। जिन पर नियंत्रण नहीं है, उनका पूर्वानुमान भी नहीं किया जा सकता। मैं अभी हाल ही में एक डेलीगेशन के साथ जापान गया था। वहां पर हमने साइंस एंड टैक्नोलाजी की एक एक्जीबीशन देखी थी जिसमें अर्थक्वेक से संबंधित इक्विपमैंट बनाए जा रहे थे, उनको इंप्रूव किया जा रहा था, लेकिन पूर्वानुमान के लिए अभी तक वहां भी किसी तरह के रिसर्च में सफलता नहीं मिल पायी है। इसलिए हम कहना चाहते हैं कि इस देश में जो हुआ और पड़ोस में जो हुआ, सुनामी आपदा आई, जिसकी वजह से भारी तबाही हुई, उसके प्रति हमारी सरकार ने जितनी तत्परता दिखाई और देश के विभिन्न भागों से देश के लोग एनजीओज और सरकार की ओर से एक एक व्यक्ति की ओर से जो एकजुटता दिखाई गई, यहां पर सालिडैरिटी की बात सार्थक नजर आती है और इस बात के लिए हम सरकार को धन्यवाद देना चाहते हैं। सरकार ने विदेशी सहायता के बिना इस बड़ी आपदा से निजात पाने के लिए तात्कालिक उपाय करने का काम किया। इसके लिए सरकार धन्यवाद की पात्र है।

मैं इस संबंध में कुछ सुझाव देना चाहता हूं। मौसम विज्ञान के क्षेत्र में रिसर्च एंड डैवलपमैंट को दुरूस्त करने की जरूरत है। मौसम कार्यालय और प्रयोगशालाओं को माडर्नाइज तथा वैल इक्विप करना तथा स्टाफ को पूरी तरह से ट्रेन करने की जरूरत है। रिजर्व फोर्सेज और पैरा मिलिट्री फोर्सेज के साथ-साथ एनजीओज के वालंटियर्स को भी ट्रेन करने की जरूरत है।

सभापति महोदय: समाप्त कीजिए।

श्री आलोक कुमार मेहता: दुनिया में सामाजिक एवं स्वयंसेवी संस्थाओं तथा सरकारों के बीच तारतम्य होना चाहिए। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: आप समाप्त कीजिए। आपकी पार्टी का समय भी खत्म हो गया है।

श्री आलोक कुमार मेहता: विकास के लिए, आपदा प्रबंधन के लिए विशेष फंड बनाए जाने की जरूरत है। सुनामी पीड़ितों के लिए 8000 करोड़ रुपये की सहायता की घोषणा की गई और इसी तरह विभिन्न क्षेत्रों में घोषणाएं की गईं, लेकिन उस पर निगरानी को और दुरूस्त किया जाए क्योंकि जो पीड़ित लोग हैं, उन तक सामान नहीं पहुंच पाता, उनको लाभ नहीं मिल पाता। इस क्षेत्र में व्यापक भ्रष्टाचार है और उस पर अंकुश लगाया जाना चाहिए। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: माननीय सदस्य को बार-बार आसन की तरफ से कहा जा रहा है कि समय सीमा का ध्यान रखें। साढ़े सात बजे हमें खत्म करना है।

श्री आलोक कुमार मेहता: एक बहुत महत्वपूर्ण बिन्दु है और वह तकनीकी बिन्दु भी है। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: राम कृपाल यादव जी, आप तो सीनियर मैम्बर हैं। आपको तो सदन संचालन में सहयोग देना चाहिए।

...*(व्यवधान)*

श्री आलोक कुमार मेहता: प्रकृति का अति दोहन करने में कमी आनी चाहिए। हमें मिनिमम एक्सप्लायटेशन आफ नैचुरल रिसोर्सेज पर ध्यान देना चाहिए। जो प्राकृतिक आपदा मानव के नियंत्रण में आ सकती है, उसमें बाढ़ भी है। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: माननीय सदस्य समझ नहीं रहे हैं। अब आसन से ही आपका भाषण समाप्त कर दिया जाएगा।

श्री आलोक कुमार मेहता: बाढ़ की विपत्ति से बिहार और असम जैसे राज्यों में भारी तबाही होती है। उसको रोकने के लिए वहां हाई डैम की बात चली है। इसमें तेजी आनी चाहिए। सुखाड़ से निपटने के लिए जब राजस्थान जैसे राज्य को हरा-भरा बनाया जा सकता है तो निश्चित रूप से बिहार और ऐसे पिछड़े राज्यों में यदि सूखा पड़ता है तो उसके लिए वैसे ही प्रयास किये जाने चाहिए जिससे सभी राज्य हरे भरे बनें। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: आपका भाषण समाप्त किया जाता है। प्लीज बैठिये। आपकी बात रिकार्ड पर नहीं जा रही है।

...*(व्यवधान)**

श्री आलोक कुमार मेहता: मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे बोलने का समय दिया।

सभापति महोदय: श्री एम.पी. वीरेन्द्र कुमार।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: बाकी स्पीच ले नहीं कर सकते। इस तरह का नियम नहीं है। आप इस तरह से बैठे-बैठे सुझाव न दें। या तो ले कर सकते हैं या भाषण कर सकते हैं।

[अनुवाद]

श्री एम.पी. वीरेन्द्र कुमार (कालीकट): सभापति महोदय, मैं मात्र एक बात कहना चाहता हूं। मैंने केरल के उन क्षेत्रों का दौरा किया था जहां पर सुनामी ने अपना कहर बरपाया था। कोल्लम जिला में अलापाड एक ऐसा क्षेत्र है जहां खनिज निकालने का कार्य चल रहा था। कोल्लम जिला में यह स्थान बुरी तरह प्रभावित हुआ था। अरातुपुझा क्षेत्र में जहां सुनामी ने कहर बरपाया था, अनेक लोग अपनी जान गंवा बैठे और इसका शिकार बन गए। अरातुपुझा और हरिपाद के बीच 14 कि.मी. तक समुद्री जल और अप्रवाही जल के बीच का अंतर 15 फीट से लेकर 50 मीटर तक था।

महोदय, इस क्षेत्र को अब भी खनन कार्य के लिए रखा गया है। यदि इन क्षेत्रों में अभी भी खनन कार्य किया जाता है तो इस क्षेत्र का भविष्य क्या होगा? सम्पूर्ण समुद्री जल गन्दे पानी में परिवर्तित हो जाएगा और खारा पानी नष्ट हो जाएगा। कुट्टानाड में पारिस्थितिकीय आपदा आ जाएगी।

मैं सिर्फ एक और बात बताना चाहूंगा। पुनर्वास कार्य चल रहा है। परन्तु राहत कार्य आम लोगों तक नहीं पहुंचने के कारण वहां प्रदर्शन व विरोध हो रहे हैं। इसलिए इसकी आवश्यक रूप से निगरानी की जानी चाहिए।

महोदय, केरल सरकार ने भी अनुमान लगाया है। परन्तु मुझे पता नहीं है कि आखिर मात्र 160 करोड़ रुपये ही कैसे दिए गए हैं। सुनामी से जितने लोग प्रभावित हुए उनमें से दो-तिहाई लोग मछुआरे हैं जो बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। अत: उन्हें नोकाएं उपलब्ध कराकर उनका पुनर्वास किया जाना चाहिए। परन्तु चालू पुनर्वास कार्य संतोषजनक नहीं है।

इसलिए मैं माननीय मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि वे यह सुनिश्चित करें कि इन सारे कार्यों की समुचित रूप से निगरानी हो।

श्रीमती एम.एस.के. भवानी राजेन्तीरन (रामनाथपुरम): सभापति महोदय, वणक्कम, ''केटुपथुम कोटारूकुच्च चरनई मटरू आंगे इदुपथुरम इल्लम मज्जाई''

महान कवि इयान वल्लुवर ने इन पंक्तियों में बाढ़ और सूखा जैसी मुख्य प्राकृतिक आपदाओं के बारे में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया है। इसका अभिप्राय है कि यदि समय पर नियमित रूप से वर्षा होती है तो जनता खुशहाल होगी परन्तु दूसरी ओर यदि यह विफल होती है तो लोग महाविपत्ति में फंस जाएंगे। अतिवृष्टि होने पर भी लोग मुश्किलों में फंस जाएंगे।

बाढ़ और सूखा दो मुख्य आपदाएं हैं। प्रत्येक देश में ऐसी समस्याओं का कभी न कभी सामना करना पड़ता है। हमारे देश में उत्तरी भाग मुख्यत: हिमालय पर्वत की वजह से पवित्र नदी गंगा में पानी भरा रहता है तथा कभी-कभी यह उग्र रूप धारण कर लेती है, वह बाढ़ के रूप में आपदा लेकर आती है। दूसरी ओर

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[श्रीमती एम.एस.के. भवानी राजेन्तीरन]

दक्षिणी भारत के अधिकांश हिस्सों में मानसून की विफलता की वजह से नदियां सूखी रहती हैं और इस प्रकार वहां के लोग आपदा का सामना करते हैं।

महोदय, प्रत्येक सदस्य ने सुनामी के प्रभाव पर अच्छा बोला है। मैं महसूस करती हूं कि सुनामी दो प्रकार की होती है। एक अप्रत्याशित सुनामी है जिसे हमने दिसंबर, 2004 में देखा तथा दूसरी प्रत्याशित सुनामी होती है जो बाढ़ और सूखा जैसी प्राकृतिक आपदाएं हैं।

अभी मैं सर्वाधिक पिछड़ा और वाटरशेड संसदीय निर्वाचन क्षेत्र, रामनाथपुरम के बारे में कुछ कहना चाहती हूं। सौभाग्य से यह मेरा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र है। इसका अधिकांश क्षेत्र वर्षा पर निर्भर है। यह संसदीय निर्वाचन क्षेत्र आर्थिक रूप से काफी पिछड़ा हुआ है जहां अपर्याप्त वर्षा होती है और सिंचाई सुविधाओं की कमी है। कृषि क्षेत्र पर निर्भर नहीं रहा जा सकता। वहां कोई बड़े उद्योग नहीं है। यहां तक कि वहां विद्यमान लघु उद्योगों का भी ह्रास हो रहा है।

निश्चित रूप से मेरे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में भारत उदय नहीं हो रहा है। मेरे अल्प-विकसित निर्वाचन क्षेत्र की स्थितियों पर विचार करते हुए, जिसकी स्थिति स्वतंत्रता के समय से दशकों से ऐसी ही बनी हुई है, यह आवश्यक है कि भारत सरकार एक विशेष सहायता पैकेज प्रदान करे।

महोदय, हमें पता है कि किसी भी राहत कार्य अथवा बचाव कार्य के समाप्त होने के बाद उसके पश्चात् किए गए राहत कार्य को भी अधिक महत्व दिया जाना चाहिए। ठीक इसी प्रकार सुनामी का कहर समाप्त हो चुका है परन्तु लोगों को सुनामी के प्रभावों से मुक्त करने की जरूरत है।

मेरे निर्वाचन क्षेत्र का तटीय क्षेत्र थोंडी से लेकर कन्नीरासीपुरम तक फैला हुआ है। वहां लगभग 3.5 लाख मछुआरे रहते हैं। उनके पास अपने जीवनयापन के लिए मत्स्य ग्रहण के अलावा और कोई कार्य नहीं है। हाल में, सुनामी ने उनके दिन-प्रति-दिन के जीवन को अत्यधिक प्रभावित किया है। तमिलनाडु की वर्तमान सरकार ने सुनामी राहत कोष के अंतर्गत कुल 3.5 लाख मछुआरों में से मात्र 20,847 मछुआरों की सहायता की है। यह अत्यल्प है। तमिलनाडु सरकार मूल मछुआरों को राहत कोष प्रदान करने में विफल रही है। वहां के लोगों को वित्तीय सहायता की अत्यधिक आवश्यकता है। अत: मछुआरा समुदाय की सुरक्षा के लिए बहु करोड़ योजना के अंतर्गत समुद्र तटीय क्षेत्रों के किनारों पर रूकावट उत्पन्न करने के लिए उसके साथ-साथ एक दीवार का निर्माण किया जाए।

महोदय, वर्तमान में भारत सरकार ने बंजरभूमि परियोजना के संबंध में भी रामनाथपुरम जैसे पिछड़े जिलों के लिए अत्यल्प निधियां प्रदान की है। मेरा भारत सरकार से अनुरोध है कि वह डी.पी.ए.पी., आई.डब्ल्यू.डी.पी. और एन.डब्ल्यू.डी.पी.आर.ए. के अंतर्गत पनधारा परियोजनाओं के लिए और अधिक निधियां स्वीकृत करे।

सभापति महोदय: कृपया अपनी बात समाप्त करें।

श्रीमती एम.एस.के. भवानी राजेन्तीरन: महोदय, मैं अपनी बात समाप्त करने जा रही हूं।

इसके अलावा, सरकार को मेरे निर्वाचन क्षेत्र में मछुआरों हेतु कंक्रीट से बने मकानों के निर्माण के लिए समुचित वित्तीय सहायता देनी चाहिए। चूंकि अधिकांश बच्चे अनाथ हो गए हैं और अधिकतर महिलाएं अपने पति, भाइयों आदि को खो चुकी हैं। इसलिए केन्द्र सरकार को उन अनाथ लोगों की रक्षा के लिए उपयुक्त कदम उठाने चाहिए। हमारी दयनीय स्थिति यह है कि राज्य सरकार मूल मछुआरों को सुनामी कोष जारी करने में दिलचस्पी नहीं दिखा रही है। यह कोष का दुरूपयोग कर रही है। तमिलनाडु के अन्य माननीय सदस्यों ने इसके बारे में अच्छी तरह से बोला है।

केन्द्र सरकार को तमिलनाडु के सुनामी प्रभावित क्षेत्रों पर विशेष ध्यान देना चाहिए और मछुआरों हेतु और अधिक पैकेज देना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री हरिभाऊ राठौड़ (यवतमाल): सभापति महोदय, हजारों कोस दूर जब भूकम्प आया और समुद्र में लहरें उठीं, तो लाखों लोगों को समुद्र ने लील लिया। पूरे विश्व में चिन्ता जताई गई और हर एक ने अपनी सम्वेदना व्यक्त की। सारे देश की जनता बड़े जोर से आगे आई और अपनी पंथ प्रधान निधि तथा एन.जी.ओ. निधि में लोगों ने काफी योगदान किया।

महोदय, मेरे मन में एक प्रश्न उठता है कि जब हजारों किलोमीटर दूर से ये सूनामी लहरें चलती चली आईं। उन्हें यहां तक आने में पांच-छ: घंटे लग गए और इस बीच हमारे पास कोई ऐसी तकनीक या प्रणाली नहीं थी कि हम लोगों को इस बारे में आगाह कर सकें। इससे हमारी कमी जरूर उजागर हुई है। सरकार से एक कदम आगे आकर यहां की जनता ने लोगों की मदद की।

महोदय, इसी प्रकार का एक भूकम्प हमारे महाराष्ट्र के लातूर में भी आया था जिसमें हजारों लोग बर्बाद हुए और हजारों लोग मारे गए। वहां अभी तक रिहैबिलिटेशन का काम पूरा नहीं हुआ

है। आदरणीय गृह मंत्री श्री शिवराज वि. पाटील, उसी क्षेत्र से आते हैं। मैं उनका ध्यान दिलाना चाहूंगा कि उन्हीं के डिस्ट्रिक्ट में 25 तांडे ऐसे हैं, जिनका रिहैबिलिटेशन नहीं हुआ है। होता क्या है कि एक गांव का सर्वे हो जाता है, लेकिन गांव के साथ जो तांडे होते हैं, उनका सर्वे नहीं होता, वे वैसे ही रह जाते हैं। यही लातूर में भी हुआ है कि गांवों का सर्वेक्षण तो हो गया, लेकिन उसके साथ लगते तांडे छोड़ दिए गए। पिछली बार हमने मुख्य मंत्री श्री विलासराव जी के साथ मीटिंग की। उन्होंने हमें कहा कि वह तो मेरा डिस्ट्रिक्ट है राठौर जी, आप चिन्ता मत कीजिए, मैं कर दूंगा, लेकिन अभी तक 25 तांडों में 1528 फेमिली ऐसी हैं जिनका रिहैबिलिटेशन नहीं हुआ है उन्हें रिहैबिलिटेशन करना है। मैं आदरणीय मंत्री जी से विनती करूंगा कि वे इस बारे में विचार करें और उन्हें जरूर देखें और जिन तांडों के फेमिलजी का रिहैबिलिटेशन नहीं हुआ है, उनका रिहैबिलिटेशन किया जाए।

महोदय, इस बीच, पिछले महीने महाराष्ट्र में, विशेषकर हमारे विदर्भ-मराठवाड़ा में, जलगांव, धुले और नासिक में बड़े-बड़े ओले गिरे। आधा-आधा किलो के ओले गिरे जिनसे पूरे क्षेत्र की फसल बर्बाद हो गई। वहां का किसान बर्बाद हो गया। इससे पहले भी किसानों ने बहुत कठिनाई झेली थी। आपको याद होगा कि हमने इसी सदन में बात उठाई थी कि जून और जुलाई के महीने में किसानों ने अपने खेत बोए, लेकिन फसल नहीं हुई और उन्हें अपने खेतों में दुबारा और तिबारा बीज बोना पड़ा, फिर अब ओले गिर गए, जिससे किसान पूरी तरह बर्बाद हो गया। इसलिए उस क्षेत्र का किसान आत्महत्या कर रहा है। पहले तीन बार बीज बोया। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: कृपया कन्क्लूड कीजिए।

श्री हरिभाऊ राठौड़: सर, कन्क्लूड कर रहा हूं। सर, तीन बार फसल बोने के बाद ओलों से फिर किसान की फसल बर्बाद हो गई। हमारे यहां यवतमाल, चन्द्रपुर, गढ़चिरोली, अमरावती, नागपुर और भंडारा में धान और संतरे की तथा मराठवाड़ा में गेहूं और चने की फसल बर्बाद हो गई। जलगांव, धुले और नासिक में भी यही हुआ है। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: राठौर जी, आप केवल समस्या और कारण बता रहे हैं। कुछ समाधान भी बताइए, कुछ सुझाव भी दीजिए।

श्री हरिभाऊ राठौड़: सभापति जी, मेरा यह कहना है कि जब आदमी मर जाता है, तो हम लोग उसके पीछे दौड़ते हैं, लेकिन जो मरने वाले हैं, उन्हें तो बचाया जा सकता है। आज स्थिति यह है कि किसान मरने जा रहे हैं और हम बार-बार बोल रहे हैं कि किसानों ने अपनी फसल दो-दो और तीन-तीन बार बोई है और फिर ओलों से उसकी फसल बर्बाद हो गई। लोग मरते जा रहे हैं। सरकार की नीति कैसी है? सरकार को पहले ही इन लोगों की तरफ ध्यान देना चाहिए। हम लोगों के मरने के बाद उनके लिए बहुत संवेदना जताते हैं। महाराष्ट्र में आत्महत्या का सिलसिला नहीं रूकेगा। हम बार-बार सदन में इस बात को उठाते हैं। पिछले महीने मेरे निर्वाचन क्षेत्र में एक जगह आग लग गई, जिसमें 25 घर जल गए। मैं तब डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के पास गया और उनसे मैंने मदद मांगी। उन्होंने मुझे कहा कि यह कोई प्राकृतिक आपदा नहीं है। प्राकृतिक आपदा क्या होती है? जब बाढ़ आती है तो लोग बेघर हो जाते हैं, इसलिए इसे भी इस दायरे में लाया जाए और जब गांव के गांव जल जाते हैं तो उसे भी प्राकृतिक आपदा माना जाना चाहिए। ...*(व्यवधान)*

श्री शैलेन्द्र कुमार: इसे सांसद निधि से बनाने के लिए एलाऊ करें। ...*(व्यवधान)*

श्री हरिभाऊ राठौड़: मैं इसके लिए सहमत हूं। मैंने डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को यह भी कहा कि मैं 35 घर इंदिरा आवास के बनाने को तैयार हूं। मैं अपने फंड से रिलीज करने के लिए तैयार हूं, लेकिन उन्होंने कहा कि अगर बीपीएल धारक होगा तभी हम देगें, अन्यथा नहीं दे सकते। ऐसी बातें भी देखनी चाहिए, इसके लिए सरकार को जरूर मदद करनी चाहिए। संत सेवा लाल ने कहा था-

> "रुपया कटोरा पानी बिकेगा, 12 कोस पर दीया जलेगा,
> जगबुड़ी आएगी, सब समुद्र में समा जाएंगे।"

अब ऐसा ही लगता है। इस प्राकृतिक आपदा को रोकने के लिए हमें सक्षम बनाना चाहिए। जब गांव में किसी को ठेस पहुंचती है तो यहां की सरकार की आंख में आंसू आने चाहिए। हम बार-बार इस बात को सदन में बोलते हैं, लेकिन कोई ध्यान नहीं देता। जीरो आवर में भी इस बात को उठाते हैं, तब भी कोई ध्यान नहीं देता। ...*(व्यवधान)*

महोदय, महाराष्ट्र सरकार ने 1750 करोड़ रुपए मांगे थे। वहां दो साल से सूखा पड़ा है। हमने उस समय आठ दिन सदन नहीं चलने दिया था। आपकी सरकार ने कुछ नहीं किया, इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए।

[अनुवाद]

श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी (बापतला): महोदय, धन्यवाद।

आज मैं नियम 193 के अंतर्गत देश में प्राकृतिक आपदाओं के संबंध में चर्चा में भाग लेने के लिए खड़ी हुई हूं। आरम्भ में

[श्री डी. पुरन्देश्वरी]

मैं इस चर्चा को शुरू करने के लिए अपने सहयोगी श्री रूपचन्द मुर्मू को धन्यवाद देना चाहूंगी और मुझे बोलने का अवसर देने के लिए मैं आपको भी धन्यवाद देना चाहूंगी।

सुनामी के बारे में यहां काफी चर्चा की गई है। मैं विस्तारपूर्वक चर्चा करना नहीं चाहूंगी। हम सभी टेक्टोनिक प्लेटों के बारे में जानते हैं; आज हम काफी अक्लमंद हैं; हम ज्वारीय लहरों तथा सुनामी के बीच अंतर के बारे में जानते हैं। हम इसकी गति के बारे में जानते हैं और अंतत: हम जानते है कि इससे कितना नुकसान होता है।

तथापि मैं यहां यह कहना चाहूंगी कि जापानी लोक कथाओं में हमेशा से विद्यमान सुनामी आज हमारे जीवन में भी आ गई है। इस सुनामी ने न केवल भूमि को लीला है अपितु इसने इससे प्रभावित हुए लाखों लोगों का आत्मविश्वास तथा जीविका को भी समाप्त करके रख दिया है।

इस प्रकार से हर बड़ी त्रासदी के बाद दिल द्वारा हकीकत को पचाये जाने और घोर त्रासदी संबंधी ब्यौरे दिये जाने से पहले ढेरों सहानुभूति ली और दी जाती हैं और जीवन में यथार्थ तक पहुंचने के लिए काफी समय और परिश्रम लग जाता है। यहां हमारे लिए दो बातें प्रमुख हैं; पहली तो यह है कि बिना किसी हाय तौबा के रिकवरी तथा पुनर्वास का कार्य कैसे किया जाए और दूसरी यह कि यदि अगली बार ऐसी स्थिति का सामना करना पड़े तो हमारी तैयारी कितनी बेहतर है।

मैं यहां रोमन विद्वान प्लीनी के शब्द दोहराना चाहूंगी कि केवल एक ही चीज निश्चित है हमें किसी भी चीज का पक्का विश्वास नहीं है। भूकंप से हिन्द महासागर में आई हत्यारिन लहर सुनामी स्पष्ट रूप से यही बताती है। इसके प्रबंधन के लिए पर्यावरणीय प्रबंधन तथा आपदा प्रबंधन पर भी नमनीय तथा अनुकूलनीय दृष्टिकोण अपनाना होगा। 1999 में एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति गठित की गई थी और 2001 में इसने अपने रिपोर्ट दी थी। परन्तु दुर्भाग्यवश मैं नहीं समझती कि इस समिति द्वारा दिया गया सुझावों को अधिक महत्व नहीं दिया गया हो। इन सिफारिशों में से एक अत्यंत महत्वपूर्ण सिफारिश यह है कि आपदा प्रबंधन प्राधिकरण गृह मंत्रालय के अंतर्गत होनी चाहिए तथा कृषि मंत्रालय के अंतर्गत नहीं होना चाहिए। मेरे विचार से इस संबंध में कदम उठाए जा रहे हैं और मैं इसकी सराहना करती हूं।

मैं स्वयं को उन सुझावों तक सीमित रखूंगी जो मैं यहां देना चाहती हूं। हम हमेशा देर से जागते हैं जब नुकसान हो चुका होता है हम यह भूल जाते हैं कि पूर्व चेतावनी का अर्थ पहले से तैयार रहना है। हममें से अधिकांश लोग यह जानते हैं कि अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह भूकंपनीय जोन पांच में आता है। अभी-अभी श्री कपिल सिब्बल जी भूकंपीय जोन छ: का उल्लेख कर रहे थे, जो कि हिमालय की तलहटी में पड़ती है। हम सभी जानते हैं कि अण्डमान और निकोबार भूकंपीय जोन पांच में आते हैं तथा वहां ज्वालामुखी भी फट सकता है और इन दोनों से विध्वंसक सुनामी आ सकती हैं।

यहां इस बात पर विचार किया जाने की आवश्यकता है कि जबकि पूरा तट सुनामी के विध्वंसक प्रभाव में था पाण्डिचेरी में आरूविले जैसे छोटे क्षेत्रों द्वारा इन खतरनाक लहरों का प्रभाव झेला गया। ये क्षेत्र दूसरे क्षेत्रों की तुलना में कम प्रभावित हुआ है। इससे स्पष्ट है कि यदि तटीय विनियामक जोन मानकों का उल्लंघन किया जाता है जो हम कितना प्रभावित हो सकते हैं। 1991 के सी आर जेड मानकों के अनुसार तट के 500 मीटर में कोई भी मानवीय गतिविधि नियंत्रित होनी चाहिए। यह तट को भी चार जोनों में श्रेणीबद्ध करती है। पहली जोन में जैसा कि मेरे एक साथी मुझे बता रहे थे, जो कि सर्वाधिक संवेदनशील जोन है और इसमें गरान तथा मूंगा चट्टानें आती हैं और यहां कोई भी विकासात्मक कार्यकलाप नहीं किया जाता। दूसरी जोन में वे इमारतें तथा नगर है जो तट के समीप हैं। तीसरी जोन में अल्प विकसित क्षेत्र तथा पर्यटन स्थल हैं जहां विकास कार्य स्थान के अनुसार दिया जाता है। चौथी जोन में अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह जैसे क्षेत्र शामिल हैं। तथापि इनका उल्लंघन किया गया और इन पर उचित नियंत्रण नहीं किया गया। उद्योग के कारण अनावश्यक निर्माण कार्य तथा भूमिगत जल संसाधनों में कमी हुई है। इसके बारे में काफी बड़े तथा कठोर कदम उठाए जाने चाहिए।

इसके अतिरिक्त मैं सभा का ध्यान भारत मौसम विज्ञान विभाग (आई एम डी) की ओर आकर्षित करना चाहूंगी। कुछ ही समय पहले आई एम डी ने गर्व से कहा था कि इसके साथ विश्व की तुलना में सर्वोत्तम अवसंरचनाएं हैं। परन्तु यह गर्व टूट गया जब माननीय मंत्री श्री कपिल सिब्बल ने स्वयं स्वीकार किया कि आई एम डी को भी आधुनिकीकरण और उन्नयन की आवश्यकता है। यहां हमें चीन के मौसम विज्ञान प्रशासन से सीखना चाहिए जिसमें व्यवसायिक रूप से चलाया जाने वाला टी वी स्टेशन शामिल है जो किसानों, मछुआरों तथा अन्य लोगों को मौसम संबंधी जानकारी प्रदान करता है।

सभापति महोदय: कृपया अब अपनी बात समाप्त करें।

श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी: महोदय, कृपया मुझे एक मिनट का समय और दें।

एक सुझाव यह है कि भारत के पूर्वी तट में इन चक्रवाती गतिविधियों की काफी आशंका रहती है। मैं मंत्री जी से अनुरोध करना चाहूंगी कि इस पूर्वी तट को चक्रवात प्रवण क्षेत्र घोषित किया जाए क्योंकि इसके लिए नियमित अवसंरचना से अधिक मजबूत अवसंरचना की जरूरत होगी। अत: महोदय मैं माननीय मंत्री जी से भारत के पूर्वी तट, विशेष रूप से इसमें शामिल आंध्र प्रदेश को चक्रवात प्रवण क्षेत्र घोषित करने तथा इसके अनुकूल बेहतर अवसंरचना देने का अनुरोध करती हूं।

श्री चेंगरा सुरेन्द्रन (अडूर): मुझे प्राकृतिक आपदाओं पर इस चर्चा में भाग लेने का अवसर देने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मैं उन लोगों के लिए शोक प्रकट करता हूं जिन्होंने 26 दिसम्बर 2004 को तटीय क्षेत्रों पर आई विध्वंसक लहरों के कारण अपने सगे संबंधियों के खोया है और सम्पत्ति के नुकसान को झेला है।

इस दिल दहलाने वाली घटना में वास्तव में सुनामी सुमात्रा द्वीपसमूह से शुरू हुई तथा पांच या कुछ और घंटों में यह केरल तथा तमिलनाडु के तटीय जिलों तक पहुंच गई। इस आधुनिक विश्व में इसके शिकार हुए लोगों की सहायता के लिए चेतावनी की कोई प्रणाली समय पर कार्य न कर सकी। यह ऐसे समय में आई जब विश्व आपस में इस प्रकार जुड़ा हुआ है कि विश्व के एक कोने में होने वाली घटना की जानकारी कुछ ही क्षणों में विश्व के दूसरे कोने के लोगों को मिल जाती है।

मेरे राज्य केरल के एक जिले कोल्लम में अल्लापड नामक एक पंचायत पूरी तरह बह गई। केरल में लगभग 200 लोगों की मृत्यु हई और राज्य सरकार द्वारा कुल नुकसान की गणना 1500 करोड़ रु. की गई है।

मैं इस बात की सराहना करता हूं कि माननीय प्रधान मंत्री, कुछ मंत्रियों तथा कुछ राष्ट्रीय नेताओं ने राज्य का दौरा किया और उन लोगों से भेंट की जिन्हें जान-माल का नुकसान हुआ है। उन्होंने समस्या की गम्भीरता को महसूस किया और प्रभावित लोगों के पुनर्वास हेतु 160 करोड़ रुपये का आवंटन किया। परन्तु अधिकांश पीड़ित अभी भी राहत शिविरों में रह रहे हैं। प्रभावित लोगों के लिए स्थायी घरों के निर्माण के संबंध में राज्य सरकार द्वारा किए जा रहे कार्य की गति काफी धीमी है। जब केन्द्र सरकार ने पुनर्वास के लिए इतनी सहायता दी है तो मैं सुझाव दूंगा कि इस कार्य की समीक्षा के लिए समिति होनी चाहिए जिसके सदस्य प्रभावित राज्यों से इस सभा के सदस्यों में से हों। इससे वह यह देख सकेंगे कि केन्द्र सरकार द्वारा दिए गए पैसे का उपयोग इस प्रयोजन के लिए किया जा रहा है या नहीं।

सुनामी के परिणामस्वरूप तटीय क्षेत्र पूरी तरह से बर्बाद हो गए। सिर्फ यही नहीं, निर्धन लोगों की मत्स्यन से होने वाली आय बिल्कुल नगण्य हो गई। उन्हें मछली नहीं मिल रही है। इसलिए मछुआरों को सहायता जारी रखने हेतु कुछ स्थायी राहत योजनाएं होनी चाहिए।

यदि केरल के तट पर स्थित अलप्पड़-अरातुपुझा क्षेत्र में, जैसा कि केरल सरकार का प्रस्ताव है, खनिज रेत खनन की अनुमति दी जाती है तो केरल तट की क्षयशील पारिस्थितिकी प्रणाली अस्थिर होगी और केरल में पारिस्थितिकीय आपदा जा जाएगी। इसे रोका जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त भविष्य में सुनामी के कारण हो सकने वाली क्षति को रोकने हेतु तटीय क्षेत्रों पर 'मैन्ग्रोव्स' और समुद्री दीवार के विकास के लिए कुछ केन्द्रीय योजनाएं बनाई जानी चाहिए।

[हिन्दी]

श्री अविनाश राय खन्ना (होशियारपुर): महोदय, आज हम बहुत गहन चर्चा इसके बारे में कर रहे हैं। हमने बाढ़, सूखा, साइकलोन, भूकम्प भी और उसके बाद सुनामी से जो इफेक्ट हुए हैं उनको बहुत डिटेल में खास तौर से उन सांसदों ने जिन्होंने सुनामी को अपनी आंखों से देखा है, वहां के नुकसान को अपनी आंखों से देखा है, उसको बहुत विस्तार से कहा है। मैं ज्यादा विस्तार में नहीं जाना चाहता हूं। मैं सिर्फ अपने क्षेत्र के बारे में एक बात कहने के बाद बैठ जाऊंगा। साथ ही साथ मेरे कुछ सुझाव हैं जिन्हें मैं देना चाहूंगा।

मेरा क्षेत्र तीन भागों में बंटा हुआ है। पहला-कंडी, दूसरा-बीथ और तीसरा-बेट। कंडी और बीथ के जो लोग हैं अगर उनसे पूछा जाए कि आप कितनी जमीन के मालिक हैं तो वे कहेंगे कि बीस एकड़, तीस एकड़, पचास एकड़ के मालिक हैं, लेकिन वे मजदूरी करते हैं। कारण यह है कि उनकी जमीन को पानी नहीं मिलता है। बारिश न हो तो वे बेचारे किसी की जमीन में काम करने के लिए जाते हैं। अगर उन लोगों की जमीन को पानी मिल जाए तो वे कम से कम 50-50 नौकर अपने पास काम पर रख सकते हैं और अपने इलाके की बेरोजगारी की समस्या को हल कर सकते हैं। दूसरा इलाका बेट का है। वहां पानी ज्यादा है तो प्राकृतिक ड्रेनेज है वह ब्लाक्ड होने के कारण जब थोड़ी सी बारिश हो जाती है तो वहां का किसान अपनी फसल बोयी होती है, वह उसका पूरी तरह फल नहीं ले पाता है। वहां पर मैनेजमेन्ट की कमी है। जहां अच्छी तरह से पानी की जरूरत है वहां पानी मिल जाए। जहां पानी की जरूरत नहीं है वहां से पानी निकाल दिया जाए तो पंजाब के उस हिस्से में बाढ़ और सुखाड़ से बचाव किया जा सकता है।

[श्री अविनाश कुमार खन्ना]

महोदय, जब सुनामी आई तो हमारी पार्टी की तरफ से आदेश हुआ कि आपने पैसे इकट्ठे करने हैं। मैं वहां का अध्यक्ष हूं, इस नाते छः जिलों का कार्यक्रम मैंने अपने हाथ में लिया। वह कार्यक्रम यह था कि मैंने लोगों के बूट पालिश करके सुनामी पीड़ितों के लिए पैसा इकट्ठा किया। तीन-चार दिन में छः लाख रुपये के करीब इकट्ठे हो गए। रिक्शावाला भी पैसा देता था। थोड़ा सा पीछे जाएं तो जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने देशवासियों से आह्वान किया था कि आप मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा तो बहुत से देशवासी आईएनए में शामिल हो गए थे और उन्होंने देश की आजादी की लड़ाई लड़ी। देश आजाद हुआ तो यहां अन्न की कमी आई। तब श्री लाल बहादुर शास्त्री ने आह्वान किया कि देश में अन्न की कमी है तो हमें एक टाइम खाना छोड़ देना चाहिए। मैंने आज भी ऐसे कई लोग देखे हैं जो बताते हैं कि हमने खाना छोड़ दिया, यहां तक कि ढाबे और होटल भी बंद होते रहे। इस देश में इतनी कैपेसिटी है। अभी सुनामी आई तो हमारी सरकार ने फारेन से एड लेने से मना कर दिया क्योंकि हमें विश्वास था कि हमारे देश के लोग इस विपदा में इकट्ठा होकर पूरी मदद करेंगे।

गृह मंत्री जी डिजास्टर मैनेजमैंट अथारिटी बनाने जा रहे हैं। हर राज्य ने पैसा मांगा है कि जब यह अथारिटी बने तो हमारा ध्यान रखा जाए। यह पैसा कहां से आएगा? मेरे पास एक सुझाव है, क्योंकि पहले अपने पीछे पराए, मैं चाहूंगा कि जितने भी सांसद हैं, कम से कम वे अपनी सैलरी में से, जितनी उनकी इच्छा हो, परमानैंटली उस फंड में दान दें। ऐसा सिस्टम बनाएं कि इस देश के प्राइम मिनिस्टर से लेकर चपरासी तक लोग उस फंड में अपना कंट्रीब्यूशन दें ताकि जब आग लगे, हम उस समय पानी इकट्ठा न करें। हमारे पास पहले से धन हो, साधन हों ताकि देश में जब भी विपदा आए, उसे हम साल्व कर सकें।

समय कम है लेकिन मेरे मन में यह बात है कि देश की विपदा के लिए हर व्यक्ति का कंट्रीब्यूशन हो क्योंकि जब विपरीत परिस्थिति आती है, जब कोई मुश्किल आती है तो इंसान उससे बहुत कुछ सीखता है। देश में भूकम्प आए, सुनामी आई, बाढ़ आई, लोगों ने दान दिया। मैं चाहूंगा कि आप जब भी यह अथारिटी बनाएं, उस फंड में देश का पैसा लगातार जाए, ऐसी व्यवस्था जरूर करें।

इतनी बात कहते हुए मैं बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूं।

[अनुवाद]

श्री धनुषकोडी आर. अतिथन (तिरूनेलवेली): सभापति महोदय, इस विषय पर बोलने का अवसर प्रदान करने के लिए मैं आपको धन्यवाद ज्ञापित करता हूं।

महोदय, आपदा प्राकृतिक विध्वंस का ही एक रूप है जो अक्सर घटित होता रहता है और इसलिए राज्यों और केन्द्र सरकार को इस बारे में अधिक चिंतित होना चाहिए। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। डा. भीमराव अम्बेडकर ने इस देश को एक संविधान दिया और महात्मा गांधी, पं. जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, कामराज जैसे अन्य लोगों ने इस महान देश को एक कल्याणकारी राज्य घोषित किया। इसलिए, सरकार को इस देश के लोगों के कल्याण के लिए कुछ भी और सब कुछ करना चाहिए। जब भी लोग परेशानी में हों तो सरकार को उनकी परेशानी दूर करने के लिए आगे आना चाहिए। महान तमिल संत और कवि तिरूवल्लुवर ने कहा है, ''उडुक्कई इजनदवन कैपोला आंगे, इदुक्कन कइवदन नट्पु''- इसका मतलब है कि जब भी हमारे बदन पर धूल आ जाती है तो हमारे हाथ स्वाभाविक रूप से उस धूल को हटाने के लिए ऊपर उठ जाते हैं। इसी तरह से जब हमारे लोग प्रभावित हों, परेशानी में हों, तो उनके राहत के लिए हमें शीघ्र आगे आना चाहिए।

महोदय, प्राकृतिक आपदाओं को पांच प्रमुख शीर्ष में विभाजित किया जा सकता है, उनके नाम हैं- भूकंप, चक्रवात, बाढ़, सूखा और आग इन सब में भूकंप अत्यधिक विनाशकारी है। सुनामी की उत्पत्ति भी भूकंप से हुई जो रिक्टर पैमाने पर 8.5 था। 26 दिसम्बर, 2004 को प्रातः 6 बजे सुमात्रा द्वीप में आए भूकंप से इंडोनेशिया, मलेशिया, श्रीलंका और भारत के तट प्रभावित हुए थे और इन सभी देशों में अप्रत्याशित विनाश हुआ था। हम कह सकते हैं कि 26.12.2004 भारत के लिए काला दिवस है। भारत के पूर्वी और दक्षिणी तटीय भाग इन हत्यारी लहरों से बुरी तरह से प्रभावित हुए। अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह विशेष रूप से कार निकोबार पूरी तरह से बर्बाद हो गया था। अंडमान, आंध्र प्रदेश में विशाखापत्तनम, गुन्टुर, प्रकाशम, पांडिचेरी, केरल के कोल्लम और अल्लापुझा के अतिरिक्त तमिलनाडु में चेन्नई सहित 13 जिले प्रभावित हुए। सुनामी लहरें भारत के लिए नई हैं। वास्तव में लहरों के वेग और उनकी विकरालता को कोई नहीं जानता। लहरों ने क्षणभर में ही हजारों लोगों को लील लिया था। चेन्नई में समुद्र तट पर टहल रहे लोगों और खेल रहे बच्चों को हत्यारी लहरों ने लील लिया था।

दिल दहला देने वाली विनाश लीला के शीघ्र बाद संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन की अध्यक्षा और कांग्रेस अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी, हमारे माननीय प्रधान मंत्री डा. मनमोहन सिंह और अन्य सभी नेताओं सहित केन्द्र सरकार के मंत्री शीघ्र ही प्रभावित क्षेत्रों में पहुंचे और सुनामी से तबाह लोगों को सान्त्वना दी। संप्रग अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी ने लोगों को सान्त्वना दी और राहत उपायों के बारे में चर्चा की। उन्होंने सुनामी लहरों के शिकार लोगों को दी जाने वाली सहायता को भरपुर ध्यान रखा और उसमें

उन्होंने गहरी रुचि दिखाई। उन्होंने कांग्रेस पार्टी द्वारा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों को युद्ध स्तर पर राहत उपाय करने का निर्देश दिया। उन्होंने सभी प्रदेश कांग्रेस समिति के अध्यक्षों, संसद सदस्यों और विधायकों को राहत गतिविधियों में शारीरिक और वित्तीय दोनों तरह से राहत कार्यों में सक्रिय भागीदारी करने का निर्देश दिया।

माननीय प्रधानमंत्री ने दो बार तमिलनाडु का दौरा किया और प्रभावित परिवारों को सान्त्वना दी। उन्होंने लोगों को आश्वस्त किया कि उनके सभी तरह की क्षति चाहे उनके घर, नाव, जल, पशुओं और अन्य चीजों को दुरूस्त करने और केन्द्र सरकार सभी तरह की हानियों के लिए मुआवजा देगी। इस बात का आश्वासन दिया। उन्होंने मौत की क्षतिपूर्ति के लिए प्रत्येक को 1 लाख रुपए देने की घोषणा की।

कांग्रेस अध्यक्ष के निर्देशन और मार्गदर्शन के अंतर्गत तमिलनाडु कांग्रेस समिति के अध्यक्ष श्री जी.के. वासन ने सुनामी प्रभावित सभी गांवों का दौरा किया। उन्होंने उन स्थानों का भ्रमण किया और प्रभावित लोगों को सान्त्वना देने में करीब 15 दिन का बहुमूल्य समय दिया। उन्होंने चेन्नई से कन्याकुमारी तक प्रभावित लोगों को करोड़ों रुपए का सामना वितरित किया।

मैं आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के उन मुख्यमंत्रियों तथा प्रदेश कांग्रेस समिति के अध्यक्षों को बधाई देना चाहता हूं जिन्होंने तमिलनाडु सरकार और तमिलनाडु प्रदेश कांग्रेस समिति को उदारता पूर्वक धनराशि और सामग्री प्रदान की। मैं डी.पी.ए. के अध्यक्ष डा. कलैगनार की प्रशंसा करना चाहता हूं जिन्होंने श्रीमती सोनिया गांधी को दान स्वरूप 1.25 करोड़ रुपए दिया और श्री स्टालिन, विधायक को जिन्होंने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री को दान स्वरूप 21 लाख रुपए दिया। इसके अतिरिक्त, मैं श्री दयानीधि मारन, श्री कलानीधि मारन और सन टी.वी. को बधाई देना चाहता हूं जिन्होंने अपने दर्शकों के माध्यम से 5 करोड़ रुपए का योगदान किया "दी हिन्दू" ने अपने पाठकों के माध्यम से प्रधान मंत्री राहत कोष में 10 करोड़ रुपए का योगदान किया और सभी राज्यों के मुख्य मंत्रियों ने भी प्रभावित लोगों को सहायता प्रदान की।

सभापति महोदय: अब कृपया अपनी बात समाप्त करें।

श्री धनुषकोडी आर. अतिथन: मैं श्री प्रणब मुखर्जी को भी बधाई देता हूं जिन्होंने रक्षा कर्मियों को राहत कार्यों में शामिल होने का निर्देश दिया।

सभापति महोदय: श्री संतोष गंगवार सभा के समक्ष कार्यमंत्रणा समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत करें।

सायं 07.53½ बजे

कार्य मंत्रणा समिति

दसवां प्रतिवेदन

श्री संतोष गंगवार (बरेली): महोदय, मैं कार्य मंत्रणा समिति का दसवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

सायं 7.54 बजे

नियम 193 के अधीन चर्चा

देश में प्राकृतिक आपदाएं-*जारी*

[हिन्दी]

श्री चन्द्रमणि त्रिपाठी (रीवा): सभापति महोदय, बहुत-बहुत धन्यवाद। नियम 193 के तहत प्राकृतिक आपदा की बहस ऐसे समय में हो रही है, जब हम सुनामी की प्रलयकारी विनाश लीला से उभर नहीं पाये हैं। इसको शायद रोका नहीं जा सकता था। अगर हमारी सरकार ने विज्ञान और तकनीकी का सहारा लिया होता, जो नये-नये शोध हो रहे हैं, उनका सहारा लिया होता तो शायद इतनी बड़ी तादाद में जन-धन की हानि न होती। लेकिन समूचे राष्ट्र ने जिस एकजुटता के साथ सुनामी त्रासदी के समय खुले मन से पूरी ताकत के साथ काम किया है और उन लोगों की मदद की है, समाज के हर वर्ग और हर क्षेत्र के लोगों ने मदद की है, वह प्रशंसनीय है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि यह केवल सुनामी की दुर्घटना ही देश में नहीं हुई है बल्कि पूरे देश के किसी न किसी भाग में हर वर्ष कभी कहीं अतिवृष्टि के कारण बाढ़ से, कहीं अनावृष्टि के कारण सूखे से, कहीं ओले पड़ने से और कहीं आगजनी से करोड़ों की जन-धन की हानि हो जाती है। लेकिन मैं केवल मौजूदा सरकार की बात नहीं कर रहा हूं, आजादी के बाद से आज तक इस प्राकृतिक आपदा से निपटने के लिए कोई दीर्घकालीन योजना नहीं बनाई गई। जब बाढ़ आ जाती है, तब हम काम करते हैं। तात्कालिक योजनाएं तो बनीं हैं लेकिन कोई दीर्घकालीन योजना नहीं बनी है और इसी के तहत करोड़ों के जन-धन की हानि हो जाती है। इससे सबक लेते हुए यू.पी.ए. की सरकार से मैं कहना चाहूंगा कि जो वे डिजास्टर मैनेजमेंट बना रहे हैं, वह करें लेकिन यह प्राकृतिक आपदा नहीं आने पाए, इसके लिए भी कुछ करें।

मैं बड़ी विनम्रता से कहना चाहता हूं कि चिता की आग में रोटी सेंकने का काम नहीं करें। चूल्हे की आग में हर कोई रोटी सेंकता है लेकिन ऐसी त्रासदियों में चिता की आग में रोटी नहीं

[श्री चन्द्रमणि त्रिपाठी]

सेंकनी चाहिए। इस देश में प्रधान मंत्री राहत कोष है। मेरी समझ में नहीं आ पा रहा है कि व्यक्ति पूजा की किस सीमा तक यह सरकार जाएगी? किसी व्यक्ति विशेष के नाम पर कोई राहत कार्य खोला जाना, क्या यह त्रासदी से निपटने का तरीका है? मैं बड़ी विनम्रता से कहना चाहूंगा कि माननीय गृह मंत्री जी यहां बैठे हैं, वह राजनीति में काफी अनुभवी हैं, मैं कहना चाहूंगा कि व्यक्ति पूजा से ऊपर उठो। व्यक्ति कितना ही महान हो, पथभ्रष्ट हो सकता है और इसलिए पथ देखना चाहिए, पथिक नहीं देखना चाहिए। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी.के. हान्डिक): सदस्य बेकार की बातें क्यों कर रहे हैं? समय समाप्त होता जा रहा है ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: श्री त्रिपाठी के भाषण के अतिरिक्त कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

[हिन्दी]

श्री चन्द्रमणि त्रिपाठी: अभी उड़ीसा में चक्रवात से तबाही मची थी। गुजरात और मध्य प्रदेश में भूकम्प से तबाही हुई थी और उससे निपटने के लिए कोई योजना नहीं है। जब फसल नष्ट हो जाती है तो करोड़ों की फसल नष्ट हो जाती है तो केवल नाम मात्र की सहायता दी जाती है।

सभापति महोदय: त्रिपाठी जी, आप तो अनुभवी सदस्य हैं। कम समय में अपने सुझाव दे सकते हैं। मोटे तौर पर आप अपने सुझाव दीजिए।

श्री चन्द्रमणि त्रिपाठी: आज आरबीसी के तहत, अंग्रेजों के जमाने में जो बनी थी, आज चीजों के दाम बहुत बढ़ गये हैं, परिस्थितियां बदल गई हैं लेकिन उसी आरबीसी के तहत मदद की जा रही है। मैं कहना चाहूंगा कि जिस तादाद में किसानों की फसल चौपट होती है, केवल आंसू पोंछने का काम होता है, ऊंट के मुंह में जीरा का काम किया जाता है। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: अब आपका समय समाप्त हो रहा है। आज समय ज्यादा नहीं है। अब आप समाप्त कीजिए।

श्री चन्द्रमणि त्रिपाठी: अभी दो मिनट ही मुझे हुए हैं। मैं एक मिनट में अपनी बात समाप्त कर रहा हूं। मैं कहना चाहूंगा कि बाढ़ को रोकने के लिए, ...*(व्यवधान)* आप क्या कह रहे हैं?

...*(व्यवधान)**

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

सायं 8.00 बजे

[अनुवाद]

सभापति महोदय: नहीं, नहीं, कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)**

सभापति महोदय: कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नही किया जाएगा।

...*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

सभापति महोदय: कोई भी असंसदीय शब्द प्रोसीडिंग्स में शामिल नहीं किए जाएंगे।

श्री चन्द्रमणि त्रिपाठी: नदियों को जोड़ने का काम होना चाहिए, ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय: कृपया अपने स्थान पर बैठिए।

[हिन्दी]

श्री चन्द्रमणि त्रिपाठी: नदी तटों की सफाई होनी चाहिए और नदियों के किनारे जो अतिक्रमण हुए हैं, उनको हटाया जाना चाहिए। मैं कहना चाहता हूं कि और क्षेत्रों में जब नुकसान होता है तो एलआईसी से मदद मिलती है, उसी तरह इसमें भी मदद मिलनी चाहिए। इसी के साथ आपने मुझे बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

सभापति महोदय: माननीय सदस्यों, अभी आठ बज रहे हैं, पहले सदन का समय एक घण्टे के लिए बढ़ाया गया था। मैं समझता हूं कि अभी पांच-छ: सदस्यों को और बोलना है। अत: सदन का समय बढ़ाया जाता है।

चौधरी लाल सिंह (उधमपुर): महोदय, आज आपकी अनुमति से जो चर्चा हो रही है और उसमें भाग लेने की मुझे आपने जो अनुमति दी है, उसके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं। महोदय, फ्लड और ड्राट के हालात तो हर वर्ष आते ही रहते हैं और बीच-बीच में भूकम्प, सुनामी और जैसा अभी रियासते जम्मू-

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

कश्मीर में तीस साल बाद स्नोफाल और बारिश हुई और इनसे बहुत नुकसान होता है। चाहे सुनामी हो या जम्मू-कश्मीर में एवलांश, इस दौरान आर्मी और एयरफोर्सेज का जो रोल रहा है, उसके लिए मैं उनको आपके माध्यम से धन्यवाद देता हूं। आर्मी, एयरफोर्सेज और पैरा-मिलिट्री फोर्सेज ने कनेक्टिविटी बनाने में जो काम किया और लोगों की जानें बचाईं, उसके लिए भी मैं शुक्रिया अदा करता हूं। इन आपदाओं के बारे में मैं कुछ सुझाव देना चाहूंगा। पहला सुझाव यह है कि ऐसी स्थितियों से निपटने के लिए एक एक्ट बनाया जाना चाहिए तभी आप डिजास्टर मैनेज कर पाएंगे, जिसमें रियासती सरकारों और सेन्ट्रल गवर्नमेंट की रिस्पांसिबिलिटीज फीक्स हो जाएगी। पहले जो सरकारें रहीं, वे इसे नहीं ला सकीं, मैं उम्मीद करता हूं कि वर्तमान सरकार इस तरह का एक एक्ट लाएगी, जिसके अन्दर एक कानूनी हद बन जाए कि जब ऐसे हालात बनते हैं तो क्या-क्या काम किए जाने हैं, अदरवाइज जब कभी कोई आपदा आती है तो अचानक यह सोचना पड़ता है कि अब हम क्या करें, राशन कहां से भेजें, आर्मी कहां से लाएं, मकान कहां से दें, टेंट कहां से दें, जानें कैसे बचाएं, इक्विपमेंट कहां से लाएं, बर्फ तोड़ने वाले कहां से लाएं, रास्ता कैसे खोलें - यह सबने हमने प्रैक्टिकली अपनी आंखों से देखा है। यह सारी चीजें तभी हो सकती हैं जब आप इसके लिए एक परिपक्व हल खोजें।

इसके साथ ही मैं यह भी कहना चाहता हूं कि फ्लड वाले पैसे, ड्राट वाले पैसे हर साल स्टेट्स को जाते हैं, हमारे स्टेट में भी जाते हैं। यह ध्यान रखने योग्य है कि जिन एरियाज को आपने ड्राट-प्रान एरिया का नाम दिया है, आप लगातार उन डिस्ट्रिक्ट्स को पैसा आप देते हैं। लेकिन इन डिस्ट्रिक्ट्स में ड्राट बढ़ा है, कभी घटा नहीं, उसमें कोई तब्दीली नहीं आई है। इसलिए नहीं आई कि यह पैसा जमीन पर नहीं लगता है। महोदय, मैं यह कहना चाहूंगा कि जब आप पैसे देते हैं तो एक मानीटरिंग सैल या कमेटी जरूर बनाएं ताकि लोगों को पैसा मिल सके। जैसे जब किसी के घर में कोई मरता है तो चार्जी को मौका मिलता है कि चलो अच्छा हुआ इसके घर में कोई मरा है। इसी तरीके से किसी थाने में कोई कत्ल होता है तो थानेदार खुश होता है कि बहुत अच्छा हुआ कोई फंसा, इलाके में कत्ल हुआ है। मेरे कहने का मतलब है कि मौका देखकर कई लोगों की दुकानें खुल जाती हैं। जब फ्लड आता है या जब ड्राट आता है तो कई लोगों की दुकानें खुल जाती हैं। ऐसी दुकानों को पक्के तौर पर बंद कर देने की जरूरत है।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: कृपया अपने स्थान पर बैठिए।

[हिन्दी]

माननीय सदस्य, आपका समय पूरा हो गया है, कृपया समाप्त कीजिए। आपसे पास आधा मिनट शेष है।

चौधरी लाल सिंह: महोदय, मैं समाप्त कर रहा हूं। हमारी जनता के जो निर्वाचित सदस्य हैं, जो रिप्रेजेण्टेटिव्स हैं, उनको अपनी कांस्टीचुवेंसी में यह रिस्पांसिबिलिटी जरूर दी जाए कि वे अपने क्षेत्र में होने वाले ऐसे कामों को देख सकें। इसके साथ ही मैं यह कहना चाहता हूं कि मेरी अपनी कांस्टीचुवेंसी में 15 हजार मकान देने के लिए सर्वे हुआ है। मैं कहना चाहता हूं कि हमें 20,000 मकान चाहिए। आप कृपा करके इस तरफ ध्यान दें। कुछ रिलीफ दीजिए, हमारे वहां फूँड और फाडर दोनों की समस्या है। मैं अपने कुछ इलाकों का जिक्र करना चाहता हूं, जो इस बार की बर्फबारी से काफी प्रभावित हुए हैं। ये इलाके किश्तवार, माडवा, बाड़वन, दशन, इन्द्रवल, मुगल मैदान, शात्रु, अस्सर, बग्गर, अठोली, पाडर, ठाठरी, भलेसा, गोहा, देसा, बनिहाल, रामबन, पोगालपरिस्तान, चिनानी, डूडू, बसंतगढ़, सन्नासार, पटनीटाप, लाटीडूणा, रामनगर, मजालता, बिलावर, बनी, बसौली, धर्ममहानपुर, धारडुगनू, धारजंखल, कठुआ, अठियालता, अठून, उधमपुर और डोडा हैं। कश्मीर में कुछ एरियाज में एवलाचेंज हुए। वे इसलिए हुए, क्योंकि लोगों ने जंगल काट लिए और ऊपर तक चले गए। इसलिए जो सरकारी जंगल हैं, उनकी तरफ ध्यान दिया जाए। अगर हम नेचर को अननेचुरल बनाएंगे तो जब हम उल्टा करते हैं, नेचर भी उल्टा करता है।

[अनुवाद]

श्री तापिर गाव (अरूणाचल पूर्व): सभापति महोदय, मुझे यह अवसर देने के लिए आपका बहुत धन्यवाद।

महोदय, हम इस सम्मानीय सभा में प्राकृतिक आपदाओं तथा राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन के बारे में चर्चा कर रहे हैं। वह एक प्रकार से मगरमच्छ के आंसू बहाना है।

[हिन्दी]

हिन्दी में मगरमच्छ के आंसू कहते हैं।

[अनुवाद]

हम केवल इसकी चर्चा कर रहे हैं। इस प्रकार की प्राकृतिक आपदाएं आने पर पीड़ितों को जिन समस्याओं का सामना करना पड़ता है, हम केवल उन्हें उठा रहे हैं। देश को इस समस्या पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। देश को प्रति वर्ष इन सभी

[श्री तापिर गाव]

मुद्दों को सुलझाने के लिए अलग मंत्रालय बजटीय प्रावधानों की आवश्यकता पड़ती है।

हमारे पूरे देश में प्राकृतिक आपदाएं, भूकम्प, रियायत प्रभावित क्षेत्र, वर्षा तथा बाढ़ प्रभावित क्षेत्र हैं। इस देश भारत में भौगोलिक दृश्य की विभिन्न विशेषताएं हैं। अधिक समय लिए बिना मैं इस सम्माननीय सभा का ध्यान पूर्वोत्तर क्षेत्र की ओर दिलाना चाहता हूं। बिहार से सम्पूर्ण पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए यह प्रति वर्ष की स्थायी समस्या है। हर छह महीने बाद हमें इस समस्या का सामना करना पड़ रहा है। देश के उस भाग में हम बाढ़ की स्थिति का सामना कर रहे हैं। मैं सूखे, हिमपात प्रभावित क्षेत्रों के बारे में भी चिंतित हूं। लेकिन जो स्थायी समस्या जो देश के पूर्वी भाग को प्रति वर्ष नुकसान पहुंचाती है, वह यही है। बिहार से पूर्वोत्तर क्षेत्र के इलाकों के लिए प्रति वर्ष हमें केवल 40 अथवा 50 करोड़ रु. मिलते हैं। मैं माननीय मंत्री महोदय को यह बताना चाहता हूं कि पूर्वोत्तर क्षेत्र में वर्षा तथा बाढ़ की स्थिति बिहार अथवा असम से भी भिन्न है। पर्वतीय और पहाड़ी क्षेत्रों में यदि एक बार बढ़ी बाढ़ आ जाती है तो भूमि सतह का पूरा भूगोल प्रभावित होता है। मैं एक उदाहरण दूंगा।

पिछली बार अरूणाचल प्रदेश में भयंकर बाढ़ आई थी। ब्रह्मपुत्र नदी की प्रमुख सहायक नदियां अरूणाचल प्रदेश में हैं। जब हाथी को पकड़ना हैं तो माथे से पकड़ना ठीक है, अगर पूंछ से पकड़ेंगे, यदि हम हाथी को उसकी पूंछ से पकड़ने का प्रयास करते हैं तो हम कुछ नहीं कर रहे हैं। अरूणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी की पांच प्रमुख सहायक नदियां हैं। ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियों के लिए आपके विचारानुसार बाढ़ नियंत्रण प्रबंधन के संबंध में उपायों का सुझाव दे रहा हूं।

अरूणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी की पांच प्रमुख सहायक नदियां हैं। तिब्बत और हिमालयी क्षेत्र का वर्षा का सारा पानी बहकर अरूणाचल प्रदेश में आ जाता है। हमारे यहां छह माह तक बाढ़ आती है। बाढ़ का पानी इकट्ठा हो जाता है तथा यह संपूर्ण असम तथा पड़ोसी देशों को प्रभावित करता है। इसलिए हमें बाढ़ नियंत्रण के लिए बजटीय प्रावधान की आवश्यकता है। देश को इस प्रकार की स्थिति से निपटने के लिए एक अलग मंत्रालय तथा राज्य स्तर, जिला स्तर पर अलग प्रबंधन की आवश्यकता है।

पिछली बार भी माननीय प्रधान मंत्री महोदय ने वहां का दौरा किया था। प्रत्येक वर्ष पूर्वोत्तर क्षेत्र के प्रभावित इलाकों का दौरा करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री तथा संबंधित मंत्री हेलीकाप्टर की सेवाएं लेते हैं।

रात्रि 8.10 बजे

[उपाध्यक्ष महोदय *पीठासीन हुए*]

इस प्रबंधन प्रणाली के बावजूद माननीय प्रधानमंत्री तथा संबंधित माननीय मंत्रियों के दौरों के बावजूद हैलीकाप्टरों आदि के प्रबंधन पर एक बड़ी धनराशि खर्च होती है। उस प्रबंधन प्रणाली के बावजूद, उपाध्यक्ष महोदय बाढ़ तथा प्राकृतिक आपदाओं के क्षेत्रों को प्रभावित किया है। भारत सरकार को इस प्रकार के प्रभावित क्षेत्रों के लिए स्थायी तौर पर एक विशेष दल का गठन करना चाहिए। छह माह पूरे होने से पहले हमें एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति का गठन करना चाहिए। पीड़ितों की सहायता के लिए सरकार को आगे आना चाहिए। गुजरात के मेरे एक माननीय मित्र ने गुजरात भूकम्प का जिक्र किया था। इन सभी समस्याओं का कारण है उचित प्रबंधन प्रणाली का अभाव। सुनामी पीड़ितों को उनको उचित मुआवजा तक नहीं मिल रहा है। हमें केन्द्रीय स्तर, राज्य स्तर अथवा जिला स्तर पर अलग-अलग समितियां गठित करनी चाहिएं। मेरा माननीय मंत्री महोदय से यह विनम्र निवेदन है कि इस प्रकार की प्राकृतिक आपदा के लिए अलग बजटीय आवंटन प्रदान किया जाना चाहिए।

श्री जे.एम. आरून रशीद (पेरियाकुलम): महोदय, 26 दिसंबर, 2004 को तमिलनाडु के 500 किलोमीटर लम्बे तटीय क्षेत्र को सुनामी लहरों ने प्रभावित किया था। अगले ही दिन प्रधानमंत्री डा. मनमोहन सिंह जी, यू पी ए की हमारी अध्यक्षा एवं हमारी प्रिय कांग्रेस नेता श्रीमती सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी चेन्नई आए तथा उन्होंने सुनामी से प्रभावित इलाकों का दौरा किया था। श्रीमती सोनिया गांधी जी ने उन मछुआरों को सांत्वना दी जोकि मछली पकड़ने की अपनी नौकाएं, पर्यटन नौकाएं, बेड़े, मकान तथा अपने सामान जैसी सम्पत्ति खो चुके हैं। गरीब मछुआरों के छप्पर से बने मकान पूरी तरह नष्ट हो गए। केन्द्र सरकार ने अर्द्ध सैनिक बलों को तुरन्त भेजकर सहायता की तथा तमिलनाडु राज्य पुलिस कर्मियों ने पीड़ितों की सहायता की। अस्थायी शरण स्थल तथा कैम्प स्थापित किए गए थे। सुनामी से पीड़ित जरूरतमंद लोगों के लिए केन्द्र सरकार द्वारा भोजन तथा दवाइयों की आपूर्ति की गई थी। हमारी यू पी ए केन्द्र सरकार से यू पी ए की अध्यक्षा के साथ श्री प्रणब मुखर्जी, हमारे माननीय गृह मंत्री तथा श्रीमती अंबिका सोनी ने प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। मैडम सोनिया जी दूर-दराज के स्थानों पर सड़क से तथा सभी तटीय क्षेत्रों में हेलीकाप्टर से गयीं ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्य के भाषण के अतिरिक्त यह कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)**

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री जे.एम. आरून रशीद: हमारे प्रधानमंत्री तथा मैडम सोनिया जी के दौरे के बाद केन्द्र सरकार ने तमिलनाडु को 1,400 करोड़ रु. का राहत पैकेज तत्काल दिया, जिसके लिए मैं उनका बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूं। मैं केन्द्र सरकार से अनुरोध करना चाहता हूं कि प्रभावित व्यक्तियों को धनराशि सीधे तौर पर मिलनी चाहिए। कल भी कुड्डालोर में एक बड़ा प्रदर्शन और रास्ता रोको आन्दोलन हुआ। तमिलनाडु पुलिस ने भीड़ पर लाठीचार्ज कर उन्हें भगा दिया। माननीय विधि और न्याय राज्य मंत्री भी यहां हैं। बहुत से लोग घायल हुए और उन्हें अस्पताल में दाखिल किया गया। प्रभावित मछुआरों को सरकारी राजसहायता और मदद नहीं मिल रही है। राज्य में सत्ताधारी दल के लोग लाभ उठा रहे हैं ...*(व्यवधान)* श्री स्वाईं, कृपया व्यवधान न डालें।

उपाध्यक्ष महोदय: कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

श्री जे.एम. आरून रशीद: मैं सरकार के ध्यान में एक महत्वपूर्ण विषय लाना चाहूंगा।

[हिन्दी]

घर में बहुत किरायेदार हैं लेकिन किरायेदारों को कुछ नहीं मिलता है, घर के मालिक को सब कुछ मिलता है। किरायेदार रोटी के लिए रोज काम करके घर आता है और 1000 रुपया किराया देता है। सरकार जो फैसिलिटीज देती है, वह किरायेदारों को भी मिलनी चाहिए।

[अनुवाद]

कई लोगों ने अपने सभी सगे संबंधियों को खो दिया। कम से कम उन्हें कुछ मुआवजा दिया जाना चाहिए।

नागौर में मुसलमान अल्पसंख्यक सद्भाव दर्शाते हुए सरकार को मदद करने के लिए आगे आए और शवों को हटाया एवं उन्हें मुसलमान कब्रगाहों में दफनाया। कन्याकुमारी का कुलाचल शहर बुरी तरह से प्रभावित हुआ है।

महोदय, हमारे माननीय गृह राज्य मंत्री के निर्वाचन क्षेत्र में कई स्थानों में सुनामी त्रासदी का व्यापक प्रभाव पड़ा है। प्रभावित स्थल हैं, अम्मापट्टीनम, जगदापट्टीनम, कोट्टईपट्टीनम, मनामेलगुडी, मिमीसल, कट्टुमनगुड्डी, मल्लीपट्टीनम और अधीरमपट्टीनम। इन स्थानों में मछुआरों ने अपनी नावें और अपने सभी सगे संबंधियों को गंवा दिया।

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया अपनी बात समाप्त करें।

श्री जे.एम. आरून रशीद: महोदय, मैं भाषण समाप्त कर रहा हूं।

फिर, तमिलनाडु में वेलवकली और नागापट्टिनम सबसे ज्यादा प्रभावित क्षेत्र हैं। संप्रग सरकार द्वारा जो भी वायदे किए गए, उनको पूरा किया गया। लेकिन हमने नमक उद्योग को पूरी तरह से भूला दिया। यहां पर जितने लोगों ने बोला, उन सबने मकान मालिकों, नाव मालिकों, कैटामारेन मालिकों की तरफ से बोला, लेकिन किसी ने नमक उद्योग में काम कर रहे लोगों की तरफ से नहीं बोला।

महोदय, नमक बलशाली ब्रिटिश साम्राज्य को बाहर भगाने के लिए महात्मा गांधी द्वारा चुना गया एक औजार था। महात्मा गांधी द्वारा ''दांडी यात्रा'' के नाम से जाने गए नमक सत्याग्रह के इस 75वें वर्ष में, इसे पुन: शुरू किया जा रहा है। हमने दांडी मार्च के कारण आजादी हासिल की और हमारे भारतीय जनता पार्टी के लोग गुजरात में अपनी सरकार के रूप में इसका स्वाद चख रहे हैं। नमक बहुत ही सस्ता उत्पाद है और बहुत संवेदनशील भी। नमक केन्द्रीय विषय में आता है। यह बहुत ही दयनीय है कि तमिलनाडु सरकार ने नमक उद्योग और इसके निर्धन कामगारों की दुर्दशा पर ध्यान नहीं दिया। इसलिए, मैं केन्द्र सरकार से शीघ्र कदम उठाने और अनाथ नमक कामगारों को राहत प्रदान करने का अनुरोध करूंगा।

महोदय, तमिलनाडु में सिर्फ नागापट्टिनम जिले में ही 6000 से भी अधिक लोगों ने अपनी जानें गंवाई। कई लोगों ने तो अपने सभी प्रिय लोगों को खो दिया तथा सम्पत्ति गंवा दी है। मैं केन्द्र सरकार से सुनामी प्रभावित लोगों को और अधिक सहायता प्रदान करने का नम्र निवेदन करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय: अब कृपया अपनी बात समाप्त करें।

श्री जे.एम. आरून रशीद: मैं अभी समाप्त करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय: यदि आप अभी अपनी बात समाप्त नहीं करेंगे तो मैं अगले वक्ता श्री ए.वी. बेल्लारमीन का नाम पुकारता हूं।

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री जे.एम. आरून रशीद: महोदय, मैं केन्द्र सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह वहां किए जा रहे राहत कार्यों की निगरानी और समीक्षा के लिए विशेषज्ञों की एक समिति भेजे इससे सुनामी प्रभावित लोगों को काफी मदद मिलेगी। मैं, पुन: केन्द्र सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह अब तक वहां किए गए राहत कार्यों की समीक्षा के लिए तमिलनाडु में शीघ्र एक दल भेजे और प्रभावित लोगों को शीघ्र ही और सहायता प्रदान करें।

***श्री ए.वी. बेल्लारमिन** (नागरकोइल): महोदय, हमने अनेक प्राकृतिक आपदाएं देखी होंगी। परन्तु ऐसी प्राकृतिक आपदा जिसने हमें गम्भीर रूप से प्रभावित किया है और जिसका भय अभी भी हमारे मन-मस्तिष्क में बना हुआ है वह शताब्दी की त्रासदी सुनामी है। हमारा नागरकोइल संसदीय क्षेत्र बुरी तरह प्रभावित हुआ तथा सर्वाधिक जान-माल की हुई हानि वाले स्थानों में इसका दूसरा स्थान है। तमिलनाडु में दूसरा सर्वाधिक प्रभावित जिला हमारा है। इस सुनामी, जिसने विश्व के विभिन्न भागों, हमारे देश के विभिन्न राज्यों में काफी आतंक पैदा किया, तमिलनाडु के अनेक जिलों को प्रभावित किया है। तमिलनाडु में हमारा जिला दूसरा ऐसा जिला है जहां सबसे अधिक विनाश हुआ है। हमारे मत्स्य-ग्रहण करने वाले गांवों और छोटे बंदरगाहों में जान-माल की हुई भीषण हानि का वर्णन करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। यदि मैं उनका वर्णन करने के लिए सक्षम भी हो जाऊं तो भी मुझे भय है कि समय की पाबंदी की वजह से ऐसा करने का समय न मिले। इसलिए मैं इस सम्माननीय सभा के कतिपय महत्वपूर्ण बातें रखना चाहता हूं। सुनामी के पश्चात् मानवीय सहायता का दौर शुरू हुआ। लोगों की मानवीय सहायता की वजह से ही सुनामी प्रभावित व्यक्तियों को शीघ्र मदद व राहत प्राप्त हुई। बचाव कार्य में शीघ्र व उदारतापूर्वक लगे लोगों की वजह से ही मलवा और कीचड़ भरे समुद्र-तट के नीचे दबी लाशों को खोदकर निकालने में समय पर सहायता मिली। केन्द्र सरकार और राज्य सरकार को प्रभावित लोगों की मदद करने के लिए आगे आने में दो-तीन दिन लगे। हमें राजनीति से ऊपर उठकर राहत और पुनर्वास कार्य पर गम्भीरतापूर्वक ध्यान देना चाहिए। मैं यह कहना चाहता हूं कि इतनी भयावह आपदा और अन्य किसी भी प्रकार की प्राकृतिक आपदा के प्रबंधन हेतु हमें अपने वृहत प्रशासन तंत्र को चुस्त-दुरूस्त बनाने की जरूरत है। हमें आपदा राहत कार्य में हस्तक्षेप और इसे प्रभावित रूप से संचालित करने के लिए उपयुक्त संगठनात्मक ढांचा स्थापित करना चाहिए। हमें यह देखना चाहिए कि पूर्व चेतावनी प्रणालियां स्थापित हों, क्योंकि रोकथाम हमेशा बेहतर उपाय होता है। प्रभावित लोगों के लिए तात्कालिक अल्पावधि व्यवस्था करने की बजाय स्थायी पुनर्वास उपाय किए जाने चाहिए। चिरस्थायी समाधान हेतु दीर्घावधि राजनीति तैयार की जानी चाहिए। मछुआरे सबसे अधिक प्रभावित हुए हैं और इसलिए उनके जीवनयापन के लिए आवास और साधन उपलब्ध कराये जाने की अति आवश्यकता है। उनकी जीवनयापन पुन: शुरू करने करने हेतु जाल और बंसी सहित बेड़ों, बेलम, नौकाओं और यंत्रीकृत नौकाओं की जरूरत होगी। अंतरिम राहत कार्य में अनेक कमियां व खामियां हैं। सुनामी के तुरंत बाद बनाए गए आश्रय स्थल रहे योग्य नहीं हैं। इसलिए स्थायी पुनर्वास उपायों में उन्हें अपने व्यवसाय शुरू करने हेतु आवश्यक वस्तुओं को उपलब्ध कराने पर ध्यान दिया जाना चाहिए जो कि अधिकांशत: परम्परागत स्वरूप के होते हैं। यदि स्थायी व दीर्घावधि पुनर्वास उपाय के रूप में ठोस ढांचे वाले आवासों का निर्माण किया जाना हो, तो मैं कतिपय बातें ध्यान में रखने का सुझाव दूंगा। नई आवास सुविधाओं को समुद्र से पर्याप्त दूरी पर स्थापित किया जाना चाहिए। जहां तक सुनामी पीड़ित लोगों हेतु आवास बनाने का प्रश्न है, इसके लिए पर्याप्त निधियां आवंटित किए जाने का दावा किया गया है। यह बताया गया है कि केन्द्र सरकार 2800 करोड़ रुपये दे रही है। राज्य प्रशासन भी आश्रय स्थलों पर पर्याप्त धनराशि खर्च करेगा। मुख्य मंत्री राहत कोष में काफी धनराशि दान के रूप में प्राप्त हुई है। कई एजेंसियां और गैर-सरकारी संगठन, बेघर लोगों के पुनर्वास हेतु आवास इकाइयों का निर्माण करने के लिए आगे आए हैं। आवास निर्माण कार्य के डुप्लीकेशन और ओवरलैपिंग को रोकने हेतु अभी तक कोई समुचित समन्वय तंत्र नहीं है। इसलिए मैं सरकार से व्यवहार्य समन्वय सुनिश्चित करने का अनुरोध करता हूं। इस पर आधारित, उन स्थानों पर स्थायी आवास बनाए जाने चाहिए जो चक्रवातीय तूफान और यहां तक कि सुनामी के दौरान भी आसानी से प्रभावित न हो सके। सुनामी मकानों को नष्ट करती उससे पहले ही राज्य सरकार द्वारा बनवायी गयी आवासीय इकाइयां ध्वस्त हो गयी। इनके ध्वस्त होने का कारण इनका कमजोर निर्माण रहा। महोदय, जब सरकार को आवासीय इकाइयों का निर्माण कराना हो तो वह आवश्यक रूप से इस कार्य को पेशेवर एजेंसियों को सौंपे जो निर्माण में मानक व गुणवत्ता सुनिश्चित कर सकती हैं। हमें अपने समुद्र तट को भी भविष्य में और प्रभावित होने से बचाना है। हमारे समुद्रतटीय क्षेत्रों से अनेक निजी कंपनियों द्वारा बालू ढोया जा रहा है। बालू ले जाने का कार्य सतत चल रहा है। इससे समुद्र जल के आप्लावन से हमारे तटीय क्षेत्रों के अधिक प्रभावित होने की संभावना बढ़ेगी। हमारे तटों से रेत उत्खनन पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए। हमारे समुद्री तटों पर और अधिक मैन्ग्रोव्स लगाने संबंधी तकनीकी ज्ञान को और अधिक विकसित किया जाना चाहिए ताकि इससे समुद्र तटों के क्षरण और

*लिखित मूलत: तमिल में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

ज्वारीय तरंगों के विनाशकारी बल और प्रभाव को समाप्त किया जा सके। हमारे संपूर्ण समुद्री तटों पर शिलाखण्ड नहीं फैलानी चाहिए। इसके स्थान पर टिकाऊ और संरक्षण पद्धतियों को अपनाना चाहिए। जहां तक कन्याकुमारी जिले का संबंध है तो यहां पर मछली पकड़ने वाली 2000 से भी अधिक नौकाएं कार्य कर रही थी। यहां पर पहले ही चार मत्स्यन पोताश्रयों के विकास का प्रस्ताव है। आर्थिक कार्यकलापों और समुद्री परिवहन में सुधार करने के लिए कोलाचल पोताश्रय का और अधिक विस्तार किया जाना चाहिए। स्थायी पुनर्वास कार्य करने के साथ-साथ यहां के लोगों की समस्याओं के स्थायी समाधान हेतु किए जा रहे अवसंरचनात्मक विकास कार्यों के एक भाग के रूप में इसमें इस क्षेत्र की ए.वी.एम. नहर को भी शामिल किया जा सकता है। इससे रोजगार के अवसरों का सृजन किया जा सकता है। इसलिए मैं सरकार से स्थायी पुनर्वास के लिए दीर्घ कालीन परियोजनाएं शुरू करने का अनुरोध करता हूं। जब हम अपने दिल और दिमाग को एक साथ रखकर सुनामी से प्रभावित लोगों को राहत देना चाहते हैं तो हमें यह भी सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि हमारी योजनाओं को "भ्रष्टाचार की सुनामी" तबाह न कर दे।

इस अवसर पर मैं, प्रधानमंत्री हमारी सरकार की सलाहकार परिषद की अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी और उन अन्य केन्द्रीय मंत्रियों का धन्यवाद करना चाहूंगा जो सुनामी प्रभावित क्षेत्रों में गए। मैं लोक सभा अध्यक्ष का भी धन्यवाद करना चाहूंगा, क्योंकि उन्होंने संसद सदस्यों पर इस बात के लिए प्रभाव डाला कि वे सुनामी राहत के लिए एमपी लैड धनराशि में से उदारता से दान करें। मैं उन सभी दानकर्त्ताओं को भी धन्यवाद देना चाहूंगा जिन्होंने सुनामी से प्रभावित असहाय, उदास लोगों के जीवन के पुनर्निर्माण के लिए उदारतापूर्वक दान दिया।

इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु (राजापुर): उपाध्यक्ष महोदय, यहां पर आपदा से उत्पन्न हुई स्थिति पर विचार-विमर्श किया जा रहा है और क्योंकि समय का अभाव है इसलिए मैं कोई भाषण नहीं दूंगा बल्कि केवल कुछ बातें ही कहूंगा। महोदय, सर्वप्रथम सरकार को आपदा प्रवण क्षेत्रों का विस्तृत मानचित्र तैयार करना चाहिए और इसे जीआईएस तथा अन्य प्रौद्योगिकियों की सहायता से तैयार किया जा सकता है। आपको अत्याधिक जोखिम वाले आपदा प्रवण क्षेत्रों में रहने वाले को अनिवार्य बीमा कराने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए क्योंकि किसी भी सरकार के लिए आपदा प्रबंधन आपरेशन के लिए अनिश्चित धन और अनंत धनराशि प्रदान करना संभव नहीं है।

दूसरे, आपको आपदा प्रबंधन कार्य में सहायता हेतु अधिक से अधिक स्वैच्छिक संगठनों को शामिल करना चाहिए। मैं बहुत खुश हूं कि माननीय गृहमंत्री ने कल होम गार्डस के साथ एक बैठक की है। मैं सोचता हूं हमें विद्यालयों, महाविद्यालयों और कारखानों के साथ मिलकर ऐसे और अधिक कैडरों का सृजन करना चाहिए जो थोड़े समय में ही आपदा बचाव कार्य में शामिल हो सकें क्योंकि सरकार के लिए यह संभव नहीं है कि वह आपदा प्रबंधन के लिए स्थाई दल का सृजन करे।

तीसरे, हमें वास्तव में यह देखना होगा कि अत्याधिक जोखिम वाले क्षेत्रों में अनिवार्य बीमा शुरू करना कितना जरूरी है। इससे लोगों को उस क्षेत्र में रहने से रोका जा सकेगा। जैसे जब सुनामी आई थी तब वास्तव में कोस्टल रेगुलेशन जोन (सी.आर.जेड.) का स्पष्ट उल्लंघन देखा गया। यदि वहां पर लोग नहीं रह रहे होते तो शायद अनेक जानें बचाई जा सकती थी। हमें सी.आर.जेड. का सख्ती से क्रियान्वयन भी करना चाहिए और यह कार्य आवश्यक रूप से किया जाना चाहिए।

महोदय, मैं एक अन्य बात यहां पर कहना चाहता हूं कि प्रत्येक जिले में एक टीम होनी चाहिए लेकिन इसके लिए गंभीर प्रयास करने की आवश्यकता है। मुझे याद है कि मैं प्रतिदिन प्रात: 9.00 बजे सायरन बजने पर विद्यालय जाता था। ऐसा केवल यह देखने के लिए किया जाता था कि सायरन काम कर रहा है, अथवा नहीं। मैं सोचता हूं कि जिला स्तर पर कार्य करने वाली आपदा टीम के लिए नियमित रूप से ड्रिल होनी चाहिए ताकि वे केवल आपदा के समय ही नींद से न जागें। इसलिए वे इसे निरन्तर कार्यरत अवस्था में रखें।

महोदय, अन्य बात यह है कि हमें नये भवन संहिता शुरू करनी चाहिए। अधिकतर लोगों की मृत्यु भवनों के ढह जाने के कारण हुई और वे मलवे में दब गए। यदि हमारी इमारतें भी जापान की तरह होती, जो कि हमेशा भूकम्प प्रवण क्षेत्र हैं, तो मृतकों की संख्या कम होती।

वहां जब भी भूकम्प आता है तो न तो बहुत से लोग मरते हैं और न ही सम्पत्ति की हानि होती है। इसलिए, हमें अपनी भवन संहिता में भारी परिवर्तन करना होगा।

दूसरी बात यह है कि अब हमें कार्रवाई तंत्र शुरू करना चाहिए। हमें सम्पूर्ण भारत में एक ऐसी कोर टीम की आवश्यकता है जो इस प्रकार बनी इमारतों के अनौपचारिक संरचनाओं के अनुपूरण में तीव्रता से कार्यवाही कर सकें और उस पर विचार किया जा सके।

[श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु]

जब हम प्राकृतिक आपदाओं की बात करते हैं तो कुछ आपदाएं मानव-निर्मित होती हैं जिनका अब हम सामना कर रहे हैं। हमने देखा है कि बाढ़ और सूखा चक्रीय ढंग से और नियमित रूप से आते हैं। हमें सचमुच में कार्य योजना की आवश्यकता है जिसका उल्लेख गृहमंत्री जी ने पिछली बार वाद-विवाद में हस्तक्षेप करते समय किया था। हमें इस क्षेत्र को सूखा प्रवण बनाने की आवश्यकता है जो हम कर सकते हैं।

अन्य बात यह है कि इन सभी का समाधान तब तक सही ढंग से नहीं किया जा सकता जब तक हम इनके मूल कारण की ओर ध्यान नहीं देते, वह कारण जनसंख्या वृद्धि है। वर्ग किलोमीटर के अनुपात में जनसंख्या का घनत्व बहुत अधिक है। इसीलिए, मौत की घटनाएं भी अधिक होती है। हमें वास्तव में व्यापक जनसंख्या नियंत्रण उपाय करने की आवश्यकता है मेरे विचार से इसी चीज में अब हम पिछड़ रहे हैं।

मैं अपने अन्तिम मुद्दे पर आता हूं। जलवायु परिवर्तन बाह्य कारक है जो न केवल इस देश के अपितु सम्पूर्ण विश्व के जलवायु पैटर्न को भी प्रभावित कर रहा है। इसलिए, ऐसी प्राकृतिक आपदाएं जिनके प्रति हम अज्ञात है वे आगामी कुछ वर्षों में घटित होंगी। हम देख रहे हैं कि उन क्षेत्रों में वर्षा हो रही है जहां पहले कभी वर्षा नहीं हुई थी। यू.ए.ई. में बर्फ पड़ी। इसलिए, तो प्राकृतिक आपदा से निपटते समय हमें इस जलावयु परिवर्तन को भी ध्यान में रखना होगा।

उपाध्यक्ष महोदय: हमारे अन्तिम वक्ता डा. के.एस. मनोज हैं। कृपया केवल तीन मिनट में अपना भाषण समाप्त करें।

डा. के.एस. मनोज (अलेप्पी): उपाध्यक्ष महोदय, मैं ऐसे स्थान से संबंध रखता हूं जो सुनामी से प्रभावित हुआ था। केरल में अलपुजा जिले की अरातुपुजा पंचायत सुनामी से बुरी तरह प्रभावित हुई है।

महोदय, सुनामी कभी-कभी घटित होने वाली घटना है। किन्तु केरल के समुद्री तट पर मानसून के दौरान उच्च ज्वारीय तरंगों की वजह से समुद्री अपरदन आम बात है। किन्तु समुद्री तट के आसपास रहने वाले निर्धन मछुआरों की जान-माल की सुरक्षा के लिए कोई ठोस उपाय नहीं किये गए हैं।

महोदय, केरल का समुद्री तट आंध्र प्रदेश अथवा अन्य राज्यों के समुद्री तट के मुकाबले अधिक सघन जनसंख्या वाला है। मेरे कुछ साथियों ने इस ओर इशारा भी किया है। समुद्री तट और अप्रवाही जल के बीच बहुत ही संकरी पट्टी है और इस क्षेत्र में परिवहन की कोई व्यवस्था नहीं है। अरातुपुजा और अलापट्ट में कई लोगों की मौत केवल परिवहन सुविधा के अभाव की वजह से हुई। इस झील और समुद्र के बीच इस 14 किलोमीटर की संकरी पट्टी के आस-पास एक भी पुल नहीं है। वे जल्दी में थे और हम उन्हें बचा नहीं सकें। समुद्री तट के आसपास रहने वाले लोगों की सुरक्षा की जानी चाहिए। दु:खद स्थिति यह है कि हजारों लोग समुद्री अपरदन की वजह से मर जाते हैं किन्तु इसे प्राकृतिक आपदा नहीं माना जाता है।

हमें न तो आपदा राहत कोष और न ही राष्ट्रीय आपदा आकस्मिक कोष से धनराशि प्राप्त हो रही है। मेरा माननीय गृह मंत्री जी से विनम्र निवेदन है कि समुद्री अपरदन को प्राकृतिक आपदा माना जाए और इससे प्रभावित लोगों को सहायता प्रदान की जाए।

जैसा कि मैंने उल्लेख किया है, केरल की तटीय रेखा की सुरक्षा की जानी चाहिए। जहां तक हमारा संबंध है, समुद्री दीवार ने कुछ हद तक सुरक्षा प्रदान की है। सभी मौतें छ: उन क्षेत्रों में हुई जहां समुद्री दीवार कमजोर थी। आप या तो समुद्री दीवार के निर्माण पर विचार कर सकते हैं अथवा जैसा कि मेरे साथियों ने उल्लेख किया था, कच्छ वनस्पति को उगा कर इसका समाधान किया जा सकता है।

महोदय, समय के अभाव के कारण, मैं अपना भाषण यहां समाप्त करता हूं किन्तु कृपया मुझे शेष भाषण सभा पटल पर रखने की अनुमति दी जाए।

उपाध्यक्ष महोदय: जी, नहीं।

अब सभा कल 24 मार्च, 2005 के पूर्वाह्न 11.00 बजे पुन: समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

रात्रि 8.30 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा मंगलवार 24 मार्च, 2005/3 चैत्र, 1927 (शक) के पूर्वाह्न 11 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

अनुबंध I

तारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका

क्र.सं.	सदस्य का नाम	तारांकित प्रश्नों की संख्या
1.	श्री मनसुखभाई डी. वसावा श्री काशीराम राणा	281
2.	डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय श्री चन्द्रमणि त्रिपाठी	282
3.	श्रीमती कल्पना रमेश नरहिरे	283
4.	श्री राकेश सिंह	284
5.	श्री भूपेन्द्रसिंह सोलंकी श्रीमती सुमित्रा महाजन	285
6.	श्री तुकाराम गणपतराव रेंगे पाटील	286
7.	श्री असादूद्दीन ओवेसी	287
8.	श्री सनत कुमार मंडल	288
9.	श्री बृज किशोर त्रिपाठी श्री आनंदराव विठोबा अडसूल	289
10.	श्री हरिन पाठक	290
11.	श्रीमती भावना पुंडलिकराव गवली	291
12.	डा. एम. जगन्नाथ	292
13.	प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा श्री निखिल कुमार	293
14.	श्री सुनिल कुमार महतो श्री वी.के. दुम्मर	294
15.	श्री हरिभाऊ राठौड़ श्री चन्द्रभूषण सिंह	295
16.	श्री ब्रजेश पाठक	296
17.	श्री सुव्रत बोस श्री हितेन बर्मन	297
18.	श्री राजीव रंजन सिंह "ललन" श्री रामजीलाल सुमन	298
19.	श्री गिरिधारी यादव श्री एम. अंजनकुमार यादव	299
20.	श्री उदय सिंह श्री मधु गौड यास्खी	300

अतारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका

क्र.सं.	सदस्य का नाम	प्रश्न संख्या
1	2	3
1.	आरून रशीद, श्री जे.एम.	3124, 3192
2.	अडसूल, श्री आनंदराव विठोबा	3178, 3213, 3250, 3279
3.	अग्रवाल, डा. धीरेन्द्र	3156
4.	अहमद, श्री अतीक	3276
5.	अजय कुमार, श्री एस.	3098, 3186, 3207
6.	अप्पादुरई, श्री एम.	3102
7.	आठवले, श्री रामदास	3089, 3091, 3180, 3229, 3278
8.	'बाबा', श्री के.सी. सिंह	3272
9.	बैठा, श्री कैलाश	3076
10.	बारड़, श्री जसुभाई दानाभाई	3100, 3139, 3202, 3245, 3267
11.	बर्मन, श्री हितेन	3084
12.	बर्मन, श्री रनेन	3062
13.	बखला, श्री जोवाकिम	3084
14.	भगोरा, श्री महावीर	3103
15.	बिश्नोई, श्री कुलदीप	3068
16.	बोस, श्री सुव्रत	3084, 3181
17.	बुधौलिया, श्री राजनरायन	3066, 3107, 3110, 3116, 3118
18.	चालिहा, श्री किरिप	3149, 3215
19.	चन्द्रप्पन, श्री सी.के.	3179
20.	चौरे, श्री बापू हरी	3065, 3173, 3223, 3256

1	2	3
21.	चव्हाण, श्री हरिश्चंद्र	3090, 3116, 3182
22.	चिन्ता मोहन, डा.	3189
23.	चित्तन, श्री एन.एस.वी.	3117
24.	चौधरी, श्रीमती अनुराधा	3123, 3275
25.	चौधरी, श्री निखिल कुमार	3104, 3274
26.	चौधरी, श्री शिवराज सिंह	3092, 3198, 3243
27.	चौधरी, श्री पंकज	3185, 3233
28.	चौधरी, श्री अधीर	3152
29.	दासगुप्त, श्री गुरूदास	3116
30.	देशमुख, श्री सुभाष सुरेशचंद्र	3225
31.	ढींडसा, श्री सुखदेव सिंह	3145
32.	गढ़वी, श्री पी.एस.	3063
33.	गायकवाड़ श्री एकनाथ महादेव	3099, 3178
34.	गमांग, श्री गिरिधर	3071
35.	गांधी, श्री प्रदीप	3122
36.	गंगवार, श्री संतोष	3135, 3199, 3253
37.	गवली, श्रीमती भावना पुंडलिकराव	3172, 3227
38.	गेहलोत, श्री थावरचन्द	3144
39.	गोहेन, श्री राजेन	3106
40.	गौडा, श्री डी.वी. सदानन्द	3133
41.	हमजा, श्री टी.के.	3055
42.	जय प्रकाश, श्री	3185
43.	झा, श्री रघुनाथ	3058, 3211
44.	जोगी, श्री अजीत	3147, 3212, 3255
45.	कलमाडी, श्री सुरेश	3196
46.	करूणाकरन, श्री पी.	3060, 3097, 3193
47.	कस्वां, श्री राम सिंह	3142
48.	खंडेलवाल, श्री विजय कुमार	3146, 3210, 3233, 3277
49.	खारवेनथन, श्री एस.के.	3120, 3190, 3237
50.	कौशल, श्री रघुवीर सिंह	3052, 3109, 3157, 3276
51.	कृष्ण, श्री विजय	3094
52.	कुलस्ते, श्री फग्गन सिंह	3277
53.	कुरूप, श्री सुरेश	3119
54.	कुशवाहा, श्री नरेन्द्र कुमार	3123
55.	'ललन', श्री राजीव रंजन सिंह	3230
56.	मान, श्री जोरा सिंह	3128
57.	माडम, श्री विक्रमभाई अर्जनभाई	3176, 3224, 3268, 3276
58.	माधवराज, श्रीमती मनोरमा	3100
59.	महाजन, श्री वाई.जी.	3090, 3017, 3182
60.	महतो, श्री बीर सिंह	3101, 3169, 3226, 3228
61.	महतो, श्री सुनिल कुमार	3156, 3228, 3258, 3260
62.	माहेश्वरी, श्रीमती किरण	3096
63.	महताब, श्री भर्तृहरि	3151
64.	माझी, श्री परसुराम	3067
65.	मंडल, श्री सनत कुमार	3101
66.	मनोज, डा. के.एस.	3074, 3154, 3179
67.	मेघवाल, श्री कैलाश	3069
68.	मेहता, श्री आलोक कुमार	3087, 3200
69.	मेहता, श्री भुवनेश्वर प्रसाद	3154, 3218

1	2	3
70.	मिश्रा, डा. राजेश	3091, 3124, 3192
71.	मुकीम, मो.	3075, 3167, 3235
72.	मो. ताहिर, श्री	3123, 3275
73.	मोहिते, श्री सुबोध	3057, 3160, 3238, 3265
74.	मोल्लाह, श्री हन्नान	3127
75.	मुन्शी राम, श्री	3112, 3123, 3275
76.	मुर्मू, श्री हेमलाल	3106, 3110, 3184
77.	मुर्मू, श्री रूपचन्द	3088, 3194
78.	नरहिरे, श्रीमती कल्पना रमेश	3158, 3220, 3257
79.	निखिल कुमार, श्री	3276
80.	निषाद, श्री महेन्द्र प्रसाद	3183
81.	ओराम, श्री जुएल	3056, 3142, 3159, 3231, 3262
82.	ओवेसी, श्री असादूद्दीन	3161, 3221, 3259
83.	पाल, श्री राजाराम	3141, 3183
84.	पाण्डा, श्री प्रबोध	3130
85.	पाण्डेय, डा. लक्ष्मीनारायण	3191, 3195, 3241, 3279
86.	परस्ते, श्री दलपत सिंह	3080
87.	पासवान, श्री वीरचन्द्र	3112
88.	पटेल, श्री किसनभाई वी.	3126
89.	पटैरिया, श्रीमती नीता	3105, 3277
90.	पाठक, श्री ब्रजेश	3148, 3168, 3230, 3261
91.	पाटील, श्री बालासाहिब विखे	3121, 3197, 3242, 3271
92.	प्रभु, श्री सुरेश प्रभाकर	3085, 3170, 3222, 3270
93.	राजगोपाल, श्री एल.	3182
94.	राजभर, श्री चन्द्रदेव प्रसाद	3061
95.	राजेन्द्र कुमार, श्री	3078, 3166, 3249
96.	राजेन्द्रन, श्री पी.	3121
97.	रामकृष्णा, श्री बाडिगा	3086, 3126, 3204
98.	राणा, श्री काशीराम	3155, 3169, 3276
99.	राव, श्री रायापति सांबासिवा	3137, 3200, 3201, 3251, 3280
100.	राव, श्री डी. विट्टल	3126, 3132, 3196, 3230, 3275
101.	राठौड़, श्री हरिभाऊ	3175
102.	रावले, श्री मोहन	3064
103.	रेड्डी, श्री जी. करूणाकर	3101, 3113, 3186, 3234, 3264
104.	रेड्डी, श्री एम. श्रीनिवासुलु	3115, 3187
105.	रेड्डी, श्री एन. जनार्दन	3148
106.	रेंगे पाटील, श्री तुकाराम गणपतराव	3177, 3226, 3258
107.	रिजीजू, श्री कीरेन	3136
108.	सज्जन कुमार, श्री	3124
109.	साई प्रताप, श्री ए.	3077
110.	साय, श्री विष्णुदेव	3212
111.	सांगवा, श्री किशन सिंह	3109

1	2	3
112.	सरडगी, श्री इकबाल अहमद	3053, 3137, 3200, 3244, 3266
113.	शर्मा, डा. अरूण कुमार	3143, 3205
114.	सरोज, श्री तूफानी	3121, 3129
115.	सत्यनारायण, श्री सर्वे	3126
116.	सत्पथी, श्री तथागत	3213, 3214
117.	शाहीन, श्री अब्दुल रशीद	3153, 3216
118.	शाहिद, मो.	3081
119.	शाक्य, श्री रघुराज सिंह	3104
120.	शांडिल्य, कर्नल (सेवानिवृत्त) डा. धनी राम	3073
121.	शिवाजीराव, श्री अधलराव पाटील	3082, 3171, 3232, 3263, 3280
122.	शिवन्ना, श्री एम.	3183
123.	शिवनकर, प्रो. महादेवराव	3123
124.	शुक्ला, श्रीमती करूणा	3072, 3191, 3239
125.	सिद्दीश्वर, श्री जी.एम.	3273
126.	सिंह, श्री चन्द्रभूषण	3182, 3203, 3246
127.	सिंह, श्री चन्द्रभान	3108
128.	सिंह, श्री दुष्यंत	3083, 3254
129.	सिंह, श्री कीर्ति वर्धन	3094, 3178
130.	सिंह, कुंवर मानवेन्द्र	3079, 3165
131.	सिंह, श्री मोहन	330, 3095
132.	सिंह, श्री प्रभुनाथ	3051, 3164, 3248
133.	सिंह, श्री राकेश	3163, 3225
134.	सिंह, श्री सुग्रीव	3094, 3150, 3178
135.	सिंह, श्री सूरज	3111
136.	सोलंकी, श्री भरतसिंह माधवसिंह	3131
137.	सुजाता, श्रीमती सी.एस.	3070, 3098
138.	सुमन, श्री रामजीलाल	3189, 3230
139.	सुरेन्द्रन, श्री चेंगरा	3116
140.	ठक्कर, श्रीमती जयाबहन बी.	3138
141.	थामस, श्री पी.सी.	3114
142.	ठुम्मर, श्री वी.के.	3155, 3219, 3260, 3276
143.	थुपस्तन, श्री छेवांग	3054
144.	त्रिपाठी, श्री चन्द्र मणि	3174
145.	त्रिपाठी, श्री बृज किशोर	3126, 3214, 3252, 3269
146.	वर्मा, श्री रतिलाल कालीदास	3096, 3175
147.	वसावा, श्री मनसुखभाई डी.	3206, 3276
148.	वीरेन्द्र कुमार, श्री एम.पी.	3093, 3193, 3240
149.	वर्मा, श्री राजेश	3118, 3188, 3236
150.	वर्मा, श्री रवि प्रकाश	3249
151.	विनोद कुमार, श्री बी.	3140, 3208, 3247
152.	वीरेन्द्र कुमार, श्री	3109
153.	यादव, श्री एम. अंजनकुमार	3162, 3177, 3276
154.	यादव, श्री बालेश्वर	3059
155.	यादव, श्री सीता राम	3125, 3209
156.	येरननायडु, श्री किन्जरपु	3134, 3230

अनुबंध II

तारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका

प्रधानमंत्री	:	
कृषि और ग्रामीण उद्योग	:	
परमाणु ऊर्जा	:	
संचार और सूचना प्रौद्योगिकी	:	283, 287, 290, 294, 296
विदेश	:	298
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण	:	285, 286, 291, 292, 293, 300
महासागर विकास	:	
प्रवासी भारतीय कार्य	:	297
कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन	:	281
योजना	:	
विज्ञान और प्रौद्योगिकी	:	288, 289
पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग	:	299
लघु उद्योग	:	284
अंतरिक्ष	:	295
सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन	:	282

अतारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका

प्रधानमंत्री	:	
कृषि और ग्रामीण उद्योग	:	3093, 3216
परमाणु ऊर्जा	:	3213
संचार और सूचना प्रौद्योगिकी	:	3057, 3061, 3062, 3063, 3069, 3071, 3078, 3081, 3083, 3094, 3096, 3101, 3105, 3106, 3107, 3110, 3116, 3118, 3123, 3124, 3125, 3141, 3142, 3146, 3153, 3156, 3160, 3162, 3167, 3168, 3169, 3173, 3183, 3184, 3196, 3198, 3200, 3203, 3205, 3212, 3219, 3221, 3227, 3228, 3229, 3234, 3235, 3242, 3246, 3253, 3257, 3259, 3260, 3263, 3264, 3265, 3267, 3273, 3275
विदेश	:	3076, 3095, 3119, 3121, 3126, 3128, 3129, 3137, 3148, 3193, 3197, 3199, 3201, 3204, 3230, 3271, 3276, 3280

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण	:	3055, 3056, 3058, 3059, 3065, 3066, 3073, 3074, 3080, 3087, 3098, 3100, 3102, 3103, 3104, 3108, 3114, 3117, 3122, 3130, 3132, 3133, 3134, 3136, 3147, 3150, 3151, 3154, 3155, 3157, 3158, 3159, 3165, 3170, 3171, 3174, 3175, 3177, 3181, 3185, 3187, 3188, 3191, 3195, 3202, 3206, 3209, 3211, 3223, 3233, 3238, 3239, 3240, 3241, 3248, 3249, 3250, 3254, 3256, 3261, 3266, 3268, 3274, 3277, 3279
महासागर विकास	:	3070, 3090, 3099, 3152, 3194
प्रवासी भारतीय कार्य	:	3064, 3091
कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन	:	3052, 3072, 3082, 3085, 3086, 3088, 3089, 3097, 3109, 3111, 3112, 3135, 3164, 3192, 3222, 3226, 3255, 3258, 3272, 3278
योजना	:	3054, 3060, 3166, 3180, 3189, 3214, 3215, 3269
विज्ञान और प्रौद्योगिकी	:	3053, 3075, 3079, 3140, 3163, 3172, 3178, 3208, 3210, 3218, 3220, 3224, 3247, 3252, 3270
पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग	:	3067, 3068, 3077, 3084, 3113, 3115, 3120, 3127, 3131, 3138, 3143, 3145, 3176, 3179, 3190, 3207, 3217, 3231, 3236, 3243, 3244, 3245, 3251, 3262
लघु उद्योग	:	3051, 3092, 3139, 3144, 3149, 3161, 3225, 3232, 3237
अंतरिक्ष	:	3182
सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन	:	3186

इंटरनेट

लोक सभा की सत्रावधि के प्रत्येक दिन के वाद-विवाद का मूल संस्करण भारतीय संसद की निम्नलिखित वेबसाइट पर उपलब्ध है:

http:#www.parliamentofindia.nic.in

लोक सभा की कार्यवाही का दूरदर्शन पर सीधा प्रसारण

लोक सभा की संपूर्ण कार्यवाही का दूरदर्शन के विशेष चैनल ''डीडी-लोकसभा'' पर सीधा प्रसारण किया जाता है। यह प्रसारण सत्रावधि में प्रतिदिन प्रात: 11.00 बजे लोक सभा की कार्यवाही शुरू होने से लेकर उस दिन की सभा समाप्त होने तक होता है।

लोक सभा वाद-विवाद बिक्री के लिए उपलब्ध

लोक सभा वाद-विवाद के हिन्दी संस्करण और अंग्रेजी संस्करण की प्रतियां तथा संसद के अन्य प्रकाशन, विक्रय फलक, संसद भवन, नई दिल्ली-110001 पर बिक्री हेतु उपलब्ध हैं।

पी.एल.एस.–48/8/19/2005 (एन०)

© 2005 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (ग्यारहवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अंतर्गत प्रकाशित और श्री इन्टरप्राइजेज, नई दिल्ली द्वारा मुद्रित।